

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

LIBRARY

सातवें संस्करण की भूमिका

पहले छ' संस्करणों का विद्यार्थी वर्ग, प्राध्यापक बन्धुओं तथा विद्वान पाठकों जो मध्य स्वामत किया उसके लिये हादिक आभार व्यक्त करता हू तथा पुस्तक की इती लोकप्रियता से प्रेरित होकर नये पाठ्यक्रम के अनुसार यह पूर्णतः सशोधित एवं रिमाजित सातवा संस्करण आपने कर कमलो मे प्रस्तुत कर रहा हू ।

सब के मुख्य नवीन आकर्षण

(1) नये पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक को पुनः व्यवस्थित किया गया है ।
(2) पुस्तक में राजस्थान यूनिवर्सिटी मे अब तक पूछे गये प्रश्नों को मय तर सवेत दिया गया है ।

(3) उत्पादन सम्भावना वक्र, उत्पादन प्रक्रिया मे उद्यमी की उपयोगिता, नुक्सतम जनसख्या सिद्धान्त का महत्व, सयुक्त क्षेत्र, मजदूर क्षेत्र, आय के चक्राकार शह की प्रभावित करने वाले तत्व आदि अनेक प्रकार की नवीन पाठ्य-सामग्री जोड़ी ई है ।

(4) समाहित परीक्षोपयोगी प्रश्नों की समग्र उत्तर सामग्री का समावेश

(5) स्वय-पाठी छात्रों (Non-collegiate) के लिये तो यह पुस्तक बरदान ढ होगी क्योंकि पाठ्य-क्रम की विषय सामग्री को अत्यन्त सरल एवं शीघ्र ग्राह्य गया गया है ।

(6) विषय सामग्री का भारत के सदभं मे विश्लेषण है ।

(7) पर्याप्त रेखाचित्रों का समावेश तथा नवीनतम आँकड़े ।

भाशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह नवीनतम संस्करण विद्यार्थी वर्ग को र्धक सामग्री सिद्ध होगा तथा प्राध्यापक बन्धुओं को कृति बहुत पसन्द आयेगी ।

मैं पुन अपने सब प्राध्यापक बन्धुओं, सह-कर्मियों तथा विज्ञ-पाठकों का आभार क करता हू, जिन्होंने पुस्तक को लोकप्रिय बनाने तथा अमूल्य सुभाव देकर कृति प्रिय उपयोगी बनाने मे सहयोग दिया है । भविष्य मे भी सुभावो का सादर गन है ।

मैं अपने प्रकाशक श्री धानन्द मित्तल तथा मुद्रक का भी अत्यन्त आभारी हू रने अपने प्रयासों से यह कृति यथाशीघ्र अपने नये परिवेश मे आपने कर कमलो पट्टच पाई है ।

जुगलरा"

५, प्रतापनगर, चिनीमण्ड (राज)

की एल. ओसा

SYLLABUS OF
RAJASTHAN UNIVERSITY
FIRST YEAR T.D.C. ARTS EXAMINATION
ECONOMIC ORGANISATION

What is an Economy ? The nature of the economic problem. Problem of choice and allocation in the sphere of production and consumption. The role of the price system in this allocation.

The productive process, Production inputs : Land, labour and organisation. Supply of labour and the population problem. The concepts of optimum population and over population. Meaning of capital formation and factors influencing the supply of capital.

Circular flow of income, National income concepts. Relation between saving, investment and income. Inequality—its causes Factors in economy development of developing countries and natural resources, labour supply, technology, capital organisation and Government policy. The role of the Government in economic development.

Creation of money credit in a modern economy. Main features of the Monetary system : Institutions creating money and credit. Central Bank and Commercial banks. Their main functions and mutual relation (only elementary treatment). Supply of money and the price-level.

Forms of Business Organisation, Modern Corporation, Public Enterprises, Co-operative Enterprises. Main characteristics of the capitalist and pure communist system. Dominantly capitalist mixed economies and planned socialist mixed economies.

विषय-सूची

1. अर्थव्यवस्था, उसकी प्रकृति एवं केन्द्रीय आर्थिक समस्याएँ 1-28
(Economy, Its Nature & Central Economic Problems or Functions)

अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का अर्थ, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक समस्या का स्वरूप, अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाएँ, अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य अथवा केन्द्रीय समस्याएँ ।

2. साधनों के चयन व आवंटन की समस्या एवं मूल्य-यन्त्र की भूमिका 29-50
(Problem of Choice & Allocation of Resources & The Role of Price System)

उपभोक्ता द्वारा उपभोग में साधन आवंटन, साधन आवंटन में मूल्य यन्त्र की भूमिका, साधन आवंटन में मूल्य यन्त्र की सफलता की शर्तें, कीमठ प्रणाली की सीमाएँ, समाजवादी व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की तुलना, साधनों के आवंटन का महत्व, मूल उद्देश्य व आधार ।

3. उत्पादन प्रक्रिया 51-62
(The Productive Process)

उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया का श्रु सलाबद्ध रूप, कार्य प्रणाली, उत्पादन प्रणाली क्यों चलती है, उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन का महत्व ।

4. उत्पादन तथा उत्पादन के साधन 63-72
(Production and Production Inputs)

उत्पादन का अर्थ, उपयोगिता सृजन के विभिन्न तरीके या रूप, उत्पादन का व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व, उत्पादन के साधन, उनका तापेक्षिक महत्व, उत्पादन कुशलता एवं उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व ।

5. भूमि (Land) 73-80
 भूमि का अर्थ, भूमि की विशेषताएँ, भूमि का उत्पादन में महत्व, भूमि की उत्पादन कुशलता व निर्धारक तत्व एवं गहन कृषि ।
6. श्रम (Labour) 81-94
 श्रम का अर्थ एवं परिभाषा, श्रम की विशेषताएँ, श्रम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धान्त में महत्व, श्रम और वस्तु में अन्तर, श्रम का वर्गीकरण, श्रम की कार्यकुशलता, श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व, भारत में श्रम की कम कार्यकुशलता के कारण एवं कार्य-क्षमता वृद्धि के उपाय ।
7. पूंजी (Capital) 95-101
 पूंजी का अर्थ व परिभाषा, पूंजी की विशेषताएँ, भूमि और पूंजी, पूंजी का वर्गीकरण, पूंजी के कार्य, पूंजी की कार्य-क्षमता ।
8. संगठन (Organisation) 102-107
 संगठन का अर्थ, संगठन तथा श्रम और साहस में अन्तर, संगठन का महत्व, संगठन के कार्य, संगठन की कार्य-कुशलता ।
9. श्रम की पूर्ति एवं जनसंख्या समस्या (Supply of Labour and the Population Problem) 108-125
 श्रम की पूर्ति का अर्थ, श्रम की पूर्ति के निर्धारक तत्व, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या समस्या के विभिन्न पहलू, जनाधिक्य की समस्या, जनाधिक्य समस्या के कारण तथा उपाय ।
10. अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनाधिक्य की धारणाएँ (The Concepts of Optimum Population and Over population) 126-144
 भूमिका, मात्स्य का जनसंख्या सिद्धान्त, मात्स्य के सिद्धान्त की आलोचनाएँ, अनुकूलतम जनसंख्या की धारणा, अर्थ

एक परिभाषा, आलोचनाए, माल्यस व अनुसूक्तम जनसस्य सिद्धान्तो की तुलना, जनाभाव एक जनाधिक्य के दुष्प्रभाव ।

11. पूंजी-निर्माण या पूंजी-संचय 145-164
(Capital Formation or Capital Accumulation)

पूँजी निर्माण का अर्थ, पूँजी निर्माण की अवस्थाए, आर्थिक विकास में पूँजी-निर्माण का महत्व या भूमिका, पूँजी पूँति को प्रभावित करने वाले तत्व, भारत में पूँजी निर्माण, भारत तथा अन्य अर्थ विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण समस्या तथा धीमी गति के कारण, भारत तथा अर्थ विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण वृद्धि के कारण ।

12. आय का चक्राकार प्रवाह 165-177
(Circular Flow of Income)

आय प्रवाह का सरल चित्रण, व्यवहार में आय का चक्राकार प्रवाह, अनावृत अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह ।

13. राष्ट्रीय आय की धारणाएँ 178-200
(National Income Concepts)

राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ एक राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएँ अथवा स्वरूप, राष्ट्रीय आय की सगणना प्रणालियाँ, राष्ट्रीय आय को मापने की कठिनाइयाँ, राष्ट्रीय आय का महत्व एक प्रयोग, राष्ट्रीय आय के अनुमान एक उपयोग में सावधानियाँ, राष्ट्रीय आय के आर्थिक बह्याण, भारत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय, भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान के कठिनाइयाँ, निराकरण ।

14. बचत, विनियोग और आय के मध्य सम्बन्ध 207-220
(Relation Between Savings, Investment and Income)

बचत, विनियोग, आय, बचत, विनियोग एक आय के संबंध, भारत में बचत, विनियोग एक आय की स्थिति ।

परिशिष्ट (Appendix) राष्ट्रीय आय का निर्धारण 221-226

15. आय एवं सम्पत्ति की असमानता 227-249
(Inequality in Income and Wealth)

आर्थिक असमानता के कारण, आर्थिक विषमता के

दुष्प्रभाव, आर्थिक विपन्नता के असमान वितरण के पक्ष में तर्क, आर्थिक विपन्नता में कमी के कारण, आर्थिक विपन्नता एवं आर्थिक विकास ।

16. विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास के घटक 250-264
(Factors in Economic Development of Developing Countries)

आर्थिक विकास का अर्थ, विकासशील राष्ट्रों एवं आर्थिक विकास का महत्व, विकासशील राष्ट्रों की विशेषताएँ, विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास का महत्व, आर्थिक विकास के घटक तत्व, आर्थिक विकास के घटकों का सापेक्षिक महत्व ।

17. आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका 255-278
(The Role of Government in Economic Development)

भूमिका, विकास में राज्य का महत्व, आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका ।

18. आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा मुद्रा-सृजन 279-287
(Creation of Money in Modern Economy)

मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की प्रकृति, मुद्रा के कार्य, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, मुद्रा के सम्भावित दोष, मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा का सृजन ।

19. साख-सृजन एवं साख-सृजन संस्थाएँ 288-302
(Creation of credit & institutions creating credit)

साख का अर्थ, साख का आधार, साख का निर्माण, साख-निर्माण की सीमाएँ, साख-निर्माण का महत्व, कार्य प्रणाली, साख-निर्माण के दोष एवं बुराई, साख-निर्माण और आर्थिक विकास, साख-निर्माण और कीमत, साख-निर्माण के प्रमुख विषय, साख-सृजन रखने वाली संस्थाएँ ।

20. केन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य 303-320
(Central Banks and Its Functions)

केन्द्रीय बैंक का अर्थ एवं परिभाषा, केन्द्रीय बैंक का महत्व, केन्द्रीय बैंक के सिद्धान्त, केन्द्रीय बैंकों और व्यापारिक बैंकों की तुलना, केन्द्रीय बैंक के कार्य, साख नियन्त्रण एवं साख-नियन्त्रण की रीतियाँ—परिभाषात्मक व गुणात्मक, केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक सम्बन्ध ।

21. व्यापारिक बैंक एवं उनके कार्य 321-336
(Commercial Banks and their functions)
व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंको के कार्य, आर्थिक विकास में बैंको की भूमिका, व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क ।
22. मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत-स्तर 337-357
(Supply of Money and the Price Level)
मुद्रा की पूर्ति का अर्थ, मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व, मुद्रा की माग, मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धान्त व उसकी आलोचनाएँ, मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की केम्ब्रिज व्याख्या, उनकी आधार-भूत विशेषताएँ, केम्ब्रिज समीकरण, फिशर व केम्ब्रिज विचारधाराओं की तुलना, केम्ब्रिज व्याख्या की आलोचना, विचारधारा की श्रेष्ठता, आय-व्यय दृष्टिकोण, मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर के सम्बन्ध में आय-व्यय दृष्टिकोण की श्रेष्ठता, कीमत-स्तर में परिवर्तन के विभिन्न रूप, मुद्रा प्रसार व संकुचन, नियन्त्रण के तरीके, मूल्य-स्तर को मापने की विधि ।
23. व्यावसायिक संगठन के स्वरूप 358-385
(Forms of Business Organisation)
एकाकी स्वामित्व व्यवस्था, एकाकी व्यवस्था की विशेषताएँ साम तथा दोष, साझेदारी, साम तथा दोष, सयुक्त पूंजी कम्पनी, विशेषताएँ, सयुक्त पूंजी कम्पनी के भेद का प्रकार साव्यंजनिक कम्पनी तथा निजी कम्पनी में अन्तर, सयुक्त पूंजी कम्पनी की स्थापना, सयुक्त पूंजी कम्पनी के साम तथा दोष, साव्यंजनिक उपक्रम, साव्यंजनिक उपक्रमों के उद्देश्य, वर्गीकरण, भारत में साव्यंजनिक उपक्रमों का विकास, साव्यंजनिक उपक्रमों के साम तथा दोष, सहकारी उपक्रम, सहकारिता की विशेषताएँ, सहकारी उपक्रमों के विभिन्न रूप, सहकारी उपक्रमों में प्रबन्ध का स्वरूप, सहकारी उपक्रमों के लाभ ।
24. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवाद 386-395
(Capitalist Economic System or Capitalism)
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसकी विशेषताएँ, राज-दाय पूंजीवाद का प्राथमिक स्वरूप ।

25. समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था एवं विद्युद्ध 396-406
साम्यवादी अर्थव्यवस्था

(Socialist or Planned Economy and Communist Economy)

साम्यवाद, समाजवाद अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ, विभिन्न रूप, समाजवाद की पूंजीवाद से श्रेष्ठता, लाभ या गुण, दोष या अवगुण ।

26. मिश्रित अर्थव्यवस्था 407-421
(Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों? लाभ-गुण, दोष, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विफलताएँ ।

अर्थव्यवस्था, उसकी प्रकृति एवं केन्द्रीय आर्थिक समस्यायें या कार्य

(Economy, Its Nature & Central Economic
Problems or Functions)

अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों वा साधनों के सम्बन्ध के रूप में करता है। आवश्यकतायें अनन्त हैं पर साधन सीमित हैं। अतः मानवीय आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि के लिए धन और निरर्थक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस सस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओं का सम्पादन होता है, उस सस्थागत संरचना को ही अर्थव्यवस्था (Economy) या आर्थिक प्रणाली (Economic System) अथवा आर्थिक संगठन (Economic Organisation) की पद्धति कहते हैं। इससे अन्तर्गत वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से अनन्त आवश्यकताओं व साधनों की पूर्ति के द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि के लिए धन करने (Choice Making) तथा निरर्थक लेने (Decision-Taking) की जिन-जिन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्यायें (Central Problems of Economy) या आर्थिक प्रणाली की केन्द्रीय समस्यायें (Central Problems of Economic System) कहते हैं। इन्हें आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था के मुख्य कार्य (Main Functions of an Economy or Economic System) भी कहते हैं। अध्ययन के लिये हम अर्थव्यवस्था वा अर्थ, प्रकृति, उसकी कार्यविधि तथा समस्याओं वा अन्तःप्रसंगों में अध्ययन करेंगे।

अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का अर्थ (Meaning of an Economy or Economic System)—यनेव विद्वानों ने अर्थव्यवस्था की परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रो० बर्किघम के अनुसार "अर्थव्यवस्था उत्पादन के सभी साधनों पर पारस्परिक रूप से आधारित नियन्त्रणों का समूह है।" दूसरे शब्दों में आर्थिक प्रणाली वा अभिप्राय उस वैधानिक तथा सस्थागत ढांचे (Legal & Institutional Framework) से है जिससे अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। हमने

स्पष्ट है कि जिस परमाणु सरचना में मानव की आर्थिक क्रियाओं—उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व का सम्पादन होता है, वही अर्थव्यवस्था (Economy) या आर्थिक प्रणाली (Economic System) कहलाती है।

अत्यन्त सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था (Economy) या आर्थिक प्रणाली (Economic System) से हमारा अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके आधार पर निजी क्षेत्र निम्न के रहने वाले लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था के लिये पारस्परिक सहयोग देने हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि कर सकें। प्रो ए जे ब्राउन (Brown) के शब्दों में “अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिये किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जीवन निर्वाह होता है। (An Economy is a system by which people get a living) जैसे रूसी अर्थव्यवस्था, अमरीकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें भारतीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओं का सम्पादन किया जाता है।

डॉरमैन (Dorinan) के शब्दों में “अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उन सब सामाजिक नियमों, परम्पराओं तथा संस्थाओं का समावेश होता है जो समाज के सदस्यों में विनिमय साध्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार तथा उपयोग के लिये सहयोग पर नियन्त्रण रखते हैं।” स्पष्ट है इस परिभाषा में डॉरमैन समाज में आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग के लिए सहयोग पर सामाजिक नियमों, परम्पराओं और संस्थाओं के नियन्त्रण की महत्व देता है।

प्रो स्टिगलर (Stigler) के अनुसार “आर्थिक प्रणाली उन आर्थिक संस्थाओं की कार्यविधि वा अध्येत है जो सामाजिक अथवा निजी संगठन के रूप में आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करते हैं।” इस प्रकार का विचार प्रो. बौल्डिंग (Boulding) ने भी व्यक्त किया है। उनके शब्दों में “जब किसी संगठन का प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग होना है उसे हम आर्थिक संगठन कहते हैं।”

प्रो हिक्स (J P Hicks) ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये उत्पादकों एवं अधिकतम सहभाग के परिप्रेक्ष्य में दी है। हिक्स के अनुसार “उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्पादकों एवं अधिकतम के सहयोग को आर्थिक प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है।” स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की तुष्टि हेतु अनेक उपाय एवं अधिक उत्पादन में सहयोग देते हैं।

अर्थव्यवस्था, उसकी प्रवृत्ति एवं केन्द्रीय आर्थिक गमस्थानों या कार्य

आजकल लगभग सभी राष्ट्रों में मानवीय आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का न्यूनाधिक हस्तक्षेप अवश्य दृष्टिगोचर होता है। इस कारण अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का स्वरूप बहुत कुछ राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रवृत्ति तथा सीमा पर तो निर्भर करता ही है पर साथ-साथ आर्थिक प्रणाली के स्वरूप पर सामाजिक परिस्थितियों एवं परम्पराओं का भी प्रभाव पड़ता है। इन दोनों तत्वों के सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था की उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—“अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का वह ढाँचा है जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों तथा उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग पर सामाजिक नियन्त्रण किया जाता है।” (Economy or Economic System is the framework of institutions by which the use of the means of production and of their products is socially controlled)। अर्थव्यवस्था की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उनमें निम्न लक्षण पाये जाते हैं—

अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

(Salient Features of an Economy)

1. व्यक्ति समूह ही अर्थव्यवस्था का आधार है—क्योंकि अर्थव्यवस्था की धारणा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन-निर्वाह पद्धति से सम्बद्ध है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सब लोगों का अध्ययन है जो आजीवन कमाने के लिये उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय भारत के रहने वाले सब लोगों की जीवन-निर्वाह सम्बन्धी क्रियाओं व उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करने से है। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था मानव निर्मित होती है और मानवीय आर्थिक क्रियाएँ-उत्पादन, उपभोग, निनिमय, वितरण एवं राजस्व उसके अंग हैं।

2. अर्थव्यवस्था की अतिव्यवस्थाएँ (Vital Processes)—अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें व्यक्ति-समूह के जीवन निर्वाह से सम्बन्धित तीन अतिव्यवस्थाएँ निरन्तर चलती हैं। (i) उत्पादन (Production) के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का समावेश होता है जो आवश्यकता, कुशलता, उत्पादन की तकनीक व आर्थिक साधनों की मात्रा पर निर्भर है। (ii) उपभोग (Consumption) अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि वस्तुओं व सेवाओं के रूप में की जाती है। (iii) निनिमय (Investment) अर्थव्यवस्था की तीसरी अतिव्यवस्थाएँ प्रक्रिया है जिसमें उपभोग पर उत्पादन आधिस्य को स्थिर अथवा इन्वेस्टरी निवेन में लगाकर देश में उत्पादन, आय एवं रोजगार को ऊँचे स्तर पर बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में ये तीनों अतिव्यवस्थाएँ निरन्तर चलती हैं।

3 अर्थव्यवस्था का स्वरूप, उत्पादन व्यवस्था पद्धति एवं सरचना पर निर्भर करता है, जैसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं अधिकार होता है और वे निजी लाभ के लिए उन साधनों का प्रयोग करते हैं। उत्पादन का निर्देशन एवं नियन्त्रण कीमत प्रणाली द्वारा होता है जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय केन्द्रीय प्राधिकार (Central Authority) द्वारा किये जाते हैं राज्य ही एकमात्र नियोजक होता है। राज्य ही साधनों का आवंटन उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों व प्रयोगों में करता है।

4 अर्थव्यवस्था का चौथा महत्वपूर्ण अंग विनियम-प्रक्रिया है जिससे उपभोग सम्भव होता है। समस्त उत्पादन का अन्तिम उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की तुष्टि करना है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में चाहे उनका स्वरूप कुछ भी क्यों न हो उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतन्त्रता देने के लिये विनियम-प्रक्रिया की व्यवस्था करनी पड़ती है जैसे परचून दुकानें, उपभोक्ता भंडार आदि, ताकि उत्पादित वस्तुएँ एवं सेवाएँ अन्तिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकें।

5 अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनियम, वितरण आदि क्रियाओं के संचालन में मौद्रिक प्रणाली (Monetary System) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्राथमिक प्रणाली के संचालन का केन्द्र बिन्दु है। मुद्रा व्यवस्था के अभाव में प्राथमिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति सम्भव नहीं हो पाती।

6 अर्थव्यवस्था की क्रियाओं में उतार चढ़ाव आते रहते हैं किन्तु प्रत्येक अर्थव्यवस्था का प्रयास प्रायः प्राथमिक विकास एवं स्थायित्व का होता है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक मन्दी, प्राथमिक तेजी और प्राथमिक स्थिरता का क्रम निरन्तर चलता रहता है और इसी उतार-चढ़ाव की दशाओं को सामाजिक कल्याण के लिए नियन्त्रित किया जाता है।

7 अर्थव्यवस्था का विकास देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों मानवीय साधनों, उनके प्रयोग एवं विकास, उचित सरकारी नीतियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर है। यही कारण है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएँ विकसित, कुछ पिछड़ी और कुछ अर्द्धविकसित हैं। किन्तु सब में विकास की अन्तर-प्रक्रिया विद्यमान है।

8 सरकार की भूमिका, हस्तक्षेप और नियन्त्रण निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और अब पूँजीवादी देश भी अपनी पुरानी "स्वतन्त्रता की नीति" में विश्वास खोकर राज्य की बढ़ती भूमिका का समर्थन करते हैं।

प्राथमिक संगठन, अर्थव्यवस्था या प्राथमिक प्रणाली के स्वरूप (Forms of Economy or Economic Systems)

मानव की प्राथमिक क्रियाओं पर राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा सीमा, सामाजिक नियमों, प्राथमिक परम्पराओं तथा प्राथमिक संगठन की संरचना की विधियों के कारण सम्यक्ता के विकास के प्रारम्भ से अब तक अर्थव्यवस्था के अनेक प्रकार विकसित हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं (1) पूँजीवादी या स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली

अर्थव्यवस्था (Capitalism or Free Economy), (ii) समाजवादी या नियन्त्रित अर्थव्यवस्था (Socialism or Controlled Economy) (iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy), (iv) नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) (v) साम्यवादी अर्थव्यवस्था (Communist Economy) है। यो तो मोटे रूप में प्रो. लियोन्टिफ (A. Leontiev) के अनुसार "दो दुनिया—पूँजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया—हैं राजनैतिक अर्थशास्त्र के केन्द्र बिन्दु हैं।" मिश्रित या नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ तो पूँजीवाद और समाजवाद के मंथीपूर्ण-संयोग मात्र हैं, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाजवाद का अति उग्र रूप है। इन विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalism)—यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पात्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है और ये निजी व्यक्ति या संस्थाएँ अपने अधिकतम निजी लाभ के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर साधनों का प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषताएँ हैं (i) उत्पात्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व, (ii) सम्पत्ति का उत्तराधिकार नियमों से हस्तान्तरण, (iii) स्वतन्त्र प्रतियोगिता, (iv) निजी लाभ की प्रवृत्ति, (v) समाज में धन का असमान वितरण, (vi) अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र (Free Price Mechanism) से होता है, (vii) वर्ग-संघर्ष की प्रधानता होती है, (viii) निजी लाभ के लिए सामाजिक हितों की भी उपेक्षा होती है। (विस्तृत विवरण अध्याय 24 में पढ़िये।)

2. समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialistic Economy)—इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत तत्व हैं। इसके अन्तर्गत उत्पात्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज अथवा राज्य का सामूहिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। इन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं—(i) उत्पात्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज या राज्य का सामूहिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है (ii) इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है, निजी लाभ को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता (iii) अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र पर न छोड़ा जाकर नियन्त्रित मूल्य यन्त्र से किया जाता है। (iv) अर्थव्यवस्था में साधनों का प्रयोग नियोजित ढंग से किया जाता है (v) अर्थव्यवस्था में सहकारिता की प्रधानता होती है। (vi) आर्थिक समानता स्थापित की जाती है। (vii) वर्ग-संघर्ष का समापन होता है (viii) सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। (विस्तृत विवरण अध्याय 25 में पढ़िये)।

आजकल विश्व के अधिकांश भागों में पूँजीवाद का बोलबाला है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली तथा जापान आदि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

के परिचायक है तो दूसरी ओर रूस, चीन, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी आदि साम्यवादी धार्मिक प्रणाली के अनुपम उदाहरण हैं। प्रथम में निजी स्वतन्त्रता व निजी साम का तत्त्व है तो दूसरी में कठोर नियन्त्रण एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का बाहुल्य है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाजवाद का ही उग्र रूप है जिसमें निजी स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र की ही होती है तथा खूनी क्रान्ति से समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। समाजवादी धार्मिक प्रणाली के अनेक रूप हैं—(i) मार्क्सवादी समाजवाद हिंसक क्रान्ति पर आधारित समाजवाद है, जबकि (ii) राजकीय समाजवादी या सामूहिक समाजवादी ससदीय एवं वैधानिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करते हैं। (iii) गिल्ड समाजवाद में उत्पादन के साधनों तथा लघु उद्योगों पर स्वामित्व तो सरकार का होता है जबकि उनका संचालन मजदूर सघों के हाथों में होता है, (iv) श्रमिक रुघवाद में उत्पात्ति के साधनों का स्वामित्व एवं उनका संचालन दोनों मजदूरों के सामूहिक सघों द्वारा होता है, (v) फेडियन समाजवाद भी एक प्रकार का राजकीय समाजवाद है जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी इस प्रकार के समाजवाद की पक्षपाती है। (vi) साम्यवादी धार्मिक प्रणाली के अन्तर्गत उत्पात्ति तथा वितरण के सभी साधनों का सरकारी स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। निजी स्वामित्व का पूर्ण उन्मूलन हो जाता है तथा वर्ग विहीन समाज (Classless Society) की स्थापना होती है जिसमें “एक सबके लिए तथा सब एक के लिए” के सिद्धान्त पर अर्थ-व्यवस्था का संचालन होता है इसमें हिंसक क्रान्ति की वृद्धि रहती है।

3 मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)—उपर्युक्त दो प्रमुख धार्मिक प्रणालियों—पूँजीवाद एवं समाजवाद के अतिरिक्त आजकल विश्व के अनेक विकसित-शीन राष्ट्रों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह दो चरम सीमाओं के बीच एक मध्यम मार्ग है जिसमें दोनों के उग्र रूप के अस्वगुणों को छोड़कर उनके गुणों व विशेषताओं का वर्गीकरण किया जाता है अर्थात् मिश्रित अर्थ-व्यवस्था समाजवाद एवं पूँजीवाद का समन्वित रूप है जिसमें अर्थव्यवस्था का संचालन तीन क्षेत्रों—(i) निजी क्षेत्र (Private Sector) (ii) सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector) तथा (iii) सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) द्वारा किया जाता है, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका अनुपम उदाहरण है जिसके अन्तर्गत (i) प्रजा तान्त्रिक समाजवाद के रूप में नियोजन एवं नियन्त्रण की एक ढीली ढाली व्यवस्था है, (ii) इसमें उपरोक्त की प्रमुखता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके व्यवहार में आवागमक प्रतिबंधों एवं नियन्त्रणों की व्यवस्था है। चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद का सम्मिश्रण (Mixture) है अतः (iii) इसके अन्तर्गत साधनों का वितरण अंशतः सरकारी निर्देशों द्वारा किया जाता है, (iv) निजी क्षेत्र को अधिकतम मामाजिक कल्याण के लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाता है, (v) नियोजित अर्थव्यवस्था इसी का एक परिष्कृत रूप है।

(विस्तार से आगे अध्याय 26 में देखिए)

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अन्तर के आधार तत्व

(Basic Elements of Distinction Among Various Economics)

आज विश्व में कई प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ (अर्थव्यवस्थाएँ) पाई जाती हैं। यों तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत कुछ साधनों के स्वामित्व एवं संगठन, सामाजिक नियमों, निर्णयों की प्रक्रिया एवं राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है पर अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर काम करने की प्रेरणाओं, सामाजिक लक्ष्यों तथा निर्णय के अधिकार आदि तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इन तत्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1 आर्थिक साधनों का स्वामित्व—अर्थव्यवस्थाओं में भेद करने वाला मुख्य तत्व आर्थिक साधनों का स्वामित्व है। अगर उत्पादन के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों व सस्थाओं का स्वामित्व हाता है तो उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा पाश्चात्य देशों में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व का बोलबाला है। अमेरिका में 80% विनियोग तथा ब्रिटेन में 55% विनियोग निजी व्यक्तियों या सस्थाओं द्वारा किया जाता है और इनके विपरीत अगर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व न होकर सार्वजनिक स्वामित्व की प्रधानता होती है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व केवल नाम मात्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों का स्वामित्व सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इस प्रकार बँटा होता है कि समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करने की चेष्टा की जाती है।

2 निर्णय की प्रक्रिया—जिस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय मुख्य रूप से बाजार प्रणाली (Market system) के द्वारा अनेक क्रोताओं और विक्रेताओं की माग और पूर्ति के आधार पर अधिकतम लाभ के लिए किये जाते हैं उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके विपरीत जिस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सरकारी आदेश प्रणाली (Command system) पर निर्भर करते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। साम्यवाद तो सम जवाद का बहुत ही कठोर रूप है जिसमें आदेश-प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक निर्णयों के लिए बाजार प्रणाली तथा आदेश प्रणाली दोनों का सम्मिश्रण किया जाता है। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में आदेश प्रणाली की प्रधानता होती है।

3 राज्य हस्तक्षेप की मात्रा एवं प्रकृति—आर्थिक प्रणाली का स्वरूप बहुत कुछ सरकारी हस्तक्षेप की मात्रा एवं प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पूँजीवादी प्रणाली में राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम और अर्थव्यवस्था की स्थिरता की ओर ध्यान दिया जाता है। आजकल पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में भी राज्य का हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ता जा रहा है फिर भी समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य का हस्तक्षेप बहुत

अधिक होता है और पग पग पर अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण, नियमन एवं संचालन किया जाता है।

4 काम की प्रेरणाएँ—साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था आर्थिक प्रेरणाओं (Economic Incentives) को महत्व देती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक प्रेरणाओं का अधिकाधिक प्रयोग होता है जैसे—बोनस, वेतनवृद्धि, अधिक लाभ तथा पदोन्नति। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ एक धोर सकारात्मक प्रेरणाओं (Positive Incentives)—पदोन्नति, विशेषाधिकार, प्रशंसा व आर्थिक लाभ आदि का सहारा लिया जाता है वहाँ साथ ही काम में रुचि न लेने वालों के लिए सजा, पदच्युत करना व अन्य प्रकार से भय उत्पन्न कर नकारात्मक प्रेरणाओं (Negative Incentives) का भी प्रयोग किया जाता है।

5 साधन व साधनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण—जब देश के लोग निजी स्वामित्व व बाजार प्रणाली के आधार पर आर्थिक समृद्धि का मार्ग अपनाते हैं, चाहे विकास की गति धीमी ही क्यों न हो तो यह स्थिति पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रकट करती है जबकि साधनों के सर्वोत्तम उपयोग से अधिकतम सामाजिक लाभ एवं कल्याण की भावना से संचालित अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य से प्रेरित होती है। उसमें आदेशित प्रणाली तथा सार्वजनिक स्वामित्व को प्रधानता दी जाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त तत्वों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में निजी स्वामित्व, बाजार प्रणाली, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता, मौद्रिक प्रेरणाएँ एवं लोकतंत्र की प्रधानता होती है जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक स्वामित्व, आदेश प्रणाली, राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप, उपभोक्ताओं की सीमित साधनो मक्ता, गैर मौद्रिक प्रेरणाएँ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य आदि तत्व प्रबल होते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्थाएँ “मिश्रित श्रेणी में होती हैं जिनमें इन विभिन्न तत्वों—निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व, बाजार एवं आदेश प्रणाली उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता, मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक प्रेरणाएँ तथा लक्ष्यों में ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में कम से कम समय में अधिकाधिक भौतिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि सम्भव हो सके।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धियों की तुलना—अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धियों की तुलना उनकी उत्पादकता, उपभोग एवं जीवन स्तर, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण तथा जीवन आशा आदि के आधार पर की जा सकती है। उत्पादकता प्रति व्यक्ति आय से स्पष्ट होती है। 1978 में पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 8000 डालर थी, जबकि रूस जैसे समाजवादी राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय केवल 2800 डालर थी, भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रति

व्यक्ति आय 150 डालर ही थी। अमेरिका तथा भारत की प्रति-व्यक्ति आय में 54:1 का अनुपात है। दूसरे शब्दों में भारत में प्रति-व्यक्ति वार्षिक आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति साप्ताहिक आय 180 डालर से भी कम है। अमेरिका विश्व में सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय उपार्जित करता है। अन्य पूँजीवादी राष्ट्रों—कनाडा की प्रति व्यक्ति आय 4500 डालर, ब्रिटेन की 3400 डालर तथा जापान की 2500 डालर थी।

प्रति व्यक्ति आय और उपभोग बहुत कुछ परस्पर सम्बन्धित होते हैं और वे जीवन-स्तर को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में उपभोग व जीवन-स्तर बहुत ऊँचा है जबकि पिछड़े राष्ट्रों में जीवन स्तर नीचा है। जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति उपभोग 3200 केलोरीज है वहाँ अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति उपभोग 2000 केलोरीज ही है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि पर केवल 4 से 8% श्रम-शक्ति नियोजित होती है जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कार्यशील जनसंख्या का 70 से 80% भाग निर्भर करता है। विकसित राष्ट्रों में शहरी जनसंख्या की प्रधानता होती है जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। उत्पादन की प्रणाली के आधार पर देखने से भी विकसित राष्ट्र अधिकाधिक मशीनीकरण की ओर अग्रसर हैं जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पुरातन पद्धतियाँ हैं।

आर्थिक समस्या का स्वरूप तथा अर्थव्यवस्था में समस्याओं का उदय

(Nature of Economic Problem & Origin of Economic Problems in Economy)

आर्थिक प्रणाली का स्वरूप चाहे कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ आवश्यकताओं की अनन्तता, साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण अधिकतम सामाजिक सन्तुष्टि के लिए उनके मितव्ययितापूर्ण उपयोग से सम्बन्धित हैं। यही आर्थिक समस्याओं के उदय के तीन तत्व हैं—

1. मानवीय आवश्यकताएँ (Human Wants)—मानव समाज का सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आवश्यकताओं पर आधारित है। आवश्यकताएँ ही आविष्कार की जननी तथा सभी आर्थिक क्रियाओं का उद्गम हैं। आवश्यकताओं की अनन्तता, विविधता उनको पूरक, प्रतियोगी एवं पुनरावृत्ति प्रवृत्ति नयी-नयी खोजों को प्रेरित करती है जिससे अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सके। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताएँ अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति (Drawing Force), तथा प्रेरक शक्ति (Motivating force) हैं।

2. साधनों की सीमितता (Scarcity of Resources)—आवश्यकताओं की अनन्तता है पर साधन सीमित होते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की

पूँति के निचे दो प्रकार के साधन हैं (i) मानवीय साधन (Human Resources) इसके अन्तर्गत मानवीय श्रम का समावेश होता है (ii) मानवैत्तर साधन (Non-Human Resources) इसके अन्तर्गत मानवीय श्रम के अतिरिक्त सभी साधनों जैसे भूमि, पूँजी, मकान, खनिज तथा अन्य प्रकृति दत्त पदार्थों का समावेश होता है। अतः साधनों के मुकाबले साधनों की सीमितता आर्थिक समस्याओं को जन्म देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारण है।

3 चयन करना या निर्णय लेना (Choice-Making and Decision Making)—यह आर्थिक समस्याओं के उदय का तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। सम्पूर्ण मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अन्तिम उद्देश्य अधिकतम मानव कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति है। आवश्यकताएँ अनन्त हैं, साधन सीमित तो हैं ही पर साथ-साथ उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। अतः अधिकतम मानव कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सीमित साधनों के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में इस प्रकार चयन व निर्णय किया जाता है कि साधनों के मितव्ययता पूर्ण उपयोग से मयासम्भव अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम त्याग सहो सके।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि आर्थिक समस्याओं का उदय, आवश्यकताओं की अनन्तता, साधनों की दुर्लभता या सीमितता तथा उनके वैकल्पिक प्रयोगों के चयन करने व निर्णय लेने के कारण होता है। जब साधनों व साधनों की अनेकता के बीच निर्णय लेने या चयन की समस्या आती है तो वह आर्थिक समस्या है पर जब साध्य एक ही हो और साधन अनेक हों तो ऐसी समस्या आर्थिक समस्या नहीं बल्कि प्राथमिक समस्या (Technological Problem) कही जाती है।¹ अर्थ व्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाओं (Vital Process of Economy) का विवरण आगे दिया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाएँ

(Vital Processes of an Economy)

अर्थव्यवस्था का अर्थ एव आर्थिक समस्याओं की प्रकृति का अध्ययन करने के साथ साथ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का स्तर क्या है? उपभोग और पूँजीगत माल का कुल उत्पादन में क्या अनुपात है, अर्थव्यवस्था में विकास की दर क्या है? इन सबका उत्तर माटे रूप में अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाओं तथा उनके स्तर में है जो उपभोग, उत्पादन एव विनियोग के रूप में माना जाता है। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर जितना ऊँचा होगा उतना ही उपभोग या विनियोग का स्तर भी उँचा होगा। जबकि निर्धन अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर नीचा होने से उपभोग और विनियोग का स्तर भी

1. Multiplicity of ends and multiplicity of means raises economic problem but if end is one and means are many, then it is a technological problem

नीचा होना स्वाभाविक है क्योंकि निर्धनता का कुचक्र उन्हे निर्धन ही रखने में सक्रिय रहता है जब तक कि कहीं इस कुचक्र को तोड़ने का प्रयास नहीं होता ।

उत्पादन का अग्रिम प्रायः वस्तुओं और सेवाओं में प्राथिक उपयोगिता का सृजन करना है । समाज की आवश्यकतों को पूर्ति के लिए दुर्लभ साधनों का प्रयोग होता है । दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है पहली उत्पादक वस्तुएँ (Producer's Goods) तथा दूसरी उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer's Goods) । उत्पादक वस्तुएँ, वे वस्तुएँ हैं जो तुरन्त उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध न होकर और अधिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है जैसे ट्रैक्टर, कपड़ा बनाने की मशीनें, मशीनों का निर्माण करने वाली मशीनें आदि जबकि उपभोक्ता वस्तुएँ, वे वस्तुएँ हैं जो उपभोक्ता को तुरन्त उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं जैसे रोटी, खाद्यान्न, बल्ब इत्यादि ।

इस प्रकार उपभोक्ता वस्तुएँ उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तु-समूह का सूचक है तो उत्पादक वस्तुओं का समूह समाज के उत्पादन सामर्थ्य का द्योतक है ।

उत्पादन की प्रक्रिया के साथ साथ उपभोग की प्रक्रिया भी निरन्तर चलती रहती है । उपभोग की वस्तुएँ जो तात्कालिक उपभोग के लिए होती हैं तथा जो उपभोग की एक ही प्रक्रिया में अपना अस्तित्व खो बैठती हैं ऐसी वस्तुओं को एक प्रयोग वाली उपभोग वस्तुएँ कहते हैं जैसे रोटी, सब्जियाँ आदि । इसके विपरीत उपभोग की कुछ वस्तुओं की चिर-स्थायी प्रकृति होती है तथा जो बहुत समय के प्रयोग के बाद ही प्रयोगहीन होती हैं उन्हें चिर-स्थायी प्रयोग वाली वस्तुएँ (Durable Consumer Goods) कहते हैं । जैसे—रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर, कार, साइकिल, पल्ला, रेडियो, आवास गृह आदि आदि ।

जैसे उपभोग की वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं उसी प्रकार उत्पादन की वस्तुएँ भी दो प्रकार की होती हैं—

(i) एक प्रयोग वाली उत्पादक वस्तुएँ (Single Use Producer Goods)—ये वे उत्पादक वस्तुएँ हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में एक ही बार प्रयुक्त करने में अपना अस्तित्व खो बैठती हैं जैसे कच्चा माल, ईंधन या अन्य रासायनिक तत्व जो उद्योग में उत्पादन कार्य में काम आते हैं । (ii) चिर-स्थायी उत्पादक वस्तुएँ (Durable Producer Goods)—ये वे उत्पादक वस्तुएँ हैं जो उत्पादन कार्य में लम्बे समय तक प्रयुक्त होती हैं, जैसे मशीनें, कारखाना, नहरें, बांध, ट्रैक्टर आदि । इनका ह्रास धीरे-धीरे होता है अतः इनके रक्षण और प्रतिस्थापना की आवश्यकता पड़ती है ।


यदि समाज अपने उपभोग स्तर को ऊँचा करना चाहता है तो उसे अचल पूँजी समूह को बढ़ाना चाहिए । यह प्राथिक विकास की अनिवार्य शर्त है । यह

अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखता है। विनियोग से रोजगार और उत्पादन बढ़ता है। लोगों की उत्पादनता की वृद्धि के कारण आय बढ़ती है। आय में वृद्धि से उपभोग और बचत दोनों बढ़ते हैं। उपभोग के कारण उपभोक्ता माल की मांग बढ़ती है जिससे विनियोगों को और प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु विनियोग बचतों की मात्रा से सीमित होता है।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की तीन जीवन्त प्रक्रियाएँ हैं : (i) उत्पादन (Production) (ii) उपभोग (Consumption), तथा (iii) विनियोग (Investment)। अर्थव्यवस्था की क्षमता, विकास की दर, कुल उत्पादन में पूँजीगत तथा उपभोग उत्पादन का अनुपात ये सभी इन तीन प्रक्रियाओं की क्षमता व दर पर निर्भर करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में साहसी वर्ग द्वारा उत्पादक उद्योगों में विनियोग किया जाता है जिससे उत्पादन सम्भव होता है। उत्पादन के साधनों को उत्पत्ति में सहयोग देने के बदले प्रतिफल दिया जाता है—भूस्वामी को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूँजी को व्याज व साहसी को लाभ मिलता है। इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों के स्वामियों को जन सामान्य के रूप में आय प्राप्त होती है। ये इस आय का कुछ भाग तो उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे उत्पादन उद्योगों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है तथा कुछ भाग बचा लेते हैं। ये बचत बैंकों, बीमा कंपनियों व विदेशी संस्थाओं के पास जमा हो जाती हैं जहाँ से साहसी वर्ग उधार लेकर पुनः विनियोग करते हैं। अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाओं की तुलना एक हीण्ड पम्प से भी जा सकती है जिससे पानी निकाला जाता है और वह सभी क्षेत्रों में प्रवाहित होता है जैसा कि चित्र 1 में स्पष्ट होता है—

अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाएँ

(Vital Processes of an Economy)




चित्र—1

उत्पादन संभावना वक्र अथवा उत्पादन संभावना परिधि को धारणा

The Concept of Production Possibility Curve (PPC) or Production Possibility Frontier (PPF)

अर्थ (Meaning)—उत्पादन प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या है इस कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध साधनों को उनके वैकल्पिक प्रयोगों में इस प्रकार सनियोजित करती है कि अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके। उत्पादन साधनों के प्रयोग से चाहे तो केवल पूँजीगत माल (Capital Goods) ही उत्पादित किये जायें, और चाहे तो केवल उपभोक्ता माल (Consumer Goods) ही उत्पादित किये जायें किन्तु व्यवहार में उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य मानव का अधिकतम कल्याण है अतः उपलब्ध साधनों का प्रयोग पूँजीगत माल और उपभोक्ता माल दोनों के उत्पादन में किया जाता है और दोनों ही प्रकार के उत्पादनों के विभिन्न संयोग अपनाए जा सकते हैं।

चूँकि साधन सीमित हैं और आवश्यकताएँ अनन्त हैं अतः सीमित साधनों से अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूँजीगत माल और उपभोक्ता माल के उत्पादन के जो विभिन्न संयोग अपनाये जाते हैं, अगर उन्हें रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जाय तो जो वक्र बनेगा वही उत्पादन संभावना वक्र (PPC) है अतः कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होकर साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों से जो पूँजीगत माल और उपभोक्ता माल के उत्पादन संयोग प्राप्त हो सकते हैं उन्हें वक्र द्वारा दर्शाने पर जो वक्र बनता है वह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्पादन संभावना वक्र है जैसा चित्र सहाय 2 में है (चित्र उत्तर देते समय बनायें)



रेखा-चित्र-2

स्पष्टीकरण (Explanation)—

उत्पादन संभावना वक्र (PPC) वह वक्र है जिसके विभिन्न बिन्दुओं पर दो या उससे अधिक वस्तुओं के उत्पादन के संयोगों को दर्शाया जाता है जो साधनों की निश्चित मात्रा से ही गढ़ी परिस्थितियों में उत्पादित की जा सकती है। चूँकि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और मात्रा निश्चित है अतः एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उत्पादन घटता है तथा दूसरी वस्तु का उत्पादन मात्रा

बढ़ाने पर पहली वस्तु का उत्पादन घटता है जैसा चित्र 2 में उत्पादन संभावना वक्र (SABT) के A बिन्दु पर उपभोक्ता माल का उत्पादन OQ₁ तथा पूँजीगत माल का

उत्पादन OM_2 है किन्तु अगर उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाकर OQ_2 किया जाता है तो पूँजीगत माल का उत्पादन घटकर OM_1 ही रह जाता है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—माना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में दी गई निश्चित साधनों की मात्रा से पूँजीगत माल और उपभोक्ता माल की निम्न इकाइयाँ विभिन्न संयोगों में प्राप्त की जा सकती हैं।

उत्पादन सम्भावना तालिका (Production Possibility Table)

साधनों के विभिन्न संयोग	पूँजीगत माल (लाख इकाइयाँ)	उपभोक्ता माल (लाख इकाइयाँ)
उत्पादन की प्रथम समावना	10	0
" द्वितीय "	9	4
" तृतीय "	7	7
" चतुर्थ "	4	9
" पाँचवीं "	0	10

इसे प्रो. सेम्यूलसन ने मकखन एव बन्दूकों के उत्पादन के उदाहरण द्वारा समझाया है। उपर्युक्त तालिका में यह मान्यता है कि विभिन्न संयोगों से प्राप्त उत्पादन की मात्रा अधिकतम है जो साधनों को दो गई मात्रा व दी गई तकनीकी ज्ञान के अन्तर्गत उत्पादित की जा सकती है।

रेखाचित्र द्वारा निरूपण—उपर्युक्त तालिका के अनुसार ही उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन सम्भावना वक्र खींचा जा सकता है जैसे इसी अध्याय के चित्र सख्या 3 में LRSTM उत्पाद सम्भावना वक्र है जिसके प्रथम संयोग L पर पूँजीगत माल का उत्पादन OL तथा उपभोक्ता माल का उत्पादन शून्य है इसके विपरीत बिन्दु M पर उपभोक्ता माल का उत्पादन OM है। किन्तु पूँजीगत माल का उत्पादन शून्य है जबकि बिन्दुओं R, S तथा T पर दोनों उत्पादनों का संयोग माना कि क्रमशः 8 + 2, 5 + 5 तथा 3 + 8 लाख इकाइयाँ हैं। रेखाचित्र में उत्पादन सम्भावना वक्र उपलब्ध साधनों के तात्कालिक परिस्थितियों में उपयोग से अधिकतम उत्पादन का द्योतक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तालिका और रेखाचित्र 2-3 में उत्पादन सम्भावना वक्र की धारणा में स्पष्ट है कि जब पूँजीगत माल अधिक उत्पादित किया जाता है तो उपभोक्ता माल के उत्पादन में साधन कम बचने से उपभोक्ता माल का उत्पादन कम होता है और इसके विपरीत उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाने पर पूँजीगत माल का उत्पादन घटता है। दोनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब प्रयास किये जाते हैं तो उत्पादन समावना वक्र ऊपर की ओर खिसकता है जैसे रेखाचित्र 5 में LABM बिन्दु किन उत्पादन समावना वक्र LABM की अनेमाहृत

उत्पादन सम्भावना वक्र PRSTQ विकास एवं दोनों प्रकार की वस्तुओं के अधिक उत्पादन का द्योतक है।

नोट— (परीक्षार्थी इन ऊपर बताये गये चित्रों को अपने उत्तर में लगाना न भूलें)

उत्पादन संभावना वक्र की अन्तर्निहित मान्यताएँ (Assumptions)

उत्पादन संभावना वक्र अथवा उत्पादन संभावना परिधि की धारणा निम्न मान्यताओं पर आधारित है—

1. किसी समय विशेष पर साधनों की मात्रा स्थिर है।

2. साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं अतः साधनों का स्थानान्तरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक उपयोग से दूसरे में हो सकता है और उनमें गतिशीलता है।

3. उत्पादन साधनों का प्रयोग उनकी पूरी क्षमता तक हो रहा है अर्थात् साधनों की पूर्ण रोजगार व्यवस्था है।

4. उत्पादन पद्धतियाँ, तकनीक तथा औद्योगिकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता।

5. उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन के विभिन्न संयोगों में उत्पादन की अधिकतम मात्रा (Maximum Production) की मान्यता पर आधारित है।

उत्पादन संभावना वक्र सम्बन्धी निष्कर्ष एवं उपयोग

चित्रों का प्रयोग करते हुए निम्न निष्कर्ष मुख्य हैं—

1. उत्पादन संभावना वक्र अधिकतम उत्पादन संभावना वाले संयोगों को बताता है जो दिए गये साधनों की मात्रा से परिस्थिति विशेष में प्राप्त हो सकता है।

2. उत्पादन संभावना वक्र राष्ट्र में साधनों के विभिन्न प्रयोगों में आवंटन को दर्शाता है।

3. राष्ट्र व उत्पादन के आर्थिक साधनों में वृद्धि से उत्पादन संभावना वक्र मूल बिन्दु से ऊपर की ओर खिसकता है और साधनों में कमी से वह मूल बिन्दु की ओर नीचे घाता है।

4. उत्पादन संभावना वक्र के नीचे होने का आशय उत्पादन का नीचा स्तर व पिछड़ेपन या अर्द्ध-विकसितता का द्योतक है जबकि ऊँचे उत्पादन संभावना वक्र का आशय उत्पादन का ऊँचा स्तर एवं विकसित होने का द्योतक है।

5. राष्ट्र द्वारा साधनों का प्रयोग पूर्णतया रोकने पर उत्पादन शून्य होने से उत्पादन संभावना वक्र शून्य (मूल बिन्दु) 0 पर पहुँच जायगा और साधनों का प्रयोग बढ़ने पर वह धीरे-धीरे ऊपर की ओर खिसकेगा।

6. विकसित राष्ट्रों का उत्पादन संभावना वक्र ऊँचा तथा पिछड़े या अर्द्ध-विकसित देशों का उत्पादन संभावना वक्र नीचा होता है जैसा चित्र 5 में दर्शाया गया है।

7. उत्पादन सम्भावना वक्र साधनों के पूर्ण रोजगार की ओर भ्रमसर करने या उत्पादन संगठन में सुधार लाने अथवा उत्पादन तकनीकी व औद्योगिकी में परिवर्तन से ऊपर की ओर बढ़ता है जैसा चित्र 4-5 में है। एक बार के अप्रत्यक्ष सयोग में प्राप्य सयोग होने लगते हैं।

8. उत्पादन सम्भावना वक्र के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु की ओर जाने में अप्रत्यक्ष उत्पादन के सयोगों को बदलने का धोखा है।

9 उत्पादन विधियों में सुधार होने पर उत्पादन सम्भावना वक्र ऊपर की ओर सरकता है अथवा उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र में सुधार होता है चाहे वह अनुसंधानों से हो, नई वैज्ञानिक विधि से हो अथवा नये आविष्कारों से हो या नई तकनीकी या औद्योगिक परिवर्तन से हो तो दोनों ही प्रकार के उत्पादन में वृद्धि होती है। अथवा परिवर्तन से सुधार केवल एक दिशा में हो तो साधनों का एन्वैलाउट होगा और उत्पादन स्तर उस क्षेत्र में बढ़ेगा जिस क्षेत्र में सुधार हुआ है तथा दूसरे में स्थिर होगा।

10. ज्यो ज्यो देश में वचतो से पूजा विनियोग बढ़ता है तो ऊँचे विनियोग वाले राष्ट्र की उत्पादन सम्भावना वक्र ऊपर और नीचे विनियोग वाले राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र नीचे होगा।

उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु के नतोदर (Concave) क्यों ?

उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु के नतोदर (Concave) इसलिए होता है कि ज्यो-ज्यो किसी क्षेत्र में साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो सीमान्त उत्पात्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण सीमान्त उत्पादन लागतों में वृद्धि होती है। समान लागत लगाने पर भी उत्तरोत्तर वृद्धि की स्थिति में सीमान्त उत्पादन घटता जाता है। यद्यपि कुल उत्पादन बढ़ता है किन्तु उत्पादन की वृद्धि की दर से उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोगों के साथ-साथ घटती जाती है अर्थात् उत्पादन वृद्धि घटती दर से होती है और इसी कारण उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु के नतोदर होता है। लागत की दृष्टि से देखने पर उत्पादन सम्भावना वक्र की आकृति मूल बिन्दु के नतोदर होने का कारण वर्द्धमान सीमान्त वृद्धि लागत (Laws of Marginal Increasing Costs) कार्यशील होता है।

आर्थिक संगठन, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली की केन्द्रीय समस्याएँ
(Central Problems of Economy or Economic System)

अथवा

अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के मुख्य कार्य—

(Main Functions of an Economy or Economic System)

साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अनन्तता के कारण ही साधनों एवं साध्यों के बीच उपयुक्त ताल-मेल ढ़टाने की

समस्याये प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती हैं। चाहे अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ भी हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आधारभूत कार्य सम्पन्न करने ही होते हैं अर्थात् इनसे सम्बद्ध आर्थिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है।

प्रो हॉम (Halm) के अनुसार आर्थिक प्रणाली के आधारभूत कार्य सात हैं तो दूसरी ओर प्रो सेम्यूलसन (Samuelson) के अनुसार आर्थिक प्रणाली के प्रमुख कार्य केवल तीन ही हैं जबकि प्रो लेफ्टविच (Leftwich), प्रो नाइट (F H Knight) तथा प्रो मेकोनेल (Meconnel) के मतानुसार आर्थिक प्रणाली के प्रमुख कार्य पांच हैं। प्रो फरग्यूसन एवं क्रोप्ट के अनुसार प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को तीन प्रकार के आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं—(i) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय, (ii) किस तरह उत्पादन किया जाय, (iii) उत्पादन को कौन प्राप्त करे।

प्रो नाइट तथा प्रो. लेफ्टविच ने आर्थिक प्रणाली के निम्न पांच आधारभूत कार्यों अथवा केन्द्रीय समस्याओं का उल्लेख किया है—

- (1) उत्पादन किस वस्तु का किया जाय,
- (2) उत्पादन को किस प्रकार संगठित किया जाय;
- (3) उत्पादन का बितरण किम प्रकार किया जाय;
- (4) अल्पकाल में स्वल्प पूर्ति का राशनिंग कैसे किया जाए, तथा
- (5) उत्पादन क्षमता को किस प्रकार कायम रखा जाय तथा उत्पादन क्षमता का विकास कैसे हो ?

प्रो सेम्यूलसन (Samuelson) के शब्दों में "प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को तीन मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है—संभावित वस्तुओं व सेवाओं की क्या क्या किस्में कितनी मात्रा में उत्पादित की जाएँ, (ii) इन वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, तथा (iii) किनके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाय अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों या उनके समूहों में धन का बितरण कैसे हो ?


इस प्रकार के विभिन्न विद्वानों के विचारों के संकलन से किसी भी आर्थिक प्रणाली के आधारभूत कार्यों (Fundamental Functions) अथवा केन्द्रीय समस्याओं (Central Problems) को निम्न तालिका के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएँ अथवा आधारभूत कार्य (Central Problems or Fundamental Functions of an Economy)

1	2	3	4	5	6
↓	↓	↓	↓	↓	↓
क्या उत्पादन किया जाय और कितना उत्पादन किया जाय ?	उत्पादन कैसे किया जाय अथवा उत्पादन का संगठन कैसे हो ?	उत्पादन का वितरण कैसे (किनमे) हो ?	अल्पकाल में राशनिंग कैसे किया जाय ?	साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे हो ?	अनुरक्षण या आर्थिक विकास कैसे हो ?

आर्थिक प्रणाली के इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) क्या उत्पादन किया जाये और कितना उत्पादन किया जाय (What is to be produced and how much is to be produced)—प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की सर्व प्रमुख समस्या या कार्य यह निर्धारण करना है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से किन-किन वस्तुओं व सेवाओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि समाज में उपभोक्ताओं की यथासंभव अधिकतम सतुष्टि की जा सके। अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाय इससे लिये यह देखना पड़ता है कि समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएँ समग्ररूप में अधिक महत्वपूर्ण हैं। साधनों की सीमितता व उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अनन्तता के कारण उनमें सामंजस्य की समस्या रहती है। अर्थव्यवस्था में यह निर्धारण करना होगा कि कितना पूँजीगत माल उत्पादित किया जाय और कितना उपभोक्ता माल। अगर पूँजीगत माल के उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पत्ति अपेक्षाकृत कम होगी। जैसे चित्र 2 में स्पष्ट है कि पूँजीगत माल की उत्पत्ति बढ़ाने पर उत्पादन सम्भावना वक्र



चित्र 2

S\BT के A बिन्दु पर पूँजीगत माल की OM_2 मात्रा तथा उपभोक्ता माल की OQ_1 मात्रा ही रहती है। पर अगर उपभोक्ता माल की मात्रा को बढ़ाकर OQ_2 कर दिया जाता है तो पूँजीगत माल की पूर्ति घटकर केवल OM_1 रह जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से अधिकतम

सामाजिक सतुष्टि के लक्ष्य की पूर्ति सम्भव नहीं होती। अतः दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके उनमें उपयुक्त सामन्जस्य बँटाने का प्रयत्न किया जाता है।

एक स्वतंत्र उद्यम प्रणाली (पूँजीवादी अर्थव्यवस्था) में मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) के द्वारा क्या उत्पादन किया जाय और कितना उत्पादन किया जाय समस्या का हल मिलता है। उपभोक्तागण समूह के रूप में जिन जिन वस्तुओं के लिए अपना मुद्रा रूपा नोट अधिक देने को तत्पर हैं उन उन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा और जिन वस्तुओं के मूल्य नीचे हैं अर्थात् उपभोक्ता जिन वस्तुओं के मूल्य कम देना चाहेंगे उन वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। अतः मूल्य ही निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है? उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनके मूल्य ऊँचे हैं और उन वस्तुओं का उत्पादन घटा देंगे या बन्द करेंगे जिनके मूल्य नीचे हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी कीमत प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। उत्पादक वस्तु का उत्पादन उस सीमा तक करेंगे जहाँ वस्तु की सीमान्त लागत (Marginal Cost) तथा वस्तु में प्राप्त सीमान्त आगम (Marginal Revenue) बराबर होंगे। क्योंकि तभी उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा अर्थात् माग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ कीमत माध्यम से उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेंगी। उत्पादन की मात्रा पर माग के अतिरिक्त उत्पादन के साधनों की मात्रों की उपलब्ध पूर्ति का भी प्रभाव पड़ेगा।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली निर्देशित या नियन्त्रित होती है। क्या उत्पादन किया जाय और कितना उत्पादन किया जाए उपभोक्ताओं की वरीयता या मूल्य यन्त्र पर नहीं छोड़ा जाता बल्कि इसका निर्धारण समाज के अधिकतम लाभ की दृष्टि से सरकारी आदेशों (Govt Decrees) के द्वारा होता है। मूल्य यन्त्र को कृत्रिम रूप से सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में "क्या और कितना उत्पादन किया जाय" की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी आदेशों तथा नियन्त्रित कीमत प्रणाली का समन्वित उपयोग किया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत एवं प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी आदेशों का प्रभुत्व होता है जब कि कम महत्त्व के क्षेत्रों में उत्पादन तथा वितरण कीमत यन्त्र द्वारा संचालित होते हैं। भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में अस्त्र शस्त्र निर्माण, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, अणुशक्ति आधारभूत उद्योगों व विद्युत् आदि में सरकारी आदेशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है जबकि उपभोग उद्योगों में कीमत यन्त्र बहुत कुछ स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है।

(2) उत्पादन कैसे किया जाय अथवा उत्पादन का संगठन क्या हो? (How is to be produced or what should be the organisation of production?)—प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है कि वांछित वस्तुओं

समाजवादी अर्थव्यवस्था न साधनों का सगठन अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण, पूर्वनियोजन के आधार पर होता है। मूल्य यन्त्र की भूमिका गौण होती है। यथासम्भव मानवीय साधनों का पूर्ण प्रयोग करने का प्रयास होता है। उत्पादन सगठन का निर्धारण करते समय अर्थव्यवस्था के अनेक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है।

निश्चित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के सगठन की समस्या का समाधान प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण में होता है। उत्पादन सगठन में मूल्य यन्त्र का प्रयोग उम सीमा तक किया जाता है जहाँ तक वह सार्वजनिक हित में होता है। अतः आधारभूत एवं बड़े पैमाने की उत्पत्ति में पूँजी की प्रधानता होती है तो लघु एवं कुटीर उद्योगों में मानव शक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। मानव शक्ति के समुचित उद्योगों का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में जनाधिक्य एवं बेकारी की समस्या के कारण श्रम-प्रधान एवं पूँजी-प्रधान उद्योगों का उचित समन्वय बँटाने का प्रयास किया जाता है।

(3) उत्पादन का वितरण किन में हो या वितरण कैसे किया जाए? (To whom the production is to be distributed or what shall be the basis of distribution?)—आर्थिक प्रणाली का तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य या समस्या उत्पादन का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कुशल एवं न्यायोचित वितरण करना है। इसका निर्णय आर्थिक, राजनैतिक तथा नैतिक तत्वों के सामंजस्य से होता है।

स्वतन्त्र पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कीमत-प्रणाली द्वारा होता है। वस्तुओं की प्राप्ति श्रम-शक्ति या धन की मात्रा पर निर्भर करती है। जिनकी आय अधिक हो उन्हें उत्पादन का उतना ही अधिक भाग मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की आय तीन बातों पर निर्भर करती है। (i) उत्पादन के साधनों की मात्रा (ii) साधनों के मूल्य (iii) कुशलता। जिन व्यक्तियों के पास साधनों की मात्रा अधिक तथा उन साधनों में प्राप्त मूल्य जितना ऊँचा होगा उतना ही उन्हें राष्ट्रीय आय में अधिक हिस्सा मिलेगा। यद्यपि मूल्य-यन्त्र कुछ सीमा तक साधनों के अनुचित वितरण को ठीक करता है उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व से उत्पन्न आय अंतर को भिटाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इनमें प्रगतिशील करारोपण, मृत्यु कर, आर्थिक सहायता व अनुदान, सामाजिक सेवाएँ आदि प्रमुख हैं।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में वितरण सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी आदेशों के द्वारा होता है। यथासम्भव आय का समान वितरण करने के लिए निजी सम्पत्ति, विशेषाधिकार आदि को समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्ति की कुशलता व सामाजिक न्याय उत्पादन वितरण के आधार माने जाते हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण बहुत कुछ कीमत-यन्त्र द्वारा होता है। सरकार कीमत-यन्त्र के द्वारा होने वाले वितरण के दोषों को दूर करने के लिए न्यूनतम एवं उचित वेतन प्रणाली, प्रगतिशील करारोपण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान सम्पत्ति एवं आय की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के साथ-साथ निजी क्षेत्र की क्रियाओं पर प्रभावी नियन्त्रण की नीति का अनुसरण करती है। धन व आय की असमानताओं को कम करने तथा आर्थिक शोषण की प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास किया जाता है।

(4) प्रति अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था (Rationing in very short period)—अर्थव्यवस्था में अनेक बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि अल्पकाल में किन्हीं वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रणाली का महत्त्वपूर्ण कार्य (समस्या) मांग और पूर्ति के अल्पकालीन असन्तुलन को दूर करना है। ऐसी अवस्था में स्थिर पूर्ति का राशनिंग दो प्रकार से करना पड़ेगा—पहला विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच पूर्ति का आवंटन ऐसे करना कि समस्त आय स्तरों पर उपभोक्ताओं की न्यायोचित मूल्यों पर वस्तु नियमित रूप से उपलब्ध हो सके तथा दूसरा दी हुई पूर्ति को समयावधि में इस प्रकार वितरण करना कि अभाव की अवधि में वस्तु की पूर्ति नियमित रखी जा सके।

स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली में कीमत प्रणाली (Price Mechanism)—अल्पकाल में मांग और पूर्ति के असन्तुलन को कीमत प्रणाली स्वतः समाप्त कर देती है। वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति कम होने से मूल्यों में वृद्धि होगी और मूल्यों में वृद्धि से मांग घटकर पूर्ति के अनुकूल समायोजित हो जाएगी। इसी प्रकार समयावधि में भी कुछ स्थिर पूर्ति का राशनिंग मूल्य-यन्त्र से हो जाता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सट्टा (Speculation) भी समयावधि में वस्तु की पूर्ति व उपभोग को नियमित करता है। फसल के समय मटोन्गिये क्रय के सोदे करते हैं तथा पूर्ति का बहुत बड़ा भाग खरीद कर भविष्य में ऊँचे मूल्यों पर बेचकर लाभोपार्जन का प्रयास करते हैं। अतः सट्टे के कारण अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति के प्रवाह में अधिक नियमित व समान होने की प्रवृत्ति होती है। समयावधि में कीमतों का अन्तर (Gap) कम रहता है।


समाजवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में मांग और पूर्ति के असन्तुलन को ठीक करने के लिए मूल्य-यन्त्र का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि राशन प्रणाली (Rationing) का सहारा लेकर प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर नियोजित ढंग से बिना जाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यन्त्र को कायम रखते हुए दोहरी पद्धति का संचालन किया जाता है। एक ओर सरकार कुछ वस्तुओं के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य निश्चित कर देती है जैसे भारत में दवाइया, सीमेंट, लोहा आदि की कीमतें

निश्चित की गई हैं उससे अधिक कीमत लेने वाला दण्ड वा भागी होता है। इसके विपरीत कुछ अनिवार्य वस्तुओं जैसे चीनी, गेहूँ, चावल, सोडा आदि को राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बेचा जाता है। आजकल सरकार द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों (Fair Price Shops) की स्थापना भी की जाती है। भारत इसका उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

(5) साधनों का पूर्ण उपयोग या साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था (Full Utilization or Full Employment of Resources)—प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या या कार्य यह है कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग हो और सभी साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो सके। साधनों के पूर्ण रोजगार का अभिप्राय उनके उपयोग के उस स्तर से है जिसे समाज प्रयोग करने को तत्पर है। किस सीमा तक समाज अपने मानवीय या मानवोत्तर साधनों के प्रयोग का इच्छुक है जैसे कम उम्र में ही रोजगार पर लगना, अधिक समय तक काम, अवकाश की ऊँची उम्र होना या न होना तथा मानवोत्तर साधनों का वर्तमान में अधिक उपयोग करने पर भविष्य में भण्डार कम होना अथवा वर्तमान में कम उपयोग से भविष्य के लिए अधिक पूर्ति करना आदि है।

अगर समाज में साधनों के पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति हो तो समाज में पूँजीगत तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। चित्र 4 में LM वह उत्पादन-सम्भावना-वक्र है जबकि साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है अर्थात् साधनों के अर्नैच्छिक बेरोजगार या अर्द्ध बेरोजगार या अर्द्ध बेरोजगारी की व्यवस्था है जबकि PR वह ठोस रेखा है जो पूर्ण रोजगार की अवस्था में संभावित उत्पादन को प्रदर्शित करती है। LM के प्रत्येक बिन्दु पर उत्पादन का सम्भावित स्तर पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन सम्भावना के वक्र PR के सभी बिन्दुओं से कम रहता है। इससे स्पष्ट है कि



चित्र 4

पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन का स्तर बेरोजगार साधनों की अवस्था की अपेक्षाकृत ऊँचा होगा। अर्नैच्छिक बेकारी आर्थिक अकुशलता की चरम सीमा है। अतः नये साधनों की खोज-व श्रम-शक्ति की वृद्धि पर रोजगार की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्णरोजगार की व्यवस्था की कीमत प्रणाली पर आधारित किया जाता है। विनियोग व बचत पूर्ण रोजगार के आधार स्तम्भ हैं। व्याज दर विनियोग की कीमत होती है। अगर व्याज दर कम है तो विनियोग बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। अगर विनियोग की माँग बचतों से अधिक है तो व्याज दर बढ़ेगी तथा विनियोग की मात्रा प्राप्त बचतों के तुल्य होगी। पर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का यह कटु अनुभव है कि केवल व्याज दर ही पूर्ण रोजगार की स्थिति उपलब्ध नहीं करा सकती जैसे भीषण आर्थिक मंदी के समय। अतः राज्य की मौद्रिक नीति व राजकोपीय नीति का सहारा लेना पड़ता है।


समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था योजनावद्ध ढंग से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण रोजगार को निजी बचतों व विनियोग पर न छोड़कर राज्य स्वयं नियोजित व्यवस्था से पूर्ण रोजगार उपलब्ध करता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पूर्ण रोजगार प्रमुख लक्ष्य होता है। अतः कीमत संयंत्र को पर्याप्त छूट दी जाती है और साथ-साथ सरकार भी रोजगार सम्बर्द्धन के प्रयास करती है। सांख्यिक क्षेत्र में आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। सरकार मौद्रिक, राजकोपीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक नीति में इस प्रकार तालमेल बैठाती है कि अर्थव्यवस्था में साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो जाय।

(6) आर्थिक अनुरक्षण, विकास एवं लोच (Economic Maintenance, Growth and Flexibility)—आधुनिक युग में प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक मुख्य समस्या न केवल अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में भी बनाये रखना है बल्कि भावी भौतिक समृद्धि के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं विकास करना भी है। आर्थिक प्रणाली में अनुरक्षण का आशय उत्पादन क्षमता को मूल्य ह्रास की व्यवस्था से यथास्थिर बनाय रखना है। मशीनों के निरन्तर प्रयोग में उनकी धिसावट टूट-फूट या सभयावधि में नये आविष्कारों में उनके मूल्य में कमी को नयी पूँजी विनियोजन व्यवस्था से पूर्ववत् स्तर पर बनाये रखना है।

आर्थिक विकास विस्तार या सम्बर्द्धन का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों किस्मों व मात्राओं में निरन्तर वृद्धि करना, नयी उत्पादन विधियों का विकास एवं प्रयोग, नयी वस्तुओं की उत्पत्ति तथा उत्पादन की विधियों में सुधार आदि से है। जनसंख्या में वृद्धि व अभिको के प्रशिक्षण व कार्य कुशलता में वृद्धि में श्रमशक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार वर्तमान उपभोग को कम कर पूँजीगत साधनों की वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन विधियों में सुधार का सम्बन्ध नये आविष्कारों अनुसंधानों व नये उत्पादन साधनों की खोजों में निहित है जो बहुत कुछ आविष्कारों की रचि के विद्वतापूर्ण उपोत्पाद (By Products) होते हैं पर अधिकांश अनुसंधान व सुधार लाभ की आकांक्षा के प्रत्यक्ष प्रतिकूल होते हैं जैसा कि बड़े उद्योगों में स्थापित विकास शक्ति अनुसंधान केन्द्रों के लाभ इसके परिचायक हैं।

आर्थिक प्रणाली में विकास व विस्तार की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को उत्पादन के वर्तमान प्राप्य स्तर से भावी उच्च उत्पादन स्तर पर अप्रसर करती है जो वर्तमान में अप्राप्य सयोग को प्रदर्शित करती है। रेखाचित्र 5 द्वारा इसका निरूपण किया जा सकता है। चित्र में LM वर्तमान उत्पादन सम्भावना वक्र है जबकि PQ भविष्य में विकास एव विस्तार के फल-स्वरूप उच्च उत्पादन सम्भावना वक्र है। LM रेखा के सन्दर्भ में PQ रेखा के R, S व T बिन्दु वर्तमान में अप्राप्य सयोगों को बताते हैं क्योंकि LM की परिधि से परे है पर



चित्र 5

जब अर्थव्यवस्था विकसित होकर PQ रेखा पर पहुँच जाती है तो जो पहले अप्राप्य सयोग थे वे प्राप्य सयोग बन जाते हैं। ज्यों ज्यों PQ रेखा O बिन्दु से ऊपर की ओर दूर होगी त्यों त्यों वह अधिक उत्पादन व विकास का द्योतक होगी।

अर्थव्यवस्था के विकास विस्तार व वर्धन में पर्याप्त लोच की भावना निहित है जिसमें उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन में परिवर्तन उत्पादन साधनों की उपलब्धता में परिवर्तन टेकनोलोजी में परिवर्तन अथवा सकटकालीन परिस्थितियों—युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप मदी अथवा आर्थिक तेजी के समय में साधनों के महत्वपूर्ण पुनर्वितरण से अर्थव्यवस्था में समायोजन करना आवश्यक समस्या है।

पूँजीवादी (स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली) अर्थव्यवस्था में विकास, विस्तार एवं अनुरक्षण का कार्य भी बहुत कुछ मूल्य यंत्र पर निर्भर करता है। अनुरक्षण के लिए ह्रास का मूल्य लागत के रूप में कीमत में सम्मिलित होने से कीमत वृद्धि उपभोग स्तर को कम कर उत्पादन क्षमता को बनाय रखने में सहयोगी होती है। श्रमिकों की दक्षता में सुधार व विकास भी बहुत कुछ कीमत सयन (Price Mechanism) से प्रेरित होता है। ज्यादा दक्षता व अधिक उत्पादन करने वाले श्रम को ऊँचे प्रतिफल की सम्भावना विकास व सुधार को प्रोत्साहित करती है। पूँजी निर्माण में वृद्धि की प्रक्रिया भी अशत ब्याज और लाभ (क्रमश बचत व विनियोग की कीमत) से प्रभावित होती है। ब्याज बढ़ने पर बचत में वृद्धि या लाभ की सम्भावना बढ़ने से विनियोग में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है उत्पादन विधियों में सुधार व विकास भी

लाभ की संभावना से होता है। संक्षेप में, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण तथा सर्वाधिक योग्य की जीत (Survival of the Fittest) के तत्वों से विकास, विस्तार व वर्धन की प्रक्रिया चलती है। फिर भी यह कहना युक्तिमग्न है कि केवल कीमत यत्र ही विकास व अनुरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करती वरन् अन्य अप्रत्यक्ष तत्वों- (ज्ञानोपार्जन, रुचि, प्राकृतिक संयोग आदि) का भी कुछ हाथ रहता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में अनुरक्षण या विकास की प्रक्रिया कीमत-संयंत्र से संचालित नहीं होती वरन् राज्य की नीतियों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के तत्व से प्रभावित होती है। पूंजी का विनियोग सरकार वर्तमान और भविष्य के महत्त्व का देखकर करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में अनुरक्षण एवं विकास के लिए कीमत प्रणाली तथा सरकारी नियन्त्रण का समन्वित प्रयोग होता है। सरकार उन क्षेत्रों में विनियोग और विकास योजनाएँ कार्यान्वित करती है जिन्हें निजी विनियोजक के हाथ में छोड़ना या तो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त न हो अथवा निजी क्षेत्र के वाचनों से परे हो। वही-कही संयुक्त क्षेत्र का भी सहारा लिया जाता है और अर्थव्यवस्था के कुछ कम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विनियोग निजी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कीमत संयंत्र को सीमित छूट दी जाती है। प्रो लेविस के मतानुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक नियोजन के द्वारा प्रति व्यक्ति आय को न गिरने देकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर में अर्थिक वृद्धि का प्रयास करती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एक अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएँ (Central Problems) अथवा आधारभूत कार्य (Fundamental Functions) क्या-क्या हैं?

अथवा

अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? उन मूलभूत आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिये जिनको प्रत्येक अर्थव्यवस्था का हल करना पड़ता है।

(I. yr. T D C Raj 1973)

अथवा

अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है एक अर्थव्यवस्था को जिन आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है समझाइये।

(I yr. T D C Raj 1977)

सकेत—अर्थव्यवस्था का अर्थ बताकर उसके बाद उसकी केन्द्रीय समस्याएँ—क्या उत्पादन किया जाय, कैसे उत्पादन किया जाय कितने कितना वितरण हो, अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था कैसे हो, पूर्ण रोजगार व अर्थव्यवस्था के अनुरक्षण विकास कैसे—ये 6 आधारभूत कार्य हैं—इन्हें संक्षेप में समझाइये।

2. किसी अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों (विशेषतया) उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग का पारस्परिक सम्बन्धों का उल्लेख कीजिये—अथवा अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रियाओं को समझाइये।

संकेत—अर्थव्यवस्था का संक्षेप में अर्थ बताकर अर्थव्यवस्था की जीवन्त प्रक्रिया (Vital Processes of an Economy) को सचित्र समझाइये।

3. अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएँ या आधारभूत कार्य क्या हैं, पूँजीवाद एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इन कार्यों (समस्याओं) का उत्पादन कैसे होता है ?

संकेत—अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याओं के समाधान में मूल्य-यन्त्र की भूमिका बताइये।

4. बाजार व्यवस्था (Market Economy) कीमत द्वारा शासित-प्रणाली है, कीमत प्रणाली के सफल संचालन में मुख्य शर्तों व बाधाओं का उल्लेख कीजिये।

संकेत—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय समस्याओं व आधारभूत कार्यों में मूल्य-यन्त्र (Price Mechanism) की भूमिका अलग-अलग बताइये—फिर सफलता की शर्तों व सीमाएँ बताइये जो अध्याय 3 में अलग-अलग शीर्षकानुसार बतलाये हैं।

5. स्वतन्त्र उत्तम प्रणाली (पूँजीवाद) में कीमत-प्रणाली की कार्य विधि की प्रालोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

संकेत—प्रथम भाग में स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली (पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइये, फिर कीमत-प्रणाली का महत्त्व सभी समस्याओं के समाधान में अलग-अलग बताइये तथा अन्त में उसकी सीमाओं को बनाकर मूल्यांकन कीजिए।

6. कीमत प्रणाली बाजार व्यवस्था की उपज है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं व उत्पादकों को चयन की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। क्या चयन की स्वतन्त्रता वस्तुतः व्यवहार में होती है ?

संकेत—कीमत प्रणाली पूँजीवाद की उपज कैसे है—यह बताइये। इसके लिए उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रा व्यय से साधनों को आवंटन, उत्पादकों द्वारा कीमतों से मार्ग दर्शन होता है। कीमत प्रणाली के सफल संचालन में अनेक शर्तें पूरी होनी चाहिये, वे व्यवहार में पूरी नहीं होती, उनकी अनेक सीमाएँ हैं। अतः यह केवल मात्र भ्रम है (अध्याय दो में मूल्य-यन्त्र की सफलता व सीमाओं के सन्दर्भ में विवरण दीजिये।)

7. प्रत्येक आर्थिक संगठन को किन प्रमुख आर्थिक समस्याओं का हल निकालना होता है। कीमत-प्रणाली द्वारा किये गये साधन आवंटन में क्या दोष हो सकते हैं ?

सकेत—अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा कीमत प्रणाली के दोषों (अगले अध्याय) का उल्लेख कीजिये।

- 8 'एक अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग आजीविका प्राप्त करते हैं,' इस कथन की व्याख्या कीजिये।

(प्रथम वर्ष कला-विशेष, परीक्षा-1974)

सकेत—ब्राउन के इस कथन को समझाइये और दूसरी परिभाषाएँ देकर अर्थव्यवस्था (आर्थिक प्रणाली) का आशय स्पष्ट कीजिये। अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ बताकर उसके विभिन्न स्वरूप पूँजीवाद, समाजवाद, मिश्रित आदि संक्षेप में समझाना है।

- 9 एक अर्थव्यवस्था के आधारभूत कार्य कौन-कौन से हैं? एक स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है?

(I yr T D C RaI 1976, 1979)

सकेत—अर्थव्यवस्था का संक्षेप में अर्थ बताकर उसके 6 आधारभूत कार्यों का वर्णन कीजिये और प्रत्येक में पूँजीवाद के अन्तर्गत मूल्य यन्त्र द्वारा उनके समाधान को स्पष्ट कीजिये।

- 10 सेम्युलसन के अनुसार एक अर्थ प्रणाली की केन्द्रीय समस्याएँ क्या क्या हैं? एक पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है?

(I yr T D C (Non-Collegiate), 1974)

सकेत—सेम्युलसन के अनुसार अर्थ प्रणाली के तीन कार्यों केन्द्रीय समस्याओं को पूँजीवादी प्रणाली के सन्दर्भ में समझाना है, चित्र देना है।

- 11 अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्य कौन से होते हैं? समाजवादी एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ किस प्रकार कार्य करती हैं?

(R1j T. D C I yr 1978, 1980)

सकेत—अर्थव्यवस्था का संक्षेप में अर्थ बताकर उसके कार्यों को बताना है तथा तीसरे भाग में दोनों में कार्य सम्पादन को समझाना है।

साधनों के चयन व आवंटन की समस्या एवं मूल्य-यन्त्र की भूमिका

(Problem of Choice & Allocation of Resources
& the Role of Price System)

साधन सीमित हैं और आवश्यकताएँ अनन्त हैं अतः इन सीमित साधनों से अधिकतम आर्थिक लाभ या सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं साधनों में सीमितता के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग भी नयी समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे लोहे का प्रयोग रसोई के बतन, कीलें, बाल्टियाँ आदि बनाने के लिए भी किया जा सकता है या उसका उपयोग अस्त्र-शस्त्र ट्रेक्टर, मशीनें और जार बनाने के लिए भी किया जा सकता है ईंटों से मकान भी बनाया जा सकता है या उनका प्रयोग कारखाने या सिंचाई कार्यों में भी किया जा सकता है। अतः साधनों की सीमितता के साथ उनके वैकल्पिक प्रयोगों को दृष्टिगत रखते हुए अगर उनका प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) का लक्ष्य पूरा होने में सहायता मिलेगी।


(A) साधनों का उपभोग एवं उत्पादन में आवंटन की समस्या (Problem of Resources Allocation Between Consumption and Production)

समाज के पास साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, पर साध्य अनेक हैं अतः समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि साधनों को उत्पादन वस्तुओं (Production Goods) के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाए या उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाए। कोई भी समाज केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर अधिकतम सामाजिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है अतः दिए हुए साधनों का प्रयोग उत्पादक वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं दोनों में इस प्रकार किया जाना है कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके।

उदाहरण के लिए माना कि समाज में दिए हुए ज्ञान एवं परिस्थितियों में पूंजीगत वस्तुओं (Production Goods) तथा उपभोग वस्तुओं के विभिन्न संयोग

क्रमशः A, B, C तथा D उत्पादन-संभावना वक्र Production Possibility Curve—(PPC) पर दर्शाये गये हैं जैसा चित्र 1 में स्पष्ट है।

चित्र 1 में RABCD उत्पादन-संभावना वक्र (PPC) है जो देश में उपलब्ध साधनों से उत्पादक वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं (Production Goods तथा Consumption Goods) के विभिन्न संयोगों को बताती है।



चित्र 1

पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक OM_3 किया जाता है तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन OQ_1 ही होगा। इसी प्रकार दूसरा संयोग ($OM_2 + OQ_2$) तथा तीसरा संयोग ऐसा होता है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का भाग अधिक OQ_3 बढ़ाया जाता है तो उत्पादक माल घटकर OM_1 ही रह जाता अर्थात् एक प्रकार के माल की उत्पत्ति घटाने पर ही दूसरे प्रकार के माल की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है अन्यथा नहीं। हार्द अर्थव्यवस्था में विकास के फलस्वरूप साधनों की कुल मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाए या उनकी उत्पादन कुशलता में वृद्धि हो जाए तो दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि सम्भव हो जाती पर साधनों की पूर्ति व कुशलता यथास्थिर रहने पर एक प्रकार की वस्तुओं में उत्पादन वृद्धि दूसरी प्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति में कमी किये बिना सम्भव नहीं होती जैसा कि चित्र में स्पष्ट है।

अतः अब प्रश्न उठता है कि समाज में उपभोक्ता वस्तुओं (Consumer Goods) की कितनी मात्रा उत्पन्न की जाये और कितना उत्पादक वस्तुओं (Producer's Goods) का हो। उपभोक्ता वस्तुओं में वे वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं जो उपभोक्ताओं की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो जबकि उत्पादक वस्तुओं में उन वस्तुओं का समावेश होता है जो और अधिक उत्पादन में हायक होती हैं। यदि कोई समाज अपने-अपने साधनों की अधिक मात्रा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त करे तथा उत्पादक वस्तुओं के निर्माण की अपेक्षा करे तब अल्पकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से देशवासियों का जीवन-स्तर शीघ्र बढ़ेगा पर यह वृद्धि अल्पकालीन ही होगी। क्योंकि उत्पादक वस्तुओं की अपेक्षा के कारण उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन करने वाली क्षमता या

घाघार ही कमजोर हो जायगा जिससे अन्ततः जीवन-स्तर घट जायेगा। इसके विपरीत अगर ममाज उत्पादक वस्तुओं के निर्माण पर अत्यधिक साधनों का आवंटन करे और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा हो तो प्रारम्भिक अवस्था में तो समाज का जीवन स्तर बहुत घट जायगा किन्तु भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं का सम्भाव्य उत्पादन (Potential Production) कहीं अधिक होगा। अतः साधनों को दोनों प्रकार के प्रयोगों में आवंटन करने में इस प्रकार का संतुलन एवं समन्वय बैठाया जाना चाहिये कि वर्तमान में उपभोग स्तर को बिना अधिक घटाये भावी जीवन स्तर में काफी सुधार की सम्भावनाएँ बन सकें।

अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों की स्वल्पता, उनके वैकल्पिक प्रयोगों तथा अनेक आवश्यकताओं के कारण उपलब्ध साधनों से (1) क्या उत्पादन किया जाय और (ii) कितना उत्पादन किया जाय कि ये दो समस्याएँ साधनों के आवंटन को प्रभावित करती हैं। साधनों के आवंटन में मूल्य-यन्त्र की भूमिका का विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है।

(B) उत्पादन में साधनों के आवंटन या नियोजन की समस्या

(Problem of Allocation of Resources in Production)

प्रत्येक उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के पांच साधन—भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध एवं साहस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। वह अपने उत्पादन की अधिकतम मात्रा कम से कम लागत पर तैयार करके ही अधिकतम लाभ कमा सकता है। अतः उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों में आदर्शतम संयोग (Optimum Combination) बैठाना पड़ता है। उत्पादन में कुछ सीमा तक प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति होती है अतः उत्पादक महंगे साधनों को सस्ते साधनों से प्रतिस्थापन करता रहता है और यह प्रतिस्थापन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उत्पादन के सभी साधनों की सीमान्त उत्पत्ति एवं उनकी कीमतों का अनुपात बराबर-बराबर हो जाय। अतः उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के साधनों में उपयुक्त आवंटन की स्थिति में निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिये।

$$(i) \frac{MRP_x}{P_x} = \frac{MRP_y}{P_y} = \frac{MRP_z}{P_z} \dots \dots \frac{MRP_n}{P_n}$$

सामान्त आय
उत्पादन

इसका अभिप्राय है कि उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी सम्भव होगा जबकि वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के संयोग इस प्रकार करे कि एक साधन की सीमान्त आय-उत्पादन (Marginal Revenue Product) तथा उसकी कीमत जो साधन-मूल्य (Factor Price) के रूप में चुकानी पड़ती है, का अनुपात दूसरे साधनों की सीमान्त आय-उत्पाद व उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर-बराबर हो जाय तभी साधनों का उत्पादन कार्य में नियोजन आदर्शतम संयोग (Optimum Combination) को प्रदर्शित करेगा।

प्रथम सूत्र में कुल उत्पादन व्यय पर ध्यान नहीं दिया गया है जबकि व्यवहार में प्रत्येक उत्पादक के साधन सीमित होते हैं और वह उसी पूंजीगत व्यय से साधनों का आदर्शतम संयोग बैठाना चाहता है। अतः कुल उत्पादन व्यय (कुल उत्पादन लागत) के परिप्रथय में साधनों के उत्पादन में अनुकूलतम संयोग के लिए यह दूसरी बात भी पूरी होना चाहिये —

(ii) साधनों पर व्यय की जाने वाली कुल राशि निर्धारित पूंजीगत व्यय (लागत) के बराबर होना चाहिये। सूत्र के रूप में —


$$(Q_x \cdot P_x) + (Q_y \cdot P_y) + (Q_z \cdot P_z) + \dots + (Q_n \cdot P_n) = \text{Total Expenditure} \\ \text{अथवा Total Cost}$$

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन के क्षेत्र में साधनों के सर्वोत्तम आवंटन हेतु दोनों बातें पूरी होनी चाहिये तथा कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होगा।

समोत्पाद वक्र विधि (Iso product Curve Method) —

उत्पादक द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों के सर्वोत्तम संयोग के लिये समोत्पाद वक्रों की भी सहायता ली जाती है। समोत्पादक वक्र वह वक्र है जो उत्पत्ति के दो

साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे प्राप्त उत्पादन बराबर है। अतः उत्पादक उन साधनों में संयोग करते समय यह देखेगा कि जिस समोत्पाद वक्र के कीमत अनुपात रेखा स्पर्श रेखा (Tangent) हो वही आदर्शतम संयोग को बताती है। चित्र 2 में IPC_1 , IPC_2 , तथा IPC_3 तीन समोत्पादक वक्र बताये गये हैं जो थम और पूंजी के विभिन्न संयोगों पर उत्पादन का अलग-अलग स्तर बनाते हैं। IPC_2



चित्र 2

समोत्पादक वक्र के P बिन्दु पर साधना की मूल्य आनुपातिक रेखा AB स्पर्श रेखा है यही आदर्शतम संयोग बिन्दु है। इसके प्रतिरिक्त IPC_3 वक्र उत्पादक के वर्तमान साधन से अप्राप्य है जबकि IPC_1 के बिन्दु R और S कम उत्पादन मात्रा 100 बताते हैं अतः उत्पादक को पूंजी की OM मात्रा तथा थम की OQ मात्रा नियोजन में ही अधिकतम लाभ की सम्भावना है जहाँ प्रचलित कीमतों पर 200 इकाइयों उत्पादित की जा सकती हैं।

जिस प्रकार उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिये विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग बैठाने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार विभिन्न उत्पादन साधनों के स्वामी—भूमि का भूस्वामी, श्रम का श्रमिक, पूँजी का पूँजीपति तथा साहस का साहसी अपने साधनों को विभिन्न प्रयोगों में उनके मूल्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक उपयोग में साधन की सीमान्त आय बराबर हो जाय अर्थात् प्रत्येक उपयोग में सीमान्त आय लगभग समान हो जाय अन्यथा उत्पादन साधन कम उपयोगी एवं कम लाभप्रद उद्योगों से अधिक लाभप्रद उद्योगों की ओर आकर्षित होंगे।

जैसे सीमेन्ट उद्योग से श्रमिक को वस्त्र उद्योग में अधिक वास्तविक मजदूरी मिलती है तो श्रमिक सीमेन्ट उद्योग से वस्त्र उद्योग की ओर आकर्षित होंगे। परिणाम स्वरूप सीमेन्ट उद्योग में श्रमिकों की पूर्ति कम और वस्त्र उद्योगों में पूर्ति बढ़ जायेगी। इससे सीमेन्ट उद्योग में मजदूरी बढ़ेगी तथा वस्त्र-उद्योग में मजदूरी घटेगी और अन्ततः दोनों उद्योगों में वास्तविक मजदूरी प्रायः समान ही हो जायेगी। इस प्रकार कीमत यन्त्र अपने आप साधनों को एक उद्योग से दूसरे उद्योग की ओर आवंटित करता रहता है।

उत्पादक द्वारा साधनों का उपयोग करके
 (C) उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में साधन आवंटन *करके*

(Allocation of Resources for Consumption by Consumers)

प्रत्येक उपभोक्ता की आवश्यकताएँ अनन्त और साधन सीमित होते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता इन सीमित साधनों से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ऐसी अवस्था में सब उपभोक्ता पूँजीवादी बाजार में अपनी आय को विभिन्न उपयोगों पर इस प्रकार वितरित करते हैं कि प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता एवं कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता एवं उसकी कीमत के अनुपात के बराबर-बराबर हो जाय। गणितीय सूत्र के रूप में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :—

$$\frac{Mu_a}{P_a} = \frac{Mu_b}{P_b} = \frac{Mu_c}{P_c} = \frac{Mu_d}{P_d} \dots \dots \frac{Mu_n}{P_n} \dots \dots \frac{Mu_n}{P_n}$$

Marginal Utility a
Factor Price a
अनुपात

उपरोक्त समीकरण में उपभोक्ता द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए साधनों के आवंटन की पहली शर्त पूरी होती है किन्तु इसमें उपभोक्ता के आय-प्रतिबन्ध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जबकि व्यवहार में प्रत्येक उपभोक्ता की आय आवश्यकताओं की तुलना में कम होती है। अतः अगर उपभोग के लिये साधन आवंटन में हम आय प्रतिबन्ध (Income Constraint) को भी सम्मिलित करें तो उपभोक्ता द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए समीकरण (1) की शर्त पूरी होने के साथ समीकरण (2) की शर्त भी पूरी होना आवश्यक है :—

उपभोक्ता द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि की दूसरी शर्त है कि उपभोक्ता की कुल आय उसके द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा व उसकी कीमतों के गुणन-फल के समग्र योग के बराबर होनी चाहिए। गणितीय सूत्र के रूप में —

$$\begin{aligned} \text{आय} \\ \text{Income} &= \left(\text{वस्तु A की खरीदी गई मात्रा} \times \text{वस्तु A की प्रति इकाई कीमत} \right) \\ &+ \left(\text{वस्तु B की खरीदी गई मात्रा} \times \text{वस्तु B की प्रति इकाई कीमत} \right) \\ &+ \left(\text{वस्तु n की खरीदी गई मात्रा} \times \text{वस्तु n की प्रति इकाई कीमत} \right) \end{aligned}$$


$$\text{अर्थात् } I = (A \times P_a) + (B \times P_b) + (C \times P_c) \dots \dots (N \times P_n) \quad (2)$$

स्पष्ट है कि उपभोग के लिये साधन आवरण में अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये न केवल समीकरण (1) की शर्त पूरी होनी चाहिये वरन् साथ-साथ समीकरण (2) की शर्त का भी पूरा होना अनिवार्य है। दोनों शर्तों के एक साथ पूरा होने पर ही अधिकतम सन्तुष्टि होगी।

तटस्थता वक्र विधि (Indifference Curve Method)

तटस्थता वक्र विचलण के आधार पर भी उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि

बिन्दु पर तब होगा जहाँ तटस्थता वक्र रेखा के मूल्य प्रानुपातिक रेखा (Price ratio line) स्पर्श रेखा (Tangent) होगी। चित्र 3 के रूप में IC_2 ऐसा तटस्थता वक्र है जो उपभोक्ता के x और y वस्तु के विभिन्न संयोगों का बताता है जहाँ उपभोक्ता की सन्तुष्टि समान है। AB मूल्य प्रानुपातिक रेखा है वह IC_2 -वक्र के P बिन्दु पर स्पर्श रेखा (Tangent) है, अतः उपभोक्ता के लिये x की OQ मात्रा तथा y वस्तु की OM मात्रा अधिकतम सन्तुष्टि का बिन्दु है।



चित्र 3

तटस्थता वक्र रेखा— IC_2 के R तथा S बिन्दु के संयोग उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान नहीं करते क्योंकि उपभोक्ता नीची तटस्थता-वक्र पर ही रहता है। P बिन्दु तटस्थता वक्र IC_2 पर है जो तटस्थता वक्र IC_1 से ऊपर है और अधिक सन्तुष्टि का चोकर है। IC_3 उपभोक्ता व अप्राप्य संयोगों को बताती है क्योंकि उपभोक्ता की आय इतनी कम है कि वह अपनी वर्तमान आय से तटस्थता वक्र IC_3 के बिन्दुओं पर पहुँचने में असमर्थ है।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि उपभोक्ता भी अपनी सन्तुष्टि अधिकतम करने के लिए अपने साधनों (आय) को विभिन्न उपयोगों पर इस प्रकार व्यय करते हैं कि प्रत्येक वस्तु के उपयोग से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता एवं कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाय तभी उपभोक्ता को अपने साधनों के उपयोग में अधिकतम सन्तुष्टि मिल सकेगी, अन्यथा नहीं। तटस्थता-वक्र के अनुसार भी उपभोक्ता की सन्तुष्टि विभिन्न उपयोगों के संयोगों में उस समय अधिकतम होती है जब मूल्य आनुपातिक रेखा तटस्थता वक्र के स्पर्श रेखा (Tangent) होती है। इसमें हमारी यह मान्यता है कि उपभोक्ता अपनी आय को विवेक से व्यय करता है तथा उस पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण या बाधा नहीं है। बाजार में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

कीमत प्रणाली अथवा मूल्य-यन्त्र

(Price System or Price Mechanism)

प्रो. रोबर्ट डार्लमैन के अनुसार कीमत संयन्त्र (Price mechanism) आर्थिक संगठन की वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाएं स्वयं निर्णय लेती हैं कि वे अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दें तथा अपने योगदान को किस कीमत पर बेचें जो उसे स्वयं को तथा क्रेता दोनों को स्वीकार हो तथा साथ ही क्रेता भी दूसरों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं को उस कीमत पर प्राप्त कर सके जो विक्रेताओं को स्वीकार हो।

इस प्रकार कीमत-संयंत्र एक ऐसा अचेतन, स्वाभाविक एवं स्वचालित यन्त्र है जो वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ साधनों की कीमतें निर्धारित कर उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करता है। कीमत यन्त्र का महत्व निर्वाह एवं स्वतन्त्र आर्थिक प्रणालियों में ही अधिक है इसी कारण कीमत यन्त्र पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली का जीवन-दायक रक्त-प्रवाह है। पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली की सभी मूलभूत आर्थिक समस्याओं (क्या और कितना उत्पादन किया जाय ? कैसे उत्पादन किया जाय ? उत्पादन का वितरण किनमें हो ? साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन, पूर्ण रोजगार एवं विकास) का हल कीमत-संयंत्र में निहित होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र नियन्त्रित एवं कृत्रिम होता है जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में कीमत-संयंत्र आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाता है।

प्रो. हॉलम (Halm) के शब्दों में "कीमत संयंत्र वह पद्धति है जो करोड़ों लोगों के परस्पर आधित व्यक्तिगत निर्णयों तथा क्रियाओं पर आधारित होती है तथा उत्पादक साहसियों के स्वतन्त्र व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम होता है।

कीमत प्रणाली की मूलभूत बातें (Fundamentals of Price Mechanism)—

(1) कीमत संयंत्र अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं के परस्पर आर्थिक निर्णय व क्रियाओं का सामूहिक प्रतिफल होता है। अकेला उत्पादक अथवा अकेला

उपभोक्ता कीमत-यन्त्र का सञ्चालन नहीं करता क्योंकि एक का प्रभाव समूची अर्थ व्यवस्था में नगण्य होता है।

(2) कीमत प्रणाली आर्थिक सगठन में माग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों में परिवर्तन के द्वारा साधनों, वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन का कार्य करती है। जिन वस्तुओं की माग घटती है उनकी कीमतें प्रायः गिरती हैं और माग बढ़ने पर कीमतें बढ़ती हैं जबकि पूर्ति पक्ष में पूर्ति बढ़ने पर कीमतें प्रायः घटती हैं जबकि पूर्ति घटने पर कीमतें बढ़ती हैं अतः साधनों का आवंटन कम कीमत वाले क्षेत्रों से हटकर अधिक कीमत वाले क्षेत्रों में होता है।

(3) कीमत प्रणाली व्यक्तियों के स्वतंत्र आर्थिक निर्णयों से स्वचालित (Automatic) रहती है। निर्णयों में समन्वय व तालमेल के लिए किसी केन्द्रिय अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। माग में परिवर्तन स्वतः सम्बन्धित प्रक्रियाओं को उत्पन्न कर नया सन्तुलन स्थापित कर देती है।

(4) उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों समूहों का एक दूसरे के निर्णयों व क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। अपने निजी लाभ की तलाश में रहने वाले अनेक उपभोक्तार्थों तथा उत्पादकों के पृथक् पृथक् निर्णयों से स्वतः परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रेरित कर अर्थव्यवस्था का सञ्चालन करते हैं।

(5) कीमत यन्त्र निर्बाध एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में ही भली प्रकार कार्य कर सकता है और इसके सफल सञ्चालन के लिए पूर्ण प्रतिযোগिता, आर्थिक स्वाधीनता, पूर्ण रोजगार व्यवस्था, साधनों में पूर्ण गतिशीलता तथा द्रव्य का व्यापक प्रयोग आदि शर्तें पूरी होना आवश्यक है। इनके अभाव में कीमत यन्त्र की सफलता संदिग्ध है।

(6) कीमत यन्त्र स्वचालित होते हुए भी अनिवार्यतः सर्वोत्तम या उपयुक्त नहीं होता। क्योंकि निजी लाभ के सभी निर्णय सामाजिक दृष्टि से भी लाभदायक हो, आवश्यक नहीं है। कीमत यन्त्र साधनों का बटवारा धनिकों के पक्ष में कर निर्धनों की दुर्दशा करता है। जहाँ एक ओर धनिकों के कुत्तो को दूध, मेवा, मिष्ठान मित्रते हैं तो दूसरी ओर निर्धन रोटी के लिए तरसता है।

साधन आवंटन में मूल्य यन्त्र की भूमिका अथवा कार्य

(Function or Role of Price Mechanism in Allocation of Resources)

उत्पादन व उपभोग के क्षेत्र में साधन आवंटन की समस्या बड़ी जटिल समस्या है। राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा और प्रवृत्ति के अनुरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन में मूल्य यन्त्र की भूमिका में अन्तर पाया जाता है। प्रायः मूल्य यन्त्र अथवा कीमत प्रणाली के प्रमुख कार्यों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (1) साधन आवंटन कार्य (Resources Allocation Function) जिसमें मूल्य यन्त्र साधनों का विभिन्न प्रयोगों में आवंटन करने में सहायक होता है। उन साधनों में एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया का क्रम तब तक चलता है

जब तक कि आदर्शतम सामन्जस्य न बैठ जाय- (ii) साधनो में वितरण कार्य (Distributive Function among Factors of Production) मूल्य यन्त्र उत्पत्ति के विभिन्न साधनो को सामूहिक उत्पत्ति में, उनका हिस्सा निर्धारित करने तथा उनमें सन्तुलन स्थापित करने में सहायक होता है (iii) समन्वय व सन्तुलन कार्य (Coordination and Balancing Function—) मूल्य यन्त्र विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं, उत्पादन के साधनो आदि की माग एव पूर्ति में सन्तुलन बैठा कर तथा उनमें समन्वय स्थापित कर अर्थव्यवस्था के सफल संचालन में मदद करता है । (iv) मार्गदर्शन कार्य (Guiding Function)—मूल्य यन्त्र आर्थिक क्रियाओं में मार्गदर्शन का कार्य करता है । उपभोक्ता मूल्य यन्त्र की सहायता लेकर अपनी सन्तुष्टि अधिकतम कैसे कर सकते हैं, उत्पादक उत्पादन का संगठन कैसे तय करें कि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं । क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें । इसी प्रकार उत्पादन साधन भी अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करने में मूल्य यन्त्र से मार्ग दर्शन लेते हैं । इस प्रकार अर्थव्यवस्था के स्वरूप व प्रकृति के अनुरूप इन कार्यों में अन्तर प्रवृत्ति होती है—अतः साधन आवांटन में मूल्य-यन्त्र की भूमिका का अध्ययन अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रकार है—

(A) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में साधन-आवांटन में मूल्य यन्त्र की भूमिका (Role of Price System in Resources Allocation in Capitalistic Economy)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र उपभोग अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति व वितरण के साधनो पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है और वे उन साधनो को अपने निजी लाभ के लिए प्रतियोगिता के आधार पर प्रयुक्त करते हैं । अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्यांकन (Valuation) कीमतों द्वारा होता है जिसमें कीमतें उपभोक्ता, उत्पादक तथा उत्पादन साधनो के स्वामियों की रुचि, आवश्यकता एव प्राथमिकताओं की सूचक होती है अतः कीमत यन्त्र साधनो के आवांटन को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है—

(1) क्या उत्पादन किया जाय ?—कीमते उपभोक्ता वर्ग की रुचि एव आवश्यकताओं को अभिव्यक्त (Reflect) करती है । उपभोक्ता अपनी आयों को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करने को पूर्ण स्वतन्त्र होते हैं । अतः उपभोक्ता अपने व्यय द्वारा यह निर्धारित करते हैं कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन हो । उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को व्यय करते समय जिन-जिन वस्तुओं के पक्ष में अपने मुद्रा रूपी वोट (Money-vote) अधिक देने को तत्पर होते हैं तो उत्पादको को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में ही सामान्य लाभ से अधिक लाभ की आशा रहती है । अतः वे उपभोक्ता की माग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करने में साधनो को लगाते हैं । इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उपभोग पर उपभोक्ता अपनी आय व्यय करने को तत्पर नहीं है या कम उत्सुक है तो ऐसी वस्तुओं के उपभोग के लिए मुद्रा-रूपी-वोट कम

देने को तत्पर होंगे। इससे उत्पादकों को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में साधन नगाने में सामान्य लाभ से कम ही लाभ मिलने की सम्भावना रहती है या हानि का मय रहता है। अतः उत्पादक उत्पादन के साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटित करते हैं जिनमें उपभोक्ता अपनी आय व्यय करते हैं अतः ऊँची कीमतों वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

उपभोक्ताओं में अपनी आय को व्यय करने की इस प्रवृत्ति से अर्थव्यवस्था में कीमतों की एक ऐसी शृंखला बन जाती है जो उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों के रूप में साधनों के आवंटन को प्रभावित करती है। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अधिक व्यय करेंगे उनकी कीमतें बढ़ेंगी। परिणामस्वरूप साधनों का आवंटन ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की ओर आकर्षित होगा और उन वस्तुओं के उत्पादन पर जिनके लिए उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम भाग व्यय करते हैं उन वस्तुओं की माँग घट जायेगी और मूल्य नीचे गिरेंगे जिनसे साधनों का आवंटन उन वस्तुओं के उत्पादन में रूक जाएगा। जैसे अगर उपभोक्ता अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करते हैं तो साधनों का आवंटन ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में होगा। पर अगर वे विनाशिता की वस्तुओं पर अधिक व्यय करने लग जायें तो अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन रूक जायेगा और विनाशिता की वस्तुओं के उत्पादन पर साधनों का आवंटन बढ़ जायेगा। इससे स्पष्ट है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत-यन्त्र (Price Mechanism) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को उद्योगों तथा साधन प्रतिकर्ताओं तक पहुँचाती है और उनसे उचित उत्तर निकलवाती है।

(ii) कैसे उत्पादन किया जाए ? (How to produce ?)—इस समस्या का हल भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य-यन्त्र (Price Mechanism) द्वारा होता है। प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर अपने लाभ को अधिकतम करने की चेष्टा करता है अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पादक साधनों की कीमत व उनकी सीमान्त उत्पत्ति को ध्यान में रखता है। वह महंग साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन तब तक करता जाता है जब तक कि उत्पादन कार्य में प्रत्येक साधन का सीमान्त आगम (MRP) व इनकी कीमतों के अनुपात परस्पर बराबर न हो जायें।

$$\text{अर्थात् } \frac{MRP_a}{P_a} = \frac{MR_b}{P_b} = \frac{MRP_c}{P_c} \text{ की शर्त पूरी होनी चाहिए।}$$

श्रीमान्

(iii) उत्पादन का वितरण किनसे हो ? (To whom is to distributed ?) देश में उत्पादन का वितरण भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ उत्पादन साधनों की कीमतों तथा साधनों के वितरण की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन उत्पादन साधनों की कीमतें ऊँची होंगी उनके स्वामियों को राष्ट्रीय आय में, अन्य बातों के

समान रहते हुए अधिक भाग मिलेगा और जिन साधनों की कीमते नीची होगी, उनको राष्ट्रीय आय में कम भाग मिलेगा।

(iv) साधनों के स्वामी या पूर्तिकर्ता (Resources Suppliers) भी अपने साधनों के आवंटन (Allocation) में वस्तुओं की कीमत से निर्देशित (Guide) होते हैं। वे अपने साधनों को उन फर्मों या उद्योगों के पक्ष में आवंटित करेंगे जो उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है क्योंकि उनके पक्ष में साधनों का आवंटन ही उन्हें अपने साधनों से अधिकतम लाभ उपार्जन में सहायक होगा। साधनों के पूर्तिकर्ता अपने साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटित करने में राजी नहीं होंगे जिनको उपभोक्ता अधिक महत्व नहीं देते। कीमते साधन आवंटन को निर्देशन करती हैं। उन उद्योगों में साधन अधिक हो जायेंगे जिनमें उन्हें अपेक्षाकृत ऊँचा पारिथमिक दिया जायगा और उन उद्योगों को छोड़ेंगे जिनमें पारिथमिक कम है।

(v) उपभोक्ता भी अपने साधनों को विभिन्न प्रयोगों पर इस प्रकार आवंटित करेंगे जिनसे उनको अधिकतम सन्तुष्टि मिस जाय। अधिकतम सन्तुष्टि के लिए वस्तुओं के मूल्यों तथा उनसे प्राप्त सीमान्त उपयोगिता की तुलना करनी पड़ेगी जैसे पीछे (C) शीर्षक के अन्तर्गत दी गई है। मुख्य रेखा ही अनुकूलतम संयोग को बताती है। उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि के लिये यह शर्त पूरी करेगा।

$$(1) \frac{Mu_a}{P_a} = \frac{Mu_b}{P_b} = \frac{Mu_c}{P_c} \text{ and so on} \quad (1)$$

$$(2) I = (A \times P_a) + (B \times P_b) + (C \times P_c) + \dots \dots (N \times P_n)$$

अर्थात् (1) प्रत्येक प्रयोग में भारित उपयोगिता समान हो तथा (2) सभी वस्तुओं पर बिये गये व्ययों का योग आय के बराबर हो जाय।

(iv) उत्पादकों को भी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उत्पादन कार्यों में लगाने में उनकी कीमत व उन साधनों की सीमान्त आगम (MRP) की ओर ध्यान देना पड़ता है जैसे कि पहले (B) शीर्षक में दिया गया है। उत्पादक भी विभिन्न साधनों का प्रयोग उनकी कीमतों के अनुसार ही करता है। वह महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को प्रतिस्थापित करता है और प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उत्पादक को उत्पादन कार्य में सब साधनों की सीमांत आगम (MRP) उनकी कीमत के अनुपात बराबर न हो जाय। कीमत रेखा ही उन्हें अनुकूलतम संयोग को बताती है।

$$\text{अर्थात् } \frac{MRP_x}{P_x} = \frac{MRP_y}{P_y} = \frac{MRP_z}{P_z} \text{ की शर्त पूरी होनी चाहिए।}$$


कीमत प्रणाली के द्वारा उत्पादन साधनों का आवंटन तभी उपयुक्त कहा जाता है जबकि साधनों का आवंटन व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों को अधिकतम

करने में समर्थ हो। पर यह आवश्यक नहीं कि निजी हित हमेशा सामाजिक हितों से मेल खा जाय। हो सकता है कि साधनों के आवंटन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं व उत्पादन साधनों के पूतिकर्ताओं के निजी हित की मात्रा तो अधिक हो जाय पर सामाजिक दृष्टि से यह आवंटन अनुपयुक्त हो। संभव है कि कीमत प्रणाली से साधनों का आवंटन घनिष्ठों के लिए विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में हो जबकि निर्धनों की जीवन निर्वाह की आवश्यक अनिवार्यताओं के उत्पादन की ध्येक्ष की जाती रहे। ऐसी स्थिति में कीमत प्रणाली एक अन्धे व्यक्ति के समान साधनों का आवंटन घनिष्ठों की आवश्यकताओं की पूर्ति में करती है जबकि निर्धनों की जिसके पास मुद्रा-रूपी वोट का अभाव है, उपेक्षा करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य-यन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साधनों का आवंटन, उपभोग, साधनों के विभिन्न प्रयोग मूल्य-यन्त्र द्वारा निर्देशित होते हैं।

स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली (पूंजीवादी अर्थव्यवस्था) में मूल्य-संयंत्र की भूमिका का चित्र निरूपण (Diagrammatic Representation)

आर्थिक सगठन की तीन मूलभूत समस्याएँ—क्या उत्पादन किया जाय, कैसे



उत्पादन किया जाय और उत्पादन का वितरण किनमे हो ?—को हल करने में कीमत सयंत्र की भूमिका को चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। उपरोक्त चित्र 4 में हम देखते हैं कि जनता (परिवार) और व्यावसायिक फर्में मुख्यतः दो बार सम्पर्क में आते हैं। पहली बार वस्तुओं और सेवाओं के त्रय विचय के समय जब कि वस्तु बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की माग और पूर्ति द्वारा कीमतों से साधनों का आवंटन होता है तथा दूसरी बार जनता द्वारा उत्पादन साधनों के स्वामी के रूप में साधनों की पूर्ति व्यावसायिक फर्मों की साधनों की माग की पूर्ति करते समय जबकि साधन बाजारों में साधनों की कीमतों, उनका विभिन्न फर्मों में आवंटन करती है।

चित्र 4 के ऊपरी भाग में उपरोक्त अपने मुद्रा-रूपी वोट देकर खाद्यान्न, वस्त्र, मकान आदि की माग करते हैं और उत्पादक या व्यावसायिक फर्मों कीमतों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं जिससे “क्या उत्पादन किया जाय और कितना उत्पादन किया जाय” —समस्या का हल होता है। चित्र के निचले भाग में जनता उत्पादन साधनों की पूर्ति करती है तथा फर्मों उनकी माग करती हैं। साधन-बाजारों में उनकी माग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से कीमत-सयन्त्र उत्पादन साधनों के स्वामियों में वितरण की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। श्रमिकों की मजदूरी, भूमि का लगान तथा पूँजी का ब्याज कीमत-सयन्त्र द्वारा निर्धारित हो जाता है। जनता तथा व्यावसायिक फर्मों में वस्तुओं के त्रय-विचय तथा उत्पादन साधनों के विचय-त्रय में प्रतिस्पर्द्धा अधिकतम लाभ तथा न्यूनतम लागत या त्याग के उद्देश्य में “उत्पादन कैसे किया जाय अथवा उत्पादन का संगठन कैसे हो ?” समस्या का हल निहित है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक संगठन की ये समस्याएँ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। क्या, कैसे और किसके लिए ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, वस्तुओं और सेवाओं की माग साधनों की लागत व साधनों को वितरित होने वाले प्रतिफल पर निर्भर है और जनता की माग उनकी प्राय (मुद्रा रूपी वोट) वस्तुओं की उत्पत्ति क्या और कितनी का निर्धारण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमत-सयन्त्र एक और वस्तुओं और सेवाओं के भाव निर्धारित कर साधनों का आवंटन करती है तो दूसरी ओर वह उत्पादन साधनों की कीमतें-निर्धारित कर वितरण किनमे कितना हो प्रश्न का उत्तर देती है।

(B) समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में साधन आवंटन

(Allocation of Resources in Socialistic Economies)

समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में स्वतन्त्र मूल्य-यन्त्र का कोई विशेष महत्व नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति तथा वितरण के समस्त साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। निजी लाभ (Private Profit) का कोई स्थान नहीं होता और न साधनों का स्वतन्त्र बाजार होता है

जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता व निजी लाभ की दृष्टि से साधन का आवंटन हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन मूल्य-यन्त्र पर नहीं बरन् सरकारी आदेशों (Govt Decrees) पर निर्भर करता है। कितने साधन किन किन उद्योगों में प्रयुक्त हों, इसका नियम सामाजिक मूल्यों (Social Valuations) के आधार पर देश की केन्द्रीय प्राधिकार (Central Authority) द्वारा किये जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार कृत्रिम मूल्य-यन्त्र (Artificial Price-Mechanism) का सहारा लेती है। सरकार सामाजिक दृष्टि से जिन कार्यों में साधनों के आवंटन को हितकर समझती है उन्हीं प्रयोगों में निर्धारित मात्रा में साधनों का आवंटन होता है।

बुद्ध विद्वान अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि मूल्य-यन्त्र के अभाव में समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में साधनों का आवंटन ठीक ठीक नहीं होता तथा साधनों का अपव्यय होता है, पर अब यह धारणा प्रबल है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक सीमाओं के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था में कृत्रिम मूल्य यन्त्र अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रहता है। प्रो. ऑस्कर लॉन्गे (Oskar Longe) के मतानुसार समाजवाद के अन्तर्गत साधनों का आवंटन पूँजीवाद की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है।

(C) मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन में मूल्य-यन्त्र की भूमिका (Role of Price Mechanism in Allocation of Resources in Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूँजीवाद तथा समाजवाद के तत्वों का मंजीपूर्ण संयोग होता है। इसके अन्तर्गत देश के आधारभूत साधनों पर सरकार का प्रभावी नियन्त्रण रहता है जबकि कम महत्वपूर्ण साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं—(i) सार्वजनिक क्षेत्र, (ii) सहायक क्षेत्र तथा (iii) निजी क्षेत्र। अधिकतर अर्थव्यवस्थाएँ न तो पूर्णतया अधिकेन्द्रित हैं और न पूर्णतया निर्वाह, परन्तु मिश्रित हैं। इनमें उत्पादन के साधनों के आवंटन की समस्या अधिक जटिल है। जहाँ समाजवाद में साधनों का आवंटन सरकारी आदेशों से तथा पूँजीवाद में मूल्य-यन्त्र से होता है वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण किया जाता है।

स्वल्प एव सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साधनों के आवंटन का पूर्ण एकाधिकार सरकार के पास होता है। राज्य ऐसी वस्तुओं के आवंटन में मूल्य विभेद नीति, प्रत्यक्ष आदेश अथवा अभ्यन्त (Quota) निर्धारण का सहारा लेता है जैसे लोहे का कितना भाग रेलों व मशीनों में, कितना भाग उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जाय। इसके विपरीत उन वस्तुओं व साधनों जिनकी पूर्ति पर्याप्त होती है—तथा कम महत्वपूर्ण होती है—सरकार उनके आवंटन के सामान्य नियन्त्रण में मूल्य-यन्त्र के त्रियान्वयन पर छोड़ देती है, जैसा हम भारत में देख रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी साधनों के आवंटन में कुशलता सरकारी नीतियों के प्रभावी त्रियान्वयन एव मूल्य-यन्त्र के संचालन की सफलता पर निर्भर करती है।

साधन आवाटन में मूल्य-यन्त्र की सफलता की शर्तें

(Conditions for Successful Working of Price Mechanism)

साधन आवाटन में मूल्य-यन्त्र की भूमिका के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य-यन्त्र पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का तो आधार-स्तम्भ है ही, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पर मूल्य-यन्त्र साधनो के आवाटन में तभी सफल हो सकता है जबकि निम्न शर्तें पूरी हो। इन शर्तों के पूरी नहीं होने की अवस्था में साधनो का आवाटन सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन शर्तों की पूर्ति के अभाव में पूँजीवाद में साधनो का आवाटन दोषपूर्ण होता है। ये शर्तें हैं —

1. पूर्ण रोजगार अवस्था (Full Employment Stage)—कीमत प्रणाली के सफल संचालन की पहली शर्त अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था का पाया जाना है अगर अर्थव्यवस्था के साधनो में बेकारी अथवा अर्द्ध-बेकारी विद्यमान हो तो कीमत प्रणाली सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी।

2. बाजार) में पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)—कीमत प्रणाली की सफलता की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त साधन बाजारो तथा वस्तु बाजारो में पूर्ण प्रतियोगिता होना है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ही वस्तुएँ अथवा साधन अधिकतम लाभ वाले क्षेत्र में प्रयुक्त किये जावेंगे और पूर्ण प्रतियोगिता ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति से साधनो को सर्वोत्तम उपयोगो में वितरण करेगी।

3. साधनो में पूर्ण गतिशीलता (Perfect Mobility)—कीमत प्रणाली की तीसरी महत्वपूर्ण शर्त साधनो व वस्तुओ के बाजार में पूर्ण गतिशीलता है। गतिशीलता के अभाव में साधनो का एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक उद्योग से दूसरे उद्योग और एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में न जा सकेंगे और न अधिकतम लाभ सिद्धान्त की प्राप्ति हो सकेगी।

4. आर्थिक समानता (Economic Equality)—कीमत प्रणाली की सफलता आर्थिक समानता में निहित है अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता हुई तो साधन सम्पन्न धनी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में साधनो का आवाटन अपनी विश्वासिता की वस्तुओ में प्रोत्साहित कर सकेंगे जबकि निर्धन व्यक्तियों की अनिवायताओ की भी उपेक्षा होगी। साधनो का आवाटन सामाजिक दृष्टि से वाञ्छित दिशा में नहीं होगा।

5. आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Freedom)—कीमत यन्त्र की सफलता आर्थिक स्वतन्त्रता पर निर्भर करती है। अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादको एवं उपभोक्ताओ पर कोई नियन्त्रण न हो, उन्हें उत्पादन तथा उपभोग में पूर्ण स्वतन्त्रता हो और साधनो के सग्रह, हस्तांतरण एवं प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो कीमत प्रणाली सुचारु रूप से चलेगी जबकि नियन्त्रण एवं नियोजन होने पर सफट उत्पन्न हो सकता है।

6 साधनों पर निजी स्वामित्व (Private Ownership of Resources)—जब देश में उत्पादन साधनों एवं उपभोग वस्तुओं पर निजी स्वामित्व होता है तो उसके स्वामियों को उनके प्रयोग एवं आवंटन की स्वतन्त्रता होती है और अधिकतम निजी लाभ के लिये साधनों का आवंटन बड़ी मत्कंता से करते हैं।

7 विवेकपूर्ण निर्णय एवं बाजार पूर्ण ज्ञान Rational Decision & perfect Knowledge of Market)—अगर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के निर्णय बाजार की पण जानकारी पर आधारित एवं विवेकपूर्ण हो तो कीमत प्रणाली सुचारु रूप से चलेगी और अगर इसका अभाव रहा तो विफल होगी।

✓ कीमत प्रणाली की सीमाएँ

(Limitations of Price Mechanism)

सैद्धान्तिक दृष्टि से मूल्य यन्त्र प्रणाली साधनों के आवंटन को सर्वोत्तम बनाती है पर व्यवहार में मूल्य-यन्त्र प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्य करने में अनेक बाधाएँ हैं। न तो किसी अर्थव्यवस्था में इसकी सफलता की पूर्ण शर्तें (पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों का स्वतन्त्र बाजार, आर्थिक समानता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता एवं पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ) होती हैं और मूल्य यन्त्र के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएँ आती हैं। अतः अर्थव्यवस्था में मूल्य-यन्त्र द्वारा साधनों का आवंटन दोषपूर्ण माना जाता है और इसी कारण राज्य का हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कीमत प्रणाली (Price System) की मुख्य सीमाएँ इस प्रकार हैं —

1 आर्थिक असमानता—कीमत प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। थोड़ी आय वाले की अपेक्षा अधिक आय वाले का साधनों पर अधिक नियन्त्रण होता है इससे साधनों का अपनिर्देशन (Misdirection) होता है जैसे पूँजीवाद में आर्थिक साधनों का विलगितता की वस्तुओं पर दुष्प्रयोग होता है जबकि निर्धन व्यक्तियों की अनिवार्यता की उपेक्षा की जाती है।

2. अपूर्ण प्रतियोगिता ही व्यावहारिक जीवन में क्रियाशील रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना भ्रमात्मक है। वास्तविक जीवन में एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता ही रहती हैं अतः साधनों का आवंटन विवेकपूर्ण नहीं होने पाता।

3. जनोपयोगी सार्वजनिक सेवाओं व वस्तुओं में कीमत प्रणाली लागू नहीं होती—अस्पताल एवं चिकित्सा सुविधायें शिक्षा, सड़क एवं रोड परिवहन, पुलिस, न्याय, पार्क, कानून एवं व्यवस्था आदि ऐसी सार्वजनिक सेवाएँ हैं कि उनमें कीमत प्रणाली भ्रमात्मक है। कीमत प्रणाली तो सामान्यतः निजी वस्तुओं एवं सेवाओं पर ही क्रियाशील होती है।

4. आर्थिक स्वतन्त्रता एवं उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता के अभाव के कारण कीमत प्रणाली मिथ्या सिद्ध होती है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप से आर्थिक स्वतन्त्रता का अभाव है तथा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता भी साधनों के अभाव, असमानता एवं बाह्य प्रमाण के कारण कोरी कल्पना है।

5 साधनो मे गतिशीलता का अभाव भी कीमत प्रणाली की बड़ी सीमा है क्योंकि कीमत प्रणाली मांग एव सन्तुलन मे साधनो मे पूर्ण गतिशीलता मानकर चलती है जबकि व्यवहार मे साधनो मे पर्याप्त गतिशीलता का अभाव दृष्टिगोचर होता है ।

6 कीमत प्रणाली अर्थव्यवस्था मे व्यापार चक्रो को जन्म देती है । तेजी और मन्दी की स्थितिया आर्थिक साधनो के अपव्यय एव दुहूपयोग को जन्म देती हैं । आर्थिक मन्दी और युद्धोत्तरकालीन आर्थिक तेजी दोनो ही साधनो के आवंटन को दोषपूर्ण बना देती है ।

7 पूर्ण रोजगार की अवस्था कोरी कल्पना है । व्यवहार मे तो अनेक साधन अर्द्ध बेरोजगार एव बेकार होते है । अत स्वतन्त्र कीमत प्रणाली मे मानवीय भौतिक साधनो का पूर्ण एव उचित उपयोग नही हो पाता । कीमत प्रणाली शोषण को जन्म देती है ।

8 कीमत प्रणाली से अर्थव्यवस्था मे कोई आधारभूत परिवर्तन सम्भव नहीं होता । बडे पैमाने पर साधनो मे वाछित दिशा मे गतिशीलता लाने मे कीमत-प्रणाली बड़ी सुस्त एव क्रूर होती है । अर्द्ध एव विकासशील राष्ट्रो मे कीमत प्रणाली द्वारा साधनो का आवंटन तीव्र विकास के लिये वाछित दिशा मे सम्भव नही होता ।

9 भीमती धारबारा बूटन के अनुसार कीमत प्रणाली मे दो प्रकार के दोष हैं—(1) वे दोष जिनका निराकरण पूँजीवाद के समापन मे निहित है तथा (ii) वे दोष जिनका निराकरण पूँजीवाद मे कुछ सुधार करने मे सम्भव ही जाता है ।

इस प्रकार कीमत प्रणाली का साधन आवंटन म उसकी अनेक सीमाओ के कारण महत्व निरन्तर घटता जा रहा है । अब यह प्रणाली जीर्ण (Obsolete) हो गई है । अत आधुनिक युग मे कीमत प्रणाली के सम्बन्ध मे सशोधित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बड़ी है ।)

कीमत प्रणाली की आलोचनायें अथवा दोष

(Criticisms or Defects of Price Mechanism)

व्यावहारिक जीवन मे स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र प्रणाली के सफलतापूर्वक काम करने मे अनेक बाधाएँ उत्पन्न होने से उसमे अनेक दोषो का प्रादुर्भाव हुआ है । संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

1 सम्पन्नता के बीच गरीबी—कीमत प्रणाली मांग और पूर्ति के अनुसार साधनो का आवंटन उन व्यक्तियो के पक्ष मे करती है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा मुद्रा रूपी वोट हैं अत निर्धनो की अनिवार्यताओ की उपेक्षा की जाकर समृद्ध वर्ग की विसासिताओ को उत्पादन होता है । जहाँ एक ओर मुद्रा के अभाव मे गरीब

रोटी के लिये तरसते हैं वहा दूसरी ओर धनिकों की विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन होता है ।

2 कीमत प्रणाली आय वितरण के नैतिक पहलू को उपेक्षा करती है— उत्पादन करने में साधना का संगठन करते समय हमें साधन को सस्ते साधन से प्रतिस्थापित किया जाने की प्रबल इच्छा होती है अतः अग्न मशीनों व यन्त्रों से लाखों लोग बेकार होते हैं और उनकी रोटी रोखी छिन जाती है । कीमत प्रणाली इस नैतिक पहलू पर ध्यान नहीं देती ।

3 कीमत प्रणाली से आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि कीमत प्रणाली साधनों का हस्तान्तरण सम्पत्ति के स्वामित्व एवं उनकी कीमतों के आधार पर करती है । अतः निर्धनों को कम आय जबकि धनिकों को अधिक आय प्राप्त होने से आर्थिक विषमता बढ़ती है ।

4. कीमत प्रणाली अल्पकाल में मांग और पूर्ति में असन्तुलन को न्यायोचित ढंग से निपटाकर समृद्धों के पक्ष में कार्य करती है अतः मूल्य यन्त्र का यह दोष नैतिक दृष्टि से अनुपयुक्त है ।

5. विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों में तीव्र आर्थिक विकास के लिये स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र प्रणाली कारगर सिद्ध नहीं होती । यही कारण है कि समाजवादी राष्ट्रों में कृत्रिम मूल्य यन्त्र को बढ़ावा दिया गया है ।

6. अति उत्पादन (Over Production) तथा कम उत्पादन (Under Production) अथवा व्यापार चक्रों की स्थितियाँ स्वतन्त्र कीमत यन्त्र के कारण ही उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर देती हैं ।

7. अव्यावहारिक एवं मिथ्या धारणा है—कीमत प्रणाली अनेक मिथ्या एवं काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित है जबकि व्यवहार में तो पूर्ण रोजगार की व्यवस्था है, न पूर्ण प्रतियोगिता है, न आर्थिक स्वतन्त्रता व पूर्ण गतिशीलता दृष्टि-गोचर होती है । उपनोक्ता की सार्वभौमिकता भी कोरी कल्पना है । अतः कीमत प्रणाली अव्यावहारिक सिद्ध होती है और उसके कल्पित नाम स्वप्न बनकर रह जाते हैं । कीमत प्रणाली को सीमायें मी इसे अव्यावहारिक बना देती हैं ।

इन सब आलोचनाओं के कारण अब कीमत-प्रणाली विश्वसनीय नहीं रही है क्योंकि उसकी सफलता की शर्तें नूरी नहीं होती । इसीलिसे धीमती धारकरा बूटन का कहना है कि कीमत यन्त्र तभी विश्वसनीय हो सकता है जबकि पूर्णजीवादी आर्थिक संगठन को बदलकर राज्य हस्तक्षेप की वृद्धि की जाये । यद्यपि कीमत यन्त्र असत्य व्यक्तियों के पृथक् पृथक् निर्णयों में समन्वय स्थापित कर अर्थव्यवस्था का सञ्चालन करता है तथा बड़ी सीमा तक उपयुक्त आर्थिक निर्णयों के लिये आधार तैयार करता है फिर भी अनेक दोषों के कारण अब इसका महत्व कम होता जा रहा है । इसके दोषों के बावजूद भी समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र

कीमत प्रणाली का सहारा लेते हैं। पूँजीवादी का तो यह भाण ही है। समाजवादी राष्ट्रों में कीमत प्रणाली का प्रयोग हिताय-किताय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत सयन्त्र बहुत कुछ निर्णय का आधार प्रस्तुत करता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में केन्द्रीय सत्तायें अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों का सहारा लेती हैं। अतः स्पष्ट है कि समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में कीमत सयन्त्र कतिपय सुधारों के साथ अपनाये जाने की प्रवृत्तिया प्रबल होती जा रही हैं। अब कीमत सयन्त्र निर्बाध नहीं बरन् नियन्त्रित हैं, कृत्रिम हैं।

क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में श्रेष्ठ होता है ?

(Comparative Superiority in Allocation of Resources in Socialistic System over Capitalistic System)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन पूँजीवादी प्रणाली की प्रपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि—

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से प्रेरित होता है जिसका लक्ष्य "अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ" (Maximum Good of the Maximum Number) होता है जबकि पूँजीवाद में साधनों का आवंटन निजी लाभ की सकीर्ण मनोवृत्ति के अनुसार होता है।

2. समाजवाद में प्रयास एवं गलती के द्वारा भी सामान्य साम्य (General equilibrium) साह्यिकी तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है जबकि पूँजीवादी में केवल मात्र संयोग (Chance) पर निर्भर करता है।

3. समाजवाद में आय के समान वितरण के कारण साधनों का आवंटन सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप होता है जबकि पूँजीवाद में आय और धन के असमान वितरण से साधन किंचित धनिकों की आवश्यकता पूर्ण की शोर आकर्षित होते हैं।

4. समाजवाद में साधनों के उपयुक्त आवंटन से पूँजी निर्माण की गति तेज होती है तथा विनियोग सम्बन्धी निर्णय बहुत विवेकपूर्ण होते हैं जबकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली पूँजी निर्माण को हतोत्साहित भी कर सकती है।

5. समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के गलत आवंटन का गुणात्मक (Cumulative) प्रभाव नहीं पड़ता है।

6. समाजवादी अर्थव्यवस्था में वास्तविक लागत का नापना अधिक सरल रहता है जबकि पूँजीवादी उत्पादन की वास्तविक लागत को ठीक-ठीक मालूम करना कठिन होता है।

7. समाजवादी अर्थव्यवस्था में कृत्रिम मूल्य यन्त्र से साधनों का आवंटन वांछित दिशा में कर तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है जबकि पूँजीवाद में यह सम्भव नहीं होता है।

इन सब कारणों से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रपेक्षा समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।

उचित साधन आवंटन का महत्व

(Importance of Proper Allocation of Resources)

अगर साधनों का आवंटन उचित एवं उपयुक्त होता है तो उससे कई लाभ प्राप्त होते हैं और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होता है जैसा निम्न विवरण से स्पष्ट है —

(1) सर्वोत्तम उपयोग—साधनों के उपयुक्त आवंटन से देश के उपलब्ध सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव होता है ।

(2) प्राथमिकतानुसार प्रयोग—साधनों के उचित वितरण से बैकल्पिक प्रयोगों में प्राथमिकताओं के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है ।

(3) अधिकतम सन्तुष्टि—साधनों के उचित आवंटन से उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि अधिकतम की जा सकती है ।

(4) तीव्र आर्थिक विकास—साधनों के उपयुक्त आवंटन से देश में आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है । साधनों को उपभोग से उत्पादन कार्यों में मोड़कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

(5) उच्च पूँजी निर्माण दर—साधनों के उपयुक्त आवंटन से देश में पूँजी निर्माण की गति तेज की जा सकती है ।

(6) सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास—साधनों के उचित आवंटन से अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है । सभी क्षेत्रों में साधनों के समन्वित उपयोग से अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास सम्भव होता है ।

(7) वर्तमान एवं दीर्घकाल में सन्तुलन—साधनों का आवंटन उचित होने पर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी हेतु साधनों का सन्तुलन सम्भव होता है ।

(8) सन्तुलित औद्योगिक विकास—परस्पर पूरक, लघु एवं बड़े उद्योगों का सन्तुलित विकास होता है ।

साधनों के आवंटन में मूल उद्देश्य (Main Aims and Objectives in Allocation of Resources)—प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रहता है—(i) आर्थिक विपन्नताओं में कमी करना (ii) देश का सन्तुलित एवं तीव्र विकास करने में साधनों का आवंटन महत्वपूर्ण है । (iii) राष्ट्रीय उत्साह एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना (iv) भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार करना (v) आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा (vi) अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में तेजी लाना (vii) अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति करना आदि हैं ।

साधनों के आवंटन के आधार (Criterion of Allocation of Resources)—अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन में विभिन्न आधार माने जाते हैं जिनमें मुख्य अप्रतिबन्धित हैं—

1 सामाजिक सीमान्त उत्पादकता आधार—इसके अन्तर्गत साधनों की सीमान्त उत्पादकता अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक प्रयोग में बराबर करने की चेष्टा की जाती है, तभी अधिकतम सामाजिक लाभ सम्भव होता है।

2 रोजगार आपूर्ति आधार—देश में साधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है जिससे सब साधन पूरे नियोजित अवस्था में पहुँचने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे देश में रोजगार अवसरों की वृद्धि होगी।

3 भाग मापदण्ड—अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में माँग के अनुरूप साधनों का आवंटन किया जाये ताकि सब क्षेत्रों में भाग की यथा सम्भव पूर्ति हो सके।

4. सीमान्त प्रतिव्यक्ति पुनर्विनियोग आधार—जिसमें साधनों का आवंटन उसके पुनर्विनियोग आधार को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि पुनर्विनियोग वांछित गति से होता रहे।

5 प्राथमिक क्षेत्र आधार—इस आधार में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रमुख, गौण एवं सहायक क्षेत्र में विभाजित किया जाना है तथा साधनों के आवंटन में प्राथमिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यदि में साधनों का आवंटन गौण क्षेत्रों तथा सहायक क्षेत्रों में उपयोगिता क्रम में किया जाता है।

6 विकासशील बिन्दु आधार—इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों पर साधनों का आवंटन अधिक किया जाता है जो विकसित हो रहे हैं तथा विकसित क्षेत्रों पर साधनों का आवंटन कम किया जाता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1 उत्पादन व उपभोग के क्षेत्र में चयन और साधन आवंटन की समस्या का वर्णन कीजिये। इस आवंटन में मूल्य प्रणाली क्या योग देती है ?

(1 yr T D C Collegiate, 1977, 1978)

अथवा

उपभोग तथा उत्पादन के क्षेत्र में चुनाव एवं आवंटन की समस्याओं का विवेचन कीजिए और आवंटन में कीमत-प्रणाली का योगदान समझाइये।

(1 yr T D C 1976, 1979, 1980)

(हकेत—उत्तर के प्रथम भाग में अर्थव्यवस्थाओं की अलग-अलग और साधनों की सीमितता एवं वैकल्पिक प्रयोगों के सन्दर्भ में चयन एवं निष्पत्ति की समस्या बताना है। दूसरे भाग में मूल्य प्रणाली के द्वारा उत्पादन एवं उपभोग, उत्पादन के क्षेत्र में साधन आवंटन, उपभोग में चयन के नियमों के अन्तर्गत बंटाव की सहायता से वर्णन देना है। अर्थात् में (A), (B), (C) के अन्तर्गत प्रश्नों की विषय सामग्री देना है।)

2. कीमत प्रणाली कहा तक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन में उपयुक्त होती है ? इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिये ।

(संकेत—साधनों के आवंटन में मूल्य की भूमिका, उसकी सफलता की शर्तें एवं उसके मार्ग में बाधाएँ बताइये ।)

3. विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में साधनों के आवंटन का महत्व तथा उनकी विधि का उल्लेख कीजिये ।

(संकेत—पूँजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की पद्धति का उल्लेख कीजिये तथा महत्व को बताइये ।)

4. एक अर्थव्यवस्था के आधारभूत कार्य कौन-कौन से हैं ? एक स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है ?

(I yr. T D C Arts, 1976, 1979)

(संकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था का अर्थ बताकर उसके 6 कार्य (अं. समस्याएँ) बताने हैं और दूसरे भाग में इन समस्याओं के समाधान में मूल्य यन्त्र की भूमिका से समाधान समझाना है ।)

5. समझाइये कि साधनों का आवंटन कीमत प्रणाली द्वारा किस प्रकार होता है और उनके द्वारा साधन आवंटन में क्या दोष होते हैं ?

(I yr. T.D.C. 1973, 1974)

(संकेत—पहले भाग में उत्पादन तथा उपभोग में साधनों के आवंटन में अत्यन्त आवश्यकताओं, साधनों की सीमितता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के कारण चयन तथा निर्णय की समस्याएँ हैं फिर व्याख्या गणितीय सूत्रों तथा रेखाचित्रों द्वारा मूल्यों के सन्दर्भ में समझाइये । संक्षेप में दोष भी बताइये ।)

6. उत्पादन के क्षेत्र में चुनाव एवं आवंटन की समस्याओं का विवेचन करें और इस सम्बन्ध में कीमत प्रणाली का योगदान समझाइये ।

(I yr. T.D.C. (Non-Collegiate), 1976)

(संकेत—प्रथम भाग में पुस्तक के अध्याय 2 के भाग (B) के अन्तर्गत दो गई विषय सामग्री उत्पादन के साधनों के आवंटन या नियोजन की समस्या सूत्र व चित्र द्वारा समझाना है और दूसरे भाग में मूल्य यन्त्र की भूमिका बतानी है ।)

7. मूल्य-यन्त्र से आप क्या समझते हैं ? एक स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में मूल्य प्रणाली की कार्य-विधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये ।

(संकेत—प्रथम भाग में मूल्य-यन्त्र का अतिप्राप्य बताना है तथा दूसरे भाग में पूँजीवाद में मूल्य-यन्त्र की भूमिका मय कठिनाइयाँ बताना है ।)

उत्पादन प्रक्रिया

(The Productive Process)

मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए उत्पादन, उपभोग और पुनरुत्पादन का क्रम निरन्तर अबाध रूप से चलता रहता है। उपभोग क्रम में निरन्तरता के कारण उत्पादन क्रम में भी निरन्तर चलते रहने की प्रवृत्ति होती है। हम अनुभव करते हैं कि आवश्यकता के कारण वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, फिर उनका उपभोग होता है और फिर नयी आवश्यकता उत्पन्न होने से उनकी सन्तुष्टि हेतु पुनरुत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादन की प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के साथ ही पुनरुत्पादन प्रक्रिया का क्रम भी निरन्तर चलता रहता है। चिरस्थायी वस्तुओं की पुनरुत्पादन गति कम और दैनिक उपभोग वस्तुओं की पुनरुत्पादन गति तीव्र होती है। अतः वस्तुओं के उत्पादन के निरन्तर चलते रहने के क्रम को उत्पादन प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया को समझने के लिए पहले उत्पादन का अर्थ समझ लेना आवश्यक है।

उत्पादन का अर्थ (Meaning of Production)

साधारण बोलचाल में उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु के निर्माण वा मृजन से लगाया जाता है जैसे बर्तन बनाना, मकान बनाना, वस्त्र बनाना आदि। जबकि अर्थशास्त्र में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति को उत्पादन की श्रेणी में नहीं रखा जाता जैसे नर्तकी, व्यापारी, अध्यापक, गायक आदि की सेवाओं को उत्पादन नहीं कहा जाता।

एडम स्मिथ तथा प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी उत्पादन का एक संकुचित अर्थ लगाया है। उनके अनुसार भौतिक वस्तुओं का निर्माण (Creation of Material Goods) ही उत्पादन है। इसी कारण एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पादक श्रम (Productive Labour) और अनुत्पादक श्रम (Unproductive Labour) में विभाजित किया है। उसने उत्पादक श्रम में केवल उन्हीं व्यक्तियों के श्रम का समावेश किया जो भौतिक वस्तुओं का मृजन करते हैं जैसे जुलाहा, बढ़ई, रसोइया, कारीगर आदि का श्रम, जबकि व्यापारी, डॉक्टर, वकील, नर्तकी, गायक, मन्त्री

एव प्रशासक आदि की सेवाओं को जो अर्थोत्पत्तिक प्रवृत्ति के हैं उन्हें प्रतुत्पादक धर्म बताया ।

विज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य न तो कोई पदार्थ (Matter) बना सकता है और न नष्ट ही कर सकता है । अतः इस परिप्रेक्ष्य में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना (Creation of Utility) है । इसी कारण प्रो. पेन्जन के अनुसार "उत्पादन का अर्थ किसी पदार्थ का निर्माण करना नहीं बरन् वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की योग्यता, क्षमता या गुण में वृद्धि करना है ।" प्रो. फयरचाइल्ड के मतानुसार 'सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है ।' उपयोगिता सृजन के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, समय परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन तथा या ज्ञान वृद्धि आदि ।

आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के अन्तर्गत उन सब मानवीय क्रियाओं का समावेश करते हैं जिनके फलस्वरूप किसी अन्य उपयोगिता की आवश्यकता की तुष्टि हो । आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन या उपयोगिता की वृद्धि नहीं है बरन् मूल्यों का सृजन या आर्थिक उपयोगिता सृजन करना है । इसका प्रतिपादक है कि उपयोगिता का सृजन ही पर्याप्त नहीं, साथ साथ विनिमय मूल्य का होना भी आवश्यक है । यही कारण है कि प्रो. हिक्स के मतानुसार कोई ऐसा कार्य जो विनिमय द्वारा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की तुष्टि करता है उत्पादक क्रिया कहलाती है । आधुनिक विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और अर्थोत्पत्तिक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सब उत्पादन के अन्तर्गत आते हैं । नर्सकी और डॉक्टर की अर्थोत्पत्तिक सेवाएँ भी इन्जीनियर या वस्तु निर्माता के समान ही उत्पादन कही जाती हैं, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयोगिता सृजन की वे क्रियाएँ जिनका मुद्रा रूपी मापदण्ड से विनिमय मूल्य नहीं दिया जाता उन्हें उत्पादन की श्रेणी में नहीं गिना जाता जैसे पत्नी की सेवाएँ, देश प्रेम, परोपकार और पारिवारिक स्नेह से किये गये कार्य तथा निजी उपयोग की वस्तुएँ । अतः वे कार्य जो प्रतिफल के बदले में किये जाते हैं उत्पादन का भाग समझे जाते हैं अन्यथा नहीं । पत्नी द्वारा खाना बनाना का कार्य उत्पादन कार्य नहीं है पर नौकरानी के रूप में खाना बनाना उत्पादन कार्य है । राष्ट्रीय मापक मापन में यही दृष्टिकोण प्रयुक्त किया जाता है ।

उत्पादन प्रक्रिया (Production Process)

समाज में वस्तुओं के उत्पादन के निरन्तर चलते रहने के क्रम को ही उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है अर्थात् एक गतिशील प्रयत्नधर्मिता में उत्पादन और पुनःउत्पादन की निरन्तरता के क्रम को उत्पादन प्रक्रिया की सजा दी जाती है । हम अपने जीवन में देखते हैं कि किसान खेत में हल चलाता है, फल बोता है, पानी देता है फसल पैदा होने पर काटता है और फिर कुछ भाग अपने पास उपयोग

एक चीज के लिए रख कर बाकी को बेच देता है जो पुन उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों एवं विक्रेताओं को बेची जाती है। किसान, व्यापारी, उपभोक्ता एवं उत्पादकों का क्रम निरन्तर चलता रहता है। वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपभोग होता है और फिर पुन उत्पादन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इस समस्त शृंखलाबद्ध उत्पादन क्रम को उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है।

उत्पादन प्रक्रिया का शृंखलाबद्ध रूप

(Chain Character of Productive Process)

एक क्रियाशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न अंग एक दूसरे से इस प्रकार शृंखलाबद्ध होते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी भाग में रुकावट समस्त प्रक्रिया को अस्तव्यस्त कर देती है। जिस प्रकार शृंखला की किसी भी कड़ी के टूटने से वह प्रयोग-हीन हो जाती है ठीक उसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी अंग में असहयोग, रुकावट या त्रुटि होने पर उत्पादन प्रक्रिया ठीक प्रकार से चल नहीं सकती। उदाहरण के लिए वस्त्र उत्पादन को लीजिए। इसके उत्पादन में मोड़ी-दर-सीड़ी अनेक अवस्थाएँ हैं, सर्वप्रथम कृषान कपास उत्पादन करता है मालबाहक कपास को रुई एवं घागा बनाने वाले कारखानों में देता है, घागा बनाने पर उसे कपडा मिल में बुनने के लिये दिया जाता है। कपडा मिल कपडा बनाती है, फिर उसकी रगई छपाई अथवा धुलाई होती है। फिर थोक एवं परचून व्यापारियों को दी जाती है जो उसे उपभोक्ताओं या उत्पादकों को बेचते हैं। कुछ कपडा उत्पादन कार्यों जैसे रेडीमेड कपडों के बनाने, टेन्ट बनाने, जिल्द बनाने आदि में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार कपडा बनाने में अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और ये अवस्थाएँ परस्पर घनिष्ठ रूप से शृंखलाबद्ध हैं। इन अवस्थाओं में किसी भी स्थान पर बाधा से उत्पादन-प्रक्रिया का क्रम टूट जायेगा। कल्पना करो कि घागा बनाने वाले हडताल कर दे तो मिल वालों, रगई, छपाई, धुलाई व विक्रय करने वालों के पास कार्य नहीं रहेगा। उत्पादन-प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में जहाँ भी एक अंग शृंखला टूट जाती है उस टूटने वाली कड़ी के बाद वाली सभी अवस्थाओं में उत्पादन कार्य ठप्प हो जाता है। यही नहीं, पहली वाली अवस्थाओं में भी कठिनाई आ जाती है। यह तो उत्पादन प्रक्रिया का बहुत ही सरल उदाहरण है। वास्तविक जीवन में उत्पादन-प्रक्रिया तो और भी जटिल है।

एक क्रियाशील अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण उत्पादन-प्रक्रिया के चार प्रमुख अंग हैं (i) कृषि, (ii) निर्माणकारी उद्योग (iii) परिवहन उद्योग तथा (iv) सेवा उद्योग। कृषि से अन्न एवं वच्चा माल उत्पन्न होता है। निर्माणकारी उद्योग उन्हें उपभोग्य एवं उत्पादक वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं। परिवहन के साधनों द्वारा वच्चा माल निर्माता कारखानों में पहुँचाया जाता है और माल कारखानों से उपभोग एवं उत्पादन केन्द्रों पर पहुँचाया जाता है। व्यापारी प्रादि अपनी सेवाओं से इन वस्तुओं में स्थान, समय, विज्ञापन आदि उपयोगिता का निर्माण करते हैं। अन्तर

ये चारो अंग निरन्तर ठीक प्रकार से काम करते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया निविघ्न रूप से चलती रहती है और उत्पादन के विभिन्न अंगों के परस्पर पूरक सहयोग में अभाव या त्रुटि उत्पन्न होने पर उत्पादन प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। उदाहरण के तौर पर परिवहन क्षेत्र में हड़ताल होने की स्थिति में न तो कारखानों में कच्चा माल ही पहुँच पायगा और न कारखानों में निर्मित माल उपभोग-केन्द्रों तक पहुँच पायगा। इससे उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की सारी व्यवस्था ही ठप्प होने का भय उत्पन्न होगा।

उत्पादन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न अंग परस्पर पूरक एवं शृंखलाबद्ध हैं। विभिन्न अंगों में परस्पर पूरक रूप में निविघ्न सहयोग से ही उत्पादन कार्य निरन्तर रूप से चल सकता है अन्यथा नहीं। यही कारण है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन-प्रक्रिया के विभिन्न अंगों में निविघ्न सहयोग बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

उत्पादन प्रक्रिया की प्रणाली

(The working of the Productive Process)

उत्पादन प्रक्रिया के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाज में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति होती रहती है और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह अविरल रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार किसी नदी में जल-प्रवाह की क्षमता नदी में किसी समय विशेष में उपलब्ध पानी की मात्रा और पानी की गति पर निर्भर करती है ठीक उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन-प्रक्रिया भी किसी समय विशेष पर समाज की कुल सम्पत्ति की मात्रा और सम्पत्ति के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की दर पर निर्भर करती है। सम्पत्ति से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर उपलब्ध लाभदायक वस्तुओं और गुणों के सग्रह से है। इसके अन्तर्गत (i) अचल पूँजी (Fixed Capital) (ii) माल तालिकाएँ (Inventories), (iii) प्राकृतिक ससाधन (Natural Resources), तथा (iv) श्रम शक्ति (Labour Power) आदि का समावेश होता है। वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की दर में आय (Income) की अभिव्यक्ति होती है।

उत्पादन प्रक्रिया के दो प्रमुख घटक सम्पत्ति (Wealth) और आय (Income) हैं। सम्पत्ति किसी समाज में किसी समय विशेष पर उपलब्ध लाभदायक वस्तुओं व गुणों के सग्रह का सूचक है जबकि आय किसी समयवाचि में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की गति को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति अर्थव्यवस्था का शुद्ध मूल्य आकषी है जबकि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की क्षमता बताती है। सम्पत्ति का सम्बन्ध समय बिन्दु (Point of Time) से है जबकि आय का सम्बन्ध समय-वधि (Period of Time) से है।

उत्पादन प्रक्रिया की कार्य-प्रणाली की सरलता से समझने के लिए हमें किसी विशेष तिथि को समाज के साधनों की सूची बढ़ करना पड़ता है। कल्पना करो कि वर्ष 1971 के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था के पास प्राकृतिक साधनों, मानवीय साधनों और पूँजीगत साधनों की एक निश्चित मात्रा है। पूँजीगत साधनों में अचल-पूँजी (Fixed Capital) जैसे मशीनों, उपकरण, यन्त्र आदि के अतिरिक्त उत्पादन माल (Producer Goods) तथा उपभोक्ता माल (Consumer Goods) की अर्थनिर्मित माल आदि की माल-तालिकाएँ (Inventories) हैं। 1971 के प्रारम्भिक वस्तु सग्रह (Initial Stock of Commodities) जिसमें (i) अचल पूँजी-मशीनों, यन्त्र, उपकरण आदि, (ii) माल-तालिकाएँ (Inventories) निर्मित एवं अर्द्ध निर्मित पूँजीगत तथा उपभोग वस्तुएँ तथा प्राकृतिक साधन हैं। इनके साथ धर्म लगाने से 1971 में उत्पादन कार्य शुरू होता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में ज्यो-ज्या समय गुजरता है और उत्पादन के पहिये, (Wheels of Production) घूमते हैं माल-तालिकाओं का प्रयोग अर्द्ध उपभोक्ताओं और अर्द्ध उत्पादकों द्वारा होता है। बोक व्यापारियों व फुटकर व्यापारियों के पास पड़े उपभोक्ता माल सग्रह को उपभोक्ता खरीदकर उपभोग कर जाते हैं। पूँजीगत माल सग्रह से नयी नयी उपभोग वस्तुएँ निर्मित होती हैं। दुकानदार निर्माताओं से उपभोग वस्तुएँ खरीदकर सग्रह करते हैं। उसी समय साथ-साथ उत्पादक वस्तुओं के प्रयोगकर्ता नई वस्तुएँ व पूँजीगत माल बनाते हैं और इस निरन्तर प्रक्रिया में वर्ष में बड़ी मात्रा में उपभोक्ता माल बनाया एवं उपभोग किया जाता है। कुछ उपभोक्ता माल स्टॉक में रह जाता है इसी प्रकार उत्पादक माल भी उत्पादित किया जाता है। उत्पादक माल तथा उपभोक्ता माल के प्रारम्भिक स्टॉक तथा वर्ष के अन्त में इनके स्टॉक की वृद्धि "विशुद्ध विनियोग" (Net Investment) को व्यक्त करती है। उत्पादक माल के स्टॉक में वृद्धि अचल पूँजी का निर्माण करती है पर हम विशुद्ध उत्पादन वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करने के लिए उन पर समयावधि में घिसावट को कम कर देना चाहिए।

उत्पादन प्रक्रिया को संक्षेप में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि वर्ष के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था के पास अचल पूँजी, माल तालिकाओं (निर्मित एवं अर्द्ध निर्मित उपभोग एवं उत्पादक माल) तथा प्राकृतिक साधनों का प्रारम्भिक सग्रह (Initial Stock) है और धर्म को कार्य में प्रयुक्त करने से उत्पादन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है परिरणाम स्वरूप इनसे उत्पादित वस्तुओं का एक स्रोत बनता है। कुछ उत्पादक वस्तुएँ, कुछ अतिरिक्त उपभोग वस्तुएँ, और कुछ अर्द्धनिर्मित एवं निर्मित उपभोग वस्तुएँ होती हैं। उत्पादक वस्तुओं का कुछ भाग तो चालू वर्ष में ही उत्पादन में प्रयुक्त हो जाता है या अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टॉक में जुड़ जाता है। इसी प्रकार कुछ उपभोग वस्तुओं का उपभोग हो जाता है तथा बाकी अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टॉक में जुड़ जाता है। वर्ष के अन्त में स्टॉक में से अचल पूँजी के प्रयोग से होने

वाली घिसावट (Depreciation) को वाकी निकाल दिया जाता है। उत्पादन-प्रक्रिया को अग्रवर्ति चित्र 1 से स्पष्ट किया जा सकता है।

उपर्युक्त उत्पादन प्रक्रिया अध्ययन में सेवाओं का समावेश नहीं है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि धर्म केवल भौतिक वस्तुओं का निर्माण ही नहीं करता अपितु मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाएँ भी उपलब्ध करता है। इन

वस्तु उत्पादन प्रक्रिया का चित्र द्वारा निरूपण

उत्पादन के साधन 1971 में आरम्भिक वस्तु संग्रह
(FACTORS OF PRODUCTION) (INITIAL STOCK OF COMMODITIES IN 1971)

श्रम (LABOUR)	अचल पूँजी (FIXED CAPITAL) (मशीनें यंत्र उपकरण आदि)
	माल तालिकाएँ (INVENTORIES) कच्चा एवं अर्ध-निर्मित माल आदि
	प्रकृतिक साधन (NATURAL भूमि वन खनिज आदि RESOURCES)

नया वस्तु संग्रह
(NEW COMMODITY STOCK)

अथवा

1972 में आरम्भिक वस्तु संग्रह
(INITIAL COMMODITY STOCK IN 1972)

उत्पादक वस्तुएँ (PRODUCER GOODS) मशीनें यंत्र उपकरण आदि
दूरि स्थाई उपभोग वस्तुएँ (DURABLE CONSUMERS GOODS) साइकिल, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि
निर्मित या अर्ध-निर्मित उपभोग वस्तुएँ (FINISHED & SEMI-FINISHED CONSUMER GOODS)
घिसावट (DEPRECIATION)


चित्र 1

सेवाओं को अमौलिक उपभोक्ता वस्तुएँ (Non Material Consumer Goods) की श्रेणी दी जाती है। धर्म को इन अमौलिक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करने में मशीनें, यंत्रों या भौतिक वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है जिसके कारण समाज में घिसावट अथवा मूल्य ह्रास (Depreciation) का अर्थ बढ़ जाता है।

समाज में किसी समय विशेष पर उपलब्ध वस्तु संग्रह को पूँजी कहा जाता है जैसे चित्र 1 के 1971 में आरम्भिक वस्तु संग्रह (Initial Stock of Commo

dities) पूंजी है तथा इस पूंजी में शुद्ध मूल्य वृद्धि (Net Value Added) को विनियोग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में 1971 के आरम्भिक वस्तु सग्रह और 1972 के आरम्भिक वस्तु सग्रह के बीच अन्तरविनियोग (Investment) की मात्रा बताता है। अगर समाज में विनियोग घनात्मक (Positive) है तो अर्थव्यवस्था को विकासशील या विकासी अर्थ व्यवस्था (Growing Economy) कहा जाता है। विनियोग शून्य होने पर अर्थव्यवस्था को स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था (Station-

पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया का चित्रोप निरूपण
(Diagram of Complete Productive Process)



चित्र 2

ary Economy) तथा विनियोग ऋणात्मक होने पर अर्थव्यवस्था को अपक्षयी या अपनियोजी अर्थव्यवस्था (Declining or Disinvesting Economy) कहते हैं।

आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया को मुख्य विशेषतायें (तत्त्व)
(Essential Features of Modern Productive Process)

उत्पादन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उत्पादन प्रक्रिया उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के पारस्परिक सहयोग तथा उत्पादन के क्षेत्र में रत साधनों के सामूहिक प्रयत्नों से निरन्तर चलती रहती है। मुद्रा विनिमय को सुगम बना कर उत्पादन प्रक्रिया को विस्तृत कर देती है। इस प्रकार आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में निम्न मूलभूत विशेषतायें (तत्त्व) होती हैं—

(1) आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रतिकूल है, उत्पादक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन करते हैं तथा उपभोक्ता अपने मुद्रा रूपी वोट द्वारा उत्पादकों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करने को प्रेरित करते हैं। अगर दोनों में परस्पर सम्बन्ध नहीं रहा तो उत्पादन प्रक्रिया में निरन्तरता सम्भव नहीं होगी।

(ii) विशिष्टीकरण (Specialisation)—यह आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया का दूसरा आधारभूत तत्व है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति में प्रातरिक एवं बाह्य बचतों का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन विशिष्टीकरण अपनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को शुरू से अन्त तक नहीं बनाता बरन वस्तु के केवल उस भाग को पूरा करता है जिसमें वह सर्वाधिक कुशल होता है अथवा प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्ही कार्यों को करता है जिसमें वह कुशल है। अतः श्रम-विभाजन आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सामूहिक प्रयत्न है—आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूँजी, प्राकृतिक साधन आदि सभी मिलकर अपने सामूहिक प्रयत्नों से आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं का उत्पादन करते हैं।

(iv) उत्पादन प्रक्रिया में निरन्तरता (Continuity) चलती रहती है—आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया एक अक्षलावद्ध स्वरूप में निरन्तर क्रियाशील रहती है। श्रम, पूँजी, प्राकृतिक साधनों तथा प्रारम्भिक साज-सामान से उत्पादन प्रारम्भ होता है। ये सभी साधन मिलकर पूँजीगत माल, उपभोक्ता माल तालिकाओं (Inventories)के अतिरिक्त अभौतिक उपभोग सेवाओं का उत्पादन करते हैं। समाज में आवश्यकताओं को बार-बार सतुष्ट करने की प्रवृत्ति, मल्य ह्रास या घिसावट, नये आविष्कारों, नये उत्पादनों के कारण उत्पादन में निरन्तरता बनी रहती है।

(v) उत्पादक एवं उपभोक्ता पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं होते—प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी उत्पादन कार्य में सलग्न होकर भाग्य उपार्जित करता है और साथ ही साथ वह अपनी भाग्य स वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। यह बात अलग है कि वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करे या न करे।

(vi) आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया विनियम की व्यापक प्रणाली पर आधारित है क्योंकि आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं विशिष्टीकरण में उपर दित वस्तुओं एवं सेवाएँ उपभोक्ता के पास विनियम प्रक्रिया द्वारा ही पहुँचती हैं। विनियम के अभाव में आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया ठप हो जायेगी।

(vii) आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा का प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है—विनियम की व्यापक प्रणाली का आधार मुद्रा का प्रयोग है। वस्तु विनियम प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव, सामान्य मल्य मापक की अनुपस्थिति सचय की असुविधा आदि के कारण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से इन कठिनाइयों का समापन होने से विनियम की व्यापक प्रणाली देश की सीमाओं में ही सीमित न रहकर बढकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई है। आधुनिक युग में विनियम एवं वितरण उत्पादन तथा उपभोग सभी में मुद्रा का व्यापक प्रयोग होता

है घन: यह कहने में कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा अनिवार्य घटक है।

उत्पादन प्रक्रिया क्यों चलती है ?

अथवा

उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों ?

(Necessity of Productive Process)

उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है कि उत्पादन प्रक्रिया क्यों चलती है ? इसके क्या कारण हैं ? इसके उत्तर में हम उत्पादन प्रक्रिया चलने के निम्न कारण दे सकते हैं—

(1) कुछ आवश्यकताओं को बार-बार सन्तुष्ट करने के लिए उत्पादन का क्रम भी निरन्तर चलते रहना आवश्यक है। हमारे दैनिक उपभोग की अनेक वस्तुओं जैसे खाना, ईंधन, बिजली आदि की बार-बार आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन निरन्तर करना पड़ता है।

(2) घिरसाई उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी कुछ समयावधि के बाद फिर मांग होती है उनके पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन क्रम में निरन्तरता जरूरी है जैसे साईकिल, रेफरीजरेटर, पखा, रेडियो आदि।

(3) हर बार नया कच्चा माल—किसी उद्योग में कोई कच्चा माल एक ही बार उपयोग होता है और फिर पुनः कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अतः कच्चे माल की निरन्तर पूर्ति के लिए उनके उत्पादन क्रम में भी निरन्तरता चलती है।

(4) घिसावट या मूल्यहास (Depreciation)—उत्पादन करने में मशीनों, उपकरणों आदि के निरन्तर उपयोग से उनमें घिसावट होती है और वे कुछ समय बाद प्रयोगहीन हो जाती हैं। अतः उनके स्थान पर नयी मशीनों का प्रतिस्थापन करने के लिए उत्पादन क्रम में निरन्तरता चलती है।

(5) नये आविष्कारों से भी उत्पादन क्रम में निरन्तरता को जन्म मिलता है क्योंकि नयी मशीनों का प्रयोग उनके उत्पादन क्रम को चालू रखता है।

यह उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं अल्पम या दैनिक उपयोग की होती हैं उनमें पुनरुत्पादन तीव्र गति से होता है जबकि घिरसायी वस्तुओं के पुनरुत्पादन में गति धीमी होती है।

उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमकर्ता की भूमिका अथवा महत्व
(The role or Importance of Entrepreneur in Productive Process)

आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया बड़ी जटिल और घुमावदार है और प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में चाहे वह छोटी हो या बड़ी, साहसी एवं उद्यमकर्ता के अभाव में

प्रारम्भ नहीं की जा सकती। उद्यमकर्ता जब जोखिम उठाता है तभी उत्पादन प्रक्रिया प्रारम्भ ही मकनी है अन्यथा नहीं।

उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन तकनीकी सुधार उत्पादन का आकार एवं प्रकाश सब उद्यमकर्ता के निष्कर्षों पर निर्भर करते हैं। उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर उद्यमकर्ता देश को आर्थिक विकास एवं समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करता है वह देश के अर्थव्यवस्था एवं अग्रगण्य साधनों के विकास प्रयोग एवं विदोहन की सम्भावनाओं का परीक्षण कर उनके विदोहन की भूमिका प्रदान करता है।

यद्यपि साहसी का कार्य मुख्य रूप से जोखिम उठाना (Risk taking) ही है किन्तु वह उत्पादन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक एवं नीति सम्बन्धी निष्कर्ष लेता है और वितरण सम्बन्धी कार्य भी करता है जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है —

उत्पादन प्रक्रिया में साहसी की भूमिका तथा कार्य

↓ (A)	↓ (B)	↓ (C)
जोखिम उठाने का कार्य	प्रशासनिक एवं निष्कर्षात्मक कार्य	वितरण सम्बन्धी कार्य

(A) जोखिम उठाने का कार्य (Risk Taking Functions)—आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया भविष्य की भाग पर निर्भर करती है। उत्पादन की भाग व उत्पादन पद्धतियाँ म निरन्तर परिवर्तन होता है इससे अनिश्चिन्ता बढ़ती है और उद्यमकर्ता जोखिम उठाकर उत्पादन प्रक्रिया को प्रारम्भ ही नहीं करता वरन् उसे चालू रखता है और समय पर परिवर्तन करता है। आधुनिक युग में बीमा-कम्पनियाँ उनकी जोखिम में हिस्सा बढ़ा उन्हें अधिक जोखिम पूरा कर्यों में भी प्रेरित करती हैं जिससे उत्पादन के नये क्षेत्र, विधियों और प्रयोगों का विकास होता है और उत्पादन का आकार, प्रकार एवं प्रयोग बदलते हैं।

(B) प्रशासनिक एवं निष्कर्षात्मक कार्य (Administrative & Decision Making Functions)—इसके अन्तर्गत साहसी निष्कर्ष करता है कि (i) क्या उत्पादन किया जाय ? (ii) कितना उत्पादन किया जाय (iii) कौनसा उत्पादन किया जाय ? (iv) उद्योग कहाँ स्थापित हो ? (v) उत्पादन इकाई का आकार छोटा हो या बड़ा आदि।

(C) वितरण सम्बन्धी कार्य (Distributive Functions)—इसके अन्तर्गत उद्यमी निष्कर्ष करता है कि सामूहिक उत्पादन का कितना भाग किस साधन का दिया जाय तथा उत्पादन में से कितना भाग घिसावट के लिये रखा जाय और कितना सामाजिक में वितरित हो। अर्थनिमित्त माल का स्टॉक व नियन्त्रण कैसे रखा जाय आदि निष्कर्ष नियत जाते हैं। स्पष्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया में साहसी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन का महत्व (Significance of the Study of the Productive Process)

उत्पादन-प्रक्रिया अध्ययन हमारे लिये विशेष महत्व का है क्योंकि इसका अध्ययन हमें निम्न आर्थिक संकेत देता है

1. अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का सूचक—उत्पादन प्रक्रिया द्वारा हम समाज में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का भौतिक रूप में ज्ञान प्रस्तुत करने हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा रूरी सामान्य मापदण्ड द्वारा होता है।

2. विभिन्न उत्पादन साधनों के प्रयोग का सूचक—उत्पादन प्रक्रिया से यह पता लगता है कि देश में उपलब्ध उत्पादन साधनों का प्रयोग कितना-कितना किन्-किन क्षेत्रों में हो रहा है अगर अधिक उत्पादन साधन पूंजी निर्माण में लगे हैं तो भावी विकास की गति प्रबल है जबकि विपरीत अवस्था में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की प्रधानता का पता लगता है।

3. दिशानिर्देश—उत्पादन-प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश मिलता है। अगर अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग शून्य है तो हम यह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था स्थिर है, अगर निवेश ऋणात्मक (Negative) हैं तो पता लगता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट का खतरा है पर धनात्मक निवेश अर्थव्यवस्था विकास के द्योतक हैं।

4. नीति निर्धारण में उपयोगी—उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन आर्थिक नीति निर्धारण में भी मार्गदर्शन करता है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक शक्तियों में परस्पर सहयोग एवं समन्वय की नीति से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

5. राष्ट्रीय आय के अध्ययन का स्रोत—उत्पादन-प्रक्रिया में किसी देश में किसी समय विशेष में पूंजी मूल्य तथा समयावधि के कुल पूंजी मूल्य के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया अध्ययन से राष्ट्रीय आय के अध्ययन का स्रोत प्राप्त होता है।

6. उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन में राष्ट्रीय सम्पत्ति द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के शुद्ध मूल्य को मापा जा सकता है।

इस प्रकार उत्पादन-प्रक्रिया का अध्ययन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों में उपयोगी है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइये।

धन्यवाद

उत्पादन प्रक्रिया के स्वरूप की बाल्यनिक तालिका की सहायता से व्याख्या कीजिए।

धन्यवाद

उत्पादन प्रक्रिया की शृंखलाबद्ध कार्यविधि का उल्लेख कर उसके महत्व को समझाइये।

संकेत—(पहले अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, फिर दूसरे भाग में उनका शृंखलाबद्ध रूप का उदाहरण देकर समझाइये, तीसरे भाग में कार्यविधि का वर्णन एवं चित्रों द्वारा समझाकर, चौथे भाग में महत्व बतलाइये। समय का ध्यान रखते हुए उत्तर को मसिफ्त बनाइये।

2. उत्पादन प्रक्रिया का क्या अर्थ है ? इस प्रक्रिया में उद्यमकर्ता का क्या भाग होता है। समझाइये। (पूरक परीक्षा प्रथम वर्ष कला 1973)

संकेत—(प्रश्न के प्रथम भाग में उत्पादन प्रक्रिया का अर्थ उसका शृंखलाबद्ध रूप में चित्रों द्वारा समझाना है तथा द्वितीय भाग में उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमकर्ता की भूमिका पुस्तक में शीर्षकानुसार दिवरण से समझाना है।)

3. आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन में इसके महत्व को समझाइये।

(प्रथम वर्ष कला 1976, 1979)

संकेत—(उत्तर पहले प्रश्न के संकेत के अनुसार होना चाहिए।)

उत्पादन तथा उत्पादन के साधन

(Production & Production Inputs)

अर्थशास्त्र में उत्पादन का घड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश की भौतिक प्रगति देश में उत्पादन की मात्रा, स्वरूप और वृद्धि पर निर्भर करती है। देश की राष्ट्रीय आय, उपभोग, वचत, विनियोग रोजगार आदि का आधार उत्पादन ही है। जिन देशों का उत्पादन स्तर नीचा है वे दरिद्र हैं और ऊँचे उत्पादन-स्तर वाले राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और समृद्ध हैं अतः उत्पादन का महत्व स्पष्ट होता है।

✓ उत्पादन का अर्थ (Meaning of Production)

साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी नई वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री भी उत्पादन का इसी प्रकार समीप अर्थ लगाते थे। उनके अनुसार "भौतिक वस्तुओं का सृजन" (Creation of Material Goods) ही उत्पादन था जैसे मकान, कपड़ा, रेडियो, पंखा आदि। अर्थशास्त्रियों को वे उत्पादन नहीं मानते थे। यही कारण था कि एडमस्मिथ ने श्रम को दो भागों में विभाजित किया। जो श्रम भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता था वह उत्पादक श्रम था जबकि अर्थशास्त्रियों को वे नर्तकी की सेवा, गायक, प्रख्यापक, डाक्टर, वकील आदि के कार्यों को वे अनुत्पादक मानते थे।

घीरे-घीरे अर्थशास्त्रियों ने अनुभव किया कि विज्ञान के अनुसार न तो मनुष्य किसी वस्तु का सृजन कर सकता है और न उसे नष्ट ही कर सकता है (Man can neither create nor destroy matter)। वह केवल अपने प्रयत्नों से पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन कर उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी बना देता है। प्रो. पार्सल के अनुसार "मानव भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है, मानसिक एवं नैतिक विश्व में नये नये विचारों को जन्म भले ही दे सकता है किन्तु जब भौतिक वस्तुओं के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता का ही सृजन करता है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है।"

प्रो. वेगान के अनुसार भी "उत्पादन का अर्थ किसी पदार्थ का निर्माण करना नहीं बल्कि वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता, क्षमता अथवा

गुण में वृद्धि करना है।" प्रो फेयर चाइल्ड के अनुसार "सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।" कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन का 'अर्थ उपयोगिता का सृजन (Creation of Utility) बतलाते हैं।

कुछ अर्थशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन नहीं कहा जा सकता। इसके अनुसार उपयोगिता का सृजन तभी उत्पादन कहलाता है जब उसका कोई विनिमय मूल्य बनता है। इसलिए प्रो टामस ने लिखा है कि 'उत्पादन का तात्पर्य केवल उपयोगिता का सृजन या अर्थवृद्धि नहीं बरन् मूल्यों का सृजन (Creation of Values) है।' इसी प्रकार ऐली (Ely) के मतानुसार भी "प्राथमिक उपयोगिता का निर्माण ही उत्पादन है।"

इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि वे सब जिनसे वस्तुओं और सेवाओं में प्राथमिक उपयोगिता का सृजन होता है अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जाता है। उपयोगिता सृजन के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं।

उपयोगिता सृजन के विभिन्न तरीके या रूप

(Different Forms or Methods of Creation of Utilities)

1. रूप मूलक उपयोगिता (Form Utility)—जब किसी वस्तु या पदार्थ के रूप में परिवर्तन कर उसमें उपयोगिता वृद्धि कर दी जाती है तो उसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं जैसे बड़ई लकड़ी से मेज बनाता है, दर्जी कपड़े मीता है इसी प्रकार कृषक, कारखाने आदि रूप परिवर्तन से उत्पादन करन हैं।

2. स्थान मूलक उपयोगिता (Place Utility)—जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने लेजाने में जो उपयोगिता वृद्धि होती है उसे स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन की सजा दी जाती है। जैसे नदी से रेत शहरों में लाना, खानों से खनिज उद्योगों तक पहुँचाना, जंगलों से लकड़ी लाकर बेचना आदि।

3 समय मूलक उपयोगिता (Time Utility)—जब किसी वस्तु को कम उपयुक्त समय से अधिक उपयुक्त समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि वह वस्तु अधिक उपयोगी हो जैसे चावल, टीक की लकड़ी, शराब, शहद आदि की उपयोगिता समय गुजरने के साथ-साथ एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है। इसे समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं।

4 अधिकार मूलक उपयोगिता (Possession Utility)—जब वस्तुओं की उपयोगिता उनके स्वामित्व या अधिकार परिवर्तन से बढ़ती है, जैसे पैन की उपयोगिता बच्चे से शिक्षित हाथों में हस्तान्तरण से बढ़ती है। घुघरू की उपयोगिता नर्तक के लिए दुकानदार से अधिक होती है अतः अथ विक्रय या विनिमय द्वारा वस्तुओं के स्वामित्व परिवर्तन से जो उपयोगिता सृजन होती है वह अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कही जाती है।

5. सेवा मूलक उपयोगिता (Service Utility)—जब व्यक्ति अपनी सेवाओं से श्रमोत्पादन के रूप में उपयोगिता वृद्धि करते हैं तो उसे सेवा द्वारा उत्पादन कहते हैं जैसे गायक, वकील, नौकर, डाक्टर, अध्यापक, नर्तक आदि अपनी सेवाओं से मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते हैं तो उसे सेवा उपयोगिता सृजन कहा जाता है।

6. ज्ञानमूलक उपयोगिता (Knowledge Utility)—कभी-कभी व्यक्ति वस्तुओं के उपयोग आदि से सम्बन्धित ज्ञान वृद्धि द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं जैसे विज्ञान द्वारा वस्तुओं के गुण, लाभ तथा प्रयोग आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध की जाती है। यह ज्ञान वृद्धि द्वारा उपयोगिता सृजन है अनुसंधान द्वारा वस्तु के नये उपयोग ढूँढना भी उपयोगिता सृजन ही है। अतः इन सबको भी उत्पादन कहा जाता है।

इस प्रकार उत्पादन कार्य के विभिन्न रूप हो सकते हैं केवल भौतिक वस्तुओं की पूर्ति ही उत्पादन नहीं बल्कि श्रमोत्पादन से भी जो मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि गुण का सृजन होता है वह भी उत्पादन ही है। केवल किसान, कारीगर, उद्योगपति ही उत्पादक नहीं हैं बल्कि शिक्षक, डाक्टर, सैनिक, नौकर, वकील, नर्तक, गवैया, लेखक, नेता आदि सभी उत्पादक हैं।

उत्पादन का व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व

(Individual & Social Importance of Production)

उत्पादन सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार स्तम्भ है। उत्पादन व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है जैसे—

1. जीवन स्तर उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है—किसी देश के लोगों का जीवन स्तर उत्पादन की मात्रा व प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि उत्पादन अधिक होगा तो लोगों को उपभोग के लिए सभी प्रकार की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर जीवन-स्तर में वृद्धि होगी तथा उसके विपरीत अवस्था में जीवन स्तर नीचा होगा। आज इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों का जीवन स्तर इसलिए ऊँचा है कि उनका उत्पादन-स्तर पिछड़े राष्ट्रों—भारत, लद्दाख, पाकिस्तान आदि से ऊँचा है।

2. व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन पर निर्भर है—उत्पादन ही धन का स्रोत है। जो व्यक्ति जितना अधिक उत्पादन करेगा, अन्य बातों के समान रहने पर उसकी आय अधिक होने से वह अपनी आय में अपेक्षाकृत अधिक वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता की तुष्टि कर सकेगा।

3. आर्थिक विकास—किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके उत्पादन की मात्रा, स्वरूप एवं वृद्धि की दर से प्रतिबिम्बित होता है। जो देश विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बड़ी मात्रा में बनाता है उसका उपभोग, व्यापार उतना ही अधिक होगा, रोजगार अधिक होगा, आय का स्तर ऊँचा होगा आदि आदि।

4 आय के रूप में वृद्धि—उत्पादन की मात्रा व विविधता के कारण सरकार को करो के रूप में अधिक आय प्राप्त होती है।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग—उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से भी महत्व है। एक देश अपने प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में विशिष्टता अपनाकर दूसरे देशों के उत्पादनों का उपभोग बढ़ा सकता है। उत्पादन में परस्पर सहयोग भी बढ़ाया जा सकता है।

उत्पादन के साधन या उत्पादन पदत

(Factors of Production or Production Inputs)

उत्पादन साधनों या उत्पादन पदतों का अभिप्राय उन सबों और साधनों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देते हैं। जैसे किसान को अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि, हवा, पानी, बीज, हल, मजदूर तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, एक कारखाने में उद्योगपति को उत्पादन में भूमि, मशीनें, भवन, कच्चा माल, आर्थिक मैनजर आदि की रचना पड़ती है तथा जोखिम उठानी पड़ती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पादन साधनों का सहयोग लेना पड़ता है। प्रो बेन्हम (Benham) के शब्दों में "कोई वस्तु जो उत्पादन में सहयोग देती है उत्पादन का साधन है।" उत्पादन के प्रायः पांच साधन माने गये हैं—

- (1) भूमि (Land)
- (2) श्रम (Labour)
- (3) पूंजी (Capital)
- (4) व्यवस्था या संगठन (Organisation)
- (5) साहस (Enterprise)

(1) भूमि (Land)—भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण किन्तु निष्क्रिय साधन है। साधारण बोलचाल में भूमि का अर्थ केवल भूमि की ऊपरी सतह से लगाया जाता है पर अर्थशास्त्र में भूमि का बहुत ही व्यापक अर्थ लगाया गया है। प्रो मार्शल व अनुसार "भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं बरन् उन सभी पदार्थों एवं शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने भूमि, वायु, प्रकाश, गर्मी आदि के रूप में मानव की सहायता के लिए निःशुल्क प्रदान किया है।" अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय समस्त प्राकृतिक उपहारों से है जिसके अन्तर्गत भूमि की सतह, वायु, नदी, समुद्र, पहाड़, रोगनी खनिज, जल आदि प्रकृतिदत्त पदार्थ सम्मिलित हैं। इसी कारण कहा गया है कि 'भूमि प्रकृति का उपहार है।' (Land is Free Gift of Nature) यह उत्पत्ति का महत्वपूर्ण एवं अत्याज्य साधन है जिसके कारण उत्पादन सम्भव होता है।

(2) श्रम (Labour)—श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है। इसका महत्व इसलिये अधिक है कि यह समस्त आर्थिक क्रियाओं

या आदि और अन्त (माधन और साध्य) दोनों हैं। अर्थशास्त्र में श्रम से मनुष्य के उन सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है जो धनोत्पादन के उद्देश्य से किये जाते हैं। केवल मनोरंजन, दशप्रेम, पारिवारिक स्नेह आदि के लिये किये गये कार्यों को श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता वरन् धनोत्पादन के उद्देश्य से किये गये मानवीय शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का ही श्रम में समावेश होता है।

(3) पूँजी (Capital)—उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण साधन पूँजी है। आज की आधुनिक जटिल उत्पादन व्यवस्था में पूँजी का महत्व निरन्तर घटता जा रहा है। पूँजी उत्पादन का एक निष्पत्ति साधन होते हुए भी उसमें बढ़ती हुई स्वयं संचालिता उसे और भी महत्वपूर्ण बनाती जा रही है। अर्थशास्त्र में पूँजी शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। प्रो० मार्शल के शब्दों में “पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक सम्पत्ति उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है।” इस प्रकार पूँजी के अन्तर्गत केवल नकदी ही नहीं आती वरन् मशीनें, भवन, बच्चा माल, चीज आदि आते हैं। पूँजी के अन्तर्गत उन सभी मौलिक साधनों का समावेश होता है जो अधिक उत्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं।

(4) सगठन या व्यवस्था (Organisation)¹—उत्पादन का चौथा महत्वपूर्ण साधन सगठन या व्यवस्था है। “सगठन का अभिप्राय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में अनुसूचिततम संयोग स्थापित कर उन्हें उत्पादन कार्य में सतत करने की कला और विज्ञान से है।” हमारे शब्दों में सगठन वह विशिष्ट श्रम (Specialised Labour) है जो उत्पादन के साधनों—श्रम, पूँजी एवं भूमि—को एकीकृत कर उनमें आदर्शतम समन्वय स्थापित करता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है अथवा आवश्यक परिवर्तन करता है। इसके अभाव में कुशलता का अभाव रहता है। बुद्ध अर्थशास्त्री सगठन को उत्पादन का पृथक् साधन नहीं मानते। पर आज बड़े पैमाने की उत्पत्ति में जटिल श्रम विभाजन एवं उत्पादन की पुनर्माधन प्रक्रियाओं के बढ़ने से सगठन का विशेष महत्व बढ़ गया है।

(5) उद्यम या साहस (Enterprise)—उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिक जटिलताओं के कारण जोखिमों में वृद्धि हुई है। जो व्यक्ति इन जोखिमों को वहन करता है उसे साहसी या उद्यमी (Entrepreneur) कहते हैं। पहले साहसी को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन नहीं माना जाता था किन्तु आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जोखिमों की प्रधानता के कारण साहसी उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों की स्थापना में साहसी ही भाग्य धारण है।

वेने तो बुद्ध अर्थशास्त्री जैसे प्रो० चैपमैन (Chapman) तथा जे. एस. मिल (Mill) उत्पादन के केवल दो ही साधन—श्रम और पूँजी मानते थे किन्तु वे

उत्पादन के आधारभूत (Primary) साधन मानते थे जबकि पूँजी और सगठन को गौण साधन (Secondary Factor) की सजा देते थे। उनके अनुसार पूँजी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं क्योंकि पूँजी धन और भूमि के कारण अस्तित्व में आती है। यह एक प्रकार से धन का ही विशिष्ट रूप है।

अनेक आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के पांच साधन मानते हैं जबकि बेन्हम जैम अर्थशास्त्री उत्पादन के साधनों की संख्या अनगिनत बताते हैं। उनके इस विचार के पीछे उत्पादन के प्रमुख पांच साधनों का वर्गीकरण है जिसमें जटिलता बढ जाती है। यही कारण है कि अब उत्पादन के पांच साधन ही प्रमुख मान जाते हैं।

उत्पादन साधनों का सापेक्षिक महत्व

(Relative Importance of Factors of Production)

उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का विवेचन करने के साथ साथ यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि इन पाँचों साधनों में से कौन सा साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। क्योंकि (i) उत्पादन में उत्पत्ति के सभी साधनों की ग्युनाधिक रूप से आवश्यकता पड़ती है। (ii) उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का स्वामी अपने साधनों को ही सर्वाधिक महत्व देता है। भू स्वामी भूमि को अधिक धन को पूँजीपति पूँजी को तथा साहसी साहस को ही अधिक महत्वपूर्ण बतायगा ताकि उत्पत्ति में प्रतिफल प्राप्त करने में उसे प्राथमिकता मिले। फिर भी मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक साधन का अपने अपने क्षेत्र एवं परिस्थितियों में अपना महत्व होता है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के सभी साधन महत्वपूर्ण हैं। कोई भी देश प्राकृतिक साधनों के अभाव में तीव्र आर्थिक विकास नहीं कर सकता। पर भूमि एक निष्पक्ष साधन है। धन के अभाव में प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता में भी विपन्नता रह सकती है। कुशल धन के अभाव में भारत प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न होने हुए भी दरिद्र रहा जबकि स्विटजरलैंड जैसा पर्वतीय एवं चट्टानी देश अपने निपुण धन से समृद्ध बन बैठा। जापान की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है। धन धन का विशेष स्थान बनता है।

आज के आधुनिक युग में पूँजी आर्थिक नियामकों का आधार एवं समृद्धि का महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है। आधुनिक औद्योगीकरण पूँजी की ही देन है। उत्पादन प्रणाली की बढ़ती हुई जटिलताओं एवं जोखिम के कारण सगठन एवं साहस भी उत्पत्ति के दूसरे साधनों के समान ही महत्वपूर्ण है। अगर कितनी ही भूमि, पूँजी और धन लगा दिया पर अगर उसका अनुकूलतम संयोग न बैठा तो अधिक हानि सबके महत्व को ही समाप्त कर देती है जबकि सगठन इनमें उचित समन्वय, निरीक्षण एवं प्रबन्ध से उत्पादन में कुशलता लाता है। धन किसी भी साधन को छोटा या बड़ा या कम या अधिक महत्वपूर्ण कहना कठिन है।

इस सम्बन्ध में प्रो पेंशन का मत युक्तिमगत् लगता है "धनोत्पादन में प्रत्येक साधन आवश्यक है। हाँ, इतना आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न समयों में तथा आर्थिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में पृथक्-पृथक् साधनों का अलग-अलग महत्व रहता है। आखेट युग एवं कृषि अवस्था में भूमि का उत्पादन में सर्वाधिक महत्व रहा। फिर हस्तकला युग (Handicrafts Stage) में भूमि की अपेक्षा श्रम का महत्व बढ़ गया। जब देश आर्थिक विकास की औद्योगिक अवस्था में पहुँचता है तो पूँजी का महत्व बढ़ जाता है। आधुनिक युग की जटिल उत्पादन व्यवस्था में संगठन और साहस में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के पाँच साधन महत्वपूर्ण हैं। किसी साधन विशेष को कम या अधिक महत्वपूर्ण बताना कठिन है। यह आवश्यक है कि उत्पादन की अवस्था या प्रणाली के कारण कोई साधन किसी दूसरे साधन से उन परिस्थितियों में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

उत्पादन कुशलता एवं उत्पादन मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting the Efficiency & Volume of Production)

किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुशलता एवं उत्पादन की मात्रा पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन की कुशलता का अनिश्चित समय में उत्पादन की अधिक मात्रा तथा उसकी अच्छी किस्म से है। उत्पादन कुशलता को प्रभावित करने वाले घटकों या उत्पादन मात्रा के निर्धारकों (Determinants) को सामान्यतः दो भागों में बाँटा जाता है। (1) आंतरिक तत्व तथा (2) बाह्य तत्व।

(1) आंतरिक तत्व (घटक) (Internal Factors)—आंतरिक तत्व या दशाओं से अभिप्राय उन त-वों या दशाओं से है जो उत्पादन इकाई में स्वयं विद्यमान रहती हैं। इनके अन्तर्गत (i) उत्पत्ति साधनों की कुशलता तथा (ii) साधनों का इष्टतम समूह आदि आते हैं। अगर कारखाने में प्रयुक्त किये जाने वाले साधन कुशल हैं तो कारखाने में उत्पादन कुशलता बढ़ेगी, अन्यथा विपरीत परिस्थितियाँ में गिरेगी। यह भी आवश्यक है कि उत्पादन साधनों में कुशलता होने हुए भी उन साधनों में अनुकूलतम मूलांग (Optimum Combination) नहीं है तो अपेक्षित होगा और लागत में वृद्धि होगी। अतः उत्पादन कुशलता के लिए उत्पादन साधनों में ठीक सामन्वय बँटाने के लिये कुशल संगठन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

(2) बाह्य परिस्थितियाँ या घटक (External Conditions or Factors)—उत्पादन कुशलता पर आंतरिक दशाओं का प्रभाव तो पड़ता ही है पर साथ ही बाह्य दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है जिन पर उत्पादन का कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं होता है। इससे अन्तर्गत उद्योग की स्थिति, बाजार में प्रचलित मूल्य,

प्रतिस्पर्धा की भाँसा, परिवहन एवं संचार सुविधाएँ, सरकारी नीति, राजनैतिक शान्ति एवं स्थायित्व आते हैं। कुछ का विवरण इस प्रकार है—

(i) प्राकृतिक तत्व (Physical Factors)—किसी देश की उत्पादन कुशलता देश में उपलब्ध साधनों की सम्पन्नता, उनके विदोहन की क्षमता तथा प्राकृतिक प्रकाश की कठोरता पर निर्भर करती है। यदि देश में साधनों की विपुलता है, प्राकृतिक प्रकाशों का अभाव रहता है तो लोगों को उन साधनों के विदोहन से उत्पादन वृद्धि का अवसर मिलता है।

(ii) तकनीकी ज्ञान की अवस्था (Stage of Technical Knowledge)—किसी भी देश में जितनी ही तकनीकी ज्ञान की अधिक प्रगति होगी वह देश उत्पादन में उतना ही अधिक कुशल होगा क्योंकि बड़े पैमाने की उत्पत्ति, विशिष्टीकरण आदि के कारण आंशिक औद्योगीकरण, परिवहन एवं संचार विकास, वैज्ञानिक कृषि सभी में तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है। आज विकसित राष्ट्रों में पर्याप्त तकनीकी विकास के कारण उत्पादन का स्तर अविश्वसित राष्ट्रों से काफी ऊँचा है।

(iii) पूँजी निर्माण एवं पूँजी की उपलब्धता—आज के औद्योगिक युग में पूँजी उत्पादन का प्राण है। मशीनें, मोजार, बड़े बड़े कारखाने, कच्चा माल आदि के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। जिस देश में वित्तीय संस्थाओं का पर्याप्त विकास होता है और पूँजी की पर्याप्तता तथा उत्पादन कार्यों में उपलब्धता की जितनी सुविधा होती है उत्पादन में उतनी ही अधिक कुशलता आती है।

(iv) कच्चे माल की पूर्ति—उत्पादन कुशलता के लिए कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति एवं निरन्तर उपलब्धता भी आवश्यक है क्योंकि कच्चा माल अछड़ा होने पर उत्पादन भी प्रायः अछड़ा होता है। कच्चे माल की निरन्तर पूर्ति न होने पर उत्पादन कार्य स्थगित हो जाता है। उत्पादन कुशलता के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी महत्वपूर्ण घटक है।

(v) परिवहन एवं संचार सुविधाएँ—आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों का विशेष महत्व है। उद्योगों की कच्चे माल, मशीनें, निर्मित माल, श्रम आदि उत्पत्ति साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के जाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर परिवहन साधन सस्ते एवं विकसित हों तो उत्पादन कार्यों में भी तेजी आती है अन्यथा उत्पादन प्रक्रिया शिथिल पड़ जाती है। विकसित परिवहन एवं संचार साधनों से निर्मित माल को मण्डियों में बेचना सुगम एवं सस्ता पड़ता है, श्रम की गतिशीलता बढ़ती है तथा उद्योगों का विकास होता है। इनके परिणामस्वरूप उत्पादन की मात्रा बढ़ती है।

(vi) सरकारी नीति (Govt Policy)—सरकार अपनी विभिन्न नीतियों में उत्पादन कार्य का हितोत्साहित एवं प्रोत्साहित करती है। अगर सरकार उद्योगों में उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहित करती है, बाजार एवं ध्वंसका बनाव रगनी है, साधनों के उत्पादन कार्यों में घाबटन को महत्व देती है तो उत्पादन बढ़ता है जैसा परतप्रता के समय अग्रज सरदार की दायपूर्ण नीति से भारत का उत्पादन स्तर नीचा था पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार की उपयुक्त नीतियों से उत्पादन का स्तर एव किस्म दोनों में वृद्धि हुई है।

(vii) राजनैतिक स्थिति (Political Stability)—गुच्छ सरकार का होना तथा राजनैतिक स्थायित्व भी उत्पादन कुशलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर देश में सरकार का तन्ना बार-बार पलट जाता हो, देश में अशांति, भगड़े एवं कानून एवं व्यवस्था अस्तरे में हो तो उत्पादन हताशाहित होगा। परन्तु अगर देश में गुच्छ एवं स्थिर सरकार हो, बाह्य घातकों में सुरक्षा एवं आर्थिक प्राप्ति हो तो उत्पादन क्रियाएँ तेजी से चलेगी जिससे उत्पादन और विकास दोनों की गति तेज होगी।

(viii) मूल्यस्तर एवं प्रतिযোগिता—अगर अर्थव्यवस्था में मूल्य में सापेक्षिक स्थायित्व तथा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तो उत्पादन कुशलता में वृद्धि होगी। पर अगर अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर बहुत नीचे, या मूल्यों में भारी उतार पड़ाव हो या एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रबल हो अथवा गला-घोट प्रतिस्पर्धा हो तो उत्पादन हतोत्साहित होगा।

(ix) उद्योग की स्थिति एवं बाजार—जो उद्योग गण्डियों के नजदीक होते हैं तथा जिन उद्योगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उनमें उत्पादन कुशलता बढ़ती है।

इसी प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कुशलता अनेक बाह्य एवं आंतरिक तत्वों पर निर्भर करती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. उत्पादन से आप क्या समझते हैं तथा उत्पादन के प्रमुख साधन क्या-क्या हैं ?

अथवा

उत्पादन का अर्थ बताइये तथा उत्पादन के साधनों का सापेक्षिक महत्व बताइये।

(सकेत—प्रश्न के पहले भाग में उत्पादन का अर्थ तथा उपयोगिता सृजन को संक्षेप में समझाकर उत्पादन के पांचों साधनों को संक्षेप में समझाइये, अन्त में उनका उत्पादन में सापेक्षिक महत्व देकर निष्कर्ष दीजिये कि आधुनिक युग में सभी साधन महत्वपूर्ण हैं।)

2. "उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं बल्कि आर्थिक उपयोगिताओं का सृजन करना है" पुष्टि कीजिए।

(सकेत—उत्पादन के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न विचारों का उल्लेख कीजिये, फिर बताइये कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। फिर उपयोगिता सृजन के विभिन्न रूपों को उदाहरण सहित समझाइये।)

3. उत्पादन का अर्थ एवं महत्व बताइये। वे कौन-कौन से तत्व हैं जिन पर उत्पादन कुशलता निर्भर करती है।

(सकेत—प्रथम भाग में बताइये कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। दूसरे भाग में उत्पादन के महत्व को स्पष्ट कीजिये। अन्त में आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों को लिखिये।)

4. "उत्पादन उपयोगिताओं के सृजन तथा मूल्य सृजन में निहित है।"

(I yr. T.D.C. Raj 1977)

(सकेत—उत्पादन का अर्थ व उपयोगिता सृजन बताना है।)

5. उत्पादन के साधन बताइये।

(I yr T.D.C. Raj, 1975)

भूमि उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जो देश प्राकृतिक साधनों में जितना ही अधिक सम्पन्न होता है उतनी ही उम्र देश की प्राकृतिक समृद्धि की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। प्राकृतिक विनाश बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्राण धमरिया, रुम, इगनेट, जर्मनी अपने प्राकृतिक साधनों के कारण सम्पन्न हैं। भूमि एक घोर प्रकृति का निरुत्क उपहार है, दूसरी ओर उत्पादन का अत्याज्य साधन है।

भूमि का अर्थ (Meaning of Land)

साधारण बोलचाल में भूमि का अर्थ भूमि की ऊपरी सतह से लगाया जाता है परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का बहुत व्यापक अर्थ लगाया जाता है। भूमि के अन्तर्गत उन सब प्राकृतिक उपहारों को सम्मिलित किया जाता है जो वन, खनिज, भूमि की ऊपरी सतह, जल, वर्षा, हवा, गर्मी, रोशनी, नदी, समुद्र, पर्वत आदि के रूप में मानव को उत्पादन कार्यों के लिये निःशुल्क प्राप्त हैं। प्रो. मार्शल के अनुसार "भूमि का अर्थ उन सब पदार्थों या शक्तियों से किया जाता है जो प्रकृति मनुष्य की सहायता के लिये भूमि, पानी, हवा, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान करती है।" इस प्रकार भूमि के ऊपर नीचे जो शक्तियाँ प्रकृति की ओर से उपलब्ध हैं वे सब भूमि ही हैं।

कुछ अर्थशास्त्री भूमि शब्द के स्थान पर प्रकृति या प्राकृतिक उपहार शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं। पर ये प्रयोग लोकप्रिय नहीं माने गये। भूमि शब्द ही उपयुक्त है।

भूमि के अर्थ तथा परिभाषा के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण (New Approach Towards Meaning & Definition of Land)

प्रो. बीजर के द्वारा उत्पादन साधनों का उनकी गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण के कारण नये दृष्टिकोण का जन्म हुआ है। बीजर ने उत्पादन साधनों को दो वर्गों—(i) विशिष्ट साधन (Specific Factors) तथा (ii) अविशिष्ट

साधनो (Non-Specific Factors) में बाटा है। 'विशिष्ट साधन' वे साधन हैं जिनका प्रयोग केवल किसी एक कार्य विशेष के लिए ही हो सकता है उन्हें दूर-दूरी प्रयोगों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता अर्थात् ऐसे साधन प्रयोगों की दृष्टि से अगतिशील होते हैं। अविशिष्ट साधन उन साधनों को कहा जाता है जिन्हें कई प्रयोगों में लगाया जा सकता है तथा उनका प्रयोगों में पर्याप्त गतिशीलता होती है। बीजर के इस वर्गीकरण के आधार पर प्रो. जे. के. मेहता के अनुसार भूमि की आधुनिक परिभाषा यह है कि भूमि एक विशिष्ट साधन है या किसी साधन में विशिष्ट तत्व को बतलाती है अथवा किसी वस्तु के विशिष्टता पहलू को बताती है। इस परिभाषा के अनुसार भूमि एक गुण है जिसे उत्पादन का कोई भी साधन अर्जित कर सकता है। जिस सीमा तक साधन विशिष्ट है उसमें उतना ही भूमि तत्व है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति का प्रत्येक साधन चाहे वह श्रम या पूँजी हो, उनमें कुछ सीमा तक विशिष्टता अवश्य हो सकती है। अतः विशिष्टता की सीमा तक श्रम या पूँजी में भी भूमि तत्व विद्यमान है। फिर भी दोनों दृष्टिकोणों में विशेष अन्तर नहीं है। नया दृष्टिकोण व्यापक है।

भूमि की विशेषताएँ (Characteristics of Land)—उत्पादन के साधन के रूप में भूमि में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसे उत्पादन के अन्य साधनों से भिन्न करती हैं। भूमि की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है—भूमि मनुष्य को प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है। उसे उसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता न उसके लिये कोई प्रयत्न करना पड़ता है। प्रो. मार्शल ने ठीक ही कहा है "जो भीतिः पदार्थ अपनी उपयोगिता के लिये मानवीय श्रम के अणु हैं वे पूँजी हैं तथा जो ऐसे नहीं हैं वे भूमि हैं।" समाज की दृष्टि से भूमि आज भी निःशुल्क देन है।

(2) भूमि की पूर्ति सीमित है—भूमि की पूर्ति या मात्रा हमेशा-हमेशा के लिए स्थिर है। उसमें कमी या वृद्धि करना मानवीय शक्ति से परे है। उत्पत्ति के अन्य साधनों श्रम, पूँजी, साहस, संगठन आदि की पूर्ति में आवश्यकतानुसार कमी-वृद्धि की जा सकती है पर भूमि की पूर्ति में किञ्चित् मात्र भी परिवर्तन सम्भव नहीं। यद्यपि मानव अपने प्रयत्नों से भूमि की सतह को काटकर बस कर सकते हैं या समुद्री पानी को सुखा कर ऊपरी सूखी सतह से भूमि बनाई जा सकती है पर यह भूमि की पूर्ति में वृद्धि नहीं केवल स्वरूप परिवर्तन मात्र है। इन प्रयत्नों से केवल प्रभावी पूर्ति (Effective Supply) बढ़ायी जाती है जैसे हॉलैण्ड में किया गया है पर वास्तविक पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती।

(3) भूमि अविनाशी या अनश्वर है—भूमि उत्पत्ति का एक ऐसा अविनाशी साधन है जिसे कमी नष्ट नहीं किया जा सकता। लगातार प्रयोग के बावजूद भी वे मानव की उत्पत्ति में सहायक हैं। उर्वरा शक्ति में कमी को खाद देकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

(4) भूमि उत्पत्ति का निष्पन्न साधन है—दरमि भूमि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है पर वह अपने आप में कोई उत्पत्ति नहीं कर सकती। भूमि से उत्पादन करने के लिए श्रम एवं पूँजी का प्रयोग करना पड़ता है। अतः भूमि में स्वयं में कोई उत्पादन करने की प्रवृत्ति न होने से यह उत्पत्ति का एक निष्पन्न (Passive) साधन है। इसके विपरीत श्रम, साहस एवं संगठन उत्पत्ति के सक्रिय (Active) साधन हैं।

(5) भूमि उत्पत्ति का अचल एवं अचलित (Immobile) साधन है। अन्य उत्पादन साधनों की भाँति भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। इसी कारण भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। विस्तृत दृष्टि से देखने पर भूमि में भी सीमांत अचलता होती है क्योंकि भूमि को भी एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तान्तरित किया जा सकता है। भूमि फिर भी अचल एवं स्थिर है जबकि पूँजी एक शक्तिमान साधन है।

(6) भूमि का कोई पूर्ण मूल्य (Supply Price) नहीं होता—भूमि की पूर्ण की स्थिरता तथा कोई उत्पादन लागत नहीं होने से भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। अतः भूमि का कोई पूर्ण मूल्य नहीं होता। उमने मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने पर भी पूर्ण स्थिर एवं पूर्व-निश्चिन होती है। इसके विपरीत पूँजी, श्रम आदि के लिए लागत लगानी पड़ती है, उनकी पूर्ण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(7) भूमि में विभिन्नता पाई जाती है—भूमि में विभिन्नता का गुण विद्यमान है प्राकृतिक साधन शक्ति एवं समान नहीं होते, वही भूमि बजर होती है तो वही उपजाऊ, वही साधनों की सम्पन्नता है तो वही विपन्नता, वही साधनों में विविधता है तो वही सीमितता। इस प्रकार प्रकृति की दृष्टि से साधनों का वितरण भ्रमण पाया जाता है।

(8) भूमि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रयत्नता है—भूमि की कुछ त्रिजिह्व विविधताओं के कारण भूमि-उत्पादन, उत्पत्ति ह्रास नियम के अधीन है। अगर भूमि में उत्पादन साधनों का उत्तरोत्तर उपयोग बढ़ाया जाय तो शीघ्र ही उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है जबकि उत्पत्ति के द्वारा साधनों में उत्पत्ति ह्रास नियम देर से लागू होता है।

भूमि का उत्पादन में महत्व

(Importance of Land in Production)

भूमि का उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह उत्पत्ति का एक अत्यावश्यक साधन है क्योंकि भूमि के अभाव में अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन असम्भव होता है। इसका महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

(1) भूमि आर्थिक समृद्धि का आधार है—जिसी भी देश का आर्थिक विकास एवं समृद्धि का मार्ग तब तक प्रशस्त नहीं होता जब तक कि वह देश प्राकृतिक

साधनों से सम्पन्न न हो। जिस देश में प्राकृतिक साधन—भूमि, खनिज, अनुब्रूल जल-वायु व औद्योगिक परिस्थितियाँ, उर्वरा कृषि योग्य भूमि आदि जितने अधिक होंगे उसका आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होगा। प्रकृति से ही अनेक प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है, संचालन शक्ति के रूप में विद्युत्, कोयला, अणु-शक्ति प्राप्त होती है, रहने के लिए स्थान प्राप्त होता है। भूमि की ऊपरी सतह के कारण ही हम उद्योग, आवास के लिए स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भूमि आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख आधार है।

आज अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि देश अपने प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता से आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। भारत में भी साधन हैं पर उनका विदोहन न होने से पिछड़ा है।

(2) भूमि परिवहन एवं संचार साधनों के विकास में सहायक है—परिवहन एवं संचार साधन आधुनिक उत्पादन प्रणाली में रक्त धमनियों के समान हैं जो आर्थिक नियाधों के कुशल संचालन में सहायक हैं। इन साधनों का विकास भूमि की वनावट एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैदानी क्षेत्रों में विकास सस्ता एवं सुविधापूर्ण होता है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इनका विकास बाधापूर्ण एवं खर्चीला होता है।

(3) मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों में भूमि का महत्व रहता है। आर्थिक जीवन के प्रारम्भिक विकास की अवस्था में तो भूमि का विशेष स्थान था ही—घासेट अवस्था, पशुपालन एवं कृषि अवस्था में तो भूमि उत्पादन का आधार प्राण ही था। औद्योगिक युग में भी कच्चे माल की पूर्ति, उपयुक्त जलवायु आदि के रूप में प्रकृति का विशेष महत्व है। इस प्रकार मानव सम्यता के विकास के विभिन्न स्तरों पर भूमि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। अब भी वह प्रगति का आधार है।

(4) रोजगार एवं जीवनयापन का स्रोत—प्राकृतिक साधनों के विदोहन से बहुत से लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और उनमें जीवनयापन का स्रोत मिलता है। भारत में कृषि, मछली पालन, वनों आदि में देश की 67% जनसंख्या रोजगार प्राप्त करती है बाकी जनसंख्या को भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं धन प्राप्त होती है।

(5) लगान का आर्थिक सिद्धान्त—भूमि के विशिष्टता के गुण के कारण लगान के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है। किसी साधन को लगान के रूप में पारि-तोषिक की मात्रा उसके भूमितत्व की मात्रा पर निर्भर करती है।

इसे सबसे भूमि का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

भूमि की उत्पादन कुशलता व निर्धारक तत्व

(Factors Affecting Productive Efficiency of Land)

भूमि की उत्पादन कुशलता का अभिप्राय उसके उत्पादन की मात्रा एवं

उत्तरी बिस्म की सापेक्षित श्रेष्ठता से है। दूसरे शब्दों में उत्पादन कुशलता भूमि की उत्पादितता एवं उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित है। यदि अन्य बातों के समान रहने पर भूमि के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्तम वस्तु का उत्पादन होता है तो पहला टुकड़े की उत्पादन कुशलता दूसरे की अपेक्षा अधिक मानी जाती है। भूमि की उत्पादन कुशलता को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व (घटक) निम्न हैं—

(1) भूमि के प्राकृतिक गुण—भूमि की उत्पादन कुशलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक भूमि के प्राकृतिक गुण हैं। जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उसकी उत्पादितता कम उपजाऊ भूमि से अधिक होती है। जैसे भारत में गंगा-सिन्धु का मैदान, मध्यप्रदेश की पठारों, हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय तथा राजस्थान की रेतीली भूमि से अधिक उत्पादन है। भूमि की उत्पादकता के अन्य प्राकृतिक गुण जलवायु, मिट्टी की बनावट, मात्रा, प्रकार आदि पर निर्भर करते हैं।

(2) भूमि की स्थिति—भूमि की उत्पादन कुशलता उसकी स्थिति पर भी बहुत निर्भर करती है। जो भूमि शहरों, मण्डियों, रेलवे स्टेशनों के निकट अवकाश मौसमिक दृष्टि में उत्तम स्थिति में होती है उसकी उत्पादन क्षमता उन भूमियों से अधिक होती है जो स्थिति की दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसका मुख्य कारण है कि उत्पादन को मण्डियों तक ले जाने तथा वहाँ से अच्छा भाव प्राप्त करने में लागत लगती है।

(3) भूमि का समुचित उपयोग—भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था है। अगर उपजाऊ भूमि का प्रयोग भी ठीक प्रकार से न किया जाय तो उत्पादन कुशलता कम होगी। जो भूमि जिस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है उसका प्रयोग उन्हीं में करना चाहिये। जैसे शहर के बीच में भूमि का प्रयोग कृषि करने की अपेक्षा भवन निर्माण में अधिक उत्पादन है। इसी प्रकार कपास की भेती के उपयुक्त भूमि पर जूट की ऐसी उत्पादन नहीं हो सकती।

(4) भूमि संगठन योग्यता—भूमि उत्पादितता का एक निष्क्रिय साधन है। वह स्वयं उत्पादन कार्य नहीं कर सकती। श्रम और पूँजी के प्रयोग से ही भूमि द्वारा उत्पादित होती है अतः भूमि की उत्पादन कुशलता भूमि पर प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों के आदर्श संयोग एवं समन्वय पर निर्भर करती है। अगर साधनों को ठीक प्रकार से नहीं मिलाया गया तो अपव्यय होगा और भूमि की उत्पादकता घटेगी जब कि कुशल एवं योग्य संगठन से उत्पादन मात्रा व बिस्म दोनों में सुधार होगा।

(5) मानवीय सुधार कार्यक्रम—भूमि की उत्पादकता पर मानवीय कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि मानव भूमि में सिंचाई साधनों की व्यवस्था करता है, भूमि कटाव को रोकता है, नयी भूमि का पुनर्स्थापन (Reclamation) करता है, उसमें उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक औषधियों आदि का प्रयोग

करता है तो भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। इनके अभाव में भी भूमि की उत्पादकता कम होती है।

(6) भूमि स्वामित्व एवं भू-धारण व्यवस्था—भूमि का स्वामित्व रेत को भी सोने के रूप में परिवर्तित कर सकता है जबकि भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था उसकी उत्पादकता को समाप्त कर देती है। भारत में जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा से भूमि की उत्पादकता बहुत कम थी अब भूमि सुधार कार्यक्रमों से प्रति एकड़ उपज में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भू-धारण की उत्तम व्यवस्था उनके आकार, अधिकतम स्वामित्व, वितरण आदि भी भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं।

(7) विविध तत्व—उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त भूमि की उत्पादकता पर दूसरे अनेक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें (i) सस्ते एवं सुगम परिवहन साधनों की उपलब्धता, (ii) बाजार में प्रचलित मूल्यों, (iii) सरकारी नीतियाँ, (iv) उत्पादन की पद्धतियों आदि का भी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि की उत्पादकता क्षमता पर अनेक तत्वों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है।

विस्तृत एवं गहन कृषि (खेती)

(Extensive & Intensive Cultivation)

कृषि उत्पादन में वृद्धि दो तरीकों से की जा सकती है। या तो कृषि में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार किया जाय या भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में ही उत्पत्ति के अन्य साधनों को अधिक मात्रा प्रयुक्त कर अधिक उत्पादन किया जाय। इन दोनों को क्रमशः विस्तृत कृषि (Extensive Cultivation) तथा गहन या गहरी कृषि (Intensive Cultivation) की संज्ञा दी जाती है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) विस्तृत कृषि (Extensive Cultivation)—जब कृषक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि की प्रयुक्त मात्रा बढ़ाता है तथा पूँजी और श्रम की मात्राओं का अनुपात स्थिर रखता है तो उत्पादन को इस रीति को विस्तृत कृषि कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसान 2 बीघा के स्थान पर 4 बीघा क्षेत्र पर उत्पादन करने लगता है। नये क्षेत्र को कृषि कार्य के अन्तर्गत लाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं (1) कृषि क्षेत्र का प्रोत्तम प्रकार का है और कृषि कार्य में अधिक मात्रा में भूमि का प्रयोग होता है। (2) यह रीति प्रायः उन देशों में सम्भव होती है जहाँ जनसंख्या के अनुपात में भूमि की मात्रा अधिक होती है। (3) पूँजी और श्रम का प्रयोग कृषि कार्य में अनुपातिक दृष्टि से कम होता है। (4) भूमि का प्रयोग सावधानी से नहीं होता। (5) प्रति एकड़ उपज कम होती है। भारत में विस्तृत कृषि की प्रधानता है जबकि जापान में गहन कृषि की प्रधानता है।

(2) गहन या गहरी खेती (Intensive Cultivation)—जब कृषि उत्पादन

में वृद्धि के लिये कृषि क्षेत्र में वृद्धि न की जाकर उन्नी क्षेत्र में श्रम घोर पूँजी के प्रयोग में वृद्धि से उत्पादन बढ़ाये जाने का प्रयोग किया जाय तो एक पद्धति को गहरी खेती कहते हैं। इस व्यवस्था में भूमि का अनुपात श्रम व पूँजी की मात्रा के अनुपात में बहुत कम होता है। गहन खेती में निम्न रिगणनाएँ पायी जाती हैं। (1) श्रम घोर पूँजी का अनुपात भूमि की तुलना में बही घटित होता है (2) खेती का आकार प्रायः छोटा होता है। (3) वैज्ञानिक कृषि एवं अनुसंधान पर विशेष धन दिया जाता है। (4) भूमि के प्रयोग में बहुत अधिक साधनात्मक एवं विवेक में काम लिया जाता है। (5) यह पद्धति उन राष्ट्रों में उपयुक्त रहती है जहाँ भूमि की मात्रा सीमित है अथवा जनसंख्या के अनुपात में भूमि बहुत ही कम होती है जैसा जापान तथा उद्युक्त उदाहरण है।

विस्तृत कृषि तथा गहन कृषि के सम्बन्ध में दिए गए अधिलक्षित विवरण से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि गहरी खेती में भूमि का आकार सर्वत्र छोटा हो। अथवा विस्तृत कृषि में खेती का आकार बहुत बड़ा ही हो। यह तो देश की जनसंख्या के आधार, श्रम की मात्रा, उसके व्यावसायिक विवरण, भूमि की मात्रा, भूमि की बनावट तथा भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। विस्तृत कृषि के अन्तर्गत जोत की दुर्लभ आवश्यकता बड़ी होती है परन्तु बड़ी जोतों में भी वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती के लिए बड़ी मात्रा में मशीनें, औजार, उत्तम बीज, रासायनिक खाद, कुशल श्रमिकों का प्रयोग आदि बढ़ाया जा सकता है जिससे उनमें भी गहन कृषि सम्भव होती है। अमेरिका, रूस, कनाडा आदि राष्ट्रों में कृषि के लिए विनाश कृषि फार्म है। रूस में औसतन 5000 से 50000 एकड़ के खेत होते हैं। अमेरिका में 50 से 500 के खेत होते हैं जिनमें भी गहन कृषि की जाती है। हमारे विपरीत भारत में खेती का आकार इन देशों के मुकाबले बहुत छोटा होता है फिर भी उनमें वैज्ञानिक कृषि का प्रभाव होने से गहन कृषि नहीं होती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न तो यह आवश्यक है कि विस्तृत खेती के लिये सर्वत्र बड़े फार्म ही हों और न यह आवश्यक है कि गहन कृषि के लिए खेती की जोत इनाई छोटी हो। यह देश विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालैंड, जापान और डेनमार्क में गहन कृषि की प्रधानता है जहाँ रूस, अमेरिका और भारत में विस्तृत कृषि दृष्टिगोचर होती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. भूमि से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि की उत्पादन कुशलता किन-किन तत्वों पर निर्भर करती है?
(सकेत—भूमि के प्रयोग को बताकर उसकी विशेषताएँ बताइये। दूसरे भाग में उत्पादन कुशलता के तत्वों का उल्लेख उदाहरणों सहित दीजिये।)
2. भूमि का उत्पादन साधन के रूप में क्या महत्व है? इसकी उत्पादन कुशलता में वृद्धि किन-किन तत्वों पर निर्भर करती है?

(संकेत—भूमि का अर्थ सशेष में बताकर उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए फिर 'उत्पादन कुशलता' के अन्तर्गत दिये गये घटकों का उल्लेख कीजिये।)

3. गहन एवं विस्तृत कृषि से आप क्या समझते हैं ? उनमें क्या अन्तर है ? समझाइये।)

(संकेत—प्रथम भाग में विस्तृत कृषि का अर्थ एवं विशेषताएँ बताइये फिर दूसरे भाग में गहन कृषि का अर्थ व विशेषताएँ लिखिये। तीसरे भाग में दोनों में अन्तर बताइये। चौथे भाग में उनके अन्तर की विवेचना कीजिये व निष्कर्ष बताइये।)

4. भूमि की परिभाषा दीजिए, भूमि के लक्षण बताइये तथा उन तत्वों की विवेचना कीजिये जो भूमि की उत्पादनशीलता व क्षमता को प्रभावित करते हैं।

5. भूमि व पूँजी में अन्तर समझाइये। क्या भूमि को पूँजी का ही एक रूप मानना बेहतर है ?
(I Yr. Raj. 1973)

(संकेत—अध्याय 7 में "क्या भूमि पूँजी है" शीर्षक के अन्तर्गत दी गई सामग्री से स्पष्ट कीजिये कि भूमि उत्पत्ति का एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण साधन है इसको पूँजी का ही एक रूप मानना बतई उचित नहीं।)

श्रम का अर्थ एवं परिभाषा

भूमि की शक्ति श्रम भी उत्पादन का एक मौलिक साधन है। साधारण धोतचाल में श्रम का अर्थ अनुमान मजदूरी के प्रयत्नों व कार्य से लगाया जाता है पर अर्थशास्त्र में श्रम का विशेष अर्थ लगाया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार "श्रम का अर्थ मनुष्य के उन सब शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों से है जो पूर्णतया या अंशतः कार्यजनित सुख के प्रतिरिक्त किसी आर्थिक उद्देश्य से किये जाते हैं।" प्रो. मार्शल ने भी श्रम को इसी प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार 'श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है चाहे वह कार्य हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से।' प्रो. टामस के अनुसार "श्रम का अर्थ मानव के उस शारीरिक या मानसिक प्रयत्न से है जो प्रतिका की आशा से किया जाता है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम में उन सभी व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न आते हैं जो व्यापार, उद्योग, शिक्षा, कला, गृहस्थ, विज्ञान, राज्य संचालन एवं न्याय कार्य में रत हैं। किसी भी मानवीय प्रयत्न को श्रम नहीं कहा जाता है जबकि उसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना या धनोत्पत्ति हो। मनोरंजन, दैव प्रेम, पारिवारिक स्नेह या परोपकार की भावना से प्रेरित मानवीय प्रयत्न को श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता।

उदाहरण के लिए मनोरंजन की दृष्टि से फुटबॉल या अन्य खेल खेलना, स्नेह के कारण माता द्वारा बच्चों की सेवा या बच्चों द्वारा माता पिता की सेवा, देश भक्ति के लिये किया गया कार्य आदि श्रम नहीं मन्ने जाते क्योंकि इनके पीछे आर्थिक लाभ का उद्देश्य नहीं होता। इसके विपरीत धनोपार्जन के लिये लेखना, नौकरी करना, डाक्टर, वकील, शिक्षक के रूप में सेवाएँ देना या कारखानों में काम करना आदि श्रम में सम्मिलित किये जाते हैं। इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण प्रो. पीग ने दिया है। अगर एक नौकरानी घर पर काम करती है तो उसका कार्य 'श्रम' है पर अगर वह व्यक्ति उस नौकरानी से शादी करले तो उस औरत का कार्य श्रम नहीं रहेगा क्योंकि पहले आर्थिक उद्देश्य था बाद में आर्थिक या धनोपार्जन उद्देश्य नहीं रहा।

अतः (1) श्रम में केवल मानवीय श्रम का ही समावेश होता है। (2) वह श्रम शारीरिक या मानसिक या दोनों प्रकार का हो सकता है। (3) श्रम में केवल उन्हीं प्रयत्नों का समावेश होता है जो आर्थिक या धनोत्पत्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं।

श्रम की विशेषताएँ

उत्पादन में श्रम साधनों की भाँति श्रम में भी अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसके प्रतिफल निर्धारण, गतिशीलता एवं पूँति को प्रभावित करने हैं। ये निम्न हैं—

(1) श्रम उत्पत्ति का एक अत्याज्य एवं अनिवार्य साधन है—श्रम के बिना उत्पादन बिल्कुल अशुभव है क्योंकि उत्पत्ति के श्रम साधन भूमि एवं पूँजी उत्पत्ति के निष्क्रिय साधन हैं। उनमें उत्पादन करने के लिए श्रम जैसे सक्रिय साधन की अनिवार्यता रहती है। इसी कारण श्रम का उत्पत्ति के श्रम साधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्व है। इसका प्रभाव यह होता है कि श्रम अपनी माँगों को मनवाने में प्रभावों रहता है।

(2) श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन (Active Factor) है जबकि भूमि और पूँजी उत्पत्ति के निष्क्रिय साधन हैं। श्रम के प्रभाव में पूँजी और भूमि कोई उत्पत्ति नहीं कर सकते। प्रबन्ध और संगठन भी श्रम के ही त्रिभिष्ट रूप हैं।

(3) श्रम नाशवान है—श्रम को सबसे बड़ी विशेषता श्रम का नाशवान होना है। यदि किसी दिन श्रमिक कार्य नहीं करता तो उसका उस दिन का श्रम हमेशा क लिये नष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में श्रम का संचय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रम अत्यधिक नाशवान होने के कारण ही पूँजीगत उनका शोषण कर सकता है। श्रम बाजार में उनकी मोल-भाव करने की क्षमता कम होती है जिससे कम मजदूरी पर ही श्रम करने को बाध्य हो जाते हैं।

(4) श्रम की मोल-भाव (सौदा) करने की शक्ति कमजोर होती है—श्रम के नाशवान होने तथा श्रम को श्रम से अलग न किया जा करने के कारण श्रमिकों की मोल-भाव (सौदा) करने की शक्ति कमजोर होती है। श्रमिकों की दरिद्रता, अकुशलता तथा वैयक्तिक रोजगार के प्रभाव में भी वे मालिकों की तुलना में कमजोर पड़ते हैं। हाँ, श्रम संगठनों (Unions) के रूप में श्रम श्रमियों सौदा शक्ति को बढ़ा सकते हैं तभी उचित मजदूरी एवं वेतन प्राप्त होना है अन्यथा श्रमिकों का शोषण होता है।

(5) श्रमिक श्रम श्रम बेचता है पर स्वयं उसका स्वामी होता है। इस कारण श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। श्रमिक को वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है जहाँ श्रम करना है। अतः श्रमिकों को श्रम श्रम बेचते समय कार्य करने की जगह कार्य की प्रकृति, भौतिक वातावरण, मालिकों के व्यवहार आदि पर ध्यान देना पड़ता है। अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर श्रम कम मजदूरी में ही तैयार हो

जाता है पर प्रतिकूल परिस्थितियों से श्रम की बुझलता पूति पर नुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में ऊँची मजदूरी पर भी श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं।

(6) श्रम की पूति मंद गति से बढ़ाई जा सकती है—श्रम की अल्पवान म पूति बढ़ाना कठिन है। दौधंवान म श्रम की पूति धीमी गति म बढ़ाई जा सकती है। श्रम पूति दो वान पर निर्भर करती है—(1) श्रम की वापसलना तथा (11) जनसख्या। न तो वापसलना म ही क्षेत्रों म परिबन्धन मभव है और न जन सख्या क कारण म ही क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। अत दोन कारणों म श्रम की पूति म परिवर्तन की गति मन्द होती है। इस विवेचना का यह प्रभाव पड़ता है कि श्रमिकों को अधिक पूति वान क्षेत्रों म कम मादरी और अधिक कमी वाले क्षेत्रों म ऊँची मजदूरी मिलनी है। श्रम की पूति म माँग क अनुकूल शीघ्र समायाजन सम्भव न होने से मजदूरी स्तर म उत्तार-चढ़ाव घाते हैं।

(7) श्रम उत्पादन का गतिशील साधन है—श्रम म भूमि की अपेक्षा गतिशीलता अधिक होती है। श्रम एक स्थान म दूसरे स्थान पर एक व्ययमाय म दूसरे व्ययमाय म और एक उद्योग म दूसरे उद्योग म गतिशील रहता है। व्यवहार म श्रम की गतिशीलता क मामें म अनेक बाधाएँ हैं। श्रम पूँजो न मुक्त होने कम गतिशील है। श्रम की गतिशीलता का अधिक सिद्धांत म विवेक महत्व है। यह मजदूरी निर्धारण, श्रम की मोटा करने की क्षमता क श्रम पूति को प्रभावित करती है।

(8) श्रम साधन और साध्य दोनों है—श्रम की उत्पन्न बड़ी विवेचना यह है कि श्रम न केवल उत्पात्ति का एक सक्रिय साधन है बल्कि उत्पात्ता क रूप म सम्पूर्ण प्राथिक क्रियाओं का साध्य भी है। श्रम का महत्त्व बस उत्पादन के साधन के रूप में ही नहीं है किन्तु वह प्राथिक क्रियाओं का अन्तिम लक्ष्य भी है। समस्त प्राथिक कार्यों का सदैव अधिकतम मानव कल्याण है।

(9) श्रम से पूँजी का विनियोग किया जा सकता है—श्रम उत्पात्ति का एक सजीव एक सक्रिय साधन है। प्रशिक्षण, निष्ठा, अध्ये पोषण, उच्च जीवन स्तर आदि से श्रम की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों म वृद्धि की जा सकती है। जिस प्रकार उद्योगों म पूँजी विनियोग म उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है उसी प्रकार मानव म पूँजी विनियोग किया जा सकता है। आज मानव पूँजी विनियोग पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इससे श्रम की बुझलता घटती है, धेतन बढ़ता है, लागत घटती है।

(10) श्रम को पूति और प्रतिफल में सम्बन्ध—सामान्या भौतिक वस्तुओं की पूति का मूल्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। मूल्य बढ़ने में पूति बढ़ती है और मूल्य घटने से पूति घटती है पर श्रम म सदैव ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। श्रमिकों के धेतन स्तर में वृद्धि होने पर श्रमिकों में आराम की प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कम समय काम करता है परिणामस्वरूप कुन पूति कम हो सकती है। इससे निपटरी एक सीमा

के नीचे वेतन कम हो जाने पर श्रमिक अपना तथा अपने परिवार का पोषण करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं, अधिक समय देते हैं तथा श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार श्रम का प्रतिफल श्रम की पूर्ति को सामान्य तरीके से प्रभावित नहीं करता।

(11) श्रम वृद्धि एवं निर्यात शक्ति का प्रयोग करता है—उनमें तक शक्ति हाती है। उत्पात्ति का एक सजीव तत्व होने से वह विशुद्ध मन्त्र के रूप में काय नहीं करता बल्कि अपनी वृद्धि एवं तत्व का भी प्रयोग करता है। मानव के मस्तिष्क का काय का दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रो. के धरनवास ने कहा है श्रम की सबसे बड़ी विशेषता वृद्धि या निर्यात शक्ति का प्रयोग है। यही कारण है कि संगठन का काय श्रम ही करता है।

श्रम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धान्त में महत्त्व

(Importance of Peculiarities of Labour in Economic Theory)

श्रम की उपर्युक्त विशेषताओं का आर्थिक सिद्धान्त में विशेष महत्त्व है—

1 श्रम की पूर्ति पर प्रभाव—श्रम की पूर्ति पर श्रम की विशेषताओं का विशेष महत्त्व है—(i) श्रम की पूर्ति को एकदम से न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है क्योंकि जनसंख्या और श्रम की वायव्युशता बढ़ाने में समय लगता है। (ii) श्रम की पूर्ति पर स्थान विशेष का वातावरण भी प्रभाव डालता है क्योंकि श्रमिक अपना श्रम बेचता है पर स्वयं उसका स्वामी होता है। (iii) श्रम की पूर्ति प्रतिफल के द्वारा सामान्य तरीके से प्रभावित नहीं होती। अतः प्रतिफल का निर्धारण पूर्ति बढ़ाने में बड़े विवेक से करना पड़ता है। (iv) श्रम की गतिशीलता भी उसकी पूर्ति को प्रभावित करती है। (v) श्रम में पूंजी विनियोग करके उसकी कुशलता को बढ़ाया जा सकता है अतः पूर्ति में वृद्धि होती है। (vi) श्रम नाशवान होने के कारण पूर्ति का संग्रह करके रखना कठिन होता है। ये सब विशेषताएँ पूर्ति का सामूहिक रूप से प्रभावित करती हैं।

2 श्रम की मांग पर प्रभाव—(1) श्रम की मांग श्रम की उत्पादकता पर निर्भर करती है। (2) श्रम की मांग प्रत्यक्ष मांग न होकर उसकी व्युत्पन्न मांग (Derived Demand) होती है जो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है।

3 श्रम की मजदूरी पर प्रभाव—(i) श्रम उत्पात्ति का एक सजीव साधन है। उसका प्रयोग एक निर्जीव साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अतः उसे कम से कम न्यूनतम घतनता मिलना ही चाहिए। यही कारण है कि श्रम की मजदूरी निर्धारण में उस बात का विशेष महत्त्व रहता है। (ii) श्रम नाशवान होने के कारण श्रम की मोल भाव करने की शक्ति कमजोर होती है अतः मजदूरी निर्धारण में सावधान होना है। हाँ सुदृढ श्रम सब श्रमिकों के उचित मजदूरी निर्धारण में काफी महायक हो सकते हैं। (iii) श्रम की पूर्ति में शीघ्र घटत बढ़त सम्भव न होने

श्रम का वर्गीकरण (Classification of Labour)

श्रम का वर्गीकरण सामान्यतः तीन आधार पर किया जाता है —

(1) उत्पादक एवं अनुत्पादक श्रम (Productive and Unproductive Labour)—श्रम के उत्पादक एवं अनुत्पादक वर्गीकरण पर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद रहा है। 18वीं शताब्दी के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) के अनुसार कृषि कार्य में सलग्न व्यक्तियों को ही उत्पादक श्रम कहा जाता था क्योंकि उनके मतानुसार केवल कृषि ही उत्पादक थी। बाद में चलकर एडम स्मिथ एवं प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने केवल उन व्यक्तियों के श्रम को उत्पादक माना जो भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते थे जबकि अधौतिक सेवाओं में सलग्न व्यक्तियों का श्रम अनुत्पादक माना जाता था। इस दृष्टि में कारीगर, इञ्जीनियर, कारखाने का मजदूर, बढ़ई आदि उत्पादक श्रम की श्रेणी में आते थे और वे व्यक्ति जो डॉक्टर, शिक्षक, गायक नर्तक व्यापारी आदि के रूप में सेवाएँ प्रदान करते थे उन्हें अनुत्पादक श्रम माना जाता था।

समय ने पलटा खायो। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण का विस्तार हुआ। उन्होंने उत्पादन का व्यापक अर्थ लगाना प्रारम्भ किया जिसके कारण जो व्यक्ति अपने श्रम में वस्तुओं या सेवाओं में उपयोगिता सृजन करे उसे उत्पादक कहा जाने लगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई भी मानवीय श्रम जो उपयोगिता का सृजन करता है उत्पादक श्रम है। प्रो बिन्स एवं जोर्डन के अनुसार 'वह सब श्रम जो आवश्यकता को पूरित करता है उत्पादक श्रम में अन्तर्गत माना चाहिये।'

प्रो टॉमस ने इसे और अधिक स्पष्ट किया। उसके अनुसार 'वे सभी श्रमिक जो आर्थिक उपयोगिता का सृजन (Creation of Economic Utilities) अथवा मूल्य सृजन करते हैं उन्हें उत्पादक श्रम कहना चाहिए।' इस प्रकार में आधुनिक विचारधारा उन व्यक्तियों के श्रम को उत्पादक मानती है जिसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है।

इसके विपरीत वह श्रम जिससे आर्थिक उपयोगिता का सृजन नहीं होता वह अनुत्पादक श्रम है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति भवन निर्माण करता है पर आय अर्जन करने से पहले ही वह मकान धराशायी हो जाता है तो वह श्रम अनुत्पादक है। इसी प्रकार अगर एक लखक पुस्तक लिखता है पर वह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाती तो वह श्रम तब तक अनुत्पादक है जब तक कि उन अपने श्रम का प्रतिफल नहीं मिलता। प्रो श्रेजर के अनुसार 'श्रम तभी अनुत्पादक हो सकता है जबकि श्रमिक अथवा उसके नियोजक ने कोई गलती की हो।'

कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई श्रम व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादक हो सकता है पर समाज की दृष्टि से वे अनुत्पादक हो। उदाहरण के लिए एक भिलारी जोर-जोर से चिल्लाकर पैस माता है उसके लिए श्रम उत्पादक

कहा जाना है। जिस एक श्रमिक 3 गज कपड़ा तैयार करता है जबकि दूसरा उतने ही समय और उगही परिस्थितियों में 10 गज कपड़ा तैयार करता है तो अन्य बातों के समान रहते हुए दूसरा श्रमिक अधिक कार्यकुशल है। इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं "समान परिस्थितियों के अन्तर्गत एक श्रमिक की मात्रा और किस्म की दृष्टि से अधिक उत्पादन करने की शक्ति को श्रम की कार्यकुशलता या कार्यक्षमता कहते हैं।" कार्यक्षमता को प्रायः मुद्रा में मापा जाता है जिसमें उत्पादन की मात्रा व किस्म की तुलना श्रम की लागत के साथ करनी पड़ती है।

श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व (घटक) (Factors Affecting the Efficiency of Labour)

श्रम की कार्यकुशलता पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। इन घटकों को हम पांच भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

(1) श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण (2) देश की परिस्थितियाँ, (3) कार्य करने की दशाएँ (4) प्रबन्धक की योग्यता, (5) निविध कारण।

(1) श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण—इन गुणों का श्रम की कार्यकुशलता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये गुण चार प्रकार के होते हैं—

(i) जातीय एवं पेशेवर विशेषताएँ—श्रमिकों की कार्यकुशलता उनकी जाति, समाज तथा पारिवारिक गुणों से प्रभावित होती है। श्रमिक जिस जाति में जन्म लेता है उन जातिगत गुणों से उसकी योग्यता बढती है। एक जाट खेती में निपुण होता है इसी प्रकार बुद्धिमान स्वस्थ एवं शिक्षित भगता पिता के बच्चे भी उस वातावरण व पेशेवर गुणों से कुशलता प्राप्त करते हैं।

क्षत्रिय, जाट एवं मिक्ख अच्छे सैनिक, वैश्य अच्छे व्यापारी तथा जाट अच्छे कृषक होते हैं। यह वंशानुगत गुणों के कारण होता है।

(ii) नैतिक गुण—एक ईमानदार, चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ श्रमिक की कार्यकुशलता उन व्यक्तियों से अधिक होती है जो आलसी कामचोर और चरित्रहीन होते हैं। भारत में श्रमिका में उच्च नैतिक गुणों का अत्यन्त प्रभाव होने से कार्यकुशलता कम है।

(iii) शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान—शिक्षित बुद्धिमान् एवं तीव्र बुद्धि वाले श्रमिका की कार्यक्षमता अधिक होती है क्योंकि वे किसी कार्य को शीघ्र समझ लेते हैं तथा अपनी पूर्ण शक्ति एवं बुद्धि से उत्तम ढंग से करते हैं जबकि उन व्यक्तियों की कार्यक्षमता कम होती है जिनमें सामान्य ज्ञान का अभाव होता है। तकनीकी प्रशिक्षण की अनुपस्थिति रहती है तकनीकी शिक्षा व्यक्ति की कार्यकुशलता को प्रत्यक्ष रूप से बढाती है जबकि सामान्य शिक्षा अत्यन्त सहायता देती है। भारत में सामान्य ज्ञान और शिक्षा के कारण श्रमिका की कार्यकुशलता बहुत कम है।

(iv) जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य—यदि धर्मिका का जीवन स्तर ऊँचा जाना है तो उससे उचा स्वास्थ्य अर्थात् जाना है, उचा कार्य करने की शक्ति जानी है। ये शिखा प्राप्त कर अना जीवन-स्तर म उत्तरातर वृद्धि करता चाहते हैं। पारीरिक् एव मानसिक शक्ति से स्वस्थ धर्मिक अस्वस्थ धर्मिको से अधिक् कायकुशल होत हैं।

भारत म लागो का जीवन स्तर यत नीचा है। व पारीरिक् तथा मानसिक दोनो शक्ति से दुबल है। अत भारत म धर्मिका को कुशलता विरहित राष्ट्रा की अपेक्षात कम है।

(2) देश की परिस्थितियाँ—जिमी भी देश क धर्मिका की कायशमता पर देश की प्राकृतिक सामाजिक एव राजनैतिक परिस्थितियाँ का भी बहुत प्रभाव पडता है। अगर ये परिस्थितियाँ अनुकूल होनी है ता काय कुशलता बडती है और प्रतिकूलता की अवस्था म काय कुशलता घटती है। देश की परिस्थितियो म तीन मुख्य हैं—

(i) जलवायु एव भौगोलिक परिस्थितियो भी धर्म की कार्य कुशलता को प्रभावित करती है। जिन देशो की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एव समशीतोष्ण जाती है वहाँ के धर्मिक बचपन, स्वस्थ तथा कलाप निष्ठ जाने है जिनसे उनकी कुशलता अधिक् जाती है। इससे विपरीत जिन देशो की जलवायु अधिक् ठण्डो या अस्वास्थ्य-प्रद या बहुत अधिक् गरम होती है तो ये जानसी कमजोर एव कामचोर होने हैं। इस कारण उनकी कार्य कुशलता कम होती है। अन्य भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उनकी कुशलता को प्रभावित करती है। पारवाय राष्ट्रा की जलवायु अमीका की जनवायु की अपेक्षा अच्छी होने से भी पारवाय राष्ट्रा की काय कुशलता अधिक् है।

(ii) सामाजिक एव धार्मिक परिस्थितियाँ—जो देश दापपूर्ण सामाजिक शक्ति रिवाजा तथा धार्मिक रुढ़िवादिता का शिखर जाता है उससे धर्मिको की कायशमता उस देश के धर्मिको की अपेक्षा कम जाती है जो स्वस्थ परम्पराया म रह रहे हैं। भारत म जाति प्रथा और धार्मिक रुढ़िवादिता के कारण कायशमता कम है। धीरे धीरे ये कम होने से कार्य-शमता बढ रही है।

(iii) राजनैतिक परिस्थितियाँ—जहाँ तक राजनैतिक स्थायित्व, वाह्य आक्रमणा से सुरक्षा तथा आंतरिक शांति एव व्यवस्था जानी है वहाँ अनेक धर्मिको की कार्यशमता उन स्थानो की अपेक्षा अधिक् होती है जहाँ अशांति, आतंक, बिरोह हड़ताने, लूटपाट आदि जाने हैं। भारत के धर्मिको की कार्यकुशलता पाकिस्तान के धर्मिको की अपेक्षा अधिक् है पर पारवाय राष्ट्रो के मुद्दामले बहुत कम है।

(3) कार्य करने की दशाएँ—कारवाने या काम करने की उपयुक्त दशाओ से कार्यशमता बढती है जबकि प्रतिकूल दशाओ मे कार्यशमता पर बुरा प्रभाव पडता है। ये दशाएँ निम्न हो सकती हैं—

(i) कार्य करने के स्थान की दशा—यदि श्रमिकों के काम करने के स्थान का वातावरण स्वच्छ, हवादार तथा रोगनीदार है तो श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं मानसिक प्रवृत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ने से उनकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। परन्तु अगर श्रमिकों को गर्म, ठंड एवं अस्थकारमय वातावरण में कार्य करना पड़े तो निश्चित रूप से उनकी कार्यक्षमता घटती है। भारत में कार्य करने की स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण कार्यक्षमता कम है। अब धीरे-धीरे उनमें सुधार हो रहा है।

(ii) कार्य की अवधि व विधाम—अगर मजदूरों को उचित समय तक ही काम घंटे काम करना पड़े तथा बीच-बीच में विश्राम व्यवस्था हो तो श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर श्रमिकों को अधिक घंटे काम करना पड़े, बीच में विश्राम न मिले तो वे थक जायेंगे और उनकी कार्यक्षमता घटेगी। आज इसी कारण विकसित देशों में श्रमिकों के काम के घंटे निरन्तर घटाये जा रहे हैं और विश्राम व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है।

(iii) कार्य करने की स्वतन्त्रता—मनुष्य स्वभाव से ही स्वतन्त्रताप्रिय होता है। अतः जितना ही श्रमिकों को स्वतन्त्रता वातावरण में कार्य करने का अवसर मिलता है उतनी ही उसकी कार्यक्षमता अधिक होने की प्रवृत्ति होती है जबकि अत्यधिक नियन्त्रण की अवस्था में श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है।

(iv) कच्चा माल एवं मशीनी औजारों की उपयुक्तता—जिन श्रमिकों को उत्पादन करने के लिए अच्छा कच्चा माल और उपयुक्त मशीनें औजार उपलब्ध होने हैं, उनकी कार्यक्षमता उन श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होती है जिन्हें कच्चा माल दिया जाता है और घिसी पिटी मशीनें व यंत्रों पर काम करना पड़ता है। अतः मशीनों व कच्चे माल की उपयुक्तता भी कार्यक्षमता का प्रमुख घटक है।

(v) मजदूरी की पर्याप्तता एवं नियमितता—श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी एवं उचित नियमितता से श्रमिकों की आय बढ़ती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है और उन्हें मानसिक शांति रहती है जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत नीची मजदूरी तथा समय पर भुगतान न होने से श्रमिकों का जीवन स्तर घटता है, उनमें असंतोष जाग्रत होता है, मन नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से कार्यक्षमता घटती है। भारत में निम्न मजदूरी एवं अनियमितताओं से कार्यक्षमता बहुत नीची है अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

(vi) श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा—यदि देश के लोगों में श्रम कल्याण कार्यों को प्रधानता दी जाती है तथा मजदूरों की दुर्घटना, बीमारी, बेकारी, दावस्था पेंशन तथा मृत्यु के विरुद्ध पीरवारों को सहायता आदि की सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा होती है तो श्रमिक निश्चित होकर कार्य में रुचि लेते हैं जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसके अभाव में उनकी कार्यक्षमता घटती है। भारत में श्रम कल्याण कार्यों व उचित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में कार्यक्षमता कम है।

(ii) उज्ज्वल भविष्य की आशा—जिस व्यवसाय में श्रमिकों की भावी विकास एवं उज्ज्वल भविष्य की संभावना होती है वे अपने पूर्ण रचि एवं तत्परता में काम करते हैं और कार्यक्षमता बढ़ती है जबकि इसके विपरीत परिस्थिति में काम क्षमता घटती है ।

(4) मगठन एवं प्रबन्ध की योग्यता—श्रमिकों की कार्यकुशलता पर केवल कारखाने की भीतरी परिस्थितियाँ का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि मगठन की योग्यता है एवं प्रबन्ध की कुशलता भी इन प्रभावित करती है । मगर उत्पादन व्यवस्था में प्रबन्धकों की योग्यता से उत्पादन साधनों में अनुकूल समन्वय बँटाया गया है श्रमिकों में कार्य का विभाजन विवकपूर्ण है समय पर कच्चा मान मिले तो श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकता है ।

(5) शिक्षा—उपरोक्त तर्कों के प्रतिरिक्त श्रमिकों की कार्यक्षमता पर कुछ अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है—

(i) श्रमिक सघ—मुद्द एवं मुख्यविषय श्रमिक सघ श्रमिकों की शोषण न बचाने हैं, उनके पल्याणकारी कार्यों में उनके जीवन स्तर गिना-मतर में सुधार लाते हैं इनमें उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है । इनके विभिन्न विघटनकारी श्रमिक सघों से श्रमिकों की कार्यक्षमता घटती है ।

(ii) पूजा एवं श्रम में सहयोग—मगर अतिरिक्त एवं मित्र-मानिकों में परस्पर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रह तो उत्पादन वृद्धि होती है और श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है । इसके विपरीत दोनो में संपर्क होने पर हड़ताल तथा त्रेन्द्री, आदि से श्रमिकों की कार्यक्षमता घटती है ।

(iii) सरकारी नीति—सरकार उपयुक्त श्रमनीति अपनाकर श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकती है । ऐसे अधिनियम लागू किये जा सकते हैं जिनसे श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें उचित एवं नियमित मजदूरी मिले । श्रम कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन हो । इसके अन्तर्गत उचित मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिक सघ अधिनियम आदि कार्यक्षमता वृद्धि में बहुत सहायक हो सकते हैं ।

भारत में श्रम की कम कार्यकुशलता के कारण एवं कार्यक्षमता वृद्धि के उपाय ✓

(Causes of Low Efficiency of Indian Labour & Suggestions for Improvement)

भारत में श्रमिकों की कार्यकुशलता विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है । सांख्यिकी आँकड़े भी इस कथन की पुष्टि करते हैं । औद्योगिक आयोग के समक्ष एक वक्तव्य में कहा गया कि यूरोप का एक मजदूर सामान्यतः भारत के एक मजदूर से चौगुना कार्य करता है । इसी प्रकार जहाँ विकसित राष्ट्रों में एक मजदूर औसतन

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार न कारणात् घटितियम पारित किया है। काम के घटे तथा विश्राम की उचित व्यवस्था हो जाने से कुद गुणर भवना हुआ है पर घटितियम को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। श्रमिकों के शोषण के लिए भी सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

(5) कारखानों की प्रतिष्ठित परिस्थितिया भी भारतीय श्रम की कम कार्य-कुशलता के लिये उत्तरदायी हैं। श्रमिकों का मन्द दृष्टि तथा अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में कार्य करना पड़ता है जिससे काम में उथली रविय तम होती है। घोर कार्यशमता बीमारी से भी कम हो जाती है। श्रमिकों का वर्तमान मजदूरी भी नहीं दी जाती और उनके भ्रमण में घटितियम होता है। उच्च कार्य करना भी संभव नहीं रहता है। कारखानों में सराव करना मात्र तथा पुरानी थिंगी टिनी मशीनों का प्रयोग आदि सब श्रम की कार्यकुशलता में कमी के लिए उत्तरदायी हैं।

घन श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए कारखानों में कार्य करने की स्थिति को स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं हवादार बनाने का प्रयास करना चाहिये। घटितियम में श्रमिकों को वर्तमान मजदूरी, समय पर भुगतान की व्यवस्था की प्रभावी बनाना चाहिये। उद्योगों में मजदूरों की अज्ञानता को दूर किया जाना चाहिये तथा उन्नत एवं नवीन मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये। पर यह भारी वित्तीय बोझ के कारण सम्भव प्रतीत नहीं होता। धीरे-धीरे व्यवस्था की जानी चाहिये।

(6) श्रम कल्याण कायों एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव—भारत में श्रम कल्याण कायों का अभाव है। भारत में कल्याण कायों की प्रभावी रूप में शिथिलता नहीं मिली तथा है। इसी प्रकार श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा की रक्षती है। उच्च अज्ञानता बना रहता है। आर्थिक सबटों का भी सामना करना पड़ता है। इनलिये भी कार्यकुशलता कम है।

घन: भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये श्रम कल्याण कायों का तेजी से विस्तार करना चाहिये। इसी तरह श्रमिकों को आर्थिक सबटों में मुक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी घटितियम रूप में लागू की जानी चाहिये।

(7) कुशल प्रवन्ध का अभाव—यह भी भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता की कमी का एक मुख्य कारण है। प्रवन्धकों का मजदूरों के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध रहता है। औद्योगिक भ्रमण अधिक हैं। श्रमिकों की नियुक्ति की दोषपूर्ण परिस्थितियाँ हैं। उत्पात्ति के विभिन्न साधनों में अनुकूल संयोग बँटाने की अयोग्यता रहती है। श्रम-विभाजन का अभाव है। घन: कुशल संगठन के अभाव में श्रमिकों की कम कार्यकुशलता स्वाभाविक है।

इसलिये भारत में कुशल संगठन के लिये योग्य प्रवन्धक तैयार करने चाहिये। औद्योगिक भ्रमणों को निपटाने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

(8) पूंजी और श्रम में सहयोग का अभाव—भारत में श्रमिकों की कार्य-कुशलता की कमी का कारण मजदूरों और मालिकों के बीच सहयोग का अभाव है। मालिक मजदूरों के शोषण पर तुले रहते हैं जिसके कारण मजदूरों में असन्तोष, हड़तालें होती हैं। मालिक भी तातावन्दी करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कार्यकुशलता में कमी है।

भारत में पूंजी और श्रम में परस्पर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध के लिए दोनों की उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। शोषण की प्रवृत्ति का परित्याग करना चाहिये। श्रमिक संगठन को रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिये।

(9) नीचा नैतिक स्तर—भारत में श्रमिकों की कार्य के प्रति निष्ठा कम है, उनमें कामचोर प्रवृत्ति है। जीवन में कुष्ठाग्रों के कारण वे शराब पीते हैं। इस प्रकार उनका नैतिक पतन होता जाता है।

भारत में शिक्षा के प्रसार व प्रचार से श्रमिकों के नैतिक स्तर को ऊँचा करने का प्रयास करना चाहिये। पूर्ण नशावन्दी की नीति को प्रभावी रूप से लागू कर सरकार न केवल श्रम की कार्यकुशलता में योग देगी वरन् बहुत में घर उखड़ने से बच जाएंगे।

(10) विविध—भारत में श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होने के अन्वय कारण श्रमिकों पर अत्यधिक नियन्त्रण, उनकी धार्मिक रुढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियाँ, श्रम की प्रभावी प्रवृत्ति, राजनैतिक उथल-पुथल आदि भी हैं। अतः इन बुराइयों को हटाने का भी प्रयास किया जाना चाहिये।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. श्रम से घाव क्या समझते हैं, श्रम की क्या विशेषताएँ हैं और इन विशेषताओं का धार्मिक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
(सकेत—प्रथम भाग में श्रम का अर्थ व परिभाषा दीजिये, दूसरे भाग में विशेषताएँ लिखिये तथा तीसरे भाग में धार्मिक सिद्धांतों पर प्रभाव का उल्लेख कीजिये। सभी को संक्षेप में देना है।)
2. श्रम की कार्य-कुशलता से घाव क्या समझते हैं और श्रम की कार्य-कुशलता किन किन तत्वों पर निर्भर करती है ?
(सकेत—श्रम की कार्य-कुशलता का अर्थ उदाहरण सहित बताकर दूसरे भाग में इनकी प्रभावित करने वाले घटकों को शीर्षकार देकर बताइये।)
3. श्रम की कार्य-कुशलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख भारत के विशेष संदर्भ में कीजिये।
(सकेत—श्रम की कार्य-कुशलता का अर्थ तथा निर्धारक तत्वों को शीर्षकार देते हुए भारत के श्रमिकों की कम कार्य-कुशलता के कारणों का विवेचन कीजिये।)

पूंजी

(Capital)

पूंजी भी उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक युग में वह पैमाने की उत्पत्ति में तो पूंजी उत्पादन शक्तों का प्राण ही बन गई है। धन प्राण प्रकार के उत्पादन में मूलसाधक रूप में पूंजी अनिवार्य मी है।

पूंजी का अर्थ व परिभाषाएँ

(Meaning & Definitions of Capital)

साधारण बोलचाल की भाषा में द्रव्य या धन व सम्पत्ति को पूंजी कह देना है किन्तु अर्थशास्त्र में पूंजी का एक सङ्कुचित अर्थ लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग को पूंजी कहते हैं जो अधिक धन उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पूंजी के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में बारी बिसाई विवाद रहा है। प्रो. मार्शल के अनुसार "प्रकृति की निःशुल्क देन के अनिश्चित वह सब सम्पत्ति जिससे धन प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है।" मार्शल का यह दृष्टिकोण अभावहारित एवं उन्मुक्त है। विंगर के अनुसार भी "पूंजी वह सम्पत्ति है जो मनुष्य के भूतकालीन श्रम का परिणाम है और जिसका प्रयोग साधन के रूप में अधिक धन उत्पादन के लिये किया जाता है।" प्रो. टामस व बन्नेरो में 'भूमि के अनिश्चित पूंजी व्यक्तिगत तथा सामूहिक धन का वह भाग है जो अधिक धन के उत्पादन में सहायक होता है।

इस सब परिभाषाओं के आधार पर हम पूंजी में तीन तरह वाले हैं (i) पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित सम्पत्ति का एक भाग होता है। (ii) सम्पत्ति का वही भाग पूंजी कहलाता है जो और अधिक उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाता है। सम्पत्ति पूंजी सम्पत्ति है पर सब सम्पत्ति पूंजी नहीं। (iii) वे ही वस्तुएँ पूंजी के अन्तर्गत आती हैं जो सम्पत्ति हैं। जो सम्पत्ति नहीं वे पूंजी नहीं हैं।

पूंजी की विशेषताएँ

(Characteristics of Capital)

उत्पादन के अन्य साधनों की भाँति पूंजी में अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो उनका उत्पादन के अन्य साधनों में भिन्न करते हैं :-

(1) पूँजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भूमि को भाति पूँजी के प्रयोग के लिए भी धम की आवश्यकता होती है। (2) पूँजी बचत का परिणाम है। अगर व्यक्ति अपनी आय में से उपभोग कम न करे तो बचत के अभाव में पूँजी निर्माण सम्भव नहीं होगा। (3) पूँजी अस्थायी होती है। समय एवं उपभोग से उसका ह्रास होता है। परिणाम यह होता है कि उसे पुनर्स्थापना के लिए पुनर्त्पादित करना पड़ता है। (4) पूँजी आय प्रदान करती है। पूँजी के प्रयोग से अधिक उत्पादन सम्भव होता है। (5) पूँजी में बहुत अधिक गतिशीलता पाई जाती है। भूमि पूर्णतः अगतिशील है धम की गतिशीलता स्थिर है पर पूँजी की गतिशीलता अपेक्षाकृत सब साधनों से अधिक है। (6) पूँजी की पूर्ति में अपेक्षाकृत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। भूमि की पूर्ति बढ़ाना असम्भव है। धम की पूर्ति में गति से बढ़ायी जा सकती है पर पूँजी की पूर्ति सुगमता से बढ़ाई जा सकती है। (7) पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का भाग है। यह मनुष्य के पिछले धम का संचित शेष है। प्राकृतिक उपहार पूँजी नहीं हो सकते। आदि-आदि।

क्या भूमि पूँजी है ? भूमि व पूँजी में अन्तर

(Is Land Capital ? Difference between Land & Capital)

इस प्रश्न पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। प्रो. हिक्स, सेलिंगमेन तथा बेन्हम आदि अर्थशास्त्री सिद्धान्ततः पूँजी और भूमि में कोई अन्तर नहीं मानते। उनके अनुसार कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्ण रूप से प्रकृतिदत्त हो क्योंकि सभी वस्तुओं में मनुष्य का कुछ न कुछ अंश अवश्य लगता है—(i) भूमि का एक बहुत बड़ा भाग भी मनुष्यकृत है। रेगिस्तानों व पहाड़ी क्षेत्रों को कृषि योग्य मैदानों में परिवर्तन करने में मानवीय धम होता ही है, (ii) पूँजी की भाँति भूमि भी कुछ हद तक नश्वर है क्योंकि लगातार कृषि करते रहने से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, (iii) भूमि के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है चाहे वे कोयले, लोहे की खानें हों, जंगल हो अथवा कृषि भूमि, (iv) पूँजी की भाँति भूमि में भी प्रयोगात्मक गतिशीलता होती है, जो भूमि कपास उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है उस पर गन्ना बोया जा सकता है, गेहूँ उत्पादित किया जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है, (v) भूमि की मात्रा केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से ही सीमित होती है। अतः इन सारे तर्कों के आधार पर वे पूँजी और भूमि में सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं मानते।

पर व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भूमि और पूँजी में निम्न अन्तर होने से वे उत्पत्ति के दो पृथक् पृथक् साधन माने जाते हैं—(1) भूमि प्रकृतिदत्त निःशुल्क उपहार है जबकि पूँजी मनुष्य व धम का परिणाम है। (2) भूमि उत्पत्ति का सबसे अधिक गतिहीन साधन है जबकि पूँजी में सर्वाधिक गतिशीलता पाई जाती है। (3) भूमि अविनाशी है उसका प्रयोग अनन्तकाल तक होना है जबकि पूँजी नाशवान एवं अस्थायी है उसमें घिसावट, टूट-फूट होती है। (4) भूमि की कोई प्राकृतिक

सागत नहीं है उसके लिए कोई व्यय नहीं करना पड़ता जबकि सागत के अभाव में पूँजी निर्माण सम्भव नहीं होता (5) भूमि की पूर्ति हमेशा के लिए निश्चित एवं स्थिर होती है पूँजी की पूर्ति परिवर्तनशील है (6) भूमि की प्रायः समता पायी जाती है जबकि पूँजी अर्थशास्त्र में प्रायः समता की प्रवृत्ति होती है । (7) भूमि उत्पादन का आधारभूत साधन है जबकि पूँजी उत्पादन का गौण एवं सहायक साधन है ।

कुछ अन्तर (Some Distinctions)

पूँजी तथा धन (Capital and Wealth)—अर्थशास्त्र में धन का अर्थ उन सब वस्तुओं और सेवाओं से है जिनमें (1) उपयोगिता होती है (2) दुर्लभता होती है तथा (3) जिनमें हस्तांतरिता (Transferability) होती है । दूसरे शब्दों में धन का अर्थ प्रायः उन सब भौतिक वस्तुओं या सेवाओं में है जिनमें उपयोगिता, दुर्लभता व परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है । जबकि पूँजी मनुष्यवृत्त धन का वह भाग है जो अधिक धन उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है । इन प्रकार सब सम्पत्ति या धन पूँजी नहीं होती केवल वही धन पूँजी होता है जो और अधिक उत्पादन में प्रयोग होता है । दूसरे शब्दों में सब पूँजी धन होती है परन्तु धन पूँजी नहीं होता । पूँजी धन का एक भाग होता है । बेहूत और किन्तु सब धन को पूँजी मानते हैं पर यह विचार मान्य नहीं है ।

पूँजी तथा द्रव्य (Capital and Money)—पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक धन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है जबकि द्रव्य वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा सौदे का निपटाने में सहायक होता है । इन दृष्टि में अर्थात् धन के अन्तर्गत धन है क्योंकि द्रव्य में भी उपयोगिता, दुर्लभता व हस्तांतरिता का गुण होता है । धन सभी द्रव्य पूँजी नहीं होता परन्तु वही द्रव्य पूँजी कहा जायगा जो और अधिक धनोत्पत्ति में प्रयोग होता है । यह धन रखा गया द्रव्य या उपयोग के लिए प्रयुक्त द्रव्य पूँजी नहीं कहा जाता इसी प्रकार सभी पूँजी द्रव्य के रूप में नहीं होती । कुछ पूँजी यन्त्रों, धीमारों, बिल्डिंग आदि के रूप में होती है ।

पूँजी और आय—आय के अनेक स्रोत हैं । पूँजी में भी आय प्राप्त होती है । पूँजी से प्राप्त आय का जो भाग अर्थात् पुनः उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है वह फिर पूँजी का रूप धारण कर लेता है । पूँजी एक स्टॉक (Stock) है जबकि आय एक प्रवाह है जो निरन्तर चलता रहता है । पूँजी निती निश्चित समय से सम्बन्धित स्टॉक को बताती है जबकि आय समयावधि लाभ का प्रवाह है ।

पूँजी का वर्गीकरण

(Classification of Capital)

पूँजी का विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न-विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है जिनमें कुछ इस प्रकार हैं—

1 **अचल पूंजी व चल पूंजी (Fixed Capital & Circulating Capital)**—अचल या स्थायी पूंजी वे टिकाऊ वस्तुएँ हैं जो घनोत्पत्ति कार्य में बार बार दीर्घकाल तक प्रयुक्त की जाती हैं। उनकी उपयोगिता एक ही बार के प्रयोग से समाप्त नहीं होती। इनको उद्योग में ही काम लेने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। जैसे मशीन, मोटार, बिल्डिंग आदि अचल या स्थायी पूंजी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर ये पुनः विन्यय के उद्देश्य से खरीदी जायें तो वे स्थायी पूंजी न होकर चल पूंजी में परिवर्तित हो जायेंगी। प्रो. मिल के अनुसार "अचल पूंजी या स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो टिकाऊ होती है तथा जिससे कुछ समय तक बराबर आमदनी होती रहती है।"

इसके विपरीत चल पूंजी (Circulating Capital)—चल पूंजी वह पूंजी है जिसे उत्पादन कार्य में एक ही बार प्रयुक्त किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण उपयोगिता एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है। उन्हें बार-बार उत्पादन कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जैसे कच्चा माल, ईंधन, किसान के लिए बीज चल पूंजी है। इस प्रकार जो पूंजी घनोत्पत्ति में केवल एक ही बार सहायक हो वह चल पूंजी है। प्रो. मिल के शब्दों में "चल पूंजी वह पूंजी है जो उत्पादन में एक ही बार के प्रयोग से अपना सारा कार्य समाप्त कर ले।"

2. **एक-अर्थी या विशिष्ट पूंजी तथा बहु-अर्थी या अवशिष्ट पूंजी**—विशिष्ट पूंजी या एक-अर्थी पूंजी (Sunk Capital) वह पूंजी है जो केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त की जा सकती है। उनका कोई वैकल्पिक प्रयोग सम्भव नहीं होता जैसे रेल लाइनें बर्फ बनाने की मशीन, आदि। इसके विपरीत अवशिष्ट पूंजी (Floating Capital) वह पूंजी है जिसके अन्वय प्रयोग हो सकता है जैसे बिजली, नकद रुपया आदि। पहली में हस्तांतरण कठिन होता है जबकि दूसरी में सुगम होता है।

3 **उत्पादन पूंजी एवं उपभोग पूंजी (Production Capital and Consumption Capital)**—उत्पादन पूंजी (Production Capital) वह पूंजी है जो घनोत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। मार्शल के अनुसार उत्पादन पूंजी में वे सब पदार्थ आते हैं जो उत्पादन की क्रिया में धम को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं जैसे मशीनें, कच्चा माल, बीज, उपकरण आदि।

इसके विपरीत उपभोग पूंजी (Consumption Capital) में उन वस्तुओं का समावेश होता है जो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायक होती हैं तथा उनका उपभोग प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए किया जाता है जैसे मजदूरों को दिया जाने वाला भोजन, बस्त्र, मकान, कार, रेडियो आदि।

4 **भौतिक पूंजी एवं वैयक्तिक पूंजी (Material & Personal Capital)** भौतिक पूंजी (Material Capital) वह पूंजी है जो मूल्य या स्थूल या विनिमय साध्य रूप में गौरव होती है जैसे श्रीजार, कच्चा माल, भवन आदि। इसके विपरीत

1. पूँजी आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का प्राण है—पूँजी के कारण ही बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं श्रम विभाजन सम्भव है। औद्योगिक उत्पादन में निरन्तरता बनी रहती है, श्रमिकों को अपनी जीवन निर्वाह व्यवस्था करने में सुविधा रहती है। कृषि उत्पादन में भी सिंचाई योजनाओं, ट्रैक्टरों और मूमि सुधारों पर भारी पूँजी व्यय करनी पड़ती है। परिवहन की व्यवस्था की जाती है जिससे उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इस प्रकार पूँजी का अत्यधिक महत्व होने से वर्तमान युग को पूँजी का युग कहा जाता है।

2. आर्थिक नियोजन एवं विकास का आधार—पूँजी आर्थिक विकास के लिये आधार है। पूँजी के कारण ही प्राकृतिक साधनों का विदोहन सम्भव होता है। देश में औद्योगीकरण की योजनाओं का क्रियान्वयन भी पूँजी की मात्रा पर ही निर्भर करता है। विशाल मशीनों, उपकरणों, कच्चा माल, विद्युत् आदि पर भारी पूँजी लगानी पड़ती है। कृषि के विकास के लिये भी सिंचाई परिशोजनाओं, उर्वरकों, यन्त्रों पर पूँजी व्यय होती है। परिवहन साधनों की पूर्ति भी पूँजी पर ही आश्रित है। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, मानवीय उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था सभी देश में उपलब्ध पूँजी की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि जिन राष्ट्रों में पूँजी की पर्याप्तता है वे आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं और जिन देशों में पूँजी का नितान्त अभाव है वे दरिद्रता के कुचक्र में फँसे हुए हैं। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिये विभिन्न विकास कार्यों पर भारी पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि पूँजी आर्थिक विकास एवं नियोजन का आधार-शिला है।

3. सैनिक शक्ति और राजनैतिक स्थायित्व के लिये भी पूँजी आवश्यक है। आज विश्व दो गुटों में बटा हुआ है। साम्राज्यवादी विस्तार की प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। बाह्य आक्रमणों के भय की आशंका रहती है। अतः सुदृढ़ सैनिक शक्ति के लिये आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों, उनके निर्माण आदि पर भारी पूँजीगत व्यय करना पड़ता है। आज अमेरिका तथा रूस आदि देशों में सैनिक शक्ति निर्माण में अत्यधिक पूँजी लगानी पड़ती है। भारत में भी आक्रमणों से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने में काफी पूँजी विनियोग करना पड़ता है।

किसी देश में राजनैतिक स्थायित्व भी विकास कार्यों की सफलता, जनता की आर्थिक समृद्धि तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा पर निर्भर करता है। इनके लिये पर्याप्त पूँजी आवश्यक है।

रूस, अफ़्ग़ानिस्तान, राजनैतिक, साम, सैनिक, सुदृढ़ता, ये, पूँजी, का, विनियोग, महत्व है।

पूँजी की कार्यक्षमता (Efficiency of Capital)

पूँजी का कार्य उत्पादन साधनों की उत्पादकता में वृद्धि करना है पर यह

संगठन (व्यवस्था या प्रबन्ध)

(Organisation)

उत्पादन के अन्य आघतों की भाँति संगठन भी आधुनिक जटिल उत्पादन प्रणाली में उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संगठन के द्वारा उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित कर उनमें अनुकूलतम संयोग स्थापित किया जाता है जिससे कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके।

संगठन (व्यवस्था या प्रबन्ध) का अर्थ (Meaning of Organisation)

किसी भी उत्पादन व्यवस्था को संचालित करने के लिए भूमि, पूँजी, श्रम तथा संगठन सभी साधनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूँजी आदि साधनों को एकत्रित कर उनमें भौतिक एवं अनुकूलतम समायोजन करने की क्रिया को संगठन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम संयोग एवं सहयोग स्थापित कर उत्पादन करने को ही व्यवस्था या संगठन कहते हैं। एक विद्वान के अनुसार "जब उत्पत्ति के तीन साधन—भूमि, श्रम और पूँजी चौथे साधन संगठन के द्वारा उत्पादन करने या धनोत्पत्ति के लिए मँत्रीपूर्ण ढंग से संयोजित किये जाते हैं तो यह क्रिया संगठन कहलानी है (When three factors land, labour and capital are harmoniously combined by the fourth factor business enterprise of entrepreneurial ability for the purpose of producing or acquiring wealth, we have business organisation). संक्षेप में यह कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को उचित अनुपात में एकत्रित करके अधिकतम उत्पादन करने के कार्य को संगठन कहते हैं और जो व्यक्ति या संस्था इस कार्य को करते हैं उन्हें संगठक (Organiser) कहते हैं।

संगठन एवं श्रम में अन्तर (Difference between Organisation and Labour)—यद्यपि संगठन एक विशिष्ट प्रकार का श्रम (Specialised Labour) है किन्तु दोनों में अन्तर है—(i) संगठन का कार्य मुख्यतः मानसिक (Mental) होता है जबकि श्रमिक का कार्य अधिकांशतः शारीरिक होता है। (ii) संगठन का कार्य

करता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाय। इसके लिए उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। (ii) उत्पादन के साधनों की व्यवस्था करना उत्पादन के लिए आवश्यक है यह सगठक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। वह पूर्व निर्धारित मात्रा उत्पादन के लिए उन साधनों को उचित मात्रा में एकत्रित करता है तथा उनका प्रतिफल निर्धारित करता है। (iii) उत्पादन साधनों को अनुकूलतम अनुपात में मिलाता सगठक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए वह प्रतिस्थापन के नियम (Law of Substitution) का सहारा लेता है। महंगे साधनों को सस्ते साधनों में प्रतिस्थापित करता है ताकि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके। (iv) कच्चे माल व मशीनों की व्यवस्था करना सगठक का महत्वपूर्ण कार्य है। वह समुचित मात्रा में उचित मूल्यों पर उत्तम किस्म का कच्चा माल एकत्रित करता है। मशीनों के एकत्रीकरण में भी यथासम्भव नवीनतम यन्त्रों की व्यवस्था करता है ताकि प्रतिस्पर्धा में टिक सके। (v) मजदूरों में उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार काम सौंपना तथा समय-समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इसके लिए श्रम-विभाजन वा पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। (vi) श्रम समस्याओं का निपटारा करना भी सगठक का महत्वपूर्ण कार्य है जिससे श्रम और पूँजी में मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहें, हड़तालें, तालाबन्दी की नीवत न घाये। इससे औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है। (vii) समूचे उत्पादन कार्यों की देखभाल एवं निरीक्षण करना भी सगठक का ही कार्य है कि वे यह देखते हैं कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं अपव्ययता नहीं हो रहा है। यन्त्रों की सही समय पर मरम्मत हो रही है तथा सब उत्पादक धर्मों में परस्पर सहयोग कड़ी में निरन्तरता है। (viii) उत्पादित माल को विक्रय व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उत्पादन व्यवस्था। उत्पादित माल को मण्डियों में पहुँचाना, उचित बिज्ञापन करना तथा उचित मूल्यों पर बेचना भी सगठक का कार्य है। सगठनकर्ता उपभोक्ताओं से निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं, ताकि उनकी रुचियों, फैशन आदि से पूर्ण परिचित रहें तथा उत्पादक उनकी आवश्यकतानुसार करके लाभ कमावे। (ix) उत्पादन सम्बन्धी खोज एवं अनुसंधान—कुशल सगठक न केवल उत्पादन तथा बित्री की कुशल व्यवस्था करते हैं पर वे उत्पादन, विक्रय लागत आदि के सम्बन्ध में झाँकें सफलता कर आग नीति निर्धारण में सहायता लेते हैं। अनुसंधान भी करते हैं। (x) उत्पादन के साधनों को उनका उचित प्रतिफल वितरित करने की व्यवस्था करना भी सगठक का ही कार्य है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सगठक का कार्य बहुत ही जटिल एवं उत्तरदायित्वपूर्ण है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इन कार्यों को सम्पन्न करना कोरी कल्पना है। व्यवसाय की मारी सफलता तथा उत्पादन की कुशलता मुख्यतया सगठक की योग्यता, कुशलता, ईमानदारी एवं अनुभव पर निर्भर करती है।

संगठन की कार्यकुशलता (Efficiency of Organisation)

संगठन की कार्यकुशलता उत्पादन की मात्रा, बिना तथा उत्पादन लागतों में मितव्ययिताओं (Economics) से नापी जाती है। अगर संगठन उत्पादन के विभिन्न साधनों का अनुकूल अनुपात में संयोग कर उत्पादन करता है तो साधनों के अनुकूलतम संयोग (Optimum Combination) से काम से काम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होगा। यही मितव्ययिता संगठन की कुशलता की परिभाषक है। संगठन की कार्यकुशलता दो बातों पर निर्भर करती है (A) उत्पादन के विभिन्न साधनों की कार्य-कुशलता, और (B) संगठन के व्यक्तिगत गुण। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(A) उत्पादन के विभिन्न साधनों की कार्य-कुशलता—उत्पादन के विभिन्न साधनों—भूमि श्रम एवं पूँजी—जिनको संगठन अनुकूल अनुपात में मिलाता है जिनके कार्यकुशल होंगे उतनी ही संगठन की कुशलता का परिभाषक होंगे। इनके विपरीत अगर उत्पत्ति के मिलाये जाने वाले साधन कुशल एवं धनसम्पन्न हैं तो चाहे संगठन कितना ही अनुभवी, योग्य एवं कुशल क्यों न हो वह अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा नहीं सकेगा।

(B) संगठन के व्यवस्थापक गुण या एक अच्छे व्यवस्थापक के गुण—उत्पादन की कुशलता प्रायः संगठन की कुशलता पर निर्भर करती है अतः एक कुशल एवं अच्छे संगठन (व्यवस्थापक) में निम्न गुण होने चाहिये।

(1) दूरदर्शिता—आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में व्यवस्थापक को भावी मांग का अनुमान लगाकर ही उत्पादन करना पड़ता है। उसे लोगों के पंशन एवं रुचि में होने वाले भावी परिवर्तनों का अनुमान लगाना पड़ता है। राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है अतः इन सबके बारे में भविष्य के सही-सही अनुमान की सामर्थ्य संगठन की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। अतः संगठन में दूरदर्शिता उसकी कार्य-कुशलता का पहला गुण है।

(2) साहस एवं आत्मविश्वास—संगठन की कुशलता उमके साहस एवं आत्म-विश्वास पर निर्भर करती है। उसे अपने किये निर्णयों पर पूरा-पूरा विश्वास होना चाहिए तथा व्यापार-उद्योग में उथल-पुथल, मदी तेजी, प्रतियोगिता, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में साहस से काम लेने का आत्मयत्न होना चाहिए।

(3) धर्म संगठन योग्यता—संगठन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार व क्षमतानुसार कार्य का विभाजन करता है, विभिन्न वर्गों में सहयोग स्थापित करता है, श्रमिकों व पूँजी में निकटतम सम्बन्ध स्थापित कर औद्योगिक शांति स्थापना में सक्षम है। उसकी सपसता इस बात में निहित है कि श्रमिक उसमें पूरा-पूरा विश्वास कर उसके नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार करें।

(4) शारीरिक एवं मानसिक क्षमता—व्यवस्था का कार्य कोई आराम का

घन्वा न होकर जटिल और कठिन कार्य है। उसकी कुशलता के लिये सगठक का स्वस्थ होना आवश्यक है। उसमें अधिक समय कार्य करने की शारीरिक क्षमता होने के साथ-साथ मानसिक योग्यता भी होनी चाहिये।

(5) उच्च चरित्र एवं नैतिक बल—यह भी सगठक की कार्यकुशलता का एक प्रमुख तत्व है। एक सगठक का उच्च चरित्र उसे श्रमिकों में अपना नेतृत्व जमाने में सहायक होगा, उपभोक्ताओं में विश्वास उत्पन्न करेगा, उधार देने वालों को सुरक्षा महसूस होगी। उनके कयनी और कर्नी में लेगमान भी अन्तरकीसन्दिग्धता होने पर प्रभाव जमाना सरल होगा। उसका नैतिक बल इतना होना चाहिये कि वह अपने कार्यों का स्वयं आत्म-निरीक्षण कर सके तथा गलती का स्वीकार करने का नैतिक साहस हो।

(6) व्यवसाय का तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव—एक कुशल सगठक की सफलता एवं कार्य-कुशलता उसके तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव पर निर्भर करती है। ज्ञान उसको आत्म विश्वास प्रदान करता है जबकि अनुभव मार्ग दर्शन करता है। व्यवसाय में प्रयुक्त उत्पादन विधियों का तकनीकी ज्ञान उसे कर्मचारियों के भूल-भुलैया में आने से रोकता है, निरीक्षण को सम्भव बनाता है। यह उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के इष्टतम संयोग में भी सहायक सिद्ध होता है।

(7) सतर्कता एवं शुद्धता (Alertness and Accuracy)—एक सगठक की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह नये-नये परिवर्तनों के प्रति सतर्क एवं जागरूक है। उत्पादन विधियों में होने वाले परिवर्तनों, नयी नयी मशीनों के आविष्कार, लोगों की फँसन, रुचि में अन्तर आदि के बारे में सतर्कता जितनी अधिक होती है उतनी ही जोखिम कम हो जाती है।

इसी प्रकार व्यवसायों में होने वाले परिवर्तनों या भावी परिवर्तनों के बारे में जितनी यथार्थता व शुद्धता होगी उतना ही अपव्यय कम होगा। इस कार्य में अनुभव, भूतकाल के हिसाब किताब आदि का विश्लेषण उपयोगी रहता है।

(8) सहयोगात्मक क्षमता—एक सगठक की कार्यकुशलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि उसमें अधिक से अधिक लोगों के साथ मिल-जुलकर रहने तथा एक दूसरे के साथ समायोजन (Adjustment) करने का गुण होना चाहिये, अन्यथा कटुता बढेगी तथा व्यवस्था के सभी कार्यों के सम्पादन में कदम-कदम पर कठिनाई होगी।

(9) ईमानदारी भी आवश्यक तत्व है। इससे श्रमिकों, उपभोक्ताओं, ऋण-दाताओं में सगठक का विश्वास जमेगा। अगर ईमानदारी न रही तो वह नैतिक पतन का कारण बनेगी। लोगों में उसके प्रति आस्था उठ जायेगी।

(10) अन्य—इसके अतिरिक्त एक सगठक का मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक है क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक के रूप में वह उपभोक्ताओं व श्रमिकों मन्त्रक अध्वन कर

9

श्रम की पूर्ति एवं जनसंख्या समस्या

(Supply of Labour & the Population Problem)

श्रम उत्पात्ति का एक अत्याज्य एवं अनिवार्य साधन है। अतः देश में उत्पादन श्रमिकों की पूर्ति पर निर्भर करता है। श्रम की पूर्ति जनसंख्या तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त श्रम की पूर्ति पर कार्य के घण्टे का भी प्रभाव पड़ता है।

श्रम की पूर्ति का अर्थ—साधारण बोलचाल में श्रम की पूर्ति का अर्थिप्रायः देश की समस्त जनसंख्या के आकार से लगाया जाता है परन्तु अर्थशास्त्र में श्रमशक्ति का आशय देश की जनसंख्या के उम्र भाग से है जो आर्थिक रूप से सक्रिय हो या सक्रिय होने के योग्य हो। किसी भी देश की श्रम शक्ति में हम उन सब व्यक्तियों (पुरुषों, महिलाओं, बच्चों) को सम्मिलित करते हैं जो कार्य में लगे हों या काम करने के योग्य और इच्छुक हों। इस प्रकार जनसंख्या का वही भाग श्रम शक्ति में सम्मिलित किया जाता है जो कि आर्थिक दृष्टि से सक्रिय कहा जा सकता हो। इसे कार्यशील जनसंख्या (Working Population) भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से 15-59 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में मानते हैं। जनसंख्या में श्रम का अनुपात मिश्र-मिश्र देशों में मिश्र है। जहाँ एक ओर विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या की 45 से 55% है वहीं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या की 40 से 45% है।

आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों की काम करने के प्रति प्रवृत्तियों में परिवर्तन, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर के कारण कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। जहाँ 1970 में अमेरिका में जनशक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या का 32.5% था वह अब 52% है, इंग्लैण्ड में 50% है जबकि भारत में यह 45% से 50% है।

श्रम की पूर्ति के निर्धारक तत्व या घटक

(Factors or Determinants of the Supply of Labour)

किसी भी देश में श्रम की पूर्ति मुख्यतः पाँच तत्वों (घटकों) पर निर्भर करती है—(1) जनसंख्या (2) कार्यशील जनसंख्या (3) काम के घण्टे (4) श्रम की कार्यकुशलता तथा (5) वास्तविक मजूदारी दरें। इनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

धर्म की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक (एक नजर में)

(1) जनसंख्या	(2) कार्यशील जनसंख्या	(3) काम के पध्दे	(4) धर्म की भांप्युससता	(5) मजदूरी बरे
(i) जनसंख्या का माकार	(i) मायु सरचना	(i) काम	(i) जन्मजात गुण	(i) प्रतिस्थापन
(ii) जनसंख्या की वनावट	(ii) कार्य के महत्व	(ii) अधिक	(ii) मजदूरा स्वारथ्य	धर्माव से धर्म
(iii) जनसंख्या की जन्म-मृत्यु बरे	(iii) सरकारी नीति	(iii) सामान्य	(iii) मिशा-दीशा	पूर्ति मे बृदि
(iv) समयान्तर	(iv) मिशा		(iv) नौमोतिर उपयुक्तता	किन्तु
(v) जीवन माशा	(v) भौतिक दृष्टिकोण		(v) भौतिक तर	(ii) माय प्रभाव
(vi) काम के प्रति रुच	(vi) जीवन साफल		(vi) सामाजिक एवं धार्मिक	शुणारमय होने
(vii) धावात प्रवास	(vii) सामाजिक व्यवस्था		तब	मे धर्म पूर्ति मे
(viii) जन स्वास्थ्य				बमी

(1) जनसंख्या और धर्म पूर्ति (Population & Labour Supply)—जंगल पहले बताया जा चुका है देश में धर्म की पूर्ति देश की कुल जनसंख्या के उस भाग से होती है जो धार्मिक दृष्टि से भाव पर लगे हुए हैं, यद्यपि काम करने योग्य एवं इच्छुक हैं। धर्म: जनसंख्या और धर्म-शक्ति की पूर्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध विभिन्न रूपों में सामने आता है।

(2) जनसंख्या का माकार एवं बृद्धि की दर—धर्म बातों के समान रहते हुए देश में जनसंख्या का माकार जितना बड़ा होगा उतनी ही धर्म की पूर्ति अधिक होगी। जैसे—चीन और भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है तो धर्म की पूर्ति भी सर्वाधिक है। इसी प्रकार जनसंख्या में बृद्धि की दर जितनी अधिक होगी है उतनी ही धर्म शक्ति भी तभी ग बढ़ती है जैसे भारत में

जनसंख्या वृद्धि की दर 2.5% है अतः श्रम की पूर्ति में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

(ii) श्रम की पूर्ति व जनसंख्या वृद्धि में समयान्तर (Time lag) होता है क्योंकि जो बच्चे आज जन्म लेते हैं वे 15 वर्ष के बाद ही श्रम पूर्ति में सहायक होंगे।—कृषि प्रधान अर्थिकमित देशों में बच्चे स्कूल चलाए नहीं जाते इस कारण कम उम्र में ही श्रम-शक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं जबकि विकसित राष्ट्रों में अधिक उम्र के बाद ही नये युवक श्रम-पूर्ति में सम्मिलित होते हैं।

(iii) जनसंख्या की मृत्यु-दर भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित करती है—जनसंख्या में समस्त वृद्धि श्रम-पूर्ति को नहीं बढ़ाती, केवल वही जनसंख्या श्रम-पूर्ति को बढ़ाती है जो काम करने वाले की आयु तक जीवित रहना है। पिछड़े राष्ट्रों में शिशु-मृत्यु-दर अधिक होती है। अतः कुल नये बच्चों में प्रायः 50% ही काम करने की आयु तक जीवित रहते हैं।

(iv) आयुवर्ग संरचना (Age Composition)—देश में श्रम की पूर्ति पर जनसंख्या के आयु-वर्ग की संरचना का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु-वर्ग की जनसंख्या उत्पादक मानी जाती है। अतः जिस देश में आयु-वर्ग (15-59) का जनसंख्या में प्रतिशत जितना अधिक होता है, श्रम की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। जहाँ विकसित राष्ट्रों में 62% जनसंख्या 15-59 आयु वर्ग में आती है वहाँ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में यह अनुपात 50 से 55% ही है। जिन देशों में बच्चों व बूढ़ों की संख्या अनुपात में अधिक होती है, श्रम की पूर्ति कम होती है।

(v) जीवन अक्षा (Life Expectancy) का भी श्रम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर देश में लोगों के जीवन की अवधि लम्बी अर्थात् जनसंख्या की औसत आयु अधिक है तो श्रम-पूर्ति भी अधिक होगी। अगर औसत आयु 35 वर्ष हो तो वह कार्यशील जनसंख्या में केवल 20 वर्ष ही रह जायेगा पर अगर औसत आयु 60 वर्ष है तो व्यक्ति 45 वर्षों तक कार्यशील जनसंख्या में रहेगा। इसके कारण श्रम की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक होगी। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औसत आयु बहुत नीची है जैसे भारत में पहले (1951) औसत आयु 32 वर्ष की थी, अब (1971) में बढ़कर 52 वर्ष हो गई है।

(vi) लोगों में काम के प्रति प्रवृत्ति (Attitude towards Work) का भी श्रम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर देश की जनसंख्या में लोग कार्यशील आयु वर्ग में हैं किन्तु फिर भी आलसी, कामचोर तथा कार्य करने के अनिच्छुक हैं तो श्रम की पूर्ति इस सीमा तक कम हो जायेगी। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि से ही श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती बल्कि लोगों में काम करने की रुचि एवं इच्छा बढ़ने से भी श्रम शक्ति में वृद्धि होती है।

(vii) आवास-प्रणाली का भी श्रम की पूर्ति पर महत् प्रभाव पड़ता है। अगर देश में विदेशों से जनसंख्या आती है तो श्रम-पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अगर जनसंख्या का विदेशों में प्रवास होता है, तो श्रम की पूर्ति घटती है।

(viii) जनसंख्या का स्वास्थ्य, मानसिक उपयुक्तता तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर देश में जनसंख्या स्वस्थ है तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी जबकि रोगों की स्थिति में श्रम की पूर्ति कम होगी। देश में कुशल, प्रशिक्षित श्रम की पूर्ति जनसंख्या के मानसिक तत्वा पर निर्भर करती है।

जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक स्थिति (Psychological Conditions) भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या में जीवन की आशाशापी एवं भविष्यवाणी को पूरा करने की तीव्र सावसा है तो श्रम-जक्ति में वृद्धि होगी, आसन्न्य कम होगा।

इस प्रकार जनसंख्या और श्रम की पूर्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जनसंख्या श्रम की मात्रात्मक पूर्ति (Quantitative Supply of Labour) को प्रभावित करती है।

(2) कार्यशील जनसंख्या (Working Population)—किसी देश में श्रम-पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक "कार्यशील जनसंख्या का आकार एवं बनावट" है। कार्यशील जनसंख्या का अभिप्राय देश की जनसंख्या के उस भाग से है जो श्रम करने के योग्य, सक्रिय तथा भागीदार है। देश की जनसंख्या में श्रम में भाग लेने की दर (Participating Rate) जितनी अधिक होगी, उतनी ही श्रम की पूर्ति अधिक होगी और इसके विपरीत अगर देश में लोग श्रम के योग्य होते हुए भी अगर कार्य करने के प्रति उदासीन, निष्प्रिय एवं असमर्थ है तो जनसंख्या अधिक होने पर भी श्रम की पूर्ति कम होगी। अतः कार्यशील जनसंख्या देनवासियों के श्रम में भाग लेने की दर (Participating Rate) पर निर्भर है। अल्प बातों के समान रहने पर श्रम में भाग लेने की दर (Participating Rate) में घटत-बढ़त के मुख्य तत्त्व निम्न हैं—

कार्यशील जनसंख्या के घटत-बढ़त के मुख्य तत्त्व



(A) कार्यशील जनसंख्या के घटाने वाले तत्त्व—

- (1) जनसंख्या का छोटा आकार
- (2) जनसंख्या की प्रतिकूल संरचना
- (3) वाम के निये कादूनी आयु

(B) कार्यशील जनसंख्या को बढ़ाने वाले तत्त्व—

- (1) मनुक्त परिवारों का विघटन ✓
- (2) भौतिक उत्पादन की लाजसा ✓
- (3) मुद्रा स्त्रीनि य महगाई का अधिक देना ✓

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (4) शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था | (4) परोपजीविता का ह्रास व धर्म में रुचि |
| (5) काम के प्रति अरुचि एवं अकर्मण्यता | (5) शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार |
| (6) भौतिक जीवन के प्रति निराशा | (6) महिलाओं में शिक्षा एवं कार्य-रुचि |
| (7) काम के प्रति सरकारी नीति में ढील | (7) औसत आयु में वृद्धि |
| (8) रुढ़िवादी परम्परायें | (8) काम के प्रति सरकारी कड़ा दखल |

उपरोक्त तालिका पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि अग्रर अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या को घटाने वाले तत्वों की अपेक्षा कार्यशील जनसंख्या को बढ़ाने वाले तत्व अधिक प्रभावी एवं सशिय हैं तो धर्म की पूर्ति में वृद्धि होती है किन्तु अग्रर कार्यशील जनसंख्या घटाने वाले तत्व बढ़ाने वाले तत्वों की अपेक्षा अधिक प्रभावी हैं तो धर्म की पूर्ति घटती है। उपरोक्त तत्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(A) कार्यशील जनसंख्या को घटाने वाले तत्व—ये वे तत्व हैं जिनसे कार्यशील जनसंख्या घटती है जैसे—(i) जनसंख्या का आकार देश में जितना ही छोटा होगा उतनी ही कार्यशील जनसंख्या भी कम होगी जैसे भारत और चीन की विशाल जनसंख्या के मुकाबले में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की जनसंख्या कम होने से वहाँ कार्यशील जनसंख्या भारत व चीन से काफी कम है (ii) जनसंख्या की प्रतिकूल संरचना का प्रमिप्राय बच्चों और बूढ़ों की संख्या जवानों के मुकाबले अधिक होता है। कार्यशील जनसंख्या में सामान्यतः 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाला भाते हैं। अग्रर 16 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाली जनसंख्या कम हो तो कार्यशील जनसंख्या कम होगी (iii) काम के लिये कानूनी आयु अग्रर ऊँची हुई तो कार्यशील जनसंख्या घटेगी किन्तु अग्रर काम के लिये कानूनी आयु का स्तर नीचा रखा जाये तो कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी (iv) शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अग्रर स्कूली शिक्षा अनिवार्य हो और उच्च शिक्षा में भी अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता रहे तो कार्यशील जनसंख्या कम होगी इसके विपरीत व्यवस्था में अधिक होगी (v) काम के प्रति अरुचि एवं अकर्मण्यता से लोग काम में भाग नहीं लेते अतः कार्यशील जनसंख्या घटती है (vi) भौतिक जीवन के प्रति निराशा घ्याप्त होने पर लोग साधु, संन्यासी विगममे आत्महत्या आदि जैसे कृत्यों में पड़कर कार्यशील जनसंख्या में कमी करते हैं (vii) काम के प्रति सरकारी नीति में ढील कार्यशील जनसंख्या में कमी करती है अग्रर प्रत्येक योग्य व्यक्ति के लिये कार्य करना जरूरी न हो तो पराश्रितता बढ़ने से कार्यशील जनसंख्या घटेगी। (viii) रुढ़िवादी परम्परायें भी कार्यशील जनसंख्या में कमी लाती हैं जैसे भारत में


और भी अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनसंख्या में काम में भाग लेने की दर (Participation Rate) प्रभावित करते हैं। जब काम की भागीदारी दर बढ़ती है तो कार्यशील जनसंख्या अधिक और दर घटने से कार्यशील जनसंख्या कम होती है।

(3) काम के घण्टे (Hours of Work)—श्रम की मात्रात्मक पूर्ति में वृद्धि काम के घण्टों में वृद्धि करके भी की जा सकती है। अगर कार्यशील जनसंख्या एक शिफ्ट के बजाय प्रांतदिन दो शिफ्ट में काम करना शुरू करदे या इसी प्रकार काम के घण्टे 8 घण्टे प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 घण्टे प्रतिदिन कर दिये जायें तो भी जनसंख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होते हुए भी श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी।

यद्यपि काम के घण्टों में आवश्यकता से अधिक वृद्धि श्रम की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डालकर श्रम की गुणात्मक पूर्ति को कम कर सकती है। आज विकसित राष्ट्रों में काम के घण्टे कम करने की प्रवृत्ति प्रबल है पर अर्द्धविकसित राष्ट्रों में कमी करना अनुपयुक्त होगा।

(4) श्रम की कार्यकुशलता (Efficiency of Labour)—श्रम की पूर्ति पर श्रम की कार्यकुशलता का भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण श्रम की मात्रात्मक पूर्ति (Quantitative Supply) बढ़ती है पर श्रम की कार्यकुशलता से श्रम की गुणात्मक पूर्ति (Qualitative Supply) प्रभावित होती है। श्रम की कार्यकुशलता श्रमिकों की प्रवृत्ति, भौगोलिक परिस्थितियों, कार्य करने की परिस्थितियों व संगठन कुशलता पर निर्भर करती है। इन सबका विस्तृत विवरण पिछले अध्याय में दे दिया गया है पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

(5) श्रम की पूर्ति एवं वास्तविक मजदूरी दर (Real Money Wages)—श्रम की पूर्ति पर वास्तविक मजदूरी दरों का भी प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित



चित्र-1

सोमा तब मजदूरी दर में वृद्धि धम की पूर्ति में वृद्धि करती है क्योंकि लोग अपनी धम को बढ़ाने के लिए अधिक समय तक कार्य करने को तैयार रहते हैं। कम मजदूरी पर जो व्यक्ति काम करने को इच्छुक नहीं थे वे भी काम करने को तैयार होते हैं। पर व्यावहारिक जीवन में हम यह भी देखते हैं कि अगर मजदूरी दरों में एक निश्चित सोमा में अधिक वृद्धि हो जाय तो पहले की धमों का काम करने या परिवार व कम लोगों द्वारा भी पहले जितनी ही धम प्राप्त होने लगती है। अतः लोगों में कम समय काम करने, अधिक अवकाश लेने तथा विश्राम (Leisure) करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और धम की पूर्ति कम पानी है जैसा चित्र-1 में बताया गया है। OW मजदूरी पर धम की पूर्ति OQ है, जब मजदूरी दर घटती है अर्थात् OW_1 हो जाती है तो धम की पूर्ति भी बढ़कर OQ_1 हो जाती है पर अगर मजदूरी बढ़ाकर OW_2 कर दी जाती है तो पहले की धमों का धम की पूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार धम पूर्ति एक प्रारम्भ में ऊपर उठता हुआ होता है पर बहुत ऊँची मजदूरी पर उसका ढाल ऋणात्मक हो जाता है। OW_2 मजदूरी पर धम की पूर्ति अधिकतम OQ_2 है। इस सोमा के बाद धम पूर्ति और मजदूरी दर में ऋणात्मक सम्बन्ध हो जाता है।

जनसंख्या समस्या (भारत के विशेष सन्दर्भ में)

(The Population Problem)

सभी प्राथमिक क्रियाओं का अन्तिम उद्देश्य मानव का अधिकतम कल्याण करना है। इस प्रकार देश की जनसंख्या उत्पत्ति का माध्यम और प्राथमिक क्रियाओं का साध्य है। अतः जनसंख्या का अध्ययन सर्वोपरि है।

जनसंख्या का महत्त्व (Importance of Population)—जिमी भी देश का प्राथमिक विरासत एवं समृद्धि मुद्रयतया देश की मानव शक्ति के रूप में जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या का प्राथमिक विकास में दोहरा महत्त्व है। एक ओर जनसंख्या श्रमशक्ति का स्रोत है तो दूसरी ओर वह उपभोक्ता के रूप में उत्पादित वस्तुओं के विस्तृत बाजार का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, उत्पादन को सम्भव बनाती है। वह साध्य के रूप में उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनके उत्पादन को प्रेरणा देती है यह उत्पत्ति का साधन और साध्य दोनों हैं। यह महत्त्व इस प्रकार है—

(1) जनसंख्या श्रम की पूर्ति करती है—जनसंख्या का घाटार एवं गुणवत्तात्मक कशलता पर ही देश की श्रमशक्ति का आधार और कशलता निर्भर करती है। देश में जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस देश की श्रमशक्ति भी उतनी ही विशाल होगी।

(2) जनसंख्या उपभोक्ता के रूप में उत्पादन के लिये विस्तृत बाजार प्रदान करती है—आज छोटे विकसित राष्ट्रों को अपनी वस्तुओं का बाजार अन्यत्र ढूँढना पड़ता है पर राष्ट्र की विशाल जनसंख्या उनके उत्पादनों को विस्तृत बाजार उपलब्ध करती है। जैसे भारत में विशाल जनसंख्या विभिन्न उत्पादनों के लिए एक बड़ा बाजार है।

(3) श्रम विभाजन—जनसंख्या का आकार बड़ा होने पर श्रम विभाजन सम्भव होता है जबकि जनाभाव में श्रम विभाजन एवं बड़े पैमाने की उत्पात्ति सम्भव नहीं होती।

(4) सैनिक शक्ति का आधार—किसी भी देश की सैनिक सुदृढता एवं ब्राह्म आक्रमणा से सुरक्षा के लिए विज्ञान जनसंख्या उपयोगी रहती है। इस प्रकार सैनिक शक्ति प्रतिरक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी विज्ञान सैनिक शक्ति से पाकिस्तान को पराजित करने में समर्थ रहा।

(5) जनसंख्या की गुणात्मक प्रवृत्तियाँ भावी विकास को सम्भव बनाती हैं क्योंकि मनुष्य तकशील बुद्धिमान और विचारशील प्राणी है। आज मनुष्य की विचार-शक्ति एवं ज्ञान के कारण ही मानव चन्द्रमा पर पहुँच पाया है, टेस्ट ट्यूब में वस्त्रे उत्पन्न किये जाने की प्रवृत्ति है, कृत्रिम हृदय लगाया जाने लगा है। अनेक आविष्कार हो रहे हैं।

इस प्रकार जनसंख्या का महत्व मानव शक्ति के रूप में है। ससाधन की हैसियत से मनुष्य उत्पादन के साधनों के रूप में उल्लेख्य होने हैं जबकि उपभोक्ता के रूप में विस्तृत बाजार का निर्माण करते हैं। रिचर्ड टो गिल के अनुसार "आर्थिक विकास एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है यह एक मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों की भाँति इसकी सफलता अन्तिम रूप से इसे श्रियान्वित करने वाले मनुष्यों की संख्या, कुशलता, गुणों एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगा।" इससे जनसंख्या का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

जनसंख्या समस्या के विभिन्न पहलू (Different Aspects of the Population)

किसी भी देश की जनसंख्या समस्या को मोटे रूप में दो पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला संख्यात्मक पहलू (Quantitative Aspect), तथा दूसरा गुणात्मक पहलू (Qualitative Aspect)। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) जनसंख्या समस्या का मात्रात्मक या संख्यात्मक पहलू (Quantitative Aspect) के अन्तर्गत जनसंख्या का आकार, उनमें वृद्धि की दर आदि का अध्ययन होता है और यह देखा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि की मात्रा देश के उत्पादन, श्रमशक्ति एवं रोजगार को किस प्रकार प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि की दर साधन और उत्पादन की वृद्धि की तुलना में कम है या अधिक। अगर देश में जनाविषय, (Over Population) होता है तो साधन का अभाव, निम्न जीवन-स्तर, बेकारी, आवास की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जबकि जनाभाव में श्रमशक्ति की कमी से आर्थिक विकास हतोत्साहित होता है।

(1) आकार—भारत में 1952 में जनसंख्या 39.5 करोड़ थी वृत् 1961 में बढ़कर 43.6 करोड़ हो गई जबकि 1971 की जनगणना के समय वह 54.8 करोड़ तक पहुँच गई। 1980 में जनसंख्या 66 करोड़ होने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जनसंख्या अगर इसी दर से बढ़ती गई तो 2000 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी।

वरन् मृत्यु-दर भी ऊँची है। पर पिछले वर्षों में यह कम हुई है फिर भी विकसित देशों के मुकाबले अधिक है। 1951 में भारत में जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही ऊँचे थे पर पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विस्तार से मृत्युदर 40 से घटकर अब 15 रह गई है।

(C) प्रति जीवन दर (Survival Rate)—यह वह दर है जो प्रति हजार मरने वाले तथा जन्म देने वालों में शुद्ध (घनतर) वृद्धि को बताती है। यद्यपि भारत में जन्मदर भी ऊँची है और मृत्युदर भी ऊँची है पर जनसंख्या में बहुत तीव्रगति से वृद्धि होने के कारण प्रति हजार बचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जन्मदर प्रायः स्थिर है जबकि मृत्युदर घट गई है। जहाँ 1952 में प्रतिजीवन दर 5 प्रति हजार थी वह अब $(35-15)=20$ प्रति हजार हो गई है। इस कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हो रही है।

(2) जनसंख्या का गुणात्मक पहलू (Qualitative Aspect)—जनसंख्या समस्या का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत जनता का स्वास्थ्य, जीवन स्तर, कार्यानुसार वितरण, साक्षरता, जीवन-आशा तथा लिंग भेद के अनुसार वर्गीकरण आदि आते हैं। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या गुणात्मक दृष्टि से भी सबल है जबकि भारत जैसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्र गुणात्मक दृष्टि से भी पिछड़े हैं।

(i) जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण—जनसंख्या के वितरण का पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के आर्थिक विकास की व्यवस्था का पता लगता है। पिछड़े राष्ट्रों में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग प्राथमिक उद्योगों में नियोजित होता है जबकि विकसित राष्ट्रों का जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उद्योगों व सेवाओं में कार्यरत होता है। भारत की जनसंख्या का 70% कृषि में नियोजित है जबकि केवल 13% जनसंख्या ही उद्योगों में संलग्न है। इंग्लैंड और अमेरिका में केवल 20% जनसंख्या कृषि में व प्राथमिक उद्योगों में है जबकि 80% जनसंख्या उद्योगों में है।

(ii) साक्षरता (Literacy)—जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी उतनी ही उपयुक्त मानी जाती है पर भारत जैसे पिछड़े देशों में साक्षरता बहुत कम है। जापान में 90% जनसंख्या साक्षर है। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस में भी साक्षरता 80% से भी अधिक है वहाँ भारत जैसे पिछड़े देशों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। 1961 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 24 था वह बढ़कर 1971 में 29.5% हो गया। स्त्रियों में साक्षरता बहुत कम है। जहाँ पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 39.5 है वहाँ स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 18.4 ही है। अतः जनसंख्या का साक्षरता का प्रतिशत 29.5% है।

(iii) आयु संरचना (Age Composition)—देश में आर्थिक विकास कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करता है और 15-59 आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। जहाँ विकसित राष्ट्रों में 62% लोग 15-59 आयु वर्ग में आते हैं वहाँ पिछड़े राष्ट्रों में इस आयु वर्ग में 55% लोग हैं। भारत में औसत

आयु 52 वर्ष है घन इस दृष्टि से देखने पर भारत में केवल 45% लोग ही कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। बच्चों व नुर्खों की संख्या अधिक होने से देश की कार्यशील जनता पर भार बढ़ जाता है।

(iv) लिंग अनुपात—देश में जनसंख्या में पुरुष और महिलाएँ आती हैं घन इनमें उपयुक्त अनुपात आवश्यक है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 932 स्त्रियाँ ही हैं।

(v) जनस्वास्थ्य एवं आयु—किसी भी देश की स्वस्थ, वृद्धिमान एवं विचारशील जनसंख्या उस देश के लिये अमूल्य सम्पत्ति है। विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या इस दृष्टि में उपयुक्त है पर भारत जैसे देशों में जनसंख्या का स्वास्थ्य कमजोर, रण्यता से युक्त तथा बल-वृद्धि की दृष्टि में भी कमजोर है। यही कारण है कि जहाँ विकसित राष्ट्रों में औसत आयु (Average Age) 65 से 70 वर्ष है वहाँ उसकी तुलना में 1951 में भारत में औसत आयु 32 वर्ष थी यह 1965 में बढ़कर 50 हो गई। अब औसत आयु 52 वर्ष होने का अनुमान है।

जनसंख्या समस्या

(Problem of Population)

मात्रात्मक दृष्टि में जनसंख्या समस्या के दो रूप हैं—(1) जनाधिक्य (Over Population) तथा (2) जनाभाव (Under Population)। इन वर्गीकरण के लिये प्रो डाल्टन के अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु को आधार माना गया है। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। इस सदर्भ में अगर देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम आकार (Optimum Size) से अधिक है तो उसे जनाधिक्य की समस्या (Problem of Over Population) कहा जाता है और इसके विपरीत अगर देश की जनसंख्या आदर्श आकार से कम हो तो उसे जनाभाव की समस्या (Problem of Under Population) कहा जाता है।

आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक देश में जनसंख्या का अनुकूलतम आकार ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि जनसंख्या के इस स्तर पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है जबकि जनाधिक्य और जनाभाव दोनों ही अवस्थाओं को अनुपयुक्त माना जाता है। क्योंकि ये दोनों अनेक दुष्प्रभावों व खतरों को जन्म देते हैं।

(A) जनाधिक्य के दुष्प्रभाव एवं खतरे

(Demerits or Dangers of Over Population)

जनाधिक्य का अधिप्राय देश में अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या का होना है। यह स्थिति आर्थिक साधनों की तुलना में अधिक जनसंख्या की शोचक है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर भारी भार, लाक्षणिकता का प्रभाव, व्यापक बेकारी, दरिद्रता तथा निम्न जीवन स्तर व आवास आदि समस्याओं का जन्म होता है। जनाधिक्य के निम्न दुष्प्रभाव व खतरे उल्लेखनीय हैं —

(1) अर्थव्यवस्था पर भारी भार बढ़ जाता है क्योंकि आर्थिक साधनों की तुलना में जनसंख्या की अधिकता उपलब्ध आर्थिक साधनों पर अधिक भार डालती है।

(2) आर्थिक विकास एवं पूँजी निर्माण में बाधा पड़ती है क्योंकि जनाधिक्य के कारण श्रम की गिरती उत्पादकता बढ़ना उद्योग एवं ग्राम के निम्न स्तर से पूँजी निर्माण व बचतों की धीमी गति विकास को प्रबल कर देती है।

(3) खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है जो न केवल भुखमरी व गिरते स्वास्थ्य का कारण बनती है वरन् विदेशी विनिमय पर भार तथा सामाजिक तनाव को बढ़ाती है।

(4) बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है। निरन्तर बढ़ती श्रम शक्ति व देश में धीमी गति से विकास के कारण राजगार के अवसरों की कमी अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है।

(5) श्रम की उत्पादकता—जनाधिक्य के कारण श्रम प्रधान योजनाओं से श्रम की सीमान्त उत्पत्ति गिरती है और अन्ततः श्रम की प्रोत्त उत्पादकता एवं मजदूरी गिरती है।

(6) आर्थिक दरिद्रता एवं निम्न जीवन स्तर—जनाधिक्य के कारण बेकारी भुखमरी निम्न आय और विकास में बाधा से जनसाधारण की आय नगण्य होती है और दरिद्रता के साम्राज्य में जीवन-स्तर निरन्तर गिरता है।

(7) मुद्रा स्फीति एवं आर्थिक असन्तुलन का बोलबाला—देश में जनसंख्या के बढ़ते भार से देश में उत्पादन का स्तर तो गिरता ही है जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती माँग के कारण माँग एवं पूर्ति में अस-तुलन बढ़ जाता है उससे मुद्रास्फीति का भय व उससे सम्बन्धित खतरे उत्पन्न होते हैं।

(8) आवास और जन सुविधाओं की समस्या अटिल होती जाती है। रोटी रोजी के साथ साथ मकान की आवश्यकता होती है। सरकार को आवश्यक स्वास्थ्य सवाओं के लिये व्यवस्था की समस्या आती है।

ये सब समस्याएँ भारतीय अर्थव्यवस्था में जनाधिक्य के कारण उत्पन्न हुई हैं।

(B) जनाभाव के दुष्प्रभाव एवं खतरे

(Demerits or Dangers of Under Population)

जनाभाव (Under Population) का अर्थ देश में जनसंख्या अनुकूलतम से कम जनसंख्या होना है अर्थात् देश में आर्थिक साधनों की तुलना में जनसंख्या का कम होना है परिणामस्वरूप उपलब्ध आर्थिक साधनों के विदोहन एवं विकास में बाधा आती है। जनाभाव के दुष्प्रभाव एवं खतरे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(1) प्राकृतिक साधनों के विदोहन में बाधा—जब देश में जनाभाव होता है तो श्रम शक्ति की कमी विपुल प्राकृतिक साधनों के विदोहन में बाधा उत्पन्न करती है और देश का विकास हतोत्साहित होता है।

(2) धर्म विभाजन एवं विविधताकरण पर रोक लगती है क्योंकि जनभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में धर्म उपलब्ध न होने में उनमें क्षमता के आधार पर धर्म-विभाजन नहीं हो पाता ।

(3) उत्पादन का निम्न स्तर एवं बड़े पैमाने की उत्पत्ति का प्रभाव— जनभाव के कारण जब प्राकृतिक साधना का विनाहिन नहीं हो पाता और उत्पादन का पैमाना भी घटा हुआ है क्योंकि बाजार सीमित होता है अतः अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर भी नीचा रहता है और बड़े पैमाने की उत्पत्ति नहीं होती । अतः आन्तरिक एवं बाह्य बचत का लाभ नहीं मिल पाता ।

(4) आर्थिक विकास में धारा—धर्म की कमी, बाजार की गरीबी और प्रभावपूर्ण मांग के अभाव से अर्थव्यवस्था का विकास द्रुत गति में नहीं हो पाता । कृषि में उद्योग विद्युत् की व्यवस्था में रुक जाते हैं ।

(5) धर्म रोजगार एवं उत्पादन पर बुरा प्रभाव—देश में जनभाव के कारण उपयोग मांग ही कम नहीं होती वरन् विविधा मांग भी कम होती है परिणामस्वरूप प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) का स्तर नीचा होता है जिसका दुष्प्रभाव यह होता है कि देश में रोजगार धर्म तथा उत्पादन का स्तर भी घट जाता है ।

(6) जनभाव से देश की सुरक्षा दुर्बल रहती है—कोई भी राष्ट्र उसकी प्रभुसत्ता को कुचलन का दुस्ताहम कर सकता है जबकि विनाश जनसंख्या देश की सुरक्षा पति की प्रबल स्तम्भ होती है ।

(7) आर्थिक विकास की धीमी गति—कार्यशील जनसंख्या की कमी से देश के विकास की गति धीमी हो जाती है । अर्थव्यवस्था में कृषि में उद्योगों का विकास विद्युत् जाता है ।

स्पष्ट है कि जनसंख्या की समस्या काट जनसंख्या की ही अथवा जनभाव की, दोनों में कई सम्भावित स्तर हैं अतः जनसंख्या का आधार देश में उपलब्ध आर्थिक साधनों के उत्पादन तकनीक के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलतम होना चाहिये । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जनभाव अथवा जनसंख्या सापेक्षिक शब्द हैं जो परिवर्तनशील अनुकूलतम की धारणा से सम्बन्धित रहते हैं अतः एक समय की जनसंख्या की व्यवस्था दूसरे समय में अनुकूलतम अथवा जनभाव की व्यवस्था भी हो सकती है और इसी प्रकार जनभाव भी जनसंख्या में बदल सकता है । अतः समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या समस्या का स्वरूप बदलता रहता है और अर्थशास्त्री समयानुकूल उपचार करने का सुभाव देते हैं ।

क्या भारत में जनसंख्या है ?

(Is India Over Populated)

भारत में अब लगभग 65.5 करोड़ जनसंख्या है तथा विश्व की दृष्टि से चीन के बाद भारत में ही सबसे अधिक जनसंख्या है । भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का

लगभग 14% भाग है। यही नही देश में जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये भारत में जनाधिक्य की स्थिति बही जाती है। इस सम्बन्ध में दो मत हैं —

1 प्रथम मत के मानने वाले कहते हैं कि भारत में जनाधिक्य नहीं है और वे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं—(i) भारत में प्राकृतिक साधनों की विपुलता है अगर इन साधनों का पूरा विदोहन कर लिया जाय तो इससे भी अधिक जनसंख्या का भार उठाया जा सकता है। (ii) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है जहा 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 268 रु थी वह अब बढ़कर 1978-79 के मूल्यों पर 1078 रु हो गई है। अतः प्रति व्यक्ति आय अनाभाव का द्योतक है। (iii) जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। (iv) हमारी जनसंख्या की वृद्धि की दर कुछ विकसित राष्ट्रों के मुकाबले कम है जहा जर्मनी में जनसंख्या-वृद्धि की दर 27% है वहा भारत में केवल 25% है। (v) प्रत्येक बच्चा अपने साथ एक मुह किन्तु दो हाथ लेकर आता है, वह उपभोक्ता के साथ उत्पादक भी है अतः डरने की आवश्यकता नहीं। (vi) जनसंख्या का समुचित उपयोग कर विकास करने के लिये जनसंख्या आवश्यक है।

2 दूसरे मत के अनुसार भारत में जनाधिक्य है। वे इसके लिये अनेक वजहों तर्क प्रस्तुत करते हैं—(i) कृषि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ रहा है। (ii) देश में खाद्यान्न की समस्या शुरू से ही रही है अब भी न्यूनताधिक रूप से विद्यमान है। (iii) बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। (iv) लोगों का जीवन स्तर नीचा है और प्रति व्यक्ति आय कम है, अतः निर्धनता का साम्राज्य है। (v) प्राकृतिक प्रकोपों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार माल्यस का जनसंख्या का सिद्धान्त क्रियाशील हो रहा है। (vi) सरकार के जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश में जनाधिक्य है।

उपर्युक्त तर्कों के बाद तथ्या को नजर अन्दाज कर कल्पना लोक में विचरण करने से कोई लाभ नहीं। भारत में जनाधिक्य के कारण देश का श्रायिक विकास अवरुद्ध हो गया है। जनाधिक्य के कारण खाद्यान्न एवं बकारी की समस्या का जन्म हुआ है अतः जनसंख्या की समस्या के सामाधान में प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

जनसंख्या समस्या के कारण

(Causes of Population Problem)

जनसंख्या की समस्या के अनेक कारण हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

(1) ऊँची जन्म दर—भारत जैसे अल्पविकसित राष्ट्रों में जनाधिक्य समस्या का प्रमुख कारण ऊँची जन्म दर (High Birth Rate) है। जहा अमेरिका में जन्म-दर 25, इंग्लैंड में 16 है वहा भारत की जन्म दर 35 प्रति हजार है। ऊँची जन्म दर होने के कारण हैं—जैसे गर्म जलवायु, निर्धनता, नीचा जीवन-स्तर, मनोरंजन के साधनों का अभाव, परिवार नियोजन उपकरणों का अभाव, कम उम्र में विवाह, विवाह की अनिवार्यता आदि।

(2) स्त्रियों की प्रापिक परतन्त्रता भी भारत में जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि स्त्रियाँ चार-दीवारी में सन्तानोत्पत्ति का एक उपकरण मानी जाती रही हैं।

(3) औद्योगीकरण का प्रभाव भी भारत में जनसंख्या समस्या का कारण बना है। शहर देश में औद्योगीकरण हुआ जाता तो बेकारी की समस्या का निराकरण सम्भव हो जाता।

(4) शिक्षा का प्रभाव—भारत में शिक्षा का प्रकार कम होने में लोगों में दूरदर्शिता का प्रभाव रहा है तथा उन्होंने प्रगति में बिबेकहीन ढंग में सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि की है।

(5) परिवार नियोजन का प्रभाव भी भारत में जनसंख्या का एक प्रमुख कारण है। परिवार नियोजन विधियों में सरलबिता या उन्हें न मानने की भूल में बिबेकहीन मानुष को बढ़ावा दिया है।

(6) मृत्यु-दर में तीव्र गति से कमी—भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने में मृत्यु-दर 40 में घटकर केवल 15 रह गई है जबकि जन्म-दर 33-35 पर स्थिर रही है। परिणामस्वरूप प्रति-जीवन दर (Survival Rate) में घातक वृद्धि में जनसंख्या समस्या को जटिल बना दिया है।

(7) शरणार्थियों का प्रवासन—भारत में भारत-पाक विभाजन एवं बंगला देश के युद्ध के समय बड़ी मात्रा में शरणार्थियों का भारत प्रवासन हुआ उसके बाद विदेशों में भारतीयों को बड़ा भी शरण या लोगों का कोष-भाजन बनना पड़ रहा है। पिछले 20-25 वर्षों में लगभग 2.5 करोड़ शरणार्थी भारत आये हैं इससे जनसंख्या समस्या उत्पन्न हुई है।

जनसंख्या समस्या के समाधान के उपाय

(Measures to Fight the Problem of Population)

जनसंख्या समस्या का समाधान करने के लिए उसका युद्ध-स्तर पर मुकाबला करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार युद्ध में शत्रु पर विजयश्री के लिए युद्ध की व्यूह रचना ऐसी की जाती है कि शत्रु को सब तरफ से घेरकर कर दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या समस्या के समाधान के लिए सभी प्रकार के उपायों का सहारा एक साथ लिया जाय जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं—

1. देश में जनसंख्या का समुचित वितरण किया जाना चाहिये जिससे न केवल लोगों का क्षेत्र विशेष में घनत्व कम होगा वरन् पिछड़े क्षेत्रों का विकास सम्भव होगा और क्षेत्रीय वियमता कम करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए आवश्यक है कि उन पिछड़े क्षेत्रों में प्राथिक परियोजनाओं में उपयुक्त प्रगत-संरचना (Infrastructure) तैयार किया जाय।

2. कम आयु के विवाहों पर रोक लगानी चाहिए। यद्यपि भारत में शारदा अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाहों पर रोक है पर यह अधिनियम प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ है। युवकों की 21 वर्ष के पहले तथा लड़कियों की 20 वर्ष से पहले शादी पर पूर्ण रोक लगा देना उपयुक्त होगा। भारत की नई जनसंख्या नीति में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष की गई है।

3. शिक्षा का प्रसार—शिक्षा का प्रसार तेजी से किया जाना चाहिए। अब तक के प्रयास अपर्याप्त हैं क्योंकि अब भी देश की 70% जनसंख्या निरक्षर है। प्राथमिक स्तर तक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए।

4. स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता भी जनसंख्या-समस्या के सभ धान में प्रभावी सिद्ध होगी। यह स्त्रियों में शिक्षा-प्रसार तथा उनको आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। धीरे-धीरे स्त्रियों में भी जागृति आ रही है। यह शुभ संकेत है।

5. तीव्र गति से औद्योगीकरण—जनसंख्या-समस्या के समाधान के लिए देश में औद्योगीकरण की गति तेज की जानी चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार-प्रवसरो की वृद्धि से बेकारी की समस्या का निराकरण करने में सहायता मिलेगी।

6. कृषि क्षेत्र का विस्तार एवं कृषि विकास—भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या का भार निरन्तर कृषि पर बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में अधिक जनसंख्या को खाने के लिए सिंचाई-साधना का विकास करना चाहिये, नये क्षेत्रों पर खेती का विस्तार करना चाहिये। इसके अतिरिक्त गहन कृषि व वैज्ञानिक कृषि से भी जनसंख्या-समस्या का हल करने में मदद मिलेगी। खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भी उपलब्ध हो सकेंगे।

7. जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन—जनसंख्या समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय परिवार नियोजन (Family Planning) को बढ़ावा देना है। परिवार नियोजन का अभिप्राय विवेकहीन मातृत्व पर नियन्त्रण रखना है। अगर देश में जन्म-दर को कम करना है तो सन्तानोत्पत्ति पर प्रभावी नियन्त्रण लागू किये जायें।

परिवार नियोजन का अर्थ स्वेच्छापूर्वक अपने परिवार को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में "परिवार नियोजन का आशय है कि इच्छा से सोच समझ कर सन्तान हो, अदूरदर्शिता या चूक से नहीं" (Children by choice not by chance, by design and not by accident is the motto of family planning)। परिवार नियोजन के विभिन्न साधन हैं जिनमें कण्डोम, गर्भ निरोधक गोलीया, भागवानी गोलीया आदि हैं। इसके अतिरिक्त लूप लगवाना, नसबन्दी करवाना अथवा स्त्रियों का आपरेशन करवाना भी परिवार नियोजन की विधियों में

सम्मिलित होते हैं। भारत में नई जनमध्या नीति में ऐंबिड्य नसबन्धी की व्यवस्था है।

8. गर्भपात को कानूनी मान्यता देना भी जनमध्या समस्या को हल करने में सहायक है पर जिन देशों में पर्याप्त विरिक्ता गुणियापे हो उन्ही देशों में यह विधि उपयुक्त रहती है। भारत जैसे देश में गर्भपात का कानूनी मान्यता देने से भयकर दुष्परिणामों की सम्भावना है।

9. जनसध्या के प्रवास में भी समस्या के समाधान में सहायता मिलती है, पर आज विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में कट्टर राष्ट्रीयता वनप रही है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसध्या का प्रवास कार्यक्रम पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। इसकी अधिक सम्भावनाएँ नहीं हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. श्रम की पूर्ति और जनमध्या के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये।

संकेत—श्रम की पूर्ति का अर्थ समझाइये, फिर यह बताइये कि जनमध्या और श्रम पूर्ति में क्या सम्बन्ध है।

2. श्रम की पूर्ति किन-किन तत्वों पर निर्भर करती है? जनमध्या वृद्धि या कमी का श्रम की पूर्ति से क्या सम्बन्ध है?

संकेत—पहले श्रम की पूर्ति का अर्थ, फिर निर्धारक घटक—जनसध्या, काम के घटे, श्रम की कार्यक्षमता तथा मजदूरी दर, फिर जनमध्या और श्रम शक्ति में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये।

3. जनसध्या समस्या से आपका क्या अभिप्राय है? भारत के सन्दर्भ में समझाइये।

संकेत—जनमध्या समस्या के दो पहलू—गुणात्मक तथा मात्रात्मक को भारत के सन्दर्भ में समझाइये।

4. भारत में जनसध्या समस्या के कारण बताइये तथा समस्या के समाधान के उपायों का उल्लेख कीजिये।

संकेत—प्रश्नाय में शीर्षकानुसार विवरण दीजिये।

5. श्रम की पूर्ति का अर्थ समझाइये। इसको प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन कीजिये। (R.J. I yr T. D C. Non-collegiate, 1976)

संकेत—प्रथम भाग में श्रम की पूर्ति का अर्थ समझाना है तथा दूसरे भाग में उत्तकों निर्धारित करने वाले तत्वों को पुस्तक में दिये शीर्षकानुसार बताना है।

डरलथस कर जनसंख्या सरदरररत

(Malthusian Theory of Population)

इगलंड के डरलथस (Malthus) नरडक धरररक डरदरी ने डुरीर डें जनसंख्या की दुर्दशर कर अधरडन कर 1798 डें अधनी डुररररररर वृतर (An Essay on the Principles of Population) डें अधने जनसंख्या संडडधी वरवरर डुररतुत कर धरररक अगत डें एक तहरनकर डररर दुररर। डरलथस ने वदनी हुरई जनसंख्या क डुरतर अधररत ही नरररररजनक शरुतरकीण डुररतुत कररर, जरसकी डुररर वररररररररर इस डुररर डी—

डरलथस के सरदरररत की वरररररररर

(1) डरलथस ने जनसंख्या कर संडडध ररररररर ले कररर धीर वतररर वर जनसंख्या डें शररररर की अधेशर वदुन ही तीरर गतर डें वृदुध होती हूं।

(2) उसने अनुसरर जहूं जनसंख्या डें जुरीरररररर डर (Geometrical Progression) डें वृदुध होती हूं जेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 धरदर यहूं रररररर डें अधगणरतीर डर (Arithmetical Progression) डें वृदुध होती हूं जेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 धरदर।

(3) अररर जनसंख्या की वृदुध डर करसी डी डुररर की कुरीद रररररर न ही तो वरसी डी देश डें डुरररर 25 वरर डें जनसंख्या हुरनुनी होने की डुरररर होती हूं।

(4) जनसंख्या डें डीवन नररररर के सरधनी की अधेशर तीरर गतर डें वृदुध के कररण शरररररर रररररी तडर जनसंख्या डें अधसनुसुतन ही अररर हूं।

(5) इस अधसनुसुतन को ररडररर करने के सरर अधरररररर डें दो डुररर के डुरतरररर ततव (i) नैसंररर डुरतरररर (Positive or Natural Checks) तडर (ii) नररररर डुरतरररर (Preventive Checks) वुरररशील होते हूं।


(6) नैसंररर डुरतररररों के अधरररत डरररररी, डुररुतरर डुरररर, डुरररर, डुरररर एव डुरदुध धरदर ततव जनसंख्या डें कडी कररते हूं। इनसे वधने के लररर धररररर डरदरी के रूप डें उसने लीगे की नररररर डुरतरररर (Preventive Checks) के अधरररत वुरररररर, सडड, देर डें वुरररर धरदर की सलरर ही।

(7) डरलथस की धररणर डी कडर डररर नररररर डुरतरररर ररीररर की नही अधनररररगे तो डुररुतरर डुरतरररर स्वड जनसंख्या की सतुनरर कर देगे।

इस डुररर डरलथस ने जनसंख्या वृदुध को सतरनरर वतरकर एक नररररररररर वरदुधकीण डुररतुत कररर। यहर यहर उल्लेखनीर हूं कडर डरलथस ने संतरर नरररर (Birth Control) के वुररररर सरधनी के डररे ड नही वतररर डर। उनकर अधररररर केवल नैतरर सडड (Moral Restraints) स ही थर। वुररररर सरधनी डर तो नव डरलथसवरदुरी (New Malthusians) डें डीर दुररर हूं।

डरलथस के संडुररर सरदरररत की सरीर ड कुररुतुत डुररर डररररर डर सकरर हूं।

माल्थस का जनसंख्या-सिद्धान्त



माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना

(Criticisms of Malthusian Theory of Population)

माल्थस ने इन विचारों को कटु आलोचना हुई क्योंकि माल्थस ने अपने सिद्धान्त में न केवल निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया वरन् अवास्तविक मान्यताओं पर अपने निष्कर्ष आधारित किये। इस सिद्धान्त की मुख्य आलोचनाएँ इन प्रकार हैं—

(1) माल्यस ने जनसंख्या के सम्बन्ध केवल साक्षात् से किया यह ठीक नहीं है। जनसंख्या का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से लिया जाना चाहिए। सैलिंगमैन ने ठीक ही कहा है "जनसंख्या की समस्या केवल मात्रा की ही समस्या नहीं बरन् कृषि उत्पादन एवं सामान वितरण की समस्या भी है।" अतः अग्र देश की जनसंख्या में वृद्धि से पुनः उत्पादन बढ़ता हो तथा उसका उचित वितरण होता रहे तो जनसंख्या में वृद्धि भय का कारण नहीं है।

(2) जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ धर्म शक्ति बढ़ती है जो अधिक उत्पादन करने में सहायक हो सकती है। प्रो. केनन के अनुसार "नयागन्तुक बच्चा केवल मुँह लेकर ही नहीं आता बरन् काम करने के लिये दो हाथ भी साथ लेकर आता है।"

(3) सिद्धान्त का गणितीय रूप अनुचित है। इतिहास में नहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हुई हो।

(4) वैज्ञानिक आविष्कारों का वह ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सका। इसी कारण साक्षात् के उत्पादन में वृद्धि के धारे में माल्यस ने एक स्थैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आज वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग में वृद्धि उत्पादन में वही अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है।

(5) जीवन स्तर के प्रभाव की उपेक्षा—माल्यस यह अनुमान नहीं लगा सका कि जीवन स्तर में सुधार एवं सम्यता के विकास के साथ-साथ लोगों की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा कम होती जाती है क्योंकि वे अपने जीवन स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

(6) माल्यस ने सम्भोग और सन्तानोत्पत्ति में कोई अन्तर नहीं समझा, जबकि सम्भोग एक प्राकृतिक इच्छा है और सन्तानोत्पत्ति एक सामाजिक इच्छा है। यह समझ है कि सम्भोग की इच्छा होते हुए भी व्यक्ति को सन्तानोत्पत्ति की इच्छा नहीं।

(7) माल्यस ने प्राणीशास्त्र के सिद्धान्त को अचूकता से नहीं समझा। सम्यता और सृष्टि के विकास के साथ-साथ व्यक्ति की प्रजनन शक्ति स्वतः घटती है अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का भय निराधार है।

(8) नैसर्गिक प्रतिबन्धों का लागू होना हमेशा जनाधिक्य का सूचक नहीं है। कभी-कभी जनाभाव होने पर भी नैसर्गिक प्रतिबन्ध क्रियाशील हो सकते हैं अथवा जनाधिक्य होने पर भी ये प्राकृतिक विपत्तियाँ उत्पन्न न हो।

(9) माल्यस का सिद्धान्त निराशावादी है—यह जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को हानिप्रद एवं खतरे का सूचक मानता है जबकि उन देशों में जनसंख्या में वृद्धि बरदान सिद्ध होती है जहाँ प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए जनसंख्या आवश्यक हो।

(10) सिद्धान्त असत्य सिद्ध हुआ है क्योंकि आज कई देशों में जनसंख्या के घटने की समस्या है।

इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि माल्यस के सिद्धान्त में आंशिक सत्यता है। पिछड़े एवं अविश्वसित राष्ट्रों में यह सिद्धान्त अचूक

भी क्रियाशील होता है। पिछड़े राष्ट्रों में खाद्यान्न और जनसंख्या में असमान दर से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति है, जबकि कृषि उत्पादन (खाद्यान्न) की गति धीमी होने से असन्तुलन है। प्राकृतिक प्रकोपों की प्रधानता रहती है। फिर भी इस सिद्धान्त की अनेक कमियों व निराशाजनक विचार-धारा के कारण अनेक चलकर विद्वानों ने जनसंख्या के सम्बन्ध में आशावादी विचार प्रस्तुत किये।

आधुनिक युग में माल्यस के जनसंख्या सिद्धान्त का श्रीचित्य एवं सत्यता

माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त आधुनिक युग में भी न्यूनाधिक रूप में लागू होता है यद्यपि औद्योगिक क्रान्ति, तकनीकी विकास और कृषि में उन्नत तरीकों के प्रयोग से प्रारम्भ में माल्यस की भविष्यवाणी पाश्चात्य विकसित राष्ट्रों में अमात्मक एवं मिथ्या सिद्ध हुई। वहाँ जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में वृद्धि हुई एवं आर्थिक समृद्धि बढ़ी, खाद्यान्न के उत्पादन में जनसंख्या की तुलना में वही अधिक वृद्धि हुई, किन्तु अब विकसित राष्ट्रों में भी जनाधिक्य के कारण प्राकृतिक साधना में होने वाली कमी, वायु-दूषण, माधनो पर जनसंख्या का बढ़ना भार और शहरों में जनसंख्या घनत्व से बढ़ती समस्याओं ने माल्यस के सिद्धान्त के श्रीचित्य पर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। पाश्चात्य विद्वानों जे फोरेस्टर ने अपनी पुस्तक "World Dynamics" तथा डेनिस मिडोज आदि की पुस्तक "The Limits of Growth" ने जनाधिक्य के खतरों से आगाह किया है। अतः विकसित राष्ट्रों में भी जनाधिक्य को रोकने की प्रवृत्ति प्रचल है।

जहाँ तक अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों का सम्बन्ध है उनमें माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त अब भी न्यूनाधिक रूप में लागू होता है। भारत में जनसंख्या समस्या के कारण खाद्यान्न का अभाव, अकाल, भुखमरी, प्राकृतिक प्रकोप—बाढ़, महामारिया, दग, बेकारी आदि हैं। पिछले 25 वर्षों में जनसंख्या दुगुनी नहीं फिर भी लगभग 1 1/2 गुनी तो बढ़ ही गई है। जहाँ 1951 में जनसंख्या 36.5 करोड़ थी वह बढ़कर 1980 में 66 करोड़ होने का अनुमान है। सरकार इस समस्या के समाधान में परिवार नियोजन के व्यापक अभियान पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। भारत के अतिरिक्त बंगलादेश, पाकिस्तान, लवा, इण्डोनेशिया, चीन आदि विकासशील देशों में माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त अब भी क्रियाशील है। खाद्यान्न और जनसंख्या में असन्तुलन है। वैज्ञानिक तरीकों से कृषि व कृषि विकास के बावजूद भी जनाधिक्य की समस्याएँ जटिल हैं। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.5% से 3.5% वार्षिक है। जन-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण से मृत्यु दरों में कमी आई, इससे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है क्योंकि अति जीवन दर (Survival Rate) बढ़ गई है।

सत्यता—स्पष्ट है कि प्राथमिक युग में भी माल्थस के सिद्धान्त में सत्यता के धरा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों में वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति से माल्थस के सिद्धान्त का भय कम है किन्तु अर्द्धविकसित एवं विकासशील देशों में उसका निराशाजनक भय अब भी व्याप्त है और आर्थिक एवं प्राकृतिक सबटा से जनता प्रसिद्ध है। इसी कारण प्रो० सेम्प्लसन (Samuelson) ने लिखा है, “माल्थस का सिद्धान्त आज भी एक जीवित प्रभाव है। उसके विचार प्रत्यक्ष रूप में उत्पत्ति ह्रास नियम पर निर्भर करते हैं और उनमें आज भी सत्यता है।” अब भी अनेक विद्वान इस सिद्धान्त की सत्यता के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं।

(1) तीव्र जनसंख्या वृद्धि—अगर जनसंख्या वृद्धि पर कोई रूकावट एवं प्रतिबन्ध न हो तो जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है चाहे उसमें माल्थस के ज्योमिटिक दर से वृद्धि भले ही न हो।

(2) खाद्यान्न का अभाव—अर्द्ध-विकसित एवं पिछड़े देशों में अब भी जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन में असन्तुलन है और खाद्यान्न का अभाव व्याप्त है।

(3) प्राकृतिक प्रकोप—जनाधिक्य वाले देशों में अब भी नैसर्गिक प्रतिबन्ध प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, युद्ध, महामारियाँ, भूचाल, बाढ़ आदि से अनेक व्यक्ति अकाल मृत्यु के प्रास होते हैं।

(4) जनसंख्या नियंत्रणों में निरोधक तत्वों का व्यापक प्रयोग है। पश्चात्य देशों में देर से शादी करने की नीति तथा उच्च जीवन स्तर के लिये परिवार को सीमित करने की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्र तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों, गर्भपात को बानूनी मान्यता, देर से विवाह आदि कार्यक्रमों में तत्परता दिखा रहे हैं।

प्रो० सेम्प्लसन के शब्दों में भारत, चीन व सतार के अग्र भागों में जहाँ जनसंख्या और खाद्यान्न पूर्ति में असन्तुलन की समस्या है, जनसंख्या के व्यवहार को समझने के लिये माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त के तत्व आज भी महत्वपूर्ण हैं।

अनुकूलतम जनसंख्या की धारणा अथवा सिद्धान्त (The Concept or Theory of Optimum Population)

माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धान्त में जनसंख्या का सम्बन्ध केवल खाद्यान्न से स्थापित किया तथा जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को रतरे का सूचक माना। परन्तु आस्तव में जनसंख्या की समस्या केवल खाद्यान्न (फूड) या आकार (1972) की समस्या नहीं है बल्कि कुशल उत्पादन एवं व्यापक वितरण की समस्या भी है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या समस्या को केवल खाद्यान्न की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में ही न देखकर देश की कुल उत्पादन क्षमता एवं वितरण की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डाल्टन, रोबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों

ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त (Optimum Theory of Population) का प्रतिपादन किया। यह सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान तथा परिस्थितियों के समान रहने पर आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम जनसंख्या का आकार वह होना चाहिये जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाये।

अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Optimum Population)

एक समय विशेष में अनुकूलतम जनसंख्या का आभास प्रायः माट रूप में जनसंख्या की उस मात्रा से है जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कही जा सकती है। इसको अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। प्रो. डाल्टन (Dalton) के अनुसार 'अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है।' (Optimum Population is that which gives the maximum Income per head.) इसी प्रकार प्रो. हिक्स (Hicks) के शब्दों में "अनुकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या का वह स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है।"

रोबिन्स (Robbins) के अनुसार "वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन सम्भव बनाती है अनुकूलतम जनसंख्या या सबसे अच्छी जनसंख्या है।" (The Population which just makes the maximum return possible is the optimum or the best possible population.) प्रो. एरिक रोल (Erich Roll) ने भी उत्पादन का आधार मानकर रोबिन्स के मत की पुष्टि की है। उसके अनुसार "अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश की वह जनसंख्या है जो अन्य साधनों की दी हुई मात्रा के सहयोग से अधिकतम उत्पादन कर सके।" कारसाडर्स तथा केनन आदि ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।

प्रो. बौल्डिंग (Boulding) के मतानुसार "वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर उच्चतम होता है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है।"

इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि "अनुकूलतम जनसंख्या" का सम्बन्ध किसी समय विशेष से होता है। आर्थिक दृष्टि से यह आकार सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। इस बिन्दु से जनसंख्या कम होने पर या जनसंख्या अधिक होने पर दोनों ही परिस्थितियों में प्रति व्यक्ति आय घटती है। जनसंख्या का यह आकार वर्तमान परिस्थितियों में देश के साधनों के समुचित शोषण के लिए उपयुक्त है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या (Explanation of the Optimum Theory of Population)—उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश में एक समय विशेष में जनसंख्या के उस आकार को व्यक्त करती है जिससे देश के साधनों का समुचित शोषण सम्भव होने से प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। प्रो. केनन के अनुसार "यह एक ऐसा बिन्दु है

जहाँ पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है तथा इस स्थिति में धर्म की मात्रा ऐसी होती है कि उसमें वृद्धि या कमी दोनों ही उत्पत्ति में कमी लाती हैं।" इस सिद्धान्त के अनुसार किसी समय विशेष में किसी देश में जनसंख्या की तान में से कोई एक स्थिति हो सकती है—

1. जनानाव (Under-population)
2. अनुसूलनमूलिनसंख्या (Optimum population)
3. जनाधिक्य (Over-population)

1. जनानाव (Under-population)—यदि देश में जनसंख्या सर्वोत्तम जनसंख्या से कम है तो इस स्थिति को जनानाव (Under-population) प्रथम या कम जनसंख्या की स्थिति कहते हैं। जनानाव की स्थिति में आर्थिक साधनों की तुलना में धर्म की शक्ति कम होती है। उससे न तो देश के आर्थिक साधनों का समुचित शोषण होता है और न देश में धर्म-विभाजन एवं विगिष्टीकरण का पर्याप्त अवसर मिलता है जिससे देश में उत्पत्ति कम होती है और प्रतिव्यक्ति आय घटती है। घन-जनानाव की स्थिति में जनसंख्या में सर्वोत्तम बिन्दु (Optimum point) तक वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक एवं वाछनीय है। अनुसूलनमूलिनसंख्या सिद्धान्त माल्यस की इस धारणा का सङ्गन करता है कि देश में जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि खर्चे का सूचक होती है। जनानाव की स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि धर्म-शक्ति में वृद्धि करेगी और देश के साधनों का समुचित शोषण होने से देश में उत्पादन एवं प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी जैसा चित्र 1 में S बिन्दु से पहले जनानाव की स्थिति है।

2. अनुसूलनमूलिनसंख्या (Optimum Population) देश में जनसंख्या के प्रकार की उस स्थिति की बताती है जो देश के साधनों के समुचित शोषण के लिये आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम है। इस स्थिति में उत्पादन और प्रतिव्यक्ति आय अधिकतम होते हैं। इस बिन्दु पर धर्म की मात्रा ऐसी होती है कि उसमें वृद्धि या कमी दोनों ही उत्पादन में कमी लाती हैं अर्थात् यह अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय का बिन्दु है जैसा चित्र-1 में S बिन्दु पर सर्वोत्तम जनसंख्या है। इस बिन्दु से जनसंख्या कम होने पर या इस बिन्दु से अधिक होने पर प्रतिव्यक्ति आय में कमी होती है। जनसंख्या का इस बिन्दु से विचलन प्रवाछनीय एवं प्रलाभदायक है।

3. जनाधिक्य (Over-population)—यदि देश में जनसंख्या सर्वोत्तम या अनुसूलनमूलिनसंख्या से अधिक है तो उसे जनाधिक्य (Over-population) की स्थिति कहते हैं। जनाधिक्य की स्थिति में देश में धर्मिकों की संख्या देश के आर्थिक साधनों की तुलना में अधिक होती है इससे साधनों पर अत्यधिक भार बढ़ जाता है। उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होगा। उत्पादन कम होगा और प्रतिव्यक्ति आय कम होगी। ऐसी स्थिति में जनसंख्या में कमी वाछनीय है और वृद्धि वास्तव में खतरनाक हो सकती है। जैसा चित्र 1 में बिन्दु S से आगे जनसंख्या जनाधिक्य की सूचक है।


इस प्रकार जनाधिक्य और जनान्माव दोनों ही स्थितियों में प्रतिव्यक्ति आय घटती है। अनुकूलतम जनसंख्या पर यह अधिकतम होती है। जैसा आगे तालिका 1 में दर्शाया गया है—

तालिका-1

जनसंख्या (करोड़ों में)	प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय (₹० में)
10	150
20	300
30	375
40	400
50	380
60	250
70	100

तालिका से स्पष्ट है कि 40 करोड़ अनुकूलतम जनसंख्या है क्योंकि इस जनसंख्या पर प्रतिव्यक्ति आय अधिकतम 400 ₹० है। इस बिन्दु से पूर्व जनान्माव है और इसके बाद जनाधिक्य की स्थिति है। दोनों में प्रतिव्यक्ति आय घटती है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त का चित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation)—अनुकूलतम जनसंख्या, जनान्माव एवं जनाधिक्य को चित्र द्वारा स्पष्ट करने में और सरलता है। चित्र-1 में OY-अक्ष पर प्रतिव्यक्ति आय तथा OX-अक्ष पर जनसंख्या करोड़ में बताई गई है।



चित्र-1

उपर्युक्त चित्र में RST जनसंख्या वक्र है इस वक्र के S बिन्दु पर अनुसूततम जनसंख्या 40 करोड़ है क्योंकि इस जनसंख्या पर ही प्रतिव्यक्ति आय अधिकतम 400 रु. है। अगर जनसंख्या 40 करोड़ से कम है तो यह जनाभाव (Under-population) की स्थिति है क्योंकि प्रतिव्यक्ति आय घटती है जैसे 20 करोड़ जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति आय केवल 300 रु. ही है अतः जनसंख्या में वृद्धि वाछनीय है। ठीक इसी प्रकार अगर जनसंख्या 40 करोड़ से अधिक है तो भी प्रतिव्यक्ति आय S से T बिन्दु तक गिरती जाती है अतः यह जनाधिक्य (Over population) की स्थिति है क्योंकि प्रतिव्यक्ति आय गिरना प्रारम्भ हो जाती है जैसे जनसंख्या 60 करोड़ होने पर प्रतिव्यक्ति आय घटकर 250 रु. ही रह जाती है। अतः ऐसी अवस्था में 40 करोड़ के बाद जनसंख्या में वृद्धि उचित नहीं है।


जनसंख्या के असन्तुलन अथवा समायोजन के अभाव को मापने का डाल्टन (Dalton) का सूत्र—डाल्टन ने जनसंख्या में असन्तुलन वा अग्र (Degree of Maladjustment) को मापने के लिये निम्न सूत्र दिया है—

$$M = \frac{A - O}{O}$$

जिसमें M = जनसंख्या में असन्तुलन वा अग्र
 A = वास्तविक जनसंख्या
 O = अनुसूततम जनसंख्या

अगर M शून्य (Zero) हो तो देश में जनसंख्या अनुसूततम या सर्वोत्तम (Optimum population) है। पर अगर M ऋणात्मक (Negative) है तो जनसंख्या सर्वोत्तम से कम अर्थात् जनाभाव (Under population) की स्थिति है और इसके विपरीत यदि M धनात्मक (Positive) है तो देश में जनसंख्या अनुसूततम जनसंख्या से अधिक अर्थात् जनाधिक्य (Over-population) की स्थिति है।

यदि अनुसूततम जनसंख्या बिन्दु स्थिर होता है? उत्तर स्पष्ट है, "नहीं" अनुसूततम जनसंख्या बिन्दु कभी स्थिर नहीं रहता। यह देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ बदलता रहता है। यदि देश में विज्ञान की प्रगति, नये प्राकृतिक साधनों की खोज, उत्पादन पद्धतियों में परिवर्तन हो जाये, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन होने लगे तो एक बार का जनाधिक्य बिन्दु भी अनुसूतत जनसंख्या बिन्दु हो सकता है या पहले की अनुसूततम जनसंख्या जनाभाव (Under-population) में बदल जायेगी। इसी प्रकार यदि देश में प्राकृतिक साधन समाप्त हो जायें, तो जो जनसंख्या पहले अनुसूततम थी वह भी मारकरूप अर्थात् जनाधिक्य को प्रदर्शित करेगी। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या का बिन्दु कोई स्थायी (Fixed) अथवा निश्चित बिन्दु नहीं है बरन् एक परिवर्तनशील बिन्दु है।



चित्र-2

चित्र द्वारा निरूपण—अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु कोई स्थिर बिन्दु नहीं वरन् परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील बिन्दु है। रेखाचित्र 2 में इसे स्पष्ट किया गया है। माना कि अर्थव्यवस्था में धन का औसत उत्पत्ति वक्र AP होने पर अनुकूलतम जनसंख्या OQ है क्योंकि इस बिन्दु पर प्रतिव्यक्ति आय अधिकतम है। पर परिस्थितियों में परिवर्तन होने से धन का औसत उत्पत्ति वक्र अब AP_1 हो जाता है तथा अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु OQ से बढ़कर OQ_1 बिन्दु हो जाता है अतः नवीन अधिक जनसंख्या OQ_1 अनुकूलतम जनसंख्या बन जाती है जो पहले अनाधिक्य को व्यक्त करती थी। इसी प्रकार अगर धन का औसत उत्पत्ति वक्र गिरकर AP_0 हो जाता है तथा अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु OQ पर आता है अतः नवीन अनुकूलतम जनसंख्या केवल OQ_0 ही रह जाती है। अतः स्पष्ट है कि पहले जो जनसंख्या अनुकूलतम थी वह अब अनाधिक्य को व्यक्त करती है। स्पष्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions)—इस सिद्धान्त के प्रतिपादन की दो आधारभूत मान्यताएँ हैं—

(i) कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात (Proportion of working population to total population) स्थिर रहता है।

(ii) श्रमिकों के औसत उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आय में सीधा सम्बन्ध रहता है। श्रमिक के औसत उत्पादन के घटने से प्रतिव्यक्ति आय में भी कमी होती है तथा औसत उत्पादन में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है।

(iii) उत्पादन की तकनीक, आर्थिक साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता जिससे जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) त्रियांगील होता है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of Optimum Theory of Population)

इस सिद्धान्त की अनेक अर्थशास्त्रियों ने बटु आलोचना की है। यह सिद्धान्त भौतिकवादी, एकपक्षीय तथा स्थिर सिद्धान्त है। अनुकूलतम जनसंख्या को मापना कठिन होने से यह बहुत ही कम व्यावहारिक महत्व का विचार है। मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

1. यह सिद्धान्त एक स्थैतिक (Static) विचार है य आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव की उपेक्षा करता है—यह सिद्धान्त अर्थव्यवस्था को स्थैतिक मानकर चलता है जबकि इस गतिशील विश्व (Dynamic World) में प्रतिपल अनेक परिवर्तन होते हैं अतः तकनीकी ज्ञान, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की उपेक्षा वास्तविकता से कुछ मोडना है।

2. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त भौतिकवादी है—यह जनसंख्या पर केवल आर्थिक दृष्टि से विचार करता है जबकि अनुकूलतम जनसंख्या मात्रा में मालूम करने में केवल आर्थिक दृष्टिकोण अपनाना ही उपयुक्त नहीं वरन् देश की सैनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जनसंख्या का एक मात्र आर्थिक दृष्टि से अनुकूलतम होते हुये भी प्रतिरक्षा (Defence) की दृष्टि से अपर्याप्त हो सकता है।

3. यह सिद्धान्त जनसंख्या के सामाजिक उद्देश्यों के प्रति संकीर्ण है। प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होना ही पर्याप्त नहीं, जनसंख्या के मात्रात्मक पहलू के साथ उसके गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि देश की भावी प्रगति स्वस्थ, बुद्धिमान एवं शिक्षित जनसंख्या पर निर्भर करती है किन्तु कुछ अर्थशास्त्री जैसे बोल्डिंग, पेनरोज आदि इस सिद्धान्त को गुणात्मक विचार भी मानते हैं।

4. यह सिद्धान्त राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण पर ध्यान नहीं देता अतः दोषपूर्ण है। यह केवल प्रतिव्यक्ति आय मालूम करता है जबकि धन के असमान वितरण की अवस्था में प्रतिव्यक्ति आय ऊँची होने पर भी जनसंख्या की दुर्दशा होगी।

5. यह एक अव्यावहारिक सिद्धान्त है—अनुकूलतम जनसंख्या को मापना कठिन है अतः मापने के अभाव में इस सिद्धान्त का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह

जाता। इसके अतिरिक्त इस गतिशील विश्व में प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं तो स्थैतिक दृष्टिकोण पर आधारित वह सिद्धान्त व्यावहारिक जीवन से दूर हो जाता है। प्रो हिक्स (Hicks) ने कहा है "यह बहुत ही कम व्यावहारिक महत्व का विचार है।"

6 सही अर्थों में यह सिद्धान्त नहीं है वरन् अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विचार "अनुकूलतम" का प्रयोग जनसंख्या के क्षेत्र में है। यह जनसंख्या में वृद्धि के नियमों के बारे में चुप है। न गुणात्मक पहलू पर विचार करता है।

यद्यपि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गई हैं फिर भी यह सिद्धान्त माल्थस के निराशावादी विचारों के विरुद्ध एक आशावादी दृष्टिकोण है। यह बताता है कि जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि खतरे का सूचक नहीं। अगर जनसंख्या में वृद्धि से प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती हो तो जनसंख्या में वृद्धि लाभदायक एवं वाछनीय है। हाँ, अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक वृद्धि मय का कारण है।

क्या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त से श्रेष्ठ है ?

(Superiority of Optimum Theory over Malthusian Theory)

अथवा

माल्थस के सिद्धान्त व अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त में अन्तर-तुलना

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त पर एक महत्वपूर्ण सुधार (Improvement) कहा जा सकता है क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त की तुलना में अनेक दृष्टि से श्रेष्ठ एवं अच्छा है। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है—

(1) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त एक आशावादी (Optimistic) सिद्धान्त है जबकि माल्थस का सिद्धान्त निराशावादी (Pessimistic) सिद्धान्त है। माल्थस सदा मानव समाज के सामने आने वाले आर्थिक नरक से आतंकित था किन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त सदा भविष्य में आने वाले स्वर्ग की आशा करता है।

(2) अनुकूलतम जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि खतरे का सूचक व हानिकारक नहीं, केवल वही जनसंख्या वृद्धि खतरनाक है जिससे प्रतिव्यक्ति आय घटती है। जब तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी है तब तक जनसंख्या में वृद्धि वाछनीय है किन्तु माल्थस जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को खतरे का सूचक मानता है।

(3) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त अधिक व्यापक है क्योंकि वह जनसंख्या के आकार का अध्ययन देश के समस्त आर्थिक साधनों के सम्बन्ध में करता है किन्तु माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त जनसंख्या को केवल साधनों से सम्बन्धित करता है यह उपयुक्त नहीं है। अतः सही है।

(4) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त जनसंख्या की केवल परिमाणात्मक दृष्टि से नहीं देखता। यह जनसंख्या के आकार के साथ-साथ उसकी उत्पादन क्षमता पर भी ध्यान देता है क्योंकि जनसंख्या की समस्या केवल आकार की ही समस्या नहीं बरन् कुशल उत्पादन एवं न्यायोचित वितरण की समस्या भी है।

बिन्दु माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त केवल जनसंख्या के आकार पर ही अधिक जोर देता है मानो आकार ही सब कुछ हो। उसने उत्पादनता व कुशलता की उपेक्षा की।

(5) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त इस दृष्टि से गतिशील (Dynamic) है कि यह अनुकूलतम जनसंख्या को स्थिर नहीं मानता। अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तनों के साथ परिवर्तनशील है। बिन्दु माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त स्थैतिक (Static) है।

(6) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त प्रति व्यक्ति आय को जनाधिक्य या जनाभाव की स्थितियों का पता लगाने में प्रयोग करता है जबकि माल्यस प्राकृतिक प्रकोपों को जनाधिक्य का सचेतक मानता है। यह अनुपयुक्त है क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप तो जनाभाव की स्थिति में भी उत्पन्न हो सकते हैं अतः उन्हें आधार मानना भ्रमात्मक है।

(7) अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त माल्यस सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त माल्यस के जनसंख्या सिद्धान्त की तुलना में श्रेष्ठ है। यह अधिक व्यावहारिक, आशावादी, गतिशील और तार्किक विचार है। यह जनसंख्या के सम्बन्ध में सन्तुलित एवं विवेकपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। बिन्दु फिर भी हम देखते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या की मापना कठिन है तथा यह सिद्धान्त जनसंख्या में होने वाली घटत-बढ़त या परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या नहीं करता और न जनसंख्या सम्बन्धी नियमों की विवेचना करता है अतः इसका व्यावहारिक महत्त्व कम ही है। जैसा हिवस ने ठीक ही कहा है “यह बहुत ही कम व्यावहारिक महत्त्व का विचार है।”

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की उपयोगिता अथवा महत्त्व

(Utility & Importance of Optimum Population Theory)

यद्यपि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्यावहारिकता में शका की जाती है फिर भी यह सिद्धान्त जनसंख्या सिद्धान्त को समझने तथा उसके समाधान में काफी उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(1) जनसंख्या सम्बन्धी आशावादी दृष्टिकोण है जो जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को खतरे का सूचक नहीं मानता और माल्यस के निराशावादी, एकाकी एवं स्थैतिक धारणा में नई आशा की किरण है।

(2) जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू और गुणात्मक पहलू का उचित संयोग है अतः नीति निर्धारकों को यह मार्ग-दर्शन मिलता है कि जनसंख्या मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टियों से अनुकूलतम होनी चाहिये।

(3) प्राथमिक दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि अनुकूलतम बिन्दु कोई स्थिर बिन्दु नहीं है। जिस देश में अभी जनसंख्या अधिक है अगर वहाँ के प्राकृतिक मानवीय साधनों का पूरा पूरा विकास एवं प्रयोग किया जाय तो समस्या स्वतः सुलभ जाती है अतः देश में आर्थिक विकास दर बढ़ाने से भी समस्या सुलभाना सम्भव है।

(4) सतुलित धारणा है—इसमें जनसंख्या का सम्बन्ध केवल खाद्यान्न से स्थापित नहीं किया गया बरन् समस्त आर्थिक साधनों से किया गया है अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लक्ष्य रहता है।

(5) मापने में सरलता है—प्राकृतिक प्रतिबन्ध जनाधिक्य के उचित मापक नहीं माने जा सकते जबकि प्रतिव्यक्ति आय में घटत-बढ़त अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी मापदण्ड है। अतः आजकल प्रतिव्यक्ति आय जनसंख्या समस्या की व्यापकता और गहनता में काफी उपयोगी उपकरण है।

(6) जनसंख्या नीति निर्धारण में यह सिद्धान्त उपयोगी है। यह जनसंख्या के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पहलुओं को एकीकृत कर देखता है अतः सरकार द्वारा जनाधिक्य की समस्या के समाधान के लिए एक ओर आर्थिक साधनों के विकास व पूरे-पूरे प्रयोग से प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है वहाँ दूसरी ओर जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं जन्म-मृत्यु दर पर नियन्त्रण किया जाता है। अगर प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है साधनों के प्रयोग में सुविधा रहती है तो बढ़ती जनसंख्या भी उपयोगी होती है।

किन्तु इस उपयोगिता एवं महत्व के बावजूद “अनुकूलतम” की धारणा का व्यावहारिक महत्व कम ही है क्योंकि उनका मापना कठिन है।

कम जनसंख्या या जनाभाव एवं जनाधिक्य (अति-जनसंख्या)

(Under Population & Over-Population)

1. जनाभाव (Under Population)—माध्यम के अनुसार जनाभाव वह स्थिति है जब देश में खाद्यान्न की पति की तुलना में जनसंख्या कम है परन्तु अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार जनाभाव (Under Population) वह जनसंख्या है जो अनुकूलतम जनसंख्या से कम है। ऐसी अवस्था में देश में श्रम-शक्ति की आर्थिक साधनों की तुलना में कमी है अतः श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण सम्भव नहीं। देश में श्रम-शक्ति देश के प्राकृतिक साधनों के समुचित विदोहन में प्रयत्न है इस कारण प्रतिव्यक्ति आय नीची है। अगर जनसंख्या में वृद्धि की जाय तो देश के साधनों का समुचित शोषण सम्भव होगा तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि से कुल उत्पादन

घोर प्रतिव्यक्ति भाय मे वृद्धि होगी घत' जनाभाव की स्थिति मे जनसंख्या मे वृद्धि वाछनीय है ।

2. जनाधिक्य (Over Population)—माल्यस के अनुसार अगरे देश मे जनसंख्या साघाघ्रो की पूरति की तुलना मे अधिक है तथा देश मे प्राकृतिक (नैसर्गिक) प्रतिबन्ध जैसे युद्ध, महामारी, अवाल, भूकम्प, बाढ आदि विद्यमान है तो ये सब जनाधिक्य (Over Population) की स्थिति के घोटक हैं । किन्तु अनुवृत्त जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार जनाधिक्य (Over Population) वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या अनुवृत्ततम बिन्दु से अधिक है और प्रति व्यक्ति भाय अधिकतम बिन्दु से कम है । अम शक्ति आर्थिक साधनो की तुलना मे अधिक है परिणाम स्वरूप जनसंख्या का भार बढ जाता है, उत्पादन मे उत्पात्ति ह्रास नियम लागू होता है जिससे प्रतिव्यक्ति भाय घटती है । जनसंख्या मे प्रत्येक वृद्धि खतरे का सूचक है ।

जनाधिक्य के दुष्प्रभाव

(Demerits of Over-Population)

जनाधिक्य का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । जैसे (1) जनाधिक्य से खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है । (2) जनाधिक्य से बेकारी की समस्या बढती है । (3) आर्थिक साधनों पर भार बढता है जिसके फलस्वरूप उत्पात्ति ह्रास नियम त्रियाशील होता है और उत्पादन प्रगतो में वृद्धि होती है । (4) प्रति व्यक्ति भाय घटती है और जनता मे निर्धनता बढती है । (5) देश मे प्राकृतिक प्रकोपो और खास तौर से महामारी, अकाल व युद्ध आदि बढते हैं जिससे असामयिक मृत्यु घडती है । (6) लोगो की निर्धनता के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता है और जनसंख्या का गुणात्मक रूप बिगडता है । (7) अर्थव्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है । (8) आर्थिक विकास एव पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पडता है तथा आर्थिक विकास प्रायः अवरुद्ध हो जाता है । प्रगति का लाभ नहीं मिलता जैसे हम भारत मे इन सभी दुष्प्रभावो से पीडित हैं ।

जनाधिक्य की समस्या के निराकरण के उपाय (Measures to Check the Problem of Over-Population)—जनाधिक्य की समस्या के निराकरण के लिए अनेक उपाय अपनाये जा सकते हैं (1) वृत्ति उत्पादन मे वृद्धि (2) तीव्र औद्योगीकरण (3) शिक्षा का विस्तार (4) स्त्रियो की आर्थिक स्वतन्त्रता (5) तीव्र गति से आर्थिक विकास (6) परिवर्तित विद्योक्त कार्यक्रमो से लेडी आदि । (भारत संकल्प-धिक्य, कारण व उपाय पिछले अध्याय 9 में सविस्तार समभाये गये हैं—विशेष अध्ययन के लिए उसको पढें ।)

जनाधिक्य तथा जनाभाव के दुष्प्रभाव पिछले अध्याय 9 मे भी शीघ्रकानुसार दिये गये हैं, उन्हे वहाँ भी देखलें ।

सर्व
तथ

क्या बढ़ती हुई जनसंख्या सदा अवांछनीय है ?

(Is Increasing Population Always Undesirable)

स्थि
मान
सुल
सम्स्था
ध्यानहीं
माप
गहनगुणों
धिव
पूरे
सखप्रा
उपा

व्या

।

।

।

।

।

।

।

।

।

माल्यस जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को निराशा की दृष्टि से देखता था तथा प्रत्येक वृद्धि को खतरे का सूचक मानता था। बिन्दु उसका यह विचार अनुपयुक्त था अगर देश में जनसंख्या अनुकूल आकार से कम है तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या में वृद्धि वांछनीय एवं लाभदायक है क्योंकि अगर देश में जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होगी तो देश की श्रम-शक्ति आर्थिक साधनों की तुलना में कम होगी और उन आर्थिक साधनों का समुचित शोषण न हो सकेगा। इसी प्रकार श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण करना भी कठिन होगा। जनसंख्या में कमी से उत्पादन कम और प्रतिव्यक्ति आय कम होगी। अतः ऐसी परिस्थितियों में जनसंख्या में वृद्धि आवश्यक है। जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक साधनों का समुचित शोषण सम्भव होगा, श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु से पहले जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक दृष्टि से वांछनीय है। अनुकूलतम जनसंख्या बिन्दु के बाद जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि खतरे का सूचक एवं अनुपयुक्त है क्योंकि जनसंख्या में इस वृद्धि से आर्थिक साधनों पर भार बढ़ेगा। बेकारी बढ़ेगी। उत्पादन में सीमान्त उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से प्रति व्यक्ति आय घटेगी। अतः जनसंख्या में ऐसी वृद्धि ही अवांछनीय एवं अनुचित मानी जाती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धान्त (Optimum Theory of Population) का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(प्रथम वर्ष राज. 1974) विशेष परीक्षा

अथवा

- अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त को समझाइये। इसकी क्या आलोचनाएँ हैं ? (संकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में अनुकूलतम जनसंख्या का आसपास देकर सिद्धान्त व्याख्या विवरण तालिका व चित्र द्वारा कीजिये। अन्त में आलोचनाएँ व निष्कर्ष दीजिये।)
2. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त को समझाइये। माल्यस के सिद्धान्त से यह किन बातों में भिन्न है ?

(I yr. T. D. C. राज 1975)

अथवा

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। यह सिद्धान्त माल्यस के सिद्धान्त पर किस प्रकार सुधार (थेच) है ?

केत—प्रथम भाग में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या उदाहरण तालिका चित्र द्वारा कीजिये, फिर माल्थस व अनुकूलतम सिद्धान्त की तुलना में अनुकूलतम सिद्धान्त की श्रेष्ठता बताइये।)

3 “जनसंख्या में वृद्धि न तो सदैव लाभदायक होती है और न सदैव हानिकारक होती है” अनुकूलतम सिद्धान्त के परिप्रेष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

(सकेत—अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या चित्र सहित देकर बताइये कि अगर जनसंख्या की स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है तो वह लाभदायक है और अनुकूलतम जनसंख्या के बाद जनघनत्व हानिकारक होता है। उदाहरण सहित बताइये।)

4 जनघनत्व (Over-Population) से आप क्या समझते हैं? जनघनत्व के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और जनघनत्व की समस्या का समाधान कैसे होता है?

(सकेत—शीर्षकों के अनुसार विवरण पुस्तक के अनुसार दीजिये।)

5 अनुकूलतम जनसंख्या की धारणा की विवेचना कीजिये और इस धारणा की उपयोगिता समझाइये। (राज प्रथम वर्ष कला पूरक परीक्षा 1973)

(सकेत—प्रथम भाग में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या देना है, तालिका व चित्रों से स्पष्ट करना है, फिर आलोचनात्मक विवरण देना है और तीसरे भाग में इस धारणा का महत्व या उपयोगिता बताना है।)

6. प्रति जनसंख्या (Over Population) में आप क्या समझते हैं? क्या बढ़ती जनसंख्या सदैव अवाछनीय होती है?

(1 yr T D C Raj. 1974)

(सकेत—प्रथम भाग में प्रति जनसंख्या का अर्थ स्पष्ट कीजिये। जनघनत्व स्थिति में गरीबी, मुलमरी, खाद्यान्न अभाव, बेकारी, निम्न जीवन स्तर, पूँजी निर्माण का अभाव, अर्थात् भारत में जैसी विशेषताएँ पाई जाती हैं, और उसके दुष्प्रभाव को संक्षेप में बताकर सिद्ध करना है कि सामान्यतः बढ़ती जनसंख्या अवाछनीय है पर अगर देश में साधनों की तुलना में जनसंख्या कम हो तो बढ़ती जनसंख्या वाछनीय है।)

7. माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। यह आधुनिक समय में कहाँ तक लागू होता है?

(Raj I yr T D C. (Non-Collegiate) 1976)

अथवा

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये, यह सिद्धान्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कहाँ तक लागू होता है?

(Raj I yr T D C 1980)

(सकेत—पहले भाग में पुस्तक में दिये गये माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का विवरण व तालिका देकर दूसरे भाग में उसकी आलोचनात्मक विवेचना देना है तथा तीसरे भाग में आधुनिक समय में सिद्धान्त की क्रियाशीलता बताना है जैसे शीर्षकानुसार दिया गया है ।)

8. माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।

(Raj 1 yr. T.D.C 1978)

(सकेत—माल्थस का सिद्धान्त देकर आलोचनाएँ देना है और अन्त में निष्कर्ष देना है ।)

पूँजी-निर्माण या पूँजी-संचय (Capital Formation or Capital Accumulation)

प्राधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति में पूँजी उत्पादन प्रणाली का प्राण तथा आर्थिक विकास का जनर मानी जाती है। अतः पूँजी का प्राधुनिक युग में बहुत महत्व हो गया है। देश में पूँजी निर्माण जितनी तीव्र गति से होगा उतना ही देश का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

पूँजी निर्माण का अर्थ (Meaning of Capital Formation)—मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग पूँजी कहलाता है जो अधिक धनोत्पत्ति के काम आता है। इसलिये प्रो. मार्शल ने कहा है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न उस सम्पत्ति को पूँजी कहते हैं जो और अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने के काम आती है। इस प्रकार पूँजी उत्पत्ति का उत्पादित साधन है। मशीन, औजार, बच्चा माल, सड़कें, नहरें, आदि पूँजी के उदाहरण हैं। देश में इन पूँजीगत पदार्थों की उत्पत्ति ही पूँजी निर्माण है।

पूँजी निर्माण का आशय बालू उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो उपभोग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर भविष्य में और अधिक सम्पत्ति उत्पादन में लगाया जाता है। सङ्कुचित दृष्टिकोण से पूँजी निर्माण का अर्थ पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण से है। इनके अन्तर्गत मशीनें, औजार, बच्चा माल, यानायात, उपकरण आदि हैं। प्रो. रिचार्ड गिस् के अनुसार "पूँजी संचय मशीनें, औजार, भवन आदि को बढ़ाने की प्रक्रिया है।" इस प्रकार भौतिक रूप में उत्पादन वस्तुओं का सृजन ही पूँजी निर्माण कहलाता है।

प्रो. रैगनर नर्कसे (R Nurkse) के अनुसार 'पूँजी निर्माण (Capital Formation) का आशय यह है कि समाज अपनी सम्पूर्ण वर्तमान उत्पादन क्षमता को उपभोग सम्बन्धी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं लगाता बरन् इसका एक भाग पूँजीगत वस्तुओं जैसे यन्त्र एवं उपकरण, मशीनें तथा यानायात की सुविधाओं तथा वास्तविक पूँजी के विभिन्न रूपों जिनसे उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है, के निर्माण के लिए प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया का एक सारांश यह है कि समाज में उपलब्ध प्रचलित साधनों के एक भाग का प्रयोग

पूँजीगत वस्तुओं के कोष को बढ़ाने में किया जाता है जिससे भविष्य में उपनोग्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो सके।" संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बचतों का वह भाग जो पूँजीगत वस्तुएँ बनाने में प्रयुक्त होता है पूँजी निर्माण कहलाता है।

व्यापक दृष्टिकोण से पूँजी निर्माण में भौतिक पूँजी के अनिश्चित अर्थोत्पत्तिक और प्रदृश्य पूँजी जैसे मानव पूँजी (Human Capital) आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। पूँजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का वह भाग ही सम्मिलित नहीं किया जाता जो प्रत्यक्ष रूप से अधिक आय उत्पादन में काम में लाया जाता है अपितु वह सब राशि भी सम्मिलित की जाती है जो शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान आदि पर व्यय की जाती है। इन पर व्यय से जन-शक्ति कुशलता में वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार मानवीय कौशल (Human Skill) में वृद्धि भी पूँजी निर्माण ही है। अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के सन्दर्भ में पूँजी निर्माण की व्यापक धारणा में मशीनों, औजारों, कच्चा माल, परिवहन आदि के अनिश्चित अर्थ की कुशलता में वृद्धि के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर किया गया व्यय भी पूँजी निर्माण है। सामान्य रूप में राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधन के रूप में पूँजी निर्माण शब्द को संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है।

पूँजी निर्माण की अवस्थाएँ (Stages of Capital Formation)—

पूँजी-निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समाज वर्तमान उपभोग को कम करके धन बचाते हैं, बचतों को उत्पादक प्रयोगों में लाते हैं ताकि और अधिक धन उत्पादन हो सके। इससे पूँजी निर्माण की प्रक्रिया तीन अवस्थाओं से गुजरती है—

(i) वास्तविक बचतों का निर्माण—पूँजी निर्माण के लिये सर्वप्रथम वास्तविक बचतों का निर्माण करना होता है अर्थात् वर्तमान आय में से उपभोग व्यय कम करके बचतों में वृद्धि करना है। यह बचाने की इच्छा (Will to Save) तथा बचाने की शक्ति (Power to Save) पर निर्भर करती है।

(ii) बचतों को एकत्र कर गतिशील करना (Mobilisation of Saving)—दूसरी अवस्था बचतों को एकत्रित कर उन्हें गतिशील बनाना है। इसके लिए देश में बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं का जाल सा बिछा होना चाहिये जो कुशलता से लोगों की बचतों को एकत्रित कर उन्हें विनियोगकर्ताओं या उत्पादक ऋणियों में सौंप सकें।

(iii) मौद्रिक बचतों को वास्तविक पूँजीगत साधनों में बदलना—पूँजी निर्माण की तीसरी अवस्था बचतों को पूँजीगत वस्तुओं (Capital Assets) में बदलना है। केवल बचतों को एकत्रित करना ही पूँजी निर्माण नहीं कहलाता बचतों को विनियोग करके पूँजीगत सम्पत्ति का निर्माण ही पूँजी निर्माण है।

इस प्रकार पूँजी निर्माण की तीना अवस्थाएँ स्वतन्त्र हैं पर तीनों के द्वारा पूँजी निर्माण होता है। बचतें हो, बचता को एकत्रित करने तथा उन्हें विनियोग कर्त्ताग्रा के पास गतिशील करने के लिये कुशल यन्त्र व्यवस्था (Machinery) हो प्रया इन बचता को पूँजीगत वस्तुग्रा में बदला जावे।

आधुनिक उत्पादन व्यवस्था तथा आर्थिक विकास में पूँजी निर्माण का महत्व या भूमिका

(Importance or Role of Capital Formation in Economic Development & Modern Productive System)

किसी भी देश के आर्थिक विकास में पूँजी तथा पूँजी-निर्माण का बहुत महत्व है। पूँजी निर्माण वस्तुतः आर्थिक विकास की कुँजी है। प्रो. ब्राइट के शब्दों में 'सर्वे व्यवस्था में उत्पादन वृद्धि का सामर्थ्य यत्नमान आय के पूँजी निर्माण हेतु सहाय्य गये अनुपात और पूँजी सामग्रियों के गुण तथा कुशलता पर निर्भर करता है।' पूँजी निर्माण भारी एक आधारभूत उद्योग की स्थापना द्वारा औद्योगिक विकास की जड़ों का सक्ल बनाता है तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करता है। प्रो. कुजनेत्स के अनुसार 'पूँजी निर्माण आर्थिक उत्पादकता और विकास के लिये आवश्यक शक्ति है।'

आर्थिक विकास में पूँजी निर्माण का दोहरा कार्य है। पुमारो हुसैन के शब्दों में 'पूँजी के विनियोग का आर्थिक विकास में दोहरा कार्य है। एक ओर यह अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी ओर मावो उत्पादन के लिए उत्पादन सामर्थ्य का निर्माण करती है।' विभी भी देश का आर्थिक विकास पूँजी निर्माण से तीन प्रकार से सम्बन्धित रहता है। पूँजी निर्माण आर्थिक प्रसार का सामान्य साधन है। तकनीकी प्रगति के लिये अतिरिक्त पूँजी आवश्यक होती है तथा पूँजी की अधिक मात्रा उत्पादन की पुमावधार प्रणालियों को सम्भव बनाती है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगार का विस्तार होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वास्तव में उत्पादन में वृद्धि तथा आय एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि की कुँजी पूँजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित है।

अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिये पूँजी निर्माण एक आवश्यक शक्ति है। इन देशों में उत्पादन के साधन पिछड़े हैं तकनीकी प्रगति धीमी है। परिवहन एवं संचार साधनों का निताभत अभाव है। जनसंख्या का भार अधिक है, बाजार सकुचित है और ये देश आर्थिक दरिद्रता के वृचक्र में फसे हुए हैं। इन देशों में पूँजी की आवश्यकता सर्वाधिक है क्योंकि पूँजी आर्थिक विकास में निम्न तरीका से योगदान करती है—

1 पूँजी निर्माण आर्थिक क्रियाओं का विस्तार में सहायक होती है अर्थात् अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण और औद्योगिक बनाने के लिये, वर साथ का विस्तार

करने के लिए, प्राकृतिक साधनों की खोज एवं विदोहन तथा आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी सेवाओं (Social and Economic Overhead Facilities) के लिए भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है।

2 आर्थिक जडता (Stagnation) की समाप्ति के लिए पूँजी निर्माण आवश्यक है। पूँजी से विनियोग बढ़ते हैं, प्रभावपूर्ण माग बढ़ती है परिणामस्वरूप लोगों को अधिक रोजगार और आय प्राप्त होती है और आय तथा रोजगार वृद्धि आर्थिक जडता को समाप्त कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। पूँजी निर्माण की प्रक्रिया एवं बार प्रारम्भ हो जाने पर तीव्र आर्थिक विकास सम्भव बनाती है।

3 पूँजी निर्माण तकनीकी प्रगति (Technical Progress) का आधार है—आर्थिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति आवश्यक है और पूँजी निर्माण इस सम्भव बनाता है। नव-प्रवर्तनों को लागू करने अनुसंधान, एवं खोज करने के लिए पूँजी आवश्यक है।

4 पूँजी निर्माण उत्पादन की घुमावदार प्रणालियों को अपनाते में सहायता करती है जो श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, बड़े पैमाने की उत्पत्ति द्वारा उत्पादकता में वृद्धि कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

5 कृषि विकास, औद्योगीकरण तथा परिवहन एवं संचार साधनों के विकास के लिये पूँजी निर्माण बहुत ही आवश्यक होता है।

6 पूँजी निर्माण मानवीय पूँजी निर्माण में सहायक होकर आर्थिक विकास की गति तेज करता है। आर्थिक विकास के लिए न केवल भौतिक पूँजी ही आवश्यक होती है बरन् मानव पूँजी निर्माण भी आवश्यक होता है जिससे जन शक्ति की कार्य-कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं।

7 उत्पादकता में वृद्धि—पूँजी निर्माण से बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं मशीना के प्रयोग से उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होती है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों के श्रमिकों की उत्पादकता विद्युत् राष्ट्रों के श्रमिकों की उत्पादकता से कहीं अधिक है।

8 आर्थिक साधनों का विदोहन—पूँजी देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों के विदोहन को सम्भव बनाती है। उन्नत कृषि, औद्योगीकरण, परिवहन विकास एवं खनिजों के विदोहन में बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है।

9 आर्थिक निधनता का कुचक्र तोड़ना—अर्द्ध-विकसित देशों की जनता गरीबी के कुचक्र में फँसी हुई है अतः उन्हें इन निधनता के कुचक्रों से मुक्त करने के लिए पूँजी का विशेष महत्त्व है।

सारांश यह है कि पूँजी निर्माण से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता वृद्धि में अधिक उत्पादन होता है। जीवन-स्तर में सुधार होता है। अर्थ व्यवस्था का विस्तार एवं विविधकरण होता है।

किन्तु 'आधुनिक' घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पू जी निर्माण अधिक विकास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं है। यद्यपि पू जी निर्माण उत्पादकता वृद्धि एवं आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है किन्तु वह ही आर्थिक विकास की एक पर्याप्त दशा (Sufficient Condition) नहीं है। अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में केवल पू जी के कोष तथा नवीनतम औजारों मशीनों या यन्त्रों की पूर्ति मात्रा में वृद्धि कर देने मात्र से ही आर्थिक विकास नहीं हो सकता पू जी निर्माण के साथ साथ उपयोग की उपयुक्त योजना तथा आवश्यक वातावरण भी आवश्यक है। प्रो लैविस (Lewis) का कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है 'आर्थिक विकास पू जी के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे उन संस्थाओं (Institutions), जो प्रयत्नों को प्रेरणा देती हैं उन दृष्टिकोणों (Attitudes) जो आर्थिक कुशलता को महत्व देते हैं, तथा तकनीकी ज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित है। विकास के लिए केवल पू जी ही एक मात्र आवश्यक तत्व नहीं है क्योंकि यदि केवल पर्याप्त पू जी की व्यवस्था करली जाय किन्तु उसके प्रयोगों को उपयुक्त योजना तैयार नहीं की जाय तो यह व्यर्थ हो जायेगा।'

इसी प्रकार प्रो बोर तथा यामे (Baur and Jamey) का भी मत है कि 'यह कहना कि आर्थिक विकास पू जी-निर्माण पर निर्भर करता है की अपेक्षा यह कहना कि विकास की प्रक्रिया में पू जी का निर्माण होता है सत्य के अधिक समीप है।' इन तथ्यों के विवेचन से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि आर्थिक विकास में पू जी निर्माण का बहुत योग रहा है किन्तु आर्थिक विकास के लिए पू जी के अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान, कुशलता, प्रेरणादायक संस्थाएँ तथा कुशलता को महत्व देने वाले दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। पू जी निर्माण आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है किन्तु पू जी निर्माण ही आर्थिक विकास की एकमात्र पर्याप्त दशा नहीं है।

पू जी निर्माण या पू जी सचय को प्रभावित करने वाले तत्व (घटक)
(Factors Affecting Capital Formation or Accumulation of Capital)

अथवा

पू जी की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व (घटक)

(Factors Influencing the Supply of Capital)

किसी भी देश में पू जी निर्माण या पू जी सचय अथवा पू जी की पूर्ति पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। चूँकि पू जी निर्माण या पू जी सचय अथवा पू जी की पूर्ति बचत की मात्रा पर निर्भर करती है (जिसको की-स ने बचत की प्रवृत्ति (Propensity to Save) कह कर पुकारा है) लोगों के बचत करने की प्रवृत्ति बचत करने की इच्छा बचत करने की शक्ति, बचत करने की सुविधा तथा सरकार की नीति पर निर्भर करती है। अतः पू जी निर्माण के निर्धारक घटकों को हम अधोलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

पूँजी निर्माण या पूँजी संचय के तत्व/घटक

(I) बचत की शक्ति (Power to Save)	(II) बचत की इच्छा (Will to Save)	(III) बचत की सुविधाएँ (Facilities to Save)	(IV) सरकार की भूमिका (Role of Govt)
(i) प्राकृतिक साधन तथा आर्थिक विकास की अवस्था	(i) दूरदर्शिता (ii) पारिवारिक स्नेह	(i) शान्ति एवं सुरक्षा	(i) मौद्रिक नीति (ii) राजकीय नीति
(ii) आय का स्तर	(iii) सम्मान व शक्ति की लालसा	(ii) विनियोग सुविधाएँ	(iii) प्रत्यक्ष बचत एवं विनियोग
(iii) धन का वितरण	(iv) आर्थिक समृद्धि की आकांक्षा	(iii) मौद्रिक स्थायित्व	(iv) सामाजिक पूँजी आदि
(iv) व्यय चातुर्य	(v) स्वभाव	(iv) कुशल, योग्य एवं ईमानदार साहसी	
	(vi) व्याज की दर		

I बचत करने की शक्ति

(Ability or Power to Save)

पूँजी निर्माण या पूँजी संचय बचत करने की क्षमता या शक्ति पर निर्भर करता है पर बचत करने की शक्ति पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। चाहे व्यक्ति बचत करने को इच्छुक हो पर उसकी आय ही इतनी कम हो कि वह बचत कर ही न सके। बचत की शक्ति आय व देश की आर्थिक विकास की अवस्था से सम्बन्धित है।

(1) प्राकृतिक साधनों की पूर्ति एवं आर्थिक विकास—जिन देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होती है तथा आर्थिक प्रगति के परिणामस्वरूप उनका विदोहन कर लिया जाता है तो उन लोगों की बचत करने की शक्ति उन देशों की अपेक्षा अधिक होगी जहाँ प्राकृतिक साधनों का अभाव या कमी है तथा आर्थिक विकास का स्तर नीचा है। आज अमेरिका, रूस की बचत करने की शक्ति अर्द्धविकसित राष्ट्रों से कहीं अधिक है।

(2) आय का स्तर—जिन देशों में लोगों की आय का स्तर ऊँचा होता है उन देशों की बचत शक्ति उन देशों के लोगों से अधिक होती है जिनकी आय बहुत ही कम होती है। भारत में प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अतः पूँजी निर्माण के लिए बचत की शक्ति कम है।

(3) धन का वितरण—अन्य बातों के समान रहते हुए धन के वितरण में असमानता से बचत करने की शक्ति बढ़ती है क्योंकि ऊँचे आय स्तर पर उपभोग

प्रवृत्ति कम तथा बचत प्रवृत्ति घटि व होती है। कम आय वाले पिछड़े देशो मे तीव्र पूँजी निर्माण के लिए देश मे धन क असमान वितरण को उपयुक्त माना जाता है पर सामाजिक दृष्टि से यह अवांछनीय है। धन का समान वितरण होने पर पूँजी निर्माण कम होता है।

(4) धन्य करम की चातुर्यता—जिस देश की जनता अपनी आय का सावधानी एवं चतुरता से विवेकपूर्ण ढंग से सदुपयोग करती है तो उसकी बचत करने की शक्ति उन देशो की जनता से अधिक होगी जो अपनी आय को ठीक प्रकार से धन्य नहीं करते।

II बचत की इच्छा

(Will to Save)

बचत करने की शक्ति होने हुए भी अगर बचत करने की इच्छा न हो तो पूँजी निर्माण असम्भव हागा। अत पूँजी निर्माण के लिय बचत करने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। बचत की इच्छा पर निम्न घटकों का प्रभाव पड़ता है—

(i) दूरदर्शिता—व्यक्ति जितना अधिक दूरदर्शी होता है उतनी ही उसकी बचान की इच्छा अधिक होती है जबकि दूरदर्शिता क अभाव म बचत की इच्छा कम होती है। यही कारण है कि विगसित राष्ट्रों म लोग शिक्षित होने से दूरदर्शी होते हैं। अत पूँजी निर्माण की गति तज है जबकि भारत जम अठ विकसित राष्ट्रों मे शिक्षा के अभाव म पूँजी निर्माण की गति घीमी है।

(ii) पारिवारिक स्नेह—जिन देशो के लोगो मे अपने परिवार क सन्स्यो व आश्रितो के प्रति अधिक स्नेह हाता ह वहाँ के लोगो म अपने परिवार क उज्ज्वल भविष्य के लिए बचाने की इच्छा अधिक होती है जबकि इसके विपरीत जहाँ पारिवारिक स्नेह कम होता है बचान की इच्छा भी कम होती है। इस दृष्टि स भारत में पारिवारिक स्नेह तो अधिक है पर बचत की क्षमता नहीं है। अत इच्छा होते हुए भी बचतें सम्भव नहीं होती और पूँजी निर्माण की गति घीमी है।

(iii) प्रतिष्ठा व शक्ति की लालसा—जिन देशो के लोगो म सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान तथा आर्थिक शक्ति की लालसा होती है व उतनी ही अधिक बचत की इच्छा करते हैं। धन ही उनकी वस मानसिक भूल की पूति करने मे सहायक होता है अत पूँजी सचय की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके विपरीत जिन लोगो म प्रतिष्ठा व शक्ति हथियाने की जानसा नही होती उनमे बचत की इच्छा एवं प्रेरणा नहीं होती।

(iv) आर्थिक सफलता की आकांक्षा—व्यवसाय उद्योग व्यापार आदि की सफलता बहुत कुछ पर्याप्त पूँजी पर निर्भर करती है। जिन लोगो को अपने व्यवसायो की सफलता की ऊँची आवाधाए होती हैं उनकी बचाने की इच्छा उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है जो थोड़ी सी सफलता मे ही सन्तुष्ट रहते हैं। भारत मे बचत की इच्छा मे कमी का यह भी बड़ा कारण है।

(v) स्वभाव—कुछ लोग स्वभाव से ही बचत करने के आदी होते हैं कुछ परोपकार की भावना से प्रेरित होकर बचत की इच्छा करते हैं अतः जिन लोग बचत की प्रवृत्ति स्वभाव से जितनी अधिक होगी उनकी बचतें उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होंगी जो फिजल एव अमित-व्ययी होते हैं।

(vi) व्याज की दरें—बचत करने की इच्छा पर व्याज दर का भी प्रभाव पड़ता है। अथवा बातों के समान रहते हुए व्याज की दरें ऊँची होने पर बचाने की इच्छा बढ़ती है जबकि व्याज दरें नीची होने पर बचाने की इच्छा कम होती है। यही मत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का था जबकि कीन्स व अनुसार व्याज की दर प्रत्यक्ष रूप से बचतों को प्रभावित नहीं करती वरन् बचतें आय पर निर्भर करती हैं।

III बचत करने की सुविधाएँ (Facilities for Saving)

* पूँजी निर्माण केवल बचत करने की शक्ति और बचत करने की इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता वरन् बचत करने की पर्याप्त सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। सुविधाओं में निम्न घटक हैं—

(1) शांति एवं सुरक्षा—यदि देश में आंतरिक शांति है बाह्य आक्रमणों से पूर्ण सुरक्षा है तो लोगों को बचतों की सुविधा होगी और पूँजी निर्माण में वृद्धि होगी। इससे विपरीत अगर देश में आंतरिक विद्रोह भ्रमण लूट-पाट आदि से सम्पत्ति की सुरक्षा का भय बना रहता हो अथवा बाह्य आक्रमणों का आतंक हो तो लोग पूँजीगत वस्तुओं एवं सम्पत्तियों में विनियोग नहीं करेंगे और पूँजी निर्माण की गति धीमी हो जायेगी।

(2) विनियोग सुविधाएँ—यदि देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाएँ जिनमें लोग अपनी बचतों को सुरक्षित एवं लाभप्रद समझते हैं तो पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। आज विकसित राष्ट्रों में विनियोग की अपार सुविधाएँ हैं। बैंक बीमा कंपनियों व्यापार उद्योग आदि का जाल बिछा होने से छोटी बचतों को एकत्रित कर पूँजी निर्माण में गतिशील की जाती हैं। अतः पूँजी निर्माण की गति तेज है जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में विनियोग सुविधाओं की कमी के कारण बचतों का नितांत अभाव है अतः पूँजी निर्माण की गति धीमी है। भारत इसका परिचायक है। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है।

(3) मौद्रिक स्थायित्व—आधुनिक युग में पूँजी का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है अतः मुद्रा के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचतकर्ता तथा विनियोजकों दोनों को आर्थिक हानि का भय रहता है। अतः उन देशों में पूँजी निर्माण अधिक होता है जहाँ मुद्रा के मूल्यों में स्थायित्व रहता है। मौद्रिक स्थायित्व के अभाव में पूँजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में अभी मूल्य स्थायित्व अभाव में पूँजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

(4) सुयोग्य एव ईमानदार व्यवसायी—बचतों को पूंजीगत सम्पत्ति में परिवर्तन करने से ही पूंजी निर्माण होता है। जिन देशों में सुयोग्य एव ईमानदार व्यवसायी एव साहसी होते हैं तो वे जनता की बचतों को पूंजी में परिवर्तन कर देते हैं और पूंजी-निर्माण में वृद्धि होती है जबकि देश में सुयोग्य एव ईमानदार व्यावसायिकों की कमी से पूंजी-निर्माण मन्द हो जाता है। भारत में साहसियों के अभाव में पूंजी निर्माण की गति धीमी है।

IV पूंजी निर्माण में सरकार का योग या भूमिका (Role of Government in Capital Formation)

आजकल सरकार भी पूंजी-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया एक प्रकार से स्वयं संचालित है। पर अर्द्धविकसित राष्ट्रों में निर्धनता के कुचक्र को तोड़ पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को चालू करने के लिए सरकार को अनेक प्रकार से भूमिका निभानी पड़ती है। सरकार अपनी नीतियों से लोगों की बचत की इच्छा, क्षमता व बचत की सुविधाओं में विस्तार कर सकती है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार पूंजी-निर्माण को प्रेरित करती है।

(अ) पूंजीवादी विकसित एव उन्नत राष्ट्रों में सरकार की भूमिका आर्थिक स्थायित्व के लिये पूंजी-निर्माण के रूप में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विनियोग मुग्यन निजी साहसी करते हैं पर मन्दी के समय जब वे विनियोग नहीं करते उस समय सरकार को आर्थिक स्थायित्व के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे सड़कें, नहरें, अकाल राहत कार्यों आदि पर पूंजी विनियोग करना पड़ता है ताकि बेरोजगारी पर नियन्त्रण हो सके। निजी व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान दिये जा सकते हैं या उनके सहयोग से विनियोग बढ़ाने की प्रवृत्ति से भी पूंजी-निर्माण सम्भव होता है।

(ब) समाजवादी राष्ट्रों में सरकार ही उत्पादन क्षेत्र में सर्वोत्तम होती है। अतः अर्थव्यवस्था में समस्त विनियोगों का उत्तरदायित्व सरकार पर ही होता है। इस या अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के उदाहरण हैं।

(स) अर्द्धविकसित राष्ट्रों में पूंजी निर्माण में भी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निर्धनता के कुचक्र में फसे होने के कारण इन देशों में पूंजी-निर्माण की गति बहुत धीमी होती है। सरकार अपनी निम्न नीतियों से इन देशों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है—

(1) राजकोषीय नीति द्वारा सरकार पूंजी निर्माण में तेजी ला सकती है। इसके अन्तर्गत सरकार (i) प्रगतिशील करारोपण (Progressive Taxation) से आय का भाग लेकर उन्हें पूंजी निर्माण में प्रयुक्त कर सकती है (ii) उत्पादक उद्योगों में विनियोगों पर करों में छूट या आर्थिक सहायता दी जा सकती है। (iii) अनिर्धार्य अथवा अज्ञात योजनाओं को लागू कर लोगों को बचाने के लिये बाध्य कर सकती

है। (iv) सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social Capital) जैसे पुलो, सडका, नहरो, सिचाई व विद्युत परियोजनाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओ पर व्यय किया जा सकता है।

(2) बैंकिंग व्यवस्था का विकास—सरकार छोटी छोटी बचतो को उत्पादन कार्यों की ओर गतिशील करने के लिए देश में बैंको, बीमा कम्पनियो तथा वित्तीय सस्थाओ का विस्तार कर पूँजी निर्माण में सहायक हो सकती है। आज भारत में इन सस्थाओ का ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर पूँजी-निर्माण की गति तेज की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय सस्थाएँ—औद्योगिक वित्त निगम (I F C) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विनियोग एव साख निगम इसके कतिपय उदाहरण हैं।

(3) घाटे की अर्थव्यवस्था (Deficit Financing) द्वारा भी पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत सरकार नोट छापकर उत्पादन कार्यों में विनियोग करती है। इसमें बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है क्योंकि घाटे की अर्थव्यवस्था से अगर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई तो साग उद्देश्य ही घूमित हो जाता है।

(4) लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया जा सकता है—शिक्षा प्रसार से लोगों को दूरदर्शी बनाया जा सकता है। अपव्ययो जैसे प्रीतिभोजों, ग्रामभूषण या घन को गाड़कर रचने की प्रवृत्तियों में जातिकारी परिवर्तन लाकर उन बचतो को उत्पादक पूँजीगत विनियोगों में प्रवाहित किया जा सकता है।

(5) प्रो. नरसिं के अनुसार निर्धन एवं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में बेकार अथवा अर्द्ध-बेकार विशाल श्रम-शक्ति को सडक निर्माण, छोटी सिचाई परियोजनाओं खेतों पर मेंड बनाने, भूमि को समतल करने कए खोदने, आदि में प्रयुक्त कर बड़े पैमाने पर पूँजी निर्माण किया जा सकता है। भारत में सामुदायिक योजनाएँ इसका एक ज्वलन्त उदाहरण हैं।

(6) सरकार द्वारा स्वयं विनियोग एवं उद्योगों की स्थापना की जा सकती है इस प्रकार सरकार स्वयं एक साहसी एवं व्यवसायी के रूप में कार्य करती है। भारत में सरकार ने स्वयं उत्पादक, व्यावसायिक उपक्रम स्थापित किये हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में अभी तक लगभग 13,000 करोड़ पूँजी विनियोग की गई है। तीन लोह इस्पात कारखाने, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, चित्तोजन कारखाना, आदि इसके परिचायक हैं।

(7) विदेशी पूँजी एवं सहायता—सरकार देश में आर्थिक साधनों से ही पूँजी निर्माण नहीं करती, विदेशों से भी पूँजी का आयात किया जा सकता है। भारी मात्रा में विदेशी पूँजी आयात कर उसके समुचित उपयोग से अर्द्ध-विकसित

राष्ट्रो में विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी आयात से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

(8) मौद्रिक नीति—सरकार की उपयुक्त मौद्रिक नीति जिसमें देश में मूल्य स्थायित्व, साख का निर्माण, अर्थव्यवस्था का मौद्रिकरण आदि पूँजी-निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति (Inflation) उत्पन्न हो जाने पर लोगों में वचत क्षमता कम हो जाती है। धीरे-धीरे मूल्यों में वृद्धि विनियोगों को प्रोत्साहन देती है। मुद्रा सकुचन (Deflation) की स्थिति विनियोगों को हतोत्साहित करती है अतः मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति आवश्यक है।

(9) जनसंख्या नीति—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में जनान्धिय (Over Population) की समस्या है और उसमें तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती है जो पूँजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। अतः जनसंख्या नियोजन से पूँजी निर्माण बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रकार भारत जैसे अर्द्ध-विकसित विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण में सरकार उपयुक्त तरीका का सहारा ले सकती है। अभी सरकार ने प्रायः इन सभी तरीकों को अपनाया है जिसके कारण भारत में पूँजी निर्माण की दर राष्ट्रीय आय के 5% (1950-51) से बढ़कर अब 21% हो गई है।

भारत में पूँजी निर्माण (पूँजी सचय)

(Capital Formation or Capital Accumulation in India)

अगर पूँजी निर्माण के उपयुक्त घटकों के परिप्रेक्ष्य में भारत में पूँजी निर्माण की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो यहाँ पूँजी निर्माण की धीमी गति का स्पष्टीकरण हो जाता है।

राष्ट्रीय आय के प्रतिफल के रूप में जहाँ जापान में पूँजी निर्माण की दर 34% है, जर्मनी में 30% है तथा अन्य पाश्चात्य राष्ट्रों में 25% है वहाँ भारत में पूँजी निर्माण की दर केवल 21% है। 1950-51 में देश में पूँजी निर्माण की दर केवल 5% थी वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 7% तथा द्वितीय योजना के अन्त में 8% हो गई। 1965-66 में पूँजी निर्माण की दर 14% तक पहुँच गई थी। पर फिर अर्थव्यवस्था में सकट उत्पन्न होने, मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होने तथा औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता के कारण पूँजी निर्माण की दर 1968-69 में घटकर 10% ही रह गई। चतुर्थ योजना के अन्त में पूँजी निर्माण का लक्ष्य 13.8% ही रहा। अब पूँजी निर्माण की दर 21% होने का अनुमान है।

छठी योजना में घरेलू बचत को राष्ट्रीय आय के 19.7% से बढ़ाकर 1982-83 के अन्त तक 23.4% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सार्वजनिक बचतों में वृद्धि बैंकिंग सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, अल्प बचतों को प्रोत्साहन, प्रदर्शनारम्भक उपभोग पर प्रभावी नियन्त्रण तथा विनियोग प्रेरक राजकोपीय नीति अपनाने की व्यवस्था रचना की जा रही है।

भारत तथा अन्य अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की समस्या तथा धीमी गति के कारण

(Problem of Capital formation & Causes of Slow Rate in India & Under-Developed Countries)

भारत तथा अन्य अर्द्ध विकसित देशों में पूँजी निर्माण की गति धीमी है। उनमें श्रम शक्ति का तो प्राधिक्य है पर पूँजी का निम्न स्तर है। उन देशों में बचत की शक्ति कम है क्योंकि जनसंख्या का भार अधिक और आय का स्तर नीचा है। प्राकृतिक साधना का विदोहन नहीं हो पाया है। कृषि तथा उद्योगों की उत्पादन क्षमता कम है। बचत की इच्छा भी अपेक्षाकृत कम है क्योंकि दूरदर्शिता का अभाव है आर्थिक समृद्धि की आशा भी कम ही है। बचत की सुविधाओं का तो कहते ही बनता है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कमी है। साहसियों का अभाव है। अनेक बाधाओं के कारण सरकार भी पूँजी योगदान नहीं कर पाती। अर्द्ध विकसित राष्ट्र निधनता के कुचक्र में फसे हुए हैं। जो नकम ने इन देशों में पूँजी निर्माण की धीमी गति का कारण विभिन्न प्रकार के कुचक्रों (Vicious Circle) का होना बताया है। संक्षेप में भारत तथा अन्य देशों में पूँजी निर्माण की धीमी गति के निम्न कारण हैं—

(1) आर्थिक विकास का निम्न स्तर—भारत तथा अन्य अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास का स्तर बहुत नीचा है प्राकृतिक साधना का विदोहन नहीं हो पाया है। देश में कृषि एवं उद्योगों का विकास नहीं हुआ है जिससे देश में उत्पादन और आय बहुत कम होती है।

(2) निम्न आय स्तर—आर्थिक पिछड़ेपन व जनसंख्या के अत्यधिक भार से प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है अतः बचत की क्षमता कम है। एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) केवल 1084 रु है। उससे बचत की क्या अपेक्षा की जा सकती है।

(3) प्रदर्शनारम्भक प्रवृत्ति एवं धन का दुरुपयोग—भारत में आय का स्तर ही नीचा नहीं बरत जिन लोगों की आय अधिक है वे भी उसके उत्पन्न आयों में लगाने की अनिच्छित अनुत्पादक कार्यों में जैसे ग्राह्यभूषण भव्य भवनों एवं विलासितों में व्यय कर देते हैं। इससे पूँजी निर्माण की गति धीमी है।

(4) आधारभूत सुविधाओं का अभाव—भारत तथा अन्य देशों में पूँजी निर्माण की धीमी गति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उनमें आर्थिक क्रियाओं

के विस्तार, औद्योगीकरण व कृषि के विकास के लिए परिवहन एवं संचार, विद्युत संचाई सुविधाएँ, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि का नितान्त अभाव है।

(5) सहयोगी साधनों का अभाव—भारत में पूँजी निर्माण की गति धीमी होने में सहयोगी साधनों का अभाव भी उत्तरदायी है। देश में कुशल प्रबन्धकों, दक्ष एवं सुयोग्य उद्यमियाँ व साहसियाँ की कमी है अतः पूँजी निर्माण की कमी है। धीरे-धीरे वृद्धि होने से अब गति तेज हुई है।

(6) वित्तीय सस्याओं का अभाव—भारत तथा पिछड़े राष्ट्रों में बैंक, बीमा कम्पनियों या अन्य वित्तीय सस्याओं की देश की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कमी है। अब यद्यपि देश में बैंकों का जाल बिछाने का प्रयास किया जा रहा है, वित्तीय सस्याओं की भी स्थापना की गई है, फिर भी अभाव ही है।

(7) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि—भारत तथा अन्य अर्द्धविकसित राष्ट्रों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी पूँजी निर्माण में बाधक है। जहाँ भारत में विकास की दर 4 से 5% है वहाँ जनसंख्या में वृद्धि की दर 2.5% है। यह दर तेजी से बढ़ी है। जहाँ 1951-61 में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.1% थी वह अब 2.5% तक पहुँच गई है। इससे अर्थव्यवस्था पर भार में वृद्धि हुई है।

(8) विनियोग की प्रेरणाओं का अभाव—प्रो. नकंसे के अनुसार अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक गरीबी और सीमित आवश्यकताओं के कारण बाजार सीमित है अतः बाजार की सीमितता से विनियोगों के लिए कोई प्रेरणा नहीं है और पूँजी निर्माण नहीं हो पाता।

(9) बचतों का अनुत्पादक उपयोग—अर्द्धविकसित देशों की जनता की आय बहुत कम है अतः बचतों का स्तर भी नीचा है। थोड़ी बहुत बचत करने वाले भी इन बचतों को उत्पादक कार्यों में न लगाकर स्वर्ण आभूषणों, मृत्यु भोज, विवाह शादी आदि अनुत्पादक कार्यों पर व्यय कर देते हैं अथवा जमीन में गाड़कर रख देते हैं। अतः पूँजी निर्माण नहीं हो पाता।

(10) विविध—शिक्षा के अभाव में दूरदर्शिता का अभाव है, सामाजिक अपव्यय—प्रीतिभोज, आभूषण व प्रदर्शनों पर व्यय, उच्च जीवन स्तर की अभिलाषा की कमी, सकुचित बाजार, श्रमिकों की निम्न उत्पादन क्षमता आदि प्रमुख हैं।

गरीबी (निधनता) तथा आर्थिक पिछड़ेपन का दुष्चक्र


(Vicious Circle of Poverty & Backwardness)

प्रो. नकंसे के अनुसार भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों में पूँजी निर्माण की धीमी गति का प्रधान कारण देश में विभिन्न प्रकार के दुष्चक्रों का जोर है। इन देशों में अर्द्धविकसित साधनों, पिछड़ेपन व पूँजी की कमी के कारण निम्न उत्पादकता होती है जिससे वास्तविक आय नीची है और वास्तविक आय कम होने से बचतों

कम होती है और अतः पूँजी की कमी (Capital Deficiency) रहती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण की गति धीमी है।

प्रो नर्कसे के अनुसार अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण में पूँजी की मांग और पूर्ति दोनों पक्षों की अंतर कृच्छ्रक है। पूँजी के मांग पक्ष पर दृष्टिपात करने पर देखते हैं कि आय का निम्न स्तर व निर्धनता के कारण व्यय का नीचा स्तर और उपभोग व व्यय कम होने से विनियोग कम, कम विनियोग होने से पूँजीगत वस्तुओं की मांग कम, अतः उत्पादकता, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय कम रहती है। इसी प्रकार पूँजी के पूर्ति पक्ष का आर्थिक कृच्छ्रक भी महत्वपूर्ण है। निर्धनता व आय का नीचा स्तर होने से बचतें नीची तथा पूँजी निर्माण कम, अतः पूँजी का अल्प अनुपात होने से उत्पादकता, रोजगार व राष्ट्रीय आय नीची रहती है और देश निर्धन बना रहता है।

आर्थिक विच्छेदन का समग्र चित्र निम्न प्रकार है जो बताता है कि किस प्रकार अविकसित राष्ट्र निर्धनता के कृच्छ्रक में फसे हुए हैं—



इन कृच्छ्रकों को तोड़े बिना भारत तथा अविकसित राष्ट्रों में निर्धनता, आर्थिक विच्छेदन तथा पूँजी निर्माण की कमी को दूर करना कठिन है।

**अर्द्ध-विकसित देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी (छिपी बेरोजगारी)
पूँजी निर्माण का स्रोत**

(Disguised Unemployment As a Source of Capital
formation in Under-Developed Countries)

प्रो नर्कसे, लेविस तथा युवानन आदि अर्थशास्त्रियों ने अल्प विकसित देशों में व्याप्त प्रच्छन्न (छिपी) बेरोजगारी (Disguised Unemployment) का पत्र

निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छिपी-बेरोजगारी का अधिप्राय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उस बेकारी से है जिसमें सयुक्त परिवार प्रणाली एवं जनाधिक्य के दबाव से अधिकांश श्रमिक कृषि कार्यों में लगे होते हैं। बाह्य रूप से तो वे कृषि में पूर्ण रोजगार में लगे दिखते हैं किन्तु वास्तव में वे अल्प बेरोजगार होते हैं। उनका कुल उत्पादन में योगदान नगण्य होता है। अगर ऐसे छिपे बेरोजगारों को कृषि कार्य से हटा भी दिया जाय तो भी कृषि के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। तकनीकी दृष्टि से ऐसे छिपे बेरोजगारों की सीमान्त उत्पत्ति लगभग शून्य या ऋणात्मक होती है। उदाहरणार्थ एक कृषक परिवार के 10 श्रमिक 5 एकड़ भूमि पर कार्यरत हो और कुल वार्षिक उत्पादन 200 टन है। अब अगर उसमें से 6 श्रमिकों को कृषि कार्य से हटा भी दिया जाय तो भी कुल उत्पादन 200 टन रहेगा तो ये 6 श्रमिक जो बाह्य रूप में कृषि कार्य में रोजगार में लगे हुए थे उनकी कृषि में सीमान्त उत्पत्ति शून्य है अतः ये 6 श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी (छिपी बेरोजगारी) की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार के अन्य श्रमिक भी छिपे बेरोजगार होते हैं।

प्रो. नर्कसे ने सुझाव दिया कि अगर इन छिपे बेरोजगार श्रमिकों को कृषि से हटा कर किन्हीं साधारण पूँजी निर्माण कार्यों—सड़कें, नहर निर्माण, बांध बनाना, भूस्तरण कार्य, वृक्षारोपण, गृह निर्माण, आदि में लगा दिया जाय तो वैकल्पिक रोजगार के कारण न केवल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि अनुत्पादक श्रम वैकल्पिक रोजगार में लगकर आय अर्जित करने के साथ-साथ उत्पादक पूँजी का निर्माण करेंगे। जो श्रमिक पहले अनुत्पादक होते हुए उपभोग करते थे वे अब उत्पादक होकर अतिरिक्त आय को पूँजी निर्माण में प्रयुक्त करेंगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी पूँजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

प्रो. कुरिहारा ने भी प्रच्छन्न बेरोजगारी को पूँजी निर्माण का स्रोत माना है उसके अनुसार कृषि क्षेत्र के अन्य रोजगार की स्थिति में निहित बचत संभावना (Saving Potential) वास्तविक बचत बन पूँजी निर्माण में योगदान दे सकती है।

छिपी बेरोजगारी (प्रच्छन्न बेरोजगारी) से पूँजी निर्माण में बाधाएँ, समस्याएँ एवं उनका समाधान

(Problems of Capital Formation from Disguised Unemployment and their Solution)

यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रच्छन्न बेरोजगारी से पूँजी निर्माण की प्रक्रिया बड़ी सरल लगती है किन्तु व्यवहार में अनेक बाधाएँ आती हैं जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं —

(1) प्रच्छन्न अथवा छिपी बेरोजगारी का सही-सही मूल्यांकन कठिन—अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि की प्रधानता होती है और जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होता है वैकल्पिक रोजगार का नितान्त अभाव

कम
प्रका

होता है अतः विस्तृत कृषि क्षेत्र में विशाल जनसंख्या में से छिपे बेरोजगारों की पहचान एवं मूल्यांकन कठिन कार्य होता है।

भाग
पर।

इस समस्या का समाधान कृषि में लगे अल्प रोजगार वाले श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार का आकर्षण देकर किया जा सकता है।

और
घस्त
इसी
का

(2) औजारों एवं उपकरणों की समस्या—कृषि क्षेत्र के अनिश्चित श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से हटाकर पूँजी निर्माण योजनाओं में लगाने पर उनके लिये औजारों एवं उपकरणों की व्यवस्था की समस्या आती है। अर्द्ध-विकसित देशों में पहले ही इनकी कमी होती है।

अनु
निष्

इस समस्या का समाधान करने के लिये अल्प विकसित देशों में ऐसी पूँजी गत-योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिये जो (i) अल्प प्रधान हों और उनमें कम पूँजी से ही अधिक लोगों को रोजगार पर लगाया जा सके। (ii) साधारण उपकरणों एवं औजारों से शुरुआत करने धीरे-धीरे उनमें सुधार लाया जा सकता है। (iii) कृषि उपकरणों का हस्तान्तरण—कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को हटाने से जो कृषि उपकरण एवं औजार उपलब्ध होंगे उन्हें पूँजीगत कार्यों में हस्तान्तरण करने से भी कुछ सीमा तक समस्या हल हो सकती है। इसके लिए यह भी सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कार्य कृषि क्षेत्रों में ही प्रारम्भ जायें किये ताकि उन्हीं उपकरणों का दोहरा प्रयोग हो सके।

प्रव

(3) कृषि क्षेत्र में बचे श्रमिकों के बढ़ते उपभोग की समस्या—जब कृषि से अतिरिक्त श्रम को हटाकर पूँजीगत कार्यों में लगाया जाता है तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होने से कृषि में बचे श्रमिकों की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ जाती है। वे अपनी बड़ी हुई आय के कारण अपने उपभोग को बढ़ाते हैं इससे उनके बिक्री योग्य खाद्यान्नों की पूँति कम हो जाती है। बड़े हुए उपभोग की सीमा तक पूँजी निर्माण में कमी आती है।

इस समस्या के समाधान के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं—

(i) कृषि कर लगाकर उसे खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाना चाहिये।
(ii) लगान वृद्धि को मुद्रा में वसूल न कर खाद्यान्न के रूप में लिया जाना चाहिए।

(iii) खेती वसूल करना —सरकार किसानों से निश्चित मूल्य पर कृषि उत्पादनों एवं खाद्यान्नों को वसूली करके उनके बढ़ते उपभोग को रोक सकती है। अनिवार्य खाद्यान्न वसूली उसी का एक रूप है।

(iv) उपयुक्त मूल्य नीति का अनुसरण करके सरकार कृषकों का अधिक-अधिक खाद्यान्न वेचने को प्रेरित कर सकती है।

(v) सरकार किसानों का खाद्यान्नो की निश्चिन् माना बचने को बान्य कर सकती है।

(4) हस्तान्तरित श्रमिकों को खाद्यान्न की पूर्ति एवं वित्त की पूर्ति की समस्या—जब कृषि क्षेत्र से अनुत्पादक श्रमिकों को हटाकर उन्हें पूँजीगत निर्माण योजनाओं में लगाया जाता है तो उन्हें उपभोग के लिये खाद्यान्न आदि उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उनकी आय में वृद्धि से उठावा उपभोग भी बढ़ता है अतः अधिक उपभोग वस्तुओं की पूर्ति की समस्या आती है। उनको भुगतान करने के लिये वित्तीय साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है।

इस समस्या के समाधान के लिए प्रो नकसे ने सुझाव दिया कि अगर कृषि क्षेत्र में बचे श्रमिक अपने परिवार के हस्तान्तरित सदस्यों को उसी प्रकार खाद्यान्न उपलब्ध करते रहे जैसे वे उन्हें अनुत्पादक होने पर भी दे रहे थे तो पूँजीगत निर्माण कार्यों में सलग्न श्रमिकों को स्वतः ही खाद्यान्न की पूर्ति एवं वित्त व्यवस्था हो जायेगी स्पष्ट है, पूँजीगत योजनाओं में लगे श्रमिकों की वित्त व्यवस्था कृषि में बचे श्रमिकों को करना चाहिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुत्पादक श्रमिकों का पूँजीगत योजनाओं में रोजगार से उनकी बड़ी हुई आय उन्हें अधिक उपभोग को प्रेरित करेगी। इस समस्या का समाधान उनके बड़े हुए उपभोग को नियंत्रित करने में निहित है।

(5) सगठनात्मक समस्याएँ—कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुत्पादक श्रमिकों के विशाल समुदाय को पूँजीगत योजनाओं में नियोजित करने में अनेक सगठनात्मक समस्याएँ उत्पन्न होंगी। उनके लिये उपकरण जुटाना, आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करना, विशाल जन समुदाय को उत्पादक कार्यों में हस्तान्तरित करना, उनके आवास एवं प्रशासन की समस्या आदि महत्वपूर्ण हैं।

इस समस्या का समाधान करने के लिये ग्रामीण एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को आधार बनाया जा सकता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनके सामूहिक हित की योजनाओं में उनका सहयोग लिया जाना चाहिये। वे स्वयं उनकी वित्त व्यवस्था करें सरकार उन्हें तकनीकी एवं प्रशासनिक मार्गदर्शन दे तो अवश्य समस्या हल हो सकती है।

(6) पूँजीगत-निर्माण में रिसाव (Leakage) की समस्या—ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के अनुत्पादक बेकार श्रमिकों को उत्पादक पूँजीगत योजनाओं में रोजगार प्रदान करने से जो बचत सभावना (Saving Potential) बनती है वही पूँजी-निर्माण का स्रोत है। छिपे बेरोजगारों को उत्पादक कार्यों में लगाने से उत्पादन में सम्पूर्णवृद्धि में अनेक रिसावों (Leakages) की समस्याएँ आती हैं। रिसाव पूँजी-निर्माण को उस सीमा तक कम कर देते हैं। यह रिसाव (Leakage) मुख्यतः निम्न कारणों से होता है। ये सब सम्भाव्य बचतों एवं पूँजी निर्माण में बर्बाद होते हैं—

- (i) कृषि क्षेत्र में बचे श्रमिकों के उपभोग में वृद्धि
- (ii) छिपे बेरोजगारों को उत्पादक रोजगार मिलने पर उनके उपभोग में वृद्धि,
- (iii) खाद्य एवं उपभोग सामग्री को पूँजीगत योजनाओं तक लाने की लागत (Transportation Cost), तथा

(iv) अपव्यय एवं उपकरणों की घिसावट आदि ।

इस प्रकार के रिसाव (Leakage) की समस्या का समाधान करने के लिये सरकार को कृषि क्षेत्र में वचने श्रमिकों के उपभोग वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु (i) सगान म वृद्धि (ii) अनिवार्य खाद्यान्न वसूली, (iii) ऊँचे मूल्यों से खाद्यान्न की विनी योग्य पूति में वृद्धि, तथा (iv) अनिवार्य वचतों की व्यवस्था करना चाहिये । छिपे बेरोजगारों के उपभोग पर रोक लगाना भी आवश्यक है । यथासम्भव पूँजीगत योजनाएँ आभीण क्षेत्रों में ही शुरू की जायें ताकि खाद्यान्न की स्थानीय पूति से परिवहन लागतों में वचत की जा सके ।

निष्कर्ष—इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील राष्ट्र अपने आभीण क्षेत्रों में घ्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रयोग पूँजी-निर्माण में कर सकते हैं किन्तु इसमें अनेक व्यावहारिक समस्याएँ आती हैं जिनमें उपकरणों एवं औजारों की व्यवस्था, पूँजीगत योजनाओं का चयन, कृषि में वचने श्रमिकों का बढ़ता उपभोग तथा छिपे बेरोजगारों में उपभोग वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ-साथ अनेक रिसावों (Leakages) की समस्या आती है । अतः सरकार को कृषि में अल्प रोजगार वाले अनुत्पादक श्रमिकों को साधारण पूँजीगत परियोजनाओं में लगाकर देश में उत्पादक पूँजी का निर्माण किया जा सकता है पर इसके लिये कृषि एवं पूँजीगत कार्यों में लगने वाले श्रमिकों के उपभोग वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिये । कृषि में मलग्न कृषक को स्वयं ही स्थानीय योजनाओं को कार्यान्वित कर पहले की भाँति ही पूँजीगत परियोजनाओं में लगे श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करना चाहिये । यद्यपि कुछ रिसाव अवश्य होगा उसकी पूति विदेशों से खाद्यान्न एवं पूँजीगत सामान मगाकर की जा सकती है ।

भारत तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण वृद्धि के उपाय (Measures to Promote Capital Formation in India or other Under developed Countries)

इन देशों में पूँजी निर्माण में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जैसा कि भारत में किया जा रहा है । सरकार की पूँजी निर्माण में भूमिका का इसी अध्याय के पूर्व पृष्ठों में सविस्तार वर्णन किया गया है । यहाँ संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सरकार को पूँजी निर्माण सम्बर्द्धन के लिए निम्न उपाय करने चाहिये—(1) अल्प वचतों को प्रोत्साहन—ये वचत ऐच्छिक आन्तरिक वचत होती हैं । राजकीय वचत हीं सकते हैं तथा व्यावसायिक वचत हो सकते हैं । इसके लिए राजकीय नीति में आवश्यक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है । (2) वचतों को

1 इन उपायों के विस्तृत विवरण के लिए पिछले पृष्ठों में "पूँजी निर्माण म सरकार की भूमिका" शीर्षक दिया जा सकता है ।

गतिशील बनाने के लिए वित्तीय सस्थाओं का विस्तार करना चाहिये । (3) बचतों को वास्तविक पूँजी विनियोगों में प्ररित करना चाहिये । (4) वर्तमान पूँजी के समुचित एवं कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये । (5) श्रम साधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा अक्षय बेकारों का प्रयोग सामाजिक पूँजी निर्माण नहीं, सड़क भूमि संरक्षण आदि पर किया जाना चाहिये । (6) अपसंचित साधनों का उपयोग करने को बढ़ावा देना चाहिये । (7) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देकर देश में अधिक विकास की गति तेज करनी चाहिये । (8) सांघजनिक उपक्रमों की पूरी पूरी क्षमता के प्रयोग व लाभ अजन का प्रवास किया जाना आवश्यक है ताकि उनमें अजित लाभ का पुनर्विनियोग कर पूँजी निर्माण की गति तेज की जा सके । (9) भुगतान संतुलन पक्ष में करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा अजित करने के लिए आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिये । (10) विवेकपूर्ण करारोपण नीति से साधनों का हस्तान्तरण पूँजी निर्माण एवं उत्पादक उद्योगों में किया जा सकता है । (11) जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण भी देश के साधनों पर अत्यधिक भार को कम करके अधिक पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सकता है । (12) पूँजी निर्माण की गति तेज करने के लिए अधिक उत्पादन एवं कम उपभोग अर्थात् बचत एवं विनियोग को राष्ट्रीय नीति का अविभाज्य अंग बनाना चाहिये । (13) फिजूल एवं प्रदशनात्मक प्रभाव वाले खर्चों को कम करके उन साधनों को उत्पादक कार्यों में विनियोजित करना चाहिये ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 पूँजी निर्माण (पूँजी सचय) से आप क्या समझते हैं ? पूँजी निर्माण किन किन बातों पर निर्भर करता है ?

अथवा

पूँजी निर्माण क्या है ? पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिये ।
(I yr T D C Raj 1976)

(सकेत—प्रथम भाग में पूँजी निर्माण का अर्थ बताइये दूसरे भाग में पूँजी निर्माण

- को प्रभावित करने वाले तत्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये ।)

- 2 पूँजी निर्माण से आपका क्या अर्थिप्राय है ? भारत जैसे अल्प विकसित देशों में पूँजी निर्माण की समस्या एवं पूँजी निर्माण की दर घटती क्यों है ? ऐसे देशों में सरकार पूँजी निर्माण में क्या योगदान कर सकती है ?

(सकेत—प्रथम भाग में पूँजी निर्माण का अर्थ दूसरे भाग में पूँजी निर्माण में कमी के कारण बताकर तीसरे भाग में सरकार की भूमिका शोधक के अन्तर्गत दी गई विषय सामग्री का उल्लेख कीजिये ।)

- 3 किसी देश में पूँजी निर्माण (या पूँजी की पूर्ति) किन किन तत्वों से प्रभावित होता है ? अल्प विकसित देशों में पूँजी निर्माण की गति घटती क्यों है ?

(I yr Raj. T D C 1974)

(सकेत—प्रथम भाग में पूँजी-निर्माण का संक्षेप में अर्थ बताकर दूसरे भाग में बचत की इच्छा, बचत की शक्ति, बचत की सुविधा तथा सरकार के योग के शीर्षको के अन्तर्गत दी गई सामग्री का संक्षेप में विवरण दीजिए । तीसरे भाग में भारत में धीमी प्रगति के कारण बताइये ।)

4 पूँजी निर्माण क्या है ? अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर धीमी क्यों होती है ?
(1 yr T D C Raj 1974, 1980)

(सकेत—प्रथम भाग में पूँजी निर्माण का अर्थ शीर्षकानुसार देकर दूसरे भाग में पुस्तक में दिए गए धीमी गति के कारणों को दीजिये ।)

5 पूँजी क्या है ? उन तत्वों की विवेचना कीजिये जो पूँजी के सचय को प्रभावित करते हैं ?
(1 yr T D C 1977)

(सकेत—पूँजी का अर्थ स्पष्ट करके, पूँजी सचय को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना अध्यायानुसार देना है ।)

6 गरीबी के कुचक्र को समझाइये । प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे और किम सीमा तक पूँजी निर्माण में बदली जा सकती है ? (Raj 1 yr T D C. 1978)

7 पूँजी निर्माण से क्या अभिप्राय है ? पूँजी सचय को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिये ।
(1 yr Arts 1979)

(सकेत—प्रश्न पाच के उत्तर सकेत के अनुसार देना है ।)

आय का चक्राकार प्रवाह

(Circular Flow of Income) ✓

आय के वृत्ताकार प्रवाह का अभिप्राय

उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन काय सम्पन्न होता है। उत्पादन में सलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है जैसे भूमि को लगान, श्रम के लिये मजदूरी या वेतन, पूँजी के लिए ब्याज और साहसी के लिये लाभ प्राप्त होता है। दूतरी और व्यावसायिक फर्मों इन उत्पादन साधनों के प्रयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। उत्पादन के साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्तिकर्ता (Resources Suppliers) ही नहीं हैं। वे साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इसमें व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है जिसको वह पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यय करते हैं। यही नहीं राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ जाने से वह भी आय प्रवाह को प्रभावित करता है। एक सवृत्त अर्थ व्यवस्था (Closed Economy) में तो आय प्रवाह के चार ही आधार स्तम्भ हैं। पर एक अनावृत्त अर्थव्यवस्था (Open Economy) में जिसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से भी आर्थिक सम्बन्ध होता है आय प्रवाह देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता वरन् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक बढ़ जाता है।

स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तु प्रवाह, और आय प्रवाह दोनों में परस्पर समानता होती है दूसरे शब्दों में $GNP \equiv GNI \equiv GNE$ होते हैं इस कारण रिचर्ड लिप्से ने आय के चक्राकार प्रवाह को इस प्रकार परिभाषित किया है, आय का चक्राकार प्रवाह घरेलू फर्मों व घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों व प्राप्तियों का प्रवाह होता है (The Circular Flow of Income is the flow of payments and receipts, between domestic firms and domestic households—R G Lipsey) आगे चित्र 1 में देखने से ज्ञात होता है कि एक और परिवार उत्पादन साधनों की पूर्ति करते हैं और बदले में लगान, मजदूरी, वेतन,

ध्याज लाभ आदि के रूप में फर्म उन्हें आय-प्रवाह करती है, परिवार उस आय को वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदने में लगाते हैं। इससे परिवारों से फर्मों को आय प्रवाह तथा फर्मों से परिवारों को वस्तु प्रवाह होता है। जब तक परिवार समस्त आय को व्यय कर देने है तब तक तो आय प्रवाह सदैव एक सा रहता है किन्तु व्यवहार में आय-प्रवाह अनेक कारणों से घटता बढ़ता है। जहाँ वचता में वृद्धि, उपभोग में कमी आयातों में वृद्धि, करारोपण में वृद्धि तथा सरकारी व्यय में कमी आय-प्रवाह को घटाने वाले तत्व हैं वहाँ विनियोगों में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि तथा सग्रह में कमी आय-प्रवाह को बढ़ाने वाले घटक हैं।


आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में तो उत्पादन क्रिया सरल थी। पर धीरे-धीरे आर्थिक विकास के साथ-साथ जटिल श्रम-विभाजन, वित्तीय सम्प्राप्ति का विकास, राज्य के हस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं ने आर्थिक जटिलताओं में वृद्धि की है। विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक सम्बन्धों ने आय के चक्रकार प्रवाह को जन्म दिया है। आय का उपाजन सामान्यतः मुद्रा के रूप में होता है अतः आय प्रवाह (Income Flow) और मुद्रा प्रवाह (Money Flow) एक ही है। आय के चक्रकार प्रवाह को समझने के लिये हम पहले अर्थव्यवस्था का एक अत्यन्त सरल रूप लेते हैं जिसमें राज्य का हस्तक्षेप, वित्तीय सत्याओं तथा विदेशी व्यापार आदि का नितान्त अभाव है। इसके बाद वास्तविक आर्थिक जीवन के निकटतम आय प्रवाह का वर्णन करेंगे।

1. आय प्रवाह का एक सरल चित्रण

(A Simplified Picture of Circular Flow of Income)

प्रदत्त अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रिया के दो आधारभूत स्तम्भ हैं (i) परिवार (Households) तथा (ii) व्यावसायिक फर्मों (Business Firms)। एक स्वतन्त्र उपक्रम आर्थिक प्रणाली में एक और व्यक्तियों एवं परिवारों का उत्पादन के साधनों भूमि, धन, पूँजी एवं साहस पर स्वामित्व होता है और वे साधनों के पूतिकर्ता (Resources Suppliers) के रूप में साधना का प्रतिफल भूमि से लगान, धन में मजदूरी, वेतन, पूँजी से ब्याज और साहस से लाभ—प्राप्त करते हैं। यह व्यावसायिक फर्मों से परिवारों को मौद्रिक आय-प्रवाह को व्यक्त करता है। आर्थिक साधना को दिया जाने वाला प्रतिफल परिवारों के लिये आय है जबकि व्यावसायिक फर्मों के लिये लागत (Cost of Production) है। फर्में उत्पत्ति साधनों के सहयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं जिन्हें परिवार (Households) उपभोग के लिये क्रय करते हैं। परिवार केवल आर्थिक साधनों के पूतिकर्ता (Resources Suppliers) ही नहीं अपितु उपभोक्ता (Consumers) भी हैं अतः अपनी उत्पादित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादकों को बेचकर आय प्राप्त करती हैं और पुनः उत्पादन के लिए उत्पादन माधनों

को क्रम करती है। इस प्रकार उत्पादन का चक्र निरन्तर चलता रहता है। इसका चित्रण चित्र 1 में दिया गया है।



चित्र-1

चित्र-1 में एक ओर परिवार (Households) हैं और दूसरी ओर व्यावसायिक फर्म (Business Firms) हैं। व्यावसायिक फर्म वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये परिवारों से उत्पत्ति साधन (भूमि, श्रम, पूँजी और साहस) प्राप्त करती है जो समाज की दृष्टि से पड़ते (Inputs) हैं। फर्म इनको उत्पादन कार्य में प्रयुक्त करती हैं और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लेती है। परिवारों को उत्पत्ति साधनों के पूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिफल (Reward) दिया जाता है जो फर्मों की दृष्टि से उत्पादन लागत (Cost of Production) है पर परिवारों के लिए धाय है वे उपभोक्ता के रूप में इस धाय को व्यय करते हैं जिसके बदले में फर्म वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती हैं। परिवारों का उपभोग व्यय उनके जीवन निर्वाह लागत (Cost of Living) को व्यक्त करता है पर व्यावसायिक फर्मों के लिये यह व्यावसायिक प्राप्तियाँ (Business Receipts) हैं। इस प्रकार धाय प्राप्ति एवं व्यय का क्रम चलता रहता है और धाय का प्रवाह परिवारों एवं व्यावसायिक फर्मों के मध्य निरन्तर चलता रहता है।

चित्र से स्पष्ट है कि परिवारों के द्वारा साधन पूर्ति व्यावसायिक फर्मों के लिए पड़ते (Inputs) हैं। फर्म इनसे वस्तुओं और सेवाओं उत्पन्न करती है जो समाज में उत्पादन (Output) को व्यक्त करता है। चित्र के निचले भाग में परिवारों द्वारा साधनों की पूर्ति तथा बदले में प्रतिफल के रूप में धाय बर्शायी गयी है जबकि चित्र के ऊपरी भाग में परिवारों द्वारा व्यय और उसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति बताई गई है। भीतरी वृत्त वास्तविक वस्तु प्रवाह को बताता है जबकि धाय और व्यय का बाहरी वृत्त मौद्रिक प्रवाह को व्यक्त करता है।

चित्र-1 में चित्रित अवस्था एक गतिहीन तथा राज्य हस्तक्षेप विहीन अवस्था का निरूपण करती है जिसमें अव्यवस्था में न कोई बचत है और न कोई विस्तार या संकुचन। परिवारों (Households) को आय और व्यय दोनों बराबर हो जाते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उत्पादन साधनों के कुल मूल्य के बराबर है। परिवार उपभोक्ताओं के रूप में अपनी समस्त आय उपभोग वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय कर देते हैं अतः कोई बचत नहीं होती। इसी प्रकार फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त समस्त आमदनी को उत्पादन में प्रयुक्त साधनों को प्रतिफल के रूप में व्यय कर देती हैं। अतः लागत और आमदनी दोनों बराबर हो जाने से कोई व्यावसायिक बचत नहीं होती और विनियोग का अभाव रहता है।

2 व्यवहार में आय का चक्राकार प्रवाह

(A More Realistic Picture of Circular Flow of Income)

उपरोक्त विवरण में आय के चक्राकार प्रवाह का बहुत ही सरल रूप चित्रित किया है जो अव्यवस्था के वास्तविक प्रवाह से ही बहुत भिन्न है। व्यवहार में कबन परिवार और व्यावसायिक फर्म ही अव्यवस्था के आधारभूत घटक नहीं हैं। इन घटकों के अतिरिक्त तीन मुख्य घटक और हैं—(1) सार्वजनिक सत्ताएँ (Public Authorities) अर्थात् राज्य (Government)। (2) पूँजी बाजार (Capital Market) तथा (3) शेष सत्ता (Rest of the World)। इन घटकों का आम प्रवाह से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। अध्ययन की दृष्टि से हम इन घटकों के प्रभाव को दो अलग-अलग शीपों के अन्तर्गत विवेचन करेंगे—(A) सवृत्त अव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह तथा (B) अनावृत्त अव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह।

(A) सवृत्त अव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह

(Circular Flow of Income in a Closed Economy)

एक सवृत्त अव्यवस्था (Closed Economy) उस अव्यवस्था को कहा जाता है जिसकी प्राथमिक गतिविधियाँ अपने देश की सीमाओं तक सीमित हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं का कोई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध नहीं होता न वस्तुओं और सेवाओं के आयातों के भुगतान की समस्या होती है और न निर्यातों के नियमों की समस्या ही। इसी प्रकार न राजकीय लक्ष्य पर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिया जाता है और न दिया जाता है। अतः ऐसी अव्यवस्थाओं में आय का चक्राकार प्रवाह के चार प्रमुख घटक होते हैं—(i) परिवार (Households) (ii) व्यावसायिक फर्म (Business Firms) (iii) सरकार (Government) तथा (iv) पूँजी बाजार (Capital Market)। इनका सम्बन्ध अलग-अलग इस प्रकार है—

1 परिवार (Households) में व्यक्ति उत्पादन साधनों के स्वामी एवं पूँजीकर्ता के रूप में व्यावसायिक फर्मों से उत्पादन साधनों का प्रतिफल प्राप्त करते

है। इसके अतिरिक्त परिवारों की और राज्य से सामाजिक सेवा पर व्यय या आय हस्तान्तरण के रूप में मुद्रा का प्रवाह होता है। इस प्रकार परिवारों को आय प्रवाह तीन स्रोतों—(i) साधनों का प्रतिफल, (ii) सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय तथा (iii) राज्य आय हस्तान्तरण से होता है। इस आय में से परिवार (Households) व्यावसायिक फर्मों से अपने उपभोग के लिये वस्तुओं और सेवाओं के त्रय पर व्यय करते हैं। आय का कुछ भाग करों के रूप में सरकार को चुका देते हैं तथा शेष बचतों को पूँजी बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार परिवार व्यावसायिक फर्मों से आय प्राप्त कर उनको तीन स्रोतों—कर, बचत एवं उपभोग की ओर प्रवाहित करते हैं।

2 व्यावसायिक फर्मों (Business Firms) अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से उपभोक्ताओं (परिवारों) से आय प्राप्त करती है तथा राज्य द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं के भुगतान के रूप में राज्य से आय (व्यावसायिक प्राप्तियाँ) होती हैं। व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक अनुदान या सहायता के रूप में भी आय सरकार से मिलती है। इसके अलावा पूँजी बाजार से भी विनियोग के रूप में आय फर्मों की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों के आय प्रवाह के स्रोत—(i) उपभोक्ताओं द्वारा व्यय, (ii) राज्य द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, (iii) राज्य द्वारा अनुदान सहायता तथा (iv) पूँजी बाजार में विनियोग आदि हैं।

इसके विपरीत व्यावसायिक फर्मों से आय का प्रवाह परिवारों, राज्य और पूँजी बाजार की ओर होता है क्योंकि फर्में उत्पादन साधनों को प्रतिफल चुकाती हैं, सरकार को कर चुकाती हैं और शेष रकम को पूँजी बाजार में बचतों के रूप में प्रवाहित करती हैं।


3 सरकार (Government) से आय का प्रवाह भी पूँजी बाजार, व्यावसायिक फर्मों और परिवारों की ओर होता है। राज्य को व्यक्तिगत करों (T_1) तथा व्यावसायिक फर्मों से करों (T_2) तथा पूँजी बाजार के ऋणों से आय का अन्त प्रवाह होता है। दूसरी ओर राज्य आय का उत्प्रवाह परिवारों की ओर सामाजिक सेवाओं पर व्यय, आय हस्तान्तरण के रूप में करता है। व्यावसायिक फर्मों की ओर आय का उत्प्रवाह वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय (G_3) तथा व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक सहायता और अनुदान (G_4) के रूप में होगा। राज्य की बचतें पूँजी बाजार की ओर प्रवाहित होंगी। इस प्रकार राज्य का कुल कर आगम $T = T_1 + T_2$ तथा राज्य का कुल व्यय (G) = सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय (G_1) + आय हस्तान्तरण (G_2) + वस्तुओं पर राजकीय व्यय (G_3) + फर्मों को सहायता (G_4)। अगर $(T - G)$ धनात्मक है अर्थात् कर आगम व्यय से अधिक है तो राजकीय बचत होगी जो अन्ततः पूँजी बाजार की ओर प्रवाहित होगी और अगर $T - G$ ऋणात्मक है अर्थात् सरकार

का कर आगम कुल व्यय से कम है तो सरकार को पूँजी बाजार से ऋण लेना होगा। परिणामस्वरूप मुद्रा का प्रवाह पूँजी बाजार से राज्य की ओर होगा।

4 पूँजी बाजार (Capital Market) का अभिप्राय वित्तीय सस्यामा से है जो बचतों को एकत्रित कर अधिक उत्पादक कार्यों की ओर प्रवाहित करती है। पूँजी बाजार में आय का प्रवाह (i) पारिवारिक बचतों (ii) व्यावसायिक बचतों तथा (iii) राज्य बचतों से होता है जबकि पूँजी बाजार से आय का उत्प्रवाह (i) व्यावसायिक फर्मों में विनियोग और (ii) राज्य को ऋण के रूप में होता है।

संवृत अर्थव्यवस्था में इन चारों घटकों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने पर आय का चक्राकार प्रवाह चित्र 2 से स्पष्ट होता है। चित्र से स्पष्ट होता है कि आय का प्रवाह परिवारों, व्यावसायिक फर्मों, पूँजी बाजार और राज्य के मध्य निरन्तर होता रहता है। इस चक्राकार प्रवाह के निरन्तर चलते रहने के लिये आवश्यक है कि बचत विनियोग के बराबर हो तथा राजकीय बजट संतुलित रहे। बजट में बचत (अतिरिक्त) से मुद्रा सकुचन होगा और मूल्य गिराव जबकि घाटे के बजट से मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी और मूल्य स्तर बढ़ेगा।

संवृत अर्थव्यवस्था (Closed Economy)



चित्र 2


(B) अनावृत अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह (Circular Flow of Income in an Open Economy)

‘एक अनावृत अर्थव्यवस्था (Open Economy) से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसका विदेशों से व्यापार सम्बन्ध है अर्थात् जिसकी आर्थिक गति विधियाँ केवल देश के भीतरी भाग तक ही सीमित न होकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैली हुई होती हैं।’ आज विश्व ने सभी राष्ट्रों में न्यूनाधिक रूप में आर्थिक एकराज

नैतिक सम्बन्ध है। प्रत्येक देश को दूसरे देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने पड़ते हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी व्यापार का भाग अधिक है तो कुछ में कम। इस प्रकार विदेशी व्यापार (Foreign Trade) के प्रवेश से एक ओर प्रवाह चालू हो जाता है। परिणामस्वरूप एक अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय प्रवाह के पांच प्रमुख स्तम्भ हो जाते हैं। (i) परिवार (ii) व्यावसायिक फर्म (iii) सरकार (iv) पूँजी बाजार तथा (v) श्रेय सत्सार। एक सवृत्त अर्थव्यवस्था में जिसका श्रेय सत्सार से संबंध नहीं होता पहले चार ही स्तम्भ होते हैं। अतः अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय प्रवाह में अतिरिक्त कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। श्रेय सत्सार से व्यापारिक सम्बन्ध जुड़ जाने से वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए प्राय का प्रवाह फर्मों से श्रेय सत्सार की ओर होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं के विदेशों में निर्यात से निर्यातों के मुग्तान के रूप में आगमन (Exports Receipts) प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखों पर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिये जाते हैं और अन्तराष्ट्रीय ऋण दिये जाते हैं। लिये गये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण श्रेय सत्सार से राज्य की ओर प्राय के अतः प्रवाह को बताते हैं जबकि दिये गये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण राज्य की ओर से प्राय के श्रेय सत्सार की ओर उत्प्रवाह को व्यक्त करते हैं।

इसमें स्पष्ट है कि अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय प्रवाह का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। एक सवृत्त अर्थव्यवस्था और अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय प्रवाह में केवल यही अंतर है कि सवृत्त अर्थव्यवस्था में तो प्राय प्रवाह देश के भीतर ही रहता है जबकि अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय प्रवाह में—(i) आयातों के मुग्तान, (ii) निर्यातों

अनावृत अर्थव्यवस्था में प्राय का चक्राकार प्रवाह (Circular Flow of Income in an Open Economy)



चित्र-3

से प्राप्त आगम, (iii) राजकीय लेखों पर लिए गये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा (iv) राजकीय लेखों पर दिये गये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण आदि और सम्मिलित कर लिये जाते हैं जैसा कि चित्र 3 में स्पष्ट है।

चित्र 3 में देखने से प्रतीत होता है कि अनावृत अर्थव्यवस्था में भी आय प्रवाह अन्तरिक भाग में प्रायः सवृत अर्थव्यवस्था की भांति ही होता है। शेष समार के कारण आय प्रवाह की कुछ कड़ियाँ और जुड़ जाती हैं जिससे आय का चक्राकार प्रवाह अधिक व्यापक हो जाता है।

अगर हम आयातों को I तथा निर्यातों को E से प्रकट करें तो आय का अन्तः प्रवाह—उत्प्रवाह = व्यापार शेष (B) के बराबर होगा। अगर आयात (I) का मूल्य निर्यात (E) से अधिक हुआ तो व्यापार शेष (B) प्रतिकूल होगा और अगर आयात से निर्यात मूल्य अधिक हुआ तो व्यापार शेष अनुकूल होगा। इस समीकरण में आय प्रवाह निरन्तर चलते रहने के लिए आवश्यक है कि देश की कुल वचत का अन्तः प्रवाह कुल विनियोग के बराबर रहे।

निष्कर्ष—आय के चक्राकार प्रवाह के सम्बन्ध में दिया गया उपर्युक्त विवरण किसी भी अर्थव्यवस्था चाहे वह सवृत अर्थव्यवस्था हो चाहे अनावृत अर्थव्यवस्था हो, आय के अन्तः प्रवाह और उत्प्रवाह का निरूपण करता है। वैसे तो व्यावहारिक जीवन में आय प्रवाह की प्रक्रिया बहुत जटिल है पर उपर्युक्त विवरण व्यावहारिकता के अधिन निकटतम स्थिति का दिग्दर्शन करता है। अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक छात्रों के लिये यह पर्याप्त है। एक दृष्टि से देखने से थोड़ा सा भी मनन करने पर यह आय-प्रवाह शीघ्र ही समझ में आ जाता है।


आय-प्रवाह के आकार को निर्धारित करने वाले तत्व

(Factors Determining the Size of The Flow of Income)

आय-प्रवाह का आकार अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है, निर्यातों को निरन्तर बढ़ाया जाता है, सरकारी खर्च व सार्वजनिक व्यय की मदों में वृद्धि होती है और लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक और वचत की प्रवृत्ति कम होती है तो आय प्रवाह का आकार अपेक्षाकृत बढ़ता है। इसके विपरीत अगर अर्थव्यवस्था में वचत की प्रवृत्ति अधिक बड़ी मात्रा में आयातों पर निर्भरता तथा सरकार द्वारा करों आदि के रूप में जनता व व्यावसायिक संस्थाओं से आय वसूली की जाती है तथा विनियोग की कमी होने से रोजगार का स्तर नीचा होता है तो आय-प्रवाह का आकार छोटा होने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि देश में आय का स्तर कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल सरकारी व्यय तथा विशुद्ध विदेशी वचत पर निर्भर करता है अर्थात् $Y = C + I + G + (X - M)$ होता है इनमें होने वाला कोई परिवर्तन आय-प्रवाह को भी प्रवाहित करता है इसे हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

आय-प्रवाह के आकार के मुख्य निर्धारक तत्व

(Determinants of Flow of Income)



(A) आय प्रवाह के आकार को बढ़ाने वाले तत्व—(Injections in Flow of Income)—अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह का आकार मुख्यतः पांच तत्वों पर निर्भर करता है।

(1) विनियोग में वृद्धि (Increase in Investment) —देश में आय का प्रवाह विनियोग वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता है। ये विनियोग दो रूप में हो सकते हैं प्रथम पूंजीगत माल में विनियोग जैसे मशीनों, सयंत्र स्थापना, कारखाना निर्माण, उपकरण एवं साज सामान आदि से आय प्रवाह बढ़ता है क्योंकि साहसियों एवं उद्योगपतियों द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से वित्त व्यवस्था से निर्माण कार्यों पर व्यय करने से आय प्रवाह में वृद्धि होती है। यह विनियोग सरकार भी हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit financing) से कर सकती है। फर्मों एवं व्यावसायिक कंपनियों अपने संचित लाभों व कोषों को विनियोग करके भी आय प्रवाह में वृद्धि कर सकती हैं। द्वितीय, माल के सम्रह (Inventories) में विनियोग से भी उनके पूर्ति कर्ताओं को आय प्रवाह बढ़ता है। आय प्रवाह का आकार अन्ततः विनियोग की मात्रा एवं उसके गुणक (Multiplier) पर निर्भर करता है।

(2) निर्यातों में वृद्धि (Increased Exports)—जब देश में आयातों में कमी तथा निर्यातों में वृद्धि होती है और भुगतान समतुलन देश के पक्ष में होता है तो विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्तियों से देश में आय प्रवाह बढ़ता है। यही नहीं, निर्यात साधनों की बढ़ी हुई मांग इनके पूर्तिकर्ताओं के आय प्रवाह के आकार में वृद्धि करने में सहायक होती है। स्पष्ट है निर्यातों में वृद्धि जहाँ एक ओर विदेशी मुद्रा अर्जन कर निर्यातकों के आय प्रवाह को बढ़ाती है वहाँ दूसरी ओर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं में प्रयुक्त साधनों के स्वामियों को भी अधिक आय प्रवाह होता है।

(3) सरकारी व्यय में वृद्धि (Increased Govt Expenditure)—आधुनिक युग में सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सार्वजनिक व्यय द्वारा आय

प्रवाह में काफी वृद्धि कर सकती है। सरकारी व्यय के विभिन्न रूप हो सकते हैं (क) सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यय जनता में सुरक्षा की भावना के साथ साथ इन कार्यों पर किये गये व्यय से लोगों की आय व रोजगार में वृद्धि होती है। (ख) विकास व्यय एवं विनियोग न केवल आय अर्जन क्षमता बढ़ाकर आय प्रवाह बढ़ता है किन्तु विकास व्यय तत्काल साधनों की कीमतों के रूप में उनके प्रतिवर्तियों को आय प्रवाह बढ़ाते हैं। (ग) सरकार सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण कार्यों पर व्यय द्वारा आय, रोजगार एवं आय प्रवाह में वृद्धि करती है। सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का व्यय सामान्यतः आय प्रवाह में वृद्धि करता है।

(4) उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption)—यह भी आय प्रवाह को प्रवाहित करने वाला मुख्य घटक है क्योंकि जितनी ही उपभोग की औसत एवं सीमान्त प्रवृत्ति अधिक होगी लोगों की प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और आय का प्रवाह भी बढ़ेगा। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय का स्रोत होता है अतः उपभोग में वृद्धि आय प्रवाह को बढ़ाती है अतः उपभोग वस्तुओं की पूर्ति देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूरी की जाती है। अतः विदेशी आयातों पर निर्भरता रही तो आय प्रवाह वाञ्छित गति से नहीं बढ़ पायगा।

(5) सग्रह में कमी (Reduction in Hoardings)—जब अर्थव्यवस्था में उपार्जित आय के अतिक्रमण भाग को उपभोग अथवा विनियोग पर व्यय किया जाता है और सग्रह की प्रवृत्ति घटती है तो आय प्रवाह में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोग एवं विनियोग में वृद्धि ऊपर बताये तरीके से उपभोग और विनियोग वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनके स्वामियों को आय प्रवाहित करते हैं। पर अतः सग्रह की प्रवृत्ति प्रबल होती है तो उपभोग एवं विनियोग क्षेत्र में प्रभावपूर्ण मांग घटने से आय का प्रवाह सूख जाता है। अतः सग्रह प्रवृत्ति में कमी से आय प्रवाह बढ़ता है।

(B) आय प्रवाह को घटाने वाले तत्व (Withdrawals from Flow of Income)—जैसे ऊपर बताये गये तत्व आय प्रवाह में वृद्धि करते हैं वही बचतों में वृद्धि, उपभोग में कमी, आयातों में वृद्धि, करारोपण के श्रृंखलात्मक प्रभाव और सरकारी व्यय में कमी से आय प्रवाह के आकार में कमी आती है जो शीर्षकानुसार निम्न विवरण से स्पष्ट है:—

(1) बचतों के आकार में वृद्धि (Increase in Savings)—जब अर्थव्यवस्था में बचतें बढ़ती हैं तो लोगों के व्यय में कमी आती है और व्यय के अभाव में आय प्रवाह की गति मंद हो जाती है। ये बचतें प्रायः दो प्रकार की हो सकती हैं। एक और (अ) पारिवारिक बचतें तथा दूसरी और (ब) व्यावसायिक बचतें जैसे अनिश्चित लाभ तथा लाभ के संचित कोष आदि। पारिवारिक बचतों और व्यावसायिक बचतों का वह भाग तो पुनः आय प्रवाह में जुड़ जाता है जो उत्पादक विनियोगों या अन्य उपयोगों में प्रयुक्त किया जाता है या उधार दिया जाता है। बचतों का केवल वही भाग आय प्रवाह को घटाता है जो अपस्रचय (Hoard) कर लिया जाता है।

(2) आयातों की वृद्धि (Increase in Imports)—विदेशी वस्तुओं व सेवाओं के आयात में वृद्धि के कारण देश की आय विदेशों में भुगतानार्थ प्रयुक्त की जाती है इससे देश उस आय प्रवाह से वंचित हो जाता है। जिस देश में निर्यातों की अपेक्षा आयातों का मूल्य अधिक होता है तो देशवासियों की आय का निस्सरण विदेशों में होने से देशवासी इस आय-प्रवाह से वंचित हो जाते हैं अतः आयात आय-प्रवाह में कमी लाते हैं और उसका गुणक प्रभाव भी विदेशों में हस्तान्तरित हो जाता है।

(3) करारोपण (Taxation)—जब सरकार कर लगाती है तो करदाताओं से ऋण-शक्ति का हस्तान्तरण सरकार के पास होता है अतः देश के करदाताओं की आय घटने से उनका आय-प्रवाह भी घट जाता है। करारोपण से आय प्रवाह में उस सीमा तक कमी आती है जिस सीमा तक करदाता आय प्रयोग से वंचित होते हैं। हा, सरकारी व्यय एवं आय हस्तान्तरण से आय-प्रवाह में धनात्मक वृद्धि कर सकती है।

(4) उपभोग में कमी (Decrease in Consumption)—जब जनता के उपभोग में कमी आती है तो आय-प्रवाह घट जाता है क्योंकि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय का स्रोत होता है। जब उपभोग में कमी होती है तो उत्पादक फर्मों की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी से उनकी आय घटकर उनके तथा उनमें काम करने वाले साधनों की आय को कम कर देती है। अतः अन्ततः आय प्रवाह में कमी आती है।

(5) सरकारी व्यय में कमी (Decrease in Government Expenditure)—सरकार विभिन्न मदों पर खर्चा करके परिवारों तथा उत्पादक फर्मों की आय में वृद्धि करती है तो स्वाभाविक रूप से आय-प्रवाह बढ़ता है किन्तु सांख्यिक व्यय में कमी की जाती है तो परिवारों एवं उत्पादक फर्मों दोनों की आय में कमी हो जाने से आय-प्रवाह ध्वस्त होता है और उसमें कमी आती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आय-प्रवाह के धनात्मक तत्व (+) क्रमशः (i) विनियोग (I) (ii) उपभोग (C) (iii) निर्यात (Export or (X) (iv) सरकारी व्यय (G) (v) बचतों में कमी करना है। अगर हम पाचवें तत्व को (i) तथा (ii) का ही गौण भाग मानें तो इसे हम गणितीय सूत्र के रूप में आय-प्रवाह के धनात्मक तत्व = $(I + C + G + X)$ कहेंगे। इसके विपरीत आय-प्रवाह के ऋणात्मक तत्व (—) भी पांच हैं जो (i) बचतों एवं अपसंचय (S) (ii) आयात (Imports) (M) (iii) करारोपण (Taxation) (T) (iv) उपभोग में कमी (H) तथा (v) सरकारी व्यय में कमी होना है। गणितात्मक रूप से आय प्रवाह के ऋणात्मक तत्व = $(S + M + T + H)$ होंगे।

निष्कर्ष—यह है कि जब धनात्मक तत्वों की आय का जोड़ ऋणात्मक तत्वों के योग के बराबर है तो आय प्रवाह स्थिर एवं अपरिवर्तित रहता है किन्तु अगर

ऋणात्मक तत्वों की अपेक्षा घनात्मक तत्वों का जोड़ अधिक हो तो आय-प्रवाह बढ़ेगा तथा इसके विपरीत घनात्मक तत्वों का कुल जोड़ ऋणात्मक तत्वों के जोड़ से कम होने पर आय-प्रवाह घटेगा । संक्षेप में—

अगर $(I + C + G + X) = (S + M + T + H)$ है तो आय-प्रवाह स्थिर

अगर $(I + C + G + X) > (S + M + T + H)$ है तो आय प्रवाह बढ़ेगा

किन्तु $(I + C + G + X) < (S + M + T + H)$ तो आय-प्रवाह घटेगा

इसमें I विनियोग, C उपभोग, G सरकारी व्यय तथा X निर्यातों के मूल्य को व्यक्त करते हैं जबकि S बचतों, M आयातों, T करारोपण तथा H सरकारी एवं निजी व्यय में कमी को व्यक्त करते हैं । पिछड़े राष्ट्रों में गैर मौद्रिक लेन देनो अर्थात् वस्तु विनिमय की क्रियाएँ और अन्तर फर्म या अन्तर परिवार वस्तुओं व सेवाओं के आपसी लेन-देन दोनों के कारण आय-प्रवाह कम होता है किन्तु यह मर्दें कुल आय-प्रवाह में नगण्य सी होती है अतः उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ।

चक्राकार आय-प्रवाह मॉडल की सीमायें, कमियाँ अथवा आलोचनाएँ (Limitations of Circular Flow Model)

उपर वर्णित चक्राकार आय प्रवाह मॉडल की दो बड़ी सीमायें सामने आती हैं जिनका विकासशील एवं अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत अधिक महत्व है ।

(1) गैर-मौद्रिक लेन-देन एवं गैर बाजार सौदों की उपेक्षा—आय-प्रवाह में गैर मौद्रिक एवं गैर बाजार सौदों का समावेश नहीं हो पाता अतः अल्प विकसित देशों में जहाँ वस्तु-विनिमय की प्रधानता है अथवा कृषि उपज का बहुत बड़ा भाग स्वयं के उपभोग में प्रयुक्त कर लिया जाता है, स्वयं के उत्पादन साधनों का कोई प्रतिफल नहीं चुकाया जाता वहाँ वृत्ताकार आय-प्रवाह मॉडल की उपयोगिता कम हो जाती है ।

(2) फर्मों के बीच आपसी लेन देनो तथा परिवारों के बीच लेन-देनों का वृत्ताकार आय प्रवाह में समावेश नहीं होता क्योंकि—लिप्से के अनुसार “यह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवार के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है” जबकि कई फर्म परस्पर एक दूसरे को वस्तुएँ एवं सेवार्थें बेचती एवं खरीदती हैं । इसी प्रकार कई घरेलू परिवार परस्पर एक दूसरे से वस्तुओं का लेन-देन करते हैं अतः वृत्ताकार आय प्रवाह मॉडल में फर्मों के आपसी लेन-देनो व परिवारों के आपसी आदान प्रदान की उपेक्षा ठीक नहीं है ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1 आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह (Flow of Money) का वर्णन कीजिये । अथवा

किसी अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह (Circular Flow of Income) का विवरण दीजिये ।

(सकेत—इसके उत्तर में एक अर्थव्यवस्था में धाय-प्रवाह का सरल रूप देकर फिर सबूत अर्थव्यवस्था और अनावृत्त अर्थव्यवस्थाओं में धाय प्रवाहों का विवेचन चित्रों सहित दीजिये।)

2. यह स्पष्ट करें कि “धाय का चक्राकार प्रवाह (Circular Flow) धयवा धाय का वृत्ताकार प्रवाह राष्ट्रीय उत्पत्ति को राष्ट्रीय धाय और राष्ट्रीय व्यय के बराबर कैसे करता है।”

(सकेत—धाय-प्रवाह का एक सरल चित्रण देकर बताइये कि परिवारों से उत्पत्ति के साधन मिलकर देश में निश्चित मात्रा में उत्पादन करते हैं जो राष्ट्रीय उत्पादन को घ्यय करता है। फर्में इन उत्पादन साधनों को जो प्रतिफल प्रदान करती हैं वह उनकी धाय को व्यक्त करता है तथा कुल प्रतिफल राष्ट्रीय धाय को व्यक्त करता है। परिवार इनको वस्तुओं और सेवाओं या पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय करते हैं। इस प्रकार अपनी सब धाय घर घर व्यय की जाती है तो वह राष्ट्रीय धाय को व्यक्त करती है अतः $Y = C + I + G + (X + Y)$ ।)

3. धाय के वृत्ताकार प्रवाह का क्या अाशय है ? धाय के प्रवाह के आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों का वर्णन करें।

(Raj. I yr. T.D.C. 1976, 1980)

(सकेत—प्रथम भाग में धाय-प्रवाह को संवृत अर्थव्यवस्था (Closed Economy) तथा अनावृत्त अर्थव्यवस्था (Open Economy) में बताना है फिर दूसरे भागों में चित्रों द्वारा स्पष्ट करना है और तीसरे भाग में धाय के प्रवाह के आकार को निर्धारित करने वाले घटकों को शीर्षकानुसार देना है।)

4. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

धाय का वृत्ताकार प्रवाह।

(Raj. I Yr. T.D.C. 1974)

13

राष्ट्रीय आय की धारणाएँ

(National Income Concepts)

प्रायः राष्ट्रीय आय का अर्थ प्रायः सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) के उस भाग से है जो किसी वर्ष विशेष में देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को उनके प्रतिफलों के रूप में वितरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का कुल योग है जो किसी वर्ष विशेष में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज एवं लाभ के रूप में चुकाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय साधन आयों—लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज तथा लाभ—के कुल योग को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय की कई धारणाएँ हैं और उनका आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में विशेष महत्त्व है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का मापदण्ड है, उत्पादन के प्रकार, प्रकार और वृद्धि का सूचक है, भावी विकास का मार्गदर्शक एवं प्रगति का मूल्यांकन करती है। राष्ट्रीय आय से ही विकास की दिशा एवं स्तर ज्ञात होता है, राष्ट्रीय आय पर ही जीवन स्तर निर्भर है। यह आर्थिक कल्याण का आधार है। अतः राष्ट्रीय आय का समुचित अध्ययन जरूरी है।

राष्ट्रीय आय की परिभाषायें एवं राष्ट्रीय आय के अंग

(Definitions & Components of National Income)

राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं में मार्शल ने विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि पीगू ने मारिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी है और फिशर ने उपयोग को आधार माना है। इन परिभाषाओं का विवरण एवं विवेचन अलग अलग इस प्रकार है—

(A) प्रो. मार्शल का विस्तृत दृष्टिकोण—प्रो. मार्शल के अनुसार “किसी देश की वृत्तियों एवं धन का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग से प्रति वर्ष भौतिक एवं दार्शनिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, इन सम्पूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय माना जाता है।”

देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है।¹

मार्शल के अनुसार—राष्ट्रीय आय = [(वस्तुओं और सेवाओं का वापिक उत्पादन + विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय)-(पूँजी की घिसावट + प्रतिस्थापन व्यय)]

मार्शल की परिभाषा के अनुसार—(i) राष्ट्रीय आय की गणना वापिक आधार पर की जाती है। (ii) राष्ट्रीय आय में देश के उत्पत्ति के साधनों की शुद्ध भौतिक एवं अमौलिक तथा सभी सेवाओं की शुद्ध भौतिक उत्पत्ति को सम्मिलित किया जाता है। (iii) शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति को मालूम करने के लिए कुल सामूहिक उत्पत्ति में से पूँजी की घिसावट तथा चल पूँजी के प्रतिस्थापन व्यय को कम किया जाता है अर्थात् कुल उत्पत्ति (Gross Product) में से घिसावट व प्रतिस्थापन व्यय घटा दिया जाता है। (iv) वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की गणना भी की जाती है। (v) राष्ट्रीय आय में उन वस्तुओं व सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा मित्रों एवं सम्बन्धियों के लिए निःशुल्क सेवाएँ, अपनी व्यक्तित्व वस्तुओं से लाभ, अथवा कर-मुक्त फल आदि सामाजिक सेवाओं से प्राप्त करता है। (vi) इसमें विदेशों में निवेश से प्राप्त आय जोड़ी जानी चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के मुख्य अंग निम्न होते हैं—

✓ (1). शुद्ध भौतिक एवं अमौलिक वापिक उत्पत्ति।

(2) सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य केवल स्वयं की अथवा मित्र सम्बन्धियों के लिए निःशुल्क सेवाओं को छोड़कर।

आलोचना—यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से मार्शल की परिभाषा में त्रुटि निकालना कठिन है तथापि व्यावहारिक दृष्टि से यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है, इसमें अनेक कमियाँ हैं—(i) देश में अनेक वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। अतः उन सबकी सांख्यिकी गणना या माप करना बहुत कठिन है और यह कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब उत्पादन छोटे पैमाने पर हो और विकेंद्रित हो। (ii) दोहरी गणना की संभावना भी अधिक है। क्योंकि अगर वृषि उत्पादन में दो टन गहू सम्मिलित है तो आटा कम्पनी के आटा उत्पादन में 2 टन फिर से नहीं गिने जाने चाहिये। (iii) किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के केवल उस भाग का ही मूल्यांकन होता है जो बाजार में बिक्री के लिए आता है, अतः ऐसी वस्तुओं की मात्रा भी कम नहीं है जो स्वयं के उपयोग के लिये रख ली जाती है जैसे कृषक द्वारा अपने

1 "The labour and capital of a country acting on the natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true national income or revenue of the country or the national dividend"

उपभोग के लिये रखा गया गेहूँ, (iv) किसी देश की राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में व्यक्त की जाने से उनकी व्यावहारिक उपयोगिता कम है—एक सामान्य मापदण्ड (Common measure) होना चाहिये ।

इन आलोचनाओं के बावजूद भी मार्शल के उत्पादन दृष्टिकोण पर आधारित राष्ट्रीय आय की धारणा सरल एवं स्पष्ट है ।

(B) पीगू की परिभाषा—मौद्रिक दृष्टिकोण—पीगू ने अपनी सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में भी मौद्रिक दृष्टिकोण अपनाया है । वह राष्ट्रीय आय के अंगों (Components) को भी मुद्रा की कसौटी पर परखता है । पीगू के अनुसार "राष्ट्रीय आय किसी भी समुदाय (एक राष्ट्र) की धारतविक आय (Objective Income) है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, वा वह भाग है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है ।"² इस परिभाषा से केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का समावेश राष्ट्रीय लाभांश में हो सकता है जो मुद्रा द्वारा नापी जा सकें या विनिमय हो । उन वस्तुओं और सेवाओं का, जिनका मुद्रा में नाप न हो सके और भौतिक उद्देश्य से न की जाती हों तो उनका राष्ट्रीय आय में समावेश नहीं होगा । जैसे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है या भिन्न को निःशुल्क सेवार्थ देता है तो उसकी सेवाओं का समावेश राष्ट्रीय आय में नहीं होता जबकि दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने या नौकर के रूप में पढ़ाने या सशुल्क पढ़ाने में राष्ट्रीय आय में समावेश होगा । पीगू ने स्वयं एक रोचक उदाहरण दिया है कि वेतन पर रखी गई नौकरानी की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में समावेश होगा पर अगर वह व्यक्ति उस नौकरानी से शादी कर ले तो उस औरत की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में समावेश नहीं होने पर राष्ट्रीय आय कम हो जायेगी ।

पीगू की परिभाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा द्रव्य के मापदण्ड का राष्ट्रीय आय को मापने के लिये उपयोग करना है । इसने राष्ट्रीय लाभांश की धारणा को निश्चित एवं व्यावहारिक बना दिया और मार्शल की परिभाषा के दोषों को दूर कर दिया पर फिर भी अनेक आलोचनायें की गई हैं ।

आलोचनायें—(1) समान प्रकार की वस्तुएँ और सेवाएँ एक परिस्थिति में तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं अगर उनका मुद्रा से मूल्यांकन हो तथा दूसरी परिस्थिति में उपेक्षा, उपयुक्त नहीं जैसे नौकरानी के रूप में सेवाओं का राष्ट्रीय आय में समावेश परन्तु पत्नी के रूप में उसी नौकरानी की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में

2. "National Dividend is that part of the objective income of the Community, including ofcourse, income derived from abroad, which can be measured in money "

समावेश न करना युक्तिसंगत नहीं है (ii) जिन देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली है या मुद्रा विनिमय का प्रयोग सीमित है तो यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है। (iii) यह बहुत ही सखीएँ दृष्टिकोण को अपनाती है। केवल मुद्रा द्वारा विनिमय की जाने वाली वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। (iv) मार्शल की भाँति अनेक ऐसी वस्तुओं का छूट जाना स्वभाविक है जो मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं की जाती है, जैसे किसान का उपभोग के लिये रखा गया अनाज, खुद के उपभोग में खुद का मकान।

मार्शल और पीगू में समानता (i) दोनों राष्ट्रीय आय की वार्षिक गणना करते हैं। (ii) दोनों उत्पात्ति की गणना करते हैं पर मार्शल और पीगू में यह अन्तर है कि (i) मार्शल शुद्ध सामूहिक उत्पादन की ओर ध्यान देता है जबकि पीगू उत्पादन के केवल उभी भाग को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करता है जो मुद्रा में मापी जा सकती है। (ii) पीगू का दृष्टिकोण सङ्कुचित है मार्शल का दृष्टिकोण व्यापक है।
 (C) फिशर की परिभाषा—उपभोग दृष्टिकोण—फिशर ने उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों से संबंधित मिन दृष्टिकोण अपनाया है। फिशर ने राष्ट्रीय आय का आधार उपभोग माना है। फिशर के अनुसार “राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे सेवाएँ जो अन्तिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिये प्राप्त होती हैं चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हों अथवा मानवीय वातावरण से।” इसी प्रकार अन्य शब्दों में “वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक उत्पादन का वह भाग है जो उस वर्ष विशेष में उपभोग किया जाता है।”¹² यहाँ फिशर की परिभाषा तात्किक और अधिक उपयुक्त मालूम होती है क्योंकि उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य उपभोग होता है इसलिये उत्पादन का केवल वह भाग ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाना चाहिये जो उस वर्ष उपभोग किया जाता हो। फिशर के अनुसार एक ओवरकोट या पियानो का सारा मूल्य राष्ट्रीय आय नहीं बरन् उनका जितना उपयोग इस वर्ष होता है वह राष्ट्रीय आय का भाग है जबकि बाकी पूँजी में वृद्धि है।

फिशर की परिभाषा की विशेषताएँ—(i) वार्षिक गणना से सम्बन्ध है। (ii) उपभोग को आधार मानती है। (iii) मानव कल्याण से मेल खाती है। (iv) अधिक तात्किक है क्योंकि उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य उपभोग है। (v) अधिक उत्पादन अधिकतम कल्याण का सूचक नहीं, अधिक उपभोग ही अधिकतम कल्याण का सूचक है।

फिशर के विचारों की आलोचना—(i) किसी निश्चित अवधि में जब उत्पादन की गणना ही मुश्किल है तब उपभोग की गणना करना तो उसके विस्तृत क्षेत्र के कारण और भी बहुत कठिन है। (ii) टिकाऊ वस्तुओं के कुल उपभोग की यथार्थ

¹² “The true National Income is that part of the annual net produce which is directly consumed during that year.”

अवधि का अनुमान लगाना भी जटिल कार्य है अर्थात् उत्पादित वस्तुओं के जीवन काल का अनुमान लगाना कठिन है। जैसे एक कार के 10 वर्ष चलने का अनुमान लगाया पर किसी खराबी या दुर्घटना के कारण 5 साल ही चली तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाने वाला हिस्सा गलत निष्कर्ष देगा। (iii) वस्तुओं का आंशिक उपभोग के बाद हस्तान्तरण होने से तथा टिकाऊ वस्तुओं की लम्बी अवधि से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किये जाने वाले भाग की गणना कठिन है। (iv) एडविन वाल्टर ने राष्ट्रीय लामाश की पृथकता प्रवृत्ति की आलोचना की है। एक देश में आय-उपभोग दूसरे देशों की परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है।

तीनों परिभाषाओं में श्रेष्ठ कौन ?

इसका स्पष्ट उत्तर देना से पूर्व राष्ट्रीय आय के उद्देश्य की ओर ध्यान देना होता है। अगर कल्याण की सापेक्षिक मात्राओं की तुलना करनी है तो निःसन्देह फिशर की विचारधारा उपयुक्त है परन्तु अगर आर्थिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करना है तो मार्शल और पीगू की उत्पादन गणना की परिभाषाएँ उपयुक्त हैं। इससे अलावा पीगू और मार्शल की परिभाषाएँ सरल और व्यावहारिक हैं जबकि फिशर की परिभाषा तांत्रिक और समाज कल्याण उद्देश्य से मेल खाती है। अतः उद्देश्य के आधार पर ही परिभाषा को श्रेष्ठ कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय आय के बारे में आधुनिक विचार—भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार “एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बिना दोहरा गणना के राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है।” संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ उत्पादन, वितरण व व्यय के आधार पर की जा सकती हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल द्विचक्र मूल्य (बाजार कीमतों पर) को कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) कहते हैं और अगर कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) में से जिनमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं, पूँजी की घिसाई तथा उत्पादन में प्रतिस्थापन व्यय को घटा दें तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय (Net National Product or NNP) प्राप्त होती है।” आधुनिक अर्थशास्त्री प्रायः विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को राष्ट्रीय आय मानते हैं। दो दृष्टिकोणों के अनुसार राष्ट्रीय आय नीचे स्पष्ट है—

विस्तृत दृष्टिकोण—राष्ट्रीय आय = (कुल राष्ट्रीय उत्पादन - घिसावट)

संकुचित दृष्टिकोण—राष्ट्रीय आय = (कुल राष्ट्रीय उत्पादन - घिसावट - अप्रत्यक्ष कर)

राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएँ अथवा स्वरूप

(Various Concepts of National Income)

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति का मूल्यांकन मुख्यतः राष्ट्रीय आय के आधार, उसके वितरण एवं प्रयोग की प्रवृत्ति के द्वारा किया जाता है।

चू कि उत्पादन, व्यय, आय एवं रोजगार परस्पर सम्बन्धित एवं आश्रित घटक है अतः राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं की जानकारी आवश्यक है। मुख्य धारणाएँ (Concepts) इस प्रकार हैं—

(1) सकल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (Gross National Product or GNP)

“किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के कुल योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) कहते हैं।”⁴ यह किसी देश की वार्षिक उत्पादन क्षमता का द्योतक है और वस्तु प्रवाह (Goods-Flow) को व्यक्त करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में केवल अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं (Final Goods and Services) के बाजार मूल्यों को ही जोड़ा जाता है, अर्द्ध निर्मित अथवा मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं (Intermediate Goods and Services) के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता क्योंकि अन्तिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ तो अन्तिम उपयोग के लिये हैं, उनका पुनः विक्रय अथवा पुनः निर्माण में प्रयोग नहीं होता जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का अग्रिम प्रायः ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो पुनः विक्रय की जाती हैं अथवा पुनः निर्माण में काम आती हैं।

अर्थ-व्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उत्पादित होती हैं और उन्हें विविध अलग-अलग इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। जैसे लोहा-इस्पात टनो में, दूध लीटर में, कपड़ा मीटर में, विद्युत् उत्पादन किलोवाट में तो सड़क निर्माण कि-लोमीटर में और सेवायें घण्टों एवं दिनों में व्यक्त की जाती हैं। अतः इन अलग-अलग इकाइयों (Heterogeneous Units) का जोड़ करना कठिन होने से सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा के सामान्य मापदण्ड में व्यक्त बाजार मूल्यों में मापा जाता है। सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को उनके बाजार मूल्यों से गुणा कर सभी के बाजार मूल्यों का जोड़ ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की निम्न विशेषताएँ हैं—

(i) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग किया जाता है। मध्यवर्ती अथवा अर्द्ध निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता।

(ii) GNP में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही मूल्य जोड़ा जाता है जो विनिमय एवं मुद्रा के मापदण्ड को परिधि में आता है। मनोरंजन, पारिवारिक स्नेह, देश प्रेम एवं भावविशेष से प्रेरित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन मूल्य GNP में

4 “Gross National Product is the total of market price of all final goods and services produced annually in the nation”

नहीं जोड़ा जाता। जैसे पत्नी की सेवायें, किचन गार्डन की सज्जियाँ आदि सकल राष्ट्रीय आय में नहीं आतीं।

(iii) केवल वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुएँ एवं सेवाएँ ही GNP में शामिल होती हैं। सन्दर्भ वर्ष के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य इस वर्ष की GNP में नहीं जोड़ा जाता चाहे वे इस वर्ष बेची जायें।

(iv) हस्तांतरण भुगतान, पूँजीगत लाभ एवं हानि तथा अवैधानिक गति-विधियों—ब्लैक मार्केटिंग, तस्करी, चोरी, डकैती आदि से अर्जित आयों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता।

(v) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना मुद्रा के रूप में की जाती है क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने का सामान्य मापदण्ड है।

(vi) सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों के आधार पर की जा सकती है किन्तु सभी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एव-सा मूल्य रहता है जैसा प्रागे $GNP \equiv GNI \equiv GNE$ की समानता से दर्शाया गया है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद का माप अथवा गणना

(Measurement of Gross National Product or GNP)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का माप अथवा गणना तीन अलग-अलग आधारों से की जा सकती है किन्तु सबसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) समान शैलिक मूल्य को व्यक्त करता है जो इस प्रकार है—

(A) बाजार मूल्यों पर कुल उत्पादन दृष्टिकोण—इस गणना विधि में देश में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के धार्मिक उत्पादन को बाजार मूल्यों पर जोड़ा जाता है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। उदाहरणार्थ एक कारखाने में उत्पादित 100 कारों का पचास हजार प्रति कार के हिसाब से 50 लाख ₹०, उपरोक्त वस्तुओं का 500 करोड़ ₹०, उत्पादन वस्तुओं का 300 करोड़ ₹०, सेवाओं का मूल्य 300 करोड़ ₹० इन सबके बाजार मूल्यों का योग ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद का धोना है। गणितीय सूत्र के रूप में—

बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद	=	(सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य + निजी उत्पादन का मूल्य + सभी आर्थिक सेवाओं का मूल्य)
(GNP at Market Prices)		

(B) कुल व्यय दृष्टिकोण पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद—इस गणना विधि में वर्ष में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गये कुल व्यय को जोड़ा जाता है। कुल व्यय में चार प्रकार का व्यय आता है—

(i) कुल उपभोग व्यय (C)—इसमें देश के परिवारों एवं लोगों द्वारा दैनिक उपभोग व्यय—रोटी, दूध, ईंधन आदि, टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग व्यय—पता,

रेडियो, कार आदि तथा सेवाओं पर व्यय—डाक्टर, वकील, अध्यापक, मनोरंजन आदि—सबको जोड़ा जाता है।

(ii) सकल निजी विनियोग (I)—इसके अन्तर्गत समस्त निजी उत्पादको द्वारा स्थिर विनियोगो—मशीनो, यन्त्रो एवं कारखानो मे विनियोगो पर व्यय, टाक एवं इन्वेन्टरी मात्रा मे परिवर्तन व्यय तथा आय अर्जित करने वाली सम्पदाओ पर व्यय को जोड़ा जाता है।

(iii) सरकारी व्यय (G)—इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा वस्तुओ एवं सेवाओ की खरीद पर किये गये व्यय को जोड़ा जाता है जो चाहे उपभोग व्यय हो अथवा उत्पादक व्यय। किन्तु इसमे हस्तांतरण भुगतानो को नहीं जोड़ा जाता।

(iv) विशुद्ध विदेशी विनियोग (X-M)—इसके अन्तर्गत वस्तुओ एवं सेवाओ के निर्यात मूल्यो मे से आयात मूल्यो को घटाया जाता है। अगर शेष धनात्मक है तो GNP बढ़ता है और अगर निर्यातो से आयातो का मूल्य अधिक हुआ तो शेष ऋणात्मक होने पर GNP घटेगा। गणितीय सूत्र के रूप मे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और सकल राष्ट्रीय व्यय (Gross National Expenditure or GNE) की समानता दर्शा सकते है—

सकल राष्ट्रीय उत्पाद = (कुल पारिवारिक उपभोग व्यय + सकल निजी विनियोग + कुल सरकारी व्यय + विशुद्ध विदेशी विनियोग व्यय)

$$GNP = C + I + G + (X - M)$$

अथवा $GNP = GNE$

(C) साधन आयों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दृष्टिकोण (GNP on Factor Incomes Approach)—इस विधि मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना उत्पादन के सभी साधनो को मिलाने वाले पारिश्रमिक के योग से करते हैं। इस प्रकार यह (i) लगान, (ii) मजदूरी तथा वेतन, (iii) व्याज तथा (iv) लाभ आदि के रूप मे मिलने वाली कुल आमदनियो का जोड़ होती है।

अगर उत्पादक फर्म अपने समस्त उत्पादन को उत्पादन के साधनो मे पारिश्रमिक के रूप मे बाँट दे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और सकल राष्ट्रीय आय (GNI) बराबर होंगे अर्थात् $GNP = GNI$ होगा। किन्तु व्यवहार मे सारा उत्पादन, उत्पादन के साधनो मे नहीं बाँटा जाता। उत्पादन का कुछ भाग तो पूँजी की घिसावट एवं प्रतिस्थापन के लिये रखा जाता है और कुछ भाग सरकार को अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) के रूप मे चुकाना पड़ता है। इससे GNP और GNI मे अंतर होगा और GNP अधिक होगा GNI से, अर्थात् $GNP > GNI$ अतः दोनो मे समानता के लिये GNI मे अप्रत्यक्ष करो तथा घिसावट को जोड़ना होगा, तभी $GNP = GNI$ होगा, जैसा निम्न गणितीय सूत्र में स्पष्ट है—

साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद = (लगान + मजदूरी, वेतन + व्याज + लाभ + परोक्ष कर + मूल्य ह्रास)

GNP (At Factor Cost) (Rent + Wages + Interest +
Or Profits + Indirect Taxes +
GNP (At Factor Incomes) Depreciation)

अथवा $GNP = GNI$

सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय तथा सकल राष्ट्रीय व्यय में समानता

(Identity of GNP, GNI and GNE or $GNP \equiv GNI \equiv GNE$)

इन तीनों धारणाओं में पारस्परिक समानता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य, सकल राष्ट्रीय आय तथा सकल राष्ट्रीय व्यय—ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात् $GNP \equiv GNI \equiv GNE$ होता है क्योंकि उत्पादकों को अपनी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से जो मूल्य मिलता है वह खरीददारों के द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर होता है और इसी प्रकार जो कुछ व्यय किया जाता है वह तत्काल किसी न किसी को आय के रूप में प्राप्त होता है। आय प्राप्त करने वाले उसको पुनः व्यय करते हैं। इन तीनों में समानता सिद्ध करने के लिये सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना की तीनों विधियों—(i) बाजार मूल्यों पर GNP, (ii) कुल व्यय के आधार पर GNP तथा (iii) साधन आय पर GNP का सहारा लिया जा सकता है—

सकल राष्ट्रीय आय GNI	\equiv सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP	\equiv सकल राष्ट्रीय व्यय GNE
(a) लगान (Rent) +	GNP- वर्ष के दौरान उत्पन्न समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्यों का योग अतः $GNP \equiv GNI \equiv GNE$ क्योंकि तीनों विधियों से प्राप्त मौद्रिक मूल्य एक समान होता है।	1. पारिवारिक उपभोग (C)
(b) मजदूरी, वेतन (Wages) +		2. सकल घरेलू निजी विनियोग (Gross Domestic Private Investment) = (I)
(c) व्याज (Interest) +		3. सकल सरकारी व्यय (Total Govt. Exp) (G)
(d) लाभ (Profits) +		4. विणुद्ध विदेशी विनियोग (X-M) (निर्यात-आयात)
(e) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) +		

(f) मूल्य-ह्रास (Depreciation) अर्थात् $GNI = (a + b + c + d + e + f)$	$GNE = C + I + G + (X - M)$
---	-----------------------------

(2) सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income or GNI)

“सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) के उत्पादन में अर्जित समस्त आमदनियों—लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ आदि—के योग को सकल राष्ट्रीय आय (GNI) कहा जाता है।”⁵ दूसरे शब्दों में, उत्पादन के विभिन्न साधनों को व्यय के दौरान उत्पादन कार्य हेतु जो प्रतिफल लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज एवं लाभ के रूप में प्राप्त होता है उन सब आमदनियों के योग को सकल राष्ट्रीय आय (GNI) कहा जाता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय (GNI) आय-प्रवाह (Income-Flow अथवा Earnings-Flow) को व्यक्त करता है क्योंकि यह समस्त उत्पादन साधनों की वार्षिक आमदनियों (Annual Factor Incomes) का घातक है। सूत्र के रूप में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) = लगान + मजदूरी/वेतन + ब्याज + लाभ आदि।

उपर्युक्त सूत्र में यह मान्यता है कि उत्पादक फर्मों सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) को उत्पादन के साधनों में बाँट देती है, अतः ऐसी अवस्था में $GNP = GNI$ होगा।

व्यवहार में उत्पादक फर्म अपने समस्त उत्पादन मूल्य को उत्पादन साधनों में नहीं बाँटती बरन् उसमें से कुछ भाग तो वार्षिक मूल्य ह्रास (Annual Depreciation) के प्रतिस्थापन के लिये रख दिया जाता है तथा कुछ भाग सरकार को अप्रत्यक्ष करों के रूप में भुगतान किया जाता है। अतः ऐसी अवस्था में उत्पादन साधनों की आमदनियों और GNP में अन्तर रहेगा अर्थात् $GNP > GNI$ होगा और दोनों में समानता हेतु हमें GNI में मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों की राशि को जोड़कर समायोजन करना होगा। सूत्र के रूप में—

$$GNP = GNI + \text{लगान} + \text{मजदूरी} + \text{ब्याज} + \text{लाभ} + \text{अप्रत्यक्ष कर} + \text{मूल्य ह्रास}$$

इसे साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP at Factor Cost) भी कहा जाता है क्योंकि फर्मों के लिये वह लागत है।

5. Gross National Income (GNI) is the total of all incomes—Rent, Wages, Interest and Profits etc.—earned in the production of GNP.

सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को दूसरे सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है—
सकल राष्ट्रीय आय = (सकल व्यावसायिक बचतें + निर्वर्त्य आय + शुद्ध सरकारी कर)

$$\text{GNI} = (\text{Gross Business Savings} + \text{Disposable Income} + \text{Net Govt Taxes})$$

सकल व्यावसायिक बचतें मूल्य ह्रास तथा रोके गये लाभ के योग (Depreciation + Retained Profits) से ज्ञात होती हैं और निर्वर्त्य आय (Disposable Income) की गणना व्यक्तिगत आय म से प्रत्यक्ष कर घटाने (PI - Direct Taxes) से ज्ञात होती है जबकि शुद्ध सरकारी करों की राशि कुल करों म से हस्तान्तरण भुगतान घटाने (Total Taxes - Transfer Payments) से प्राप्त होती है।

(3) विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product or NNP)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) म से उत्पादन की मशीनो एव अचल सम्पत्तियो के वार्षिक मूल्य ह्रास (Annual Depreciation) घटाने से जो शेष बचता है वह विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहलाता है।

बाजार मूल्यो पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है—

$$\text{विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद} = \text{सकल राष्ट्रीय उत्पाद} - \text{वार्षिक मूल्य ह्रास}$$

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depreciation}$$

विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय आय एव विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय मे समानता

(Identity of NNP, NNI and NNE or $\text{NNP} \equiv \text{NNI} \equiv \text{NNE}$)

जिस प्रकार ऊपर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय मे समानता बताई गई थी उसी प्रकार समी म मूल्य ह्रास को घटाकर $\text{NNP} \equiv \text{NNI} \equiv \text{NNE}$ बताया जा सकता है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

विशुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI)	\equiv विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)	\equiv विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय (NNE)
(a) लगान +	विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) =	1. पारिवारिक उपभोग व्यय (C)
(b) मजदूरी +	(GNP - Depreciation) अतः	+
		2. विशुद्ध घरेलू निजी

(c) ब्याज +	$NNP \equiv NNI \equiv NNE$	विनियोग (I)
(d) साम +		3 सरकारी व्यय (G)
(e) अप्रत्यक्ष कर		4. विशुद्ध विदेशी विनियोग (X - M)
$NNI = a + b + c + d + e$		$NNE = C + I + G + (X - M)$

(4) राष्ट्रीय आय

(National Income or NI)

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसूचक "वितरण होने वाले भागों के रूप में किसी निश्चित अवधि में उत्पादन साधनों को भुगतान की जाने वाली आय के योग को राष्ट्रीय आय (NI) कहते हैं।" उत्पादन के विभिन्न साधनों—मजदूरों को मजदूरी, भू-स्वामियों को लगान, पूँजीपतियों को ब्याज, प्रदायकों को वेतन तथा साहसी को साम के रूप में आय प्राप्त होती है, उन सबका योग ही राष्ट्रीय आय है। दूसरे शब्दों में, किसी वर्ष में उत्पादन के समस्त साधनों को प्राप्त आय या प्रतिफल के योग को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय (National Income at Factor Cost) कहते हैं।¹ संक्षेप में, गणितीय सूत्र के रूप में हम इसे यों प्रदर्शित करते हैं—

राष्ट्रीय आय (NI) = (लगान + मजदूरी + वेतन + ब्याज + साम)

$NI = (Rent + Wages + Interest + Profits)$

राष्ट्रीय आय की गणना सकल उत्पाद के बाजार मूल्यों के आधार पर भी की जा सकती है और इसे साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Factor Cost) कहा जाता है। इसके लिये विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है तथा अनुदान राशि जोड़ा जाता है। गणितीय सूत्र के रूप में—

राष्ट्रीय आय (NI) = $NNP - Indirect Taxes + Subsidies$

साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय = विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद - अप्रत्यक्ष उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय = कर + अनुदान
(NNP at Factor Cost)

(5) व्यक्तिगत अथवा निजी आय

(Personal Income or Private Income or PI)

किसी देश में परिवारों के व्यक्तियों को आय के रूप में जो मौद्रिक भुगतान प्राप्त होते हैं अथवा व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है

1. साधन लागत (Factor Cost) अथवा साधन मूल्यों (Factor Prices) का अभिप्राय उस व्यय से है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है।

उनके योग को व्यक्तिगत आय (PI) कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय आय में हस्तान्तरण भुगतान (पेंशन, बेकारी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा व्यय) और राष्ट्रीय ऋणों का ब्याज (National Debt Interest) को राशियाँ जोड़कर उस योग में से रोके गये लाभ + लाभ कर + सामाजिक सुरक्षा में असादान के योग को घटा देते हैं तो प्राप्त राशि व्यक्तिगत आय (PI) कही जायेगी। संक्षेप में—

व्यक्तिगत आय (PI) = घरेलू उत्पत्ति से निजी क्षेत्र की आय + राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय + हस्तान्तरण आय + शेष समार से शुद्ध हस्तान्तरण।

अथवा

व्यक्तिगत आय (PI) = राष्ट्रीय आय + राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज + हस्तान्तरण भुगतान - रोके गये कम्पनी लाभ - लाभ कर - सामाजिक सुरक्षा अनुदान। कुछ समायोजनों के कारण व्यक्तिगत आय (PI) राष्ट्रीय आय (NI) से अधिक हो सकती है।

(6) निर्वन्त्य आय (व्यवहार योग्य आय, खर्च योग्य आय अथवा प्रयोज्य व्यक्तिगत आय) (Disposable Income or DI)

निर्वन्त्य आय को ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय (PI) में से प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) तथा फीस एवं जुर्माने घटा देते हैं क्योंकि व्यक्तिगत आय में कर राशि चुकाने के बाद व्यक्ति उसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता है या चाहे तो बचा सकता है अतः निर्वन्त्य आय (DI) कुल उपभोग व्यय एवं वचतके योग के बराबर होती है। गणितीय मूत्र के रूप में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

निर्वन्त्य आय = व्यक्तिगत आय - प्रत्यक्ष कर - सरकारी फीस एवं जुर्माने
 $DI = PI - \text{Direct Taxes} - \text{Fees and Penalties}$

अथवा

निर्वन्त्य आय (DI) = व्यक्तिगत उपभोग (C) + वचत (S)

देश में जनसंख्या का जीवन-स्तर बहुत कुछ DI की वास्तविक वृद्धि पर निर्भर है।

(7) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

जब देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो जो माध्यमल आता है वही प्रतिव्यक्ति आय कहलाती है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} = \frac{NI}{P}$

राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं का पारस्परिक सम्बन्ध

(i) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) = कुल मार्जनिव उत्पन्न + कुल निजी उत्पादन + अग्रयस कर

अथवा $GNP = C + I + G + (X - M)$ जिसमें C व्यक्तिगत कुल उपभोग, I कुल विनियोग, G सांबंजनिक खरीद तथा (X - M) शुद्ध निर्यात को व्यक्त करता है। GNP में हम वस्तु प्रवाह (Goods Flow) का अध्ययन करते हैं।

(ii) सकल राष्ट्रीय आय (GNI) = सकल व्यावसायिक बचतें + निर्वर्त्य आय + शुद्ध वर मात्रा से ज्ञात होती है। इसमें हम आय प्रवाह (Earning Flow) का अध्ययन करते हैं।

दोनों प्रवाहों—GNP और GNI का योग एक दूसरे के बराबर होता है।

$$\text{अर्थात् } GNP = GNI$$

(iii) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) = सकल राष्ट्रीय उत्पाद—मूल्य ह्रास
 $NNP = GNP - \text{Depreciation}$

(iv) राष्ट्रीय आय (NI) = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद—अप्रत्यक्ष कर + अनुदान
 $= NNP - \text{Indirect Taxes} + \text{Subsidies}$

अथवा (NI) = लगान + मजदूरी + ब्याज + वेतन + लाभ

(v) व्यक्तिगत आय (PI) = राष्ट्रीय आय + ऋणों पर ब्याज + हस्तान्तरण मुग्तान—रोके गये कम्पनी लाभ—लाभ कर—सामाजिक सुरक्षा अ भदान

(vi) निर्वर्त्य आय (Disposable Income) = व्यक्तिगत आय—प्रत्यक्ष कर—फीस, जुमनि

$$DI = PI - \text{Direct Taxes} - \text{Fees and Penalties}$$

(vii) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) = राष्ट्रीय आय/जनसंख्या

इन सबके पारस्परिक सम्बन्ध को एक सरल सख्यात्मक उदाहरण द्वारा निम्न प्रकार समझा सकते हैं तथा उससे एक दूसरे का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है—

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) से प्रयोज्य आय (DI) तक पहुँच तथा प्रति व्यक्ति आय का काल्पनिक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
 (Example Showing Relationship in Various Concepts of National Income)

(राशि, करोड़ ₹.)

(1) बाजार भावों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)	40,000
घटाओ : वार्षिक मूल्य ह्रास (Depreciation)	(-) 2,000
(2) प्राप्त हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)	38000
(क्योंकि $NNP = GNP - \text{Depreciation}$)	
घटाओ : अप्रत्यक्ष अथवा परोक्षकर (Indirect Taxes)	(-) 2500

जोड़ो : सरकारी अनुदान (Subsidies)	(+)	500
(3) प्राप्त हुई राष्ट्रीय आय (National Income) (NI)		36,000
(क्योंकि राष्ट्रीय आय NI) = (NNP)—परिक्षेपण—अनुदान		
घटाओ : (i) निगमों के अतिरिक्त लाभ	(-)	20
(ii) निगम लाभ कर	(-)	10
(iii) सामाजिक सुरक्षा अदान	(-)	20
जोड़ो : (i) हस्तान्तरण भुगतान	(+)	50
(ii) सरकार द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान	(+)	40
(iii) उपभोक्ताओं द्वारा चुकाया गया शुद्ध ब्याज	(+)	10
(4) प्राप्त हुई वैयक्तिक (व्यक्तिगत) आय (Personal Income)		36050
(ऊपरी अनेक समायोजनों के कारण वैयक्तिक आय (PI) सामान्यतः राष्ट्रीय आय (NI) से अधिक होती है।)		
घटाओ : (i) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)	(-)	130
(ii) सरकारी फीस एवं जुर्माने	(-)	20
(5) प्राप्त हुई निर्वर्त्य आय अथवा खर्च योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय (Disposable Income = DI)		35,900
(क्योंकि वैयक्तिक प्रयोज्य आय (DI) = PI—Direct Taxes—Fees and Penalties)		
घटाओ : वैयक्तिक बचतें (Personal Savings)	(-)	900
(6) प्राप्त हुआ वैयक्तिक उपभोग (Personal Consumption)		35,000
(7) प्रतिव्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय (NI)}}{\text{देश की कुल जनसंख्या}} = \frac{\text{National Income}}{\text{Total Population}}$		
अगर राष्ट्रीय आय 36000 करोड़ रु हो और जनसंख्या 60 करोड़ हो तो प्रति व्यक्ति आय = $\frac{36000}{60} = 600$ करोड़ = 600 होषी।		

राष्ट्रीय आय के अंग (भाग)

(Components of National Income)

प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय के आकलन व अनुमान के आधार पर राष्ट्रीय आय को विभिन्न मदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति ने भारत की कुल राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण निम्न मदों में किया है। ये ही राष्ट्रीय आय के मुख्य अंग या भाग (Components) कहे जाते हैं—

(1) कृषि—जिसमें कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन आदि सम्मिलित हैं।

(2) उद्योग एव खनिज—जिसमे छोटे-बड़े सभी नारखानो, खनन, विद्युत्, जल-पूति आदि सभी निर्माण उद्योग सम्मिलित है ।

(3) बाणिज्य—परिवहन एव संचार, डाक, तार, रेल, सडक, बैंक, बीमा, महाजनो कार्य आदि सम्मिलित हैं ।

(4) अन्य सेवाएँ—जिसमे अनेक पेशे, कलाएँ सरकारी तथा घरेलू नौकरी, अकान आदि का स्वामित्व, प्रशासन एव सुरक्षा सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं ।

(5) विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय—आयात, निर्यात, ब्याज, बीमा, बैंक लाभ आदि इन सबके योग से ही शुद्ध घरेलू उत्पाद मालूम किया जाता है ।

राष्ट्रीय आय गणना मे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण

(1) पेन्टर को सोड़ो, डाक्टर का कार पर खर्च, साज सामान पर व्यय आदि सब मध्यवर्ती खर्च होता है अतः वह GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता ।

(2) पुरानो पेंटिंग खरीदना, पुरानो कार खरीदना अथवा पूर्व प्रयोग की गई कोई भी परिसम्पत्ति खरीदना आदि परिसम्पत्तियों का विनिमय (Exchange) मात्र है यह खर्च GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय आदि में शामिल नहीं होता ।

(3) घर में पत्नी अथवा मा को सेवाएँ, पारिवारिक स्नेह से प्रदत्त सेवाएँ नेता द्वारा राष्ट्र प्रेम से प्रदत्त सेवाएँ, चुनाव प्रचार आदि राष्ट्रीय आय, GNP अथवा NNP का अंग नहीं होती क्योंकि ये बाजार में अय-विक्रय नहीं की जाती ।

(4) पिता द्वारा पुत्र को जेब खर्च, पति द्वारा पत्नी या बच्चों को जेब खर्च, उपहार या भेंट (Gift) आदि GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते क्योंकि ये सब हस्तान्तरण भुगतान मात्र हैं । ये वैयक्तिक आय (PI) में भी नहीं जुड़ते क्योंकि एक की आय दूसरे के व्यय के बराबर होते हैं ।

(5) लाटरी का इनाम, पेंशन तथा सार्वजनिक व्यक्तियों पर चुकाया गया ब्याज आदि हस्तान्तरण भुगतान (Transfer Payments) हैं अतः ये GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय में तो नहीं जुड़ते किन्तु ये वैयक्तिक आय (PI) में जुड़ते हैं ।

(6) अवितरित कम्पनी लाभ तथा शेयर होल्डरों का चुकाया गया लाभांश (Dividend) GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय का अंग होता है किन्तु अवितरित कम्पनी लाभ वैयक्तिक आय में नहीं जोड़ा जाता जबकि वितरित लाभांश वैयक्तिक आय (PI) में जोड़ा जाता है ।

(7) किचन पाईन में उगाई गई सजिया, रवय के उपयोग के लिए उत्पादित आम, पपीता, आम्र एव खाद्यान्न आदि भी GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते क्योंकि ये वस्तुएँ बाजार में अय विक्रय हेतु उत्पादन नहीं की जाती हैं ।

(8) अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर (Indirect Tax) बाजार भावों पर GNP

अथवा NNP में शामिल होता है पर राष्ट्रीय आय में नहीं जबकि परोक्ष कर साधन लागत पर GNP तथा NNP और NI में शामिल नहीं होता।

(9) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) साधन लागत पर GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं होता। सच योग्य आय (DI) ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय (PI) में से प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं।

(10) माल के स्टॉक में वृद्धि GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय को तदनुसार बढ़ाती है जबकि स्टॉक में कमी GNP, NNP तथा NI में भी कमी कर देती है। उदाहरणार्थ स्टॉक में 200 करोड़ रु की वृद्धि GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय में भी 200 करोड़ रु की वृद्धि करेगी।

(11) विदेशों से प्राप्त आय एवं निर्यातों का भुगतान आदि GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय के अंग हैं तथा वे इन्हे बढ़ाते हैं जबकि विदेशों को भुगतान तथा विदेशों को आयात का भुगतान GNP, NNP तथा राष्ट्रीय आय को घटाते हैं।

राष्ट्रीय आय को मापने या संगणना की पद्धतियाँ (रीतिया)

(Methods of Measuring National Income)

प्रो कुजनेट्स (Kuznets) के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने या संगणना करने की तीन पद्धतियाँ मुख्य प्रचलित हैं। मापने की मुख्य पद्धतियाँ इस प्रकार हैं—

(1) उत्पादन संगणना पद्धति (Census of Production Method)— इस पद्धति के अन्तर्गत समस्त उत्पादन साधनों द्वारा वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का साधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए पहले अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कृषि, खनिज, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, परिवहन संचार, वाणिज्य, अर्थ्य सेवाएँ और फिर वर्ष के दौरान इनके द्वारा किये गये उत्पादन या सेवाओं के विशुद्ध मूल्य को जोड़ा जाता है। विशुद्ध मूल्य का अर्थ है कुल उत्पादन में से कच्चे माल व अर्थ्य पदार्थों का मूल्य, या दूसरे को हस्तान्तरित उत्पत्ति जो स्वयं उत्पादन कर रही है—कम कर देते हैं। उत्पादन के मूल्य में से मशीनों की घिसावट, मरम्मत व प्रतिस्थापन व्यय को भी कम कर दिया जाता है। इसलिए इस रीति को वस्तु सेवा प्रणाली (Commodity Service Method) या औद्योगिक उद्भव द्वारा राष्ट्रीय आय (National Income by Industrial Origin) भी कहा जाता है।

यह पद्धति वही काम में लाई जा सकती है जहाँ वर्ष के कुल उत्पादन की संगणना व्यवस्था हो। यह तरीका अर्थव्यवस्था की उत्पादन संरचना की तुलना में उपयोगी है और उनके सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करती है। सैद्धांतिक दृष्टि से बड़ी सरल लगती है पर इनमें अनेक कठिनाइयाँ हैं—(i) दाहरी गणना की सम्भावना रहती है जैसे उत्पादन की गणना मूल उत्पत्ति स्थान और निर्माण स्थान दोनों जगहों पर हो सकती है। (ii) मूल्यांकन करना कठिन है।

(2) आय संगणना रीति (Income Census Method)—डॉ० बाउले और रोबर्टसन के अनुसार इस प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों की आय—आयकर देने वाले तथा आयकर न देने वाले—सभी व्यक्तियों की आय का कुल योग है। इसको सुविधाजनक बनाने के लिये व्यक्तियों को विभिन्न आय वर्गों में विभाजित किया जाता है और उनकी आय के आधार पर कुल आय मालूम की जाती है। सधेप में, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त, लगान, वेतन, मजदूरी, व्याज, लाभ, विदेशी प्राप्तिया आदि सभी का योग किया जाता है अर्थात् विवरण की दृष्टि से आय की संगणना की जाती है। इससे वितरण व्यवस्था की तुलना एवं संरचना ज्ञात होती है पर इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं।

यद्यपि आय संगणना में दोहरी गणना का भय नहीं रहता और व्यक्तियों की आय को पारिवारिक बजटों से ज्ञात करना सरल लगता है पर व्यावहारिक दृष्टि से कठिनाई आती है—(i) आय के वितरण के बारे में करो के डर से आय को कम दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है। (ii) अज्ञान और पिछड़े देशों में आय सम्बन्धी सूचना विश्वसनीय नहीं कही जा सकती है। (iii) स्थनियोजित उद्योगों व व्यवसायों में मूल्यांकन की कठिनाई आती है। (iv) अनेक वस्तुओं, सेवाओं तथा सुविधाओं के रूप में प्राप्त आय का मूल्यांकन भी कठिन है। (v) व्यवसायों के लाभ का वह भाग जो वितरित न किया गया हो, राष्ट्रीय आय में शामिल होने से छूट जाता है।

(3) व्यय संगणना रीति (Census of Expenditure Method)—इस रीति में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न मदों पर किये गये वार्षिक व्यय को जोड़कर कुल व्यय की राशि ज्ञात कर ली जाती है और फिर उस व्यय की कुल राशि में कुल बचतों को जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार दोनों के सामूहिक योग से कुल राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इस कारण इसको उपभोग बचत रीति (Consumption Saving Method) तथा कुल बचत कुल विनियोग के बराबर होने में उपभोग-विनिमय रीति (Consumption Investment Method) भी कहते हैं।

कठिनाइयाँ—इस रीति में भी कठिनाइयाँ हैं—(i) सम्पूर्ण जनसंख्या की उपभोग व्यय राशि ज्ञात करना आय की अपेक्षा कठिन है क्योंकि छोटी-छोटी मदों या मात्रा में व्यय का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता, (ii) बचत या विनियोगों का व्यौरा प्राप्त करना भी सरल नहीं है, (iii) अन्विकसित देशों से सूचना प्राप्त करना प्रायः असम्भव होता है।

अतः यह रीति भी एक प्रकार से अव्यावहारिक एवं कठिनाइयों से परिपूर्ण है और पिछड़े राष्ट्रों के लिये बिल्कुल निरर्थक है।

इन तीन प्रमुख प्रणालियों अथवा रीतियों के अतिरिक्त कुछ सुधरी प्रणालियाँ भी जाती हैं जिनमें उपर्युक्त प्रणालियों में सामंजस्य बँटाया जाता है।

(4) सामाजिक लेखा रीति (Social Accounting Method)—प्रो० रिचर्डस्टोन ने इस रीति का प्रतिपादन किया। इसके अन्तर्गत देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। वर्षोत्तरण में समान आय वालों को समान वर्ग में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के कुछ चुने हुए व्यक्तियों की औसत आय के आधार पर सम्पूर्ण वर्ग की आय ज्ञात कर ली जाती है तथा इसी प्रकार सभी वर्गों की सम्पूर्ण आय ज्ञात कर सभी वर्गों की आय का सामूहिक योग करने से ही कुल राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इस रीति में भी वे ही कठिनाइयाँ हैं।

(5) व्यवसाय सगणना रीति (Census of Occupation Method)—इसमें देश के सभी उत्पादन व्यवसायों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कर लिया जाता है जैसे कृषक, व्यापारी, उत्पादक, नौकरी-पेशा आदि-आदि और फिर प्रत्येक व्यवसाय में लगे लोगों की व्यवसायवार आय ज्ञात की जाती है और उनके सामूहिक योग से राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है।

(6) उत्पादन सगणना तथा आय सगणना की मिश्रित रीति (Mixed or Combination Method)—इस प्रणाली में उत्पादक व्यवसायों की सगणना उत्पादन के आधार पर तथा सरकारी और गैर-सरकारी नौकरों की आय की गणना आय सगणना के आधार पर की जाती है। इसमें दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। भारत में इस प्रणाली का उपयोग डॉ० बी. के. घाट. बी. राव ने भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में किया।

सर्वोत्तम विधि कौनसी? उपर्युक्त राष्ट्रीय आय की सगणना रीतियों का विवेचन करने से स्पष्ट होना है कि मिश्र-मिश्र अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग प्रणालियों को महत्व दिया है। इनमें से कोई भी प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती। इसके अलावा प्रणालियों की सापेक्षता पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है क्योंकि राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रणाली उपयुक्त है। फिर भी सामान्य रूप में उत्पत्ति सगणना रीति अच्छी एवं सर्वोत्तम मानी जाती है।

राष्ट्रीय आय को मापने की कठिनाइयाँ

(Difficulties in Measuring the National Income)

किसी भी देश में राष्ट्रीय आय को मापने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं—

(1) पारिभाषिक कठिनाइयाँ—राष्ट्रीय आय से सामान्यतः यह भ्रम होता है कि इसमें भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत प्राप्त आय ही सम्मिलित होती है जबकि वास्तव में देश के निवासियों द्वारा विदेशी निवेशों पर प्राप्त ब्याज, बैंकिंग, बीमा, आदि की कमाई भी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। इसी प्रकार आय, व्यय, बचत, उद्योग आदि शब्दों का अर्थ भी सर्वत्र एक-सा नहीं लगाया जाता।

(2) मापने की रीति एवं दृष्टिकोण—राष्ट्रीय आय को मापने के लिये कौन-सी रीति का उपयोग किया जाये और आर्थिक क्रिया के किस दृष्टिकोण—उत्पादन वितरण या व्यय को अपनाया जाये ? यह सब अर्थव्यवस्था की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे उत्पादन क्षमता का पता लगाने में उत्पादन विधि उपयोग में लाना चाहिये जबकि कल्याण के अध्ययन में उपभोग दृष्टिकोण ठीक रहता है। अतः यह समस्या महत्वपूर्ण है।

(3) गैर-मौद्रिक लेन-देन—राष्ट्रीय आय की गणना द्रव्य में की जाती है, परन्तु बहुत-सी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से विनिमय न होने एवं उनका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं होने से उन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे किसान का स्वयं के उपयोग के लिये रखा गया अनाज, स्वयं के मकान का उपयोग, पत्नी की सेवाएँ जबकि वे आर्थिक क्रियाएँ हैं। इसी प्रकार वस्तु विनिमय के रूप में प्राप्त होने वाली आय का भी राष्ट्रीय आय में समावेश न होने से त्रुटि रह जाती है।

(4) अशिक्षा एवं अन्धविश्वास—अविकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों में लोग अशिक्षा के कारण अपनी आय, उत्पादन, उपभोग सम्बन्धी कोई हिसाब-किताब नहीं रखते। इसके अलावा बहुत-से अन्धविश्वासी होने के कारण अपने उपभोग, आय व व्यय सम्बन्धी सूचना देना ही उपयुक्त नहीं समझते हैं तो आकड़ों का सकलन कठिन होगा।

(5) अक-सकलन एवं सांख्यिकी व्यवस्था का अभाव—जिन देशों में सरकारी, गैर-सरकारी कोई भी संस्थाएँ उत्पादन, रोजगार, जनसंख्या, व्यवसाय, उपभोग आदि अर्थों के सकलन की व्यवस्था नहीं करती तो वहाँ राष्ट्रीय आय मालूम करने में काफी कठिनाइयाँ रहती हैं। अतः पूर्ण और विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में राष्ट्रीय आय अमात्मक होगी।

(6) सरकारी व्यय और करारोपण—सरकार के प्रशासनिक व्यय और व्यवहार में भिन्नता व सामान्य क्रियाओं में व्यवहार भी भिन्न-भिन्न होता है। अतः उत्पादन, उपभोग एवं व्यय के प्रभाव का विश्लेषण मुश्किल रहता है। इसी प्रकार करारोपण के डर से उत्पादन और आय को कम बताने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे राष्ट्रीय आय कम दिखाई जाने की प्रवृत्ति होती है।

(7) मूल्य-स्तर में परिवर्तन—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आकड़ों की तुलना में मूल्यों में हुए परिवर्तनों का समायोजन (adjustment) करना पड़ता है पर निर्देशक स्वयं अनेक त्रुटियों से पूर्ण होते हैं।

(8) अर्थव्यवस्था में अमुद्रीकृत क्षेत्र की प्रधानता—अविकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग अमुद्रीकृत (Non-monetised Sector) होता है जिसकी वस्तु विनिमय माध्यम के कारण राष्ट्रीय आय में गणना करना मुश्किल होता है।

(9) दोहरी गणना की सम्भावना—उत्पादन प्रणाली से राष्ट्रीय आय को मालूम करने में दोहरी गणना का भय (Double Counting) रहता है। अतः इस दृष्टि से उपभोग प्रणाली या आय प्रणाली उपयुक्त रहती है। आय प्रणाली में भी हस्तान्तरित भुगतानों की दुबारा गिनती का भय रहता है।

(10) अग्र्य सकट—कार्यों के स्पष्ट विश्लेषणों से भी राष्ट्रीय आय में कठिनाई आती है जैसे व्यक्ति की अशतः आय कृषि और उद्योगों से ही, विदेशी फर्मों द्वारा देश में कमाई गई आय आदि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है जबकि विदेशी शाखाओं द्वारा कमाया गया लाभ मुख्य कार्यालय की जमा में शामिल होता है। गलत सूचना भी कठिनाई उत्पन्न करती है।

यद्यपि राष्ट्रीय आय के मापने में अनेक कठिनाइयाँ हैं परन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व निरन्तर बढ़ते जाने के कारण कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और सतकंता बरतने के प्रयास किये जाते हैं। प्रो० कीन्स द्वारा राष्ट्रीय आय को समष्टिवादी अर्थशास्त्र का अविभाज्य एवं महत्वपूर्ण अंग मानने के कारण इसका महत्त्व बढ़ गया है।

राष्ट्रीय आय का महत्व एवं प्रयोग (Significance and Use of National Income)

राष्ट्रीय आय देश की समुचित अर्थव्यवस्था की नाडी है जो सामाजिक लेखों के रूप में अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों, आर्थिक प्रगति के आकड़ों देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति तथा समाज में वितरण व्यवस्था का ज्ञान कराती है। राष्ट्रीय आय वास्तव में आर्थिक गतिविधियों की सूचक है। आज यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी देश की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति बहुत कुछ आर्थिक प्रगति में निहित है। इन सबका निरूपण राष्ट्रीय आय में होता है। इसलिये राष्ट्रीय आय का महत्व निम्न कारणों से बढ़ रहा है—

(1) आर्थिक विकास का मापदण्ड—राष्ट्रीय आय में देश का उत्पादन, वितरण, उपभोग, बचत, सब प्रतिबिम्बित होते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की सूचक है। देश में राष्ट्रीय आय जितनी तेजी से बढ़ेगी अग्र्य बातों के समान रहते हुए आर्थिक समृद्धि के बढ़ने का मापदण्ड है।

(2) जीवन स्तर की जानकारी एवं तुलना—राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों को जीवन स्तर में परिवर्तनों से जांचा जा सकता है तथा उनमें विषमता के कारणों को जांचने की प्रवृत्ति होती है। दो विभिन्न समयों में, दो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में आय के परिवर्तनों की जीवन स्तर में परिवर्तन से तुलना की जा सकती है। दो देशों की राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर में तुलना की जा सकती है।

(3) अर्थव्यवस्था के ढाँचे का ज्ञान—राष्ट्रीय आय के आकड़ों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की स्थिति तथा अर्थव्यवस्था की संरचना (Structure) का ज्ञान होता है।

(4) राष्ट्रीय आय और वितरण व्यवस्था—राष्ट्रीय आय के आकड़ों से देश में विभिन्न वर्गों को प्राप्त होने वाली आय का विश्लेषण कर यह जाना जा सकता है कि धन का वितरण देश में समान है या नहीं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी अगर जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होती तो जनसंख्या के समान रहने पर धन के असमान वितरण का आभास होता है।

(5) आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक—राष्ट्रीय आय के आकड़ों के आधार पर सरकार अपनी वर, प्रशुल्क नीति, मौद्रिक नीति, रोजगार नीति आदि का निर्माण करती है तथा कार्यान्वित्त करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय समष्टि दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की जटिलताओं के समझने में सहायक होती है।

(6) अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के रूप का ज्ञान—राष्ट्रीय आय आकड़ों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं अंगों में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ एवं उनके रूप का ज्ञान होता है जिससे नीतियों का मूल्यांकन होता है।

(7) तुलनात्मक अध्ययन—राष्ट्रीय आय से दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना ही नहीं की जा सकती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न समयों, विभिन्न अंगों, क्षेत्रों का भी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर की जा सकती है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक प्रगति की दर किसमें कितनी अधिक या कम है अथवा किस क्षेत्र का कितना योग है, पता लग जाता है।

(8) दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का ज्ञान—राष्ट्रीय आय के आकड़ों से व्यावसायिक गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन कर मावी विकास के सम्बन्ध में अनुमान लगाने में सुविधा रहती है।

(9) सामाजिक और आर्थिक दोषों को दूर करने में मार्ग-दर्शक—राष्ट्रीय आय के कारण प्रगति का मूल्यांकन होता है। अतः हम आर्थिक क्षेत्र में आने वाली बाधाओं व दोषों को पहले ही निवारण का सन्धन मिलता है।

(10) अन्य—संघीय सरकार राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का पता लगाकर अनुदान देती है। सुरक्षा तथा विकास पर व्यय का निर्धारण भी राष्ट्रीय आय अनुमानों पर आधारित होता है। सरकारी उद्यमों और गैर-सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। राष्ट्रीय आय के अनुपात पर सार्वजनिक ऋणों की मात्रा, बजट ऋणों पर व्याज आदि का ज्ञान लाभप्रद रहता है।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकड़ों के आभाव में विकास योजनाओं का निर्माण, आय के वितरण, रोजगार नीति, मौद्रिक नीति, व्यापारिक व्यवस्था सबसे नीति-निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में कठिनाई रहती है। अतः राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

राष्ट्रीय आय के अनुमान एवं उपयोग में सावधानियां (Precautions)

यद्यपि राष्ट्रीय आय का महत्व बहुत है पर राष्ट्रीय आय की गणना में भिन्नता, एकत्रित अर्थों में समान आधार का अभाव अथवा परिस्थितियों की भिन्नता के कारण राष्ट्रीय आय के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष गलत एवं भ्रमात्मक हो सकते हैं अतः तुलना करने में अथवा राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से आर्थिक निर्णयों में पूर्ण सतर्कता बरतना आवश्यक है। सामान्यतः राष्ट्रीय आय के अनुमान और प्रयोग में निम्न सावधानियां बरतना उपयुक्त है—

(1) मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में अन्तर करना—देश में मूल्य स्तर में परिवर्तन होने से मौद्रिक आय में जो घटत बढ़त होती है उसका वास्तविक आय से बिलकुल विपरीत सम्बन्ध है। जैसे मुद्रा स्फीति के समय मौद्रिक मूल्य-बढ़ते हैं पर वास्तविक आय घट जाती है इसलिए चू कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि मौद्रिक मूल्यों में नापी जाती है। अतः दो विभिन्न समयों में राष्ट्रीय आय '10 हजार करोड़ से बढ़कर 15 हजार करोड़ बढ़ गई परन्तु साथ-साथ मूल्य-स्तर में भी 50% की वृद्धि हो गई तो मौद्रिक आय के बढ़ जाने के बावजूद भी देश की वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तविक आय मुद्रा की शक्ति को व्यक्त करती है अतः राष्ट्रीय आय की तुलना करते समय वास्तविक आय को भी ध्यान में रखना चाहिये।

(2) कुल आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय—किन्हीं भी देश की राष्ट्रीय आय की तुलना कुल आय के रूप में करना भ्रमात्मक हो सकता है क्योंकि एक देश में जनसंख्या कम हो, या देश छोटा हो और कुल राष्ट्रीय आय कम हो और दूसरी ओर एक राष्ट्र की जनसंख्या विशाल हो और उसकी राष्ट्रीय आय भी अधिक हो तो कुल आय के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा देश अधिक समृद्ध है। अतः तुलना करने में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) को आधार मानना उपयुक्त रहता है।

(3) आय की वितरण व्यवस्था—राष्ट्रीय आय की कुल मात्रा या प्रति व्यक्ति आय की अधिकता ही अधिकतम कल्याण का द्योतक नहीं है। एक देश में कुल आय अधिक हो और प्रतिव्यक्ति आय भी अधिक हो परन्तु धन का अत्यधिक असमान वितरण हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि देश का जीवन स्तर ऊंचा है। केवल कुछ ही वर्गों द्वारा आय पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के साथ-साथ राजनैतिक दृष्टि से भी खतरनाक एवं अनुपयुक्त है। सामाजिक कल्याण की तुलना करते समय भी वितरण की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय आँकड़ों के प्रयोग में सावधानी बरती जानी चाहिये तभी निष्कर्ष सही एवं वास्तविकता के निकट होंगे।

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण

(National Income and Economic Welfare)

कल्याण की धारणा भावात्मक है। कल्याण के जिस अंग को मुद्रा के माप-दण्ड द्वारा मापा जा सकता है उसे हम आर्थिक कल्याण कहते हैं। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है—

(1) राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—अन्य बातों के समान रहने पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि समृद्धि का सूचक है क्योंकि अगर मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहे तो वास्तविक आय में वृद्धि अधिक उपभोग से जीवन स्तर को ऊँचा बनाती है और गिरने पर विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है अतः आर्थिक कल्याण घटता है।

(2) राष्ट्रीय आय और वितरण—आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। अगर राष्ट्रीय आय का समान वितरण हो तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी पर अगर असमान वितरण है तो आर्थिक कल्याण कम होगा।

(3) राष्ट्रीय आय एवं व्यय—अगर राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग सुरक्षा सेना या आतंक जमाने में खर्च किया जाता है तो आर्थिक कल्याण बढ़ने के स्थान पर घटेगा परन्तु इसके विपरीत राष्ट्रीय आय को ठीक ढंग से व्यय किया जाता हो तो आर्थिक विकास, समृद्धि एवं पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी।

(4) उत्पादन का ढंग—किसी देश में किसी समुदाय का आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय लाभांश के उपयोग से प्राप्त सन्तुष्टि तथा उसके उत्पादन में निहित असंतोष के सन्तुलन पर निर्भर करता है। अगर उत्पादन में शोषण न हो, यातनायें न मुगतनी पड़ें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि करेगी।

(5) रोजगार एवं विकास—प्रो. कोन्स ने अपना रोजगार सिद्धान्त आय की मात्रा पर आधारित किया है राष्ट्रीय आय में वृद्धि रोजगार में वृद्धि कर आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है और इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के गिरने पर रोजगार एवं उत्पादन में कमी से कल्याण में कमी आती है।

प्रो. पीगू के अनुसार, अन्य बातों के समान रहने पर, मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण को प्रतीक है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि अगर—(i) राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण यदि निर्धनों को प्राप्त लाभांश में वृद्धि हुई हो, (ii) नागरिकों की रुचि में परिवर्तन अच्छाई की ओर हुआ हो, (iii) राष्ट्रीय आय में उसकी वास्तविक उत्पादन लागत से अधिक वृद्धि हुई हो, (iv) राष्ट्रीय आय की अपेक्षाकृत जनसंख्या में वृद्धि कम हुई हो तथा (v) धन के वितरण में सुधार हुआ हो तो इन सब परिस्थितियों में राष्ट्रीय आय से आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि होगी अन्यथा आर्थिक कल्याण घटेगा।

वैसे आर्थिक कल्याण और गैर-आर्थिक कल्याण एक ही समस्या के दो पहलू हैं और एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। आर्थिक कल्याण में वृद्धि अगर गैर-आर्थिक कल्याण में कमी लाती है तो कुल कल्याण में वृद्धि उन दोनों के सापेक्षिक प्रभावों पर निर्भर करेगी।

प्रो. सेम्यूलसन की शुद्ध आर्थिक कल्याण (Net Economic Welfare) की धारणा :

प्रो. पाल. ए. सेम्यूलसन ने अपनी कृति में शुद्ध आर्थिक कल्याण (NEW) की नवीन धारणा का प्रतिपादन किया है जिसे वे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) धारणा से बेहतर बताते हैं। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में हम अवकाश (Leisure) से प्राप्त सन्तुष्टि जोड़ दें और आधुनिक युग में जल तथा वायु के दूषण (Pollution) से उत्पन्न होने वाली क्षति एवं असन्तुष्टि तथा देश में अपराधों, युद्धों, शक्ति स्थापना के लिये किये गये व्ययों आदि को घटा दें तो जो शेष बचता है वह शुद्ध आर्थिक कल्याण (NEW) का द्योतक है। इनके अनुसार अवकाश (Leisure) से व्यक्ति को उसी प्रकार सन्तुष्टि मिलती है जैसे वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग से। ठीक उसी प्रकार जलवायु दूषण, युद्ध, अशांति एवं अपराधों से असन्तुष्टि सामाजिक कल्याण में कमी करते हैं। प्रो. नोर्डहास (Nordhaus) तथा प्रो. टोबिन (Prof. Tobin) भी GNP में से शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं और असुविधाओं को घटाकर शुद्ध आर्थिक कल्याण (NEW) निकालते हैं। यह धारणा अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि अभी GNP में अवकाश से प्राप्त सुख को सम्मिलित नहीं किया जाता और न वायु एवं जल दूषण (Pollution) अपराधों, युद्धों और शहरीकरण की असुविधाओं को घटाया जाता है।

भारत में राष्ट्रीय आय

(National Income in India)

अन्य राष्ट्रों की भांति राष्ट्रीय आय के बढ़ते हुए महत्व के कारण भारत में भी समय-समय पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय के आँकड़े सफलता की सुब्यवस्था का अभाव था। अनुमान व्यक्तित्व थे और यथेष्ट तत्वों व सूचना की कमी के कारण विश्वसनीय नहीं बड़े जा सकते। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया और प्रति व्यक्ति आय 20 रु बताई। लार्ड कर्जन ने 1900 में प्रति व्यक्ति आय 30 रु, 1911 में फिनले शिराज ने 80 रु तथा 1922 में 116 रु का अनुमान लगाया था। 1931-32 में डॉ. बी. के. आर. जी. राव ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 51 रु तथा 166 रु होने का अनुमान लगाया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किया तदनुसार 1946-47 में

वाणिज्य मन्त्रालय ने कुल राष्ट्रीय आय 5580 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 228 रु होने का अनुमान लगाया था।

भारत में योजनावद्ध विकास के आरम्भ के लिये राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा अनुमान लगाने के लिये 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष प्रो पी सी महालनोबिस थे। इस समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन 1951 में तथा अन्तिम प्रतिवेदन 1955 में प्रस्तुत करके बताया कि 1948-49 और 1953-54 में राष्ट्रीय आय क्रमशः 8650 करोड़ रु तथा 10610 करोड़ रु थी और प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 247 रु तथा 284 रु थी।

इसके पश्चात् राष्ट्रीय आय गणना का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन (Central Statistical Organisation—CSO) को सौंप दिया गया है और सङ्गठन ने इस दृष्टि से सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय आय सम्बन्धी कुछ आकड़े इस प्रकार हैं—

भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय

(चालू मूल्यों में 1968-69 के आधार पर)

योजनावार वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
प्रथम योजना के अन्त में 1955-56	10800	281 0
द्वितीय योजना के अन्त में 1960-61	14044	306 7
तृतीय " " 1965-66	21799	420 5
तीन वार्षिक, " " 1968-69	28800	546 0
चतुर्थ " " 1973-74	49290	850
पंचम " " 1977-78	74800	1189
(चालू मूल्यों पर) 1978-79	80090	1249

प्रथम योजना के शुरू में राष्ट्रीय आय 9530 करोड़ रु० थी और प्रति व्यक्ति आय 266 रु० थी। ताज़ा अनुमानों के अनुसार 1978-79 में चालू मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय 80090 करोड़ रु० तथा प्रति व्यक्ति आय 1249 रु० हो गई है।

भारत में राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ

(1) न्यूनतम स्तर—भारत की राष्ट्रीय आय समृद्ध राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय तो सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिये भी अपर्याप्त है। जहाँ 1978 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 8000 डालर, इंग्लैण्ड में 3400 डालर, लक्सा में 170 डालर थी वहाँ भारत में केवल 150 डालर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, लगभग 113 पैसे प्रतिदिन। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने केवल 20 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही बताया।

(2) राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर बहुत कम है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय में क्रमशः 17.7%, 20% तथा 12.5% की वृद्धि हुई। छठी योजना में राष्ट्रीय आय में 4.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य है जबकि चौथी योजना में राष्ट्रीय आय में 4% वार्षिक वृद्धि हुई।

(3) आय का असमान वितरण—आय का वितरण बहुत ही असमान है। देश की 95% जनसंख्या 70% राष्ट्रीय आय प्राप्त करती है जबकि दूसरी और देश के 5% धनी देश की 30% आय हड़प जाते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समाजवाद में यह विषमता और बढ़ी है। महालनोबिस समिति ने भी यही संकेत किया था।

(4) दोषपूर्ण संरचना—भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि की प्रधानता है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 50% कृषि से प्राप्त होता है जबकि उद्योगों व परिवहन का महत्व कम है।

(5) राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग (58%) खाद्यान्न पर व्यय होता है और जीवन स्तर नीचा है।

(6) शहरी क्षेत्रों में आय का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग दुगुना है।

भारत की राष्ट्रीय आय कम क्यों ?

इसके उत्तर में भारत की दरिद्रता के सभी कारणों का उल्लेख किया जा सकता है—(i) पिछड़ी कृषि, (ii) औद्योगीकरण का अभाव, (iii) समुचित आर्थिक विकास का अभाव, (iv) बेरोजगारी, (v) पूँजी निर्माण एवं पूँजी विनियोग का अभाव, (vi) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, (vii) यातायात एवं संचार साधनों की कमी, (viii) अशिक्षा, रुढ़िवादिता (ix) भाग्यवादिता तथा (x) राजनैतिक अस्थिरता। अगर आवश्यक हो तो इन कारणों का विस्तृत विवरण दिया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय

इसमें भी आर्थिक विकास के बाधक तत्वों व दोषों के निराकरण करने के सुझावों का उल्लेख करना है जैसे—(i) सभी क्षेत्रों में उत्पादन-वृद्धि, (ii) कृषि एवं उद्योगों का तेजी से विकास, (iii) जनसंख्या पर नियंत्रण, (iv) बढ़ते मूल्यों पर रोक, (v) आर्थिक विषमता का समापन, (vi) पूँजी निर्माण एवं पूँजी विनियोग को बढ़ावा, (vii) रोजगार में वृद्धि, (viii) शिक्षा का प्रसार, (ix) विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, (x) कुशलता में वृद्धि, (xi) मौलिक दृष्टिकोणों की अभिवृद्धि तथा (xii) राजनैतिक स्थिरता एवं सुरक्षा।

भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान में कठिनाइयाँ व निराकरण

भारत में भी आकड़े संकलन करने में वे ही कठिनाइयाँ हैं जो सामान्यतः भविष्य में पिछड़े देशों में आती हैं। इनका सविस्तार बयान इसी अध्याय में

पहले दिया जा चुका है अतः पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। हाँ, इन कठिनाइयों के निराकरण के लिये—(i) कृषि-क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण, (ii) पशु-गणना करना, (iii) लघु एवं बड़े उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आकड़े संकलन करना, (iv) भवन निर्माण सम्बन्धी आकड़े पचायतों व नगरपालिकाओं से एकत्रित करना, (v) आय-कर न देने वालों का सर्वेक्षण, (vi) आकड़े संकलन करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन, (vii) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोध-कार्यों को प्रोत्साहन आदि प्रमुख हैं। अतः आकड़े संकलन-कार्य को जितना व्यवस्थित एवं कुशल बनाया जायेगा उतना ही अच्छा है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. राष्ट्रीय आय का अन्विष्टाया स्पष्ट कीजिये। राष्ट्रीय आय को नापने की विधियों तथा कठिनाइयों की व्याख्या कीजिये।

अथवा

राष्ट्रीय आय की धारणा समझाइये। इसे कैसे नापा जा सकता है तथा नापने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं ?

(सकेत—प्रथम भाग में राष्ट्रीय आय का अर्थ तथा उसके विभिन्न अंग बताइये। फिर दूसरे भाग में नापने की विधियों का उल्लेख कीजिये। तीसरे भाग में नापने में कठिनाइयाँ बताइये।)

2. राष्ट्रीय आय से आय क्या समझते हैं ? राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या सम्बन्ध है ?

(सकेत—राष्ट्रीय आय का अर्थ बताकर उसके “महत्त्व एवं प्रयोग” शीर्षक के अन्तर्गत दी गई विषय-सामग्री का उल्लेख कीजिये तथा अन्त में आर्थिक कल्याण से उसका सम्बन्ध बताकर निष्कर्ष दीजिये कि राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति की सूचक है।)

3. किसी देश में राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं ? आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय से कैसे प्रभावित होता है ?

(सकेत—किसी देश में राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व—प्राकृतिक साधनों की मात्रा उत्पादन के साधनों का स्तर, उत्पादन के साधनों की कुशलता, पूँजी निर्माण की गति एवं मात्रा, तकनीकी ज्ञान, देश का आर्थिक विकास का स्तर तथा राजनैतिक स्थायित्व आदि हैं। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण की सूचक तत्व होती है जब वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय व प्रतिव्यक्ति उपभोग में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय का प्रसारण अधिकतम हो, प्रयत्न एवं त्याग की मात्रा तथा देश में बेरोजगारी का निराकरण हो।)

4. राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं की विवेचना कीजिए। उदाहरण दीजिए।

प्रथमा

सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय व खर्च योग्य आय में भेद स्पष्ट करें तथा उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाएँ ।

(I yr. T. D C Raj 1976)

(संकेत-अध्याय में दिये गये शीर्षकानुसार विवरण से GNP, NNP, NI, PI तथा DI को धारणाओं को बताना है और फिर दूसरे भाग में उदाहरण जैसा देखा है, समझाना है ।)

5. वर्णन कीजिये कि वृत्तीय प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय किस प्रकार बराबर होता है ।

(I yr T.D C. Supple. 1973)

(संकेत-प्रथम भाग में तीनों का अर्थ समझाएँ, फिर अध्याय 12 में आय के चक्राकार प्रवाह, एव सरल चित्रण के अन्तर्गत दी गई सामग्री लिखिये, चित्र भी बनाना है ।)

6. सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति क्या है ? ऐसी कौनसी विधियाँ हैं जिनसे इन्हें नापा जा सकता है ?

(I Yr. T.D C. 1977)

(संकेत-GNP का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा मापने की विधियाँ बतानी हैं ।)

7. सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति (GNP), सकल राष्ट्रीय आय (GNI), शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति (NNP), निजी आय (PI), वैयक्तिक प्रयोज्य आय (DI) को समझाएँ तथा उन्हें समीक्षणों के माध्यम से व्यक्त कीजिये ।

(संकेत-अध्याय के अनुसार इन धारणाओं समझना है ।)

8. सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति (GNP) की परिभाषा दीजिये और बताइये कि उत्पत्ति का मुख्य साधन आयों का सकल योग और अर्थव्यवस्था में कुल व्यय समान होते हैं ।

(संकेत-GNP को समझकर आय नीति तथा व्यय रीति से सिद्ध कीजिये कि $(GNI \equiv GNP \equiv GNE)$ अध्याय में शीर्षकानुसार ।)

बचत, विनियोग और आय के मध्य सम्बन्ध

(Relation Between Savings, Investment & Income)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति मान कर चलते थे क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि "पूर्ति स्वयं अपने लिये माग का निर्माण करती है।" (Supply creates its own Demand) अगर समाज में कोई वस्तु उत्पादित होती है तो वह अवश्य बिकेगी। अतः लोगों को उत्पादन में नियोजित कर पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करना कठिन नहीं है। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स समाज में व्याप्त बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूँजीवाद को मानते थे। अतः वे बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये पूँजीवाद के उन्मूलन तथा समाजवाद की स्थापना पर जोर देते थे। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी में बड़े पैमाने पर बेकारी की समस्या ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। प्रो. कीन्स (Keynes) ने रोजगार की समस्या को "भाय एवं विनियोग" से सम्बद्ध किया। उसके अनुसार देश में बेकारी का कारण प्रभावपूर्ण माग (Effective Demand) में कमी होना है जो देश में आय, उपभोग एवं विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "जनरल थ्योरी" (General Theory) में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की सैद्धांतिक धारणाओं को चकनाचूर कर प्रभावपूर्ण माग के सन्दर्भ में बचत, विनियोग एवं आय के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध की व्यावहारिक व्याख्या की। इसे समझने के लिये पहले कीन्स की आय, बचत एवं विनियोग सम्बन्धी परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है।

बचत (Savings)

कीन्स के दृष्टिकोण से "कुल आय में से कुल उपभोग व्यय घटाने पर जो शेष रहता है उसे बचत (Saving) कहते हैं।" अर्थात् कुल आय और कुल उपभोग व्यय के अन्तर को बचत कहते हैं। प्रो. नाउयर के अनुसार "किसी व्यक्ति की बचत

उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग पदार्थों पर व्यय नहीं किया जाता है।" इसका तात्पर्य है कि आय का वह भाग जिसे तात्कालिक उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5000 रु. है और वह उसमें से 4000 रु. वार्षिक उपभोग पर व्यय कर देता है तो उसकी बचत = आय-उपभोग अर्थात् 1000 रु. वार्षिक हुई। इसे हम सूत्र के रूप में यों कह सकते हैं $S = Y - C$ जिसमें S बचत, Y आय और C उपभोग व्यक्त करता है।

बचत की यह परिभाषा व्यक्ति और समाज दोनों पर समान रूप से लागू होती है। सामाजिक बचत या राष्ट्रीय बचत व्यक्तिगत बचतों का एक समूह मात्र होती है। वह समाज की कुल आय और कुल उपभोग व्यय के अन्तर से ज्ञात की जाती है। समाज की बचत की मात्रा समाज की कुल आय तथा उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) पर निर्भर करती है। यदि समाज में लोग अपनी आय का 80% भाग उपभोग पर व्यय कर देते हैं तो उनकी उपभोग क्षमता 80% हुई जबकि बचत क्षमता (Propensity to Save) 20% हुई। समाज में उपभोग क्षमता प्रायः स्थिर रहती है अतः समाज में बचत की मात्रा आय के स्तर पर निर्भर करती है।

व्यक्तिगत और सामाजिक बचत में अन्तर-यद्यपि सामाजिक बचत (Social Saving) व्यक्तिगत बचतों का एक समूह माना होनी है और प्रथम दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि अन्ततः सामाजिक बचतों में वृद्धि का कारण बनती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह दृढ़ विश्वास था कि अगर समाज के सभी व्यक्ति बचत करें तो समाज की बचतों में वृद्धि होगी। कीन्स ने इस धारणा पर प्रहार किया। कीन्स ने बताया कि व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि का अनिश्चित उनके उपभोग व्यय में कमी होना है। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय का स्रोत है। अगर व्यक्तिगत बचतों से समाज में उपभोग व्यय घट जाता है तो लोगों की आय घटेगी और उनकी बचत क्षमता भी घट जायेगी। अतः व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि से कुल सामाजिक बचतों में वृद्धि नहीं हो सकती। उसने इसलिए कहा था कि "बचत जो कि एक व्यक्तिगत गुण है वह सार्वजनिक बुराई बन जाती है।" (Saving which is an Individual Virtue becomes a Public Vice)। व्यक्तिगत दृष्टि से बचत करना एक अच्छा गुण है पर अगर एक साथ सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो उपभोग व्यय कम हो जायेगा, रोजगार एवं विनियोग घटेंगे और इससे राष्ट्रीय आय घटेगी और समाज में अन्ततः बचत क्षमता (Propensity to Save) घटेगी जिसका समाज पर व्यापक दुःप्रभाव पड़ेगा। अतः कीन्स ने व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि की अपेक्षा व्यक्तिगत व्यय की सलाह दी जिससे आय, रोजगार और सर्वाङ्गीण समृद्धि को सुरक्षित रखने में सहायता मिले।

निवेश या विनियोग

(Investment)

साधारण बोलचाल में निवेश या विनियोग का अर्थ स्टॉक, शेयर्स एवं सरकारी बॉण्ड आदि के खय से है परन्तु कीन्स चालू स्टॉक, शेयर्स अथवा बॉण्ड के खय को निवेश नहीं मानते। वह तो केवल वित्तीय विनियोग (Financial Investment) है जिसमें प्रचलित वर्तमान निवेशों का केवल हस्तान्तरण मात्र है। प्रो कीन्स के अनुसार वास्तविक विनियोग (Real Investment) से अभिप्राय नव-स्थापित कम्पनियों के स्टॉक, शेयर्स प्रतिभूतियों (Securities), बॉण्ड्स आदि के खरीदने से होता है। उसके मतानुसार “वास्तविक पूंजी कोष में वृद्धि को विनियोग कहते हैं।” अर्थात् वास्तविक निवेश वर्तमान पूंजी परिसम्पत्ति (Capital Assets) या माल के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि करना है, नवीन पूंजी-परिसम्पत्तियों की रचना में योग देना है जिससे रोजगार में वृद्धि हो सके।

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नयी फर्म की स्थापना में 30 हजार रु लगता है या नवीन स्टॉक, शेयर्स, प्रतिभूतियाँ अथवा बॉण्ड खरीदता है तो इस क्रिया से वास्तविक पूंजी परिसम्पत्ति में वृद्धि होती है यह वास्तविक विनियोग है जबकि चालू शेयर्स या बॉण्ड खरीदना तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अधिकार्यों का हस्तान्तरण है। एक व्यक्ति का विनियोग (Investment) दूसरे व्यक्ति के विनिवेश (Disinvestment) से क्षतिपूर्क (Compensate) हो जाता है और समाज में वास्तविक विनियोग नहीं होता क्योंकि वित्तीय-निवेश से रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती है। स्पष्ट है कि नये पूंजी-निर्माण को ही विनियोग कह सकते हैं।

विनियोग का उद्देश्य केवल वास्तविक पूंजी-परिसम्पत्ति को मात्रा में वृद्धि ही नहीं बरन् अपने पास वर्तमान माल के स्टॉक में वृद्धि से भी होता है। अतः यदि एक व्यापारी या उत्पादक जिसके पास एक लाख रु की लागत का माल होता है वह अगर उसे बढ़ाकर 2 लाख रु का कर देता है तो वास्तविक निवेश एक लाख रु बढ़ गया है क्योंकि इससे उस सीमा तक माल की नयी मांग उत्पन्न हो गयी है जिससे रोजगार बढ़ेगा। प्रो फ्राउडर के अनुसार “विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है।” (Investment is the part of income which is spent on Capital Goods.) समाज में जितनी उत्पत्ति होती है उसका एक भाग उपभोग कर लिया जाता है और जो भाग शेष रहता है वह वर्तमान पूंजी कोष या भण्डार में वृद्धि करता है। वह वृद्धि ही एक प्रकार से विनियोग है। दूसरे शब्दों में उत्पादित आय का वह भाग जो व्यय नहीं किया जाता, विनियोग कहा जा सकता है, बशर्ते कि लोग उसे गाड़कर नहीं रखते। हम इसे गणितीय सूत्र के रूप में भी कह सकते हैं—

$$Y = C + I \text{ अथवा } I = Y - C$$

जिसमें Y आय, C उपभोग तथा I विनियोग को व्यक्त करते हैं।

विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व—किसी भी भ्रयव्यवस्था में विनियोग की मात्रा बचत, सरकारी नीति, व्याज दर तथा पूँजी की सीमान्त कुशलता (Marginal Efficiency of Capital) पर निर्भर करती है। किसी भी भ्रयव्यवस्था में बचत, विनियोग एवं आय परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं। अतः आय का अमिप्राय जान लेना आवश्यक है।

आय

(Income)

कीन्स के मतानुसार किसी वस्तु या सेवा के विनिमय से प्राप्त राशि आय कहलाती है। आय के उत्पन्न होने की विधि यह है कि कोई व्यक्ति समाज में उत्पादन मात्रा में वृद्धि करता है तो उसके बदले में उत्पत्ति साधन के स्वामी, के रूप में वह भुगतान प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को आय प्राप्त होती है वह उसको व्यय करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय का साधन हो जाता है। (One man's expenditure is another man's income)। इस प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों की आय समाज के सभी व्यक्तियों के व्यय के बराबर होती है। इस धारणा का आधार यह है कि समाज में जितनी भी वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न की जाती हैं वे सब इस सम्भावना पर उत्पन्न की जाती हैं कि कोई न कोई व्यक्ति उन्हें अवश्य खरीदेगा और इस प्रकार खरीदने वाले का व्यय बेचने वाले की आय का स्रोत होगा। अतः सामाजिक उत्पत्ति स्टाक में वृद्धि की क्रिया से आय का प्रवाह उत्पन्न होता है। आय का जितना भाग व्यय किया जाता है यही दूसरों की आय का साधन बनता है और जितना भाग बचत के रूप में संचित होता है वह चाद में विनियोग एवं रोजगार का साधन बनता है।

• आय-व्यय एवं बचतों का चक्राकार प्रवाह—जब प्रत्येक बार व्यक्ति आय को व्यय करता है तो उसमें से कुछ भाग भावी उपयोग के लिए बचा लिया जाता है। बचतों के इस ऋम में आय, उपभोग और बचत की मात्रा भी घटती जाती है। जैसे एक व्यक्ति को 400 रु मासिक वेतन मिलता है वह उसमें से 10% बचाता है और शेष भाग व्यय करता है अर्थात् उसका व्यय=(आय-बचत) $400 - 40 = 360$ रु होगा। इससे दूसरों की आय इसी सीमा तक बढ़ेगी। अगर इन 360 रु को प्राप्त करने वाले उनमें से 10% और बचाकर रखें तथा बाकी को व्यय करें तो अब दूसरी अवस्था में कुल व्यय $(360 - 36) = 324$ ही होगा अर्थात् कुल आय भी जो व्यय से उत्पन्न होगी वह भी 324 रु ही होगी। यही ऋम प्राय 10 बार चलता रहे तो प्रत्येक बार बचत, उपभोग और आय की मात्रा घटती ही जायेगी। इन सब दस चक्रों की राशि का योग प्रारम्भिक मूल परिव्यय (Outlay) का 10 गुना होगा अर्थात् 400 रु का प्रारम्भिक व्यय कुल 4000 रु व्यय को जन्म देगा। इसी प्रकार मूल आय और नव उत्पन्न की गई आय (New Generated Income) के बीच सम्बन्ध बचतों के आय अनुपात पर निर्भर करेगा। अगर बचतों का अनुपात

1/10 है तो उत्पादित आय भी प्रारम्भिक मूल परिव्यय की 10 गुनी होगी। इसमें गुणांक (Multiplier) दस है। यह विनियोग और नव आय उत्पत्ति के सम्बन्ध को मापने में सहायक है।

किसी भी ध्यक्ति को कुल आय (Total Income) प्रायः वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर व्यय की जाती है। ये वस्तुयें और सेवायें दो प्रकार की होती हैं पहली तत्काल उपभोग की वस्तुयें जिन्हें चालू वस्तुयें (Current Goods) कहते हैं तथा दूसरी वे वस्तुयें जो उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें टिकाऊ वस्तुयें (Durable Goods) कहते हैं। चालू वस्तुओं पर किये गये व्यय को उपभोग (Consumption) कहा जाता है जबकि टिकाऊ वस्तुओं या पूँजीगत वस्तुओं के लिए किये गये व्यय को विनियोग (Investment) कहते हैं अर्थात् आय का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में बचत किया जाता है उसे विनियोग की संज्ञा दी जाती है।

अगर हम आय को उपभोग तथा विनियोग के रूप में व्यक्त करें तो गणितीय सूत्र के रूप में आय को हम इस प्रकार रख सकते हैं—

$$\text{आय} = \text{उपभोग} + \text{विनियोग}$$

$$Y = C + I \quad \dots\dots\dots (1)$$

इसके विपरीत अगर हम कुल आय को उपभोग एवं बचत के रूप में व्यक्त करें तो सूत्र का रूप इस प्रकार होगा—

$$\text{आय} = \text{उपभोग} + \text{बचत}$$

$$Y = C + S \quad \dots\dots (11)$$

इससे यह तर्कित मिलता है कि किसी भी देश में कुल आय उस देश के उपभोग तथा विनियोग की मात्रा अथवा उपभोग एवं बचत की मात्रा पर निर्भर करती है। सन्तुलन की अवस्था में विनियोग एवं बचत दोनों बराबर (S = I) होते हैं।

बचत, विनियोग एवं आय के मध्य सम्बन्ध

बचत और विनियोग के बीच इस प्रकार का एक विशेष सम्बन्ध है कि ये दोनों सदा एक दूसरे के समान होते हैं। जिस प्रकार प्रो. मार्शल ने मूल्य विश्लेषण में माँग और पूर्ति को आधार स्तम्भ माना है वही प्रकार प्रो. कीन्स ने अपने रोजगार एवं आय सिद्धांत के विश्लेषण में बचत (Saving) तथा विनियोग (Investment) को आधार स्तम्भ माने हैं। सन्तुलन की दशा के लिए दोनों की समता (Equality) आवश्यक है। किसी भी देश की आय का कोई स्तर इस समता के अभाव में स्थिर नहीं रह सकता। अगर बचतें विनियोग से अधिक हुईं तो कुल उपभोग घटने में प्रभावपूर्ण माँग कम होगी, उत्पादन का स्तर नीचा होगा—विनियोग कम होने और विनियोग कम होने से आय कम होगी तो अन्ततः आय का स्तर गिर जाने में बचतें भी बराबर विनियोग के बराबर हो जायेंगी। इसके विपरीत अगर समाज में

निवेशों की मात्रा बचतों से बढ़ जाती है तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के कारण पूँजीगत उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जायगा। अधिक रोजगार मिलेगा और परिणामस्वरूप लोगों की आय में वृद्धि होगी जिससे अन्ततः लोगों की बचतों में विनियोगों के अनुकूल ही वृद्धि हो जाएगी। बचत और विनियोग के मध्य सम्बन्ध का विश्लेषण दो अलग-अलग दृष्टिकोणों में इस प्रकार दिया गया है—

(A) बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्ध में प्रतिष्ठित दृष्टिकोण

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का भी यही विश्वास था कि बचत और विनियोग (Saving & Investment) दोनों बराबर होते हैं परन्तु उनके विचारों से यह समानता व्याज की दरों के परिवर्तनों के द्वारा स्थापित होती है। उनकी यह मान्यता थी कि यदि किसी समय बचत और विनियोग असमान भी हो जाते हैं तो व्याज दर में परिवर्तन से समानता स्थापित हो जाती है। उनके अनुसार यदि आय में वृद्धि के कारण समाज में बचतें बढ़ती हैं तो व्याज दर में कमी होगी और कम व्याज पर विनियोग बढ़ेंगे जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग दोनों में समानता स्थापित हो जायगी और पूर्ण रोजगार की अवस्था उत्पन्न होगी। इस प्रकार बचत और विनियोग में समानता का श्रेय वे व्याज दर को देते थे आय को नहीं।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा दोषपूर्ण है क्योंकि यह अनेक अवस्थानों में मान्यताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम तो इसकी मान्यता है कि समाज में विनियोग के समान अवसर विद्यमान हैं और इसी कारण समाज में जो कुछ बचत होती है उनका विनियोग निश्चित रूप से किया जाता है। यह धारणा गलत है क्योंकि अगर बाजार में पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कम हुई तो लोग विनियोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार दूसरी मान्यता है कि बचत में वृद्धि से व्याज दर कम होती है। यह भी आवश्यक नहीं है क्योंकि बचत आय पर निर्भर करती है और कभी-कभी आय में वृद्धि से बचत में वृद्धि के साथ-साथ व्याज दर भी बढ़ती है। तीसरी यह मान्यता कि विनियोग पूर्णतः व्याज दर पर निर्भर होता है, पूर्णतः सही नहीं है। वास्तव में विनियोग पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital) तथा व्याज दर के पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। इस तथ्य की प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपेक्षा की। चौथी भ्रमपूर्ण मान्यता आय के क्रम के बारे में थी। उनके अनुसार पहले बचत में वृद्धि होती है, फिर बचत में वृद्धि से व्याज दरें कम होती हैं, उसके विनियोग बढ़ता है और विनियोग से आय बढ़ती है। अर्थात् बचत में वृद्धि → व्याज दर में कमी → विनियोग में वृद्धि → आय वृद्धि। किन्तु यह धारणा भी पूर्णतः सत्य नहीं है। समाज में आय का निर्धारण केवल बचत एवं विनियोग से ही नहीं होता, इनके अनिश्चित आय को प्रभावित करने वाले तत्त्व उपभोग की प्रवृत्ति, पूँजी की सीमान्त उत्पादनता, मुद्रा संचय प्रवृत्ति, मुद्रा की मात्रा आदि भी हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण का स्वयं बड़ा दोष यह भी था कि व

प्रत्येक वचत को पूँजी निर्माण का कारण मानत थे। यह धारणा भी प्रत्येक स्थिति में ठीक नहीं है। अगर वचतो में वृद्धि से माग घट जावे तो वचतो में वृद्धि से विनियोग बढ़ना असम्भव होगा और परिणामस्वरूप वचतो में वृद्धि से समाज की आय में कमी होगी।

(B) वचत विनियोग और आय के सम्बन्ध में कीन्स का दृष्टिकोण

प्रो कीन्स ने अपने महान ग्रन्थ जनरल थ्योरी (General Theory) में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भ्रमपूर्ण धारणाओं पर कठोर प्रहार किया तथा वचत विनियोग के पारस्परिक सम्बन्ध की एक व्यावहारिक व्याख्या की। प्रो कीन्स यह मानते थे कि कुल निवेश सदैव कुल वचतो के बराबर रहते हैं। जहाँ प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानते थे कि वचत एवं विनियोग के बीच समानता व्याज की दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित होती है, वहाँ कीन्स के अनुसार वचत व विनियोग में समानता आय में परिवर्तनों द्वारा स्थापित होती है। जिस प्रकार मार्शल ने अपने कीमत विश्लेषण में माग और पूर्ति वक्रों को आधार स्तम्भ माना है उसी प्रकार कीन्स ने अपने आय विश्लेषण में वचत और विनियोग को आधार बनाया है।

कीन्स के मतानुसार वचत आय द्वारा निर्धारित होती है किन्तु आय स्वयं विनियोग (उपभोग स्थिर रहे) द्वारा निर्धारित होती है। यदि किसी समय वचत और विनियोगों में असमानता हो जाती है तो आय में परिवर्तनों द्वारा उनमें पुनः समानता स्थापित हो जाती है। इसे उदाहरण द्वारा भी निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

अगर वचत की मात्रा विनियोग की तुलना में अधिक हो तो वचत में वृद्धि के कारण उपभोग व्यय कम हो जाएगा, उपभोग व्यय में कमी देश में प्रभावपूर्ण माग (Effective Demand) में कमी उत्पन्न करेगी जिससे विनियोग घटेंगे और रोजगार में कमी होगी। परिणामस्वरूप आय में कमी होगी जो वचतो को भी कम कर निवेशों (विनियोग) के बराबर कर देगी क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति समान रहने पर कम आय होने पर वचतें भी कम ही होंगी। यही प्रथम तब तक चालू रहता है जब तक कि वचत और विनियोग बराबर नहीं हो जाते। इसके विपरीत अगर कभी विनियोग की मात्रा वचत की तुलना में बढ़ जाती है तो भी आय के परिवर्तनों द्वारा दोनों में समानता स्थापित हो जायगी क्योंकि अगर निवेश बढ़ जाते हैं तो पूँजीगत उद्योगों में प्रभावपूर्ण माग बढ़ जाती है उससे रोजगार और आय बढ़ते हैं। आय बढ़ने से औसत उपभोग प्रवृत्ति समान रहने के कारण वचतें भी बढ़ती हैं। यह प्रथम तब तक चालू रहता है जब तक कि वचत और विनियोग पुनः परस्पर बराबर नहीं हो जाते।

कीन्स का उपर्युक्त वचत-विनियोग विश्लेषण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में विशेष महत्वपूर्ण है। प्रो. कीन्स ने वचत एवं विनियोगों को दो दृष्टिकोणों से समान माना है—

- (i) हिसाब-किताब के दृष्टिकोण से समानता,
 (ii) कार्य सम्बन्धी समानता ।

(i) हिसाब किताब की दृष्टि से समानता (Accounting or Statistical Equality)—इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम बचत, वर्तमान आय और उपभोग के अन्तर के बराबर लेते हैं। इसी प्रकार विनियोग आय का वह भाग है जो उपभोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है। अतएव बचत एवं विनियोग बराबर होते हैं। कीन्स ने इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया है—

	$Y = C + I$	(i)	(i) आय = उपभोग + विनियोग
	$Y = C + S$	(ii)	(ii) आय = उपभोग + बचत
इसलिए	$C + S = C + I$	(iii)	यानी $S = Y - C$ एवं $I = Y - C$
अथवा	$S = I$		अतः $S = I$ बचत = विनियोग

उपरोक्त समीकरण में कीन्स ने आय, बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्ध को बताया है। वह समीकरण (i) में बताता है कि देश ही कुल आय (Y) देश के कुल उपभोग व्यय (C) तथा कुल विनियोग व्यय (I) के योग के बराबर होती है अर्थात् $Y = C + I$ अथवा दूसरे शब्दों में कुल आय देश में कुल उपभोग व्यय एवं बचत के योग के बराबर होती है जैसा समीकरण (ii) में बताया गया है। अतः इसके आधार पर $S = I$ को सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि $S = Y - C$ तथा $I = Y - C$ अतएव $S = I$ ।

हिसाब की दृष्टि से बचत और विनियोगों की समानता का तात्पर्य है कि जब तक अर्थव्यवस्था में बचत की इच्छा एवं विनियोग की इच्छा एवं क्षमता में समानता नहीं है उत्पादकों को उत्पादन एवं रोजगार में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि वे अपने लाभ को अधिकतम बना सकें या हानि को न्यूनतम कर सकें। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आय में परिवर्तनों द्वारा बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित न हो।

(ii) बचत एवं विनियोग में कार्य सम्बन्धी समानता (Functional Equality between Saving & Investment)—इसके लिए बचत और विनियोग सूचियों की धारणा अपनार्ई जाती है। बचत और आय सूचियों का निर्माण भी आय के आधार पर किया जाता है। समाज की बचत समाज की आय पर निर्भर करती है तथा विनियोग भी आय पर निर्भर करता है। यद्यपि बचत और विनियोग दो अलग-अलग स्वतन्त्र प्रवृत्तियाँ हैं और दो अलग-अलग बगों द्वारा पूरी की जाती हैं किन्तु समाज में आय के परिवर्तनों के द्वारा ही बचत और विनियोग में समानता स्थापित होती है। प्रो. कुरिहारा के शब्दों में “बचत और विनियोग में कार्य सम्बन्धी समानता आय तत्वों के सम्बन्ध में बचत और विनियोग तत्वों के बीच सामंजस्य का अन्तिम परिणाम है।” (The functional equality of saving

and investment is the final result of a process of adjustment between the saving and investment variables in relation of the income variables.”)

बचत, विनियोग एवं आय का कार्यात्मक सम्बन्ध

(करोड़ रु०)

बचत	आय	विनियोग	अवस्था
500	5000	450	I
400	4000	400	II
300	3000	300	III
200	2000	250	IV


बचत और विनियोग में समानता आय में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप स्थापित होती है। जैसे तालिका में पहली अवस्था में बचत विनियोग की तुलना में अधिक होने से आय में कमी की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी क्योंकि बचत बढ़ने से उपभोग कम हो जाता है और उपभोग घटने से प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है जिससे उत्पादन और रोजगार में कमी आती है और आय गिरकर 4000 करोड़ रह जाती है जहाँ (दूसरी अवस्था) बचत और विनियोग में समानता स्थापित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तीसरी एवं चौथी अवस्था में विनियोग बचत की तुलना में अधिक है अतः प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होगी। द्वितीय अवस्था में नये आय स्तर पर बचत और विनियोग दोनों बढ़कर बराबर हो जायेंगे। रेखाचित्रों द्वारा इसका निरूपण इस प्रकार है—

बचत, विनियोग एवं आय के पारस्परिक संबंध का चित्र द्वारा निरूपण

(Diagrammatic Representation of Relationship Amongst Saving, Investment and Income)

बचत विनियोग एवं आय का पारस्परिक सम्बन्ध चित्रों द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। बचत विनियोग की प्रवृत्ति, आय के स्तर तथा अन्य उद्देश्यों पर निर्भर करती है जबकि विनियोग अर्थव्यवस्था में ध्याज की दर तथा पूँजी की सीमागत उत्पादन क्षमता आदि प्रावैगिक तत्वों पर निर्भर करती है। ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं तथा इन दोनों में समानता आय में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इस प्रकार ये तीनों परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। यह रेखाचित्र 1 में स्पष्ट है।

रेखाचित्र-1 में SS बचत वक्र (Saving Curve) है जो विभिन्न आय स्तरों पर बचत के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करता है और उसी प्रकार से II



चित्र-1. वचत, विनियोग एवं आय का निर्धारण


विनियोग वक्र (Investment-curve) है जो विभिन्न आय स्तरों पर विभिन्न विनियोग मात्राओं को बताता है। ये दोनों वक्र E बिन्दु पर परस्पर एक दूसरे को काटते हैं यही वचत एवं विनियोग का सन्तुलन बिन्दु है जहाँ $S = I$ पर आय का स्तर OQ है। वचत एवं विनियोग $OT = EQ$ है।

E बिन्दु के बायीं तरफ वचतें विनियोग से कम हैं अर्थात् $S < I$ अतः समाज में उपभोग का स्तर ऊँचा एवं वचतें कम होने से उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि से वचतें बढ़कर E बिन्दु पर विनियोग के बराबर हो जायेंगी। इसी प्रकार E बिन्दु की दाहिनी ओर वचतें अधिक और विनियोग कम हैं अर्थात् $S > I$ है अतः वचतें बढ़ने से उपभोग घटेगा और उपभोग घटने से आय का स्तर गिरकर वचतों को भी विनियोग के बराबर कर देगा और अन्ततः E बिन्दु पर दोनों बराबर होंगे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वचत एवं विनियोग का प्रत्येक सन्तुलन बिन्दु पूर्ण रोजगार का बिन्दु होना आवश्यक नहीं है। अगर वचत एवं विनियोग आय के निम्न स्तर पर ही बराबर हो जायें तो $S = I$ की इस साम्यावस्था में भी काफी बेकारी होगी और इसके विपरीत अगर वचत और विनियोग में समानता आय के बहुत ऊँचे स्तर पर हो तो अर्थव्यवस्था में अतिरोजगार की स्थिति हो सकती है।

जबकि बचत एवं विनियोग का यह सन्तुलन बिन्दु ही पूर्ण रोजगार का बिन्दु होगा वहाँ अर्थव्यवस्था में न तो सकुचन और न विस्तार की प्रवृत्ति हो।

रेखाचित्र-2 (B) में SS_1 तथा II_1 दोनों E_1 बिन्दु पर सन्तुलन में हैं जबकि चित्र 2 (A) में SS_0 तथा II_0 दोनों निम्न आय स्तर पर ही बराबर हो जाते हैं और इसके विपरीत चित्र 2 (C) में SS_2 तथा II_2 दोनों आय के अपेक्षाकृत उच्च स्तर OY_2 पर सन्तुलन में होते हैं जहाँ बचत, विनियोग तथा आय तीनों का स्तर ऊँचा है। यही कारण है कि पिछड़े राष्ट्रों में बचत एवं विनियोग के निम्न स्तर पर ही सामान्यदशा के कारण बेरोजगारी सामान्य स्थिति होती है।



चित्र-2 बचत, विनियोग एवं आय के विभिन्न स्तर

बचत, विनियोग एवं आय के मध्य सम्बन्धों के बारे में निष्कर्ष

बचत, विनियोग और आय के मध्य सम्बन्ध का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन अर्थशास्त्री बचत और विनियोग की समानता ब्याज की दर परिवर्तन द्वारा स्थापित होना मानते थे। उनकी यह धारणा त्रुटिपूर्ण थी। प्रो. कीन्स बचत और विनियोग में समानता आय में परिवर्तन के द्वारा स्थापित होना मानते हैं। इसके पारस्परिक सम्बन्ध में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है और आय में परिवर्तन के माध्यम से बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित होती है। यह आय, बचत एवं विनियोग का समग्र विश्लेषण है। कीन्स का विश्लेषण इस दृष्टि से भी उपयुक्त है कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत एवं विनियोग की समानता की स्थापना करता है और यह आवश्यक नहीं है कि बचत एवं विनियोग की समानता सर्वत्र पूर्ण रोजगार एवं सन्तुलन की छोटक हो। बेकारी, पूर्ण रोजगार तथा पूर्ण रोजगार से अधिक की स्थिति में भी बचत एवं विनियोग बराबर हो सकते हैं। स्पष्ट है कि आय, विनियोग एवं बचत परस्पर एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। आय में परिवर्तन ही बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित करता है।

समग्र रूप में—

(1) आय, बचत एवं विनियोग परस्पर श्रृंखलाबद्ध जुड़े हुए हैं।

(2) कीन्स के अनुसार $Y = C + S$ तथा $Y = C + I$ होने से पारिभाषित रूप में बचत = विनियोग अर्थात् $S = I$ होता है।

(3) बचत एवं विनियोग में समानता आय में परिवर्तन द्वारा होती है। जिस प्रकार माग एवं पूर्ति में सन्तुलन मूल्य द्वारा होता है ठीक उसी प्रकार बचत एवं विनियोग में सन्तुलन आय द्वारा स्थापित होता है।

(4) कीन्स के अनुसार आय के विभिन्न स्तरों पर बचत और विनियोग बराबर होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बचत और विनियोग में समानता सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही हो। पूर्ण रोजगार से अधिक अथवा कम स्थिति में भी बचत एवं विनियोग बराबर होते हैं।

(5) बचत और विनियोग की समानता ($S = I$) सदैव सन्तुलन का द्योतक नहीं है। अर्थव्यवस्था में असन्तुलन की अवस्था में भी ये दोनों बराबर हो सकते हैं।

(6) बचतों में वृद्धि से आय में गुणक के अनुपात में कमी तथा विनियोगों में वृद्धि से आय में गुणक के अनुपात में वृद्धि होती है अगर उनमें कहीं रिसाव (Leakage) न हो।

(7) अगर कभी बचत और विनियोग में अन्तर होता है तो आय में परिवर्तन होकर दोनों में समानता स्थापित हो जाती है जैसे अगर बचतें विनियोग से अधिक हों तो आय का स्तर गिरने से अन्ततः बचतें गिरकर विनियोग के बराबर हो जायेंगी और इसके विपरीत अगर विनियोग की मात्रा बचतों से अधिक हो तो विनियोग से आय का स्तर ऊँचा होगा और बचतें बढ़ने से अन्ततः $S = I$ हो जायेंगे। जैसा रेखा-चित्र-1 में दर्शाया गया है।

(8) आय, बचत और विनियोग में त्वरक या गतिवर्धक (Accelerator) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि त्वरक विनियोग की मात्रा पर उपभोग-दर में होने वाली कमी-वृद्धि के प्रभावों को मापता है और बताता है कि उपभोग में विशुद्ध परिवर्तन और विनियोग के विशुद्ध परिवर्तन में क्या अनुपात है।

भारत में बचत, विनियोग एवं आय की स्थिति

भारत में बचत, विनियोग और राष्ट्रीय आय के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होने के कारण बचत नहीं के बराबर हैं और बचतों के प्रभाव में पूँजी-निर्माण की गति धीमी है। पूँजी के प्रभाव में देश में प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हो पाया है, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक ऊपरी परिव्ययों—परिवहन, संचार, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर अभाव है, औद्योगिकरण नहीं हो पाया है जिससे

रोजगार के अवसरों का अभाव है। लोगों के लिये केवल कृषि क्षेत्र ही उपलब्ध हैं। श्रम की अकुशलता, अत्यधिक जनसंख्या का भार आदि से कृषि पर भार बढ़ गया है तथा दूसरे क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार का अभाव है अतः आय का स्तर बहुत नीचा है।

भारत में आय, बचत और विनियोगों के नीचे स्तर के कुचक्र में भारतीय दरिद्रता का चित्रण होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक अवस्था में 1950 में बचतें राष्ट्रीय आय का 5% थीं तथा विनियोग की दर भी लगभग 6% थी। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विनियोग बढ़ाया गया। पहली योजना में 450 करोड़ रु से 675 करोड़ रु प्रतिवर्ष विनियोग किया गया जिससे राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। विनियोग एवं बचत की दर दोनों बढ़कर क्रमशः 7.3% तथा 6.75% रही।

योजनाबद्ध विकास के पिछले 28-29 वर्षों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बचत और विनियोग दोनों बढ़े हैं। अब बचत आय का 20% तथा पूँजी विनियोग राष्ट्रीय आय का 21% होने का अनुमान है। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो 1950-51 में तात्कालिक मूल्यों पर 267 रु थी, 1978-79 के मूल्यों पर बढ़कर 1249 रु होने का अनुमान है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय जो 1950-51 में 9830 करोड़ रु थी 1968-69 के मूल्यों के आधार पर 1969-70 में 28500 करोड़ रु तक पहुँच गई। चतुर्थ योजना के अन्त में यह 49250 करोड़ रु थी जबकि चालू मूल्यों पर 1978-79 में राष्ट्रीय आय 80090 करोड़ रु प्रति व्यक्ति आय 1249 रु होने का अनुमान है।

इस प्रकार देश में बचत और पूँजी विनियोग में वृद्धि आय में वृद्धि से सम्बद्ध है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. बचत, विनियोग और राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये।

(1 Yr T.D.C., 1973, 1975)

अथवा

बचत, विनियोग एवं आय के पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिये।

(B. A. Hon 1977)

(संकेत-प्रश्न के पहले भाग में बचत, विनियोग और आय का आयाज संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में हीनो का सम्बन्ध बताने में क्लासिकल दृष्टिकोण तथा कीन्स दृष्टिकोण के आधार पर $Y = C + S$ तथा $Y = C + I$ और $S = I$ के समीकरण, तालिका व चित्रों द्वारा समझाना है फिर अध्याय में चित्रों व गणित-निष्कर्षों को दे दीजिये।)

2 बचत और विनियोग की समानता के सम्बन्ध में कीन्स के (i) हिसाब किताब दृष्टिकोण तथा (ii) कार्यात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये ।

अथवा

कीन्स द्वारा बचत और विनियोग कार्य के सन्दर्भ में विश्लेषण की व्याख्या कीजिये । यह समूची अर्थव्यवस्था के कार्य वारण को समझने में कहीं तक सहायक है ?

(सकेत—पहले बचत, विनियोग एवं आय का संक्षेप में अर्थ समझाइये । दूसरे भाग में कीन्स के हिसाब किताब, दृष्टिकोण व कार्यात्मक दृष्टिकोण को समीकरण एवं तालिका द्वारा समझाइये । अन्त में निष्कर्ष दीजिये कि कीन्स का विश्लेषण अर्थव्यवस्था के आय विश्लेषण का एक समग्र रूप है । पुस्तक के विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विषय सामग्री दीजिये ।)

परिशिष्ट

(APPENDIX)

राष्ट्रीय आय का निर्धारण (Determination of National Income)

अध्याय 14 में बचत, विनियोग एवं आय के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण करने के बाद यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आय का निर्धारण कैसे होता है ? आय निर्धारण की मूलभूत बातों की समझने के लिए अगर राजकीय व्यय एवं करो को अनुपस्थित मान लें तो अधिक सुगमता रहती है। आय-निर्धारण को दो तरह से ज्ञात किया जाता है—

(1) बचत एवं विनियोग की अनुसूचियों के परस्पर कटाव अथवा बचत विनियोग साम्य (सन्तुलन) से आय निर्धारण;

(2) उपभोग व विनियोग की समग्र अनुसूची (C+I) के 45° रेखा के कटाव अथवा समग्र मांग वक्र और 45° रेखा के कटाव से आय का निर्धारण।

इन दोनों विधियों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) बचत एवं विनियोग की अनुसूचियों से साम्य अथवा उनके परस्पर कटाव से आय का निर्धारण—बचत एवं विनियोग दो अलग-अलग क्रियाएँ हैं तथा प्रायः दो दगों द्वारा पूरी होती हैं। बचत आय पर “निष्प्रय” रूप से निर्भर करती है जबकि विनियोग विकास की प्रक्रिया में अनेक स्वचालित तत्वों पर निर्भर होता है। प्रो. कीन्स के मतानुसार अर्थव्यवस्था में सन्तुलन की स्थिति तब होती है जब नियोजित बचत और विनियोग बराबर ($S = I$) होता है। अगर बचत और विनियोग में समानता नहीं हुई तो आय तथा रोजगार का स्तर भी अस्थिर रहेगा। पर बचत और विनियोग में समानता आय के परिवर्तनों द्वारा स्थापित होती है। बचत आय व उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है तो विनियोग पूँजी की उत्पादन क्षमता, ब्याज दर तथा उपभोग की प्रवृत्ति पर आधारित है। अतः आय का निर्धारण उस सन्तुलन बिन्दु पर होता है जहाँ बचत और विनियोग बराबर होने हैं। दूसरे शब्दों में आय का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ बचत वक्र रेखा (Saving Curve) विनियोग वक्र-रेखा (Investment Curve) को काटती है अर्थात् जहाँ बचत और विनियोग सन्तुलन की स्थिति ($S = I$) में होता है।

गणितीय उदाहरण के रूप में निम्न तालिका में तृतीय स्थिति में आय व

निर्धारण 100 करोड़ रु पर होता है जहां बचत और विनियोग दोनों बराबर अर्थात् दस करोड़ रुपये है—

तालिका-1 बचत विनियोग साम्य द्वारा आय का निर्धारण (करोड़ रु)


स्थिति	शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNP)	उपभोग (C)	बचत (S)	विनियोग (I)	आय की प्रवृत्ति
प्रथम	130	105	25	15	सकुचन
द्वितीय	120	100	20	12	सकुचन
तृतीय	100	90	10	→ 10 →	सन्तुलन
चतुर्थ	90	82	8	9	विस्तार
पंचम	80	75	5	7	विस्तार

रेखाचित्र द्वारा निरूपण

बचत एवं विनियोग अनुसूचियों के परस्पर कटाव द्वारा आय के निर्धारण को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। रेखाचित्र 1 में SS बचत वक्र-रेखा (Saving Curve) है जो विभिन्न आय स्तरों पर बचत के विभिन्न स्तर व्यक्त करती है तथा II विनियोग वक्र रेखा (Investment Curve) जो विभिन्न आय स्तरों पर विभिन्न विनियोग मात्रा की अभिव्यक्ति करती है। ये दोनों वक्र-रेखाएँ E बिन्दु पर एक दूसरे को परस्पर काटती हैं यही बचत और विनियोग का साम्य एवं सन्तुलन बिन्दु है अतः आय की मात्रा OQ निर्धारित होती है। E बिन्दु के दाहिनी ओर $S > I$ (बचत विनियोग से अधिक) है। अतः अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) बचत की वृद्धि के कारण कम होगी जिससे बाजार में मूल्य गिरेगे, उत्पादन रोजगार व आय का स्तर घटेगा। परिणामस्वरूप बचतें गिरकर विनियोग के बराबर होने की प्रवृत्ति होगी अर्थात् अर्थव्यवस्था में सकुचन के कारण आय गिरेगी तथा बचत व विनियोग में साम्य स्थापित हो जायेगा।

इसके विपरीत E बिन्दु के बायीं तरफ बचत विनियोग से कम है अर्थात् $S < I$ है अतः समाज में उपभोग चालू उत्पादन से अधिक होने के कारण मूल्यों में वृद्धि उत्पादन, रोजगार आय में वृद्धि को जन्म देगी। अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। आय में वृद्धि से बचतें बढ़कर विनियोग के बराबर होने की प्रवृत्ति रहेगी।

निम्नांकित चित्र 1 में शुद्ध राष्ट्रीय आय OQ है तथा बचत एवं विनियोग दोनों OT = EQ सन्तुलन की स्थिति में हैं।




चित्र-1 बचत, विनियोग द्वारा आय निर्धारण

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बचत और विनियोग का प्रत्येक सन्तुलन बिन्दु पूर्ण रोजगार का बिन्दु हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर बचत और विनियोग निम्न स्तर पर हो बराबर हो जायें तो इस साम्यावस्था में काफी बेरोजगारी भी प्रकट हो सकती है। अतः बचत और विनियोग का यह सन्तुलन बिन्दु ही पूर्ण रोजगार का बिन्दु होगा जहाँ अर्थव्यवस्था में न संकुचन और न विस्तार की प्रवृत्ति हो अर्थात् अर्थव्यवस्था भी साम्यावस्था में हो तथा राष्ट्रीय आय व रोजगार में वृद्धि सम्भव न हो सके। यही कारण है कि पिछड़े राष्ट्रों में बचत और विनियोग की निम्न आय स्तर पर साम्यावस्था हो जाने से बेरोजगारी सामान्य स्थिति है।

2. उपभोग एवं विनियोग की समग्र अनुसूची (C+I) के 45° रेखा के बढाव से आय का निर्धारण—आय निर्धारण की यह दूसरी ऐसी विधि है जो उपभोग तथा विनियोग व्यय पर जोर देती है। प्रथम विधि में बचत और विनियोग पर बल दिया था पर इस विधि में उपभोग तथा विनियोग के समग्र व्यय (C+I) पर ध्यान केन्द्रित है। इसमें उपभोग वस्तुओं पर कुल व्यय तथा विनियोग वस्तुओं पर कुल व्यय का समग्र योग किया जाता है। सरकारी उपभोग एवं विनियोग शामिल करने से यह (C+I+G) की व्यावहारिक विधि बन जाती है जिसका विवरण आगे दिया जा रहा है।

इस विधि के अनुसार आय का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ उपभोग विनियोग की समग्र रेखा (C+I) अर्थात् समग्र मांग वक्र (Aggregate Demand Curve) 45° रेखा को काटती है जैसे चित्र 2 में स्पष्ट है। चित्र में OT




चित्र-2 उपभोग-विनियोग से आय का निर्धारण

रेखा 45° रेखा है जो आय-व्यय की समानता को सूचित करती है। इसके प्रत्येक बिन्दु पर आय-व्यय (उपभोग व्यय + विनियोग व्यय (C+I) को व्यक्त करती है इसी कारण इसकी लम्बवत् एवं क्षैतिज दृश्यों की दूरी प्रत्येक बिन्दु पर समान होती है। जैसे E बिन्दु पर OQ=EQ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा कुल व्यय (C+I) में समानता का द्योतक है। CC वक्र विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग अनुसूची प्रदर्शित करता है। अगर इसमें पूँजीगत वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय को जोड़ दिया जाये (जैसे चित्र में I दूरी से बताया गया है) तो (C+I) वक्र उपभोग तथा विनियोग की समग्र अनुसूची अथवा कुल मांग वक्र (Aggregate Demand Curve) हो जाता है। यह (C+I) वक्र 45° रेखा को E बिन्दु पर काटता है अतः यह वह सन्तुलन बिन्दु (Equilibrium Point) है जहाँ कुल आय समग्र व्यय (D+I) के बराबर है अतः आय का निर्धारण E बिन्दु पर OQ है तथा कुल व्यय भी EQ है अतः OQ=EQ के साम्य से आय का निर्धारण होता है।

सरकारी व्यय का राष्ट्रीय आय निर्धारण पर प्रभाव (Effect of Government Expenditure on Determination of National Income)

आय-निर्धारण के उपर्युक्त अध्यायन में हमने केवल निजी उपभोग एवं निजी विनियोग का ही समावेश किया है, पर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में राजकीय व्यय

(Government Expenditure) का महत्व बहुत बढ गया है। आज सरकार अपने व्यय और विनियोग से रोजगार तथा आय के स्तर में वृद्धि कर भयंकरवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः आय-निर्धारण का व्यावहारिक स्वरूप (C+I) में सार्वजनिक व्यय को जोड़ने पर आता है। उपर्युक्त रेखाचित्र-2 में (C+I) वक्र (उपभोग-विनियोग) का समग्र योग प्रदर्शित करती है जबकि कुल व्यय में सरकारी व्यय को भी जोड़ने से आय का स्तर ऊँचा हो जाता है। निम्न रेखाचित्र-3 में CC उपभोग वक्र है। C+I उपभोग तथा विनियोग समग्र वक्र है और अगर इसमें सरकारी व्यय को भी जोड़ दिया जाये तो कुल मांग वक्र (C+I+G)



चित्र-3

45° रेखा को E_1 बिन्दु पर काटता है और राष्ट्रीय आय का निर्धारण E_1 बिन्दु पर OQ_1 होता है जबकि सरकारी व्यय का समावेश न करने पर C+I वक्र 45° रेखा को E बिन्दु पर ही काटता है जहाँ आय OQ ही है। अतः स्पष्ट है कि राज्य व्यय का प्रभाव राष्ट्रीय आय को ऊँचा करने तथा नीचा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भवा करता है। अगर सरकारी व्यय नहीं होता तो राष्ट्रीय आय OQ ही रहती जबकि सरकारी व्यय से राष्ट्रीय आय बढ़कर OQ_1 हो जाती है अर्थात् OQ_1 की वृद्धि होती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व सरकार अपना व्यय बढ़ाकर रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकारी व्यय एवं विनियोग से आय में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि गुणन की प्रक्रिया (Multiplier) उनमें तेजी लाती है। गुणन (Multiplier) यह सत्य है जिसे विनियोग के परिवर्तन से गुणा करने पर आय का परिवर्तन निकल आता है—जैसे अगर सरकारी व्यय या विनियोग

40 करोड़ ६० होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि 120 करोड़ ६० हो जाने पर गुणक 3 होगा। इसके विपरीत अगर विनियोग घटाया जाय तो आय में गुणक के अनुसार ही परिवर्तन होगा। अतः गुणक का प्रभाव धनात्मक एवं ऋणान्मक दोनों दिशाओं में हो सकता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आय-निर्धारण की दो दृष्टियों से देखा जा सकता है—पहला, बचत विनियोग साम्य (Saving Investment Equilibrium) दृष्टि से तथा दूसरा, उपभोग विनियोग अथवा समग्र मार्ग दृष्टिकोण से। किन्तु दोनों के परमाणु एकसे निकलते हैं। आय निर्धारण के ये सिद्धान्त यह स्पष्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार व आय में वृद्धि के लिये उपभोग, बचत, विनियोग तथा सरकारी व्यय—सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा ये सब एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं, अतः इनका अध्ययन समग्र रूप से करने की नीति की विधि सामंदायिक बही जाती है। उपभोग, विनियोग एवं राजकीय व्यय (C+I+G) सिद्धान्त सार्वजनिक व्यय एवं विनियोग से आय एवं रोजगार के प्रभाव का विश्लेषण करता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग एवं विनियोग के स्तर को ऊँचा रखने की नीति उनके कुशल क्रियान्वयन की कुँजी है। पूँजीवाद की मन्दी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान इस सिद्धान्त में निहित है। समाजवादी राष्ट्रों के विकास और रोजगार-वृद्धि में राजकीय व्यय की भूमिका इस सिद्धान्त की देन है। गुणक इसकी वृद्धि-कमी का विवेचन करने में सहायक है।

परिक्षेपयोगी प्रश्न

1. राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है? समझाइये।

(संकेत—राष्ट्रीय आय-निर्धारण की दोनों विधियों को पूर्णतः चित्र देकर समझाइये।)

आय एवं सम्पत्ति की असमानता

(Inequality of Income & Wealth)

आज विश्व के सभी कल्याणकारी राष्ट्रों में आयिक समानता की धाधाज बुलन्द होनी जा रही है और आयिक विषमता के समापन के प्रयास जारी हैं। एव और गगनचुम्बी अटटालिकाएँ वैभवपूर्ण जीवन तथा विशाल सम्पत्ति तो दूररी और रहने के लिए मोना आकाश दरिद्रता का कष्टमय जीवन और सम्पत्ति का नितान्त अभाव आयिक विषमता की चरम सीमाओं के द्योतक हैं। आयिक व्यवस्था में समाज के कुछ व्यक्ति राष्ट्रीय आय एवं सम्पत्ति के मालिक बन बैठे जबकि अधिकांश व्यक्ति निर्धनता के कुचक्र में पिसते रहे, कुछ वैभव एवं विलासिता का जीवन बिताएँ और अधिकांश रोजी-रोटी के लिए तरसें, यह स्थिति एक सभ्य समाज के लिये शक ही नहीं प्रपितु विश्व शानि एवं समृद्धि के लिये भी स्थायी स्तरा है। इसीलिये कहा जाता है कि दुनियाँ के किसी भी भाग में गरीबी विश्व समृद्धि को सबसे बड़ा स्तरा है। अतः यथासम्भव आय और सम्पत्ति की विषमता को कम करना प्रत्येक कल्याणवादी एवं समाजवादी सरकार का परम कर्तव्य एवं लक्ष्य है क्योंकि आयिक कल्याण के लिये राष्ट्रीय आय का प्रसारण (Diffusion of Income) अधिकतम होना चाहिये।

आय एवं सम्पत्ति की असमानता का विचार (The concept of inequality of Income & Wealth)—आयिक असमानता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला आय की असमानता (Income Inequality) तथा दूसरा सम्पत्ति की असमानता (Wealth Inequality)। आय की असमानता का अभिप्राय है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों में राष्ट्रीय आय इस प्रकार विभाजित होती है कि समाज के कुछ व्यक्तियों को तो आय का बहुत बड़ा भाग मिलता है जबकि अधिकांश व्यक्तियों को बहुत छोटा भण प्राप्त होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को तो प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आय हा जबकि अधिकांश को प्रतिवर्ष न्यूनतम जीवनयापन के लिए भी आय प्राप्त न हो। भारत में प्रो. महालनोबिस समिति ने बताया था कि 1955-56 में 1 प्रतिशत व्यक्ति कुल व्यक्तिगत आय का 11% भाग प्राप्त करते थे जबकि 25% से भी अधिक व्यक्ति 10% से भी कम आय प्राप्त करते थे। इसी प्रकार प्रो. सेविम के शब्दों में इंग्लैंड के 2% व्यक्ति वहाँ की राष्ट्रीय आय का 20%

आय की असमानता और सम्पत्ति की असमानता दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं। आय की असमानता सम्पत्ति को असमानता की बढ़ाती है और सम्पत्ति की असमानता आय उत्पादन क्षमता में अन्तराल को स्थायी बनाती है तथा उसमें निरन्तर वृद्धि करती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में धन और आय के वितरण में असमानता अधिक होती है जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सम्पत्ति के असमान वितरण को कम कर आय में असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

धन और आय के वितरण में असमानता एक सभ्य समाज के लिये अभिशाप है और समृद्धि के बीच निर्धनता का होना और भी अधिक भयकर माना जाता है। सामाजिक एवं नैतिक न्याय की दृष्टि में भी समाज में आर्थिक विषमता अन्यायपूर्ण एवं अपेक्षित है। यही कारण है कि विश्व में सर्वत्र आर्थिक समानता की दुहाई दी जाती है और प्रायः सभी कल्याणकारी राष्ट्रों में आय एवं सम्पत्ति की विषमता को समाप्त करने के प्रयास प्रबल हैं।

आर्थिक समानता का अभिप्राय :—

आर्थिक असमानता अथवा आय एवं सम्पत्ति की समानता का अभिप्राय अर्थशास्त्र की दृष्टिकोणीयता से यह कहना नहीं है कि सभी व्यक्तियों की आय और सम्पत्ति में पूर्ण समानता अर्थात् गणितात्मक समानता (Arithmetical equality in Income and Wealth) हो। यह पूर्ण गणितात्मक समानता न तो कभी सम्भव ही है और न आर्थिक दृष्टि से वाछणीय ही है। अर्थशास्त्र के अनुसार तो आय और सम्पत्ति की समानता का अभिप्राय आय और सम्पत्ति में अत्यधिक असमानताओं का यथासंभव कम करना है। उसमें व्याप्त अन्तराल को पाटना तथा उनमें होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करना। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आय एवं सम्पत्ति की समानता (आर्थिक समानता) का अर्थ पूर्ण समानता या गणितात्मक समानता स्थापित करना नहीं अपितु आय और सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त अत्यधिक अंतराल को अन्तराल हो यथासंभव पाटना या कम करना है।

प्राथमिक असमानता (विषमता) के कारण (Causes of Economic Inequalities)

प्राय और सम्पत्ति में असमानता पूँजीवाद का सम्भवतः सबसे बुरा लक्षण है। पूँजीवाद में विभिन्न तत्व प्राथमिक असमानता के जन्मदाता एवं पोषक हैं। इसी कारण प्रो वीन ने कहा है 'उद्योग के इन्दिर में पुजारी और दासों के बंधन में जमीन आसमान का अन्तर है।' पूँजीवाद में धनी और अधिक धनी तथा गरीब और अधिक गरीब बनते जाते हैं जबकि समाजवाद के अन्तर्गत प्राथमिक समानता की प्रवृत्ति प्रबल होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राय एव सम्पत्ति की असमानता के प्राय निम्न कारण होते हैं। इनमें कुछ कारण प्राय की असमानता को जन्म देते हैं, कुछ उसे बढ़ाते हैं तथा कुछ उसमें चिर-स्थायित्व लाते हैं और सामूहिक रूप में प्राय एव सम्पत्ति में असमानता की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं।

(1) जन्मजात योग्यताओं में अन्तर (Difference in Natural Talents)—प्रकृति ने भी सभी मनुष्यों को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समान पैदा किया है। कुछ व्यक्ति अपने अन्य सहयोगियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, योग्य, परिश्रमी एवं प्रभावशाली होते हैं। योग्य, बुद्धिमान एवं अच्छे व्यक्तियों को अच्छी नौकरी, व्यवसाय में अधिक लाभ तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक प्राय प्राप्त होती है जबकि अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्तियों की प्राय भी कम होती है। इस प्रकार जन्मजात गुणों में अन्तर प्राय असमानता को जन्म देते हैं।

(2) अवसरों में असमानता (Inequality of Opportunity)—विभिन्न व्यक्तियों के जन्मजात गुणों में ही अन्तर नहीं होता वरन् उनके मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि में समान होते हुए भी अवसर एवं वातावरण की असमानता भी उनमें प्राय की असमानता को जन्म देती है। जिन व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का पर्याप्त अवसर, वातावरण एवं सुविधाएँ प्राप्त होती हैं उन व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक प्राय अर्जन का अवसर प्राप्त होता है जिन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का कोई अवसर ही न मिले और वातावरण एवं सुविधाओं का भी नितान्त अभाव हो। प्राय हम देखते हैं कि धनी वर्ग के सामान्य बुद्धि वाले बच्चे उचित शिक्षा, माधन एवं अवसर मिलने में आगे बढ़ जाते हैं जबकि गृन्नाप बुद्धि वाले गरीब बच्चों को माधन व अवसरों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। प्रो लवानी (T. L. Wani) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ('Acquisitive Society') में लिखा है 'प्रापुनिक समाज में धन का वितरण अवसर के अनुसार होता है। यद्यपि अवसर अथवा योग्यता एवं शक्ति पर निर्भर करता है पर यह बहुत कुछ सामाजिक स्थिति, शिक्षा तथा पैतृक सम्पत्ति पर निर्भर करता है। एक निधन व्यक्ति का पुत्र अपनी शक्ति एवं योग्यता से अवसर उत्पन्न कर सकता है पर धनी व्यक्ति के पुत्र को अवसर स्वयं अपने प्राय मिल जाता है।' इस स्पष्ट है कि प्राय एव धन की

असमानता का एक प्रमुख कारण अवसरों की असमानता है। अगर समान योग्यता वाले व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, वातावरण एवं अन्य अवसरों की समानता रहे तो आर्थिक असमानता सीमित होगी।

(3) व्यवसायों की विभिन्नता (Difference in Jobs)—घास और सम्पत्ति में असमानता का एक प्रमुख कारण व्यवसायों में भिन्नता पाया जाता है। जिन व्यवसायों में उच्च व्यावसायिक योग्यता, दीर्घ अनुभव अथवा तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उन्हें ऊँचे दर से पारिथमिक मिलता है पर अधिकांश व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य व्यक्तियों से काम चल जाता है और ऐसे व्यवसायों में निम्न दरों से पारिथमिक मिलता है। व्यवसायों के वेतनमानों या प्रतिफलों में जितना अधिक अन्तर होगा उतनी ही समाज में आर्थिक विषमता अधिक होगी। आज भारत में बड़े-बड़े उद्योगों व व्यवसायों के मनेजरो, निदेशकों व अध्यक्षों को ऊँचे दर से पारिथमिक मिलता है जबकि अधिकांश मजदूरों को निम्न वेतन दरों से भुगतान होता है। फिल्म अभिनेताओं को अपने कार्य के लिए बहुत ही ऊँचा हज़ारों रुपया पारिथमिक मिलता है जबकि अन्य व्यवसायों में इतने वेतन या प्रतिफल की स्वप्न भी आशा नहीं की जा सकती। अतः सामाजिक भूलाकण एवं कार्य की योग्यता के अनुसार प्रतिफल में अन्तर आर्थिक विषमता का महत्वपूर्ण घटक है। पूँजीवादी राष्ट्रों में यह विषमता समाजवादी राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक है।

(4) एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ (Monopolistic Tendencies)—समाज में श्राय एवं धन की असमानता का एक प्रमुख कारण समाज में एकाधिकारी प्रवृत्तियों का विद्यमान होना है। कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने लाभ को अधिक करने के लिए अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कृत्रिम कमी कर पूर्ति को सीमित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रतिस्पर्धा के स्थान पर गुटबन्दी द्वारा अधिक मूल्य निर्धारण करने में सफल होते हैं। इसमें ऐसे व्यक्तियों की श्राय उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है जो केवल सामान्य लाभ कमाते हैं। पूँजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक असमानता अधिक होती है।

एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ न केवल उद्योग एवं व्यवसायों में ही व्याप्त होती हैं वरन् थमिकों एवं वैतनिक कर्मचारियों के समूहों में भी होती है जो अन्ततः आर्थिक असमानता बढ़ाते हैं।

(5) आर्थिक शोषण (Economic Exploitation)—व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं, ज़िन्दा, लाभ, की भावना, आर्थिक शोषण को जन्म देती है। बार्न, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) के विचार का प्रतिपादन कर यह स्पष्ट किया कि पूँजीपति थमिकों को उनके धर्म के बराबर मजदूरी नहीं देकर उनका शोषण करते हैं। थमिकों की मोल-भाव करने की शक्ति भी कम होती है। अतः पूँजीपति थमिकों का पेट काटकर अपना पेट बढ़ाते हैं। यदि पूँजीपति थमिकों को उचित

घनी के बेटे घनी, निर्धन के बेटे निर्धनता में पलते हैं और इस प्रकार उत्तराधिकार की प्रथा के कारण आर्थिक असमानता स्थायी बनी रहती है। आय की विषमता वय की विषमता ही नहीं बनी बरन् बढ़ती जाती है क्योंकि घन में बहुगुणित होने की प्रवृत्ति होती है। पैसा ही पैसा कमाता है और आय तथा सम्पत्ति की असमानता बढ़ती है। प्रो टाजिग ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है “यह (उत्तराधिकार) प्रथा ही पूजा और आय अर्जित करने वाली सम्पत्तियों की आय असमानताओं को स्थायित्व प्रदान करती है तथा घनी एवं निर्धनों के मध्य व्याप्त गहरी खाई को व्याख्या करती है।” अतः यह कहना युक्तिमत्त है कि उत्तराधिकार प्रथा आय और सम्पत्ति में विषमता को बढ़ाने तथा असमानता को स्थायित्व प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण घटक है।

(8) विविध—आर्थिक असमानता को जन्म देने में तथा उन्हें बढ़ाने में कुछ अन्य कारण भी हैं जिन्हें यद्यपि महत्वपूर्ण तो नहीं माना जा सकता परन्तु आर्थिक विषमता बढ़ाने में इन कारणों का भी गूनाधिक योगदान रहा है। निर्धन देशों में ये कारण महत्वपूर्ण हैं—

(i) विपत्तियों की असमानता—कुछ व्यक्तियों की लम्बी बीमारी, दुर्घटना अथवा आकस्मिक मृत्यु से आय का स्रोत अवरुद्ध हो जाता है जबकि स्वस्थ एवं दीर्घायु वाले व्यक्तियों की आय का स्रोत निरन्तर बना रहता है। इन दो असमानताओं से घन एवं आय की विषमता उत्पन्न होती है व बढ़ती है।

(ii) मुद्रा-स्फीति (Inflation)—यह भी समाज में धन के वितरण को प्रभावित कर आर्थिक असमानता में वृद्धि करता है। आर्थिक तेजी धनिकों के पक्ष में आर्थिक साधना को मनमाने ढंग से वितरण करती है जबकि ग्रामिकों व निर्धनों को तेजी वान में आय का कम भाग मिलता है। मुद्रा-स्फीति की तुलना ऐसे लुटेरे से की जा सकती है जो गरीबों को लूटकर धनिकों को साधन देता है।

(iii) मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी (Profiteering and Black Marketing)—ये मुद्रा-स्फीति की ही उपज हैं जिसके कारण व्यापारी एवं उद्योग-पति बाजार में वृद्धि कम की उत्पन्न कर मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी से अत्यधिक धन अर्जित कर लेते हैं। सट्टाबाजरी आदि भी उसमें सहभाग होते हैं।

(iv) करों की चोरी—घनी, व्यापारी एवं उद्योगपति सट्टे, कालाबाजारी एवं वृद्धि वषी में प्राप्त मुनाफों को अर्जित करक भी उन पर कर नहीं देते जबकि ऊँची करारोपण व्यवस्था में ईमानदार व्यक्तियों की आय घट जाती है अतः बड़े पैमाने पर करों की चोरी करने वालों की आय तेजी से बढ़ती है और अन्ततः आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है।

(v) जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)—विविध आय वर्गों के लोगों की आर्थिक विषमता में वृद्धि का एक कारण जनसंख्या विस्फोट भी माना जाता है क्योंकि निम्न आय वर्ग में ऊँची जन्म दर तथा ऊँची आय वाले वर्ग में

अपेक्षाकृत नीची जन्म दर से गरीबों में जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि से आर्थिक असमानता बढ़ी है ।

(vi) गतिशीलता में अन्तर (Difference in Mobility)—सामान्यतः जिन व्यक्तियों में अत्यधिक गतिशीलता होती है उनकी आय उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ती है जो गतिहीन या बहुत कम गतिशील होते हैं । साहसी एवं गतिशील श्रमिकों व व्यवसायियों की आय गरीब एवं गतिहीन व्यवसायियों के मुकाबले अधिक बढ़ी है ।

(vii) बेरोजगारी एवं भाग्य—जो व्यक्ति रोजगार में है अथवा जिनका भाग्य साध देता है उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती जाती है जबकि बेरोजगार एवं भाग्यहीन की आय का स्रोत न होने से गरीबी बढ़ती है । परिणामस्वरूप आर्थिक विषमता बढ़ती है । रक से राजा और राजा से रक भाग्य की देन है ।

आर्थिक विषमता के दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव (Consequences or Evil Effects of Economic Inequality)

अथवा

आर्थिक समानता क्यों हो ? (Why Economic Equality ?)

या

आर्थिक विषमता के विपक्ष में तर्क¹

(Arguments Against Economic Inequality)

आर्थिक विषमता एक सम्य एवं कल्याणकारी समाज के लिए कलक है । आर्थिक विषमता सामाजिक न्याय और नैतिक दृष्टि से भी अनपेक्षित है । पूँजीवादी राष्ट्रों में व्याप्त आर्थिक असमानताओं ने आर्थिक शोषण, राजनैतिक केन्द्रीकरण, सामाजिक अन्ध्याय एवं नैतिक पतन को जन्म दिया है और यही कारण है कि अब पूँजीवादी राष्ट्र भी आर्थिक विषमता को अभिशाप मानने लगे हैं । आर्थिक विषमता निम्न दुष्प्रभावों को जन्म देती है—

1. आर्थिक साधनों का समुचित वितरण एवं सामाजिक अक्षय्य (Misallocation of Resources and Social Waste)—आर्थिक विषमता की स्थिति में देश की क्रयशक्ति धनिकों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है और वे बाजार माँग को प्रभावित करते हैं । उत्पादक कीमत-प्रक्रिया से प्रभावित होकर देश के आर्थिक साधनों का प्रयोग समृद्ध वर्ग के लिए विलासिताओं के उत्पादन के लिए करते हैं तथा निर्धनों की अनिवार्यताओं की भी अज्ञानता की जाती है । देश के आर्थिक साधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं की दृष्टि के लिए न होकर विलासिताओं की दृष्टि के लिए अधिक होता है । धनिकों को अधिक खाने को मिलता है जबकि निर्धन भूखे रहते हैं इस प्रकार देश के आर्थिक साधन अधिक उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों से

¹. इस शीर्षक का हम यो भी लिख सकते हैं आर्थिक समानता के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Economic Equality.)

हट कर कम महत्वपूर्ण, विलासिताप्रो घोर अनुपयोगी कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। साधनों का यह अनुचित वितरण सामाजिक अपव्यय को जन्म देता है। आर्थिक समानता साधनों के अनुचित वितरण से सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है।

2 उत्पादन शक्ति का ह्रास (Loss in Production Power)—आर्थिक असमानता अर्थव्यवस्था के दोनों सिरों (धनी वर्ग और निर्धन वर्ग) की उत्पादन शक्ति में कमी लाती है। एक ओर निर्धन व्यक्तियों के अल्प-शोषण (Under-nourishment) वस्त्राभाव तथा अनुपयुक्त आवास व्यवस्था के कारण उनमें व्यसन, अपराध और बदले की भावना पनपती है, स्वास्थ्य गिरता है और बीमारियाँ बढ़ती हैं। इनसे पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पादन शक्ति में निरन्तर ह्रास होता जाता है। वहाँ दूसरी ओर धनी वर्ग में विलानितापूर्ण जीवन, चरित्र हीनता और परोपजीवी प्रवृत्ति से शारीरिक एवं मानसिक निष्क्रियता बढ़ती है। इस प्रकार एक ओर विपुल सम्पत्ति आर्थिक निष्क्रियता को बढ़ाती है तो दूसरी ओर निर्धनता में व्यक्ति जीवन के प्रति रुचि ही खा बैठता है। परिणाम यह होता है कि आर्थिक सीढ़ी (Economic Ladder) के दोनों सिरों पर उत्पादन शक्ति में कमी से देश की उत्पादन शक्ति में ह्रास होता है। अतः देश की उत्पादन शक्ति में निरन्तर वृद्धि के लिए आर्थिक समानता वाञ्छनीय है। आर्थिक विषमता अनुपयुक्त है।

3 अवसरों की असमानता (Inequality of Opportunities)—आर्थिक असमानता न केवल उत्पादन शक्ति में कमी लाती है वरन् यह अवसरों की असमानता भी उत्पन्न करती है। साधन सम्पन्न व्यक्ति अपने बच्चा को उचित शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर उन्हें उच्च वेतन वाले रोजगारों में भेज सकते हैं जबकि निर्धन व्यक्ति अपने बच्चे के लिए उभयुक्त सुविधायें जुटाने में प्रायः असमर्थ होते हैं और उन्हें निम्न वेतन स्तर वाले रोजगारों में ही सन्तोष करना पड़ता है। इस प्रकार एक ओर अवसरों की प्राप्ति से धनी अधिक धनी और साधन सम्पन्न होते जाते हैं और गरीब पर्याप्त अवसरों के अभाव में पिछड़ जाता है और दरिद्रता के चंगुल में नहीं निकल पाता।

4 वर्गभेद (Social Stratification)—आर्थिक असमानता में समाज तीन मुख्य वर्गों में बंट जाता है—निर्धन मध्यम वर्ग और उच्च धनी वर्ग। समाज का यह वर्गीकरण उनमें परस्पर वैमनस्य, असंतोष और घृणा को पनपाता है। इन्हीं लिये आर्थिक समानता वर्ग विभेद के निराकरण और अवसरों की समानता के लिये उपयोगी मानी जाती है।

5 वर्ग संघर्ष को बढ़ावा एवं सामाजिक असंतोष (Class Conflict & Social Discontent) आर्थिक विषमता में आय और धन की असमानता समाज में वर्ग विभेद ही नहीं करती बल्कि उनमें परस्पर द्वेष, घृणा और असंतोष की भावना को उभाड़ती है। बहुसंख्यक निर्धन धनिकों के शोषण के विरुद्ध संगठित

होते हैं। उनमें असन्तोष और डोप का शोला खूनी क्रांति की आग भड़काता है। रूस में 1917 की खूनी क्रांति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। काल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Das Capital' में पूँजीवाद के समापन के पीछे आर्थिक विषमता और आर्थिक शोषण को महत्वपूर्ण घटक माना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक असमानता समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देकर क्रांतिकारी आन्दोलनों व साम्यवादी खूनी क्रांतियों को आमंत्रण देती है। इसीलिए वर्ग संघर्ष के समापन, सामाजिक सतुष्टि एवं क्रांति के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है।

6 आर्थिक विषमता से और अधिक विषमता बढ़ती है (Economic Inequality Increases Inequality Rapidly)—प्राय और धन की असमानता का एक दुष्प्रभाव यह भी है कि इससे समाज में धनी व्यक्ति अधिक धनी और गरीब व्यक्ति अधिक गरीब होने जाते हैं। साधन सम्पन्न धनी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति और साधना के कारण उच्चतर अवसर एवं रोजगार में अपनी आय और सम्पत्ति को निरन्तर बढ़ाता है जबकि निर्धन अपनी निधनता के कुचक्र में घिसता रहता है और पीढ़ी दर-पीढ़ी निधन बनत रहने हैं। इसके कारण आर्थिक विषमता में निरन्तरता एवं स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण प्रो पीगू (Pigou) का यह कथन युक्तिमत्त लगता है कि 'एक पीढ़ी में आय की असमानता केवल एक दोष नहीं है बल्कि इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह दूसरी पीढ़ी में भी विषमता का कारण है। अतः आर्थिक असमानता से ही नाबो विषमता समापन निहित है।'

7 आर्थिक असुरक्षा (Economic Insecurity)—आर्थिक विषमता का एक बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि समाज का एक प्रमुख बहुतांश निर्धन वर्ग आर्थिक सुरक्षा के अभाव में जीवनयापन करता है। धन और आय के अभाव में बेकारी, भूखमरी, बीमारी, बुढ़ापा दुःखटना और मृत्यु आदि परिस्थितियों में उसका तथा उसके परिवार का जीवन आर्थिक असुरक्षा में फँस जाता है। उनके बच्चे गरीबी के त्रये बिलखते हैं। बीमारी में वे तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं और अपने आश्रितों को अमहाय छोड़ जाते हैं। उन्हें नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है अतः आर्थिक सुरक्षा के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है।

8 बेरोजगारी और अधिक मंदी का भय (Danger of Economic Depression and Unemployment)—आर्थिक असमानता आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का भय भी उत्पन्न करती है। आर्थिक विषमता से श्रेय शक्ति धनिकों के पास केन्द्रित हो जाती है और वे ही बाजार में प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) को निर्धारित करते हैं। प्रो वीस ने सर्वप्रथम इस तथ्य को स्पष्ट किया कि ज्यो ज्यो व्यक्ति की आय बढ़ती है उसकी सीमांत उपभोग क्षमता (Marginal Propensity to Consume) कम होती जाती है और बचन की क्षमता (Propensity to Save) बढ़नी जाती है। उपभोग की क्षमता कम

होने तथा बचन की क्षमता बढ़ने से बचत और विनियोग में असंतुलन हो जाता है। बचत बढ़ने और विनियोग घटने का परिणाम यह होता है कि प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है और उद्योगों व व्यवसायों में मंदी और बेरोजगारी का कुचक्र प्रारम्भ होता है। 1930 की आर्थिक मंदी इस स्थिति की परिचायक है। मंदी और बेरोजगारी के निवारण के लिये स्वयं प्रो कीन्स (Keynes) ने आय की असमानता को समाप्त करने की सलाह दी क्योंकि निर्धनों की उपभोग क्षमता बहुत होनी है और अगर उन्हें ऋण-शक्ति का हस्तान्तरण किया जाय तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से विनियोग, रोजगार और आय वृद्धि में आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों की समाप्ति में सहायक होगी। प्रो बौलिंग (Boulding) ने ठीक ही कहा है 'एक नये समाज को आवश्यक रूप से समाजवादी होना चाहिए अन्यथा वह अपनी सम्पन्नता बेरोजगारी से कुचल देगा।'

9. आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण (Concentration of Economic and Political Power)—आय और धन की विपमता से आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण धनी व्यक्तियों के पास हो जाता है। ऐसे के बल पर चुनाव जीते जाते हैं, उच्च पद खरीदे जा सकते हैं। यहाँ तक कि रिश्वत से राजनीतिज्ञों और उच्च प्रशासकों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने को बाध्य किया जा सकता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में धनी अपने साधनों का दुरुपयोग कर राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कर लेते हैं। भारत में डॉ. हजारे ने प्रतिवेदन में विडलाग्रो के आर्थिक केन्द्रीकरण का रहस्योद्घाटन किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि निर्धन माधनों के अभाव में न राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकता है और न आर्थिक सत्ता ही। आर्थिक समानता होने पर देश के सभी वर्गों को अपने व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा और योग्यता के विकास का समान अवसर मिलता है।

10. लोक-कल्याण में कमी (Reduction in Public Welfare)—आर्थिक विपमता का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि आर्थिक एवं गैर-आर्थिक कल्याण में कमी होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्रियाशील होने से धनवानों के लिए तो द्रव्य की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कुछ ही धनिकों के पास अपार सम्पत्ति एवं धन से उन्हें उतनी उपयोगिता नहीं मिलती जितनी समाज को धन के समान वितरण से बृहत्तर माध्यम में उच्च सीमांत उपयोगिता के कारण मिल जाती। अतः धनिकों की आय एवं सम्पत्ति की गरीबों व मध्य वितरण में अथवा सीमान्त उपयोगिता कुल लोक कल्याण में वृद्धि करेगी। इसी प्रकार समाज में धृष्टता, ईसन्नस्य और शोषण की भावना आर्थिक विपमता का दुष्परिणाम है और इनमें गैर-आर्थिक कल्याण का ह्रास होता है। अगर देश में धन एवं सम्पत्ति का समान वितरण हो तो लोगों में जीवन के प्रति रुचि, मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं सद्भावना भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगी। नैदानिक दृष्टि से आय और सम्पत्ति का वितरण तब आदर्श कहा जाता है जब (1) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं

को सन्तुष्ट करने का समान अवसर हो, (ii) प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक सन्तुष्टि समान हो तथा (iii) प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यय किये जाने वाले द्रव्य की समान सीमात उपयोगिया प्राप्त हो।

11 जीवन स्तर में भिन्नता (Difference in Standard of Living)—
 आर्थिक विषमता के कारण एक धनी व्यक्ति अपने अगार वैभव एवं सम्पत्ति से अच्छा भोजन, रहने की उत्तम व्यवस्था, उच्च शिक्षा-दीक्षा तथा उत्कृष्ट उपभोग से अपना जीवन स्तर बहुत ऊँचा एवं विलासितापूर्ण बना लेते हैं, जबकि दूसरी ओर निर्धन साधनों के अभाव में भूखे, नंगे और प्यासे रहने हैं। रहने के लिये नीला आकाश और सोने के लिए धरती होती है। उन्हें अपने जीवनयापन के साधन ही नहीं मिल पाते अतः उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा होता है। समाज में बहुत बड़े वर्ग को न्यूनतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं होता। धनी अधिक खाने से दुखी हैं और निर्धन खाने के अभाव में दुखी हैं। दोनों में अशांति है। भारत में विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में घोर अन्तर का कारण आर्थिक विषमता है।

12 सामाजिक एवं नैतिक अन्याय (Social and Moral Injustice)—
 आर्थिक विषमता सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि में भी अन्यायपूर्ण है क्योंकि जहाँ एक ओर धनी व्यक्तियों को बिना विशेष प्रयासों के विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है वहाँ दूसरी ओर कठोर परिश्रम और रात-दिन काम करने पर भी निर्धनों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। समाज का अत्यसह्यक धनी वर्ग बहुसह्यक निर्धन वर्ग के शोषण व परिश्रम की कमाई में गुलछरों उड़ाता है। यह सामाजिक अन्याय नहीं तो और क्या है ?

नैतिक दृष्टि से भी आर्थिक विषमता अन्यायपूर्ण ही है क्योंकि जहाँ अत्यधिक वैभव, विलासिताओं, व्यसनो एवं अनैतिक भ्रष्ट प्रवृत्तियों को बढ़ाता है वहाँ निर्धनता में वैश्यावृत्ति, अपराध एवं आत्म हत्याएँ बढ़ती हैं। सम्पूर्ण समाज अनैतिकता के गर्त में गिर जाता है। अतः आर्थिक विषमता नैतिकता की दृष्टि से भी अनपेक्षित है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि श्राय एव सम्पत्ति की विषमता आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से अनुपयुक्त है क्योंकि इससे देश के उत्पादक साधनों का अनुचित वितरण सामाजिक अपस्यय को बढ़ाता है, जीवन स्तर में कमी करता है, देश की भावी पीढ़ी को उत्पादन क्षमता कम करता है और अन्ततः सामाजिक कल्याण का ह्रास होता है। बहुसह्यक निर्धनों का असन्तोष खूनी आन्ति और भारी उथल-पुथल को जन्म देता है अतः आर्थिक विषमता का निराकरण करना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है।

आर्थिक विषमता (असमान वितरण) के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Economic Inequality)

यद्यपि आर्थिक विषमता को अभिशाप माना है फिर भी पूँजीवाद के कुछ समर्थक आर्थिक विषमता के पक्ष में तर्क देकर सत्य पर पदा डालने का असफल प्रयास करते हैं। उनके अनुसार अप्रतिबन्धित तर्क उल्लेखनीय हैं—

1 बचत और विनियोग में कमी का तर्क—आर्थिक विषमता के कारण धन का केन्द्रीकरण धनी वर्ग के पास ही जाता है। उच्च आय स्तर पर बचाने की क्षमता अधिक होती है। अतः समृद्ध वर्ग बचतों को बढ़ाते हैं और उन बचतों का विनियोग करते हैं जिससे रोजगार और आय बढ़ती है। अगर धन का वितरण समान हो तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी और उपभोग क्षमता अधिक होने में बचत की प्रवृत्ति पर प्रहार होगा, विनियोग घटेगा तथा देश में निर्धनता बनी रहूगी। पर अगर इस तर्क को हम प्रो. कीन्ग के अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट होता है कि आर्थिक विषमता में बहुसंख्यक निर्धन वर्ग के कारण प्रभावपूर्ण मांग कम होने से रोजगार, आय, विनियोग और बचत सब गिर जाते हैं अतः उन्होंने स्वयं आर्थिक विषमता कम करने की सलाह दी थी। प्रो. बोल्टिडिंग (K. E. Boulding) ने ता यहा तक कहा है “एक धनी समाज को आवश्यक रूप से समाजवादी होना चाहिए अन्यथा वह अपनी समृद्धि बेकारों से खो बैठेगा।”¹

2 जीवन स्तर में ह्रास और निर्धनता की वृद्धि का रिफार्ड—यह तर्क निर्धनता की समस्या को असमानता की समस्या का दूसरा रूप मानकर चलता है। अगर देश की राष्ट्रीय आय को समानरूप से विकसित किया जाय तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। इसमें उत्पादन, बचत, विनियोग, रोजगार एवं जीवन स्तर सबका स्तर नीचा होगा और निर्धनता पीढ़ी दर-पीढ़ी बनी रहेगी। जैसे अगर भारत में कुल राष्ट्रीय आय को 65 करोड़ जनसंख्या में विभाजित किया जाय तो प्रति व्यक्ति आय लगभग 1080 रु. आती है। यह उपाय तो कृता समाज (Crude Socialism) ही है, असमानता को कम करने के बजाय उत्पादन वृद्धि पर बल दिये जाने की बात नहीं जाती है। इस तर्क में कुछ सत्यता अवश्य है।

3 उत्पादन प्रोत्साहन का तर्क—समाज में आर्थिक विषमता उत्पादकों को अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन देती है। लोगों में समृद्ध बनने की होड़ लगती है। अतः अधिक आय उपाजन के साधन खोजने का प्रयास किया जाता है। नयी-नयी वस्तुओं, उत्पादन पद्धतियों, उन्नत उत्पादन तरीकों, नये बाजारों तथा नये विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है इससे देश में उत्पादन बढ़ता है। केवल उद्योगपति एवं व्यापारी ही लाभान्वित नहीं होते पर साथ ही श्रमिकों को भी रोजगार मिलता है, वे भी कुशलता बढ़ाकर अधिक आय उपाजन करने का प्रयास करते हैं। निजी सम्पत्ति का जादू मिट्टी को भी सोना बनाने का प्रयास करता है।

इस तर्क में काफी सत्यता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तो यह आधार ही है। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी इसके महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इस

1. A rich society must be equalitarian or it will spill its riches in unemployment

तर्क को देश की समृद्धी उत्पादन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाने पर यह तथ्य सामने आता है कि आर्थिक विषमता से देश में आर्थिक साधनों का समुचित वितरण सामाजिक अपव्यय को बढ़ाता है। सामाजिक असन्तोष चरित्रहीनता नैतिक पतन और बहुसंख्यक निर्धन वर्ग की उत्पादन क्षमता में ह्रास एवं मिलकर सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था को ही अस्त-व्यस्त कर देते हैं। अतः यह तर्क भी विशेष महत्त्व नहीं रखता।

पूर्ण समानता नहीं अपितु आर्थिक विषमता (असमानता)

में कमी आदर्श होना चाहिये ।

(No Perfect Equality but Reduction in Economic Inequality should be the Ideal)

आर्थिक विषमता के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों पर निष्पक्ष रूप से दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विषमता किसी भी सम्यक् समाज के लिये अभिशाप एवं क्लृप्तक है। जहाँ एक ओर आर्थिक विषमता से बचत और विनियोग में वृद्धि तथा उत्पादन को प्रोत्साहन की कल्पना की जाती है वहाँ दूसरी ओर आर्थिक विषमता में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न भिन्न होने का भय व्याप्त रहता है। आर्थिक विषमता से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक केन्द्रीयकरण आर्थिक साधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है, आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न होती है, समाज के बहुसंख्यक निर्धन वर्ग में असन्तोष व विरोध की ज्वाला भभकती है, समाज नैतिक पतन के गर्त में गिरता जाता है अतः आर्थिक विषमता में कमी करना वाछनीय हो जाता है।

आर्थिक विषमता की समाप्ति का अभिप्राय यह कतई नहीं है कि पूर्ण समानता अथवा गणितात्मक समानता स्थापित की जाय। यह न तो संभव ही है और न वाछनीय ही है। स्वयं समाजवादी राष्ट्र रूस ने भी अनुभव किया कि आय में पूर्ण समानता स्थापित करना अनुपयुक्त है। निपुण एवं अनिपुण, योग्य एवं अयोग्य, श्रेष्ठ और सामान्य व्यक्तियों की मजदूरी एवं वेतन में कुछ अन्तर आवश्यक है क्योंकि कार्यात्मक असमानताओं (Functional inequalities) के बिना उत्तरदायी तथा कुशल धर्म शक्ति का विकास संभव नहीं होता। उत्पादन में प्रोत्साहन, कार्य-कुशलता में वृद्धि तथा उत्तरदायित्व की भावना के प्रोत्साहन के लिये कार्यात्मक असमानताओं का विद्यमान होना आर्थिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से अनिवार्य है, चाहे अर्थव्यवस्था समाजवादी हो या पूँजीवादी।

यद्यपि समाजवादो अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति का प्रभाव होता है पर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का तो यह मुख्य आधार ही है। अतः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति, आय एवं सम्पत्ति की विषमता का महत्त्वपूर्ण घटक है। सम्पत्ति स्वामित्व की भावना शोषण को बढ़ावा देती है। पूँजीवाद के उत्थान एवं पतन का इतिहास यह सिद्ध करता है कि निजी लाभ की पूर्ति में सार्वजनिक हित की बलि दे दी जाती है जिससे सामाजिक कल्याण कम होता है। इसी कारण निजी सम्पत्ति एवं पूँजी स्वामित्व को यथासंभव कम करने की भावना प्रबल है। आधुनिक सामाजिक

सामाजिक नैतिकता निजी सम्पत्ति के अधिकार को परम पवित्र नहीं मानती अपितु निजी सम्पत्ति अधिकार को सामाजिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में देखती है और इसी कारण निजी सम्पत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति की विषमता को कम करने के प्रयास प्रबल हैं।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि सम्पत्ति के कारण उत्पन्न असमानताओं को तेजी से कम करने या समाप्त करने के लिये अहिंसात्मक तरीकों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिये पर निपुणता और कुशलता के कारण उत्पन्न कार्मात्मक असमानताओं (Functional Inequalities) को कम करना अबाध्यनीय है। प्रो. लेविस (Lewis) ने कहा है 'यदि कोई समाज भ्रालक्ष्य की तुलना में कठोर परिश्रम व लिये और अयोग्यता की तुलना में योग्यता अथवा बुद्धिमानों के लिए अधिक प्रतिफल (Reward) नहीं देता वह समाज शीघ्र ही गरीबी के गर्त में पड़ जाएगा।' अतः पूर्ण आर्थिक समानता नहीं अपितु आर्थिक असमानता में कमी ही आदर्श होना चाहिये। आज विश्व के सभी कल्याणकारी राष्ट्रों में आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करने के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

आर्थिक विषमता (असमानता) में कमी के उपाय (Measures for Reducing Economic Inequalities)

आर्थिक असमानता प्रत्येक सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और इसके दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए समाजवादी एवं पूँजीवादी सभी अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करने में प्रयत्नशील हैं। समाजवादी एवं साम्यवादी राष्ट्रों में आर्थिक विषमता को समाप्ति के लिए मार्क्स के उग्र उपायों (Extreme Measures) का सहारा लिया गया है और उन सब तत्वों का ही उन्मूलन कर दिया गया है जो आर्थिक विषमता को बढ़ाते तथा उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। पूँजीवादी राष्ट्रों में भी अनेक उदार उपायों (Moderate Measures) का सहारा लिया गया है पर वे आर्थिक विषमता को प्रभावी रूप से कम करने में अपर्याप्त ही हैं। अध्ययन की दृष्टि से आर्थिक विषमता को कम करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले तरीकों को हम दो वर्गों में बाट सकते हैं—(A) समाजवादी या साम्यवादी उग्र उपाय तथा (B) पूँजीवादी उदार उपाय। दोनों का विवेचन इस प्रकार है—

(A) समाजवाद या साम्यवाद के अन्तर्गत उग्र उपाय (Extreme Measures Under Socialism or Communism)

काल मार्क्स के सिद्धान्तों के समर्थक समाजवादी या साम्यवादी आर्थिक विषमता की समाप्ति के लिए उग्र उपायों का सहारा लेते हैं। वे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की उन संस्थाओं (Institution) का पूर्ण उन्मूलन करने पर जोर देते हैं जो आर्थिक विषमता के प्रोत्साहक तत्व हैं। इसके अन्तर्गत व निजी लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उत्तराधिकार संस्था आदि को ही समाप्त कर सम्पत्ति एवं उत्पत्ति के

साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की सिफारिश करते हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं के उन्मूलन से सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली आर्थिक विषमता की समाप्ति सम्भव होती है।

श्राय में असमानता के निराकरण के लिए साम्यवादी एवं समाजवादी दो विचलन प्रस्तुत करते हैं—

1. सभी व्यक्तियों को समान श्राय—इस उग्र विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना उसके जाति, धर्म, लिंग, ध्यवसाय, शक्ति आदि का भेद करते हुए समान श्राय प्रदान करने की बात कहते हैं, पर श्राय की यह पूर्ण समानता न तो सम्भव है और न वाछनीय ही। क्योंकि (i) यह रीति उत्पादन प्रेरणा की अवहेलना करती है, (ii) कार्यात्मक असमानता (Functional Disparity) को महत्व नहीं देती तथा (iii) समाज के भावी विकास में बाधक है।

2. आवश्यकतानुसार श्राय—इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार दिया जाये चाहे वह उतना कमाता हो या नहीं। इसमें साम्यवाद के सिद्धांत 'Each According to Need & Each According to Capacity' का पालन होता है। पर यह सिद्धांत व्यवहार में कठिन और दोषपूर्ण है क्योंकि (i) विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं उनकी कितनी आवश्यकताओं को आधार माना जाय, (ii) मनुष्य की आवश्यकताएँ व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करती हैं। अतः उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, तथा (iii) यह रीति केवल आवश्यकता पर ध्यान देती है, व्यक्तियों की योग्यता एवं क्षमता की अवहेलना करती है जिससे उत्पादन में प्रेरणा का अभाव रहता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजवादी उग्र उपाय आर्थिक विषमता को कम करने में काफी सफल माने जाते हैं। आज समाजवादी राष्ट्रों में आर्थिक विषमता पूँजीवादी प्रथमव्यवस्थाओं की तुलना में नगण्य है। आर्थिक समानता के कारण वे तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुए हैं।

(B) पूँजीवादी प्रथमव्यवस्था के अन्तर्गत उदार उपाय (Moderate Measures under Capitalism)

पूँजीवाद के समर्थक आर्थिक विषमता में निहित सामाजिक लाभों (Social Advantages) को ध्यान में रखते हुए श्राय और सम्पत्ति के वितरण में असमानता को पूर्णतया समाप्त करना नहीं चाहते वरन् वे आर्थिक विषमता को समाज के सहन करने योग्य न्यूनतम स्तर तक करने के उदार उपायों का सहारा लेते हैं।

पूँजीवादी प्रथमव्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक विषमता को कम करने के लिए समस्या पर द्वि-दिशा आक्रमण (Two Pronged Attack) की आवश्यकता है। पहली दिशा में सम्पत्ति और श्रायों में अत्यधिक असमानताओं को कम करना जिससे आर्थिक विषमता में स्वायत्त एवं वृद्धि हो तथा दूसरी दिशा में निर्यातों की श्राय,

उत्पादन क्षमता एवं धनोपाजन गतिविधियों की वृद्धि। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के दो सिरो के अन्तराल को पाटने से सहायता मिलती है।

(क) अत्यधिक सम्पत्ति और आयों में कमी द्वारा आर्थिक असमानता को कम करना

(Levelling Down Excessively Large Wealth & Incomes for Reducing Economic Inequality)

इसके अन्तर्गत (i) अनाजित आय पर प्रगतिशील करारोपण, (ii) सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण तथा (iii) आय की उत्पत्ति में समृद्ध वर्ग की आय में कमी करना आदि हैं। इसके अन्तर्गत समृद्धि पर नियन्त्रण रखा जाता है। जैसे—

1. अनाजित आयों पर प्रगतिशील करारोपण (Progressive Taxation on Unearned Incomes)—आय व सम्पत्ति की असमानता को कम करने के लिये उन अनाजित आयों पर ऊँची एवं प्रगतिशील दरों से करारोपण किया जाय जिनके उपाजन में व्यक्तिगत परिश्रम एवं योग्यता की कम आवश्यकता होती हो जैसे भूमि के कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से लाभ, लगान से प्राप्त आय, सट्टा एवं कालाबाजारी से अनपेक्षित व्यावसायिक लाभ तथा एकाधिकारी लाभ पर ऊँची दर से कर लगाना चाहिये।

2. धन एवं सम्पत्ति के उत्तराधिकार एवं हस्तान्तरण पर प्रभावी नियन्त्रण (Effective Control Over Inheritance & Transfer of Wealth & Property)—आर्थिक विषमता को शाश्वत बनाने वाला मुख्य तत्व निजी सम्पत्ति का उत्तराधिकार है। अतः आय की विषमता को कम करने के लिये मृत्यु कर के रूप में बहुत ऊँची दरों में करारोपण जैसे भारत में मृत्यु कर (Death Duties), स्वामित्वाधिकार को हस्तान्तरण करने पर उपहार कर (Gift Tax) आदि का महारा लिया जाता है।

3. निजी सम्पत्ति के स्वामित्व को सीमित करना (Restriction of Ownership of Private Property)—निजी सम्पत्ति का अधिकार न केवल आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ाता है वरन् सम्पत्ति के स्वामित्व में आयों में असमानता बढ़ती है। अतः सम्पत्ति स्वामित्व की सीमितता आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है। भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जोत की अधिकतम सीमा (Ceiling on Holdings), शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा (Ceiling on Urban Properties), एकाधिकारी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण करना आदि है। इसी प्रकार बिना मुआवजा दिये सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना भी आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है।

4. समृद्ध वर्ग की आय कम करने का उपाय—इसके अन्तर्गत उन उपायों का सम्मिश्रण होना है जो राष्ट्रीय आय में समृद्ध वर्ग की आय के भाग को कम करते

हैं। इनमें (i) ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करना (ii) भूमि लगान दरों में कमी करना तथा (iii) अधिकतम लाभ की सीमा निर्धारित करना ताकि समृद्ध वर्ग की आय उपाजर्जन क्षमता घट जाय और आर्थिक असमानता को कम करने में सहायता मिले।

5 प्रगतिशील करारोपण (Progressive Taxation)—सम्पत्ति एवं आय की असमानता को कम करने के लिए अमीरों पर प्रगतिशील करारोपण की नीति अपनायाना चाहिये। एक निश्चित सीमा तक आय को कर मुक्त रखकर उसके बाद आय में उत्तरोत्तर वृद्धि पर उत्तरोत्तर ऊँची दरों से कर वसूल करने से आय की असमानताओं को दूर किया जा सकता है और बरों की उस आय को निधनों के आर्थिक विकास में प्रयुक्त किया जाना चाहिये।

(ख) निम्न आय वर्गों की आयों में वृद्धि करना

(Levelling up the Incomes of Lower Ladder of Economy for Reducing Inequality)

आर्थिक विषमता को बर्नी केवल समृद्ध वर्गों की समृद्धि कम करने में ही नहीं बरन् निर्धन व्यक्तियों की समृद्धि बढ़ाने में भी निहित है। अतः यह यत्नात्मक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऊपर दिया गया ऋणात्मक पहलू। निम्न वर्ग के न्यूनतम आय स्तर को उठाने के लिये निम्न उपाय उल्लेखनीय हैं—

1 मजदूरी दरों में वृद्धि (Raising of Wages Level)—उद्योग एवं व्यवसायों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम तथा उचित मजदूरी, अधिनियमों के लागू करने से श्रमिकों की आय में न्यायोचित वृद्धि का अवसर मिलता है और इसी प्रकार श्रम संगठनों का निर्माण भी धनी व्यक्तियों की शोषण प्रवृत्ति को सीमित करता है। श्रमिकों को श्रम की उत्पादकता के बराबर प्रतिफल दिया जाने पर श्रमिकों की आय बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप आय असमानता में ह्रास होता है।

2 सामाजिक सुरक्षा (Social Security)—मानवता के पाषाण महान् शत्रु—बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना एवं मृत्यु हैं। इनकी विपत्ति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव निर्धन वर्ग पर पड़ता है। इन विपत्तियों से सुरक्षा के लिये सरकार को एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिये जिससे निर्धनों की आय में वृद्धि हो।

3 सामाजिक सेवाओं का विस्तार (Extension of Social Services) निर्धनों की आय वृद्धि का एक सुगम उपाय यह है कि सरकार अपनी व्यक्तियों से प्राप्त आय (Revenue) को ऐसी सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर व्यय करे जिनका लाभ निर्धन-वर्ग को अधिक मिले। इसके अन्तर्गत चिकित्सा, स्वस्थ, शिक्षा, मानव

केन्द्रों तथा शिशु गृहों की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करना आदि हैं। इससे दोहरा लाभ मिलेगा। एक ओर निर्धनों की भावी पीढ़ी की आय-अर्जन क्षमता बढ़ेगी और दूसरी ओर धनिकों के ऊँचे कर वसूली का औचित्य बनेगा।

4. आय उपाजन के अवसरों में वृद्धि (Increase in Opportunities for Earning)—निर्धन वर्ग को अपने व्यक्तित्व के विकास तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिये आवश्यक वातावरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार को बढ़ानी चाहिये। राजनीतिक प्रजातन्त्र तब तक निरर्थक है जब तक कि आर्थिक प्रजातन्त्र के अंतर्गत समाज के सभी सदस्यों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त न हों। इसके लिये निर्धनों के योग्य बच्चों को छात्र-वृत्ति, निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा, सुरक्षित स्थानों में वृद्धि आदि महत्वपूर्ण तरीके हैं।

5. निम्न आय वर्ग के सन्तानोत्पत्ति पर नियंत्रण—यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि निर्धनों की आय उपाजन की क्षमता कम, पर बच्चे उत्पादन की क्षमता अधिक होती है जिससे निर्धनता में स्थायित्व और निरन्तर वृद्धि होती है। अतः आर्थिक विषमता को कम करने के लिये सरकार को निम्न आय वर्ग में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम अपनाना चाहिये।

6. आर्थिक सहायता एवं अनुदान—सरकार को निर्धनों एवं पिछड़े वर्गों को अपने साधनों की वृद्धि के लिए आर्थिक सहायता तथा अनुदान प्रदान करना चाहिये। सरकार अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को कम रख सकती है या उन कार्यों पर व्यय हेतु सरकार ऋण दे जो उनकी समृद्धि में सहायक हों।

7. सामाजिक सुधार (Social Reforms)—निर्धन व्यक्ति सामाजिक रुढ़िवादिता और भाग्यवादिता से ग्रस्त होते हैं जिससे उनकी आय का सदुपयोग नहीं होता। सामाजिक कुरीतियों में सुधार एवं व्यसनो से मुक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता में कमी करने में सहायक होंगे।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्थिक असमानता की समस्या के हनन के लिये उपयुक्त दोहरे कार्यक्रम की ब्यूह रचना का अनुसरण करना हाण्ड। र्वने सम्पत्ति में व्याप्त असमानता को समाजवादी ढंग से समाप्त करना ही अधिक प्रभावी उपाय है क्योंकि आय में समानता के पूँजीवादी उदार उपाय अपेक्षाकृत अप्रभावी सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि समाजवादी राष्ट्रों में आर्थिक समानता पूँजीवादी राष्ट्रों की अपेक्षा वही अधिक है।

आर्थिक विषमता एवं आर्थिक विकास

(Economic Inequalities & Economic Development)

आर्थिक विषमता के विवेचन में प्रायः यह प्रश्न स्वामाधिक है कि आर्थिक विषमता का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका स्पष्ट उत्तर देना कठिन है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस स्थिति का विवेचन सशेष में इस प्रकार है—

पाश्चात्य राष्ट्रों में 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिककरण के पीछे आर्थिक असमानता एक प्रमुख तत्व थी। आविष्कारों, विदेशी व्यापार एवं उपनिवेशवाद से उत्पन्न लाभों का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में हुआ जिससे पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिला। श्रमिकों के असंगठित होने से उद्योगपति शोषण द्वारा अर्जित अधिकांश लाभ का पुनः विनियोग कर पूँजी विनियोग करते रहे और इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अब परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। श्रमिक संगठित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। प्रजातन्त्रीय सरकारें कल्याणकारी राज्य की स्थापना में प्रयत्नशील हैं। अधिक शोषण की प्रवृत्तियों का भारी विरोध किया जाता है। देश का धनी वर्ग प्रदर्शन प्रभाव (Demonstration effect) से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आर्थिक असमानता से 18वीं एवं 19वीं शताब्दी की भाँति ही विकास एवं पूँजी निर्माण की आशा करना व्यर्थ है फिर भी 20वीं शताब्दी के कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्द्ध विकसित देशों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक असमानता पूँजी-निर्माण एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि आय के असमान वितरण से अल्पसंख्यक धनिक एवं पूँजीपति वर्ग की बचत एवं विनियोग की क्षमता अधिक होती है जबकि आय के निम्न स्तर के कारण बहुत से गरीबों की ऊँची उपभोग प्रवृत्ति के कारण बचतें नगण्य होने से पूँजी निर्माण सम्भव नहीं हो पाता और न विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ऐसे देशों में समान वितरण आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है।

इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक समानता विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। धन के समान वितरण से श्रमिकों व बहुसंख्यक वर्ग का उपभोग एवं जीवन स्तर बढ़ता है, आर्थिक साधनों का उचित वितरण सामाजिक अपव्यय को कम करता है। धनी वर्ग के उत्कृष्ट उपयोग (Conspicuous Consumption) में कमी होती है। निर्धनों को अपने व्यक्तित्व विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है, उनमें मानसिक ज्ञान्ति उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। ये सब सामूहिक रूप से आर्थिक विकास को वृद्धि करते हैं। रूस और साम्यवादी राष्ट्रों में तीव्र गति से आर्थिक विकास इस विचारधारा की पुष्टि करते हैं।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि अल्पविकसित राष्ट्रों में जहाँ लोगों का आय और बचत का स्तर बहुत नीचा है उन राष्ट्रों में आर्थिक विकास के प्रारम्भिक स्तर पर असमान वितरण पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहन देता है। ऐसे देशों में समान वितरण आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। पर विकास की गति तेज होने तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में आय की असमानता पूँजी निर्माण को विशेष प्रोत्साहन नहीं देती। समाज में धन का न्यायोचित वितरण ही आर्थिक विकास में उपयुक्त माना जा सकता है।

भारत में आर्थिक असमानता को कम करने के लिये किये गये प्रयत्नों का मूल्यांकन

भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित हो सरकार ने देश में आय व धन की विषमता को कम करने के कई उपाय चालू किये हैं। कुछ प्रयत्न अत्यधिक सम्पत्ति और आयों में विषमता को कम करने से सम्बन्धित हैं तो कुछ प्रयत्न निर्धनों की आय और सम्पत्ति के स्तर को ऊँचा उठाने से सम्बन्धित है। इस प्रकार देश में ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों पद्धतियों का सहारा लिया गया है।

(1) प्रगतिशील करारोपण—देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में प्रगतिशीलता का सहारा लिया गया है। धनवानों पर न केवल करों की दरें प्रगतिशील हैं वरन् करों में विविधता भी है, जैसे सम्पत्ति कर, उपहार कर, मृत्यु कर, पूँजीगत लाभ कर, आय कर, व्यय कर आदि आदि। यही नहीं, भारत में व्यक्तिगत आय कर की अधिकतम सीमात दर 97.75% थी अब 66% है जो विश्व में काफी ऊँची दर है।

(2) सम्पत्ति का सीमा निर्धारण—सम्पत्ति की असमानता अधिक असमानता बढ़ाती है तो देश में शहरी एवं ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रयास प्रबल हैं। कृषि भूमि पर सीमित अधिनिमन लागू किये गये हैं तथा अतिरिक्त सम्पत्ति एवं भूमि को हस्तगत कर सार्वजनिक उपयोग में लिया जा रहा है या भूमिहीनों को भूमि आवंटित की जा रही है।

(3) एकाधिकार आयोग व लाइसेन्स नीति—एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने तथा आधिक सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को मिटाने के लिये एकाधिकार आयोग की स्थापना की गई तथा नये लाइसेन्स केवल छोटे व नये उद्योगपतियों को दिये जाने की प्रवृत्ति बढ़ाई जा रही है। सरकार स्वयं भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगी है। बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा आधिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर प्रभावी नियन्त्रण लगाये गये हैं।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है—जहाँ 1950-51 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 5 थी जिसमें केवल 29 करोड़ रु का विनियोग था पर अब सार्वजनिक क्षेत्र में 160 इकाइयाँ और उनमें 14000 करोड़ रु पूँजी लगी हुई है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आधिक विषमता को कम करने में अधिक उपयोगी है। आन्तरिक खाद्यान्न व्यापार तथा विदेशी व्यापार में भी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा रही है।

(5) लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुत्थान व विकास को अधिक महत्व दिया जा रहा है ताकि आय का वितरण अधिक न्यायोचित हो तथा आधिक साधनों व सम्पत्ति का केन्द्रीकरण कुछ ही हाथों में न हो जाय। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास पर अधिक धन दिया जा रहा है।

प्राय एव सम्पत्ति की असमानता

(6) राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ प्रबल हैं—इससे सांबंजानक लाभ में वृद्धि हो रही है। बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण, 20 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा अन्वेषण विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण, की बात भी जोर पकड़ती जा रही है।

(7) निधन तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अनेक एजेन्सियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, ध्यानवृत्तियाँ, ग्रन्थोदय, आर्थिक कल्याण योजनाएँ आदि उल्लेखनीय हैं।

(8) श्रमिकों को रोजगार एवं न्यूनतम वेतन की गारण्टी—पूँजीपतियों के शोषण से मुक्ति सम्बन्धी अनेक अधिनियम देश में पारित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाएँ चालू करना तथा ग्रामीण निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना क्षेत्रीय विषमता में कमी करने में योगदान कर रहा है।

(9) मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण के प्रयास प्रबल हैं। मूल्यों में स्थिरता के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं और जमाखोरी, मुनाफाखोरी जैसे आर्थिक अपराधियों के साथ सख्ती बरती जा रही है फिर भी पिछले एक वर्ष में महंगाई तेजी से बढ़ी है।

(10) भूतपूर्व राजाओं, जागीरदारों और जमींदारों की भूसम्पत्ति एवं सम्पत्ति की अधिकतम सीमा से प्रतिरिक्त सम्पत्ति को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रगति पर है।

(11) अनिवार्य एवं जीवन रक्षक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि कर नियंत्रित मूल्यों पर उनकी पूर्ति गरीबों के उत्थान में सहायक सिद्ध हुई है।

इन सब नीतियों के अनुसरण के बावजूद भी भारत में आर्थिक विषमता घटने के स्थान पर बढ़ी ही है। स्वयं सरकार इस बात को महसूस करती है कि योजनाबद्ध विकास का अधिक लाभ श्रमिकों को मिलने के कारण देश में गरीब और अमीर के बीच खाई अधिक चौड़ी हो गई है क्योंकि (i) भ्रष्टाचार के कारण बड़े उद्योगपतियों को अधिक लाइसेंस दिये गये हैं। (ii) हरित क्रांति का लाभ केवल समृद्ध किसानों को मिला है जबकि निर्धन किसान उसके लाभ से वंचित रहने से आर्थिक विषमता बढ़ी है। (iii) पुराने जागीरदारों की सम्पत्ति के बाद राजनेता व समृद्ध वर्ग के नये जागीरदारों का जन्म हुआ है इसमें अधिकारी वर्ग भी समय का लाभ उठाने में नहीं चूके हैं। (iv) देश में बढ़ती बेरोजगारी, प्रदमन की असमानता तथा नये रोजगार में चूक व जूँक की प्रवृत्तियों ने स्थिति को और बिगाड़ा है। (v) बढ़ती हुई महंगाई तथा उत्पादन की स्वल्पता में चोर बाजारी को बढ़ावा मिला जिससे निर्धन व मध्य वर्गों की तो कमर ही टूट गई है और प्रायः का वितरण घनवानों के पक्ष में हुआ है। (vi) सरकार की कयनों और करों में काफी अन्तर होने से भी तथा योजनाओं में सम्भावित लक्ष्यों की पूर्ति न होने से देश में आर्थिक विषमता का उग्र रूप बना है। (vii) करों की चोरी के कारण भी प्रगतिशील करारोपण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है।

ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक असमानता को कम करने के लिये सरकार के प्रभावी प्रयत्नों, राजनैतिक चेतना तथा कशल व ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कुछ मुद्दाव इस प्रकार हैं—(1) सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजा दिये किया जा सकता है। (2) छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों व स्व-नियोजित व्यक्तियों को अधिक आर्थिक सहायता, ऋण आदि की व्यवस्था करना। (3) भूमि मुधार कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू किया जाय तथा भूमि उसकी हो जो भूमि पर स्वयं खेती करता है ताकि अनुपस्थित जमींदारों का समापन हो सके। (4) प्रगतिशील करारोपण कर उनकी प्रभावी ढंग से वसूलों की जानी चाहिये। (5) सम्पत्ति व आय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय तथा न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच अन्तर यथासम्भव कम ही हो। (6) देश में बेरोजगारी, अर्द्ध बेकारी को यथाशीघ्र दूर किया जाय तथा सबकी अपनी योग्यता व क्षमता से बढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये। (7) सरकार अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित करे तथा उनमें कानूनी खामियों को यथाशीघ्र दूर करे।

इन सब प्रयत्नों के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता को कम करने में सहायता मिल सकती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1 आर्थिक समानता के क्या-क्या कारण होते हैं और आर्थिक असमानता के घातक परिणामों को कैसे रोका जा सकता है ?

(सकेत—आर्थिक समानता का अर्थ व कारणों का उल्लेख करते हुए उसके दुष्प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दते हुए असमानता को दूर करने के उपाय बताइयें।)

2 आय व सम्पत्ति की असमानता क्यों उत्पन्न होती है उसके क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं ? क्या साम्यवाद की स्थापना से असमानता को समाप्त कर लिया जा सकता है ?

(सकेत—असमानता के कारणों का उल्लेख कीजिये, दूसरे भाग में उसके दुष्प्रभाव बताइयें तथा तीसरे भाग में साम्यवाद में असमानता को दूर करने के क्रान्तिकारी तरीकों का उल्लेख कीजिये तथा निष्कर्ष दीजिये कि साम्यवाद में आय की असमानता को समाप्त करना सम्भव होता है।)

3 भारत में विशेष संदर्भ में आर्थिक असमानता की समस्या के कारणों व उसके निराकरण के उपायों की समीक्षा कीजिये।

(सकेत—भारत में अर्थव्यवस्था के कारणों व आर्थिक असमानता के दूर करने के लिये किये गये प्रयत्नों की समीक्षा कीजिये।)

4. आय की असमानता के कारणों को समझाइये। संक्षेप में उन तरीकों की विवेचना कीजिये जो किसी गरीब देश में इन असमानताओं को दूर करने के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं।

अथवा

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता के क्या कारण होते हैं ? इस असमानता को दूर करने के लिये आप किन उपायों का सुझाव देंगे ?

(Raj I yr T D C 1974)

अथवा

आय की असमानताओं के क्या कारण होते हैं ? इन असमानताओं को दूर करने के लिये आप किन किन उपायों का सुझाव देंगे ?

(Raj I yr T D C (विशेष परीक्षा) 1974)

(संकेत—प्रथम भाग में आय की असमानता का अर्थ समझाकर कारणों का शीर्षकानुसार विवेचन करना है तथा दूसरे भाग में आर्थिक असमानता को दूर करने के पूँजीवादी एवं समाजवादी उपायों का शीर्षकानुसार विवरण देना है ।)

5 आयों में असमानताओं के कौनसे प्रमुख कारण हैं ? निम्न देशों में असमानताएँ अधिक क्या होती हैं ?

(I yr T D C Collegiate 1977, 1979)

(संकेत—प्रथम भाग में आय की असमानता के कारण अध्याय के शीर्षकानुसार देना है । निम्न देशों में असमानताएँ अधिक होने का कारण असन्तुलित विकास, मुद्रा-स्फीति, बेरोजगारी, गतिशीलता का अभाव, जनसंख्या विस्फोट, अकुशल नियन्त्रण, वर घोरें आदि हैं ।)

16

विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास के घटक/तत्व

(Factors in Economic Development of Developing Countries)

आज विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास की होड़ लगी है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिये यह आवश्यक भी है कि विश्व में निर्धनता और असमानता को समाप्त किया जाये। विश्व के किसी भी भाग में निर्धनता आर्थिक समृद्धि की शक्ति बढी गयी है। विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या, जो निर्धनता तथा व्यथा का जीवनयापन करे यह मानव सम्यता पर सबसे बड़ा कलक है। एक ओर अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, जापान तथा अन्य पाश्चात्य राष्ट्र आर्थिक समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुँच रहे हैं, दूसरी ओर अफ्रीका के देश, भारत, लद्दाख, पाकिस्तान व अन्य एशिया के देश निर्धनता के कुचक में पड़े जा रहे हैं। विश्व-जनसंख्या का 18% भाग विश्व आय का 67% भाग प्राप्त करता है और विश्व की 67% जनसंख्या कुल विश्व-आय का केवल 15% भाग प्राप्त करती है, आर्थिक विषमता की इस गहरी खाई को पाटना विश्व-आय को सभी विकसित एवं अल्प-विकसित राष्ट्रों में पुनर्वितरण से सम्भव नहीं है पर अल्प विकसित राष्ट्रों के तीव्र आर्थिक विकास में निहित है। अतः अल्प-विकसित राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास पर दृढ़ सक्लप कर उस पूरा करने का प्रयास करना है तो दूसरी ओर समृद्ध एवं विकसित राष्ट्रों को विकास में तन, मन और धन से सहयोग देना है।

आर्थिक विकास का अर्थ

(Meaning of Economic Development)

आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति आर्थिक विकास में निहित है। आर्थिक विकास का अभिप्राय राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन करना, देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना, देशवासियों की मान्यताओं और दृष्टिकोण में इस प्रकार से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ करना कि जनता के जीवन-स्तर में सुधार हो और मानव के सर्वांगीण

विकास का मार्ग प्रशस्त हो। कुछ लोग आर्थिक विकास का बहुत ही सकीर्ण अर्थ लगाते हैं जैसे मेयर एव चाल्डविन के अनुसार 'आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।' इसमें आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लगाया है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने जैसे लेविस (Lewis) के अनुसार 'आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।'

इन दोनों विचारों में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर ही ध्यान दिया गया है जबकि अधिक उत्पादन के न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की गई है। अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री उपर्युक्त परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं। इनके अनुसार आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं बल्कि साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादन के न्यायोचित वितरण से भी है। इससे आर्थिक विकास का सम्बन्ध मानव के कल्याण एव सर्वांगीण विकास से जुड़ जाता है। सयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में दी गयी आर्थिक विकास की परिभाषा उपर्युक्त है—“विकास मानव की भौतिक आवश्यकतों से ही नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है किन्तु आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, सत्यागत एव आर्थिक परिवर्तनों का योग है।”

यद्यपि यह परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त है पर उपर्युक्त परिवर्तनों का मापना कठिन है और माप के अभाव में विकास की दर की व्याख्या में मूल्य निर्णय सम्भव नहीं होता इसी कारण अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्त करते हैं।

विकासशील अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाएँ

(Developing or Under developed Economies)

विकासशील राष्ट्रों का अभिप्राय उन अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों से है जो आर्थिक विकास के प्रयत्न कर रहे हैं तथा इन प्रयासों से उनकी प्रतिव्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। विकासशील राष्ट्रों को हम अर्द्ध-विकसित राष्ट्र कह सकते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार “एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें एक और अधिक या कम अंश में अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक साधनों का सह-अस्तित्व हो।” राष्ट्रसंघ प्रतिवेदन के अनुसार “एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसकी प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो।” प्रो० सिंगर अर्द्ध-विकसित देशों की परिभाषा देने की कठिनाई के कारण कह देते हैं कि “एक अर्द्ध-विकसित देश अफ्रीका के जिराफ की तरह है जिसका घर्गन कठिन है किन्तु देखने से समझ जाते हैं।” अतः एक विकासशील राष्ट्र में अप्रलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं।

विकासशील राष्ट्रों (अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं) की विशेषतायें

(1) अर्द्ध-विकसित एवं अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी विकास के प्रभाव में वे बेकार पड़े रहते हैं। अकेले अफ्रीका में विश्व की समाविष्ट जल शक्ति का 44% भाग है किन्तु केवल 0.1% भाग का प्रयोग हुआ है। खनिज सम्पत्ति के अतुल मण्डारों का विदोहन नहीं हो पाया है। भारत में भी प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा विदोहन नहीं हो पाया है।

(2) कृषि की प्रधानता एवं उसकी निम्न उत्पादकता—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में कृषि, खनिज आदि की प्रधानता होती है। वहाँ की जनसंख्या का लगभग 2/3 से अधिक भाग प्राथमिक उद्योगों (Primary Industries) में नियोजित होता है। जैसे भारत में 69% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यही नहीं, कृषि पिछड़ी होने के कारण उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा होता है और कृषि में नियोजित व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय नीची होती है।

(3) औद्योगीकरण का अभाव—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण का नितान्त अभाव होता है। औद्योगीकरण के अभाव में देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कठिन होती है। पूँजी-निर्माण एवं विनियोग का नीचा स्तर होता है।

(4) पूँजी का अभाव—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में कृषि की प्रधानता एवं पिछड़ापन, औद्योगीकरण के अभाव तथा प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर होने से बचते कम होती हैं, इससे पूँजी निर्माण का अभाव है।

(5) जनाधिक्य (Over Population)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में जनाधिक्य होता है। भारत, चीन, पाकिस्तान आदि इसके उदाहरण हैं।

(6) बेकारी एवं अर्द्ध बेकारी—औद्योगीकरण के अभाव एवं प्राकृतिक साधनों के विदोहन के कारण देश में बेकारी एवं अर्द्ध बेकारी का साम्राज्य व्याप्त होता है। एक ओर अप्रयुक्त साधन तथा दूसरी ओर बेकारी का साम्राज्य होता है।

(7) आर्थिक कुचक्र—अर्द्ध-विकसित राष्ट्र निर्वनता के कुचक्र में फँसे हुए हैं। नर्वे के अनुसार "एक देश निर्धन है क्योंकि यह निर्धन है" (The Country is poor because it is poor)। यह उक्ति इसलिये चरितार्थ होती है कि ऐसे देशों में अर्द्ध-विकसित साधन, पूँजी की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, बाजार की अपूर्णताएँ आदि के कारण अर्थव्यवस्था पिछड़ी रह जाती है।

(8) तकनीकी ज्ञान का अभाव—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में साधनों के विदोहन व औद्योगीकरण के मार्ग में तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का अभाव रहता है तथा ऐसे राष्ट्रों में मानव-पूँजी का पूरा विकास नहीं हो पाया है।

(9) प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर—उपयुक्त सब कारणों से अर्द्ध-विकसित राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची होती है। जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 8000 डालर से अधिक है वहाँ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय 150 डालर से भी कम है।

(10) विदेशी व्यापार पर आश्रित अर्थव्यवस्था होती है जो कृषि एवं खनिज पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं।

विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास का महत्व अथवा आवश्यकता

विश्व में निर्धनता के निराकरण तथा विश्व में व्याप्त आर्थिक विषमताओं में कमी करने के लिए आर्थिक विकास ही एक विकल्प है। आर्थिक विकास से मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी कारण आज के भौतिकवादी युग में 'आर्थिक विकास' का नारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया है।

आर्थिक विकास का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश में (i) प्राकृतिक साधनों का तेजी से विदोहन होता है। (ii) देश में औद्योगीकरण सम्भव होता है। (iii) रोजगार के साधनों में वृद्धि से बेकारी और अर्द्ध बेरोजगारी को मिटाने में सहायता मिलती है। (iv) उत्पादन पद्धतियों में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होता है और अर्थव्यवस्था में निर्धनता का कुचक्र टूटने में सहायता मिलती है। (v) राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। (vi) आय बढ़ने से बचतें एवं विनियोग बढ़ते हैं। (vii) लोगों के जीवन-स्तर में वृद्धि होती है (viii) आर्थिक विषमताएँ घटती हैं। (ix) नये नये उद्योगों की स्थापना से अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और राजनैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। संक्षेप में यह कहना पर्याप्त है कि "आर्थिक विकास इस भौतिक युग में मानव के सर्वांगीण विकास की कुंजी है।

आर्थिक विकास के घटक, तत्व या कारण

(Factors of Economic Development)

किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों (घटकों या कारणों) को भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग रूपों में व्यक्त किया है। प्रो रोस्टोव (Rostow) के मतानुसार "आर्थिक विकास पूँजी संप्रदाय की मात्रा एवं स्वरूप तथा श्रमशक्ति की मात्रा एवं स्वरूप पर निर्भर करता है। स्पेंग्लर (Spengler) ने आर्थिक विकास के 19 निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया है। प्रो नर्कसे का कथन है कि आर्थिक विकास बहुत कुछ सामाजिक भावनाओं (Attitudes), राजनैतिक दशाओं, मानवीय योग्यताओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर करता है। प्रो राईट (D M Wright) ने भी आर्थिक विकास में भौतिक एवं गैर-आर्थिक तत्वों को अन्तर्गत किया है। इस प्रकार जहाँ दोस्तेज्य तथा स्वयंसेवा ने आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में आर्थिक तत्वों को अधिक महत्व दिया है वहाँ नर्कसे तथा राईट ने गैर-आर्थिक कारणों पर बल दिया है। कुछ तत्व आर्थिक विकास के प्रधान चालक या निर्धारक होते हैं जबकि अन्य तत्व विकास की गति प्रदान करते हैं। विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के प्रमुख घटक या निर्धारक तत्वों का विवेक विम्वन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

- (1) प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
- (2) मानवीय साधन (Human Resources)
- (3) पूँजी निर्माण (Capital Formation)
- (4) तकनीकी ज्ञान (Technology)
- (5) संगठन (Organisation)
- (6) राज्य की नीति (State Policy)
- (7) साहसी एवं नव प्रवर्तन (Entrepreneurs and Innovations)
- (8) विकास की इच्छा, वातावरण एवं संस्थाएँ (Environment, Institutions and Desire for Development)
- (9) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Conditions)

1. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)—प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास के आधारभूत घटक हैं और प्रो लेविस के अनुसार “प्राकृतिक साधन विकास का मार्ग निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक साधना से हमारा अभिप्राय उन सब प्राकृतिक साधनों से है जो भूमि, पानी खनिज सम्पत्ति, वन, वर्षा, हवा एवं जलवायु के रूप में उत्पादन के लिए मानव को निःशुल्क प्राप्त होते हैं। अन्य बातों के समान रहते हुए, जिस देश में प्राकृतिक साधन जितने अधिक होंगे उसका आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। उर्वरा भूमि एवं जल के अभाव में कृषि विकास असम्भव होगा, कोयला, लोहा एवं प्राकृतिक खनिजों का अभाव में औद्योगीकरण कठिन होगा, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ का अभाव एवं जलवायु की प्रतिक्रमता आर्थिक विकास में बाधक होंगे। इसलिए प्रो रिचार्ड मिल ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि “जनसंख्या और भ्रम की पूर्ति की तरह प्राकृतिक साधन भी एक देश के आर्थिक विकास में आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं।”

विकसित राष्ट्रों—अमरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, कनाडा आदि के आर्थिक विकास का बहुत कुछ श्रेय उनके प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता को है। उनके प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता ने उनके आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक साधनों की बहुलता ही आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, आर्थिक विकास के लिये उन साधनों का योजनाबद्ध ढंग से समुचित उपयोग होना भी आवश्यक है। वर्तमान साधनों के साथ साथ सभावित साधनों का भी उतना ही महत्व है। अतः प्राकृतिक साधनों की पर्याप्तता, उन साधनों का समुचित विदोहन, नये साधनों की खोज और इन साधनों के नये नये प्रयोगों की प्रकृति ये सब मिलकर आर्थिक विकास का मार्ग निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी उनके विदोहन के अभाव में भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। प्राकृतिक साधनों की विकास नीति एवं विकास कार्यक्रमों में साधनों के संरक्षण, अनुसंधान, समुचित प्रयोग और निदोहित विकास पर अधिक ध्यान देने से आर्थिक विकास में तेजी आयगी।

2 मानवीय साधन (Human Resources)—आर्थिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण घटक “मानवीय साधन” है। प्राकृतिक साधन निष्पन्न हैं जबकि मानव शक्ति उत्पादन का सक्रिय साधन है जो प्राकृतिक साधनों को उत्पादन में प्रयुक्त कर आर्थिक विकास समभव बनाता है। आर्थिक विकास में मानवीय साधनों के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रो रिचार्ड गिल ने लिखा है “आर्थिक विकास एक धात्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों के समान इसकी सफलता अन्तिम रूप से इसे क्रियान्वित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण, शक्ति एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगी।

मानवीय साधनों का अग्रिम देश की समस्त जनसंख्या से है। देश की कार्यशील जनसंख्या (Working Population) का उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है वही आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करती बरन् अप्रत्यक्ष रूप से देश की समस्त जनसंख्या का आकार (Size), गुण (Qualities), कार्यकुशलता (Efficiency), संरचना (Composition), वृद्धि की दर (Rate of Growth) तथा जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण (Occupational Distribution) आदि सभी तत्व सामूहिक रूप से आर्थिक विकास की गति एवं मार्ग निर्धारित करते हैं। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय और अनिवार्य साधन है। अतः स्टालिन ने श्रम को देश की मूल्यवान् उत्पादन पूँजी को सजा दो है।

मानवीय साधनों की आर्थिक विकास में दोहरी भूमिका रहती है। एक ओर श्रम आर्थिक विकास में एक सक्रिय उत्पादन साधन है तो दूसरी ओर समस्त उत्पादन क्रियाओं का साध्य है। यह उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है। जनसंख्या में वृद्धि से उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाओं के विस्तार के लिए श्रम-शक्ति प्राप्त होती है तो साथ-साथ उपभोक्ता के रूप में वे वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न कर उत्पादन वृद्धि एवं विस्तार को प्रेरित करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जनसंख्या में वृद्धि सभी परिस्थितियों में आर्थिक विकास को प्रेरित नहीं करती। अर्द्धविकसित राष्ट्रों में श्रम शक्ति का बाहुल्य आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है जैसे भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को नगण्य बना रही है। फिर भी यह सामान्य मान्यता है कि जनसंख्या सम्बन्धी शक्तियाँ न केवल उत्पादन की प्रवृत्ति व मात्रा को प्रभावित करती हैं बरन् वे आर्थिक विकास की गति एवं मार्ग भी निर्धारित करती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या अगर उत्पादन से उपभोग अधिक करे तो विकास की सारी प्रक्रिया ही विफल हो जाती है। प्रो. नकेंचे के अनुसार अर्द्धविकसित देशों में अप्रयुक्त अतिरिक्त मानवीय साधनों के समुचित उपयोग से पूँजी निर्माण की सम्भावनाएँ छिपी हैं। इस प्रकार विकसित मानवीय साधन आर्थिक विकास का एक प्रमुख, सक्रिय एवं अत्याव्य (Active and indispensable) घटक है। अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड तथा चीन के आर्थिक विकास का राज उनकी

विकसित श्रम शक्ति में छिपा है इसी कारण आर्थिक विकास के लिए मानवीय साधनों के विकास पर अतिरिक्त बल दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि कोई राष्ट्र मानवीय साधनों का विकास करने में असमर्थ है तो वह आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, प्रेरणा, सगठन तथा नियोजन से मानव शक्ति को विकसित करना चाहिये। प्रो. राय के अनुसार विकास प्रक्रिया में मानवीय साधनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये मानव शक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सगठनात्मक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

3. पूँजी (Capital)—आर्थिक विकास का तीसरा महत्वपूर्ण घटक पूँजी की मात्रा और पूँजी निर्माण की दर है। पूँजी का अभिप्राय मानव द्वारा उत्पादित धन के उस भाग में है जो अधिक उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। कारखाने, मशीनें, औजार, यन्त्र, उपकरण, भवन आदि पूँजी के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में “व्यक्तिगत तथा सामूहिक धन का वह भाग जो और अधिक धन उत्पादन में सहायक होता है पूँजी कहलाता है। पूँजी निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समाज तथा व्यक्ति अपने वर्तमान उपभोग को कम करके धन बचाते हैं और अधिक उत्पादन के लिये बचतों को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। ये बचत पारिवारिक (Household), संस्थागत (Institutional) तथा राजकीय (Government) हो सकती हैं। इन वास्तविक बचतों को एकत्रित कर पूँजीगत सम्पत्ति (Capital Assets) में बदलना ही पूँजी निर्माण है।

पूँजी का आर्थिक विकास में विशेष महत्व है। प्रो. लेविस के अनुसार आर्थिक विकास में केन्द्रीय महत्व इस बात का है कि निर्धन देश बचत की निम्न दर को ऊँची दर में कैसे परिवर्तित करते हैं। पूँजी निर्माण की समस्या ही बन्धुन आर्थिक विकास की प्रमुख समस्या है। पूँजी के महत्व का प्रो. रिचर्ड गिल्ट। इन शब्दों में व्यक्त किया है “पूँजी का सचय वर्तमान युग में निर्धन देशों की धनवान बनाने और औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।” पूँजी के द्वारा ही आधारभूत मशीनों की स्थापना से औद्योगिकीकरण का सुदृढ आधार तैयार होता है। पूँजी से ही परिवहन और वृषि का विकास और मानवीय साधनों के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक विकास की उच्चतम दर प्रायः उन्हीं देशों में पाई जाती है जहाँ पूँजी निर्माण की गति तीव्र होती है। जापान में युद्धोत्तरकालीन तीव्र विकास का राज वहाँ की पूँजी निर्माण क्षमता में छिपा है। पूँजी निर्माण की दर जितनी अधिक होती है उतना ही आर्थिक विकास तीव्र होता है। उदाहरण के लिए जापान में बचत और पूँजी निर्माण राष्ट्रीय आय का लगभग 35% और 38% है, अमेरिका में यह क्रमशः 25% और 28% है जबकि भारत में पूँजी निर्माण राष्ट्रीय आय का 20% होता है और जबकि आन्तरिक बचतें 18.5% ही हैं अर्थात् 1.5% विदेशी बचतों का प्रयोग होता है।

जाता है, उत्पादन की गति तीव्र होती है या उत्पादित वस्तुओं के गुणों में विस्तार होता है।

तकनीकी ज्ञान का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रो. लेविस (Lewis) के शब्दों में "आर्थिक विकास एक ओर वस्तुओं और जीवधारियों के विषय में प्रौद्योगिक ज्ञान (Technology) पर निर्भर है और दूसरी ओर यह मनुष्य और उसके साधनों के आपसी सम्बन्धों के सामाजिक ज्ञान पर निर्भर करती है।" विकासशील राष्ट्रों में प्रौद्योगिक ज्ञान की कमी के कारण न तो उनमें प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन हो पाया है और न वे आर्थिक दरिद्रता के कुचक्र से निकल पाये हैं। उत्पादन की नयी तकनीकी विधियों व परम्परागत विधियों में मुथरे प्रयोगों में ही विकासशील राष्ट्रों के कृषि उद्योग, परिवहन एवं मानवीय साधनों की प्रगति निहित है। तकनीकी ज्ञान न केवल अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है वरन् विकसित राष्ट्रों के लिये भी इसका विशेष महत्व है। अगर विकसित राष्ट्रों में प्रौद्योगिक ज्ञान की प्रगति न होती तो आधुनिक विकास असंभव था। आज व्यक्ति चन्द्रमा पर पहुँच गया है, मंगलग्रह पर उतरने की तैयारी है। जम्प्यूटर मानव मस्तिष्क का सहारा बना है। टेस्ट ट्यूब में सन्तानोत्पत्ति होन लगी है। कृत्रिम दिल लगाया जाने लगा है। यह सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। नये विचारों, आविष्कारों, तकनीकी सोचों तथा नई प्रौद्योगिक विधियों का प्रयोग वर्तमान तथा भावी आर्थिक विकास की कुञ्जी है। प्रो. एल्टिस के मतानुसार 'तकनीकी प्रगति सम्भवतः आर्थिक विकास को सम्भव बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है।'

विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिये तकनीकी और प्रौद्योगिक ज्ञान के महत्व को दृष्टि में रखते हुये उसके विकास के प्रयत्न जरूरी हैं। (1) ज्ञान की वृद्धि के लिये तर्कशील, जिज्ञासु और प्रयोग प्रिय मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। (2) अनुसंधान एवं आविष्कारों को बढ़ावा भी महत्वपूर्ण है। (3) आर्थिक विकास के लिये ज्ञान का विकास, नये आविष्कार या उत्पादन की नयी विधियों की खोज ही पर्याप्त नहीं है वरन् उस ज्ञान का प्रसार एवं व्यवहार में प्रयोग भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिये नवीन प्रक्रियाओं के प्रयोग को सचि में अग्रिमवृद्धि जरूरी है। (4) शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये। (5) विदेशों से तकनीकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान का आयात भी विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता ही आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान का आर्थिक क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से समुचित उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

5 सगठन (Organisation)—आर्थिक विकास का पाचवाँ महत्वपूर्ण घटक उचित व्यवस्था या सगठन है। सगठन का अन्विष्ट उद्योग के विभिन्न साधनों-भूमि, श्रम पूँजी एवं साहस को एकत्रित करने तथा उनको अनुकूलतम अनुपात में मिलाने की क्रिया से है। दूसरे शब्दों में संगठन वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा उद्योग के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उनमें आदर्श संयोग स्थापित किया जाता है जिससे कमसे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके। जो व्यक्ति सगठन कार्य को करता है उसे सगठनकर्ता कहते हैं। अथवा आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से सगठित किया जावे तो उत्पादन साधनों की एक दी हुई मात्रा तथा तकनीकी विधियों से भी अधिक उत्पादन सम्भव होता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास का यह प्रमुख लक्षण रहा है कि कुल उत्पादन में वृद्धि की दर उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक रही है। इस तीव्रता का श्रेय बहुत कुछ उत्पादन साधनों के उचित सगठन को जाता है।

सगठन के अन्तर्गत वे सब क्रियाएँ आती हैं जो उत्पादन साधनों में आदर्श संयोग स्थापित करने में सहायक है जैसे पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना, अच्छे बीजों खाद व सिंचाई की व्यवस्था करना, देश के प्राकृतिक साधनों—वन, जल, खनिजों एवं मानव शक्ति के समुचित विदोहन की व्यवस्था करना, उद्योगों का आदर्श आकार, बड़े पैमाने की उत्पात्ति विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, औद्योगिक संयोग आदि सगठन के ही रूप हैं। इनसे आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इसीलिए प्रो डॉब (Dobb) ने कहा है 'आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि यह तो आर्थिक सगठन और व्यवस्था की समस्या है।

प्रो रिचार्ड मिल भी इस मत से सहमत हैं कि सगठन भी आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। बड़े पैमाने की उत्पात्ति एवं विशिष्टीकरण से आन्तरिक एवं बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं जिससे अधिक उत्पादन कम लागत पर होता है। अर्थशास्त्र के जनक स्वयं एडम स्मिथ का कथन था कि "श्रम की उत्पादन शक्तियों में सर्वाधिक सुधार श्रम विभाजन के प्रभावों से हुआ है।" सगठन व्यक्तिगत कुशलता, भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता, उत्पादन में यन्त्रीकरण एवं प्रभावीकरण से आर्थिक विकास में शक्तिशाली योग देता है।

विकासशील एवं अर्द्धविकसित राष्ट्रों में अनुकूल आर्थिक सगठन के अभाव के कारण विकास की गति बहुत धीमी है। बाजारों की सीमितता, लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता, श्रम विभाजन एवं बड़े पैमाने की उत्पात्ति का अभाव आदि आर्थिक पिछड़ेपन के लिये उत्तरदायी हैं। यही कारण है कि ऐसे देशों में आर्थिक सगठन के उचित परिवर्तन आवश्यक है। भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना, भूमि व्यवस्था में सुधार, श्रम विभाजन, उद्योगों की कम्पनियों सहकारी संस्थाओं व स्वशासित निगमों के रूप में सगठित करने के प्रयास आर्थिक विकास में सगठन के महत्व के ही परिचायक हैं।

6. राज्य नीति (State Policy)—प्राथमिक विकास का छठा महत्वपूर्ण घटक उपयुक्त सरकारी नीति है। वे दिन हवा हुए जब राज्य प्राथमिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाता था पर अब राज्य प्राथमिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप करता है, वह अपनी प्राथमिक नीति से समूचे प्राथमिक जीवन को नियन्त्रित करता है। अतः प्राथमिक विकास के लिये भी सर्वप्रथम आवश्यकता एक सुदृढ़ सरकार की उपयुक्त प्राथमिक नीतियाँ हैं। प्रो. लेदित्त ने तो यहाँ तक कहा है कि “कोई भी देश बिना अपनी बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन पाये प्राथमिक विकास नहीं कर सका है।” यह कथन अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भी पूर्णतः सत्य उतरता है। जापान का प्राथमिक विकास सरकार के सक्रिय सहयोग से हुआ। रूस का विकास भी साम्यवादी सरकार के नियोजन ने हुआ। परन्तु भारत अंग्रेजों की घोषणायुक्त नीति के कारण विकास न कर सका जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के प्राथमिक विकास में गति उत्पन्न हुई है।

प्राथमिक विकास के लिए राज्य नीतियों के अन्तर्गत हम राज्य की मूल्य नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, श्रम नीति, जनसहया नीति तथा वित्तीय नीति आदि का समावेश करते हैं। देश में शान्ति एवं व्यवस्था तथा देश की बाह्य प्राक्कणों से सुरक्षा आदि भी सरकारी नीति के प्रमुख अंग हैं। ये सब मिलकर सामूहिक रूप से प्राथमिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार की नीतियाँ उपयुक्त हूँ तो प्राथमिक विकास की गति मिलती है अर्थात् विकास हतोत्साहित होना है।

आज विकासशील राष्ट्रों में कुशल श्रम, पूँजी, तकनीकी ज्ञान एवं आधारभूत उद्योगों का अभाव होने के कारण अगर प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हा पाया है। सरकार अपनी उपयुक्त नीतियों से पूँजी निमाण, औद्योगीकरण तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे सकती है। जिन क्षेत्रों में निजी व्यक्ति आगे आने से हिचकिचाते हैं सरकार स्वयं एक व्यवसायी या उद्योगगति की भूमिका अदा कर सकती है। एक उपयुक्त राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति देश में बेरोजगारी, भुगतान असन्तुलन, वित्तीय साधनों का अभाव तथा तकनीकी विरोधता की बर्मी को दूर कर प्राथमिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जिस प्रकार 1917 की साम्यवादी खूनी शान्ति ने रूस के प्राथमिक विकास का द्वार खोला उसी प्रकार भारत में गाँधीजी की अहिंसा से अंग्रेजों का शासन के पतन और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से प्राथमिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रगति की है उसका बहुत कुछ श्रेय भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों को जाना है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक नीतियों की घोषणाओं से ही प्राथमिक विकास नहीं होता, उन नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन भी जरूरी है। उसके लिए प्रशासनिक कुशलता तथा सरकार की राजर्न तक स्थिरता भी आवश्यक है। प्राथमिक विकास में राज्य की भूमिका का विशद विवेचन अगले अध्याय में किया गया है।

7 साहसी एवं नव प्रवर्तन (Entrepreneurs & Innovations)—साहसी एवं नव प्रवर्तनकर्ता भी अन्य घटकों के समान ही आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटक मान जाते हैं। साहसी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जोखिम उठाने का साहस इच्छा एवं रुचि होती है और जो नये-नये आविष्कारों एवं तकनीकी ज्ञान को उत्पादन तथा आर्थिक साधनों के विदोहन में प्रयुक्त करने का साहस करते हैं। नव प्रवर्तनकर्ता वे होते हैं जो साहसी के रूप में नव प्रवर्तनों को जन्म देते हैं जैसे उत्पादन की नवीन विधियों की खोज कच्चे माल के नवीन साधनों का उपयोग सगठन की नवीन विधियों का प्रयोग, नये बाजारों की खोज अथवा साधनों के नवीन उपयोग आदि हैं।

आर्थिक विकास में साहसी एवं नव प्रवर्तन का विशेष महत्त्व है। कोई नया आविष्कार या तकनीकी विधि तभी उपयोगी सिद्ध होती है जब कोई दूरदर्शी साहसी आत्मविश्वास से नये साधनों को उत्पादन में प्रयुक्त कर उत्पादन में वृद्धि एवं लागत में कमी की जोखिम उठाता है। प्रो. रिचार्ड गिल के अनुसार 'तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाय।' इसी परिप्रेक्ष्य में प्रो. ब्राउन का यह कथन उपयुक्त लगता है— 'आर्थिक विकास उद्यम या साहस के साथ इस प्रकार घटा हुआ है कि उद्यमकर्ता को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो नये सयोगों का सृजन करते हैं।'

विकासशील राष्ट्रों में साहसियों का अभाव है अतः साहस के अभाव में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के विस्तृत क्षेत्रों का विदोहन नहीं हो पाया है। भारत में विदेशी साहसियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। अब देश के भीतर ही साहसियों को प्रेरित किया जा रहा है। सरकार स्वयं एक बड़े साहसी के रूप में आर्थिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई है। विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग इसके परिचायक हैं।

8 विकास की इच्छा वातावरण एवं संस्थाएँ (Desire, Environment and Institution of Development)—आर्थिक विकास केवल आर्थिक तत्वों पर ही निर्भर नहीं करता और आर्थिक घटक भी आर्थिक विकास की गति एवं दिशा को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। देश में प्राकृतिक साधनों की बहुलता मानव शक्ति की प्रचुरता तथा पर्याप्त पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान के बावजूद भी अगरे लोगों में भौतिक प्रगति की इच्छा नहीं है या आर्थिक प्रगति का कोई वातावरण नहीं है तो साधनों के होते हुए भी आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। राष्ट्रसंघ सन्निधि के प्रतिवेदन के अनुसार 'उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि लोगों में प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं वैधानिक संस्थाएँ इस इच्छा को क्रियावित करने में सहायक हों।' इसका अभिप्राय है कि आर्थिक विकास और देश की संस्थाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः ये संस्थाएँ ऐसी हैं जो लोगों को उच्च जीवन स्तर, अधिक कार्य, अवसरों के प्रति जागरूकता को प्रेरित करें तो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः संस्थाएँ अनुकूल होती हैं तो प्रयत्न करने की

इच्छा को बढ़ावा मिलता है और अगर इच्छा बलवर्ती हुई तो वे स्वयं सस्याओं में अनुकूल परिवर्तनों को जन्म देती हैं। प्रो. एलबर्ट ने भी इस मत की पुष्टि की है। उमके अनुसार "आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी घनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सभ्यता है जो मूल्यों में भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है।" हम यह देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त सस्याएँ विद्यमान हैं।

अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में स्थिति भिन्न है। वहाँ भी अनेक ऐसी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक सस्याएँ हैं जो आर्थिक विकास में साधक न होकर बाधक हैं जैसे सयुक्त परिवार-प्रथा, जानि प्रथा, दास-प्रथा, भू धारण की दोषपूर्ण प्रथाएँ धार्मिक रुढ़िवादिता, पर्दा-प्रथा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उत्तराधिकार नियम आदि ने आर्थिक विकास का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। अतः विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इन बाधक सस्याओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धीरे-धीरे ये सस्याएँ घराशाही होनी जा रही हैं और आर्थिक विकास के द्वार खुल रहे हैं। इन सस्याओं में ऐसा परिवर्तन आवश्यक है कि ये सस्याएँ लोगों में भौतिक समृद्धि की आकांक्षा, आर्थिक लाभ के अवसरों के विदोहन की अभिलाषा तथा आर्थिक साधनों में समुचित उपयोग की तीव्र इच्छा जामृत कर दें जिससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रगस्त हो सके।

9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Conditions)—आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि एक देश की परिस्थितियाँ दूसरे देश को न्यूनाधिक रूप में अवश्य प्रभावित करती हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग में देशों का आर्थिक विकास परस्पर निर्भर है। एक अर्द्ध-विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के तकनीकी ज्ञान, आधारभूत औद्योगिक मशीनें एवं औजार तथा वित्तीय साधन प्राप्त कर अपना तेजी से विकास कर सकता है वहाँ विकसित राष्ट्रों को भी अग्रतयक्ष रूप से विकास एवं विस्तार का अवसर मिलता है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्र अपने कृषि विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ, सुघरे बीज, कृषि उपकरण एवं तकनीकी ज्ञान आयात कर सकते हैं। औद्योगीकरण के लिए भी कच्चा माल, मशीनें आदि आयात कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। यह विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर मैत्रीपूर्ण आर्थिक एवं राजनैतिक सम्बन्धों पर निर्भर है। अगर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तनावपूर्ण हों, देश परस्पर युद्ध की ज्वालाओं में जल रहे हों तो विकास की सम्पूर्ण संभावनाएँ क्षीण हो जाती हैं। आज पाकिस्तान की दुर्दशा इसकी परिचायक है। भारत में भी पाकिस्तानी आक्रमण से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई थी। पहले अमेरिका तथा पाश्चात्य राष्ट्रों से भारत को आर्थिक विकास के लिए काफी सहायता मिली है अब धीरे-धीरे कम हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, प्रतिकूल परिस्थितियाँ एवं युद्धकालीन परिस्थितियाँ आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर देती हैं।

आर्थिक विकास के घटकों का सापेक्षिक महत्व

(Relative Importance of Factors of Economic Development)

उपयुक्त विवरण आर्थिक विकास के विभिन्न घटकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये सब घटक या इनमें से कुछ घटक मिलकर आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इनके एक कारक (घटक) का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये घटक परस्पर सम्बन्धित तथा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि देश में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य हो पर उनके विदोहन के लिए पूँजी, तकनीकी ज्ञान, धन शक्ति तथा विदोहन की इच्छा न हो तो प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास में निरर्थक सिद्ध होंगे। हा, एक साधन दूसरे साधन में वृद्धि करता है जैसे प्राकृतिक साधनों के अधिक होने पर उत्पादन क्षमता अधिक होगी, आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि से बचत, उपभोग और विनियोग बढ़ेंगे। मानवीय साधनों का विकास होगा। तकनीकी ज्ञान की अभिवृद्धि होगी तथा सरकार भी आय जुटाकर आर्थिक विकास में अपना उत्तरदायित्व निभा सकेगी। परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों का समुचित उपयोग आर्थिक विकास में सहायक होगा।

इसके विपरीत प्राकृतिक साधनों के अभाव में आर्थिक विकास सीमित होगा। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड के आर्थिक विकास में उनके प्राकृतिक साधनों की बहुलता का महत्वपूर्ण योग रहा है। इसके विपरीत जापान, स्विटजरलैंड आदि के विकास में राज्य की नीति तथा मानवीय साधनों की कुशलता का अधिक योग रहा है।

एक और प्रो. लेविस ने पूँजी निर्माण को आर्थिक विकास की केन्द्रीय समस्या माना है तो दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्री तकनीकी ज्ञान, साहस एवं नव प्रवर्तन को अधिक महत्व देते हैं। कुछ ने गैर-आर्थिक तत्वों को प्रधानता दी है जबकि साम्प्रवादी धर्म को विश्व की उत्पादक एवं मूल्यवान पूँजी मानते हैं। इस प्रकार इन घटकों के सापेक्षिक महत्व के बारे में मतभेद का अभाव है।

इस मतभेद को मिटाने के लिये हम किसी घटक विशेष को आर्थिक विकास का मूल या अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण कारण नहीं कह सकते। आर्थिक विकास में ये सब कारण परस्पर सम्बन्धित एवं एक दूसरे के पूरक हैं। उनका सापेक्षिक महत्व देश की परिस्थितियों, विकास की अवस्था और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। प्रो. वी. शोपर्ड ने इसी कारण कहा है कि "किसी एक कारण से नहीं अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण कारणों के उचित अनुपात में मिलने से आर्थिक विकास होता है।"

निष्कर्ष—आर्थिक विकास के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए जोसेफ किशर का यह कथन उपयुक्त है "आर्थिक विकास के लिये किसी एक विशेष तत्व को अलग करना और इसे ऐसे आर्थिक विकास का प्रथम या प्राथमिक कारण बनाना न तो उपयुक्त है और न विशेष सहायक ही। प्राकृतिक साधन, कुशल धन, मशीनें एवं उपकरण, वैज्ञानिक एवं प्रबन्धात्मक साधन एवं

प्राथमिक वातावरण एवं रुचि महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें प्राथमिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो इन कारणों को प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाना चाहिये।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 एक देश के प्राथमिक विकास को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों को समझाइये। (I yr. T. D. C. 1979)
(संकेत—प्राथमिक विकास के सभी घटक शीर्षकानुसार देकर समझना है।)
- 2 "प्राथमिक विकास केवल साधनों की पूर्ति समस्या नहीं बरन् उनके उचित सगठन व उपयोग की समस्या है।" विवेचन कीजिए।
(संकेत—इसके प्रथम भाग में प्राथमिक विकास के प्रमुख तत्वों की प्राथमिक विकास में भूमिका को बताते हुए दूसरे भाग में यह बताना है कि साधनों की पूर्ति होने पर भी अगर उनका उपयोग व सगठन ठीक नहीं रहा तो विकास सम्भव नहीं होता।)
- 3 उन प्रमुख तत्वों को समझाइये जिन पर एक गरीब देश का प्राथमिक विकास निर्भर करता है। (Raj I yr. T D C. 1973)
(I yr. T. D C. Non-Collegiate 1976)
(संकेत—पहले भाग में गरीब देश का अभिप्राय स्पष्ट करना है जिसमें आय, प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार, उपभोग और विनियोग का स्तर नीचा है, जनाधिक्य और अतिरिक्त तथा अप्रयुक्त श्रम शक्ति है उनके प्राथमिक विकास में सभी निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए।)
- 4 प्राथमिक विकास से आप क्या समझते हैं? उन प्रमुख तत्वों को समझाइये जिन पर एक विकासशील देश का प्राथमिक विकास निर्भर करता है। (I yr. T. D. C. Spe. Exam. 1974)
(संकेत—प्रथम भाग में प्राथमिक विकास का अर्थ समझकर फिर विकास के घटकों का विवेचन शीर्षकानुसार कीजिये।)
- 5 विकासशील देशों के प्राथमिक विकास में तकनीकी प्रगति एवं पूँजी का क्या योगदान होता है?
(संकेत—प्रथम भाग में विकासशील देश का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए तथा फिर दोनों तत्वों की भूमिका बताना है।)
- 6 प्राथमिक विकास से आप क्या समझते हैं? एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख तत्वों को समझाइये। (I yr. T D. C. 1978, 1979)
(संकेत—प्रथम भाग में प्राथमिक विकास का अर्थ व दूसरे भाग में विकासशील अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ देना है।)

आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका

(The Role of the Government in Economic Development)

प्राक्कथन—वे दिन हवा हुये जब आर्थिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप अवाञ्छनीय समझा जाता था। जनसाधारण की यह मान्यता थी "राजा व्यापार करेगा तो देश नष्ट हो जायेगा।" स्वतन्त्र व्यापार के उस युग (Era of laissez faire) में देश की सरकार का काम केवल देश की आन्तरिक एव बाह्य सुरक्षा, न्याय एव शिक्षा तक सीमित था। कालान्तर में प्रजातन्त्र की प्रगति एव स्वतन्त्र व्यापार नीति की असफलता के कारण अर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। स्वतन्त्र व्यापार नीति का दम भग्ने वाले पूँजीवादी राष्ट्रा में विश्वव्यापी 1930 की मन्दी के दुष्प्रभावों ने उन्हें भी राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। वर्तमान युग में सरकारें आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वर्तमान सरकारों के चार प्रमुख कार्य हैं—(i) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना, (ii) पूरा रोजगार की सुविधाएँ प्रदान करना, (iii) सुदृढ़ आर्थिक नियन्त्रण तथा (iv) आर्थिक समृद्धि से जीवन-स्तर में वृद्धि।

विकास में राज्य का महत्त्व—आज अधिकांश अर्थशास्त्रियों की यह दृष्टि धारणा है कि आर्थिक विकास के लिए राज्य का योगदान अनिवाय है। प्रो. लेविस ने लिखा है 'कोई देश अपनी बृद्धिमान सरकार का सक्रिय प्रोत्साहन पाये बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता है।' इसी प्रकार की विचारधारा अन्य विद्वानों ने प्रकट की है। अर्द्ध विकसित राष्ट्रो के आर्थिक विकास में राज्य का योग अनिवाय है। एक विद्वान् के अनुसार "विकास कार्यों को प्रारम्भ करते समय जो देश जिनना अधिक पिछड़ा होता है उसे उतना ही अधिक राज्यों के कार्यों की आवश्यकता होती है।"

पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रथम आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम पर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अधिक रखती है जबकि समाजवादी राष्ट्रो में सरकार आर्थिक विकास का प्रमुख घटक होती है। आर्थिक विकास की गति एव प्रवृत्ति देश में संगठित सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है।

अगर आर्थिक विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो भी स्पष्ट होता है कि आज विश्व के विकसित राष्ट्रो की आर्थिक

प्रगति एवं समृद्धि में वहा की सरकार का सक्रिय योगदान रहा है। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) की नींव एडवर्ड तृतीय एवं उसके बाद के बुद्धिमान शासकों ने डाली। 1917 में औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े रूस की वर्तमान आर्थिक प्रगति के पीछे भी रूस की समाजवादी सरकार का हाथ रहा है। अमेरिका में आर्थिक विकास के प्रोत्साहन का श्रेय सध तथा राज्य सरकारों को जाता है। आर्थिक विकास में भी वहा की सरकार का अद्वितीय योग रहा है। आज सभी विकासशील राष्ट्रों में राज्य आर्थिक विकास का प्रेरणा स्रोत है।

इस प्रकार अन्व-यह निर्विवाद सत्य है कि राज्य आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चाहे अर्थव्यवस्था पूँजीवादी हो, चाहे समाजवादी। समाजवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर होती है जबकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती है। राज्य आर्थिक विकास का नियमन एवं मार्गदर्शन करता है।

अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता सरकारी भूमिका के कारण

(Causes of Increasing Role of Government in Economies)

आज विश्व के सभी विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास स्थायित्व एवं रोजगार वृद्धि के साथ साथ आर्थिक समानता की होड़ लगी है। अतः अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी के दोषों के नियन्त्रण तथा नियोजित विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारों की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण ये हैं—

1 सन्तुलित एवं तीव्र आर्थिक विकास की सालसा—सदियों में उपेक्षित राष्ट्र अब अपनी आर्थिक दरिद्रता एवं बेरोजगारी के निराकरण के लिए अधिक इन्तजार नहीं कर सकते। अतः उनके सन्तुलित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिये सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। सरकार योजनाबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के दोषों का निराकरण एवं नियन्त्रण—बाजार तंत्र पर आधारित स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओं में शोषण व्यापार चक्रों के प्रकोप, आर्थिक असमानता और समृद्धि के बीच गरीबी एवं बेकारी का ताण्डव नृत्य आदि दोषों का निवारण व उन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए सरकार मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार नीति व आय नीति आदि द्वारा प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

3 विकास की आधारभूत संरचना का निर्माण—सरकार अर्थव्यवस्था में विकास के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर सकती है जिनमें सामाजिक पूँजी,

रेलो, सड़को, बाघो एव नहरो का निर्माण उल्लेखनीय है। सरकार तकनीकी शिक्षा एव प्रावधिक शिक्षा द्वारा मानव पूँजी निर्माण कर सकती है।

4. दुर्लभ साधनो का विवेकपूर्ण उपयोग—सरकार विकासशील देशो मे दुर्लभ साधनो का उपयोग विकास की प्राथमिकताओ के अनुरूप करने का मार्ग-दर्शन कर सकती है। दुरुपयोग को रोक सकती है।

5. पूँजी निर्माण में बढ़ती भूमिका—आज आर्थिक विकासके लिए पूँजी की आवश्यकता सर्वोपरि है। सरकार बचतो को प्रोत्साहन देकर, वित्तीय सस्थाओ की स्थापना कर तथा बचतो को उत्पादन कार्यों मे प्रेरित कर पूँजी निर्माण को बढावा दे सकती है। अविकसित देशो मे इसकी आवश्यकता और भी अधिक है।

6. जनसख्या विस्फोट तथा बेरोजगारी का नियन्त्रण—विकासशील देशो मे जनसख्या की विस्फोटक वृद्धि तथा बढती बेरोजगारी विश्व समृद्धि को निरन्तर खतरा बनी हुई है अत उनके दुष्प्रभावो को रोकने के लिए भी सरकार की भूमिका बढती जा रही है।

7. आय एव सम्पत्ति के वितरण में बढती खाई को पाटना—वर्ग-सवर्ग की जड आय एव सम्पत्ति मे असमानता है और यही शोषण का मूल कारण है। अतः सरकार को आर्थिक समानता स्थापित करने के लिये पहल करनी पडती है।

8. कल्याणकारी राज्य की स्थापना—आज राज्य का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अत. कदम-कदम पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

अर्द्ध-विकसित एव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी नीति निर्धारण के दिशा-निर्देश

(Guidelines for Formulating Government Policies for Under-Developed & Developing Countries)

अर्द्ध-विकसित एव विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे आर्थिक विकास के लिये आवश्यक अन्तर-सरचना (Infrastructure) का अभाव होता है, बडे पैमाने पर बेरोजगारी एव अर्द्ध-बेरोजगारी होती है। साधनो का आवटन अनुचित ढग से होने से उत्पादन, आय एव बचत का स्तर नीचा होता है। पूँजी-निर्माण की गति धीमी होती है और सामाजिक असमानता के साथ-साथ लोगो मे विकास की हृत्ति का अभाव होता है। अतः इन बाधाओ एव समस्याओ के परिप्रेक्ष्य मे सरकार को आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करते समय निम्न दिशा-निर्देशो (Guidelines) पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये—

(1) आर्थिक विकास के लिये आधारभूत सरचना (Infrastructure) के निर्माण मे तेजी—अर्द्ध-विकसित एव विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे सिचाई,

परिवहन, विद्युत, आधारभूत उद्योगों और पूँजीगत साधनों का नितान्त अभाव होता है। तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ नहीं होतीं। अतः सरकार को आर्थिक विकास की नीति निर्धारण में इस आधारभूत ऊपरी पूँजी एवं अन्तर-मरचना के लिए सिंचाई, विद्युत विकास, परिवहन एवं संचार, तकनीकी एवं प्रौद्योगिक शिक्षा, आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिये और उनमें यथामत्र शीघ्रता से तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना चाहिये।

(2) मानव शक्ति के समुचित प्रयोग की व्यवस्था—अर्द्ध विकसित एवं विकासशील देशों में जनाधिक्य एवं बड़े पैमाने पर बेकारी एवं अर्द्ध-बरोजगारी की समस्या है अतः सरकार को आर्थिक विकास के नीति निर्धारण में देश में उपलब्ध श्रम शक्ति के यथासम्भव समुचित प्रयोग की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये। पूँजी की कमी एवं श्रम शक्ति के आधिक्य का दृष्टिगत रखते हुए श्रम प्रधान योजनाओं (Labour Intensive Schemes) को कार्यान्विष्ट करना चाहिये। यही नहीं, सरकार को उपयुक्त मानव शक्ति नियोजन (Man Power Planning) पर ध्यान देना चाहिये। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय बेरोजगारी का प्रयोग पूँजी निर्माण में किया जाना चाहिये।

(3) साधन आवंटन में प्रभावी नियोजन—सरकार को अर्द्ध विकसित एवं विकसित देशों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों को आर्थिक विकास में सक्रिय करने के लिए उनका आवंटन में प्रभावी नियोजन (Effective Planning) की नीति अपनानी चाहिये। इसके लिए सरकार को जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधना का आवंटन अनिवार्य होना की ओर करना चाहिये तथा विनासिता की वस्तुओं के उत्पादन में साधना के आवंटन पर प्रभावी राफ लगाना होगा।

(4) पूँजी निर्माण में तेजी—अर्द्ध विकसित देशों में अग्रयुक्त भौतिक एवं मानवीय साधनों के विदाहन के लिए बड़ी मात्रा में बचत और विनियोग (Investment) की ब्यवस्था करना चाहिये ताकि पूँजी निर्माण की गति तेज हो। इसके लिए सरकार को प्रदशनात्मक उपभाग पर राफ लगाना चाहिए। छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें पूँजी निर्माण में प्रवाहित करने की नीति पर बल देना चाहिए। सावजनिक करारोपण एवं बचतों से भी पूँजी निर्माण की गति तेज की जा सकती है। वित्तीय एवं बैंकिंग समस्याओं के विस्तार एवं विकास में पूँजी निर्माण की गति तेज हो सकती है।

(5) विकासोन्मुख सत्यागत ढांचे का निर्माण—अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील देशों में सरकार द्वारा परम्परागत ऋद्धिवादी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक सत्यागतों में आमूल ढूल परिवर्तन करके आर्थिक विकास में तेजी ला सकती है, अतः सरकार को मधुक्त परिवार प्रथा, पर्दा प्रथा, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास आदि को कानून बनाकर विकासोन्मुख सत्यागतों के रूप में परिवर्तित करना चाहिये। सरकार को प्रगतिशील सत्यागतों की स्थापना करने में

करती है, विकास के अनुकूल प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है, साधनों के सदुपयोग को बढ़ावा देती है, आय के वितरण में समानता लाती है, मुद्रा की मात्रा को देश की विकास आवश्यकतानुसार नियन्त्रित करती है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करती है, अर्थव्यवस्था में भारी उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करती है तथा देश में पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देकर लोगों को आर्थिक प्रेरणा में वृद्धि करती है तो इन क्रियाओं से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत अगर सरकार शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में विफल होती हो, शोषण बढ़ता हो, लाभोपयोगी सेवाओं की उपेक्षा की जाती हो, अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था निर्वाह नीति का अनुमरण करती हो, कृत्रिम खर्चों एवं युद्धों में रत हो और विदेशी सम्पत्तियों में बाधा डाली जाती हो तो इनका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रो. हेरमन फाईनर (Hermans Finer) का यह मत है कि सरकार (i) वास्तविक विधान, कानून तथा नियमों को निश्चित करके, (ii) कुशल धन शक्ति का निर्माण करके, (iii) पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करके, (iv) उपभोक्ता, विनियोगकर्ता साहसियों एवं नव प्रवृत्तियों को प्रभावित करके, (v) जनसंख्या और साधनों को प्रभावित करके तथा (vi) विदेशी व्यापार को प्रभावित कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार स्वयं उत्पादक, नव प्रवृत्तियों एवं आर्थिक क्रियाओं का संगठन कर आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकती है। इन मंत्र विचारों के सफलता के आधार पर हम आर्थिक विकास के लिए सरकार की भूमिका निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

1 शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना (Maintenance of Peace and Security)—राष्ट्र की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तथा आन्तरिक शान्ति व्यवस्था (Law and Order) किसी भी देश के आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है। अगर सरकार देश में आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था रखती है तो वृद्धि और पूंजी निर्माण बढ़ता है। आर्थिक क्रियाएँ सुचारु रूप से चलती हैं तथा आर्थिक विकास को बल मिलता है। इसके विपरीत अगर देश की सरकार विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा न रख सके, या आन्तरिक विद्रोह, गृहयुद्ध, डकैती, लूट-पाट तथा कानून और व्यवस्था का अभाव हो तो जनता में आतंक और भय छाया रहता है। विदेशी आक्रमण की सन्दिग्धता और आन्तरिक अर्थव्यवस्था के कारण सरकार का बहुत अधिक वित्तीय साधन अस्त्र-शस्त्रों, युद्ध के सामान तथा सनाथा तथा पुलिस प्रशासन पर व्यय करना पड़ता है जिससे आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन का अभाव रहता है। ऐसी बाधावरण में उद्योगों, व्यवसायों व उत्पादन कार्यों को घटका पहुँचता है और आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ खींची जाती हैं। जैसे भारत पर 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 व 1971 में पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण हमारे आर्थिक विकास को भारी घटका लगा। बंगला देश के शरणार्थियों व पाकिस्तान से युद्ध में देश को भारी क्षति उठानी पड़ी। अस्त्र व अर्थव्यवस्था एवं विद्रोह, हत्याएँ

लूट-पाट आदि के कारण आर्थिक विकास का मार्ग प्रवृद्ध हुआ। अतः सरकार अर्थव्यवस्था को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान कर तथा आन्तरिक शान्ति एवं व्यय स्या कायम करके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अर्द्ध-विकसित विकासशील राष्ट्रों की सरकारें देश में शान्ति एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर देश को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

2. विकास के लिये आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था (Provision of Economic and Social Overhead Facilities)—आर्थिक विकास के लिए जहाँ एक ओर आवश्यक आर्थिक सुविधाओं—यातायात एवं संचार, विद्युत् शक्ति, सिंचाई, अनुमान, भूसुरक्षण आदि की आवश्यकता होती है तो दूसरी ओर आवश्यक सामाजिक सेवाएँ—शिक्षा, आवास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम कल्याण तथा समाज कल्याण आदि की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएँ सरकार ही उपलब्ध कर सकती है क्योंकि एक तो इनमें भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है तथा दूसरी ओर ये ऐसे विनियोग हैं जिनका लाभ दीर्घकाल में मिलता है। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं की पूर्ति निजी साहसी की सीमाओं से परे है। इन सुविधाओं के विस्तार से अर्थव्यवस्थाओं में बाह्य मिनव्ययिताओं का उदय होना है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार को दल मिलना है, कृषि का विकास होता है। मानवीय पूँजी की कुशलता बढ़ती है। तकनीकी ज्ञान का प्रसार होना है। ये सब सामूहिक रूप से आर्थिक विकास का गति प्रदान करते हैं जबकि इन सुविधाओं की अनुपस्थिति में विनियोग नहीं बढ़ने, प्राकृतिक साधनों का विदोहन, परिवहन एवं संचार साधनों के अभाव में कठिन होता है। अतः सरकार इन आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं का विकास एवं विस्तार कर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में इन आवश्यक सुविधाओं का नितान्त अभाव होता है। सरकार इन सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद इन सुविधाओं का तेजी से विकास एवं विस्तार किये जाने से आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत्, सिंचाई, परिवहन एवं संचार, जन स्वास्थ्य, शिक्षा पर भारी व्यय किया गया है।

3. साधनों का विदोहन एवं सुरक्षण (Exploitation and Conservation of Resources)—आर्थिक साधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण व्यापक एवं दीर्घकालीन होता है जबकि निजी व्यवसायी अपने निजी लाभ से प्रेरित होकर अल्पकालीन लाभ में आस्था रखते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार साधनों के उचित विदोहन की नीति का अनुसरण कर सकती है। साधनों का उपयोग आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सकता है और उनकी बर्बादी को

रोका जा सकता है। अतः सरकार को धार्मिक विकास के लिये देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के उचित विदोहन का मार्ग-दर्शन करना चाहिये तथा उन साधनों के संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार सरकार साधनों के वर्तमान और भावी उपयोग को निर्धारित कर धार्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आज हम देखते हैं कि भारत सरकार न केवल देश के प्राकृतिक साधनों के विदोहन—जैसे नदी घाटी योजनाएँ, खनिज विकास, भूमि पर कृषि आदि पर ध्यान दे रही है वरन् उनके उचित संरक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था कर रही है।

4 कुशल श्रम शक्ति का निर्माण तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार (Creation of Skilled Labour Force and Expansion of Technical Knowledge)—किसी भी देश का धार्मिक विकास बहुत कुछ उसकी कुशल श्रम शक्ति और उसके तकनीकी ज्ञान की मात्रा पर निर्भर करती है। कुशल एवं तकनीकी श्रम के अभाव में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में श्रम शक्ति का बाहुल्य है पर श्रम अकुशल है। सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से कुशल श्रम शक्ति का निर्माण कर सकती है। सरकार श्रमिकों की आदतों को प्रभावित कर सकती है, उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान कर सकती है।

धार्मिक विकास के लिये श्रम और पूँजी के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध औद्योगिक शान्ति में सहायक होता है जिससे उत्पादन, आय एवं विनियोगों का बढावा मिलता है जो अन्ततः धार्मिक विकास को प्रेरणा देते हैं। श्रम और पूँजी के अर्द्ध सम्बन्धों से औद्योगिक शान्ति तो बढती ही है पर साथ ही श्रमिकों में उत्पादन वृद्धि के प्रति उत्तरदायित्व भी बढता है। श्रम की कुशलता के लिए उपयुक्त प्रेरणाओं की व्यवस्था की जा सकती है तथा श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

5 बचतों पूँजी निर्माण एवं विनियोगों को प्रभावित करना (Influence the Level of Savings, Capital Formation and Investment)—देश में बचतों, पूँजी निर्माण और विनियोगों का ऊँचा स्तर धार्मिक विकास के महत्वपूर्ण घटक है। इनके अभाव में धार्मिक विकास की गति धीमी हो जाती है तथा साधनों का विदोहन प्रायः मुश्किल होता है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी और विनियोग के नीचे स्तर के कारण देश में उत्पादन स्तर नीचा है, उत्पादन कम होने से लोगों की आय कम है। उपभोग की कमी तथा बचतों की कमी से पूँजी निर्माण और विनियोग प्रेरित नहीं होते और इस प्रकार अर्द्ध-विकसित राष्ट्र अपने निर्धनता के चक्र में फँसे हुए हैं। ऐसी स्थिति से छुटकारा दिलाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सरकार प्रदर्शनात्मक उपभोग पर नियन्त्रण लगा सकती है, अनिर्धार्य बचतों को प्रेरित कर सकती है। करोड़ों प्राप्त बचतें उत्पादक कार्यों में विनियोग की जा सकती हैं। सरकार अपनी उपयुक्त नीति से बचत करने की

उचित परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है। देश में अल्प बचत योजनाएँ, बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से न केवल बचतों को बढ़ावा मिलता है वरन् इन बचतों से उत्पादक कार्यों में, विनियोग में सहायता मिलती है। सरकार अपनी कर नीति से उद्योगों में विनियोगों को प्रेरणा दे सकती है। सरकार निजी उपक्रमों को आर्थिक सहायता या रियायतें देकर भी उन्हें उत्पादक उद्योगों में विनियोग के लिए प्रेरणा दे सकती है। एक मुनिश्चित औद्योगिक एवं कृषि नीति भी पूँजी निर्माण और विनियोगों को बढ़ाती है। इस तरह अनेक प्रकार से सरकार बचतों, पूँजी निर्माण तथा विनियोगों के स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार की कर नीति, औद्योगिक नीति आदि इस दृष्टि से उपयुक्त हैं।

6. आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष भाग लेना (Direct Participation in Economic Activities)—आर्थिक विकास की योजनाओं में भारी व्यय करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ती है तथा उनके संचालन में विशेषज्ञों की सलाहों व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो अर्द्ध-विकसित देशों में निजी व्यवसायियों के साधनों से परे होती है। यथायात, सिंचाई, विद्युत् और भारी आधारभूत उद्योगों की विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने में निजी क्षेत्र पहल नहीं करता, ऐसे क्षेत्रों में सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से एक साहसी एवं उद्योगपति के रूप में प्रवेश कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। जैसे भारत सरकार ने परिवहन एवं संचार व्यवस्था, सोह एवं इस्पात उद्योगों के चार कारखाने—रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा और बोकारो-हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, मोपाल का हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना आदि की स्थापना की है, विशाल विद्युत् एवं सिंचाई योजनाएँ त्रियान्वित की हैं। यही नहीं, निजी व्यक्तियों के साथ सहयोग से भी उद्योग स्थापित किये गये हैं। जब सरकार यह महसूस करे कि मार्ग-दर्शन ही पर्याप्त नहीं तो स्वयं आकर आर्थिक विकास की गति तेज कर सकती है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी प्रवेश से एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं। जहाँ पहले सरकार का औद्योगिक विनियोग में 15% भाग था अब बढ़कर 38% हो गया है। सरकार का विनियोग 160 सार्वजनिक उपक्रमों में 14000 करोड़ रु. के लगभग है।

7. संस्थागत परिवर्तनों को प्रभावित करना (Influencing Institutional Changes)—आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर ये संस्थाएँ लोगों में भौतिक समृद्धि, व्यक्तिगत विकास तथा उच्चतर, भविष्य के प्रति, प्रेरणा, जागृत करती हों तो देश में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और अगर ये संस्थाएँ कार्य के प्रति अरुचि, धार्मिक प्रवृत्तियों और रुढ़िवादिता को प्रोत्साहित करती हों तो विकास की प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। अतः सरकार इन संस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में दोषपूर्ण भूमि

आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका

सहायक हैं। स्थितियों में शिक्षा का प्रसार, उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता, व्यवसायों में काय की प्रवृत्ति, पिछड़ी जाति का विकास भी महत्वपूर्ण काय है।

9 आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियाँ (Government Policies Conductive for Economic Development)—आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली अनेक सरकारी नीतियों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इन सरकारी नीतियों में 6 नीतियाँ प्रमुख हैं —

(i) प्रशुल्क नीति (Tariff Policy) के द्वारा सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाती है। उनसे दोहरा लाभ होता है। एक ओर देश के आन्तरिक उद्योगों को संरक्षण मिलता है तथा दूसरी ओर सरकार को आय प्राप्त होती है जिसे सरकार विकास कार्यों पर व्यय कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। भारत में संरक्षण की नीति का अनुसरण ब्रिटेन शासन में 1921 से हुआ तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की प्रशुल्क नीति का भारतीय आर्थिक विकास में अधिक योग रहा है।

(ii) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)—इस नीति के अन्तर्गत साधन जनिक राजस्व, व्यय, ऋण तथा हीनार्य प्रबन्ध आदि का समावेश होता है। राजकोषीय नीति से उपभोग को नियन्त्रित कर वृद्धि करना, विनियोग में वृद्धि कर उन्हे देश के उत्पादक कार्यों में प्रेरित करना, आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को समाप्त करना तथा सार्वजनिक व्यय के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति आर्थिक विकास में योगदान करती है। सार्वजनिक व्यय से उद्योगों में मदी और बेकारी पर नियन्त्रण होता है। प्रगतिशील करारोपण से प्रदर्शनात्मक व्यय पर रोक तथा आर्थिक विपत्तियों में कमी होती है। पूँजी निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। भारत में राजकोषीय नीति को आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त बनाया गया है।

(iii) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)—मौद्रिक नीति का अभिप्राय वाछित आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख का मात्रा वा सकुचन एवं विस्तार करना है। मौद्रिक नीति का संचालन देश वा केन्द्रीय बैंक करता है। उत्पादक कार्यों के लिए साख की पूर्ति, अनावश्यक कार्यों के लिए साख पर नियन्त्रण, देश की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुकूल साख सृजन आदि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति से पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता तथा भुगतान असन्तुलन में सुधार से विकास कार्यों में योग मिलता है। भारत में रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति को इस प्रकार क्रियान्वित कर रहा है कि यह हमारे आर्थिक विकास में सहायक हुई है।

(iv) मूल्य नीति (Price Policy)—आर्थिक विकास के लिए आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता (Stability in Price) आवश्यक है। धीरे-धीरे बढ़ते हुए मूल्यों

से देश में उत्पादन, विनियोग और रोजगार में वृद्धि होती है जबकि तेजी से गिरते हुए मूल्य से विनियोग कम हो जाता है, लान कम होने से उत्पादन कार्यों की गति धीमी या ठप्प हो जाती है, बेकारी फैलती है। तेजी से बढ़त हुए मूल्यों से भी अधिक विकास में बाधा पहुँचती है जैसा कि भारत में हम अनुभव कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तेजी से बढ़ने के कारण लोगों में संप्रह प्रवृत्ति बढ़ती है, ऊँचों लागतें सरकार के विकास कार्यों का महंगा कर देती है। जनता का रोप बढ़ जाता है जिससे आन्तरिक अशांति बढ़ती है। अतः सरकार मूल्य स्थायित्व की नीति अपना कर आर्थिक विकास में योग दे सकती है। भारत में मूल्य स्थायित्व की नीति की असफलता से आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। अब इसे प्रभावी बनाने की बहुत आवश्यकता है। एक उचित मूल्य नीति वह है जो उद्योगों, कृषकों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा दे तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराये। मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव (Fluctuations) न हो।

(v) विदेशी व्यापार नीति (Foreign Trade Policy)—आर्थिक विकास के लिए मशीनें, औजार, पूँजीगत सामान, तकनीकी विशेषज्ञ आदि का आयात करना पड़ता है। इन सबका आयात विदेशी विनिमय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः सरकार को-मुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए एक ऐसी विदेशी व्यापार नीति का अनुसरण करना चाहिए कि अनावश्यक आयात घटे, निर्यात बढ़े और ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति हो जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। आयात नियन्त्रण की नीति देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है। भारत में 1957 के बाद से निर्यात सम्बन्धन प्रयत्न का विकास हुआ। अनावश्यक आयातों को हतोत्साहित करने के लिए आयात नियन्त्रण सहाय है। बहुत सी वस्तुओं का आयात ही बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार एक विकास प्रेरित विदेशी व्यापार नीति का अनुसरण आर्थिक विकास में सहायक रहा है।

(vi) जनसंख्या एवं श्रम नीति (Population Policy and Labour Policy)—एक आदर्श जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है जबकि जनसंख्या और जनसांख्यिकीय समस्याएँ आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती हैं। भारत में अत्यधिक जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उसका कारण अनेक आर्थिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है जैसे बेकारी, खाद्यान्न समस्या, आवास समस्या आदि। भारत में परिवार नियोजन कार्यों पर व्यय करना पड़ता है। अब इस नीति का साकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जो भावी आर्थिक विकास में सहायक होगा। इसी प्रकार उपयुक्त श्रम नीति से पूँजी और श्रम में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर उनमें संपन्नता लाया जा सकता है। औद्योगिक शक्ति स्थापित की जा सकती है तथा श्रमिकों का उद्योग के लान में महामहिता द्वारा

अधिक उत्पादन की प्रेरणा दी जा सकती है। ये सब उपयुक्त अर्थ-नीति के वे भाग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।

10 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना (To Secure International Co-operation for Economic Development)—राज के अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग में सरकार आर्थिक विकास में विकसित राष्ट्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त कर अपने आन्तरिक विकास को प्रेरित कर सकती है। विदेशों से औजार, मशीनें, तकनीकी विशेषज्ञ आदि आर्थिक विकास के लिये आयात किये जा सकते हैं और बदले में ऐसी वस्तुएँ दी जा सकती हैं जिनसे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो और देश में लोगों को रोजगार भी मिले। विकसित राष्ट्रों से वैश्वी सम्बन्ध रखकर सरकार अर्थ विकसित राष्ट्र के लिये विदेशी ऋण ले सकती है, सैनिक सन्धियों से बाह्य आक्रमण से मुक्ति पा सकती है।

भारत को अपनी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में पाश्चात्य राष्ट्रों से ही सहायता नहीं मिली वरन् साम्यवादी रूस, चेकास्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि से भी सहायता मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सगठनों का भी पूर्ण योग रहा है। भारत में मुद्रा निरपेक्षता की नीति से पूँजीवादी तथा साम्यवादी दोनों शक्तियों के सहयोग से सरकार आर्थिक विकास में काफी सहायक सिद्ध हुई है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 "सरकार का आर्थिक योगदान सदैव बढ़ता जा रहा है।" इस कथन की व्याख्या कीजिये।

(सकेत—प्रथम भाग में बताना है कि सरकार की भूमिका बदलने के साथ साथ बढ़ रही है। दूसरे भाग में वर्तमान सरकारों की भूमिका शीर्षक की सामग्री देना है।)

- 2 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकार को अपनी नीति निर्धारित करने के लिये जिन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिये, उन पर अपने सुभाव प्रस्तुत कीजिये।

(सकेत—आधुनिक सरकारों की अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती भूमिका के शीर्षक की सामग्री विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, बेरोजगारी पर रोक, आर्थिक समानता, शोषण पर रोक, दरिद्रता निवारण, पूँजी-निर्माण, प्रवृत्तियों को प्रभावित करने आदि के सन्दर्भ में देना है।)

- 3 वे कौन-कौनसी विधियाँ हैं जिनके द्वारा आधुनिक सरकार देश की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है या आर्थिक क्रियाओं का नियमन करती है ?

(Raj I yr T D C 1974)

अथवा

आधुनिक ढंग की सरकारें किस प्रकार आर्थिक विकास में अपनी भूमिका बढ़ा करती हैं ?

अथवा

विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिये सरकार क्या-क्या उपाय अपना सकती है ?

अथवा

मिश्रित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिये ।

(संकेत—प्रश्न के उत्तर में “आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका” शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये सभी विषय सामग्री को संक्षेप में दीजिये ।)

4. “सरकार आर्थिक विकास की प्रेरक, मार्ग दर्शक और निर्धारक है” इस कथन की भारतीय मद्दमें में पुष्टि कीजिये ।

(संकेत—प्रश्न के उत्तर में “सरकार की आर्थिक विकास में भूमिका” तथा आर्थिक विकास की गति प्रदान करने वाले तरीकों को भारतीय उदाहरण देकर बताइय ।)

5. उन तरीकों का वर्णन कीजिये जिनके द्वारा सरकार देश के आर्थिक विकास का प्रोत्साहन दे सकती है । (Raj Ist Yr. T D C 1973, 75, 77)

(संकेत—इसके उत्तर में अध्याय में दिये गये तरीकों का शीर्षकानुसार विवेचन कीजिये ।)

6. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकार की अपनी नीति निर्धारित करने के लिए जिन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिये, उन पर अपने सुभाव प्रस्तुत कीजिये । (Raj Ist yr. T D.C. 1978)

(संकेत—प्रथम भाग में अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का अन्विष्ट स्पष्ट करके दूसरे भाग में आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines) अध्याय में शीर्षकानुसार देना है और तीसरे भाग में उन सुझावों को दीजिये जो आर्थिक विकास में जरूरी हैं जैसे जन सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, जनसंख्या नियंत्रण, राजनैतिक स्थायित्व आदि ।)

आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा मुद्रा का सृजन

(Creation of Money in Modern Economy)

आधुनिक युग में मुद्रा का महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया है कि इसे मुद्रा युग कहा जाय तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। मानव की समस्त आर्थिक क्रियाय-उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व मुद्रा के इद गिद चक्कर काटती है। इसी प्रकार मुद्रा को अर्थतन्त्र की घुरी कहा गया है।

मुद्रा का अर्थ (Meaning of Money)—अंग्रेजी में “Money” शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के “Moneta” शब्द से हुई है जो रोम की देवी जुनो का प्रथम नाम था। वह स्वर्ग की रानी मानी जाती थी। इसी कारण मुद्रा (Money) को भी स्वर्गीय आनन्द का प्रतीक माना जाता है क्योंकि मुद्रा के प्रयोग से सब कार्य सम्भव होत है। मुद्रा को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। गवर्टसन जैसे अर्थशास्त्री केवल धात्विक सिक्का को ही मुद्रा मानते हैं। उनके अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य के भुगतान में अथवा व्यवसायिक दायित्वों को निबटाने में विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। जबकि दूसरी ओर हार्टले विदस (Hartley Withers) के अनुसार “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे” (Money is what money docs)। इसी प्रकार प्रो फोल के अनुसार मुद्रा केवल श्रय-शक्ति है जो पस्तुणें खरीदती है। रोबर्टसन की परिभाषा बहुत सही है जबकि हार्टले विदस तथा फोल की परिभाषाएँ बहुत ही विस्तृत हैं। विस्तृत दृष्टिकोणों के अनुसार ता धात्विक, कागजी मुद्रा व साख-पत्र सब मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार मध्यम मार्ग एक उचित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें कीन्स, मार्शल तथा नाउथर आदि प्रमुख हैं। मार्शल के अनुसार “मुद्रा में वे सब सम्मिलित हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर निस्सोच वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने तथा पच्चों के भुगतान के साधन के रूप में साधारणतया प्रचलित रहती हैं।” इसी प्रकार कीन्स (Keynes) के शब्दों में “मुद्रा वह वस्तु है जिसको देकर अण प्रसविदों तथा कीमत प्रसविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य श्रय शक्ति का संचय किया जाता है।”

उपयुक्त परिभाषा—उपयुक्त विभिन्न दृष्टिकोणों के समन्वय से हम मुद्रा की एक उपयुक्त परिभाषा दे सकते हैं “कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदण्ड तथा मूल्य सचय के साधन के रूप में स्वतन्त्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है।” इससे स्पष्ट है अगले साख-पत्र किसी क्षेत्र विशेष में निःसकोच विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक होने के साथ-साथ सर्वग्राह्य हो तो वह भी मुद्रा ही कही जा सकती है पर सामान्यतया साख-पत्रों को मुद्रा की श्रेणी में नहीं लिया जाता क्योंकि उनमें सर्वग्राह्यता तथा एन्चिदक हस्तान्तरण का अभाव होता है। साख-पत्रों में सचय शक्ति भी नहीं होती। अतः मुद्रा में विधिग्राह्य घातिका सिक्के व कागजी मुद्रा ही सम्मिलित होने हैं।

मुद्रा का स्वभाव या प्रकृति (Nature of Money)—मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है क्योंकि मुद्रा के प्रयोग से आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन होता है, साहसी को प्रेरणा मिलती है। मुद्रा एक ऐसा आवरण है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा है। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है जो वस्तु के गुण व विधिग्राह्यता पर निर्भर करता है। मुद्रा एक साधन है साध्य नहीं क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक होता है। मुद्रा सम्पत्ति का सबसे तरल रूप होता है क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता होती है। मुद्रा की उपयोगिता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है जैसा भारतीय मुद्रा का अमेरिका में कम महत्व होता है। आजकल मुद्रा की पूर्ति तथा माग पर सरकार का प्रभावी नियन्त्रण रहता है।

मुद्रा के कार्य

(Functions of Money)

मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिये हुआ है। सम्यता के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा का कार्य वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय का माध्यम व मूल्य मापक या पर आधुनिक युग में मुद्रा अनेक कार्यों का सम्पादन करती है। प्रो. क्रॉथर (Crowther) के अनुसार “मुद्रा के कार्य हैं चार—माध्यम, मापक, सचय और आधार” (Money is a matter of functions four—A medium, A measure, A standard, A Store)। आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के कार्यों को चार भागों में विभाजित करते हैं—

मुद्रा के कार्य (Functions)

↓	↓	↓	↓
प्राथमिक कार्य	मौल्य कार्य	आकस्मिक कार्य	अन्य कार्य
(1) विनिमय का माध्यम	(1) विलम्बित	(1) आय-वितरण	(1) निर्णय बाहक

(2) मूल्य का मापन	भुगतान का	(ii) अधिकतम उप-	(ii) शोध क्षमता
	आधार	योग	की गारन्टी
	(ii) क्रय-शक्ति	(iii) साख का आधार	
	का सचय	(iv) पूँजी की तरलता	
(iii) मूल्य-			
	हस्तान्तरण		

(1) मुद्रा के प्राथमिक कार्य (Primary Functions)—ये मुद्रा के अत्यावश्यक कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को पूरे करने पड़ते हैं। (i) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)—मुद्रा में सर्वप्राप्तता का गुण होने से यह वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। यह वस्तु-विनिमय (Barter) की कठिनाइयों को समाप्त करती है। अब मुद्रा के द्वारा क्रय-विक्रय अथवा लेन देन सरल हो गया है (ii) मूल्य मापक (Measure of Value)—मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन में उनका तुलनात्मक मूल्य मापन करना है। कालबोर्न ने मुद्रा के इस कार्य को प्रमुख माना है। जिस प्रकार लीटर, मीटर, किलो, भौतिक वस्तुओं के मापदण्ड हैं उसी प्रकार मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक सामान्य मापदण्ड (Common Measure of value) है। मुद्रा के दोनों कार्य परस्पर सम्बन्धित हैं।

(2) मुद्रा के सहायक या गौण कार्य (Secondary Functions of Money)—मुद्रा के उपर्युक्त दो कार्यों के अतिरिक्त कुछ गौण कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अन्तर्गत तीन कार्य हैं—

(i) विलम्बित भुगतान का मान (Standard for Deferred Payments)—प्राधुनिक युग में समूचा आर्थिक ढांचा उधार लेनदेन व साख पर आधारित है अतः भावी भुगतानों का आधार मुद्रा ही है। आज के उधार सौदे भविष्य में मुद्रा के द्वारा ही निपटाने में उपयुक्त मान माना जाता है।

(ii) क्रय शक्ति का सचय (Store of Value)—मुद्रा में सर्वप्राप्तता, टिकाऊपन, मूल्य स्थिरता तथा संप्रह की सुविधा होती है अतः मुद्रा में क्रय-शक्ति का सचय अपेक्षाकृत सरल होता है। वर्तमान आय को मुद्रा के रूप में भविष्य के लिये बचाकर पूँजी सचय किया जाता है।

(iii) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—मुद्रा की सर्वप्राप्तता टिकाऊपन तथा विनिमय के माध्यम के रूप में मूल्य का हस्तान्तरण सुविधाजनक हो गया है। अगर व्यक्ति एक स्थान पर अपनी सम्पत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है दूसरे स्थान पर खरीद लेता है इससे साधनों की गतिशीलता व बहनीयता बढ़ जाती है।

3 मुद्रा के आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)—प्रो० किन्ले (Kinley) ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मुद्रा के आकस्मिक रूप से उद्भव होने

वाले चार कार्यों का उल्लेख किया है जिससे आर्थिक क्रियाएँ ठीक प्रकार से चलती हैं—

(i) सामाजिक आय का वितरण (Distribution of Social Income)—बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग प्राप्त कर उत्पत्ति की जाती है। इस सामूहिक उत्पादन का उन साधनों में वितरण मुद्रा के रूप में मुग्तान द्वारा ही सम्भव होता है। मुद्रा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का मूल्य-निर्धारण तथा उनमें वितरण की व्यवस्था सुविधाजनक बनाती है।

(ii) साधनों के अधिकतम उपयोग का आधार—मुद्रा के उपयोग से उपरोक्त अपने सीमित साधनों से अधिकतम सन्तुष्टि सम सीमान्त-उपयोगिता नियम के द्वारा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार उत्पादक भी उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उत्पत्ति के बराबर प्रतिफल चुकाता है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा उत्पादन तथा उपभोग दोनों क्षेत्रों में अधिकतम लाभ प्राप्त करना सम्भव होता है।

(iii) मुद्रा साक्ष का आधार है (Money is basis of Credit)—क्योंकि बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थायें मुद्रा के आधार पर ही साक्ष का सृजन करती हैं। बैंकों, ह्विडियो एवं साक्ष पत्रों का आधार मुद्रा ही है।

(iv) पूँजी की तरलता एवं उत्पादकता मुद्रा में बहुत कुछ निहित है क्योंकि मुद्रा पूँजी की तरलतम रूप प्रदान कर उसे गतिशील बनाती है। यही कारण है कि व्यक्ति अधिक लाभोपार्जन के लिये पूँजी की तरल रूप में रखना पसन्द करते हैं।

4 विधि कार्य—इसके अन्तर्गत दो कार्य आते हैं। पहला मुद्रा निर्माण का वाहक (Bearer of Option) होती है। मुद्रा से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ, सेवाएँ हर समय तथा हर स्थान पर प्राप्त कर सकता है तथा दूसरा मुद्रा शोधन क्षमता की गारन्टी (Guarantor of Solvency) है। जब तक लोगों के पास मुद्रा होती है वे ऋणों को भुगतान करने की क्षमता रखते हैं तथा उनके दिवालिया घोषित होने की सम्भावना नहीं होती।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या भूमिका

(Importance or Role of Money in Modern Economy)

आधुनिक युग “मुद्रा का युग” कहा जाये तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि मुद्रा आज हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की मार्ग दर्शक और संचालक है। मार्शल के अनुसार “मुद्रा वह धरो है जिसके चारों ओर अर्थतन्त्र चक्कर काटता रहता है।” प्रो० नाउथर ने यहाँ तक कहा है कि जो महत्व यन्त्र शास्त्र में पहिए का, विज्ञान में अग्नि का तथा राजनीति में मत (Vote) का है वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। इन विचारों के सन्दर्भ में हम मुद्रा का निम्न महत्व देखते हैं—

1 मुद्रा आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक है, मुद्रा अर्जन के लिये मनुष्य आर्थिक क्रियाएँ करता है, जोखिम उठाता है नये कार्यों की शुरुआत करता है अर्थात् मुद्रा आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत करती है तथा उन्हें प्रेरणा देती है।

2. मुद्रा आर्थिक घटनाओं व कार्यों का मापक होता है—क्योंकि मुद्रा मूल्य का सामान्य मापदण्ड प्रदान करती है। एक देश की आर्थिक क्रियाओं की तुलना या एक ही देश में आर्थिक क्रियाओं की विभिन्न समयों व स्थानों पर तुलना करना मुद्रा के द्वारा ही सम्भव होता है। आर्थिक विकास को मुद्रा के मापदण्ड द्वारा ही मापा जाता है।

3. मुद्रा अर्थ-तन्त्र की धुरी है। मुद्रा के कारण उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि सम्भव होती है और जीवन-स्तर को ऊँचा करने में सहायता मिलती है। मुद्रा के कारण उत्पादन में विविधता तथा अधिकतम वृद्धि सम्भव होती है। पूँजी निर्माण में सहायता मिलती है। उत्पादन के साधनों में गतिशीलता आती है। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका अद्वितीय है। मुद्रा के कारण वस्तु-विनिमय कठिनाइयों का समापन हुआ है। मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ है। वितरण के क्षेत्र में भी मुद्रा ने साप्ताहिक उत्पादन की व्यवस्था को सुगम बनाया है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का प्रतिकूल मुद्रा में ही दिया जाता है। राजस्व की सब क्रियाएँ—करारोपण, व्यय, ऋण, अनुदान आदि की व्यवस्था मुद्रा के रूप में ही की जाती है।

4. मुद्रा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का तो प्राण ही है क्योंकि उसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व की सब क्रियाओं का सम्पादन मुद्रा द्वारा ही सम्भव होता है। मुद्रा मूल्य तन्त्र के रूप में आर्थिक गतिविधियों की नियन्त्रक व संचालक है।

5. आधुनिक साख, वित्तीय एंव बैंकिंग व्यवस्था मुद्रा पर निर्भर है क्योंकि साख सृजन मुद्रा द्वारा होता है। वित्तीय सस्थायें बैंक, बीमा आदि के व्यवसाय का मूल आधार मुद्रा ही है।

6. मुद्रा आर्थिक प्रगति का सूचक एंव नियन्त्रक है—हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय के आकार को जो द्रव्य के रूप में व्यक्त होता है, के आधार पर करते हैं। प्रतिव्यक्ति आय तथा धन का वितरण अर्थव्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। आर्थिक मन्दी तथा युद्धोत्तरकालीन तेजी में मुद्रा का महत्वपूर्ण योग रहता है। यही कारण है कि आजकल उचित मौद्रिक नीति से आर्थिक जीवन को नियन्त्रित किया जाता है।

7. आर्थिक विकास व रोजगार में वृद्धि मुद्रा की सहायता से सम्भव होती है। मुद्रा के रूप में आय, बचत व उपभोग प्रभावित होता है जिससे विनियोग व उत्पादन क्रियाओं का विस्तार होता है। आर्थिक विकास के साथ-साथ पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है।

8. राजनैतिक क्षेत्र में भी मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुद्रा से राजनैतिक चेतना उत्पन्न होती है। प्रजातन्त्र में सत्ता हथियाने में मुद्रा सहायता देती है

तथा मौद्रिक सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। आज विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता मुद्रा के रूप में देकर उन पर अपना राजनैतिक प्रभाव जमाते हैं।

9 समाज में प्रतिष्ठा, शिक्षा, जीवन-स्तर आदि मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करते हैं। लोगों के पास पर्याप्त मुद्रा उनकी गरीबी को मिटाती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। एक अच्छे कलाकार, गायक, लेखक व वकील की पहचान उसकी मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। सत्कार के सभी सुख, सम्मान व वस्तुएँ मुद्रा द्वारा प्राप्त होती हैं। इसीलिये प्रो होरेस (Horace) ने कहा है—

“All Things Human, Divine—Renown, Honour and Worth at Money's Shrine go down”

मुद्रा के सम्भावित दोष या खतरे

(Evils or Disadvantages of Money)

यद्यपि मुद्रा मानव के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा करती है, उससे अनेक दोष भी हैं। प्रो० रोबर्टसन के शब्दों में “मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिये अनेक बरदानों का स्रोत है, अनियन्त्रित रहने पर सकट एवं अस्त-व्यस्तता का कारण बन जाती है।” इस तरह मुद्रा का आविष्कार एक बहुमूल्य किन्तु मयानक आविष्कार है। (i) मुद्रा के कारण आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। पूँजीपति अधिक आय उपाजित करते हैं जबकि गरीब मुद्रा के अभाव में कम आय प्राप्त करते हैं। (ii) मुद्रा से आर्थिक शोषण को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अधिक धन केन्द्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पूँजीपति कम मजदूरी, वेतन, अधिक लगान आदि के रूप में शोषण करते हैं। (iii) ऋणप्रस्तता में वृद्धि होती है क्योंकि मुद्रा के कारण ऋण व्यवस्था सरल हुई है। (iv) मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी या वृद्धि व्यापार चक्रों को जन्म देती है। मुद्रा के कारण अति-उत्पादन तथा अघि पूँजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। (v), मुद्रा समाज में बर्ग संघर्ष को जन्म देती है तथा मुद्रा के मोह से लालच, धोखेबाजी, चोरी-डकैती तथा नैतिक बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा के महत्व ने प्रेम, सदाचार, सद्भावना तथा मित्रता जैसे पावन विचारों को समाप्त-सा कर दिया है। (vi) मुद्रा राजनैतिक भ्रष्टाचार, दल बदन, साम्राज्यवाद तथा शोषण का कारण है।

मुद्रा का वर्गीकरण

(Classification of Money)

मुद्रा का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है पर हम यहाँ मुद्रा का वर्गीकरण उसके मुद्रा-प्रकार के आधार पर ही करेंगे।

1. धात्विक मुद्रा (Metallic Money)—मुद्रा वह होती है जिसमें धातु के बने सिक्के प्रचलन में रहते हैं। ये सिक्के सोना, चादी या तांबा आदि किसी

धातु के बने होते हैं। वैसे तो सम्यता के विक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में चमड़ा, हथियार, मोती, कोडियाँ, अनाज, पशु आदि मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किये जाते थे, पर धात्विक मुद्रायें ही अधिक प्रचलन में रही हैं। धात्विक मुद्रा में अग्रे स्वर्ण मुद्रामान का आधार होता है तो उसे स्वर्णमान (Gold Standard), रजत या चादी की मुद्राएँ प्रचलित होने पर रजतमान (Silver Standard) कहते हैं।

जब धात्विक मुद्रा के पूर्णकाय सिक्के प्रचलन में होते हैं अर्थात् (i) धातु की मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है, (ii) वह असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होती है, (iii) सिक्के का आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है तथा (iv) सिक्के की दलाई स्वतन्त्र होती है तो ऐसे सिक्के या धात्विक मुद्रा को प्रामाणिक या पूर्णतया धात्विक मुद्रा (Standard Coins) कहते हैं।

इसके विपरीत अग्रे धात्विक सिक्के का प्रचलन में गौण स्थान हो, (i) उनको सीमित मात्रा में ही विधिग्राह्य माना जाता हो, (ii) उनका आन्तरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम हो तथा (iii) स्वतन्त्र दलाई न हो तो उन्हें साकेतिक सिक्के (Token Coins) कहते हैं। इसके अन्तर्गत 10, 20, 25 पैसे के सिक्के आते हैं।

भारतीय रुपये के सिक्के को प्रामाणिक साकेतिक सिक्का (Standard Token Coins) कहते हैं क्योंकि उसमें पहली दो विशेषताएँ—देश का प्रधान सिक्का व असीमित विधिग्राह्य—तो प्रामाणिक मुद्रा की हैं जबकि दो विशेषताएँ—आन्तरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम तथा स्वतन्त्र दलाई नहीं—साकेतिक सिक्के की हैं।

2. पत्र मुद्रा (Paper Money)—आजकल विश्व के सभी राष्ट्रों में कागजी मुद्रा प्रचलित है। कागज के नोट मुद्रा के रूप में प्रचलित रहते हैं। मुद्रा निर्गमन अधिकारी कागजी नोटों के पीछे सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सुरक्षित कोप बहुमूल्य धातुओं के रूप में रखते हैं परन्तु धीरे-धीरे देशों में मौद्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास जमते जाने के कारण धात्विक कोपों का प्रचलन कम होता जा रहा है। (i) जब पत्र मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत धात्विक कोप रखे जाते हैं तो उसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा (Representative Paper Money) कहते हैं। (ii) जब पत्र मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत कोप नहीं रखकर आनुपातिक कोप रखे जाते हैं और सरकार नोटों को धातु में परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेती है तो उसे परिवर्तनशील पत्रमुद्रा (Convertible Paper Money) कहते हैं। (iii) जब सरकार नोटों के पीछे धात्विक कोप तो रखती है पर उन्हें धातु में बदलने का उत्तरदायित्व नहीं लेती तो अपरिवर्तनशील (Inconvertible Paper Money) कहते हैं। आजकल प्रायः अधिकांश देशों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही प्रचलित हैं।

मुद्रा का सृजन (Creation of Money)

किसी भी देश में मुद्रा (Money) का सृजन सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा किया जाता है। पुराने जमाने में भी सरकार की टक्कालों में

घाटिक सिक्के ढाले जाते थे। धीरे-धीरे मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व बढ़ता गया और मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण की नीवत आई। घाटिक मुद्रा सृजन में पहले पूर्णकाय धातु के सिक्के ढाले जाते थे पर लोगों में विश्वास बढ़ने तथा अत्यधिक मात्रा में मुद्रा की पूर्ति को देखते हुए पूर्णकाय सिक्को के स्थान पर अर्द्ध-शुद्धता के सिक्के प्रचलित होने लगे। अब तो विश्व के प्रायः सभी देशों में कागजी मुद्रा का बोलबाला है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले घाटिक सिक्को को ढलाई सरकारी विभाग के अन्तर्गत होती थी तथा कुछ बड़े बैंको को नोट छापने का अधिकार दिया गया था। पर रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से नोट छापने तथा सिक्के ढालने का सारा कार्य रिजर्व बैंक के पास है। भारत सरकार का वित्त विभाग एक रुपये के नोट छापता है। इन्हें करेंसी नोट (Currency Note) कहा जाता है जबकि रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाने वाले नोटो को बैंक नोट (Bank Note) कहा जाता है। भारत में प्रचलित कागजी मुद्रा के प्रचलन का एक मात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। केन्द्रीय बैंक के मुद्रा सृजन की विधि में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 1957 से पूर्व भारत में नोट निर्गमन के निम्न धातु-पातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) प्रचलित थी जिसमें रिजर्व बैंक नोट निर्गमन के पीछे 40% स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष रखना आवश्यक था बाकी 60% भारतीय प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता था। किन्तु 1957 से भारतीय मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण एवं मितव्ययितापूर्ण बनाने के लिये तथा विदेशी विनिमय सकट से छुटकारा पाने के लिये न्यूनतम कोष (Minimum Reserve System) अपनाई गई है। अब रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन के लिये कुल मिलाकर 115 करोड़ रु मूल्य का स्वर्ण कोष तथा 85 करोड़ रु की विदेशी प्रतिभूतिया अर्थात् कुल मिलाकर 200 करोड़ रु कोष रखन की आवश्यकता है और बिना किसी दिक्कत के असीमित मात्रा में नोट निर्गमन किया जा सकता है।

देश में घाटिक सिक्को की ढलाई भी भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत होती है जो सरकार के निर्देशानुसार देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का सृजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग इसके पूर्ण देख-रेख में मुद्रा सृजन करता है। देश में रेजगी की कमी को पूरा करने के लिये एल्युमिनियम व निकल आदि धटिया धातुओं के सिक्के ढाले जा रहे हैं। स्पष्टा देश का सांकेतिक प्रामाणिक सिक्का है जबकि अन्य घाटिक सिक्के देश के सांकेतिक सिक्के हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 मुद्रा जो मानव के लिय बहुत से वरदानों का स्रोत है, यदि हम उसे नियंत्रित न करें तो वह खतरो एवं अन्वयस्था का स्रोत भी बन जाता है। विश्चन कीजिये।
(I yr T D C Collegiate 1977)

(सकेत—मुद्रा को बरदानों का स्रोत सिद्ध करने के लिये उसके महत्व को बताना है तथा दूसरे भाग में उसके दोषों की व्याख्या करना है ।)

2 ' मुद्रा एक अच्छा नौकर है पर बुरा स्वामी' इस कथन की पुष्टि कीजिये ।

अथवा

मुद्रा के महत्व एवं उसके दोषों का उल्लेख कीजिये ।

(सकेत—पहले भाग में मुद्रा का अर्थ बताकर फिर मुद्रा के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिये तथा फिर उसके दोषों का उल्लेख कीजिये और अन्त में निष्कर्ष दीजिये कि मुद्रा एक साधन है, उसके नियन्त्रण के लिये मानव जिम्मेदार है ।)

3 ' मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतन्त्र चक्कर लगाता है ।' स्पष्ट कीजिये ।

(सकेत—इसमें मुद्रा के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिये ।)

4 मुद्रा की प्रवृत्ति, काय एवं महत्व का विवेचन कीजिये ।

(Raj I yr T D C 1976)

(सकेत—अध्याय में दिये गये शीर्षकानुसार विवरण देना है ।)

साख-सृजन एवं साख-सृजन संस्थायें

(Creation of Credit & Institutions Creating Credit)

प्राधुनिक अर्थव्यवस्था में साख के महत्व को स्पष्ट करते हुए वेबस्टर ने लिखा है "राष्ट्रों को घनवान बनाने में दुनियाँ की समस्त खानों ने जो काम किया है उससे कई हजार गुना कार्य साख द्वारा किया गया है।" आज साख के अभाव में व्यापार, उद्योग एवं व्यवसाय चौपट हो सकते हैं। अतः साख के महत्व को देखने हुए इसके बारे में जानकारी आवश्यक है।

साख का अर्थ (Meaning of Credit)—'साख' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "Credo" से हुई है जिसका अर्थ "में विश्वास करता हूँ" होता है। जब कोई व्यक्ति भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में मुद्रा अथवा मूल्यवान वस्तुएँ व सेवाएँ प्राप्त करता है वह शक्ति या सामर्थ्य ही मान्य कहलाती है। प्रो जेवन्स के अनुसार "साख का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है।" जबकि किन्से के शब्दों में "साख से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति की उस शक्ति या सामर्थ्य से है जिससे वह अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएँ देने को प्रेरित करता है।" इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि "साख अर्थात् किसी की उस शक्ति अथवा गुण का परिचायक है जिसके आधार पर वह वर्तमान में मुद्रा, वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग भविष्य की भुगतान प्रतिज्ञा पर प्राप्त करता है जैसे एक उत्पादक मशीन उधार पर प्राप्त कर उत्पादन करता है या बैंक से ऋण लेकर कच्चा माल प्राप्त करता है अथवा उधार पर माल खरीदा-बेचा जाता है।"

साख के आधार (Basis of Credit)—किसी व्यक्ति की साख अनेक बातों पर निर्भर करती है— (i) विश्वास माल का प्रमुख आधार है। विश्वास के अभाव में साख नहीं होती (ii) चरित्र साख का दूसरा आधार है। जो व्यक्ति उच्च चरित्र वाला होता है उनकी साख भी अधिक होती है (iii) सम्पत्ति का आधार जितना बड़ा होगा उतनी ही साख अधिक होगी साथ ही अगर सम्पत्ति तरल हो तो साख अधिक होती है (iv) साख का उपयोग अगर उत्पादक कार्यों में किया जाता है तो साख अधिक और अनुत्पादक कार्यों में होने पर साख कम होती है (v) अल्पकाल

मे साल अधिक जबकि दीर्घकाल मे साल कम होती हैं (vi) ऋण की राशि कम होने पर साल बढ़ती है पर ऋण बढ जाने पर साल कम हो जाती है ।

बैंको द्वारा साल का निर्माण (Creation of Credit by Banks)

प्राधुनिक बैंको का एक प्रमुख कार्य साल निर्माण या साल सृजन करना है । साल-सृजन का अर्थ वित्तीय सस्याओं की उस शक्ति या क्षमता से है जिसके द्वारा वे अपने ऋणो अग्रिमों अथवा निवेशों की प्रक्रिया आदि से साल की मात्रा बढा देते हैं । आश्चर्य तब होता है जब किसी देश के बैंको मे कुल जमा (Total Bank Deposits) देश मे प्रचलित कुल मुद्रा की मात्रा (Total Currency in Circulation) से अधिक ही नहीं बरन् कई गुना अधिक होती है जैसे इंग्लैंड मे 1969 मे 368 करोड पौण्ड मुद्रा प्रचलन मे थी पर उस वष बैंको मे कुल जमा राशि का योग 2461 करोड पौण्ड अर्थात् लगभग 7 गुना अधिक थी । यही बैंको की रहस्यमयी साल निर्माण की कारणात् है । इसीलिये प्रो सेयम ने कहा है कि 'बैंक केवल एक द्रव्य जुटाने वाली सस्या ही नहीं हैं बरन् वे द्रव्य सृजन सस्याएँ भी हैं ।'

साल निर्माण कैसे होता है ?—साल का निर्माण अथवा सृजन कई प्रकार से किया जाता है ।

(i) बैंक नोटो का नियमन—बैंक (प्रब केन्द्रीय बैंक) नोटो का नियमन कर साल का निर्माण करता है । नोट कागज के प्रतिज्ञा पत्र हैं जो नियमन करने वाली बैंकिंग सस्या के विश्वास पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का कार्य करते हैं, आपसी दायित्वो को निपटाते हैं । आजकल नोट नियमन करने वाले बैंक अपने घोंडे से धात्विक कोषो के आधार पर असह्य परिवर्तनशील पत्र मुद्रा जारी करते हैं । इस प्रकार से साल का निर्माण या सृजन होता है । पहले व्यापारिक बैंको को भी नोट निर्गमन का अधिकार होता था पर अब केवल देश के केन्द्रीय बैंक ही नोट नियमन कर साल का निर्माण करते हैं ।

(ii) नकद जमा तथा साल जमा द्वारा साल सृजन—यह रीति अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण देश मे मुद्रा की मात्रा की अपक्षा जमा (Deposits) अथवा निक्षेप कई गुना ज्यादा हो जाते हैं । जब बैंक मे रुपया जमा कराया जाता है तो बैंक उसका कुछ भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत नकद कोष (Cash Reserve) के रूप मे रखकर बाकी को ऋण दे देता है । बैंक द्वारा दिया गया ऋण या तो ऋणी का खाता खोलकर उसके खाते मे जमा कर दिया जाता है या वह ऋणी उस रकम को अपने दूसरे बैंक मे ले ज कर जमा कर देता है ताकि जब जरूरत हो निकाल ले । यह जमा साल जमा (Credit Deposit) कहलाती है । बैंक इन ऋणियों को बैंक या अन्य साल पत्रो की सहायता से इस राशि को निवानने की मुविधा दे देता है । इस प्रकार बैंक अपनी जमाओ मे ऋण देकर उसे पुनः

जमाओ (Deposits) के रूप में लेते हैं। जितनी अधिक रकम उधार या ऋण दी जायगी उतनी ही जमा की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार पहले ऋण जमा को जन्म देते हैं (Loans create Deposits) और फिर बैंक अपने जमा के आधार पर ही ऋण देते हैं। जितनी जमाएँ अधिक होंगी उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रखकर बाकी को उधार दे देंगे इससे जमा ऋणों को जन्म देगी (Deposits will create Loans)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकों को जितना भी नकद जमा (Cash Deposits) तथा साख-जमा (Credit Deposits) के रूप में प्राप्त होता है उसके कुछ भाग को अपने पास रखकर बाकी को उधार या ऋण दे देते हैं। इस प्रकार की निरन्तर की प्रक्रिया से बैंकों के पास साख का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो कीन्स का यह कथन “ऋण जमा की सन्तान है तथा जमा ऋणों की सन्तान” सही हो जाता है।

(111) बैंक प्रतिभूतियों, बिलों, वृण्डियों व विनिमय विपत्रों की कटौती या प्रय-विक्रय करके भी साख का निर्माण करते हैं क्योंकि इन विपत्रों का अनेक व्यक्तियों के पास हस्तांतरण उनके नकद भुगतानों के दायित्वों को निपटाने में समर्थ होता है।

“ऋण जमा की सन्तान है और जमा ऋणों की सन्तान” कैसे ?

प्रो कीन्स ने बैंकों की माख निर्माण करने की प्रक्रिया को इन शब्दों में श्रुत करते हुए लिखा है—ऋण जमा की सन्तान है और जमा ऋणों की सन्तान (Loans are Children of Deposits and Deposits are the Children of Loans)। यह कथन इस रूप में श्रुतिार्थ होता है कि जब लोग अपनी नकद धचतों को बैंक में जमा कराते हैं तो ये जमा प्राथमिक जमा (Primary Deposits) अथवा नकद जमा (Cash Deposits) या प्रत्यक्ष जमा (Direct Deposits) कहलाती हैं। फिर जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो बैंक अपने नकद जमा का कुछ प्रतिशत अपने नकद कोष (Cash Reserve) में रखकर बाकी को उधार (Loans) दे देता है। बैंक द्वारा यह उधार दी गई राशि नकद में नहीं चुका कर उसके खाते में जमा करली जाती है। इस प्रकार उधार ऋण से प्राप्त जमा को व्युत्पन्न जमा (Derived Deposit) या साख जमा (Credit Deposit) कहा जाता है। जितना अधिक उधार दिया जायगा उतनी ही Credit Deposits की मात्रा बढ़ती जायगी। इस प्रकार ऋण से जमा बढ़ेगी और जमा से अधिक ऋण देना सम्भव होगा। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है—

उदाहरण—माना कि A ने बैंक में 10,000 रु. जमा कराये और बैंक इन जमाओ का 10 प्रतिशत अपने पास कोष रख कर बाकी को ऋण या अग्रिम के रूप में दे देता है। बैंक 10,000 रु की प्राथमिक नकद जमा पर 10% के हिसाब से 1,000 रु नकद कोष रख कर 9,000 रु उधार ऋणी व्यक्ति B को

वे उससे निक्षेप प्राप्त कर लेगा अर्थात् उसके खाते में जमा कर लेगा। फिर उसमें से अर्थात् 9000 के 10% के रूप में कोप रख कर बाकी 8100 रु C को ऋण देकर उससे निक्षेप प्राप्त कर लेगा, फिर इसी प्रकार 8100 रु का 10% अपने पास रख बाकी 7290 रु को ऋण देकर निक्षेप प्राप्त कर लेगा। इस तरह यह क्रम चलता रहेगा। यहाँ यह मान्यता मानी गई है कि या तो (i) व्यक्ति ऋण राशि को उसी बैंक में जमा कराता है या (ii) ऋणों उस राशि को नकद लेकर दूसरे बैंक में जमा कराता है। प्रथम में पहले वाले बैंक की ही जमा और ऋणों में वृद्धि होगी और दूसरी स्थिति में अलग-अलग बैंकों में जमा और ऋण बढ़ेंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया को तालिका में भी बताया जा सकता है—

तालिका के रूप में निरूपण

ऋणी-जमाकर्ता	प्राथमिक विशेष के रूप में राशि	दिये गये ऋण	कोपानुपात 10%	व्युत्पन्न निक्षेप
A	10,000	9000	1000	9000
B	9000	8100	900	8100
C	8100	7290	810	7290
D	7290	6461	729	6461
4 ऋणों से	34390	30851	3439	30851

तालिका से स्पष्ट है कि बैंक के पास प्राथमिक नकद जमा केवल 10 हजार रु. के पर केवल तीन बार ऋण देकर निक्षेपों में जमा करने से ही कुल जमा 34390 रु हो गई तथा ऋणों की मात्रा 30851 रु है। इस प्रकार बैंक अनेकों व्यक्तियों से तो नकद जमायें प्राप्त करते हैं तथा अनेकों को उधार देते हैं इसके अनुपात में ही जमा व ऋण बढ़ते जाते हैं। इस प्रवृत्ति को ही गुणित साख निर्माण (Multiple Creation of Credit) को सजा दी जाती है।

साख-निर्माण को ज्ञात करने का गणितीय सूत्र (Formula)

किसी देश के बैंकों में प्रारम्भिक जमाओं के आधार पर देश में कुल जमाओं (Total Deposits) तथा साख निर्माण क्षमता (Credit Creation Capacity) अथवा व्युत्पन्न निक्षेप (Derived Deposits) की मात्रा को हम निम्न गणितीय सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं—

$$\text{कुल जमा (TD)} = \frac{A}{R}$$

जिसमें A बैंको की प्रारम्भिक जमा निक्षेपों तथा R कोपानुपात (Reserve Ratio) को व्यक्त करते हैं।

उपयुक्त तालिका की प्रारम्भिक जमाओं (Original Deposits) तथा कोपानुपात के आधार पर हम देखते हैं कि—

$$\begin{aligned} \text{कुल जमा (TD)} &= \frac{A}{R} = \frac{10000}{10\%} = \frac{10000}{\frac{1}{10}} = \frac{10000 \times 10}{1} \\ &= 1,00,000 \text{ रु} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{व्युत्पन्न जमा अथवा साख निर्माण क्षमता} &= (\text{कुल जमा} - \text{प्रारम्भिक जमा}) \\ &= 1,00,000 - 10,000 = 90,000 \text{ रु} \end{aligned}$$

व्यावहारिक जीवन में हम प्रायः देखते हैं कि बैंको की कुल साख निर्माण क्षमता केवल रखे जाने वाले कोपानुपात अथवा नकद तरल कोपो की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती बरन् जमाओं का वह भाग जो अप्रयुक्त (Unutilized) पड़ा रहता है उससे भी प्रभावित होती है अतः साख निर्माण की क्षमता को ज्ञात करते समय हमें बैंको द्वारा केन्द्रीय बैंक में रखे जाने वाले कोपानुपात (Reserve Ratio), बैंको द्वारा अपने पास रखे जाने वाले तरल कोपानुपात (Liquid Ratio) तथा बैंको के पास बेकार या अप्रयुक्त धनराशि के प्रतिशत (Unutilized Fund Ratio) का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः संशोधित सूत्र इस प्रकार दिया जा सकता है—

$$\text{कुल जमा (TD)} = \frac{A}{R + L + U}$$

जिसमें A प्रारम्भिक जमा, R केन्द्रीय बैंक के पास रखे जाने वाले कोपानुपात, L बैंको द्वारा स्वयं के पास रखे जाने वाले तरल कोपानुपात तथा U बैंको के पास अप्रयुक्त निक्षेपों के अनुपात को व्यक्त करते हैं।

उदाहरणार्थ अगर प्रारम्भिक जमा 10,000 रु है, केन्द्रीय बैंक के कोपानुपात 10%, बैंको के तरल कोपानुपात 25% तथा अप्रयुक्त कोपानुपात 5% मान लें तो कुल जमा व व्युत्पन्न निक्षेपों की मात्रा इस प्रकार होगी—

$$\begin{aligned} \text{कुल जमा (TD)} &= \frac{A}{R + L + U} = \frac{10000}{10\% + 25\% + 5\%} \\ &= \frac{10000}{40\%} = \frac{10000}{\frac{40}{100}} \\ &= \frac{10000 \times 100}{40} \\ &= 25000 \text{ रु} \end{aligned}$$

घत व्युत्पन्न जमा = कुल जमा - प्रारम्भिक जमा	
(नया साख सृजन)	= 25,000 - 10 000 रु
(Creation of Credit)	= 15,000 रु

स्पष्ट है कि जितने कोषानुपात बढ़ते हैं उतनी ही साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है और कोषानुपात मात्रा कम होती है तो साख निर्माण की क्षमता अधिक होती है।

विश्लेषण की मायताएँ—(i) व्यक्ति ऋण की राशि को उसी बैंक में जमा कराते हैं या एक बैंक से नकद लेकर दूसरे बैंक में जमा कराते हैं। (ii) बैंक अपने पास नकद कोष में जमाओं का केवल केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिशत ही रखते हैं अतिरिक्त कोष नहीं। (iii) समाज में ऋणों की माग इतनी अधिक है कि सम्पूर्ण उधार देय शक्ति का पूरा प्रयोग हो रहा है।

मायताएँ अव्यावहारिक एव भ्रमपूर्ण हैं—क्योंकि (i) सभी व्यक्ति बैंक में अपना खाता नहीं खोलते अतः नकद मुग्तान की आवश्यकता होती है। (ii) बैंक अपनी सम्पूर्ण उधार देय-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते क्योंकि जोखिम बढ़ जाती है। (iii) उधार लेने वालों की भी एक सीमा होती है।

बैंको की नकद व अन्य कोषानुपात का साख-सृजन से सम्बन्ध

(Relation between Reserve Ratio & Cash Deposits of Banks)

नकद कोष (Cash)—साख सृजन की मात्रा बहुत बुद्ध बैंको के नकद जमा और कोषानुपात पर निर्भर करती है अतः इसमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। अन्य बातों के समान रहते हुए बैंको के पास नकद जमा जितनी अधिक होगी उतनी ही उनकी साख सृजन की क्षमता अधिक होगी क्योंकि साधन सम्पन्न बैंक ही अधिक उधार दे सकते हैं। छोटे बैंक जिनके पास नकद जमा कम होता है वे कम साख सृजन कर पाते हैं। बैंको के पास नकद राशि देश में उपलब्ध विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा तथा लोगों में बैंकिंग आदत पर भी निर्भर करती है। जिस देश में विधि ग्राह्य मुद्रा जितनी अधिक होगी और लोग बैंको में जमा कराने व उधार लेने में आदी होंगे तो देश में साख सृजन की कुल मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी और इसके विपरीत अग्रर देश में विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा कम हुई तो बैंको के पास नकद कम हो जाने से कुल साख निर्माण कम होगा।

कोषानुपात (Reserve Ratio)—प्रत्येक बैंक को जमा राशि व नकद के बीच एक निश्चित अनुपात बनाये रखना पड़ता है जिसे रिजर्व अनुपात (Reserve Ratio) की सजा दी जाती है। उदाहरण के लिए अग्रर बैंक 100 रु जमा के पीछे 20 रु नकद कोष में रखकर बाकी राशि को उधार देने की नीति वा अनुसरण करता है तो रिजर्व अनुपात 20% हुआ। भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी

जमाओं का 6% तो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है तथा कम से कम 34% अपने पास तरल-परिसम्पत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। जब देश में साल सृजन में वृद्धि की नीति अपनायी जाती है तो इन रिजर्व-अनुपातों को घटा दिया जाता है जिससे बैंकों के पास अधिक मुद्रा उधार देने की उपलब्ध हो जाती है और इसके विपरीत अगर कुल साल में कमी करना हो तो रिजर्व अनुपातों को बढ़ा दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि कोपानुपात और साल निर्माण में विपरीत सम्बन्ध है अर्थात् रिजर्व अनुपात 20% अर्थात् $\frac{1}{5}$ होने पर कुल साल निर्माण 5 गुना हो सकता है और अगर रिजर्व अनुपात 50% अर्थात् $\frac{1}{2}$ रहा तो साल निर्माण दुगुना ही होगा।

साल निर्माण को सोमायें अथवा

साल निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व

(Limitations or Factors affecting the Creation of Credit)

जैसा ऊपर बताया गया है कि बैंक गुणित साल सृजन करते हैं पर इस साल सृजन की कुछ सीमायें हैं। प्रो बेहनम ने साल निर्माण की तीन सीमाओं का उल्लेख किया है—(i) देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा, (ii) बैंकिंग आदत और (iii) नकद कोषों का प्रतिशत। पर वास्तव में देखा जाय तो व्यापारिक एवं औद्योगिक एवं बैंकिंग विकास का स्तर, राजनैतिक परिस्थितिया, केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति तथा लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिया आदि ये सब साल की मात्रा को प्रभावित करती हैं। इस दृष्टि से देखने पर हम साल निर्माण की निम्न सीमायें अथवा साल निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख करते हैं—

(1) देश में विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा—साल निर्माण की सबसे पहली सीमा एवं प्रभावित करने वाला घटक देश में उपलब्ध विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा (Quantity of Legal Tender Currency) है। जिस देश में कानूनी ग्राह्य मुद्रा जितनी अधिक होगी, अन्य बातों के समान रहते साल निर्माण भी अधिक होगा। नकद कोषों की मात्रा देश में विधिग्राह्य मुद्रा पर ही निर्भर करती है। अगर देश में विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा कम हुई तो साल भी कम होगी।

(2) जनता में बैंकिंग आदत—जनता में जितनी ही प्रबल बैंकिंग आदत होगी उतनी ही साल निर्माण की प्रवृत्ति प्रबल होगी। आज हम यह देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में बैंकों की साल निर्माण करने की क्षमता अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों से अधिक है क्योंकि वहाँ के लोगों में बैंकिंग आदत अधिक है। अविकसित राष्ट्रों के लोगों में द्रव्य की नकद रूप में रखने की प्रवृत्ति प्रबल है। बैंकिंग आदत नाम मात्र की है।

(3) कुल जमाओं का नकद कोष में प्रतिशत—प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित मांग नकद कोषों (Cash Reserves) के रूप में रखना पड़ता है ताकि जमाकर्ताओं की मांग पर उनकी जमा राशि का भुगतान किया जा सके। जितनी अधिक राशि बैंक अपने पास नकद कोष में रखेंगे उतनी ही साल निर्माण

करने की क्षमता कम होगी और जितनी कम राशि नकद कोष में रखी जाएगी उतना ही अधिक साख निर्माण सम्भव होगा। यह बैंक के अनुभव, परिस्थितियों आदि पर निर्भर करता है।

(4) बैंकिंग सुविधायें तथा विकास—बैंको के द्वारा साख निर्माण किया जाता है। जितनी बैंकिंग व्यवस्था उन्नत होगी और जितनी अधिक बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध होगी उतनी ही अधिक साख निर्माण की प्रवृत्ति होगी और इसके विपरीत स्थिति में साख निर्माण कम होगा।

(5) आर्थिक विकास का स्तर—जो देश जितना उन्नत होगा, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय और कृषि की दृष्टि से विकसित होगा उतनी ही साख निर्माण की प्रवृत्ति अधिक होगी और अगर देश पिछड़ा है, व्यापार, उद्योग अविकसित या अर्द्ध-विकसित है तो साख की मात्रा कम होगी। इसी प्रकार जितना जीवन स्तर उन्नत होगा उतनी ही साख का निर्माण होने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होगी।

(6) व्यापारिक दशायें (Trade Conditions)—अगर देश में व्यापार और उद्योग के फलने फूलने व ऊंचे लाभ की दशायें हों तो व्यापार और उद्योग में अधिकाधिक धन लगाया जावेगा और साख का विस्तार होगा जैसा कि तेजी काल में होता है। इसके विपरीत अगर व्यापारिक दशा मन्द है, निराशा का वातावरण व्याप्त है तो चाहते हुए भी साख का निर्माण अधिक नहीं होगा।

(7) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति—प्रायःकल प्रत्येक देश में वहाँ का केन्द्रीय बैंक देश के बैंको पर साख नियन्त्रण सम्बन्धी नीति अपनाता है। अगर केन्द्रीय बैंक साख कम करना चाहता है तो केन्द्रीय बैंक के आदेशों, निर्देशनों आदि से साख की मात्रा भी कम होगी और इसके विपरीत अगर केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो साख की मात्रा बढ़ेगी। (केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण नीति का उल्लेख आगे सम्बद्ध अध्याय में दिया गया है।)

(8) केन्द्रीय बैंक के पास जमा कोषों की मात्रा—प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद में केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। जमा की प्रतिशत जितनी अधिक होगी बैंक के पास साधन कम रहने से साख निर्माण क्षमता भी कम होगी और विपरीत अवस्था में अधिक होगी।

(9) मौद्रिक व्यवस्था—अगर देश में मौद्रिक व्यवस्था का संचालन कुशलता से हो रहा है, मार्ग में बाधाएँ कम हैं तो साख निर्माण अधिक होगा और अगर मौद्रिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त है तो साख निर्माण कम होगा।

(10) राजनैतिक दशायें—अगर देश में राजनैतिक अस्थिरता है, उथल-पुथल, दंगे-पिसाद की अशान्तिपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं तो बैंको द्वारा साख निर्माण कम होगा। परन्तु अगर राजनैतिक शान्ति, सुरक्षा एवं स्थिरता है तो साख निर्माण अधिक होने की प्रवृत्ति होगी।

(11) सरकार की नीति—सरकार भी अपनी आर्थिक नीतियों से व्यापार और उद्योग में निवेश, लाभ आदि को प्रभावित करती है। अगर सरकार की नीति आर्थिक दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर करना है तो साख का विस्तार होगा परन्तु अगर सरकार ने अत्यधिक नियन्त्रण और नियमन की नीति अपनाई है तो साख का संकुचन होगा।

(12) सट्टे का जोर एवं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ—अगर सट्टे का जोर हो तो सट्टा पूँजी साख पर ही अधिक निर्भर करता है, साख में वृद्धि को जन्म देगा और इसके विपरीत सट्टे का प्रभाव अगर सीमित है तो साख का विस्तार भी कम होगा। मनोवैज्ञानिक भावना भी साख निर्माण को प्रभावित करती है। अगर लोग आशावादी दृष्टिकोण रखकर उज्ज्वल भविष्य की आशा में काम करते हैं तो साख की मात्रा बढ़ेगी और अगर निराशावादी दृष्टिकोण से अन्धकारमय भविष्य की कल्पना है तो साख की कमी होगी।

(13) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण—अगर देश को विदेशों से ऋण मिलते हैं और उन ऋणों का उपयोग उद्योगों, व्यापार आदि में होता है तो साख की मात्रा बढ़ने की प्रवृत्ति होगी और विपरीत अवस्था में साख घटेगी।

(14) जमानत की प्रकृति—इसके अलावा जमानत की प्रकृति भी साख को प्रभावित करती है अगर जमानत पर्याप्त है तो साख बढ़ेगी अन्यथा कम होगी।

साख निर्माण का महत्व, कार्य अथवा लाभ

(Importance, Functions or Uses of Creation of Credit)

प्राधुनिक युग में साख का महत्व आर्थिक क्षेत्र में इतना बढ़ गया है कि साख को अगर औद्योगिक व्यवस्था का हृदय और व्यापारिक गतिविधियों की रक्तवाहिनी समझना कहे तो भी कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। वेबस्टर ने तो इतना कहा है कि "राष्ट्रों को धनवान बनाने में दुनियाँ की समस्त खानों ने जो काम किया है उससे कई हजार गुना कार्य साख द्वारा सम्पन्न किया जाता है।" आज हमारा सम्पूर्ण आर्थिक जीवन साख से प्रोत्-प्रोत् है। साख निर्माण का महत्व, कार्य अथवा लाभों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

(1) भौतिक समृद्धि में वृद्धि एवं सकटों से मुक्ति—आज साख ने व्यक्ति को अपनी आय से अधिक व्यय करने का सुझाव प्रदान कर वर्तमान और भविष्य दोनों की भौतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। बुद्धिमानी से प्रयोग की गई साख जहाँ एक ओर जीवन के भौतिक सुखों की सामयिक पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है वहाँ सखट काल में साख ही आकस्मिक विपत्ति से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन उपलब्ध करती है।

(2) पूँजी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि—साख के कारण पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और पूँजी के सर्वोत्तम उपयोग की सुविधा मिली है। साख

छोटी-छोटी बचतों को साहसियों व उद्योगपतियों को उपलब्ध कर समाज की निष्क्रिय और अनुत्पादक पूँजी उत्पादक कार्यों में लगाकर लाभ पहुँचाती है।

(3) बहुमूल्य धातुओं की बचत—पहले देश में मुद्रा के रूप में पूर्णकाम प्रामाणिक सिक्के प्रचलन में रहते थे जिनमें घिसावट होती थी और बहुमूल्य धातुओं का उपयोग केवल विनिमय के माध्यम के रूप में सीमित था। साख के कारण बिलो, हुण्डियो, विनिमय विपत्तों और यहाँ तक कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा ने बहुमूल्य धातुओं में बचत को बढ़ाया है तथा मुद्रा नीति को लोचपूर्ण बनाया है।

(4) आर्थिक विकास में योग—आजकल देश में आर्थिक विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विपुल धन-राशि की आवश्यकता होती है। सरकार लोगों से ऋण लेकर, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर तथा हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financing) से विकास योजनाओं को पूरा करती है। इसमें आन्तरिक और बाह्य (देश-विदेश) दोनों की साख महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इससे देश के साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है।

(5) राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सहायता—आजकल आन्तरिक और बाह्य व्यापार में बिलो, हुण्डियो, विनिमय विपत्तों द्वारा दोनों प्रकार के भुगतान मितव्ययितापूर्ण एव सुविधाजनक तरीके से निपटाये जाते हैं। इससे सभी देशों को आर्थिक लाभ पहुँचता है।

(6) मुद्रा प्रणाली में लोच एव कीमतों में स्थायित्व—बैंक व्यापारिया एव उद्योगपतियों के साथ देश के सभी लोगों की मुद्रा मांग से परिचित होते हैं तथा साख में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। इससे एक ओर मुद्रा प्रणाली में लोच आती है, तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में अनावश्यक उतार-चढ़ाव नहीं हो पाते। जब मूल्य बढ़ रहे हों, साख की मात्रा घटाई जावे और अगर मूल्य-स्तर नीचे जा रहे हों तो साख का विस्तार किया जा सकता है।

(7) आर्थिक संकट का सामना—जब देश पर कोई संकट आ पड़ता है तो सरकार को बैंकों से साख निर्माण तथा हीनार्थ प्रबन्ध से मुद्ध व आर्थिक मन्दी, अकाल, डाँड, भूकम्प आदि संकटों का मुकाबला करने में सुविधा ही नहीं रहती बल्कि देश को पतन से बचाया जा सकता है।

(8) साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था—साख की सहायता से देश में उपलब्ध विपुल प्राकृतिक साधनों का विदोहन कर साधनों के उपयोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है। साख विस्तार से व्यापार, कृषि, उद्योग आदि में विनियोग बढ़ाकर तथा उपभोग बढ़ाकर अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

(9) उपभोग वृद्धि—साख के विस्तार से उपभोग वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की जा सकती है और लोगों का जीवन-स्तर बढ़ाया जा सकता है। उपभोग में

वृद्धि विकासशील राष्ट्रों में उस सीमा तक ही उपयुक्त है जब तक मूल्य-स्तर में स्थायित्व रह सके ।

(10) नियन्त्रित अर्थव्यवस्था—साख के उपयोग से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को निश्चित अनुशासन में रखा जा सकता है क्योंकि व्यापार एवं उद्योगों को कार्यशील पूँजी बैंकों से प्राप्त होती है । केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा एवं दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है । नियोजित अर्थव्यवस्था में तो साख अर्थतन्त्र का सफल संचालन करने में सहायक होती है ।

(11) बचतों को प्रोत्साहन एवं पूँजी निर्माण—बैंक साख निर्माण की दृष्टि से आकर्षक ब्याज तथा मुग्तान की सुविधा प्रदान कर जमायें अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं । थोड़ी-थोड़ी बचतें मिलकर बड़ा मण्डार बनाते हैं । इससे पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है ।

इस प्रकार साख निर्माण आज की औद्योगिक व्यवस्था के लिए एक ऐसे चिकनाई वाले तेल के समान है जो उन्हें ठीक प्रकार से चलने में मदद करता है ।

साख-निर्माण के दोष एवं बुराइयाँ-खतरे

(Dangers, Disadvantages and Evils of Credit Creation)

नियन्त्रित साख निर्माण देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है तथा अनियन्त्रित साख पतन के गर्त में डकेलती है । साख के निर्माण से निम्न दोषों एवं खतरों का प्रादुर्भाव होता है—

(1) एकाधिकार को बढ़ावा—बैंक साख निर्माण करते समय जमानत एवं प्रतिष्ठा के आधार पर अधिकाधिक लाभ घनवानों और बड़े बड़े पूँजीपतियों को पहुँचाते हैं । इससे उत्पादन, व्यापार आदि में एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ पनपती हैं जो शोषण का कारण बनती हैं । समाजवाद का मार्ग प्रवरुद्ध करती हैं ।

(2) सट्टे को प्रोत्साहन—सट्टे के लिए साख सर्वाधिक प्रयोग की जाती है । सट्टे के कारण अर्थव्यवस्था में मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल से अर्थव्यवस्था में अस्त-व्यस्तता का भय रहता है ।

(3) साख स्फीति—प्रत्यधिक साख निर्माण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का कुचक्र बढ़ता चला जाता है जो मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए असह्य बन जाता है । धन के असमान वितरण को प्रोत्साहन देता है ।

(4) साख का अपव्यय—उधार पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होने से व्यक्ति में फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है, आत्मनिर्भरता की भावना समाप्त हो जाती है । यहाँ तक कि ऋण-अस्तित्व बढ़ती है और कमी-कमी अनैतिक कार्यों को भी बढ़ावा मिलता है ।

(5) अकुशलता पर आवरण—साख के कारण एक अकुशल उत्पादक या व्यवसायी भी जीवित रह सकता है । पर अन्त में जब साख बन्द होती है तो पुनः प्राथमिक क्षति बहुत होती है । इससे व्यावसायिक पड्यन्त्रों को भी बढ़ावा मिलता है

श्रीर पडयन्त्रो के मण्डाफोड से जनता को व्यापार एव उद्योगो मे घन लगाने मे सकोच होने लगता है ।

(6) धन के असमान वितरण को प्रोत्साहन—साख के बल पर ही कुछ धनवान लोग बडे-बडे विनियोग कर मारी लाभ कमाते हैं । एक श्रीर जिनको साख उपलब्ध है आर्थिक समृद्धि की श्रीर बढ़ते है, गरीबो को साख के अभाव मे विनियोग तो दूर, खाने के लाले पडते हैं । इससे आर्थिक विपमता बढ़ना स्वामाविक है ।

(7) अति-उत्पादन का भय—साख का अत्यधिक बढ़ता उपयोग उत्पादन आधिक्य को जन्म देता है या कमी कमी उद्योग मे पूँजी आधिक्य की स्थिति उत्पन्न करते हैं ।

(8) व्यापार चक्रों का जन्म—प्रारम्भ मे तो बैंको द्वारा बडी मात्रा मे साख उपलब्ध करना श्रीर फिर एकदम बन्द करना या कम कर देना अत्यन्त मे मनोर्वज्ञानिक भय उत्पन्न कर देता है । 1930 की आर्थिक मन्दी मे यह एक बडा कारण था । अतः साख मे अत्यधिक वृद्धि अथवा एकदम कमी से व्यापार-चक्रो का जन्म होता है ।

साख निर्माण श्रीर आर्थिक विकास

(Credit Creation & Economic Growth)

साख के उपयुक्त दोषो एव गुणो का विवेचन करने से स्पष्ट है कि जब साख अनियन्त्रित हो जाती है तो मानव के आर्थिक कष्टो का कोरण बनती है श्रीर नियन्त्रण मे रहते हुए आर्थिक विकास मार्ग प्रशस्त करती है । साख आर्थिक विकास मे उद्योगो को चालू पूँजी प्रदान करती है । मारी विनियोगो से पूँजी निर्माण सम्भव बनाती है । विदेशी व्यापार भुगतानो मे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आर्थिक विकास मे मारी योगदान करता है । साख उपभोग को बढावा देकर तथा विनियोगो को प्रेरित कर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की श्रीर अग्रसर करती है । प्रसिद्ध विचारक डिफो (Defoe) के शब्दो मे—“साख एक कारण नहीं, परिणाम है यह पहिले का तेल, हड्डियो की मज्जा, नाडियो मे लून श्रीर विश्व व्यापार के वसस्थल मे प्राणशक्ति की भाति है ।”¹

साख निर्माण श्रीर कीमत

(Price and Creation of Credit)

क्या साख कीमतो को प्रभावित करती है ? इस सम्बन्ध मे प्रो. वाकर श्रीर वेगलिन इस मत के समर्थक हैं कि साख मूल्यो को प्रभावित नहीं करती क्योंकि—

1 Credit is a consequence and not a cause, it is the oil of the wheel, the marrow of the bones, the blood in the veins, and the spirits in breast of all trade and commerce of the world.

(i) साख-शक्ति है पर भुगतान-शक्ति नहीं है। (ii) साख-शक्ति से जो क्रय-शक्ति बढ़ जाती है, साख-विक्रय से वह कम भी हो जाती है। (iii) साख का उपयोग जहाँ क्रय-शक्ति के रूप में होता है वहाँ उत्पादन के रूप में भी होता है। अतः मांग का पूर्ति से सम्बुलन हो जाता है।

वहाँ दूसरी ओर मिल का बहना है कि—(i) साख में न्य-शक्ति के कारण वह मूल्य स्तर को मुद्रा की भाँति प्रभावित करती है। (ii) केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण नीति भी इसकी पुष्टि करती है। (iii) उपभोग कार्यों के लिये दी गई साख से मूल्य-स्तर बढ़ते हैं। (iv) व्यापार एवं उद्योगों को दी गई साख मूल्य-स्तर को प्रभावित करती है।

दोनों के आधार पर प्रो० की०स ने मत व्यक्त किया कि साख का मूल्य-स्तर पर प्रभाव मुद्रा की अपेक्षा कम पड़ता है क्योंकि—(i) साख के लिये बैंक को नकद कोष रखने पड़ते हैं तथा (ii) साख मुद्रा का पूर्णरूपेण प्रतिस्थापन नहीं कर सकती। अब यह धारणा प्रबल है कि साख भी मूल्य-स्तर को प्रभावित करती है और इसी लिये साख नियन्त्रण विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों का प्रमुख कार्य बन गया है। भारत में साख-प्रसार से मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

क्या साख पूँजी है ?

(Is Credit Capital ?)

यह प्रश्न भी विवादास्पद रहा है। प्रो० नेकलियोड के अनुसार “मुद्रा और साख दोनों पूँजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूँजी है। यह कथन भ्रमात्मक लगता है क्योंकि पूँजी का आशय धन का वह भाग है जो अधिक उत्पादन में काम में लिया जाता है। इस दृष्टि से न तो साख पूँजी है और न उत्पात्ति का साधन ही। यह तो केवल पूँजी के अधिकार का हस्तान्तरण है। रिक्तियों के शब्दों में, “साख पूँजी का सृजन नहीं करती, यह केवल यह निश्चित करती है कि पूँजी का उपयोग किसके द्वारा किया जाये।” इस प्रकार के विचार मिल ने भी व्यक्त किये हैं। अतः साख पूँजी को गतिमान बनाती है पर स्वयं पूँजी नहीं और न उत्पादक का पृथक साधन ही।

साख-निर्माण के प्रमुख विपत्र

साख के प्रमुख प्रलख प्रमश. (i) विनिमय-विपत्र (Bills of Exchange), (ii) हुण्डिया (Hundies), (iii) प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note), (iv) चैक (Cheque), (v) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft), (vi) कोषागार-विपत्र (Treasury Bills), (vii) साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit), (viii) यात्री चैक आदि हैं।

बैंक इन विपत्रों के प्रयोग या कटौती से साख-निर्माण करते हैं। ये विपत्र खासतौर से अल्पकालीन साख निर्माण के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जबकि दीर्घकालीन साख में ऋण-पत्रों (Debentures), बौण्डों, अग्रेजों एवं प्रतिभूतिया का समावेश होता है।

साख-सृजन करने वाली संस्थायें (Institutions Creating Credit)

साख-सृजन का कार्य अनेक सस्थायो द्वारा होता है जिनमे प्रमुख केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्तीय सस्थाएँ हैं जो मुद्रा को ऋण पर देती हैं तथा जनता से जमा प्राप्त करती हैं। कुछ सीमा तक साख का निर्माण व्यापारी एव उद्योगपति तथा व्यवसायी भी करते हैं।

1. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—देश के केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है वे नोटो के निर्गमन द्वारा साख का निर्माण करते हैं। यह साख पत्र विधिग्राह्य होता है। भारत में रिजर्व बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण करता है।

2. व्यापारिक बैंक—देश के व्यापारिक बैंक भी लोगो से रुपया जमा पर प्राप्त कर तथा बाद में लोगो के ऋण (Loans), अग्रिमो (Advances), अवि-विकर्षो (Bank overdrafts), नकद साख (Cash Credits) अथवा साख प्रपत्रो जैसे विनिमय बिलो, प्रोमीजरी नोट्स, चैको, ड्राफ्ट्स, यात्री चैक तथा ट्रेजरी बिलो के द्वारा साख निर्माण करते हैं।

3. अन्य वित्तीय सस्थायें—जिनमें सहकारी बैंक, भूमि बन्धक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, जीवन बीमा, आदि ऐसी ही वित्तीय सस्थाएँ हैं जो साख निर्माण में योग देती हैं।

4. व्यापारी एव उद्योगपति आदि भी कुछ मात्रा में साख का सृजन करते हैं परन्तु उनके द्वारा साख सृजन का बैंको की साख सृजन क्षमता के मुकाबले कम महत्व है।

साख सृजन के सम्बन्ध में प्रो केनन तथा लीफ आदि का मत है कि साख-निर्माण करने का श्रेय जमाकर्ताओ को जाना चाहिये क्योंकि अगर ये प्राथमिक निक्षेप (Deposits) से रूप में जमा न करावें, ऋण नकद में मुगतान लेने लगे तथा सम्पूर्ण जमा को एक ही साथ निकाल लें तो बैंक साख निर्माण नहीं कर सकेंगे।

जबकि दूसरी ओर प्रो सीयर्स "बैंको को केवल द्रव्य जुटाने वाली सस्था ही नहीं बरन् द्रव्य निर्माता भी" मानता है। प्रो कीन्स के अनुसार ऋण जमा को जन्म देते हैं और साख-निर्माण का श्रेय बैंको को ही है। सैलिंगमैन के अनुसार भी "बैंक पहले नकद निक्षेपो में व्यवसाय करते थे अब वे प्रमुख रूप में साख निक्षेपो में व्यवसाय करते हैं।" अत स्पष्ट हाता है कि यद्यपि जमाकर्ता और ऋणी साख निर्माण के अविभाज्य अंग हैं पर साख-निर्माण का कार्य बैंक प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव होता है। बैंक ही साख का निर्माण करते हैं जमाकर्ता व ऋणी तो उसके दो पहलू हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. साख-निर्माण से आप क्या समझते हैं, साख-निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं ?
(सकेत-साख-निर्माण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिये, फिर दूसरे भाग में उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए ।)
2. साख निर्माण का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व होता है और अत्यधिक साख निर्माण किस प्रकार अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालता है ?
(सकेत-साख-निर्माण का अर्थ संक्षेप में बताकर उनके महत्व व कारणों को बतलाइये तथा तीसरे भाग में साख के दोषों का उल्लेख कीजिए ।)
3. बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं, तथा उनकी क्या समस्याएँ हैं ? “ऋण जमा की सन्तान है अथवा जमा ऋणों की मन्तान” विवेचना कीजिये ।
(सकेत-इनमें बैंकों द्वारा साख-निर्माण की प्रक्रिया बताइये तथा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये, घनन में सीमाओं का उल्लेख कीजिये ।)
4. व्यापारिक बैंक साख-सृजन किस प्रकार करते हैं ? उसकी सीमायें क्या हैं ?
(Raj 1978)
(सकेत-प्रथम भाग में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया अध्याय के शीर्षकानुसार बताना है तथा दूसरे भाग में उसकी सीमाएँ देना है ।)
5. “आप किस प्रकार कह सकते हैं कि ऋण जमाओं के बच्चे तथा जमा ऋणों के बच्चे हैं ?”
(सकेत-इस कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण एवं सूत्रों से बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया समझानी है ।)
6. व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया समझाइये ।
(I yr. T.D C. Arts 1979)
(सकेत-अध्याय के शीर्षकानुसार उदाहरण देकर समझाना है)

केन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य

(Central Bank & Its Functions)

(भारत के रिजर्व बैंक के विशेष सन्दर्भ में)

प्रारम्भिक—प्राथमिक युग में देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होना है। केन्द्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का सिरताज, मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि देश की मौद्रिक व्यवस्था का नियन्त्रक एवं नियमनकर्ता है। देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ रूप से संचालन करने तथा बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था को संगठित एवं सुरक्षित रखने में केन्द्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रो. रोबर्स ने केन्द्रीय बैंक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लिखा है "मानवता के इतिहास में तीन महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं अग्नि, चक्र एवं केन्द्रीय बैंक।" भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया देश का केन्द्रीय बैंक है।

केन्द्रीय बैंक का विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुआ है। वैसे केन्द्रीय बैंकों की शुरुआत 1657 में स्वीडन के रिस्क बैंक (Risk Bank) की स्थापना से हुई। सन् 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना को एक आदर्श केन्द्रीय बैंक की शुरुआत माना जाता है जो 1844 में एक प्राथमिक केन्द्रीय बैंक के रूप में सामने आया। इंग्लैंड की देखा-देखी विश्व के अन्य देशों—हालैंड में 1814, फ्रांस में 1817, प्रारम्भ में 1800, जर्मनी में 1875, भारत में 1935 में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ ही इने गिन देशों में केन्द्रीय बैंक थे, पर निम्नलिखित 100 वर्षों में केन्द्रीय बैंकों की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नजर नहीं आता जहाँ केन्द्रीय बैंक न हो। विश्व में 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के बाद व्यापार चक्रों से मुक्ति के लिये एक सुव्यवस्थित मौद्रिक व्यवस्था और संगठित बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक की स्थापना एक अनिवार्य घटक बन गया। 1927 में हिन्डन मग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ।

केन्द्रीय बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएँ—विभिन्न विद्वानों ने केन्द्रीय बैंक को अलग-अलग रूपों में परिभाषित किया है। प्रो. डी. काक (De Cock) के अनुसार

केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है।" प्रो. रायमण्ड के शब्दों में "केन्द्रीय बैंक एक संस्था है जिसे सामान्य जनता के कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाता है।" बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार "केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो राष्ट्र के आर्थिक जीवन के सर्वोत्तम हित में साख और चलन का नियमन करता है राष्ट्र को मौद्रिक इफाई के बाह्य मूल्य को नियन्त्रित करता है और मौद्रिक विषय द्वारा पर्याप्तभव प्रभाव डालकर उत्पादन, व्यापार, कीमतों तथा रोजगार के सामान्य स्तरों में होने वाले उच्चावचन को रोकता है।" जानसे ने समाशोधन कार्य को ही केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना है जबकि बेरा स्थिम के मतानुसार केन्द्रीय बैंक का प्राणय उस बैंकिंग व्यवस्था से है जिसमें किसी एक बैंक को नोट निर्गमन का पूरा तथा आंशिक एकाधिकार होता है। प्रो शाह के अनुसार "केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो साख को नियन्त्रित करता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है क्योंकि प्रत्येक परिभाषा में केन्द्रीय बैंक के किसी कार्य विशेष को ही परिभाषा का आधार माना है जबकि व्यावहारिक दृष्टि से आजकल केन्द्रीय बैंक एक सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग सत्ता के रूप में देश की वित्तीय एवं साख नियन्त्रण की नीति का संचालक है। एक उचित परिभाषा के रूप में "केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को वांछित गति एवं दिशा प्रदान करने हेतु देश की मौद्रिक, बैंकिंग एवं साख व्यवस्था का नियन्त्रण एवं नियमन करती है।"

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों ?/सहत्व

(Necessity & Importance of Central Bank)

विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंकों की जो लोकप्रियता पिछली एक शताब्दी में दृष्टिगोचर हुई वे उनकी आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के प्रमुख कारण निम्न हैं—

1. नोट निर्गमन का कार्य सुचारु रूप से करना—विभिन्न देशों में मुद्रा व्यवस्था के संचालन के साथ साथ जब स्वर्णमान का परित्याग कर पत्र मुद्रामान अपनाया गया तो उनके सफल संचालन का कार्य केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से सही हो सकता था। अतः केन्द्रीय बैंकों की स्थापना करना आवश्यक था।

2. साख नियन्त्रण—जहाँ एक ओर साख निर्माण में विवेक तथा उपयोग में सतर्कता अर्थव्यवस्था की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है वहाँ साख के दुपयोग से सम्बन्धी अर्थव्यवस्था को पतन के गर्त में डकेला जा सकता है। अतः साख पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय बैंकों को उत्तरदायित्व सौंपा गया।

3. बैंकिंग व्यवस्था का विकास एवं नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों के लिये एक सच्चे मित्र (Friend) दार्शनिक, (Philosopher) तथा मार्गदर्शक

(Guide) के रूप में कार्य करता है। वह बैंकों की आर्थिक सनट काल में सुरक्षा करता है तथा सही भाग-दर्शन देता है। जब बैंक आधुनिक अर्थतन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो उन पर प्रभावी नियन्त्रण भी आवश्यक है। यह नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक उमके एक सिरताज के रूप में ठीक प्रकार कर सकता है।

4 सरकार की मौद्रिक नीति की सफलता—सरकार की मौद्रिक नीति के सफल मन्वातन के लिये भी एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है जो कि अर्थ-तन्त्र को वाञ्छित गति से आगे बढ़ने तथा उत्पादन, व्यापार, रोजगार से हाने वाले उच्चावचनों को रोकने में सहयोगी सिद्ध होता है।

5 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त समस्याओं का समाधान—प्राजकन विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि तथा बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रतिस्पर्द्धा ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं को जन्म दिया है। देश के केन्द्रीय बैंक से ही इन समस्याओं के समाधान में सरलता रहती है।

इन प्रकार उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय बैंक की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है।

केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त

(Principles of Central Banking)

केन्द्रीय बैंक के कार्य सिद्धान्त व्यापारिक बैंकों से बहुत भिन्न हैं। केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर राष्ट्र के कल्याण में अभिवृद्धि करना होता है। केन्द्रीय बैंक को कार्य संचालन में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। वह राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को इस प्रकार से नियन्त्रित एवं नियमित करने का प्रयास करता है कि जिससे देश में उत्पादन, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भारी उच्चावचनों को रोका जा सके तथा अर्थव्यवस्था को वाञ्छित गति एवं दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके अतः केन्द्रीय बैंक के उपर्युक्त उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं—

1. राष्ट्रीय हित की भावना—केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना न होकर लोकहित या समुचित समाज का आर्थिक कल्याण करना होता है इसलिये वह अपनी सब क्रियाओं को जन-कल्याण से प्रेरित होकर सम्पादित करता है।

2. मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता—केन्द्रीय बैंक का दूसरा सिद्धान्त चरन मुद्रा और गात्र मुद्रा का इस प्रकार नियन्त्रण एवं नियमन करना है कि जिससे देश में मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिति में स्थिरता रहती रहे और अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने में सहायता मिले।

3. राजनैतिक प्रभावों से मुक्त—केन्द्रीय बैंक विभिन्न आर्थिक सिद्धान्तों पर अपना कार्य करता है। राजनैतिक प्रभाव केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर अधिक प्रभाव नहीं डालता।

(4) लोचपूर्ण साख व्यवस्था—केन्द्रीय बैंक के कार्य इस सिद्धान्त से संचालित होते हैं कि देश में आवश्यकतानुसार साख का निर्माण सम्भव हो और इसके लिए केन्द्रीय बैंक अपनी साख नियंत्रण नीति में लोचता लाकर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की दृष्टि से साख निर्माण करने में योग्य देता है।

(5) केन्द्रीय बैंक को विशेषाधिकार दिये जाते हैं ताकि वह अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा सके।

केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में तुलना

(Comparison between Central & Commercial Banks)

केन्द्रीय बैंक के सामान्य सिद्धान्तों का संक्षिप्त अध्ययन यह बताना है कि केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है।

यद्यपि केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों ही साख का निर्माण करते हैं, दोनों ही स्थिर पूँजी की पूर्ति नहीं करते अर्थात् साख की पूर्ति अल्पकालीन ही होती है और दोनों ही अपने धन को इस प्रकार के ऋणों में लगाते हैं जिससे कि सरलता बनी रहे फिर भी दोनों में निम्न अन्तर है—

केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अन्तर

पादार	केन्द्रीय बैंक	व्यापारिक बैंक
(1) संख्या	किसी देश में केन्द्रीय बैंक एक ही होता है।	व्यापारिक बैंक अनेक होते हैं।
(2) उद्देश्य	लोकहित में मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करना होता है।	व्यक्तिगत लाभ को अधिक करने का उद्देश्य रहता है जिसके अधिकारी अशुधारी होते हैं।
(3) क्षेत्र	केन्द्रीय बैंक, बैंकों का बैंक होता है। जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता।	व्यापारिक बैंकों का जनता ही से प्रत्यक्ष व्यवहार अधिक होता है।
(4) नोट निर्गमन	केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार होता है।	व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं होता।

भाषार	केन्द्रीय बैंक	व्यापारिक बैंक
(5) साख नियन्त्रण	यह साख नियन्त्रण करता है।	इनको साख का नियन्त्रण किया जाता है।
(6) मौद्रिक नीति	यह देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करता है।	व्यापारिक बैंक मौद्रिक नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं, प्रत्यक्ष नहीं।
(7) विशेष अधिकार	केन्द्रीय बैंक को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये विशेषाधिकार होते हैं।	व्यापारिक बैंकों को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जात
(8) ऋणदाता	केन्द्रीय बैंक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का काम करता है।	व्यापारिक बैंक उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए ऋणदाता का काम करते हैं।
(9) शीर्ष बैंक	केन्द्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है।	जबकि व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था के अङ्ग मात्र हैं।

केन्द्रीय बैंक के कार्य

(Functions of Central Bank)

(भारत के रिजर्व बैंक के विरोध सन्दर्भ में)

केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च बैंक होने तथा देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था के विकास, नियन्त्रण और नियमन के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त बैंक होने के नाते अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करता है। जहाँ प्रो. हाट्टे के अनुसार केन्द्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का काम करता है, प्रो. वेरा स्मिथ के अनुसार यह नोट निषेधन का एकाधिकारी होता है, वहाँ प्रो. साहू के अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख पर नियन्त्रण करना है। जबकि अन्य विद्वानों ने जिसमें डी. काव का नाम उल्लेखनीय है केन्द्रीय बैंक के अनेक कार्य बताये हैं। प्रो. डी. काव ने केन्द्रीय बैंक के सात कार्य बताये हैं। विकासशील राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंक के कार्यों में विकास और स्थिरता दोनों का महत्व है जबकि विकसित राष्ट्रों में स्थायित्व का ही अधिक महत्व है। केन्द्रीय बैंक के कार्यों को मोटे रूप में अद्यतित षाठ भागों में विभाजित किया जाता है—

केन्द्रीय बैंक के कार्य

1	2	3	4
↓	↓	↓	↓
नोट निर्गमन का एकाधिकार	सरकार का बैंकर, एजेंट एव परामर्शदाता	बैंकों के बैंक का कार्य	मून्तिम ऋणदाना का कार्य
5	6	7	8
↓	↓	↓	↓
राष्ट्र के स्वर्ण एव विनिमय कोषों का मरक्षण	निकासी गृह का कार्य	आकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन	साख नियन्त्रण

इन कार्यों का मसिप्त वर्णन इस प्रकार है—

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue)—

आजकल विश्व के सभी राष्ट्रों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का प्रचलन है और मुद्रा की चयन की मान्य और साख में परस्पर सम्बन्ध होने के कारण सभी देशों में नोटों का निर्गमन कार्य देश के केन्द्रीय बैंक को ही सौंपा जाता है। कुछ देशों में तो केन्द्रीय बैंक की स्थापना ही मुख्य रूप से नोट निर्गमन के लिए की गई है। भारत में भी रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकारी बैंक है। रिजर्व बैंक में एक विशेष विभाग “निर्गमन विभाग” अब न्यूनतम कोष सिद्धान्त (Minimum Reserve System) के अनुसार 115 करोड़ रु. का स्वर्ण, स्वर्ण सिक्के तथा 85 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर 2, 5, 10, 20, 50 एव 100 रु. के नोटों का निर्गमन करता है। 1000 रु., 5000 रु., तथा 10,000 रु. के नोटों का निर्गमन अब बंद है।

केन्द्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार होने में अनेक लाभ और शीघ्रता हैं। इससे (i) नोटों के प्रचलन में एकदमता रखी जाती है। (ii) निर्गमन बैंक अपने निर्णयों को विशुद्ध आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित करके राजनैतिक प्रभाव में यथामन्व मुक्त निर्णय लेता है अतः जनता का विश्वास बना रहता है। मुद्रा प्रणाली में लोच रहती है। (iii) साख पर नियन्त्रण सरलता से किया जा सकता है। (iv) केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा के आन्तरिक एव बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है। (v) नोट निर्गमन से प्राप्त लाभ सार्वजनिक लाभ होता है। (vi) विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन में सरकार को हीनार्थ प्रबन्ध नीति का कुशलता से सम्पादन केन्द्रीय बैंक ही कर सकता है क्योंकि सरकार और केन्द्रीय बैंक में निकट सम्पर्क रहता है और धारित साख नियन्त्रण भी सरल रहता है।

इसी कारण आज विश्व के लगभग सभी देशों में नोट निर्गमन का एकाधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को ही दिया जाता है।

2 सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार कार्य (Functions as Banker, Agent and Adviser of the Government)—केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। (क) सरकारी बैंकर के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थाओं की आय जमा करता है तथा उनमें से सरकारी व्ययों का चुकारा किया जाता है। सरकार को सफट बाल में असाधारण ऋण प्रदान करता है तथा अल्पकालीन ऋणों की भी व्यवस्था करता है। यह सरकारी धन का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण करता है। इसी प्रकार सरकार और केन्द्रीय बैंक में ग्राहक और बैंक का सम्बन्ध होता है। (ख) सरकारी एजेंट—केन्द्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सार्वजनिक ऋणों का मुगलान प्राप्त करता है तथा व्याज व मूल-धन का मुगलान करता है। सरकार की प्रतिभूतियां वेचता है तथा खरीदने में सहायता करता है। सरकार की ओर से करो का धन जमा करता है। सरकार की ओर से देशी विदेशी मुद्राओं के सौदे करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार को उसके जमा धन पर कोई ब्याज नहीं देता और न अपने द्वारा अर्पित सेवाओं के लिए कोई शुल्क लेता है। (ग) आर्थिक सलाहकार के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकार को मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारण में परामर्श देता है। सरकार विदेशी विनिमय दर सार्वजनिक ऋण, मुद्रा, साख एवं राजस्व सम्बन्धी नीति निर्णयों में केन्द्रीय बैंक की सलाह लेती है।

भारत में रिजर्व बैंक भी इन तीनों कार्यों को सरकार के लिए सम्पादन करता है। यह सरकारी बैंकर है जो अभिकर्ता के रूप में उत्तरदायित्व निभाता है। रिजर्व बैंक की सलाह पर ही बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 बनाया गया था। इसी प्रकार अन्य आर्थिक नीतियों में रिजर्व बैंक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

3 बैंकों का बैंक एवं बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक (Banker's Bank & Custodian of their Cash Reserves)—केन्द्रीय बैंक देश के बैंकों का शीप बैंक होता है। देश के दूसरे सब बैंक इसके अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा इससे सम्बद्ध रहते हैं। जिस प्रकार दूसरे बैंक अपने ग्राहकों की जमा के संरक्षक होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक बैंक अपनी जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग तो अपने पास नकद एवं तरल रूप में रखते हैं जबकि कुछ निश्चित भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि केन्द्रीय बैंक इन कोषों में परिवर्तन से साख नियन्त्रण करने में समर्थ होता है तथा मुद्रा एवं साख प्रणाली में सौख्य उत्पन्न कर देता है। सभी सदस्य बैंकों के कुछ नकद कोष केन्द्रीय बैंक के पास जमा होने में जनता में विश्वास बना रहता है। केन्द्रीय बैंक जनता की जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास जमा करवा कर एक बड़ा बाप

बना लेता है जिसे सिकट काल या आवश्यकता के समय दूसरे बैंकों को उधार दिया जा सकता है।

बैंकों के बैंक होने के रूप में केन्द्रीय बैंक विभिन्न बैंकों की आर्थिक स्थिति में पूर्णतया परिचित रहता है और बैंकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता देना सम्भव होता है।

बैंकों के बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के अन्तिम ऋणदाता का भी कार्य करता है। (i) बैंक अपने छोड़े नकद कोषों के आधार पर ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक से उधार लिया जा सकता है। (ii) सिकटकाल में बैंकों को केन्द्रीय बैंक से आर्थिक सहायता मिल सकती है जिससे जनता के विश्वास को अघात पहुँचाये बिना बैंक को सिकट से उबारना सम्भव होता है। (iii) केन्द्रीय बैंक को देश की वैकिंग व्यवस्था के विकास, विस्तार के साथ-साथ नियन्त्रण का अच्छा अवसर मिलता है।

संक्षेप में यह कहना न्यायसंगत होगा कि भारत का रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक या अन्य बैंकों का सिरताज बैंक है। वह उनकी जमाओं का 4% नकद कोष अपने पास रखता है तथा उसे समयावधि जमाओं में 8% तथा माग जमाओं में 20% तक की वृद्धि का अधिकार है। भारत का रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय बैंकों का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and Guide) है। इसने देश के वैकिंग विकास का सुदृढ़ आधार तैयार किया है।

4 अन्तिम ऋणदाता (Lender of last Resort)—केन्द्रीय बैंक देश के बैंकों के बैंक के रूप में सामान्य परिस्थितियों में तो ऋण, अग्रिम व अन्य सहायता देता ही है पर सिकटकाल में जब बैंक के जमाकर्ताओं में बैंक के प्रति विश्वास उठ जाता है, भारी मात्रा में भुगतान करने की समस्या आती है तो केन्द्रीय बैंक ऐसे सिकट प्रस्त बैंकों को उपयुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों, विलो एवं हण्डियों की पुनः कटौती कर पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। स्वीकृत अल्पकालीन प्रतिभूतियों पर अग्रिम (Advances) भी दिये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक केवल बैंकों के लिये ही अन्तिम ऋणदाता नहीं है वह सरकार को भी सिकटकाल में आर्थिक कठिनाई में पर्याप्त ऋण दे सकता है क्योंकि केन्द्रीय बैंक के पास नोट निर्गमन की अपार शक्ति विद्यमान रहती है। युद्धकाल में केन्द्रीय बैंक एक अन्तिम ऋणदाता बन जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने सरकार को आर्थिक नियोजन पर अपार धनराशि खर्च करने की क्षमता प्रदान की है। वह केन्द्र तथा राज्य सरकारों को काफी ऋण प्रदान करता है।

5. राष्ट्र के बहुमूल्य धातुओं और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक (Custodian of Gold and Foreign Exchange Balances)—देश का केन्द्रीय बैंक देश की बहुमूल्य धातुओं की आरक्षण कोष में रख कर नोटों का

निर्गमन करता है तथा वह देश के घासिक कोषों व विदेशी विनिमय कोषों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय बैंक इन कोषों को अपने पास इसलिये भी सुरक्षित रखता है ताकि भुगतान असन्तुलन की स्थिति में इन कोषों के उपयोग से विनिमय दरों में भारी उच्चावचनों को रोका जा सके तथा विनिमय दरों में सापेक्षित स्थिरता रखी जा सके।

6. निकासी-गृह या समाशोधन-गृह का कार्य (Clearing House Functions)—विभिन्न बैंकों के पारस्परिक भुगतानों का निपटारा केन्द्रीय बैंक जितनी सुगमता और सरलता से कर सकता है उतना कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती। क्योंकि केन्द्रीय बैंक के पास सब बैंकों के खाते होते हैं अतः केन्द्रीय बैंक सब बैंकों के अलग-अलग बैंकों के किए जाने वाले भुगतानों तथा प्राप्त होने वाले भुगतानों का एक सामूहिक ब्योरा तैयार करता है और कुल योगों के अन्तर को बैंक के खातों में नगद या जमा की प्रविष्टियों से ही बिना नकदी हस्तान्तरण व समय की बरबादी के निपटारा हो जाता है। देश में कम मुद्रा चलन में डालने से ही काम चल जाता है। समाशोधन की पद्धति का प्रारम्भ 1854 से ही हुआ। समाशोधन गृह के रूप में केन्द्रीय बैंक के महत्व को प्रो. विलिस ने लिखा है "इससे न केवल नकदी एवं पूँजी में बचत होती है वरन् वह किसी समाज द्वारा समय विशेष में रखी जाने वाली तरलता पसन्दगी की परीक्षण की पद्धति है जिसका दिन प्रतिदिन का ज्ञान बैंक के लिये आवश्यक है।"

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भी अपने देश के सब अनुसूचित बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। वह अपने सदस्य बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने में भी सहायता करता है।

7. सूचनाओं एवं आंकड़ों के सङ्कलन का कार्य—बैंकों का बैंक होने, सरकारी बैंक के रूप में कार्य करने तथा देश की समूची अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक गतिविधियों से पूर्ण परिचित होने के नाते केन्द्रीय बैंक मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय आदि आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन करता है जो कि सरकार की नीतियों के निर्धारण में अत्यन्त सहयोगी सिद्ध होते हैं।

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इसके लिए एक अलग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का सञ्चालन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन तथा वार्षिक प्रतिवेदनो में आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन होता है। सरकार के आदेशों पर भी रिजर्व बैंक विभागीय जांच समितियों की स्थापना कर सर्वेक्षण का कार्य करता है।

8. साख का नियन्त्रण (Control of Credit)—केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख का नियन्त्रण है। केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में उत्तरदायी माना जाता है। साख नियन्त्रण का उद्देश्य देश में विनिमय दर में

स्थिरता, मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना होता है। ये चारो उद्देश्य एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि उनमें कमी कमी एक उद्देश्य की पूर्ति में, अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सबूट उत्पन्न हो जाता है। अतः बड़ी मत्कंता धरतनी पडती है और इसी लिये साख नियन्त्रण के साथ साथ राजकोषीय नीति का सम्मिश्रण करना पडता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के अनेक तरीके अपनाने पडते हैं जिनमें बैंक दर, खुले बाजार की प्रवृत्तियां, नकद कोपो में परिवर्तन, तरल कोपो में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक अनुनय आदि हैं।

प्रो डी ब्राक के मतानुसार साख का नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक का एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से प्रायः सभी कार्यों को एकीकृत किया जाता है और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव होती है। साख नियन्त्रण का कार्य आजकल इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के विधानों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि बैंक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए देश को चलन एवं साख का नियंत्रण करता रहेगा। केन्द्रीय बैंक के रूप में वह अपने इस कार्य को बड़ी दक्षता से निभाने में प्रयत्नशील है।

9 अन्य कार्य (Other Functions)—यद्यपि उपर्युक्त कार्य सभी केन्द्रीय बैंकों के प्रमुख कार्य बन गये हैं पर निरंतर उसके कार्यों का विस्तार होता जा रहा है और अर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं कि उनके कार्यों की सीमा क्या रहे। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग कृषि ऋणों की उचित व्यवस्था करता है जबकि अन्य देशों में केन्द्रीय बैंक कृषि साख की व्यवस्था स्वयं नहीं करते।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के कार्यों का सक्षिप्त विवरण हमें स्त्रेग के इस मत की दुहराने को बाध्य करता है कि केन्द्रीय बैंकों के कार्यों का उल्लेख मुख्य तीन भागों में किया जा सकता है—वे सरकार के आर्थिक अभिकर्ता का कार्य करते हैं, नोड निर्गमन के एकाधिकार के कारण उनका चलन पर विस्तृत नियन्त्रण रहता है और अन्त में, क्योंकि उनके पास अन्य बैंकों की निधि का पर्याप्त भाग रहता है, वे समस्त साख कलेवर के आधार के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होते हैं। अन्तिम कार्य केन्द्रीय बैंक का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य है।

साख नियन्त्रण एवं साख नियन्त्रण की रीतियां

(Control of Credit & Methods of Credit Control)

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, केन्द्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन एवं सफल सम्पादन के साख नियन्त्रण के कार्य को बड़ी सतर्कता और

निवेशपूर्ण ढंग से पूरा करना होता है। प्रो स्ट्रेग, प्रो डी कॉक और प्रो शाह आदि न साल नियन्त्रण को केन्द्रीय बैंक का प्रमुख, वास्तविक एवं महत्वपूर्ण कार्य माना है। केन्द्रीय बैंक की साल नियन्त्रण नीति की सफलता में ही उसकी सफलता निहित होती है।

साल नियन्त्रण का अर्थ—केन्द्रीय बैंक की साल नियन्त्रण नीति का अभि-प्राय उस नीति से है जिसके द्वारा केन्द्रीय बैंक देश के व्यापार, वाणिज्य तथा जन-साधारण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार साल की मात्रा में घटत बढ़त करता है। यदि देश में साल की मात्रा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता से अधिक है तो मुद्रा प्रसार का भय रहता है और अगर साल की मात्रा कम हो तो मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों का सामना करने की नीवत आती है अतः साल की मात्रा में मांग के अनुकूल समायोजन करना ही साल नियन्त्रण कहलाता है।


साल नियन्त्रण के उद्देश्य—साल नियन्त्रण के उद्देश्य दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—पहला, साल नियन्त्रण के वे उद्देश्य हैं जो आर्थिक जीवन की अस्थिरता को दूर करने के लिए अपनाये जाते हैं जैसे—(i) मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन को सुधारना (ii) विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों को रोकना या सुधारना (iii) बेकारी में वृद्धि को रोकना तथा (iv) उत्पादन में गिरावट पर नियन्त्रण। दूसरे भाग में उन उद्देश्यों का समावेश होता है जो घनात्मक हैं और जनहित में अर्थिक सामग्री हैं। इनमें (i) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व लाना (ii) विदेशी पूँजी के देश से बाह्य गमन पर रोक लगाना (iii) कीमत स्तर में स्थायित्व लाना (iv) रोजगार में वृद्धि करना तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था (v) उत्पादन में वृद्धि (vi) व्यापार चक्रों में छुटकारा तथा (vii) आर्थिक नियोजन की सफलता एवं तीव्र प्रगति की दर।

साल नियन्त्रण की रीतियाँ

(Methods of Credit Control)

साल नियन्त्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय बैंक साल नियन्त्रण के घनेतर तरीके अपनाता है। इन रीतियों को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है (क) परिमाणात्मक विधियाँ (Quantitative Methods)—इसमें उन विधियों का समावेश होता है जो बैंकों के नकद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं तथा उनकी लागत को नियन्त्रित करती हैं। (ख) गुणात्मक विधियाँ (Qualitative Methods)—इनमें वे विधियाँ सम्मिलित होती हैं जो साग्य के प्रयोग एवं व्यवहार को नियन्त्रित करती हैं जिसमें साग्य का प्रयोग उन्हीं कार्यों के लिये हो जिसे केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीय समभता है तथा अर्थात् उपयोग पर या अनावश्यक क्षेत्रों में साल विस्तार पर रोक लगाई जाती है। व्यावहारिक अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि केवल साग्य का परिमाणात्मक नियन्त्रण ही पर्याप्त नहीं होता अतः गुणात्मक नियन्त्रण भी आवश्यक हो जाता है। ये रीतियाँ अर्थात् तालिका में स्पष्ट हैं—

साख नियन्त्रण नीतियां (Methods of credit control)



(A) परिमाणात्मक साख नियन्त्रण रीतियां (Methods of Quantitative Credit Control)—इन रीतियों के अन्तर्गत हम उन सब रीतियों को सम्मिलित करते हैं जिनके कारण व्यापारिक बैंको के नकद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा साख की लागत भी प्रभावित हो सकती है। परिमाणात्मक साख नियन्त्रण की रीतियां अमश बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, न्यूनतम जमाओं तथा नकद कोषानुपात में परिवर्तन आदि हैं। इनसे बैंको के कोषों में घटत बढ़त होती है और इस घटत-बढ़त से उनकी साख-निर्माण क्षमता भी घटती बढ़ती है।

(1) बैंक दर (Bank Rate)—बैंक दर साख नियन्त्रण की पुरानी एवं महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी बिलों को कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो बैंको को ऋण महंगे पड़ते हैं इससे वे अपने ऋण कम करते हैं इससे उनकी साख क्षमता घटती है। इसके विपरीत जब बैंक दर घटती है तो बैंको को ऋण सस्ते पड़ते हैं। अतः वे रिजर्व बैंक से ऋण लेकर अधिक साख निर्माण करते हैं। बैंक दर नीची होने पर उसे सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) तथा बैंक दर ऊँची होने पर उसे महंगी मुद्रा नीति (Dear Money Policy) कहते हैं। जब रिजर्व बैंक चाहता है कि साख कम करवाया जाय तो बैंक दर बढ़ा देता है और साख का विस्तार करने के लिए बैंक दर घटा देता है।

भारत में साख नियन्त्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर नीति का

व्यापक प्रयोग किया है। योजनाबद्ध विकास के पूर्व 1935 से नवम्बर 1951 तक बैंक दर 3% रही पर नवम्बर 1951 में सर्वप्रथम बैंक दर बढ़ाकर 3½% कर दी गई उससे बाद मई 1957 में इसे बढ़ाकर 4%, 2 जनवरी 1963 में 4½%, 1964 में 5%, फरवरी 1965 में 6% कर दी गई। 1966 तथा 1967 में आर्थिक स्थिरता (Economic Recession) के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए 2 मार्च 1968 को बैंक दर 6% से घटाकर 5% ही करके सस्ती साख नीति का अनुसरण किया। उसके बाद चतुर्थ योजना काल में मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए 9 फरवरी 1971 को बैंक दर पुनः बढ़ाकर 6% कर दी गई। 1 जून 1973 को बढ़ाकर 7% कर दी गई। जुलाई 1974 में अमेरिका द्वारा अपनी बैंक दर बढ़ाकर 7% तथा 20 जुलाई 1974 को इंग्लैण्ड द्वारा बैंक दर बढ़ाकर 9% किये जाने के कारण तथा देश में व्याप्त तीव्र मुद्रा स्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने भी 23 जुलाई, 1974 से बैंक दर को एकदम बढ़ाकर 9% कर दिया। अतः वर्तमान बैंक दर 9% है।

बैंक दर नीति का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में साख नियन्त्रण पर बहुत कम पड़ता है क्योंकि देश में सगठित मुद्रा बाजार व बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है, बैंकिंग साख के अतिरिक्त "काले धन" का प्रयोग व्याप्त है। अत्यधिक लाभोपाजन के कारण ऊँची ब्याज दर भी साख प्रयोगकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं कर पाती। इसका प्रभाव भी अल्पकालीन ही रहता है।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—इस रीति के अन्तर्गत जब देश में साख की मात्रा अधिक होती है तो केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में स्वर्ण तथा प्रतिभूतियों का विप्रेषण करता है इससे जनता व बैंकों से मुद्रा खींचकर केन्द्रीय बैंक के पास आ जाती है इससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है और इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो खुले बाजार में स्वर्ण या प्रतिभूतियों का अग्रयण करता है इससे जनता के बैंक कोषों में वृद्धि होती है और साख क्षमता बढ़ती है।

खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख नियन्त्रण की नीति का भी रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अनुसरण किया है। रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 350 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियाँ बेची गई हैं। इस नीति में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त प्रतिभूतियों का अभाव है और इसमें रिजर्व बैंक को हानि भी उठाने का भय रहता है। देश में सगठित मुद्रा व बिल-बाजार का अभाव भी इसमें अधिक है।

(iii) बैंकों के प्रारक्षित कोषानुपात में परिवर्तन (Change in Reserve Ratio)—आजकल प्रायः सभी केन्द्रीय बैंक अपने सम्बद्ध बैंकों से उनकी जमाओं (Deposits) का एक निश्चित अनुपात अपने पास नकद प्रारक्षित निधि के रूप में जमा करते हैं जैसे भारत में अभी यह दर 6% है। जब केन्द्रीय बैंक देश से साख की

मात्रा कम करना चाहता है तो कोषा की श्रानुपातिक राशि में वृद्धि कर देता है और साख का विस्तार करने की दिशा में कोषों के अनुपात को घटा देता है इससे बैंकों के पास ऋण देने की अधिक राशि बच जाती है। भारत में रिजर्व बैंक को इसे 3% से बढ़ाकर समयावधि जमाओं (Time Deposits) को 8%, तथा माग जमाओं (Demand Deposits) को 20% तक करने का अधिकार है। जुलाई 1974 में कोषानुपात 7% तक बढ़ा दिया गये थे पर बाद में 4% तक घटा दिया। अब यह दर 6% है।

(iv) तरल कोष में परिवर्तन (Change in Liquidity Ratio)—इस रीति के अन्तर्गत देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने जमा कोषों का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव तरल रूप में रखना पड़ता है जैसे भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने दायित्वों का 25% भाग तरल कोषों में रखना पड़ता है, 1964 से पूर्व यह केवल 20% ही था। अब इसे बढ़ा कर कुल जमा का 34% तक कर दिया है तथा कुछ मामलों में यह दर 40% तक है। अतः केन्द्रीय बैंक तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि करके साख निर्माण क्षमता कम कर सकता है तथा अनुपात में कमी करके साख विस्तार को बढ़ा सकता है। साख नियन्त्रण की इस रीति का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ।

(B) गुणात्मक साख नियन्त्रण रीतियाँ (Methods of Qualitative Control of Credit)

साख नियन्त्रण की इस श्रेणी में उन रीतियों का समावेश होता है जिनसे बैंक की साख की मात्रा को प्रभावित न कर उनके उपयोग को नियन्त्रित किया जाता है। परिमाणत्मक साख नियन्त्रण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि यह नियन्त्रण सभी उद्योगों व उपयोगों में साख की मात्रा को समान रूप से प्रभावित करता है जबकि गुणात्मक साख नियन्त्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियन्त्रित करना नहीं बल्कि साख के विभिन्न उपयोगों पर नियन्त्रण करना है ताकि साख का उपयोग अवाञ्छित उपयोगों से रोककर वाञ्छित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा सके। इसकी मुख्य रीतियाँ इस प्रकार हैं—

(i) चयनित या प्रवृत्त साख नियन्त्रण (Selective Credit Control)—चयन साख नियन्त्रण की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के चुने हुए क्षेत्रों में ही साख की मात्रा को प्रभावित किया जाता है जैसे केन्द्रीय बैंक खाद्यान्न सग्रह के लिये दिये गये अधिमो पर नियन्त्रण कर सकता है तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अधिक ऋण या कृषि को अधिक ऋण देने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के ऋणों पर भिन्न भिन्न कटौती दरें, साख सीमा निर्धारण, अन्तर निर्धारण (Margin Fixing), ऋणों की जांच एवं नियन्त्रण, उपभोक्ता साख नियन्त्रण आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

(ii) साख समभाजन (Rationing Credit)—इसके लिए केन्द्रीय बैंक प्रत्येक सदस्य बैंक के लिए पुनःकटौती तथा अधिमो ऋण की सीमा निर्धारित कर देता

है। जैसे उपभोक्ताओं को वस्तुओं का राशन काई मिल जाता है उसी प्रकार प्रत्येक बैंक को केन्द्रीय बैंक से दिये जाने वाली राशि भी निर्धारित कर दी जाती है। यह नीति प्रायः सबटकाल में अद्युक्त होती है तथा सावधानी बरतनी पड़ती है। पुनर्वित्त की सुविधा भी कम की गई है।

(iii) नैतिक अनुनय एवं प्रचार (Moral Suasion & Publicity)—केन्द्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक एवं सिरताज होने के नाते नैतिक दबाव डालकर बैंकों को निश्चित दिशा में साख-निर्माण का आग्रह कर सकता है तथा अवांछित क्षेत्रों में साख पर रोक का आग्रह कर सकता है। 12 जुलाई 1973 तथा उसके बाद व्यापारिक साख-संबुधन की सलाह दी जाती रही है। इसके साथ ही कभी-कभी केन्द्रीय बैंक पत्र-पत्रिकाएँ, विचारगोष्ठियों या समारोहों के द्वारा बैंकों के अधिकारियों को निश्चित दिशा-दर्शन कराते हैं पर यहाँ प्रचार व्यवस्था का प्रभाव कम ही रहता है।

(iv) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)—यह साख नियन्त्रण का केन्द्रीय बैंक द्वारा अद्युक्त जाने वाली कठोर एवं अन्तिम नियन्त्रण नीति है। जब कोई बैंक केन्द्रीय बैंक के साख नियन्त्रण आदेशों की निरन्तर अवहेलना करता है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक को निश्चित आदेश देता है और चेतावनी दी जाती है। यह उसी प्रकार है कि "लातो के देव अंगर बातो से न माने तो लाते पड़ती हैं।"

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के पास साख-नियन्त्रण के अनेक उपकरण होते हैं जो वह उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करता है। किसी भी देश में साख-नियन्त्रण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश में व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था हो तथा केन्द्रीय बैंक को उनके नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। इनकी सफलता के लिये केन्द्रीय बैंक का मुद्रा बाजार एवं पूँजी बाजार पर पूर्ण प्रभाव हो। केन्द्रीय बैंक के साधन पर्याप्त हो और बैंक की साख नीति समायोजित हो अन्यथा साख-नीति की सफलता संदिग्ध रहती है। भारत में रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति पूर्णतः सफल नहीं हो सकी क्योंकि देश में सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार का अभाव है। देश में काले घन की पर्याप्तता है। बैंकिंग व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। रिजर्व बैंक के पास खुले बाजार की प्रियाओं के सम्पादन के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियाँ व साधनों का भी अभाव है। फिर भी कुछ पिछले वर्षों में रिजर्व बैंक ने साख-नियन्त्रण में आंशिक सफलता प्राप्त की है।

केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक सम्बन्ध

(Mutual Relations Between Central Bank & Commercial Banks)

केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। केन्द्रीय बैंक देश के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, उन्हें व्यवसाय प्रारम्भ करने की अनुमति देता है, नई शाखाएँ खोलने की अनुमति देता है, उन्हें वित्तीय महायुक्तता व ऋण देता है तथा जन्म से अन्त्येष्टि तक के मारे कार्यों पर नियन्त्रण रखता है। इस प्रकार से केन्द्रीय

बैंक व्यापारिक बैंकों के लिये मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक है (Central Bank is a Friend, Philosopher & Guide to Commercial Banks)। भारत के बैंकिंग अधिनियम द्वारा केन्द्रीय बैंको को विशेष अधिकार दिये गए हैं। भारत में व्यापारिक बैंको व केन्द्रीय बैंको के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का सन्निप्त विवरण इस प्रकार है—

1. बैंक स्थापना का लाइसेंस देना—चू कि व्यापारिक बैंक जनता की छोटी छोटी बचतों को जमा पर लेकर विनियोग करते हैं अतः देश के केन्द्रीय बैंक का यह कर्तव्य है कि वह बैंक-व्यवस्था को इस प्रकार सगठित एवं नियन्त्रित करे कि जनता के धन का दुरुपयोग न हो। अतः केन्द्रीय बैंक के बिना लाइसेंस के कोई बैंक प्रारम्भ नहीं हो सकता। जब केन्द्रीय बैंक, बैंक की धार्मिक स्थिति एवं उसके नेक इरादों से आश्वस्त हो जाता है तभी लाइसेंस देता है।

2. प्रबन्ध में हस्तक्षेप—केन्द्रीय बैंक यह देखता है कि व्यापारिक बैंको की प्रबन्ध व्यवस्था कुशल है। अगर बैंक के संचालकों व प्रबन्धकों को केन्द्रीय बैंक अवाञ्छित अनुभव करे तो उन्हें हटाने की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको में कुशल प्रबन्धक की ओर ध्यान देता है।

3. ऋण नीति का नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक पर देश की मौद्रिक नीति के क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व होता है। अतः देश के बैंको की ऋण नीति को इस प्रकार नियन्त्रित करता है कि वह देश हित में हो। केन्द्रीय बैंक देशों के बैंको की ऋण नीति का निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन पर नियन्त्रण रखता है। साक्ष्य नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

4. बैंकों को नई शाखाओं के खोलने की अनुमति भी केन्द्रीय बैंक देता है। केन्द्रीय बैंक को बिना अनुमति देश या विदेश में न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न शाखा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर सकता है। केन्द्रीय बैंक यह देखता है कि बैंक की शाखा खोलने की क्षमता है तथा उस स्थान पर उसकी वास्तव में जनहित में आवश्यकता है अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती। इससे बैंको का देश में सभी क्षेत्रों में समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

5. केन्द्रीय बैंक, बैंकों के अन्तिम ऋणदाता का कार्य करता है—केन्द्रीय बैंक देश के बैंको को सामान्य परिस्थितियों में ऋण, अग्रिम व अन्य वित्तीय सहायता देता ही है पर सकटकाल में भी सकटग्रस्त बैंको की स्वीकृत प्रत्युत्कालीन प्रतिभूतियों पर ऋण व अग्रिम उपलब्ध करता है। व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से बिलों की पुनर्कटौती करवाते हैं या प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण लेते हैं।

6. केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अनेक सुविधाएँ भी देते हैं जिनमें ऋण एवं बिलों की पुनर्कटौती तो प्रमुख है पर साथ ही व्यापारिक बैंको को धन प्रेषण (Remittance) सुविधाएँ भी देता है, उनके लिये समाशोधन-गृह (Clearing House) का काम करता है।

7. व्यापारिक बैंकों के केन्द्रीय बैंक के प्रति दायित्व—जहाँ केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अनेक सुविधाएँ देता है उसके साथ-साथ व्यापारिक बैंकों पर अनेक दायित्व भी हैं (i) बैंकों को अपने लेन-देन का साप्ताहिक ब्योरा केन्द्रीय बैंक को भेजना पड़ता है। (ii) अब प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमाओं का 6% केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है जिसको वह 8% से 20% तक बढ़ा सकता है (iii) केन्द्रीय बैंक के साल नीति सम्बन्धी आदेशों का पालन करना पड़ता है (iv) सम्पत्ति विवरण, प्रतिभूत विवरण, स्थिति विवरण एवं अकेसको की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है।

8. बैंकों का निरीक्षण तथा उनके एकीकरण या समापन की व्यवस्था—केन्द्रीय बैंक अपनी इच्छा या सरकार की आज्ञा होने पर न केवल असन्तोषप्रद स्थिति वाले बैंकों के हिसाब किताब व अन्य सम्बन्धित विवरणों का निरीक्षण कर सकता है बल्कि उसका यह कर्तव्य है कि वह सब बैंकों का यथाश्रम निरीक्षण करे तथा स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली के लिये सुझाव दे। असन्तोषजनक स्थिति वाले बैंकों के एकीकरण (Amalgamation) की योजना स्वीकार करे अथवा बैंक के समापन (Liquidation) की व्यवस्था करे।

9. केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के सहयोग एवं माध्यम के द्वारा भी साल-निर्माण तथा साल नियंत्रण की नीति को सफल बना सकता है। देश का केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की साल-निर्माण क्षमता को नियंत्रित करता है और बैंकों को साल-नियंत्रण नीति निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होता है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक के कार्यों में जन्म से उनके प्रतिष्ठित सहकार तक सम्बन्धित रहना है। केन्द्रीय बैंक देश में सतुलित बैंकिंग विकास के लिये बैंकों की गतिविधियों पर इस प्रकार नियंत्रित रखता है कि बैंकिंग का विकास हो। मुहठ बैंकिंग व्यवस्था के लिये वह अधिक सहायता देता है, आवश्यक मार्गदर्शन करता है तथा मावी विकास के कार्यक्रमों में सहायक होता है। इसीलिये व्यापारिक बैंकों व केन्द्रीय बैंक का सम्बन्ध इस वाक्य में निहित है—

केन्द्रीय बैंक बैंकों का शीर्ष बैंक तथा प्रतिष्ठित ऋणदाता होता है, वह बैंकों का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक (Friend, (Philosopher and Guide) होता है। भारत में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक इन दायित्वों को निभाता है ताकि देश में बैंकिंग का मुहठ समुचित विकास हो सके।

परोक्षोपयोगी प्रश्न

1. केन्द्रीय बैंक क्या है, इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।

(I yr. T.D.C. Collegiate 1977)

अथवा

केन्द्रीय बैंक के मुख्य-मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

(I yr. T D.C. 1973, 1976)

(सकेत—केन्द्रीय बैंक का अभिप्राय स्पष्ट करके दूसरे भाग में उसके कार्यों का वर्णन देना है ।)

2. साख नियन्त्रण से आप क्या समझते हैं ? केन्द्रीय बैंक साख पर किस प्रकार नियन्त्रण करता है ?

अथवा

केन्द्रीय बैंक के साख नियन्त्रण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिये ।

(Raj I yr T D C 1974)

अथवा

साख नियन्त्रण के विभिन्न उपाय जो एक केन्द्रीय बैंक अपनाता है, उनका वर्णन कीजिये ।

(Raj I yr. T D C 1980)

अथवा

एक देश में केन्द्रीय बैंक साख पर नियन्त्रण किस प्रकार करता है ?

(Raj I yr T D C 1975)

अथवा

उन विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा किसी देश का केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा व किन्म का नियमन करता है ।

(Raj I yr T D C Special Exam 1974)

(सकेत—साख-नियन्त्रण का अर्थ बनाकर, दूसरे भाग में साख नियन्त्रण नीतियों का उल्लेख कीजिए तथा संक्षेप में निष्कर्ष बताइये कि यह नीति कब सफल होती है ।)

3. व्यापारिक बैंको तथा केन्द्रीय बैंको में क्या अन्तर होता है तथा केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंको के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होते हैं ?

(सकेत—प्रारम्भ में व्यापारिक बैंक और केन्द्रीय बैंक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, फिर तालिका के रूप में दोनों में अन्तर दीजिये तथा तीसरे भाग में 'केन्द्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध' शीर्षक के अन्तर्गत दी गई विषय सामग्री दीजिये । यह सब समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में देना है ।)

4. एक केन्द्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिये ।

(Raj I yr T D C 1973, 1976)

(सकेत—प्रथम भाग में केन्द्रीय बैंक का अर्थ बताकर द्वितीय भाग में उसके कार्यों का शीर्षक-वार वर्णन दीजिये ।)

5. केन्द्रीय बैंक क्या है, यह एक देश में साख को किस प्रकार नियन्त्रित करता है ?

(B A (Hons) Pt I 1977)

(सकेत—केन्द्रीय बैंक का अर्थ बताकर दूसरे भाग में केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण की रीतियों का विवेचन अध्याय के शीर्षकानुसार करना है ।)

व्यापारिक बैंक तथा उनके कार्य

(Commercial Banks and their Functions)

गाधारण बोधदान में रुपये का लेन-देन करने वाली संस्था को ही बैंक कहा जाता है जो जनता से धन जमा प्राप्त करती है तथा ऋण के रूप में या जमा-कर्त्ताओं के मागने पर वापिस भुगतान करती है। प्रो पीजेट व शब्दों में बैंक यह है जो बैंक का कार्य करे।" वेबस्टर कोष में दी गई परिभाषा के अनुसार "बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहाँ धन का सग्रह, सरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहाँ ऋण देने व कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है।"

व्यापारिक बैंक

(Commercial Banks)

धार्मिक जगत में परिवर्तनों के साथ-साथ वैश्विक व्यवस्था में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हुई। व्यवसायियों की भिन्नता तथा उनकी ऋण आवश्यकताओं की विशिष्टता के कारण अनेक प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई। प्रत्येक वर्ग के बैंक विशेष प्रकार के कार्य के लिए ऋण देते हैं तथा उनकी ऋण देने की शक्ति व साधन जुटाने में भिन्नता पाई जाती है जैसे औद्योगिक बैंक औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घ-कालीन ऋण देते हैं, कृषि बैंक कृषि के दीर्घ एवं मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था करने हैं, विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं, केन्द्रीय बैंक देश के प्रमुख बैंक के रूप में मौद्रिक व्यवस्था करता है उसी प्रकार व्यापारिक बैंकों का कार्य भी विशेष प्रकार का है—

व्यापारिक बैंकों से अतिप्रधान उन बैंकों से हैं जो जनता से अल्पकालीन निक्षेप (Deposits) स्वीकार करते हैं तथा व्यापारियों, उद्योगपतियों व व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे प्रायः तीन महीनों में एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण या अग्रिम (Advances) देते हैं। इस प्रकार इन बैंकों का कार्य व्यापार या उद्योग की अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था में सहायता देना है। ये बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करने। ये बैंक ऋण या अग्रिम प्रायः वैयक्तिक प्रतिभूतियों, विनिमय

व्यापारिक बैंको के कार्य

(Functions of Commercial Banks)

जैसा कि बैंको का प्रकार बताने हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि अद्य-परस्था के विभिन्न विशिष्टीकरण ने बैंक के कार्यों में भी विशिष्टीकरण का जन्म दिया है। अतः विभिन्न प्रकार के बैंको के कार्य में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है जैसे देश के केन्द्रीय बैंक के कार्य व्यापारिक बैंको से तथा औद्योगिक बैंक से भिन्न हैं काय शेष भी अलग अलग है। इस दृष्टि में विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यापारिक बैंको के सामान्यतः निम्न कार्य बताये जाते हैं— इन कार्यों को माटे तीर पर 5 भागों में बाटा जाता है और निम्न तालिका में स्पष्ट है—

(A) प्रमुख कार्य (Primary Functions)

(1) जमा प्राप्त करना (Receiving deposits)

(2) ऋण देना (Advancing Loans)

(B) गौण कार्य (Secondary Functions)

(3) साख का निर्माण करना (Creating Credit)

(4) एजन्सी सम्बन्धी कार्य (Agency functions)

(5) सामान्य उपयोगी सेवाएँ (General Utility Services) एवं

(6) विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय (Purchase & Sale of foreign exchange)

इन कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

1 जमा प्राप्त करना (Receiving Deposits)—बैंक का प्रमुख कार्य जनता से रुपया जमा पर प्राप्त कर भण्डार बनाना है जिससे वे बाद में उधार दे सकें। छोटी-छोटी मात्रा में व्यक्तिगत एवं सत्यागत बचन मिलकर अतुल्य धनराशि का निर्माण करते हैं। बैंक जनता से, सरकार से अन्य बैंकों से जमा पर रुपया प्राप्त करते हैं। जमाकर्ताओं की बचत के आकार, प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए धार प्रकार के खातों में रुपया जमा पर प्राप्त किया जाता है।

(1) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit Account)—इसे निश्चिन्त जमा तथा समयबद्ध जमा खाता (Time Deposit) भी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चिन्त अवधि तक अपनी बचत को जमा कराना चाहते हैं। उमसे पहले उन्हें यह राशि प्राप्त नहीं होती। यह राशि 3 महीने, 6 महीने, एक वर्ष, 2 वर्ष तथा प्रायः 10 वर्षों तक की अवधि के लिए जमा होती है। इस प्रकार की जमाओं पर अधिक दर से ब्याज चुनाया जाता है। रुपया जमा कराने वालों को निश्चिन्त जमा की रगोद मिलनी है तिनमें मुगलान की अन्तिम तिथि ब्याज की दर आदि शर्तों का सविस्तर विवरण होता है। अन्तिम तिथि को ब्याज व रकम कोटाई या पुनः जमा पर प्राप्त की जाती है। यह उन व्यक्तियों के लिए

आधुनिक व्यापारिक बैंकों के कार्य—एक दृष्टि में (At a Glance)

जमा प्राप्त करना	ऋण देना	साख का निर्माण	एजेंसी कार्य	अन्य कार्य
(i) स्थायी जमा खाता	(i) ऋण एवं ऋणिम	जमाओं के ऋण और ऋणों से जमा द्वारा साख निर्माण	(i) बैंक दृष्टियों व बिलों के मुग-सान लेना	(i) विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय
(ii) चालू जमा खाता	(ii) आर्थिकव्यय		(ii) अन्य मुगसान	(ii) व्यापार एवं अन्य प्रवच्य
(iii) बचत जमा खाता	(iii) नकद साख		(iii) ग्राहकों के नाम बिलों, दृष्टियों व बैंक का मुगसान	(iii) यात्री चैक एवं साल-पत्र प्रवच्य
(iv) परेडू बचत जमा खाता	(iv) बिलों, दृष्टियों व साल-पत्रों की कटौती या मुनाना		(iv) ग्राहकों के अन्य मुगसान चुकाना	(iv) सम्पत्ति की सुरक्षा
			(v) ग्रस एवं प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय	(v) धाकडों का सकलन
			(vi) धन हस्ता-तरण	(vi) वित्तीय सलाह
			(vii) प्रभियोपन	(vii) साल सम्बन्धी सूचना
			(viii) ट्रस्टी, प्रबन्धक एवं मुस्तार	(viii) विविध बिलों को स्वी-कार करना
				(ix) व्यक्तिगत साख

की सुरक्षा वा भी ध्यान रखा जाता है। साधारणतः उधार या अग्रिम की निम्न विधियाँ हैं—

(1) ऋण एव अग्रिम (Loans and Advances)—उचित जमानत के आधार पर बैंक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष के लिए ऋण व अग्रिम देते हैं। सामान्यतः यह राशि बैंक नगद न देकर उस राशि को ऋणी के खाते में जमा कर ली जाती है जिससे वह उम राशि में मे समय समय पर आवश्यकतानुसार राशि निकाल सके। सम्पूर्ण ऋण की वापसी पर ही ऋण का अन्त माना जाता है। ध्याज कुल रकम पर लगता है। व्याज की दर अधिक होती है और ऋण पूरी जमानत पर ही मूल्या के अनुसार दिये जाते हैं।

(ii) अधिविकल्प (Overdraft)—जब बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा रकम से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है तो इस अधिविकल्प के नाम से पुकारा जाता है। यह केवल अल्पकाल के विश्वासपात्र ग्राहकों को ही प्रदान की गई सुविधा होती है। यह ध्यान रखने योग्य है कि ऋण एव अग्रिम का उपयोग किसी को भी दिया जा सकता है पर अधिविकल्प का अधिकार केवल जमाकर्ता को ही मिलता है जिसका बैंक में चालू खाता होता है, अन्य को नहीं। इस प्रकार के ऋण पर व्याज की दर अधिक होती है तथा अधिविकल्प के अधिकार में सरकार की नीति केन्द्रीय बैंक के आदेशों तथा बैंक की ऋण नीति के साथ ग्राहक की साख का ध्यान रखा जाता है।

(iii) नकद साख (Cash Credit)—इसके अन्तर्गत बैंक व्यापारिक माल, स्वीकृति प्रतिभूतियों, अथवा बण्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा में ऋण देता है। ग्राहक के खाते में ऋण की रकम जमा करली जाती है और जमानत में दी गई वस्तुओं को बैंक अपने अधिकार एव सुरक्षण में ले लेता है। ग्राहक ऋण समय-समय पर चुकाना रहता है और अपनी जमानत की वस्तुएं लेता रहता है। वकाया राशि पर ही ध्याज लिया जाता है। नकद साख और अधिविकल्प में यह मौलिक अन्तर है कि नकद साख किसी को भी स्वीकार की जा सकती है पर अधिविकल्प केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। नकद साख में जमानत पर एक वर्ष के लिए कुछ अधिक ध्याज पर जबकि अधिविकल्प बिना जमानत के अल्पकाल के लिए कम ध्याज पर दिये जाते हैं।

(4) बिलों व हुण्डियों की कटौती या भुनाना (Discounting of the Bills & Hundis)—बैंक द्वारा अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों व हुण्डियों के रूप में प्रिनियोजित होता है। ये बिल पत्र होते हैं जो उधार के समय मान के भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में निश्चित अवधि में देय होते हैं। बिक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है जबकि क्रेता भुगतान निश्चित अवधि के बाद देना चाहता है। बैंक इन दोनों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। बिक्रेता बिल या हुण्डी को बैंक से कटौती करा लेता है या भुनाना है। बैंक इसमें उल्लिखित राशि में

में मुग्तान अर्थात् नक़्द का ध्यान काटकर विक्रेता का नक़्द तत्काल मुग्तान कर देता है और देय निधि का क्रेता से मुग्तान प्राप्त कर लेता है। अथवा क्रेता निधारित निधि पर इग़्तिल या दृण्डी का मुग्तान नहीं करता तब बैंक विक्रेता का ही उमग़्दायी टहराकर उमस रकम वसूल कर लेता है।

3 बैंक द्वारा साख़ निर्माण (Creation of Credit)—बैंक जन्मता से रक़्मा जमा कर प्राप्त करत है और उधार देने है। इमम जहा एक और रक़्मा म न्दग़ उताज़ हाता है वहा दूसरी आर न्दग़ो स जमा को भी जन्म भिनता है। यह प्रक्रिया चलती रहनी है इसल बैंक अपने पास नक़्द जमाओं से वही अधिक न्दग़ देने म समय हा जाने हैं। केन्द्रीय बैंक (रिज़र्व बैंक) नोट निर्गमन कर साख़ निर्माण करता है दूसर बैंक नहीं। बैंको द्वारा साख़ निर्माण का विवरण "श्रृण जमा की सन्तान है और जमा श्रृणों की सन्तान" अध्याय 19 'साख़ का निर्माण' म दिया गया है।

4 बैंक के एजेन्सी अथवा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य (Agency Functions)—इस अर्थवर्ता नाय भी कहा जाता है क्योंकि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप म अनेक सेवाएँ प्रदान करते हैं। कुछ सेवाएँ नि शुल्क और कुछ सेवाएँ साधारण शुल्क पर प्रदान की जाती हैं। प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य निम्न हैं—

(i) चैकों, दृण्डो व विलो के भुग्तान सग्रहण (Collection)—बैंक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा प्राप्त चैको, विलो, दृण्डियों तथा अन्य साख़ पत्रों का भुग्तान इकट्ठा करता है तथा सग्रहण कर ग्राहक के खाते म जमा कर देता है। स्थानीय सेवाएँ प्रायः नि शुल्क और बाहर के (Outdoor) साख़ पत्रों के लिए शुल्क वसूल किया जाता है।

(ii) ग्राहकों के भुग्तान प्राप्त करना—बैंक द्वारा ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप म ग्राहक के लाभाश, व्याज, किराया, कमीशन आदि एकत्र कर ग्राहक के खाते म जमा कर दी जाती है।

(iii) साख़ पत्रों का भुग्तान—ग्राहकों के द्वारा जिन चैको, साख़ पत्रों, विलो व दृण्डियों का भुग्तान अन्तिम तिथि पर दूसरे न्दग़दाताओं को करना है, बैंक भुग्तान कर रकम ग्राहक के नाम लिख देता है।

(iv) ग्राहक के अन्य भुग्तान चुकाना—जिस प्रकार में बैंक ग्राहकों के भुग्तान प्राप्त करता है उन्ही तरह ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में भुग्तान चुकाना भी है अर्थात् व्याज, किराया, लाभाश, बीमा प्रीमियम, कमीशन तथा अन्य देय भुग्तान करता है। इसके लिए बैंक कुछ कमीशन वसूल करता है।

(v) अशो तथा प्रतिभूतियों का अय विज्ञय—बैंक प्रतिनिधि के रूप म अपने ग्राहकों के लिए अशो तथा प्रतिभूतियों का अय करता है और उन्हे आवश्यकता न होने पर बेच देता है वरन्कि बैंक ग्राहकों की अपेक्षा शेयर बाजार से भन्नी-भानि परिचित

ही नहीं रहते बल्कि शेयर बाजार के दलालों व कमीशन एजेंटों व भी निवृत्त म सम्पत्ति म रहते हैं। इस कार्य के लिए बैंक कुछ कमीशन वसूल करत हैं।

(vi) धन हस्तान्त एव प्रेषण (Remittance)—बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। नकद धन जमा कर बैंक ड्राफ्ट के रूप म दूसरी जगह भेजना या एक स्थान में दूसरे स्थान पर उमी व्यक्ति के ग्रात म धनराशि का हस्तान्तरण करना महत्वपूर्ण सेवा है।

(vii) अधिमोचन (Underwriting)—बैंक अपने व्यावसायिक ग्राहकों द्वारा निर्मित अथ पूँजी या ऋण पत्रों व प्रतिभूतियों की बिक्री का उत्तरदायित्व स्वयं ले लेते हैं। अगर कम्पनी निर्धारित अवधि म अथ, पूँजी, ऋण-पत्र बेचने म असमर्थ रह तो बैंक स्वयं खरीद लेत हैं। इससे कम्पनी को तो समय पर धन प्राप्त हो जाता है और बैंक को कमीशन मिलता है।

(viii) ट्रस्टी प्रबन्धक व मुस्तार (Attorney) के रूप मे काम करना—बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था, विभाजनन या प्रबंध का दायित्व उठाता है और उसकी बनीयता का मृत्योपरान्त वाधान्वित करता है। न्यायालय व अथ आदेशित कार्य म प्रतिनिधित्व करता है।

(5) बैंक के अथ कार्य (Miscellaneous Functions)—बैंक के अथ कार्यों म भी अथ कार्य का समावेश होता है, जो वह अपने सहायक कार्यों के रूप म करता है।

(i) विदेशी मुद्रा का अथ विक्रय—साधारणत विदेशी विनिमय का अथ विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks) करते हैं परन्तु जिन देशों म विदेशी विनिमय बैंकों का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है वहाँ व्यापारिक बैंक ही इस कार्य को करते हैं। भारत मे भी विदेशी विनिमय अथ विक्रय का कार्य व्यापारिक बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जाता है।

(ii) आंतरिक एव विदेशी व्यापार का अथ प्रबन्ध—बैंकों के अल्पकालीन ऋणों म आगमन के अथ प्रबंध का कार्य महत्वपूर्ण है। वे यह कार्य बिलों, ट्रेडिन्ग, साख पत्रों का अथ विक्रय या कटौती द्वारा करत हैं।

(iii) यात्री बैंक एव साख पत्रों की व्यवस्था—बैंक अपने ग्राहकों का यात्री बैंक व साख पत्रों को देकर उन्हें देश विदेश मे यात्रा की वित्त-व्यवस्था करने हैं। यहा धन जमा किया जाता है और देश विदेश म जहा भुगतान प्राप्त करना चाहें पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार प्राप्त कर लेत हैं। इस प्रकार धन का साथ लकर चलने की जाखिम या विदेशी मुद्रा के परिवर्तन की समस्या से छुटकारा पा लेत हैं।

(iv) सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा—बैंक अपने ग्राहकों को अपने मोना चीजों के अवरत, जोखिमपूर्ण प्रलेखा (documents), कम्पनिया के हिस्से,

ऋण-पत्रों को साधारण वार्षिक शुल्क पर लाकर्स (Lockers) की व्यवस्था से सुरक्षित रखते हैं। चोरी, डकैती आदि का भय नहीं रहता।

(v) आर्थिक, आकड़ों का सफलन—प्राजकल देश का केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक अपने व्यवसाय के आधार पर मुद्रा, व्यापार, उद्योग आदि से सम्बन्धित तथ्यों तथा आकड़ों का सफलन कर आवश्यक आर्थिक जानकारी उपलब्ध करते हैं जिनके आधार पर बैंक या सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं संचालन करते हैं।

(vi) वित्तीय विषयों पर परामर्श—बैंक पूर्णतः वित्तीय सस्थाएँ होने से वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाओं का नियोजन करते हैं और अपने ग्राहकों को भी वित्तीय मामलों पर उपयोगी सलाह देते हैं।

(vii) साख सम्बन्धी सूचनाएँ—व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में प्रत्येक उद्योगपति, व्यापारी परस्पर एक दूसरे की आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी चाहते हैं ताकि भावी भुगतानों के बारे में विश्वास हो जाये और नुकसान से मुक्ति मिल सके। इस सम्बन्ध में बैंक अपने ग्राहकों के लिए साख सम्बन्धी सूचना जात करते हैं तथा देते हैं। इसमें जोखिम कम हो जाती है।

(viii) ग्राहकों की ओर से विनिमय विनो को स्वीकार करना—जब बैंक यह कार्य करते हैं तो ऋणदाता को ऋणी की साख का विश्वास हो जाता है। इससे व्यापार विस्तार में सहायता मिलती है।

(ix) व्यक्तिगत साख—उभरी-उभरी बैंक अपने ग्राहकों की आय साधनों की कमी की पूर्ति कर उन्हें ऐसी वस्तुओं के उपभोग का अवसर प्रदान करता है जो उनकी सामान्य वचत से परे हैं। किशतों पर भुगतान के आधार पर स्कूटर, रेफ्रीजरेटर, मशीनें या अन्य सामान की गारन्टी द्वारा विक्रय की व्यवस्था करते हैं। भारत में भी कुछ बैंक यह कार्य करने लगे हैं। इससे औद्योगिक विकास को बल मिलता है तथा जीवन-स्तर में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक आर्थिक शरीर में बैंक रक्तवाहिनी नाडियों की भांति कार्य करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ, सख और अधिनाधिक सक्रिय बना कर आर्थिक विकास और आर्थिक स्वायत्त की ओर अग्रसर करते हैं। देश के साधनों को प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण कर नियोजन की सफलता में योगदान देते हैं। आधुनिक युग में बैंक हीन समाज की कल्पना असह्य एवं अव्यावहारिक लगती है।

आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका का महत्व

(Role of Banks in Economic Development
or Importance of Banks)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन व आर्थिक विकास में आधुनिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास

स्थायित्व के लिए एक उन्नत एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि आज समूची उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था बैंको पर ही आश्रित होती है। बैंको के विकास ने पूँजी निर्माण को सम्भव बनाया जिसमें औद्योगिक विकास की जड़ें पतपती हैं। वचतों को प्रोत्साहन मिलता है, साधना की गतिशीलता बढ़ती है और बड़े पैमाने की उत्पत्ति को सम्भव बनाया है। यही कारण है कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने बैंक को व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवस्था का हृदय एवं केन्द्र बिन्दु माना है। अतः आधुनिक बैंको का अर्थ-व्यवस्था के विकास में निम्न महत्त्व है—

1. वचतों को प्रोत्साहन—बैंक लोगों की वचत करने की आदत को प्रोत्साहन देते हैं और उनकी छोटी-छोटी वचतों को संग्रहित करते हैं। वचतकर्त्तियों को व्याज का प्रलोभन तो रहता ही है परन्तु बैंको द्वारा नियमित मुग्तान से विश्वास तथा सुरक्षा की भावना बढ़ती है। पिछड़े राष्ट्रों में जहाँ लोगों में वचत करने की आदत कम है तथा प्रायः स्तर कम होने से वचत बहुत कम होती है, उनकी छोटी-छोटी वचतों को जमा कर बिखरे धन को एक जगह इकट्ठा कर व्यापार एवं उद्योग के लिये उपलब्ध करते हैं।

2. पूँजी निर्माण—बैंक साख निर्माण तथा लोगों से अनेक प्रकार के खातों में धन जमा कर पूँजी निर्माण करते हैं, आर्थिक विकास में पूँजी-निर्माण प्राथमिक आवश्यकता है। जो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते, बैंक उनके धन को जमा कर व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आदि उत्पादन कार्यों में लगाने हैं।

3. विनियोग एवं अर्थ प्रबन्ध—वित्तीय साधन उद्योगों के लिये रक्तदान हैं। आज बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा में स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। आज कोई भी व्यक्ति कितना ही धनवान् क्यों न हो अकेला वित्तीय साधन नहीं जुटा सकता। उसके साधनों की व्यवस्था बैंकिंग व्यवस्था में होती है। आज व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सभी में बड़ी मात्रा में बैंको द्वारा पूँजी विनियोग किया जाता है।

4. साधनों में गतिशीलता—बैंक उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता प्रदान करते हैं। बैंक उन कार्यों में धन लगाते हैं जो अधिक उत्पादन, कम जोखिमपूर्ण तथा आर्थिक प्रगति के लिये उपयुक्त हों अतः बैंको के कारण साधनों का स्थानान्तरण कम उत्पादक उद्योगों से अधिक उत्पादक उद्योगों में होता है जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि होती है और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

- 5. मुद्रा प्रणाली में लोच एवं लचीलता में स्थायित्व—आर्थिक विकास के लिए मुद्रा प्रणाली में लोच और लचीलता में सापेक्षिक स्थायित्व आवश्यक है। बैंक साख निर्माण में मुद्रा प्रणाली को लोच प्रदान करते हैं। बैंक साख एवं मुद्रा मात्रा पर प्रभावी नियन्त्रण करके मूल्य स्थायित्व में योग देते हैं।

6 सरकारी वित्त व्यवस्था—ग्राजकल राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्य को अनेक प्रकार से आय प्राप्त होती है और अनेक प्रकार से व्यय करने पड़ते हैं। बैंक ही राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मार्गजनिक्त ऋणों का संग्रह करते हैं। सरकार को वित्तीय परामर्श देते हैं तथा सरकार को ऋण प्रदान कर उनको आर्थिक विकास के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं।

7 क्षेत्रीय आधार पर कोषों का उपयुक्त विवरण—बैंक पूँजी को अत्यधिक पूँजी वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को स्थानांतरित करते हैं जिससे उस पूँजी का लाभदायक तथा कुशल उपयोग होता है। पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है क्षेत्रीय विषमता (Regional Imbalances) कम होती है।

8 बहुमूल्य धातुओं की बचत एवं विनिमय का सस्ता साधन—बैंकों के द्वारा साख्त पत्रों, बैंको ड्रॉपटो आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है जिनसे विनिमय में अत्यधिक सुविधा ही नहीं होनी बल्कि उनके उपयोग से स्वर्ण, रजत या बहुमूल्य धातुओं की बचत हुई है और उनका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में होने लगा है।

9 मुद्रा हस्तान्तरण सुगम एवं सस्ता—बैंकों ने आन्तरिक एवं बाह्य मुद्रा-तानों में मुद्रा हस्तांतरणों को बहुत ही सस्ता सुविधाजनक एवं कम से कम जोखिम-पूर्ण बना दिया है। इससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना है। आज बैंकों के माध्यम से विदेशी पूँजी देश में उत्पादक कार्यों में लगाई जा रही है।

10 प्रतिनिधित्व एवं परामर्श—बैंक अनेक ग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों एवं व्यवसायियों के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य कर अनेक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

11 रोजगार में वृद्धि—बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं बल्कि बैंक द्वारा पूँजी विनियोग, अर्थ-प्रबन्ध आदि से व्यापार एवं सभी क्षेत्रों में विकास से रोजगार की वृद्धि होती है।

इस प्रकार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक बैंक अर्थव्यवस्था में अनेक कार्यों से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा अर्थव्यवस्था के सफल संचालन में योग देते हैं। इसलिये प्रो टामस ने लिखा है—“बैंक साख्त-पत्रों के चलन तथा निर्गमन को संगठित एवं नियन्त्रित करते हैं। ऋण तथा अधिमो के रूप में बैंक साख्त की स्वीकृति का निर्गमन करते हैं। वे उधार देय पूँजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा उसका सबसे लाभदायक प्रयोग तथा वितरण सम्भव बनाते हैं। जब और जहाँ चलन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं तथा कुछ क्षेत्रों के अत्याधिक चलन को कम पूर्ति वाले स्थानों पर स्थानान्तरित करते हैं। इस प्रकार से आधुनिक बैंक अर्थव्यवस्था के केन्द्र-बिन्दु

संचालक एवं नियन्त्रक के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार वे आर्थिक विकास में भारी योगदान कर सकते हैं जैसे आजकल बैंकों के साधनों का ग्रामीण उद्योगों, कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में प्रयोग होने से समाजवाद का मार्ग प्रगस्त होगा, रोजगार बढ़ेगा तथा आर्थिक प्रगति होगी।

व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय इन बैंकों का स्वामित्व, प्रबन्ध, नियन्त्रण एवं नीति निर्धारण आदि सभी कार्य सरकार के हाथ में आ जाने से है। चूंकि बैंकिंग व्यवसाय राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है अतः कुछ लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण को राष्ट्रहित में आवश्यक मानते हैं जबकि कुछ लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार देश में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बड़ा ही विवदास्पद रहा है फिर भी 19 जुलाई, 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकिंग विकास में एक नये युग का सूत्रपात किया। राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों के नाम हैं, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यू को बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बनारास बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड बैंक, मिन्डीसेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, महाराष्ट्र बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, इण्डिया बैंक तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में बैंकों के जमाग्रो का लगभग 94% सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में आ गया है। 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Nationalisation)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अर्थव्यवस्था में बैंकों के साधनों का सदुपयोग, बैंकिंग का सन्तुलित विकास तथा कुशलता में वृद्धि आदि के तर्क दिये जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

(i) बैंकों के साधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग—अब 20 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के बैंकों के जमाग्रो (Deposits) का 97% भाग सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में आ गया है। पहले उद्योगपति इन साधनों का अपने स्वार्थों की पूर्ति में उपयोग करते थे अब सरकार इन साधनों का उपयोग देश के विकास कार्यों में प्राथमिकता के अनुसार कर राष्ट्र-हित में वृद्धि कर रही है।

(ii) बैंकिंग सुविधाओं का सन्तुलित एवं समुचित विकास—अब तक बैंक केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई जिसके कारण बैंकिंग सुविधाओं का सन्तुलित एवं समुचित विकास एवं विस्तार नहीं हो पाया। अब सरकार ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी इनका विस्तार कर रही है।

(iii) कुशल प्रबन्ध एवं प्रतियोगिता का अन्त—बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जहाँ एक ओर उन्में पारस्परिक प्रवृद्धि प्रतियोगिता समाप्त हो गई है जिससे मितव्ययता

बढ़ी है। सरकारी बैंको में कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, साधन एवं उपयुक्त वातावरण से कुशलता बढ़ी है। विशेषज्ञ एवं कुशल प्रबन्धक सरकारी बैंको की ओर आकर्षित हुए हैं।

(iv) जनता में विश्वास एवं बचतों को बढ़ावा—सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण से जनसाधारण में बैंको के प्रति विश्वास बढ़ा है क्योंकि बैंको के फल होने का डर नहीं रहा है अब लोगों के विश्वास में वृद्धि से बचतों को प्रोत्साहन मिला है। लोग अपनी बचतों को बैंक में जमा कराने को आकर्षित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग का विकास होने से वहाँ की बचतें भी विनियोगों के लिए उपलब्ध होना सम्भव हुआ है।

(v) कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सेवाओं की शर्तों में सुधार हुआ है। निजी बैंको में कर्मचारियों का शोषण होता है। सेवा में असुरक्षा रहती है तथा सेवा शर्तें अनुकूल नहीं होती। अब बैंको में राष्ट्रीयकरण से उनके हितों की रक्षा व हितों को बढ़ावा मिल रहा है।

(vi) बैंको के लाभ का लोक कल्याण में उपयोग—बैंको पर निजी पँजीपतियों का स्वामित्व होने पर वे लाभ को अपने निजी हितों की वृद्धि पर लगाते हैं पर राष्ट्रीयकरण के कारण लाभ अब सरकारी कोष में जमा होता है जहाँ उसका प्रयोग जनता के कल्याण कार्यों पर होता है और देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है।

(vii) समाजवाद के सिद्धान्त के अनुकूल है—भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में बैंको का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण पदम है।

(viii) पंचवर्षीय योजनाओं में सहयोग—अब बैंको में जमाओं का बहुत बड़ा भाग केन्द्र सरकार के हाथ में आ गया है व उन विशाल साधनों का प्रयोग पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रयुक्त वर वित्तीय साधनों की योजनाओं में प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने का मौका मिल गया है। इससे आर्थिक विकास में तेजी आयेगी। जहाँ पहले कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी लघु एवं कुटीर उद्योग को पर्याप्त ऋण नहीं दिया जाता था अब सरकार उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कर रही है।

(ix) साल निर्माण व साल प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण—केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का अब प्रभावी नियंत्रण सम्भव हो गया है तथा सरकारी नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।

बैंको के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क (Arguments Against Nationalisation)

जहाँ एक ओर बैंको के राष्ट्रीयकरण से अनेक आशाओं का पुनः बंधा है वहीं राष्ट्रीयकरण से अनेक सम्भावित खतरे भी हैं—

1. नौकरशाही का प्रभुत्व—सरकारी संस्थानों व कार्यालयों के संचालन में जो नौकरशाही, लालफीताशाही तथा कागजी कार्यवाही चलती है वह बैंको जैसी व्यावसायिक संस्थाओं में भी व्याप्त हो जाने का भय निरन्तर बढ़ रहा है।

2. प्रबन्ध में अकुशलता—नौकरशाही का प्रभुत्व, राजनीतिज्ञों का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा निजी लाभ के अभाव में उत्साह एक प्रेरणा की कमी, प्रबन्धकों में व्यावसायिक कुशलता का अभाव आदि सब कारण बैंको के प्रबन्ध में ढिलाई आई है। उसका बैंकिंग के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

3. राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व—जिस प्रकार भारत में सहकारी आन्दोलन में राजनीतिज्ञों के अत्यधिक प्रभुत्व से उनकी अमफलता रही है ठीक उसी प्रकार बैंको के राष्ट्रीयकरण से प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित भारतीय शासन व्यवस्था में सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिज्ञ बैंको के साधनों को अपने स्वार्थों की पूर्ति में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अगर वे इसमें सफल रहें, जैसा अन्य सरकारी उपक्रमों में हुआ है, तो बैंको के साधनों का दुरुपयोग होने की पूर्ण सम्भावना है।

4. उद्योग व जमाकर्ताओं की गोपनीयता अब सम्भव नहीं है, इससे वे लोग अपने बाले धन को बैंकों में जमा नहीं करते तथा ऐसी जमाओं में जो साधन उपलब्ध होते उनका प्रयोग अब सम्भव नहीं हो रहा है।

5. मूआवजे की समस्या—राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को अपने कोष से बहुत बड़ी राशि निजी पूंजीपतियों को मुआवजे में देनी पड़ी है। इसका भार करो के रूप में जनता पर ही पड़ा है।

6. निजी उद्योग व व्यापार को आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव रहने से उनके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि सरकार का वित्तीय साधनों पर पूरा नियन्त्रण होने से वे साधनों को सार्वजनिक क्षेत्र योजनाओं पर व्यय करते हैं जबकि बैंको से निजी उद्योगपतियों, व्यापारियों व व्यवसायियों को साधनों के अभाव में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न होती है।

बैंको के राष्ट्रीयकरण को सफल कैसे बनाया जाय ?

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने की रणनीति आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग का समुचित एवं सतुलित विकास न हुआ, साधनों का सदुपयोग नहीं हुआ, कुशलता में वृद्धि नहीं हुई तथा बैंकिंग सुविधाओं में सुधार न हुआ तो बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कोई मायने नहीं रखता। अतः इनकी सफलता के लिए कुछ नदम उठाने की आवश्यकता है। (1) बैंकों में अत्यधिक द्रव्य संचय को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए आभीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ बढ़ाई जाय। चलन फिरते बैंकों की व्यवस्था की जाय। अन्य वचनवत्त, धातु व निष्कृत आकर्षक वचन योजनाएँ लागू की जायें तथा जनता में बैंकों का प्रति रूचि एवं विश्वास उत्पन्न

करने के लिए वैकिंग कार्य-प्रणाली को सरल बनाया जाय तो अच्छा है। (2) बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति, नीति में परिवर्तन—अगर बैंक कर्मचारी अपने को जनता का सेवक माने उनमें ग्राहक ही राजा है (Customer is the King) तथा कोई ग्राहक छोटा नहीं है (No customer is small) की भावना जागृत हो तो बचतकर्त्ता व ऋण लेने वाले सभी बैंकों की ओर आकर्षित होंगे। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारी बैंक कार्य में पूर्ण रुचि लें कुशलता से कार्य करें तो बैंको की सफलता सुनिश्चित। अतः बैंक कर्मचारियों में इस मनोवृत्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे तथा उनके लिये रिफ्रेशर कोर्स चालू किये जायें तो लाभ की पूर्ण आशा है। (3) बैंको की सेवाओं में सुधार किया जाय तथा उनका यथासम्भव विस्तार किया जाय तो लाभ होगा। (4) बैंको के सामानों को पञ्चवर्षीय विकास योजनाओं को प्राथमिकता की पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिये। इसके लिए कृषि लघु उद्योगों को अधिक ऋण सुविधायें मिलनी चाहिये। (5) नवीन योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे लोगों को आर्थिक विकास में योग देने का पर्याप्त अवसर मिले। (6) बैंको को क्षेत्रीय निगमों के रूप में संगठित करना चाहिये ताकि राजनैतिक हस्तक्षेप कम हो।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिये।

(Raj I yr. T D C Supple 1973 Special 1974, अथवा Annual 1975)

व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं तथा उनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं?

अथवा

व्यापारिक बैंको से आपका क्या अभिप्राय है तथा वे किन-किन कार्यों का सम्पादन करते हैं?

(सकेत—प्रथम भाग में व्यापारिक बैंक का अर्थ बताइये—दूसरे भाग में उनके कार्यों—जमा प्राप्त करना ऋण देना साख निर्माण करना एजेन्सी कार्य तथा अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए।)

2. व्यापारिक बैंक किस प्रकार आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं?

अथवा

“बैंको के घने बुने जाल पर राष्ट्र की समृद्धि निर्भर करती है” व्याख्या कीजिए।

अथवा

बैंको का आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिये।

(सकेत—व्यापारिक बैंक का अर्थ बताइये फिर बैंको की आर्थिक विकास भूमिका” शीर्षक के अन्तर्गत दी गई विषय सामग्री का उल्लेख कीजिये।)

3. बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिये ।

अथवा

भारत में व्यापारिक बैंक के राष्ट्रीयकरण के औचित्य की तुलनात्मक व्याख्या कीजिये । राष्ट्रीयकरण की सफल बनाने के उपाय सुझाइये ।

(सकेत—प्रथम भाग में राष्ट्रीयकरण का अर्थ बताइए । फिर दूसरे भाग में बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में और तत्पश्चात् विपक्ष में तर्क देकर राष्ट्रीयकरण को उपयुक्त बताइए । फिर सफलता के तत्वों का उल्लेख शीर्षकानुसार कीजिए ।)

- 4 बैंक से आप क्या समझते हैं और बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं ?

(सकेत—प्रथम भाग में अर्थ बताइए, दूसरे भाग में बैंको द्वारा साख-निर्माण अध्याय 19 के शीर्षकानुसार दीजिए ।)

मुद्रा की पूर्ति और कीमत-स्तर (मूल्य-स्तर)

(Supply of Money & The Price Level)

मुद्रा की पूर्ति और कीमत-स्तर में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक सम्बन्ध मानते हैं। जैसे प्रो फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक सम्बन्ध है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर दुगुनी कर दी जाय तो कीमत स्तर भी दुगुना तथा मुद्रा की मात्रा घापी कर देने पर कीमत-स्तर भी घट कर आधा रह जायगा। इसके विपरीत कुछ विद्वानों जैसे कोन्स आदि का विचार है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होकर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इसका आनुपातिक होना भी आवश्यक नहीं है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने से पूर्व मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय समझना आवश्यक है।

मुद्रा की पूर्ति का अर्थ

(Meaning of Supply of Money)

मुद्रा पूर्ति का आशय उन सब घस्तुओं की सामूहिक मात्रा से है जो सब देश में मुद्रा के रूप में प्रचलित रहती हैं। विस्तृत दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा का पूर्ति के अन्तर्गत देश में सभी प्रकार के ऐच्छिक व विधिग्राह्य विनिमय माध्यमों का समावेश होता है। किसी समय में मुद्रा की पूर्ति में तीन प्रकार की मुद्राओं का समावेश होता है—(i) धात्विक मुद्रा (Metallic Money) जिसमें सोने चांदी के सिक्कों व घटिया सिक्कों का समावेश होता है, (ii) कागजी मुद्रा (Paper Money) जो सरकार द्वारा विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में प्रचलित किये जाते हैं, इसमें कागजी नोटों का समावेश होता है, तथा (iii) साख मुद्रा (Credit Money) अथवा बैंक मुद्रा (Bank Money) जिनमें बैंक, हण्डी, ड्राफ्ट आदि साख पत्रों का समावेश होता है। अगर हम राजकीय विधिग्राह्य धात्विक एवं कागजी मुद्रा के लिए M तथा साख मुद्रा के लिए M^1 का प्रयोग करें तो मुद्रा की पूर्ति $= M + M^1$ होगी।

यहां उल्लेखनीय है कि मुद्रा की पूर्ति में केवल उसी राजकीय एवं साख मुद्रा का समावेश होता है जो उत्पत्ति तथा उपभोग के कार्यों में विनिमय में प्रयुक्त

की जाती है अर्थात् जो वास्तविक प्रचलन (Circulation) में रहती है जो मुद्रा प्रचलन में नहीं रहती, गाड़कर या सग्रह कर रखी जाती है वह मुद्रा की पूर्ति में नहीं मानी जाती।

मुद्रा की पूर्ति की गणना करते समय हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में अनेक हाथों में हस्तान्तरित होती है। अगर 10 रु का एक नोट A से B, B से C, C से D तथा D से E और इस प्रकार 10 व्यक्तियों के पास क्रम-विक्रय में हस्तान्तरित जाता है तो यहाँ मुद्रा की वास्तविक मात्रा 10 रु होते हुए भी उसने 100 रु के सौदे पूरे किए हैं अतः मुद्रा की कुल सप्रभावी पूर्ति (Total Effective Supply) मालूम करने के लिए हम प्रचलित मुद्रा की मात्रा को उसकी हस्तान्तरित होने की गति या चलन वेग (Velocity of Circulation) से गुणा कर देना चाहिये। "किसी दिने हुए समय में मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तान्तरित होती है अर्थात् जितनी बार वह मुद्रा विनिमय का कार्य करती है उसके औसत को मुद्रा की चलन गति (Velocity of Circulation of Money) कहते हैं।" अगर हम विधिग्राह्य धार्मिक एवं नागजी मुद्रा की चलन गति को V तथा साख मुद्रा की चलन-गति को V² कहें तो मुद्रा की कुल सप्रभावी पूर्ति को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं—

(Total Effective Supply of Money)

$$\left. \begin{array}{l} \text{मुद्रा की कुल प्रभावी पूर्ति} \\ \text{या} \\ \text{कुल प्रभावी मुद्रा पूर्ति} \end{array} \right\} = MV + M^2 V^2 \text{ होगी}$$

जिसमें M कुल धार्मिक मुद्रा और नागजी मुद्रा, M² कुल साख मुद्रा, V धार्मिक एवं नागजी मुद्रा की चलन-गति तथा V² साख मुद्रा की चलन गति को व्यक्त करती है।

मुद्रा के चलन-वेग को प्रभावित करने वाले तत्व

(Factors Affecting the Velocity of Circulation)

मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में होता है और इस प्रकार विनिमय के माध्यम के रूप में विधिग्राह्य मुद्रा तथा साख-मुद्रा का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तेजी से होता है। अतः जितनी बार मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ अथवा जितनी बार मुद्रा विनिमय का कार्य करती है वही मुद्रा की चलन गति या चलन वेग (Velocity of Circulation of Money) कहलाती है। मुद्रा की कुल प्रभावी पूर्ति (Total Effective Supply of Money) ज्ञात करने के लिए मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा की चलन-गति या चलन वेग से गुणा कर देना चाहिये। मुद्रा की चलन गति पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है—

(1) मुद्रा की मात्रा अगर देश में मुद्रा व्यापार की मात्रा की तुलना में कम है तो मुद्रा की चलन गति अधिक और अगर मुद्रा की मात्रा व्यापार की मात्रा से अधिक हुई तो

मुद्रा की चलन गति कम होगी। (ii) नकद विषय की आदत अधिक होने पर मुद्रा की चलन गति अधिक और उधार ऋण-विनय में मुद्रा की चलन गति कम होगी। (iii) वचत प्रवृत्ति अधिक होने पर मुद्रा की चलन गति कम और वचत प्रवृत्ति कम होने पर मुद्रा की चलन गति अधिक होती है। (iv) द्रव्य की तरलता पसन्दगी अधिक होने पर मुद्रा की चलन गति कम और द्रव्य की तरलता पसन्दगी (नकद रूप में रखने की इच्छा) कम होने पर चलन गति अधिक होती है। (v) उधार की अवधि थोड़ी होने पर मुद्रा की चलन गति अधिक अन्यथा कम होती है। (vi) यातायात एवं संचार साधनों का विकास होने पर चलन गति अधिक होती है और परिवहन साधनों के पिछड़ा होने पर चलन गति कम होती है। (vii) आर्थिक विकास जितना अधिक होगा उतनी ही चलन गति अधिक होगी। पिछड़े देशों में मुद्रा की चलन गति कम होती है। (viii) मजदूरी भुगतान का ढग घ अवधि—अगर मजदूरी नकद व जल्दी-जल्दी दी जाती है तो मुद्रा की चलन गति अधिक होगी और अगर मजदूरी देर देर से व वस्तुओं में चुकाई जाती है तो मुद्रा की चलन गति कम होगी। (ix) जनसंख्या व घनत्व जितना अधिक होगा मुद्रा की चलन गति अधिक एवं जनसंख्या व घनत्व कम होने पर चलन गति अपेक्षाकृत कम होगी। (x) राजनैतिक शक्ति एवं स्थायित्व अधिक होने पर मुद्रा की चलन गति धीमी होती है जबकि युद्ध व अशान्ति की परिस्थितियों में मुद्रा की चलन गति अधिक होती है।

इस प्रकार मुद्रा की चलन गति (Velocity of Circulation of Money) अनेक घटकों से एक साथ प्रवाहित होती है और उन सब तत्वों का सामूहिक प्रभाव ही मुद्रा की औसत चलन गति निर्धारित करते हैं। इस चलन गति से मुद्रा की कुल मात्रा जो वैधानिक मुद्रा तथा साख मुद्रा के रूप में प्रचलित रहती है, गुणा करने से मुद्रा की कुल सम्प्रभावी पूर्ति (Total Effective Supply of Money) ज्ञात होती है।

मुद्रा की मांग (Demand of Money)

मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं के ऋण विषय के लिए की जाती है क्योंकि मुद्रा वह ऋण शक्ति है जिसमें दूसरों से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मुद्रा की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं क्योंकि मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती परन्तु अप्रत्यक्ष व्युत्पन्न (Derived Demand) है। कुछ लोग मुद्रा की मांग सचय करने के लिए भी करते हैं। अतः मुद्रा की कुल मांग = वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा × सचय प्रवृत्ति।

मुद्रा की मांग (Demand of Money) भी अनेक घटकों से प्रभावित होती है। अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की बहुलता हो, उत्पादन में कुशलता हो, संचयनीकी ज्ञान का पर्याप्त विकास हो गया हो और बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं व्यापार हो, साधनों के पूर्ण रोजगार की अवस्था हो तथा उपभोग एवं उत्पादन दोनों का उच्च

स्तर ही तो मुद्रा की मांग अधिक होगी अन्यथा इसकी विपरीत स्थिति में कम होगी। इसके अनिरीक्त मुद्रा की मांग पर देश में जनसंख्या के आधार, विनियोग की गति, देश के आकार तथा लोगों में धन को अपने पास तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। इस तरह मुद्रा की मांग भी मुद्रा की माति अनेक तत्वों से प्रभावित होती है।

मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर (Supply of Money & Price Level)

जिस प्रकार हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा से लगाया जाता है जो मुद्रा की एक इकाई से श्रय की जा सकती है अर्थात् मुद्रा का मूल्य उसकी श्रय शक्ति (Purchasing Power) में निहित है। कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत सम्बन्ध है। प्रो. ह्यूम (Hume) ने कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा है अर्थात् $P=Q(M)$ । प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने कीमत-स्तर को मुद्रा की मात्रा से सम्बन्ध किया। प्रो. टाजिग के शब्दों में "यदि अन्य बातें समान रही हो तो मुद्रा की मात्रा पहले से दुगुनी कर देने पर कीमतें दुगुनी व मुद्रा की मात्रा आधी कर देने पर कीमत भी आधी रह जाती है।" इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय प्रो. इरविंग फिशर (Irving Fisher) को जाता है जिन्होंने मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर का सम्बन्ध मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) में व्यक्त किया है। इसके बाद कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों पीगू, मार्शल, वेनन, रोबर्टसन तथा हाट्टे आदि ने उसका सशोधित रूप प्रस्तुत किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कीमत-स्तर की व्याख्या बचत, विनियोग एवं आय सिद्धान्त के रूप में की है।

अतः मुद्रा की पूर्ति और कीमत-स्तर के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों से की जाती है—

(A) फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धान्त या नकद आदान-प्रदान दृष्टिकोण (Cash Transaction Approach)।

(B) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की कैम्ब्रिज व्याख्या या नकद संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach)।

(C) आय-व्यय दृष्टिकोण (Income Expenditure Approach)। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(A) फिशर मुद्रा परिमाण सिद्धान्त या नकद आदान-प्रदान दृष्टिकोण (Quantity Theory of Money or Cash Transaction Approach)

अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिशर (Fisher) ने मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर के सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। फिशर के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति में वैज्ञानिक मुद्रा या उसकी जनन गति तथा साल मुद्रा

एव उसकी चलन गति का समावेश होता है तथा मुद्रा की भाग व्यापार की मात्रा पर निर्भर करती है और इनके द्वारा कीमत स्तर निर्धारित होता है।

सूत्र के रूप

$$P = \frac{MV + M^1V^1}{T}$$

जिसमें

P = कीमत स्तर (Price Level)

M = प्रचलन में कुल विधिग्राह्य मुद्रा की औसत मात्रा


V = प्रचलित वैधानिक मुद्रा की चलन गति

M^1 = प्रचलन में साख मुद्रा की कुल मात्रा

V^1 = साख मुद्रा की चलन गति

T = व्यापार मात्रा

फिशर ने उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि कीमत स्तर (P) और मुद्रा की कुल पूर्ति ($MV + M^1V^1$) में प्रत्यक्ष आनुपातिक सम्बन्ध होता है तथा सामान्यतया कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में एक ही दशा में समानुपातिक परिवर्तन होता है अर्थात् अगर मुद्रा की पूर्ति दुगुनी कर दी जाय तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जायगा और मुद्रा की पूर्ति घटाकर आधी कर देने पर कीमत स्तर भी आधा रह जायगा जैसा कि निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट है—



चित्र न. 1

जब देश में मुद्रा की मात्रा 2000 करोड़ रु है तो कीमत स्तर 100% है पर जब मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर 4000 करोड़ रु कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी 200% हो जाता है और अगर मुद्रा की मात्रा घटाकर 1000 करोड़ रु कर दी गई तो कीमत स्तर गिरकर 50% ही रह गया है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

माना कि मुद्रा की मात्रा 1000 करोड़ रु हो वास्तविक मुद्रा की चलन गति 8 तथा साव्य मुद्रा की मात्रा 500 करोड़ रु तथा साव्य मुद्रा की चलन गति 5 हा और व्यापार की गुण मात्रा 5000 हो तो मूल्य स्तर फिगर के समीकरण द्वारा निम्न प्रकार ज्ञात होगा

$$P = \frac{MV + M^s V^s}{T}$$

$$P = \frac{(1000 \times 8) + (500 \times 5)}{5000}$$

$$= \frac{8000 + 2500}{5000}$$

$$= \frac{10500}{5000}$$

$$= 2.1$$

व्यापार की मात्रा स्थिर रखते हुए अगर मुद्रा और साव्य की मात्रा दुगुनी कर दी जाय तो मूल्य स्तर भी दुगुना हा जायगा जैसे—

$$P = \frac{(2000 \times 8) + (1000 \times 5)}{5000}$$

$$= \frac{16000 + 5000}{5000}$$

$$= \frac{21000}{5000}$$

$$= 4.2$$

इसके विपरीत अगर व्यापार की मात्रा स्थिर रखते हुए मुद्रा एवं साव्य की मात्रा को घटाकर आधा कर दिया जाय तो मूल्य स्तर भी घटकर आधा रह जायेगा

$$P = \frac{(500 \times 8) + (250 \times 5)}{5000}$$

$$= \frac{4000 + 1250}{5000}$$

$$= \frac{5250}{5000}$$

$$= 1.05$$

फिशर अपनी व्याख्या में अल्पकाल में V , V^2 तथा T को स्थिर मानता है तथा उसके अनुसार M तथा M^2 में एक निश्चित अपरिवर्तन अनुपात बना रहता है अतः मुद्रा की पूर्ति (M) में ही परिवर्तन सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है।

फिशर अपने इस सिद्धान्त में P को निष्प्रिय घटक मानता है, V , V^2 तथा T को भी स्थिर मानता है अतः अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता पर ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। पर व्यवहार में अन्य बातें स्थिर नहीं रहती इसलिए इस सिद्धान्त की आलोचनाओं की गई हैं।

फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of Fisher's Quantity Theory of Money)

यद्यपि प्रा. फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा की माग एवं पूर्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया पर उसकी अनेक गलत मान्यताओं के कारण उसके सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ की गई हैं—

1. "अन्य बातें समान करने की मान्यता" इस व्यावहारिक एवं परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में खोरी कल्पना है। न तो कीमत ही निष्प्रिय घटक है, व्यापार की मात्रा, मुद्रा की चलन गति, साख-मुद्रा व वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात व पूर्ण रोजगार की कल्पना उचित नहीं है।

2. यह सिद्धान्त व्यापार चक्रों (Trade Cycles) का स्पष्टीकरण नहीं करता। जब तेजी काल में मुद्रा की मात्रा कम हो या घटा दी जाय फिर भी कीमत स्तर बढ़ना जाता है और मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने या वृद्धि कर देने पर भी मदी काल में कीमत-स्तर गिरता जाता है जबकि इस सिद्धान्त के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिये।

3. कीमत-स्तर को केवल मुद्रा की मात्रा ही प्रभावित नहीं करती अन्य तत्व भी कीमतों को प्रभावित करते हैं उनकी इस सिद्धान्त में अवहेलना की गई है। हम देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा में घटत-बढ़त न होने पर भी अच्छी फसल होने या फसल बिगड़ने, अकस्मात् राजनैतिक अशांति या युद्ध, जनसंख्या में परिवर्तन आदि कीमत-स्तर में उतार चढ़ाव लाते हैं। अतः कीमत-स्तर केवल मुद्रा की मात्रा का ही परिणाम नहीं अपितु अनेक घटकों का परिणाम है।

4. कीमत स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया को यह सिद्धान्त स्पष्ट नहीं करता—यह सिद्धान्त केवल यह बनाता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन लाता है परन्तु यह परिवर्तन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं करता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को प्रभावित नहीं करती बल्कि मुद्रा की मात्रा सर्वप्रथम ब्याज दर को प्रभावित करती है। उससे विनियोग में परिवर्तन आता है, उससे रोजगार, आय व उत्पादन मात्रा

श्रमावित होती है और फिर उत्पादन व्यय में परिवर्तन कीमत-स्तर में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा और कीमत-स्तर में अप्रत्यक्ष और दूरस्थ सम्बन्ध है।

5 यह सिद्धान्त दीर्घकालीन सिद्धान्त है—अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा, उसकी अवन गति, लेन देन की मात्रा आदि का पता लगाना कठिन है अतः यह सिद्धान्त दीर्घकालीन विश्लेषण है जबकि प्रो. कोन्स के अनुसार दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। अतः इस सिद्धान्त में अल्पकाल की उपेक्षा अनुपयुक्त है।

6. समयान्तर (Time lag) की उपेक्षा—मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के अनुसार ज्योंही मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है त्योंही कीमत-स्तर भी एवदम परिवर्तित हो जाता है पर प्रायः यह देखा गया है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही कीमत स्तर परिवर्तित होता है।

7. यह सिद्धान्त एकपक्षीय है—यह केवल मुद्रा की पूर्ति को अधिक बल देता है जबकि मुद्रा की माँग पक्ष को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। मुद्रा के चलन वेग की माँग वस्तुओं में भी चलन वेग होता है उसकी उपेक्षा की गयी है।

8 यह सिद्धान्त स्थैतिक (Static) अर्थव्यवस्था के लिए ही उपयुक्त है। हमारा वास्तविक आर्थिक जीवन तो प्रार्वगिक (Dynamic) है अतः मुद्रा परिमाण-सिद्धान्त व्यावहारिक एवं काल्पनिक है।

निष्कर्ष—इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम फिशर सिद्धान्त में ऐतिहासिक सत्यता पाते हैं (i) 19वीं शताब्दी में सोने चांदी की खानों से घातक मुद्रा में वृद्धि के कारण कीमत-स्तर में वृद्धि हुई। (ii) मूढोत्तर काल में जर्मनी में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमत-स्तर बढ़ा। (iii) 1931 की विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी का प्रमुख कारण साल-मुद्रा की कमी होना था (iv) द्वितीय विश्व युद्ध में मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि से कीमत स्तर बढ़ा (v) भारत में होनार्थ प्रचण्ड और सस्ती साल नीति से कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अगर हम इस सिद्धान्त को पूर्णतः सत्य न भी मानें तो भी यह सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सत्य का संकेत देता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत-स्तर परस्पर सम्बन्धित हैं। मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण करने से कीमत स्तर पर बहुत कुछ नियंत्रण सम्भव होता है।

(B) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की कैम्ब्रिज व्याख्या अथवा नकद संचय दृष्टिकोण

(Cambridge Version of Quantity Theory or Cash Balance Approach)

फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की अनेक आलोचनाओं के कारण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों—(मार्शल, पीगू तथा राबर्टसन आदि) ने नया दृष्टिकोण अपना कर इस सिद्धान्त को सशोधित रूप में प्रस्तुत किया। जहाँ फिशर ने अपने सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा को व्यापार में प्रयुक्त किए जाने से सम्बन्धित किया जबकि कैम्ब्रिज

व्यारजा मुद्रा की उस मात्रा से सम्बन्धित है जो लोग किसी समय विशेष में अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। इसमें तीन आधारभूत बातें हैं (i) समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष के रूप में रखा जाता है (ii) मुद्रा की मांग लोगों की द्रव्य की तरलता पसन्दगी पर निर्भर करती है तथा (iii) मुद्रा की मांग पर कई अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है।

केम्ब्रिज व्याख्या की आधारभूत विशेषताएं

1 समाज में आय का कुछ भाग नकद संचय किया जाता है। प्रो फिशर ने मुद्रा के संचयन काय की उपेक्षा की। उसने केवल मुद्रा की विनिमय मांग पर ही ध्यान दिया। अतः केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग संचयन के लिए की जाती है जिस प्रकार मकान की वास्तविक मांग मकानों में रहने वालों की होती है न कि खरीदने बेचने वालों की या उसका व्यवसाय करने वालों की, उसी प्रकार मुद्रा की वास्तविक मांग मुद्रा की उस मात्रा से सम्बन्धित है जो लोग खर्च चलाने के लिए मुद्रा अपने पास नकद रूप में रखते हैं।

2 मुद्रा की मांग लोगों की द्रव्य तरलता पसन्दगी (Liquidity Preference) पर निर्भर करती है। बैंक में रखा गया धन या स्वयं के पास नकद रूप में रखा गया आय का भाग सर्वाधिक तरल होता है, जबकि मकान, जायदाद इत्यादि में तरलता कम होती है।

3. व्यक्ति की तरलता पसन्दगी को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। यह आय प्राप्ति की अवधि, वस्तुओं की कीमतें, धन का वितरण, व्यापार की दिशा, लेन देन की आदत व जनसंख्या पर निर्भर करती है।

4 मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है क्योंकि मुद्रा की पूर्ति सरकार की या केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है। इसमें बार बार जल्दी जल्दी परिवर्तन की सम्भावना कम होती है। अतः अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति तो प्रायः स्थिर रहती है।

मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर में बिल्कुल विपरीत सम्बन्ध है। अतः जब मुद्रा की पूर्ति तो स्थिर रहती है जबकि द्रव्य की मांग में लोगों की तरलता पसन्दगी में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है तो मुद्रा के मूल्य पर मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है।

केम्ब्रिज समीकरण

केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को एक नये समीकरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया—

$$P = \frac{M}{KR}$$

जिसमें P=कीमत स्तर (Price Level)

M = मुद्रा की कुल मात्रा जो किसी समय विशेष में प्रचलन में रहती है।

K = समाज की कुल वार्षिक वास्तविक आय

R = वास्तविक आय का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है।

उदाहरण लिए माना कि किसी देश में मुद्रा की मात्रा 90 लाख है और समाज की कुल वार्षिक वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में 60 लाख इकाइयाँ हैं और समाज में व्यक्ति औसतन 30% अपने पास तरल रूप में रखते हैं तो कीमत स्तर उपर्युक्त सूत्र में निम्न होगा।

$$P = \frac{M}{KR}$$

अथवा

$$P = \frac{90,00,000}{\frac{30}{100} \times 60,00,000}$$

$$= 5 \text{ रु० प्रति इकाई}$$

फिशर और केम्ब्रिज विचारधाराओं की तुलना

यद्यपि दोनों दृष्टिकोणों में मुद्रा की मात्रा को मूल्य-स्तर को प्रभावित करने वाला घटक माना जाता है और दोनों में बीजगणितीय समीकरण का प्रयोग किया गया है। दोनों ने साख मुद्रा व बैंक डिपोजिटों को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया है तथा उनके समीकरणों में चिन्ह (Symbols) भी लगभग समान हैं फिर भी दोनों में काफी मौलिक अन्तर है—

(1) फिशर का सिद्धांत आदान प्रदान दृष्टिकोण पर आधारित है जो मुद्रा की मांग उसके विनिमय सम्बन्धी कार्य के लिए करता है जबकि केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत नकद संचयन दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें मुद्रा की मांग संचयन के लिए की जाती है।

(2) फिशर मुद्रा की पूर्ति को कीमत स्तर में परिवर्तन का घटक मानता है जबकि केम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को कीमत स्तर में परिवर्तन का घटक मानते हैं।

(3) फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर तथा मुद्रा की पूर्ति को परिवर्तनशील माना है जबकि केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना है और मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील माना है।

(4) फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता है जबकि केम्ब्रिज अर्थशास्त्री अल्पकालीन दृष्टिकोण पर व्याख्या करते हैं।

(5) फिशर के अनुसार कीमत स्तर मुद्रा की कुल पूर्ति से प्रभावित होता है जबकि केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की कुल मात्रा कीमत-स्तर को

प्रभावित नहीं करती, वरन् मुद्रा की वह मात्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है जो लोग तरल रूप में अपने पास नकद रखते हैं।

केम्ब्रिज व्याख्या की आलोचना

(Criticisms of Cambridge Version)

(1) वास्तविक धातु की मापना कठिन होता है क्योंकि वस्तुओं की विभिन्नता तथा एकरूपता का अभाव होने से मापना कठिन है।

(2) ऋण निक्षेपों की उपेक्षा की गई है—बैंक निक्षेपों को दो प्रकार से जन्म देने हैं प्रथम वधतो की जमा प्राप्त कर तथा दूसरे ऋण देकर उन्हें पुनः ऋणी के खाते में जमा करके—इससे बैंक साख वा गुणात्मक निर्माण (Multiple Creation of Credit) होता है।

(3) यह सिद्धान्त अर्थव्यवस्था में गतिशील आचरण (Dynamic Price Behaviour) का पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है।

(4) मांग पक्ष पर अधिक बल दिया गया है जबकि यह सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति तथा उत्पादन के परिवर्तनों का कीमत स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को भुला देता है। न केवल नकद बोधों की मांग से मूल्य स्तर प्रभावित होता है वरन् मुद्रा की पूर्ति तथा उत्पत्ति की मात्रा का भी मूल्य स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है।

केम्ब्रिज विचारधारा की श्रेष्ठता

(Superiority of Cambridge Version)

केम्ब्रिज व्याख्या फिशर के सिद्धान्त पर महत्वपूर्ण सुधार कहा जा सकता है और यह फिशर के सिद्धान्त से कई मानों में श्रेष्ठ व्याख्या मानी जा सकती है। इसके निम्न कारण हैं—

(1) व्यावहारिक—फिशर का सिद्धान्त दीर्घकालीन विश्लेषण प्रस्तुत करता है जबकि केम्ब्रिज व्याख्या अल्पकालीन विश्लेषण देकर इसे अधिक व्यावहारिक रूप प्रदान करती है।

(2) व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण—केम्ब्रिज दृष्टिकोण व्यापार चक्रों की व्याख्या द्रव्य की तरलता पसन्दगी के आधार पर करता है। मन्दीकाल में लोगो में तरलता पसन्दगी बढ़ जाती है अतः मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर भी कीमतें गिरती हैं। इसके विपरीत तेजी काल में लोगो में द्रव्य की तरलता पसन्दगी घट जाती है अतः मुद्रा की मात्रा यथावत् रहने या घटने के बावजूद भी कीमत स्तर में वृद्धि होती है।

(3) मनोवैज्ञानिक घटकों को महत्व—फिशर ने तकनीकी एवं सस्वागत घटकों पर बल दिया है जबकि केम्ब्रिज समीकरण में आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख आधार मनोवैज्ञानिक घटकों पर बल दिया जाता है।

(4) सरल—फिशर के सिद्धान्त में व्यापारिक सौदों का मूल्यांकन करना कठिन है जबकि लोगो द्वारा संचित किये जाने वाले द्रव्य की मात्रा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

(5) स्पष्ट व्याख्या—फिशर का सिद्धान्त यन्त्रवत् है। यह सिद्धान्त यह बताने में असमर्थ है कि मुद्रा की मात्रा यथावत् रहने पर भी मूल्य स्तर में परिवर्तन क्यों आता है जबकि केम्ब्रिज सिद्धान्त कारण और परिणाम की मली भांति व्याख्या करता है कि मुद्रा की मात्रा यथावत् रहने पर भी लोपो की तरलता पसन्दगी में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है।

(6) वास्तविकता के निकट—फिशर का P त्रय विषय समाप्त होने के बाद की स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है जबकि केम्ब्रिज समीकरण में P (कीमत स्तर) त्रय विषय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति यह निश्चित कर सकता है कि उसे अपनी आय से कौन सी वस्तुएँ मिलें सकेंगी।

आय व्यय दृष्टिकोण—आधुनिक सिद्धान्त

(Income Expenditure Approach or Modern Theory)

आय व्यय दृष्टिकोण का उद्भव कीन्स (Keynes) के वास्तविक एवं मौलिक विचारों से हुआ है। कीन्स भी इस परम्परागत विचार से सहमत हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कीमत स्तर में भी परिवर्तन लाता है। परन्तु कीन्स कीमत स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्णतः मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन न केवल कीमत स्तर में परिवर्तन लाता है वरन् वह रोजगार, उत्पादन तथा कीमत स्तर तीनों में परिवर्तन को जन्म देता है। प्रत्येक में प्रभाव की मात्रा अर्थव्यवस्था में विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करती है। प्रो कीन्स यह मानता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कीमत स्तर में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन नहीं लाता वरन् कीमत स्तर में परिवर्तन परोक्ष रूप से होता है। उसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कीमत स्तर में निम्न क्रम में परिवर्तन लाता है—

(1) जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसका सर्वप्रथम प्रभाव ब्याज दर (Rate of Interest) पर पड़ता है अर्थात् मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन ब्याज दर में परिवर्तन लाता है।

(2) ब्याज दर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में विनियोग (Investment) की मात्रा में परिवर्तन होता है।

(3) विनियोग की मात्रा में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है।

(4) रोजगार, आय और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से उत्पादन लागत तथा माग में परिवर्तन होता है, और


(5) उत्पादन लागत तथा माग में परिवर्तन अन्ततः कीमत स्तर को प्रभावित करता है।

उदाहरण—उदाहरण के लिये अग्र देश में मुद्रा की पूर्ति या मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का सबसे पहला प्रभाव ब्याज दर को कम कर देगा। ब्याज दर कम होने से विनियोग की मात्रा बढ़ेगी। विनियोग बढ़ने

से विनियोग सम्बन्धी सप्रभावि माग (Effective Demand) बढ़ेगी और रोजगार, आय और उत्पादन तीनों में वृद्धि होगी। रोजगार और उत्पादन बढ़ने से माग एवं उत्पादन लागतें बढ़ेंगी। क्योंकि (i) श्रमिक अपनी बढ़ती माग के कारण अधिक मजदूरी मांगेंगे, (ii) उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होगा जिससे लागत बढ़ेगी, (iii) सभी उत्पादन साधनों में पूर्ति लोचदार न होने से उनकी कीमत बढ़ेगी। आय बढ़ने से माग बढ़ेगी अन्ततः कीमत स्तर में वृद्धि होगी।

प्रो. कीन्स की यह मान्यता है कि प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि अपना प्रभाव मुख्यतः रोजगार बढ़ाने में दिखाती है। कीमतों में वृद्धि होते हुए भी उसका विशेष महत्व नहीं होता। परन्तु ज्यो-ज्यो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर के निकट पहुँचती है कीमत वृद्धि की गति बढ़ती जाती है क्योंकि उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ता। पर जब पूर्ण रोजगार का स्तर पहुँच जाता है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी रोजगार, आय व उत्पादन में वृद्धि न होने से कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि होगी। यह मुद्रा स्फीति की अवस्था का चोक्क होगा।

अगर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तो मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का प्रभाव रोजगार और उत्पादन पर पड़ेगा और शायद कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़े। अतः अगर देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से रोजगार और उत्पादन में उसी गति से वृद्धि होती है तो वह कीमतों में वृद्धि को जन्म नहीं देगी। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष (परोक्ष) सम्बन्ध है। इसे तालिका के रूप में इस प्रकार बता सकते हैं—



आधुनिक आय व्यय दृष्टिकोण सिद्धांत की मुख्य विशेषतायें

पौसके इस सिद्धांत में मुद्रा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके सामग्र विशेषण पर ध्यान दिया गया है। कीन्स के अनुसार केवल मुद्रा की मात्रा म

परिवर्तन ही मूल्य-स्तर में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे तत्वों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है—

(1) मुद्रा की माँग केवल व्यावसायिक सौदों के लिए ही नहीं होती बरन् सतर्कता व सट्टे के उद्देश्यों के कारण भी होती है।

(2) मुद्रा की पूर्ति पर सरकार का नियन्त्रण भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

(3) मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से मूल्य-स्तर को प्रभावित न कर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उपर्युक्त क्रम स्पष्ट करता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन पहले व्याज दर में परिवर्तन लाता है उससे विनियोग में परिवर्तन आता है तथा विनियोग में परिवर्तन उत्पादन, रोजगार व आय आदि में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन लाता है।

(4) यह सिद्धांत अधिक व्यापक और समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। इसकी विशेषता इस बात में निहित है कि यह मूल्यों में परिवर्तन की विधि एवं क्रम को स्पष्ट कर विभिन्न घटकों के पारस्परिक तालमेल को सरल बना देता है।

(5) अगर मुद्रा की कुल पूर्ति कुल माँग से अधिक होती है तो कीमत स्तर बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य घटना है अन्यथा कीमत स्तर घटता और मुद्रा-मूल्य बढ़ता है।

(6) समयान्तर (Time lag) पर ध्यान दिया गया है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन तत्काल मूल्य स्तर को प्रभावित नहीं करता उसमें कुछ समय लग जाता है।

मुद्रा की पूर्ति व कीमत-स्तर के सम्बन्ध में आय-व्यय

दृष्टिकोण को श्रेष्ठता

आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्म के उपर्युक्त आय-व्यय दृष्टिकोण की अनेक कारणों से श्रेष्ठ मानते हैं जो इस प्रकार हैं—

1. अधिक व्यापक और समस्त पहलुओं का अध्ययन—कीन्म का यह सिद्धांत मुद्रा मूल्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह आय, बचत, विनियोग, उपभोग आदि सभी शक्तियों के प्रभावों को समन्वित करता है।

2. व्यावहारिक एवं सरल—यह सिद्धांत मूल्यों में परिवर्तन के कारणों की विधि एवं क्रम के माथ-माथ तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध में ताल-मेल वैज्ञानिक सरल बनाता है।

3. व्यापार चक्रों की व्याख्या—यह सिद्धांत व्यापार चक्रों की सन्तोषजनक व्याख्या करता है। जब समाज के व्यय में कमी होनी है तो आय घटती है, वस्तुओं की माँग घटती है, विनियोग घटते हैं, बेरोजगारी फैलती है और पूर्ति स्थिर रहने से, मूल्य गिरते हैं। इसके निपरीत जब व्यय बढ़ता है, आय घटती है, निवेश और रोजगार बढ़ते हैं तथा उत्पादन में और आय में वृद्धि में कीमतेँ उठती हैं।

4. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव—आय सिद्धान्त में मुद्रा के द्वारा अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन को जन्म देने की व्याख्या है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर ब्याज दर में कमी, विनियोग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, स्वभावतः आय में वृद्धि से मांग वृद्धि और मूल्य-स्तर में वृद्धि आदि की प्रक्रिया स्पष्ट होती है।

5. मौद्रिक एवं रोजगार नीति का आधार—यह सिद्धान्त न केवल कीमत-स्तर की व्याख्या करता है पर इसके कारण नीति निर्धारकों को उपयुक्त मार्गदर्शन मिलता है।

6. अर्थतन्त्र की जटिलता को समझने में योगदान देता है और यह सिद्धान्त समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है।

7. मुद्रा और मूल्यों का सम्बन्ध—इस सिद्धान्त में कीन्स ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यह बताया है कि मुद्रा की मात्रा का प्रत्यक्ष प्रभाव मूल्यों पर नहीं होता पर यह प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से पहले ब्याज दर प्रभावित होती है, फिर विनियोग, राजगार, उत्पादन और आय में परिवर्तन से उत्पादन व्यय में परिवर्तन और फिर कीमत स्तर प्रभावित होता है।

निष्कर्ष—कीन्स के इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि यह सिद्धान्त केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर की ठीक-ठीक व्याख्या करता है पर अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसकी सत्यता सदिग्ध है। भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तथा पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त प्राकृतिक साधन हैं पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिसको नियंत्रण करना कठिन हो रहा है। यहाँ पूर्ण रोजगार से पूर्व ही मुद्रा स्फीति की अवस्था कीन्स के उपर्युक्त दृष्टिकोण का विरोधाभास प्रस्तुत करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कीन्स के आय-व्यय दृष्टिकोण का विकसित राष्ट्रों में विशेष महत्व है जबकि पिछड़े राष्ट्रों में फिशनर का मुद्रा परिमाण सिद्धान्त न्यूनाधिक रूप में क्रियाशील होता है।

कीमत स्तर (मूल्य स्तर) में परिवर्तन के विभिन्न रूप


(Various Forms of Changes in Price Level)

मुद्रा की पूर्ति और कीमत-स्तर के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा की मात्रा (पूर्ति) में परिवर्तन से कीमत स्तर पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देश में कीमत स्तर में परिवर्तन का देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं रोजगार पर अत्यन्त व्यापक एवं गहन प्रभाव पड़ता है, अतः कीमत स्तर में यथासम्भव स्थिरता (Stability) की बात कही जाती है। कीमत स्तर में परिवर्तन के मुख्य पांच रूप हैं—

- 1 सामान्य कीमत स्तर (General Price Level)
- 2 मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार (Inflation)

- 3 मुद्रा अस्फीति (Disinflation)
- 4 मुद्रा सकुचन या मुद्रा अस्फीति (Deflation)
- 5 मुद्रा सस्फीति (Reflation)

इनको हम रेखाचित्र के रूप में इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं—



1 सामान्य कीमत स्तर या सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) का अभिप्राय कीमतों के उस स्तर से है जब अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर अपने आदर्शतम या सर्वोत्तम स्तर पर है। अर्थव्यवस्था में तत्कालीन परिस्थितियों में मूल्य में उतार चढ़ाव भवाच्चतीय हैं। उपर्युक्त चित्र में RST रेखा सामान्य कीमत स्तर की रेखा है।

2 मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति (Inflation)—जब मूल्य स्तर सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर उठता है तो बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। इस अवस्था में मुद्रा की शक्ति कम होती जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं। जब कीमतों में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है तो उसे कूदता हुआ, या उछलता हुआ मुद्रा प्रसार (Galloping Inflation) कहते हैं और अगर कीमतों में वृद्धि धीमी गति से होती है तो उसे रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, (Creeping Inflation) कहते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों से व्यापारियों, उद्योगपतियों, कृषकों, विनियोगकर्त्ताओं और कर्मियों को लाभ रहता है। रोजगार में भी तेजी से वृद्धि होती है पर उपमात्ताओं, मजदूरों और निश्चित आय वाला को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, बढ़ती हुई कीमतों का सामंजस्य उठाने के लिए अर्थव्यवस्था में तर्जों का दातावरण (Bocm) होना है। उपर्युक्त चित्र में R से A तक मुद्रा स्फीति की अवस्था है, A मुद्रा स्फीति का सर्वोच्च बिन्दु है।

3 मुद्रा अस्फीति (Disinflation)—जब मुद्रा-प्रसार अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुच जाता है तो समाज में अत्यधिक तेजी के दुष्प्रभावों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इससे जब मूल्य सर्वोच्च बिन्दु से गिरते हैं और जब तक सामान्य मूल्य स्तर तक नहीं पहुच पाते तब तक की अवस्था (चित्र में A से S तक) मुद्रा अस्फीति की अवस्था कही जाती है। इनमें मूल्यों के गिरने से कुछ उपभोक्ताओं, मजदूरों तथा सरकार को राहत मिलती है, सट्टा प्रवृत्तियाँ समाप्त होती हैं, मुनाफा-खोरी पर नियन्त्रण हाता है।

4 मुद्रा-सकुचन या मुद्रा-अवस्फीति (Deflation)—जब अर्थव्यवस्था में मूल्य सामान्य कीमत-स्तर से नीचे गिरने लगते हैं तो मूल्यों के सामान्य स्तर से नीचे गिरने की अवस्था को मुद्रा-सकुचन की स्थिति कहा जाता है जैसे कि 1917 की विश्व-ध्यायो आर्थिक मन्दी-काल में हुआ। मुद्रा-सकुचन की स्थिति में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरन्तर कमी आती-जाती है यहाँ तक कि कीमतें लागत से भी कम हो जाती हैं। इसमें उत्पादकों, व्यापारियों, विनियोग-कर्ताओं, कृषकों—सभी को हानि होती है। अर्थव्यवस्था में सर्वत्र मन्दी के कारण रोजगार के अवसर भी समाप्त हो जाते हैं और कारखानों व उत्पादन कार्यों के टप्प होने से बेरोजगारी और भुखमरी के ताण्डव नृत्य होने लगते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों को लाम रहता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत गिर जाते हैं। पर उपभोक्ता को लाम तो तब ही जबकि उसकी आय का स्रोत घना रहे। जब मन्दी के कारण उत्पादन के साधनों की माग में गिरावट से वे बेकार हो जाते हैं तो आय ही समाप्त या कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में त्रय-शक्ति के अभाव में समाज के सभी वर्गों को यातनायें भोगनी पड़ती हैं। इसलिये मुद्रा-सकुचन को सबसे भयंकर माना जाता है। मुद्रा-सकुचन मुद्रा-स्फीति के मुकाबले में कई गुना अधिक है क्योंकि मुद्रा-सकुचन में तो सारी अर्थव्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जाती है। बेकारी, भुखमरी और सम्पन्नता में विपन्नता की स्थिति होती है जबकि मुद्रा-प्रसार में लोगों को आय प्राप्त होती है और अधिकाधिक उत्पादन होता है, लाम घटते हैं।

उपर्युक्त स्थिति में S से B तक की स्थिति मुद्रा-सकुचन की अवस्था है। B मन्दी का निम्नतम बिन्दु है और यहाँ जनता को सर्वाधिक यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं।

5. मुद्रा सस्फीति (Reflation)—जब मुद्रा-सकुचन पर नियन्त्रण के प्रयासों में मूल्य-स्तर में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में मूल्य-स्तर बढ़कर वापिस सामान्य मूल्य-स्तर के बराबर नहीं हो जाता तब तक मूल्य-वृद्धि की अवस्था मुद्रा सस्फीति (Reflation) कही जाती है जैसे चित्र में B से T तक मूल्यों में वृद्धि मुद्रा सस्फीति की घांटा है।

ऊपर दिये गये गणितीय विवरण से स्पष्ट होता है कि मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-सकुचन दो ऐसी विपरीत स्थितियाँ हैं जिनमें जनता को अत्यधिक बुरा उठाना पड़ता

ले और सरकार के प्रयत्नों से कृत्रिम तरीके से मूल्यों को सामान्य स्तर तक लाने का प्रमाण किया जाता है।

मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण के तरीके (Methods of Controlling Inflation)

मुद्रा प्रसार के दुष्प्रभावों से बचने व मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए मौद्रिक राजकोपीय तथा भौतिक सभी प्रकार के उपचार किए जाते हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं—(1) मुद्रा की मात्रा में कमी की जाती है। उसके लिए नोटों के निगमन पर रोक लगा दी जाती है अथवा प्रचलित मुद्रा में कमी के लिए कुछ मुद्रा का अमोद्रीकरण (Demonetisation) कर दिया जाता है। (2) साख दर नियन्त्रण किया जाता है, इसके विभिन्न तरीके देश का केन्द्रीय बैंक अपनाता है जैसे बैंक दर में वृद्धि, प्रति भूतियों की बिक्री, न्यूनतम जमा कोषों में वृद्धि, बैंकों को आदेश आदि। (3) करों में वृद्धि की जाती है जिससे जनता के पास श्रय शक्ति कम रह जाती है और बाजार में मांग घटती है। (4) सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर दी जाती है जिससे मुद्रा सरकारी खजाना में पट्टा जाती है। (5) सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाती है। सन्तुलित बजट बनाया जाता है। (6) व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि लागू अपनी समस्त आय को व्यय न कर अपनी बाजार मांग में कमी करें। (7) उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जाते हैं ताकि वस्तुओं की पूर्ण मांग के साथ-साथ निर्यात भी बढ़ सकें। (8) कृत्रिम कमी, संप्रह प्रवृत्ति और सट्टेबाजी पर रोक लगाई जाती है ताकि वस्तुओं के मूल्य अधिक न बढ़ने पायें। (9) मूल्य नियन्त्रण एवं राशनिय किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और उनके अधिक मूल्य लाने पर दण्ड व्यवस्था की जाती है। आवश्यक वस्तुओं के न्यायोचित वितरण के लिए राशनिय व्यवस्था की जाती है। (10) आयात-निर्यात नियन्त्रण से सरकार आयात बढ़ाती है तथा निर्यात को कम करती है जिससे देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्णता को मांग के अनुकूल बनाया जा सके।

मुद्रा संकुचन पर नियन्त्रण के तरीके (Methods of Controlling Deflation)

मुद्रा संकुचन मुद्रा स्थिति से भी अधिक भयंकर है, अतः उसके नियन्त्रण के लिए मुद्रा प्रसार के नियन्त्रण के विपरीत तरीके अपनाए जाते हैं जैसे—(i) मुद्रा मात्रा में वृद्धि, (ii) साख का विस्तार और साख सृजन में वृद्धि, (iii) करों में कमी व छूट में वृद्धि, (iv) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, (v) घाटे का बजट बनाना, (vi) बचत को हतोत्साहित करना, (vii) उत्पादन में कमी करना, (viii) निर्यात में वृद्धि तथा आयात पर रोक लगाना, (ix) मूल्यों को स्थिर करना तथा और अधिक नाच गिराने से रोकना तथा मूल्य शारट्टी व्यवस्था लागू करना, (x) संप्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। यद्यपि तरीके देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग मात्रा में वृद्धि को जन्म देते हैं और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

मूल्य स्तर (कीमत स्तर) को नापने की विधि

(Method of Measuring Price-Level)

अर्थव्यवस्था में कीमत-स्तर को नापने के लिए सूचकांक (Index Number) का प्रयोग किया जाता है। जब बाजार में मुद्रा की एक इकाई से वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की जाने वाली इकाइयों में कमी आती है तो उसे मूल्य-स्तर में वृद्धि की गजा दी जाती है और इसके विपरीत जब मुद्रा की एक इकाई से पहले की प्रपेक्षा वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मात्रा खरीदी जा सके तो उसे मूल्य-स्तर में कमी कहा जाता है अर्थात् मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य-स्तर में विपरीत सम्बन्ध है। मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु विशेष में व्यक्त न किया जाकर उसकी सामान्य क्रय-शक्ति में व्यक्त किया जाता है अर्थात् मुद्रा के मूल्य अथवा उसकी क्रय शक्ति को नापने के लिए समस्त वस्तुओं और सेवाओं की औसत मात्रा मालूम की जाती है। जब एक समय के मूल्य स्तर की तुलना दूसरे समय के मूल्य स्तर से की जाती है तो जो अन्तर इस स्तर को व्यक्त करता है उसे सूचकांक कहते हैं।

सूचकांक वह प्रतिशत अंक है जो किसी समय किसी वस्तुस्थिति के सापेक्षिक स्तर का दिग्दर्शन उसके प्रामाणिक प्रारम्भिक स्तर से करता है। जैसे 1960 के मुकाबले 1970 में सूचकांक 100 से बढ़कर 200 हो जाता है तो यह बताता है कि मूल्य-स्तर दुगुना हो गया है और अगर सूचकांक घटकर 50 रह जाता है तो इसका अभिप्राय यह है कि मूल्य-स्तर 1960 के मुकाबले आधा रह गया है।

सूचकांक बनाने की विधि—सूचकांक आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों का मापदण्ड प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार मूल्य-स्तर में परिवर्तनों को भी सूचकांक में नापा जाता है। मार्शल के अनुसार यद्यपि “मूल्य-स्तर का सर्वथा ठीक माप न फेवल असम्भव है वरन् विचारणीय भी है” फिर भी मोटे रूप में उचित सावधानी बरतने पर सूचकांक के द्वारा मूल्य-स्तर को नापा जा सकता है। यह एक सांख्यिकी विधि (Statistical Method) है जिसमें आंकड़ों का सक्लन कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है—

(1) सर्वप्रथम आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है जिससे हम मूल्य-स्तर में परिवर्तनों की तुलना करना चाहते हैं। (2) वस्तुओं और सेवाओं का चयन करना पडता है, धोक भावों के लिए धोक वस्तुओं व सामान्य मूल्य-स्तर के लिए उपभोग की जाने वाली सामान्य वस्तुएँ ली जाती हैं। (3) वस्तुओं के मूल्य एकत्रित करना जो बाजार में प्रचलित हैं, आधार वर्ष तथा आलोच्य वर्ष दोनों के मूल्य एकत्रित किए जाते हैं। (4) फिर आधार वर्ष के मूल्यवत्ते में आलोच्य वर्ष के मूल्यों के प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर प्रतिशत अंक मालूम किया जाता है। (5) भार दान करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वस्तुओं का महत्व दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है। औसत निकालना—जितने प्रतिशत अंक आते हैं उनका औसत ज्ञात किया जाता है और जो अंक आता है वह वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में कीमत-स्तर का अंतर है। उदाहरण इस प्रकार है—

मूल्य सूचकांक साधारण सूचकांक

वस्तु की संख्या	वस्तु	1960 (आधार वर्ष)		1970 (आलोच्य वर्ष)		मूल्य सम्बन्ध प्रतिशत म = $\frac{P_1}{P_0} \times 100$ आधार वर्ष का मूल्य वास्तविक वर्ष का मूल्य $\times 100$
		मूल्य	सूचकांक	मूल्य	सूचकांक	
1	गहू	60 रु प्रति बिन्	100	120 रु प्रति बिन्	200	
2	चावल	80 रु प्रति बिन्	100	240 रु प्रति बिन्	300	
3	घीनी	3 रु प्रति कि	100	1 50 रु प्रति कि	50	
4	कपडा	1 50 प्रति मी	100	3 00 रु प्रति मी	200	
5	मसान	5 रु प्रति कि	100	5 00 रु प्रति कि	100	
6	मकान	10 रु प्रति माह	100	15 00 रु प्रति माह	150	
7	दूध	1 रु प्रति लि	100	1 50 रु प्रति लि	150	
8	घी	10 रु प्रति कि	100	12 50 रु प्रति कि	125	
		कुल	180		1275	

घोसत 800 - 8

1275 - 8 = 159 37

- 100

= 159 37

अतः 1960 के मुकाबले 1970 में मूल्यो में (159 37 - 100) = 59 37% की वृद्धि हुई है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 मुद्रा की पूर्ति (मात्रा) तथा कीमत स्तर (मूल्य स्तर) के पारस्परिक सम्बन्धों का स्पष्टीकरण कीजिए।

अथवा

मुद्रा की पूर्ति व परिवर्तन मूल्य-स्तर (Price Level) को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (Raj I yr T D C (Non Collegiate) 1976)

(संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा की पूर्ति की संक्षेप में समझाइय, फिर विश्वर, केम्ब्रिज आय व्यय दृष्टिकोणों का संक्षिप्त विश्लेषण कर अतः मकानाईये कि आय व्यय दृष्टिकोण उपयुक्त है। मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में अन्वय सम्बन्ध है। समीकरणों की भी व्याख्या कर आय व्यय दृष्टिकोण का निरूपण चित्र द्वारा कीजिये।)

- 2 विश्वर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का व्याख्या कीजिये।

(Raj I yr T D C 1980)

(संकेत—विश्वर के सिद्धान्त की व्याख्या समीकरण व चित्र द्वारा समझाइये तथा उनके वास्तविक आलोचनाएँ देकर निष्कर्ष दीजिये कि यह सिद्धान्त कुछ सत्य होने हुए भी अपूर्ण है।)

- 3 मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की केम्ब्रिज व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। केम्ब्रिज व्याख्या फिशर के सिद्धान्त पर क्या सुधार है ?

अथवा

नकद धादान प्रदान दृष्टिकोण (Cash Transaction Approach) तथा नकद सचयन दृष्टिकोण (Cash Transaction Approach) की तुलना कीजिये तथा उनमें कौनसा श्रेष्ठ है उसको बतलाइये।

(संकेत—मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की केम्ब्रिज व्याख्या को समीकरण सहित बताइये तथा दोनों में समानता बताते हुए केम्ब्रिज व्याख्या की श्रेष्ठता स्पष्ट कीजिये।)

- 4 मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में सम्बन्ध के विषय में प्रो. कीन्स के धाय व्यय दृष्टिकोण का विवेचन कीजिये। यह दृष्टिकोण और दृष्टिकोणों से क्यों श्रेष्ठ है ?

(संकेत—कीन्स के धाय व्यय दृष्टिकोण के शीर्षक के अन्तर्गत दी गई सामग्री को मध्य श्रेष्ठता व निष्कर्ष दीजिये।)

5. "सिद्धान्त रूप में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त सही है पर व्यवहार में अपर्याप्त है।" व्याख्या कीजिए।

(संकेत—पहले फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को समझाकर उसकी कमियाँ व आलोचनाएँ बताइये कि मुद्रा की पूर्ति व कीमत स्तर में प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं अतः कीन्स के धाय-व्यय दृष्टिकोण को समझाकर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए।)

6. मुद्रा की चलन गति से आप क्या समझते हैं और चलन गति किन-किन बातों पर निर्भर करती है ?

(संकेत—चलन गति का अर्थ बताकर फिर उसको प्रभावित करने वाले घटक दीजिये।)

7. समझाइये कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन कीमत-स्तर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं ? (I yr. T.D.C. 1973, Supple. 1973 Annual 1975)

(संकेत—प्रश्न 1 के उत्तर संकेत के अनुसार समझाना है।)

8. इस विचारधारा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए "कीमत स्तर सामान्यतः मुद्रा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात में बदलता है।"

(I yr. T.D.C. 1974)

(संकेत—फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को देकर विवेचना करनी है कि मुद्रा पूर्ति एवं मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक सम्बन्ध नहीं है, अप्रत्यक्ष एवं अनिश्चिन्त सम्बन्ध होता है।)

व्यावसायिक संगठन के स्वरूप

(Forms of Business Organisation)

सम्भ्रता के विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के आकार-बकार में परिवर्तनों के साथ साथ व्यावसायिक संगठन के भी विभिन्न नये-नये रूप सामने आये हैं। जब उत्पादन प्रणाली सरल और छोटे पैमाने पर थी तो एकाकी व्यवस्था व साभदारी प्रथा प्रचलित थी। पर बढ पैमाने की उत्पत्ति, जटिल थम विभाजन व बड़ी मात्रा में पूँजीगत उद्योगों ने समुक्त पूँजी कम्पनी व सहकारी व्यवस्था को जन्म दिया है। आज समुक्त पूँजी कम्पनी प्रायः सभी देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन व्यवस्था मानी जाती है। व्यावसायिक संगठन के प्रमुख स्वरूप (प्रारूप) निम्न हैं—

- (1) एकाकी व्यवस्था (Sole Proprietorship)
- (2) साभदारी (Partnership)
- (3) समुक्त पूँजी कम्पनी या आधुनिक कारपोरेशन (Joint Stock Company or Modern Corporation)
- (4) सारजनिक उपक्रम (Public Enterprises)
- (5) सहकारी उपक्रम (Co operative Enterprises)

1. एकाकी स्वामित्व व्यवस्था (Sole Proprietorship)

यह व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है। जब व्यवसाय में पूँजी की आवश्यकता सीमित संगठन सरल तथा उत्पादन व्यवस्था कम जटिल हो तो यह संगठन बहुत उपयुक्त होता है। एकाकी व्यवस्था को व्यक्तिगत उपक्रम एकल स्वामी, व्यक्तिगत साहसी तथा एकाकी व्यापारी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अर्थ—एकाकी व्यवस्था व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी, संचालक तथा संगठनकर्ता होता है और वही व्यवसाय की सम्पूर्ण लाभ हानि का उत्तरदायी होता है। लुई हैने के शब्दों में एकाकी व्यवस्था व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका स्वामी एक ही होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है उसको क्रियाओं का संचालन करता है एवं

साम-हानि का सम्पूर्ण भार स्वयं उठाता है।" पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पुटकर विक्रेता, कृषि करने वाले, छोटे-छोटे कारीगर, व्यक्तिगत उत्पादक एकाकी व्यवसाय के ही उदाहरण हैं।

एकाकी व्यवसाय की विशेषताएँ (Characteristics)—एकाकी व्यवसाय में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं—(i) एकाकी स्वामित्व होता है अर्थात् एक ही व्यक्ति व्यवसाय का मालिक होता है। (ii) एक ही व्यक्ति उसका प्रबन्धक व पूँजी प्रदाता करने वाला होता है। (iii) वही व्यवसाय में साम-हानि के प्रति उत्तरदायी होता है। (iv) ऐसे व्यवसाय में पूँजी की मात्रा सीमित, प्रबन्ध सरल तथा स्थापना में वैधानिक उपचारों का प्रायः अभाव रहता है। (v) एकाकी व्यवसायी का असीमित दायित्व होता है। (vi) एकाकी व्यवसाय को इच्छानुसार बन्धी भी स्थापित या समाप्त किया जा सकता है। (vii) वैधानिक उपचारों की जटिलता नहीं होती।

एकाकी व्यवस्था के लाभ अथवा गुण (Advantages or Merits of Sole Trade)—एकाकी व्यवस्था में निम्न लाभ हैं—(1) स्थापना या समाप्ति में सुविधा रहती है क्योंकि एकाकी व्यवसाय में वैधानिक उपचारों की जटिलता नहीं होती। छोटे पैमाने पर कहीं भी चलाया जा सकता है। (2) शीघ्र निर्णय की सुविधा रहती है। एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी तथा हानि लाभ के लिए उत्तरदायी होने से बिना समय नष्ट किये मजदूरी भी शीघ्र निर्णय ले सकता है। (3) ग्राहक व कर्मचारियों से निष्कट सम्पर्क व्यवस्था की सफलता में सहायक होता है। छोटे पैमाने की उत्पत्ति में निष्कटतम सम्पर्क के कारण पारस्परिक मतभेदों को तथा गलतफहमी को शीघ्र मिटाया जा सकता है जिससे ग्राहकों व कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध व्यवसाय की सफलता में योग देते हैं। (4) रुचि एवं मितव्ययिता एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा गुण है क्योंकि एक ही व्यक्ति लाभ एवं हानि के लिये उत्तरदायी होता है अतः वह व्यवसाय में परिश्रम, रुचि से काम करता है, प्रबन्ध में मितव्ययिता लाता है। निजी हित में तन्मयता बनी रहती है। (5) व्यावसायिक गोपनीयता रखना सम्भव होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति सर्वोत्तम होता है। (6) व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है क्योंकि एक व्यक्ति स्वामी, श्रमिक, पूँजीपति, प्रबन्धक तथा साहसी होता है। अतः कार्य की समस्त जीवित व्यक्ति में सतर्कता, आत्मविश्वास और तन्मयता को बढ़ाती है इसके कारण व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता है। (7) सामाजिक दृष्टि से इस व्यवस्था में लोगों को अपनी योग्यता, क्षमता तथा इच्छानुसार व्यवसाय चुनने तथा उनके संचालन का अवसर मिलता है अतः स्व-नियोजनों की सफाया बढ़ती है।

एकाकी व्यवस्था के दोष, अथवा गुण या हानियाँ (Demerits or Disadvantages of Sole Trade)—जहाँ एकाकी व्यवस्था से अनेक लाभ हैं वहाँ उसकी हानियाँ भी होती हैं। इसी कारण दूसरे प्रकार के व्यावसायिक संगठनों का तेजी से विकास हुआ है। ये दोष इस प्रकार हैं—(1) सीमित आर्थिक साधन होते हैं अतः

बड़े पैमाने की उत्पत्ति, अनुसंधान परीक्षण व नवीनतम मशीनों के खरीद की सामर्थ्य नहीं होती। अतः बड़े लाभ के अवसर कम ही होते हैं। (2) असंमित दायित्व भी एकाकी व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है। सम्पूर्ण हानि जोखिम एक ही व्यक्ति पर होना उसमें भय और घ्रासकाप्रो को जन्म देता है तथा वह कोई साहसपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। (3) प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन होता है क्योंकि बड़े पैमाने की इकाइयों में अधिक पूँजी, कुशल विभेदक तथा सफल संचालक होते हैं जबकि एकाकी व्यवसाय में साधनों की सीमितता उन्हें प्रतिस्पर्धा में बाधक होती है। (4) वित्तीय साधनों का अभाव रहता है क्योंकि एक ही व्यक्ति की साख सीमित होती है, स्वयं की पूँजी भी कम होती है तथा व्यवसाय में गोपनीयता के कारण ऋणदाता भी अधिक ऋण देने की जोखिम नहीं उठाते। (5) प्रबन्ध व नियन्त्रण की सीमा होती है क्योंकि एकाकी व्यवसायी की कुशलता एक अनुभव सीमित होना है वह अकेला उचित नियन्त्रण व प्रबन्ध करने में असमर्थ होता है। (6) गलत निर्णय की आशंका रहती है क्योंकि एकाकी व्यवसायी जल्दी जल्दी में निर्णय लेता है दूसरों से परामर्श नहीं लेता और गोपनीयता की प्रवृत्ति आदि से गलत निर्णय व्यवसाय के लिये घातक सिद्ध हो सकते हैं। "जल्दी का काम शैतान का" वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। (7) अनुपस्थिति में अकुशलता व क्षति का भय रहता है क्योंकि व्यवसाय का संचालन, प्रबन्ध, नीति-निर्धारण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है अगर वह कदाचित् बीमार पड़ जाय या बाहर चला जाय तो व्यवसाय ही चौपट हो जाता है। (8) अनिश्चित जीवनकाल—एकाकी व्यवसाय की सफलता तथा निरन्तरता स्वामी के गुणों, कुशलता, योग्यता, स्वास्थ्य तथा जीवनकाल से सम्बद्ध होती है। जब तक व्यक्तिगत स्वामी स्वस्थ, सक्रिय तथा जीवित रहता है एकाकी व्यवसाय रहना है तथा स्वामी की अस्वस्थता व मृत्यु एकाकी व्यवसाय के समापन के सूचक होते हैं। प्रायः उत्तराधिकारियों में आवश्यक गुणों का अभाव होता है तथा दूसरी व तीसरी पीढ़ी तक कमजोर हाथों में पहुँच जाता है।

निष्कर्ष—एकाकी व्यवस्था के उपर्युक्त गुणों व अन्वयगुणों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह एक व्यक्ति इतना बड़ा हो कि समस्त व्यवसाय को भली भाँति सम्भाल सके।" व्यवसाय सदैव इतना छोटा या बड़ा हो कि व्यक्ति उसकी समस्याओं को भली भाँति समझ सके। उससे कार्यो की कुशलता से संचालन कर सके। कृषि तथा अनेक छोटे-छोटे व्यापारिक संस्थानों, कुटीर एवं छोटे उत्पादक उद्योगों जिसमें कम पूँजी, कम प्रबन्ध, कुशलता व कम जोखिम हो उनके लिये एकाकी व्यवस्था उपयुक्त होने के कारण एकाकी व्यवस्था मविष्य में भी जीवित रहेगी।

2. साझेदारी

(Partnership)

धार्मिक युग में अधिक पूँजी, कुशल प्रबन्ध एवं व्यावसायिक योग्यता की

प्रावश्यकता पड़ती है। एक ही व्यक्ति के लिये इन सब की पूर्ति प्रायः असम्भव ही है। अतः बड़े पैमाने की उत्पत्ति में बढती जोखिमों, अधिक पूँजी तथा कुशल प्रबन्ध के लिये साझेदारी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ।

साझेदारी का अर्थ—जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने का इकरार (Contract) करते हैं, मिलकर पूँजी की व्यवस्था, सगठन एवं संचालन का भार उठाते हैं तथा हानि लाभ का उत्तरदायित्व उठाते हैं तो इस व्यवस्था को साझेदारी व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार भारत में एक साझेदारी फर्म में कम से कम 2 तथा अधिक से 20 साझेदार हो सकते हैं। बैंकिंग सस्थाओं में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक हो सकती है। एक साझेदारी व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी उपक्रम को के लिए संयुक्त रूप से पूँजी अथवा सेवाओं को प्रयुक्त करने का इकरार किया। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार "साझेदारी उन व्यक्तियों के सम्बन्ध को बतलते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया हो जो उनमें से सभी अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा सबके संचालित किया जाता हो।" (Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all) इस प्रकार हम एक साझेदारी निम्न विशेषतायें पाते हैं—

साझेदारी की प्रमुख विशेषतायें (Characteristics of Partnership)

- (1) साझेदार एक प्रसिद्धि (Contract) का परिणाम होता है।
- (2) दो या दो से अधिक लेकिन भारत में बैंकिंग सस्थाओं में 10 तथा व्यावसायिक सस्थाओं में 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते।
- (3) व्यवसाय संचालन एवं प्रबन्ध में सभी या कुछ या सबके लिये एक साझेदार कार्य करता है।
- (4) साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है अर्थात् साझेदारी फर्म में नुकसान के लिये साझेदार सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होते हैं।
- (5) साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना व साझेदारों में वितरण करना है।
- (6) साझेदारी में सभी सदस्यों का पूँजी लगाना आवश्यक नहीं, कुछ पूँजी लगा सकते हैं तो कुछ मानसिक या शारीरिक श्रम दे सकते हैं।

साझेदारी के लाभ, गुण या अच्छाइयाँ

(Advantages or Merits of Partnership)

साझेदारी व्यवस्था में एकाकी व्यवस्था के लाभ के साथ साथ अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। एकाकी व्यवस्था के दुगुणों ने ही साझेदारी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके गुण हैं—(1) स्थापना एवं समापन दोनों में अल्पभावन बहूत कम वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। (2) अधिक पूँजी की प्राप्ति होती है क्योंकि एक व्यक्ति की अपेक्षा अनेक साझेदार मिलकर बड़े व्यवसाय

के लिए काफी पूँजी जुटा सकते हैं। उन सबकी साख क्षमता भी अधिक होती है। (3) अधिक योग्य एवं कुशल प्रबन्ध भी प्राप्त होता है क्योंकि साझेदारों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग कार्य सौंपा जा सकता है, वे परस्पर निकट सम्पर्क में रहने के कारण उचित निर्णय ले सकते हैं। निर्णय जल्दी में नहीं किन्तु परामर्श के बाद लिये जाते हैं जिसमें अविवेकपूर्ण निर्णय की सम्भावनाएँ कम होती हैं। सब साझेदारों का असमीमित उत्तरदायित्व होने तथा लाभ का प्रलोभन होने से मितव्ययिता तथा सन्मयता बनी रहनी है और व्यवसाय का कुशल प्रद्वन्द्व व्यावसायिक सफलता का मूल आधार है। (4) ग्राहकों एवं कर्मचारियों से निकट सम्पर्क बना रहने से गलतफहमी को दूर कर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सुविधा रहती है। यह व्यवसाय की सफलता के लिये जरूरी भी है। (5) मितव्ययिता एवं प्रेरणा—साझेदारों में निजी लाभ का तत्व तथा जोखिम का भय दोनों के कारण साझेदार व्यवसाय में निपुणता, सावधानी एवं मितव्ययिता बरतते हैं तथा अधिक लाभ के लिये आर्थिक-प्रेरणा मिलती है। (6) बड़े पैमाने पर उत्पत्ति के लाभ मिलते हैं क्योंकि अधिक पूँजी, कुशल प्रबन्ध तथा साझेदारों में सर्वांगीण गुणों के समामेलन से ये लाभ मिलने हैं। (7) एकाकी व्यवस्था की अपेक्षा यह दीर्घजीवी भी है। (8) सहकारिता को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि सभी साझेदार सब एक के लिये और एक सबके लिये इसी सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। (9) लोच बनी रहती है। सब साझेदार सर्वसम्मति से निर्णय ले व्यवसाय के आकार-प्रकार में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। (10) गोपनीयता साझेदारी में भी बनी रहती है क्योंकि साझेदारों की सख्या सीमित होती है और वे परस्पर विश्वसनीय होते हैं।

साझेदारी के दोष, अर्धगुण या हानियाँ

(Demerits or Disadvantages of Partnership)

जहाँ साझेदारी में अनेक लाभ व गुण हैं वहाँ उनकी कुछ ऐसी सीमाएँ भी हैं जो व्यावसायिक विस्तार में बाधन हैं। साझेदारी के मुख्य दोष ये हैं—(1) सीमित पूँजी—आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति में बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है जबकि साझेदारी में साझेदारों की सख्या सीमित होने के कारण अधिक पूँजी एकत्रित नहीं हो पाती। (2) असमीमित दायित्व के कारण कोई भी साझेदार जोखिम उठाने को प्रेरित नहीं होते तथा व्यवसाय को भयभीत होकर छोटे पैमाने पर ही चलाते हैं इससे अधिक लाभ की सम्भावना नहीं रहती। (3) प्रबन्ध में अकुशलता बढ़ती है क्योंकि साझेदारों की सख्या अधिक होने पर निर्णय लेने में देरी होती है, उनमें मतभेद की सम्भावनाएँ रहती हैं तथा उत्तरदायित्व के अभाव में गलत कार्यों से अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। एक दूसरे पर छोटकशी की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार साझेदारी का सबसे बड़ा दोष केन्द्रित संचालन का अभाव होता है। (4) अनिश्चित अस्तित्व बना रहता है। साझेदारों में फूट, अस्वस्थता, मृत्यु व

इस प्रकार हम यो कह सकते हैं कि "सयुक्त पूँजी कम्पनी कानून द्वारा निर्मित एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना अलग अस्तित्व तथा निरन्तर उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सावंमुद्रा होती है।" (Joint Stock Company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a Common Seal) इस प्रकार एक कारपोरेशन या सयुक्त पूँजी कम्पनी की निम्न विशेषतायें होती हैं—

सयुक्त पूँजी कम्पनी या आधुनिक कारपोरेशन की विशेषताएँ (लक्षण) — उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी या कारपोरेशन में कुछ ऐसी विशेषतायें पाते हैं जो उसे सदस्यों से पृथक् अस्तित्व प्रदान करती हैं—

(1) कम्पनी लाभ के लिए व्यक्तियों का ऐच्छिक सगठन होता है। ये व्यक्ति सामो-पार्जन के उद्देश्य से व्यवसाय में सगठित होते हैं। मदस्यता ऐच्छिक हाती है।

(2) पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यह कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति के समान है जो अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम होता है। इसका मदस्यता से निम्न पृथक अपना कानूनी अस्तित्व होता है। यह एक व्यक्ति की भाँति नय विक्रय करती है, मुकदमा चला सकती है, इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके वैधानिक व्यक्तित्व के कारण एक सावं-मुद्रा (Common Seal) इसके सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक हाती है। बिना इसके कम्पनी के सब कार्य अर्बन्ध होते हैं।

(3) सीमित दायित्व—कम्पनी के सदस्यों या अगुधारियों का दायित्व कम्पनी में उनके द्वारा लगाई गई पूँजी तक ही सीमित होता है। चाहे कम्पनी को कितना ही घाटा भयो न हा अगुधारियों का आर्थिक दायित्व उनके अगुओं की कीमत तक ही सीमित होता है।

(4) पूँजी हस्तान्तरणीय अंशों में विभाजित होती है—कम्पनी की पूँजी अनेक छोट-छोटे हिस्सेदारों में विभक्त होती है और इन हिस्सों को वे सामान्य नियमों के अन्तर्गत बेरोकटोक दूसरों को हस्तान्तरित कर सकते हैं।

(5) निरन्तर उत्तराधिकार कम्पनी की सबसे बड़ी विशेषता है। कम्पनी के नय सदस्य बनते हैं, पुराने छाड़ते हैं। सदस्यता के निरन्तर आनागमन से कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडना। कम्पनी का अस्तित्व शाश्वत (Eternal) और निरन्तर बना रहता है जय तक कि कानून द्वारा ही इसका समापन न किया जाय।

(6) प्रतिनिधि प्रबन्ध कम्पनी का प्रबन्ध कम्पनी के चुने हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। सभी अगुधारी दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध में भाग नहीं लेते। कम्पनी के चुन प्रतिनिधि सचालन के रूप में इसका प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार कम्पनी का स्वामित्व एवं प्रबन्ध अलग-अलग रहना है।

(7) सावं मुद्रा (Common Seal) कम्पनी के वैधानिक अस्तित्व का प्रतीक होती है। इस पर कम्पनी का नाम अंकित होता है तथा यह कम्पनी के अधिकाग्युक्त हस्ताक्षर (Official Signatures) का वाय करती है।

(8) कम्पनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है। अतः इसका जन्म और मरण दोनों कानून से ही होता है। यह अपनी मौन नहीं कर सकती। कम्पनी का अस्तित्व कानून की परिधि में बँधा हुआ

(4) हस्तान्तरण—निजी कम्पनी के हिस्से के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध होता है जबकि सार्वजनिक कम्पनी के हिस्से स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणीय होते हैं। कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।

(5) वैधानिक औपचारिकतायें—निजी कम्पनियों के वैधानिक औपचारिकताओं की सख्या कम व सीमित है जबकि सार्वजनिक कम्पनियों को अनेक वैधानिक औपचारिकताओं (Legal formalities) का पालन करना पड़ता है जैसे—प्रपत्र जारी करना, प्रलेख फाइल करना, शेयर वारंट, सचालक को रिटायर करना, अग्री का आवंटन आदि आदि।

(6) सदस्य—निजी कम्पनियों में प्रायः मित्र या सम्बन्धी ही सदस्य होते हैं जबकि सार्वजनिक कम्पनियों में सर्वसाधारण को सदस्यता का अवसर मिलता है।

(7) प्राइवेट शब्द—निजी कम्पनियों को अपने नाम के साथ “प्राइवेट” शब्द जोड़ना अनिवार्य है जबकि सार्वजनिक कम्पनियों को इस प्रकार नहीं करना पड़ता।

संयुक्त पूंजी कम्पनी की स्थापना या निर्माण

(Incorporation or Formation of Joint Stock Company)

एक संयुक्त पूंजी कम्पनी का निर्माण विधान द्वारा होता है अतः कम्पनी के निर्माण में विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है तथा कम्पनी के निर्माण में निम्न अवस्थाएँ (Stages) आती हैं—

1 प्रवर्तन की अवस्था (Stage of Promotion)—सर्वप्रथम एक व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में किसी लाभदायक उपक्रम की स्थापना का विचार आता है तो वे कम्पनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने तथा कम्पनी के कार्य सम्बन्धी योजना आदि के कार्य को मूर्तरूप देना प्रवर्तन कहलाता है और इन कार्यों को पूरा करने वालों को प्रवर्तक (Promoters) कहते हैं। ये लोग योजना बनाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, विनोदों की सहायता लेते हैं, वित्त तथा अन्य साधनों का एकत्रित करने की व्यवस्था करते हैं।

2 समालोचन की अवस्था (Stage of Incorporation)—कम्पनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने के लिये प्रवर्तकों को कई प्रलेख—(i) पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association), (ii) पार्षद अर्न्तनियम (Articles of Association) तथा (iii) प्रविष्टरण (Prospectus) आदि तैयार कर कम्पनी के रजिस्ट्रार से समामेलन प्रमाण-पत्र (Certificate of Incorporation) प्राप्त करने लिये प्रेषित करना पड़ता है। पार्षद सीमा नियमों पर निजी कम्पनी में 2 तथा सार्वजनिक कम्पनी में कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

3 पूंजी प्राप्त करने की अवस्था (Stage of Arranging Capital)—कम्पनी रजिस्ट्रार से समामेलन प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात् प्रवर्तक कम्पनी के विभिन्न प्रकार के हिस्से (Shares) बेचने की व्यवस्था करते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के हिस्से बेचे जाते हैं—

2 सीमित दायित्व—सयुक्त पूँजी कम्पनी में अशधारियों का आर्थिक दायित्व केवल उनके द्वारा लिये गये अंशों की कीमत तक सीमित होता है अतः जोखिम नाम मात्र की होती है और साधारण तोर पर पूँजी विनियोग में हिचकिचा-हट नहीं होती ।

3. कुशल प्रबन्ध—कम्पनी का प्रबन्ध विशेषज्ञों व अनुभवी संचालकों के हाथ में होता है और वे आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति, नये नये यन्त्रों, उत्पादन विधियों व श्रम विभाजन पद्धतियों से परिचित होते हैं । अतः प्रबन्ध में कुशलता रहती है । इस प्रकार कम्पनी व्यवस्था पूँजी तथा प्रबन्ध में कुशल संयोग बैठती है ।

4 स्वामित्व या लोकतन्त्रीकरण—कम्पनी व्यवस्था आर्थिक प्रजातन्त्र का उच्चतम उदाहरण है । कम्पनी की पूँजी छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के हिस्सों में विभाजित होती है जिसमें जोखिम का श्रेणीकरण हो जाता है और सभी व्यक्तियों को अपने स्वाभावानुसूल अंश खरीदने का अवसर मिलता है और वे स्वामित्व प्राप्त करते हैं । वे प्रबन्धकों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें हटाने का अधिकार होता है । यद्यपि सिद्धान्त में कम्पनी के सभी अशधारियों उसके स्वामी होते हैं पर व्यवहार में कम्पनी की सारी सत्ता वतिपय प्रभावशाली अशधारियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है ।

5 बड़े पैमाने की उत्पत्ति—कम्पनियों में सीमित दायित्व के गुण के कारण अनेक व्यक्ति अंश खरीदकर बड़ी मात्रा में पूँजी एकत्रित कर लेते हैं जिससे बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना सम्भव होती है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति में आन्तरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं । नवीनतम मशीनों, आधुनिक रीतियों, औद्योगिक अनुसंधान आदि को प्रोत्साहन मिलता है ।

6 विनियोगों को प्रोत्साहन—कम्पनी में अंशों के हस्तांतरण की सुविधा सभी प्रकार के बचनकर्ताओं के लिये छोटी छोटी रकम के अंश तथा सीमित उत्तर-दायित्व के कारण लोगों का विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है ।

7 अंशों की हस्तान्तरणीयता—यह कम्पनी व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ है । अगर कोई पूँजी विनियोगकर्ता कम्पनी व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह अपने हिस्से को बेच सकता है, सन्तुष्ट होने पर अधिक शेर खरीद सकता है ।

8 निरन्तर अस्तित्व—कम्पनी व्यवस्था साभकारी या एकाकी व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होती है क्योंकि एक तो यह वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति अशधारियों की मृत्यु, पागलपन व प्रावागमन से कम्पनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता । स्थायी अस्तित्व के कारण कम्पनी दीर्घकालीन इकट्ठा कर सकती है तथा दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर सकती है ।

9 सरकारी नियन्त्रण के कारण जनता की बचतों का दुरुपयोग नहीं होने पाता । हिसाब किताब की जांच प्रमाणित अवेरफा द्वारा होती है । हिसाब किताब

को प्रकाशित किया जाता है जिससे घोषापढी, गवन, दुरुपयोग का पता लग जाता है। सरकार भी कानून द्वारा प्रभावी नियन्त्रण रखती है।

संयुक्त पूंजी कंपनी अथवा निगमों की साझेदारी से श्रेष्ठता

(Superiority of Joint Stock Company Organisation over Partnership)

संयुक्त पूंजी वाली कम्पनिया (निगम) साझेदारी संगठन क मुँवाबले कही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है इसके निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं—

(1) असह्य भागीदार—नार्वेजिक संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी म असह्य अशधारी हो सकते हैं, निजी कम्पनी में भी 50 अशधारी हो सकते हैं जबकि साझेदारी म अधिकतम सदस्य 20 और बैंकिंग साझेदारी म तो अधिकतम 10 भागीदार हो सकते हैं।

(2) पर्याप्त पूंजी—संयुक्त पूंजी कम्पनी में अनेक अशधारियों में काफी पूंजी एकत्रित की जा सकती है और बड़े व्यवसाय म अधिक पूंजी की पूर्ति इसी के द्वारा प्राप्त हो सकती है जबकि साझेदारी म पूंजी का अभाव रहता है।

(3) स्थायी अस्तित्व—कम्पनी का अस्तित्व स्थायी होता है। अशधारी की मृत्यु, बहिर्गमन, पागलपन आदि कम्पनी के अस्तित्व को कोई खतरा उत्पन्न नहीं करते जबकि साझेदारी का अस्तित्व अनिश्चित एव अस्थायी रहता है। साझेदारों की मृत्यु, बहिर्गमन, पागलपन आदि से साझेदारी समाप्त हो जाती है।

(4) कुशल संचालन—कम्पनी का संचालन चुने हुये कुशल प्रबन्धकों एव विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अशधारी स्वयं प्रबन्ध नहीं करते जबकि साझेदारी का संचालन साझेदारों द्वारा स्वयं ही किया जाता है जो उसमें प्रायः अनुशल रहने हैं।

(5) सीमित दायित्व—कम्पनी में अशधारियों का दायित्व उनके कम्पनी में खरीदे गये अंशों तक सीमित होता है जबकि साझेदारी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है वे सामूहिक एव निजी दोनों प्रकार से हानि का दायित्व उठाते हैं।

(6) स्वतन्त्र अस्तित्व—कम्पनी का अचना स्वतन्त्र अस्तित्व होता है अशधारी अने जाते रहने हैं। कम्पनी अने नाम में सीदे कर सकती है, मुकदमा लढ सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है जबकि साझेदारी का साझेदारों से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता।

(7) अंश हस्तान्तरण—कम्पनी के अंश हस्तान्तरणीय होने हैं। कोई भी अशधारी अने सकता है अथवा अंश बेच सकता है जबकि साझेदारी में अंश (भागीदारी) को बेचना एव हस्तान्तरण करना सम्भव नहीं होता।

(8) असीमित साध—कम्पनी की साम (Credit) उमने बड़े आकार और पर्याप्त पूंजी के कारण असीमित होती है जबकि साझेदारी में सदस्यों की सीमितता,

अपर्याप्त पूँजी एवं छोटे व्यवसाय के कारण साख सीमित होती है।

(9) बड़े पैमाने का व्यवसाय—कम्पनी संगठन बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिये श्रेष्ठ होता है क्योंकि सीमित दायित्व, कुशल प्रबन्ध, पर्याप्त पूँजी एवं असीमित साख उपलब्ध रहती है जबकि साझेदारी में बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं व्यवसाय नहीं हो पाता।

(10) कानूनी सुरक्षा—कम्पनियों पर कानून की कड़ी निगरानी रहती है जिससे धोखा-धड़ी की सम्भावनाएँ सीमित होती हैं किन्तु साझेदारी समझौते का प्रतिफल है अतः गोपनीयता के कारण भोले-भाले साझेदार धोखा खा जाते हैं।

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के दोष, श्रवणगुण या हानियाँ

(Demerits or Disadvantages of Joint Stock Company)

1. स्थापना कार्य कठिन—संयुक्त पूँजी कम्पनी की स्थापना का कार्य कठिन वैधानिक औपचारिकताओं व उलझनों से भरपूर होता है। सामान्य व्यक्तियों की समझ में दूर होता है जबकि साझेदारी व एकाकी व्यवस्था में अपने-आपके सरलता रहती है।

2. नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण—सैद्धान्तिक दृष्टि से तो संयुक्त पूँजी कम्पनी एक लोकतन्त्र है, किन्तु व्यवहार में कुछ प्रभावशाली पूँजीपतियों व सचालकों का अल्पतन्त्र एवं तानाशाही होती है। संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अशुभकारी घन तन्त्र बिखरे होते हैं, वे रुचि नहीं लेते। अतः कुछ ही सक्रिय व स्वार्थी प्रशासकी या अभिक्ता अपने ही सचालक नियुक्त कर मनमानी करते हैं। स्वागित्व एवं प्रबन्ध में पृथक्त्व पाया जाता है।

3. सचालकों का शोषण—प्रबन्ध एवं आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कुछ ही प्रभावी सचालकों के हाथों में हो जाता है। वे अपने लिए अनेक प्रकार के भत्ते आदि का निर्धारण करते हैं अपने स्वार्थी तत्वों की पूर्ति करते हैं इससे अशुभकारियों के हितों की उपेक्षा होती है।

4. प्रबन्ध में अकुशलता को बढ़ावा मिलता है—प्रबन्धकों और स्वामित्व में पृथक्ता के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में देर होती है। अगर सचालक योग्यता के आधार पर न चुने जायें, केवल उनके आर्थिक प्रभाव में वे सचालक बन बैठें तो कम्पनी प्रबन्ध में अकुशलता का बोलबाला होता है।

5. गोपनीयता का अभाव रहता है क्योंकि सरकारी नियन्त्रण व विधान के कारण सार्वजनिक कम्पनी के हिसाब-किताब को अन्वेषकों द्वारा जांच होती है, रिपोर्ट व हिसाब-किताब प्रकाशित होते हैं। अतः कम्पनी के अन्तर्गत साझेदारी व एकाकी व्यवस्था जैसी गोपनीयता सम्भव नहीं। गोपनीयता के अभाव में व्यवसाय का हानि भी हो सकती है।

6. बड़े पैमाने की उत्पत्ति के दोष—यह कम्पनी प्रणाली का मजमू गहरव-पूर्ण श्रवणगुण है। जस अति उत्पादन, अधिक बर्त्याण कार्यों की उपेक्षा, औद्योगिक

झगड़े एवं अशान्ति तथा श्रमिकों का शोषण होता है। व्यवसाय की जटिलता में अतृप्त प्रवृत्ति बढ़ती है।

7 एकाधिकार एवं आर्थिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अपने छोटे एवं माध्यम प्रतिस्पर्द्धियों को समाप्त करने का प्रयास करती हैं। वे कृत्रिम बर्मी कर एवं मार्केट करते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण होता है। छोटे उत्पादकों की स्थिति विगड़नी जा रही है। बड़ी कम्पनियाँ निरन्तर बड़ी-बड़ी हाली बनाती हैं और एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं।

8 सट्टेबाजों की प्रोत्साहन मिलता है। कम्पनी के संचालन का भाग दरो में बर्मी बेशी करके स्टॉक एवं शेयर बाजार में अणों की कीमतों में उतार-चढ़ाव लाते हैं। जब कम्पनी के हिस्सा पर कम सामांज दर घोषित की जाती है तो सामान्य अशुधारी सस्ते दामों पर अपने अण बच देते हैं। इसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ता है।

9 रुचि, पहलपन एवं उपक्रम में बर्मी—कम्पनी व्यवस्था में स्वामित्व अशुधारियों के पास होता है जबकि कम्पनी प्रवृत्त संचालकों के हाथों में रहता है। लाभ और प्रयत्नों में दूरी होती है। प्रवृत्तक लाभ बढ़ाने के प्रति उदासीन होते हैं। वे कम्पनी के कार्यों की निश्चित नियमों की परिधि में सकीण बना लेते हैं। संचालकों का स्वामित्व सीमित होने से वे अशुकाश अशुधारियों के हितों की उपशा करते हैं। नये कार्यों की पहल नहीं होती।

10. राजनैतिक अशुधाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कर लेती हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य अशुधारियों, ससद सदस्यों, राजनैतिक दलों के नेताओं के सत्ताधारियों को भारी मात्रा में रिश्वत देकर अपने स्वार्थों के अनुकूल नीतियों का श्रियान्वयन तथा निर्माण करवाती हैं। बर्मी-बर्मी और बर्मी गतिविधियों ने सामोपाजन कर समाज विरोधी कार्यों के प्रति भी अशुधारियों को उदासीन रखने के लिए वाष्प कर देती हैं।

निष्कर्ष—आधुनिक युग में बड़े पैमाने की उत्पादन एवं औद्योगिक व्यवस्था में सयुक्त पूँजी कम्पनी ही सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास बहुत कुछ ऐसी कम्पनियों के विकास पर ही निर्भर करता है। कम्पनियों पर उचित नियन्त्रण रखने से उनके दावों को दूर किया जा सकता है।

4. सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी उपक्रम

(Public Enterprises)

अब राज्य का आर्थिक क्षेत्र में इतना हस्तशेप बढ़ गया है कि वह न केवल अशुधारी नियन्त्रण करता है बरन् स्वयं एक व्यवसायी एवं साहसी के रूप में व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित करता है। सार्वजनिक उपक्रमों का अशुधारी उन औद्योगिक एवं व्यवसायिक सरणों से है जिनका स्वामित्व, नियन्त्रण एवं प्रवृत्त सरकार अथवा सामाजिक इकाइयों के हाथों में होता है। सार्वजनिक उपक्रमों का नियन्त्रण एवं संचालन, उत्पादन तथा वितरण आदि की व्यवस्था सरकारी अशुधारी करने हैं

राष्ट्रीयकृत (Nationalised) तथा सरकार द्वारा स्थापित उद्योग इस श्रेणी में आते हैं जैसे भारत में डाक-तार विभाग, रेलवे, विजली, पानी आदि-आदि।

सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य—सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के पीछे अनेक उद्देश्य होते हैं (1) सामाजिक हित—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें प्रतियोगिता-सामाजिक दृष्टि से हानिकारक होती है तथा जिनका प्रबन्ध व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत सम्भव नहीं होता। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जैसे डाकतार, विजली, पानी आदि। (2) सन्तुलित विकास—जिन उद्योगों की स्थापना में विशाल पूँजी की आवश्यकता पड़ती है तथा निजी उद्योगपति इतनी विशाल पूँजी के जुटाने तथा जोखिम उठाने में असमर्थ होते हैं तो देश के सन्तुलित विकास के लिये ऐसे उद्योग—जैसे लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, मशीन टूल्स, भारी विजली का सामान आदि का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है। (3) सुरक्षा—देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उद्योगों की निजी हाथों में छोड़ना उपयुक्त नहीं होता। (4) अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग पर राष्ट्र हित में नियन्त्रण एवं स्वामित्व आर्थिक केन्द्रीकरण व देश के समुचित विकास के लिए आवश्यक होता है।

साम्यवादी एवं समाजवादी राष्ट्रों में तो देश के प्रायः सभी उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है जबकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में देश के सुरक्षा उद्योगों व प्रमुख इकाइयों पर ही सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। जैसे भारत में चार इस्पात कारखाने—मोपाल इलेक्ट्रोनिक्स, एच एम टी, भारतीय खाद्य निगम आदि-आदि।

सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण—सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण उनके कार्य की प्रवृत्ति, स्वामित्व तथा सगठनात्मक संरचना के आधार पर किया जा सकता है।

(A) कार्यात्मक वर्गीकरण (Functional Classification)—इसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निर्माण उपक्रम, खनन उपक्रम, परिवहन उपक्रम, व्यापारिक उपक्रम, वित्त बीमा एवं बैंकिंग उपक्रम, विकास एवं प्रबंधन उपक्रम तथा विजली एवं बहु उद्देशीय परियोजनाएँ आदि आते हैं।

(B) स्वामित्व व नियन्त्रण के आधार पर वर्गीकरण में चार प्रकार के उपक्रम आते हैं (1) केन्द्रीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) नैर्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सम्मिलित उपक्रम तथा (4) समुक्त उपक्रम जिनमें निजी, राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार का समुक्त स्वामित्व एवं नियन्त्रण हो सकता है।

(C) सगठनात्मक वर्गीकरण (Organisational Classification)—राजकीय उपक्रमा या राज्य के संचालित उद्योगों व व्यवसायों का सगठन प्रायः चार प्रकार से किया जाता है—

(1) विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)—यह सरकारी उपक्रमों के सगठन की सबसे प्राचीन रूढ़िवादी पद्धति है। यह पद्धति मुख्य रूप से

सुरक्षात्मक उद्योगों में तथा सामान्यतया ऐसे उद्योगों में अपनाई जाती है जिसमें सरकार को सार्वजनिक सेवा के साथ-साथ पर्याप्त आय प्राप्त होने की आशा होती है। ऐसे उपक्रम प्रतिरक्षा विभाग, रेल, डाक-तार व औपधि उपक्रम हैं। भारत में रेल उपक्रम में 5000 करोड़ रु, डाक-तार विभाग में 500 करोड़ रु की पूंजी लगी है। इन उपक्रमों से समदीय नियन्त्रण होता है। वे सरकारी विभाग की भांति संचालित होते हैं। अतः लाल-फीताशाही, राजनैतिक भ्रष्टाचार तथा निर्णयों में विलम्ब आदि की समस्याएँ प्रमुख हैं।

(ii) सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रम (Statutory Public Corporation)—सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन की आधुनिक अधिक लोकप्रिय पद्धति स्वशासित निगम (Autonomous Corporations) की स्थापना है। इन निगमों की स्थापना लोक सभा या विधान-सभा द्वारा पारित विशेष अधिनियमों द्वारा होती है। इन विशेष अधिनियमों में उपक्रम की स्थापना पूंजी, प्रबन्ध संचालन एवं कार्य-क्षेत्र आदि का प्रावधान स्पष्ट होता है। ये सरकार के स्वतन्त्र उपक्रम के रूप में कार्य करते हैं। सम्बन्धित मंत्रालय उन्हें केवल निर्देश जारी कर सकता है, दिन-प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार केवल सामान्य सिद्धांतों व नीतियों का निर्माण करती है। पूंजी लगाती है, उधार देती है पर प्रबन्ध स्वयं निगम द्वारा होता है। भारत में इसके उदाहरण रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, जीवन-बीमा निगम, दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम, खाद्य निगम आदि-आदि हैं।

(iii) संयुक्त पूंजी कम्पनी प्रबन्ध (Joint Stock Company Management)—इसके अन्तर्गत सरकार किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का निर्माण कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत करती है। कम्पनी के सब अंशों या अधिकांश अंशों का स्वामित्व सरकार का होता है। प्रबन्ध के लिए प्रायः सभी संचालकों में नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में हिन्दुस्तान स्टील लि, एच एम टी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, इण्डियन आयल कम्पनी आदि इसके कतिपय उदाहरण हैं।

संयुक्त पूंजी कम्पनी द्वारा राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था के अनेक लाभ हैं (i) कार्यविधि सरल होती है, (ii) व्यापारिक सिद्धांतों के अन्तर्गत संचालित होती है, (iii) निर्णयों में शीघ्रता रहती है। डा गोरवाला ने ठोस वाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन में इस प्रबन्ध व्यवस्था को श्रेष्ठ माना है। पर इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसमें सरकारी नियंत्रण की मात्रा निश्चित करना कठिन होता है। अकुशल प्रबन्ध, लाल फीताशाही, अधिकारियों की लापरवाही से घाटे की समस्या रहती है।

(iv) बोर्डों द्वारा राजकीय उपक्रमों का प्रबन्ध (Public Enterprises Managed by a Board)—राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध की एक विधि "बोर्ड" या "समिति" का संगठन है जिन्हे नियंत्रण मण्डल कहते हैं। यह नियंत्रण की अत्यंत विलम्बित व्यवस्था होती है। इसमें केंद्र या राज्य या दोनों के मनोनीत प्रतिनिधि

प्रबन्ध करते हैं। इन संगठनों में कानूनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण में एकस्पता नहीं होती। भारत में ऐसे बोर्ड—भारत कंट्रोल बोर्ड, चम्बल कंट्रोल बोर्ड, हम्बकला बोर्ड, चाय बोर्ड आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का विकास

भारत में देश के औद्योगिक विकास में गति लाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सक्रिय योगदान के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना बड़ी तेजी से हुई है। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में केन्द्र सरकार के उपक्रमों की संख्या केवल 5 थी और उनमें 29 करोड़ ₹ की पूँजी लगी हुई थी। यह संख्या 1960-61 में बढ़कर 48 तथा विनिर्दिष्ट पूँजी 953 करोड़ ₹ हो गई। 1970-71 में केन्द्र सरकार के उपक्रमों की संख्या 97 थी उनमें कुल निवेश 4682 करोड़ ₹ की पूँजी लगी हुई थी। जहाँ पहले राज्य का कुल औद्योगिक उत्पादन में 5% भाग था वह अब बढ़कर 43% तक हो गया है। 1979-80 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 160 थी और उनमें लगभग 14000 करोड़ ₹ से अधिक की पूँजी लगी हुई थी।

सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ

(Advantages of Public Enterprises)

1. सामाजिक हितों की रक्षा—सामाजिक उपक्रमों का उद्देश्य पूँजीवादी उत्पादन के दोषों को दूर करना होता है। वे लाभ से प्रेरित न होने पर जन-हित से प्रेरित होते हैं, वे कम लागत पर उत्तम सेवा प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं जिससे श्रमिकों को उचित मजदूरी व उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती हैं।

2. पर्याप्त पूँजी—निजी उत्पादकों की तुलना में सरकार के माध्यम तथा साक्ष दोनो अधिक होने हैं जिसके कारण सरकार बड़ी मात्रा में पूँजी जुटाकर विनाशकारी बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना कर सकती है जो निजी व्यक्तियों की शक्ति से परे होते हैं।

3. सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करने में सरकारी उपक्रमों का विशेष महत्व होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ निजी व्यक्ति न बड़ी मात्रा में पूँजी लगाना चाहते हैं न जोखिम उठाना चाहते हैं वहाँ सरकार आधारभूत उद्योगों की स्थापना कर सकती है जैसे भारत में लोहा-इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, बिजली एवं परिवहन, सिंचाई एवं विद्युत् परियोजनाएँ जिनमें अधिक पूँजी लगनी है, जोखिम भी अधिक होती है तथा एकदम लाभ भी नहीं मिलता। अतः सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना में पहल करके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

4. सुरक्षा उद्योगों को निजी हाथों में सौंपना कभी भी देश की स्वतंत्रता को खतरे में डालना है, अतः देश को बाह्य आक्रमणों से बचाने तथा सुरक्षा उद्योगों सम्बन्धी गोपनीयता के लिए सरकारी उपक्रम सदा ही उपयुक्त रहते हैं, सभी राष्ट्रों में ऐसे उद्योग सरकार के हाथ में होते हैं।

5. कुशल प्रबन्ध—सरकारी नौकरी में सुरक्षा तथा समाज के लोगो में सरकारी पदाधिकारियों के प्रति उच्च-आदर होने से सरकारी नौकरी प्रायः सभी लोगो का आकर्षण केन्द्र होता है। अतः सरकार को कुशल प्रबन्धक आसानी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार अपने पर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण ऊँचे-ऊँचे वेतन देकर सुयोग्य विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग कर सकती है।

6. नवीनतम प्रणालियों व आधुनिकतम मशीनों के प्रयोग की पहल सरकार आसानी से कर सकती है क्योंकि सरकार के आर्थिक साधन असीमित होने हैं तथा सरकार उत्पादन में कुशलता लाकर उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर सकती है।

7. श्रमिकों को लाभ होता है। निजी उपक्रमों के स्वामी श्रमिकों का शोषण करने की नीति अपनाते हैं जबकि एक कल्याणकारी सरकार अपने उपक्रमों में नियोजित श्रमिकों को अच्छे दर से मजदूरी देती है। उनके रोजगार में स्थिरता व सुरक्षा बनी रहती है तथा कार्य की दिशा भी स्वास्थ्यप्रद होती है।

8. सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभ को जनहित पर व्यय किया जाता है इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है जबकि निजी उपक्रमों का लाभ पूँजीपतियों की जेब में जाता है। इससे देश में धन के असमान वितरण को बढ़ावा मिलता है।

9. समाजवादी सिद्धांतों के अनुकूल व्यवस्था है। इससे सरकार का अर्थ-व्यवस्था के प्रायः सभी केन्द्र बिन्दुओं पर स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। समाजवाद के स्वरूप को साकार करने में सहायता मिलती है। पूँजीवादी तत्वों के समापन में सहायता मिलती है।

सार्वजनिक उपक्रमों के दोष व हानियाँ

(Disadvantages or Demerits of Public Enterprises)

1. लाल फीताशाही (Red Tapisism)—सरकारी उपक्रमों में कार्य बहुत धीरे-धीरे होता है, तत्काल निर्णय नहीं किये जाते। काम नियत क्रम-प्रणाली (Routine) में चलता है। कर्मचारियों की अरुचि रहती है अतः उपक्रमों का प्रबन्ध लाल फीताशाही का शिकार होता है। कार्य संचालन में नौकरशाही प्रवृत्तियाँ हावी रहती हैं।

2. श्रमिकों व प्रबन्धकों की कुशलता का निम्न स्तर रहता है। श्रमिकों की सेवा सुरक्षा तथा वेतन क्रम निश्चित होने से वे कार्य के प्रति उदासीन बनते हैं। अधिकारियों की आज्ञा की उपेक्षा की जाती है, कर्मचारियों में भी लाल फीताशाही की प्रवृत्ति होती है। वे कार्य को धीरे-धीरे क्रमवार करते हैं, निर्णयों में विलम्ब होता है। व्यावसायिक कुशलता का अभाव रहता है। सरकारी नौकरी में प्रायः पदोन्नति व्यक्ति की योग्यता व कार्यानुसार नहीं होती बरन् वरीयता (Seniority) के आधार पर होती है अतः कठिन परिश्रम के लिए उत्साह नहीं रहता।

3. अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है जिसका समाज व करदाताओं पर भार पड़ता है। "सार्वजनिक सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं" की भावना के कारण काफी अपव्यय होता है। आज हम देखते हैं कि भारत सरकार के अनेक उपक्रमों में घाटा चल रहा है। अनेके हिन्दुस्तान स्टील लि में उसकी स्थापना के बाद अब तक लगभग 220 करोड़ ₹ का घाटा ही चुका है जबकि उनमें सरकारी पूँजी 2400 करोड़ ₹ नियोजित है। यह घाटा जनता पर भारस्वरूप रहता है।

4. सरकारी एकाधिकार के कारण उपभोक्ताओं और श्रमिकों को सरकार की मर्जी पर आश्रित रहना पड़ता है। कभी-कभी सरकारी एकाधिकार भी निजी एकाधिकार के समान सिद्ध होता है। यह एक विषम स्थिति उत्पन्न कर देता है।

5. राजनैतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति राजनैतिक स्वार्थों से प्रेरित होती है अधिकारियों के स्थानान्तरण में भी राजनैतिक दबाव होता है। पक्षपात तथा कुनवा-परस्ती का बोलबाला होता है। राजनैतिक सत्ताधारी पार्टों राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों व श्रमिकों को अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करती है। इसके अतिरिक्त ऋण विक्रय सौदों में घोटाले होते हैं।

निष्कर्ष—सार्वजनिक उपक्रमों के गुणों व अवगुणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकासशील राष्ट्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना एवं विस्तार औद्योगिकरण व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रमिकों, उपभोक्ताओं व सामान्य जनता को लाभ रहता है। समाजवाद की स्थापना सम्भव होती है। पर सार्वजनिक उपक्रमों में अपव्यय, राजनैतिक भ्रष्टाचार, एकाधिकारी प्रवृत्ति और अकुशलता पर नियन्त्रण आवश्यक है।

5. सहकारी उपक्रम (Co-operative Enterprises)

सहकारिता पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज के कमजोर तथा गरीब लोगों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो बराबरी के आधार पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा व उनकी वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते हैं। पूँजीवाद में निजी लाभ की प्रेरणा से बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प जाती है। कमजोर व गरीबों का शोषण होता है। ऐसी अवस्था में सहकारिता उन्हें संगठित कर शोषण से मुक्त करती है। आज विश्व की सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं—पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सहकारी उपक्रम का अर्थ—सहकारी उपक्रम व्यावसायिक संगठन का वह रूप है जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े व्यक्ति ऐच्छिक रूप से अपने सामान्य आर्थिक हितों की रक्षा व उनकी पूर्ति के लिए मिलते हैं तथा जनतान्त्रिक सिद्धान्तों पर व्यवसाय का सञ्चालन करते हैं जिससे उनका आर्थिक कल्याण सम्भव

हो। प्रो काल्वर्ट (Calvert) के शब्दों में सहकारिता सगठन का वह रूप है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भाँति बराबरी के आधार पर अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए ऐच्छिक रूप से सगठित होते हैं।" (Co operation is a form of organisation wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of economic interests of themselves) प्रो सैलिंगमैन के अनुसार "तकनीकी प्रयत्न में सहकारिता का अभिप्राय उत्पादन तथा वितरण में प्रतियोगिता का समापन एवं बिचोलिए (Middlemen) का हटाना है।"

सहकारिता की विशेषतायें (Characteristics) या सिद्धान्त

1 सहकारिता एक ऐच्छिक सगठन है जिसमें मिलने वालों की इच्छा सर्वोपरि है, कोई अनिवार्यता नहीं। जो व्यक्ति चाहे वह सहकारी उपक्रम का सदस्य बन सकता है और चाहे तो पृथक् हो सकता है।

2. सहकारिता मनुष्य का सगठन है पूँजी का नहीं, आर्थिक दृष्टि से कम-जोर एवं शोषित व्यक्ति मानवता के आधार पर ऐच्छिक रूप से सगठित होते हैं। मनुष्य को प्रथम एवं पूँजी को गौण स्थान प्राप्त होता है।

3 समानता का अधिकार होता है। सहकारिता में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलता है। जनतंत्र की भाँति, "एक व्यक्ति को वोट" के सिद्धान्त का पालन होता है चाहे उनके द्वारा उद्योग में लगाई गई पूँजी में काफी अन्तर क्यों न हो।

4. आर्थिक हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि ही सहकारिता का उद्देश्य होता है। सहकारिता में द्वारा उपभोक्ता, श्रमिक, नष्टणी एवं पूँजीपतियों के शोषण से बचने तथा अपने आर्थिक कल्याण (Material Welfare) के उद्देश्य से सगठित होते हैं।

5. पारस्परिक सहयोग एवं स्वयं सहायता (Self Help) सहकारिता का आधारभूत अंग है। प्रो होरेश लिकेट के अनुसार "सगठन द्वारा सायंकी की गई स्वयं सहायता ही सहकारिता है।" दूसरे शब्दों में सहकारिता में "प्रत्येक सबके लिए तथा सब प्रत्येक के लिए" (Each for All and All for Each) का सिद्धान्त सर्वोपरि है।

6. सहकारिता से सदाचार व नैतिकता के विकास को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना आर्थिक कल्याण को।

7 सहकारिता का उद्देश्य "लाभ कमाना (Profit Motive) नहीं पर सेवा उद्देश्य (Service Motive) होता है।"

इस प्रकार सहकारिता विनाशकारी प्रतियोगिता और पूँजीवाद के शोषण के विरुद्ध एक सग्राम है जिसमें निजी लाभ की ज्वाला को शान्त कर पारस्परिक सेवा एवं सहयोग की भावनाओं को विकसित एवं प्रेरित किया जाता है।

सहकारी उपक्रमों के विभिन्न रूप (Various Forms of Co-operative Enterprises)

सहकारिता में कमजोर एवं आवश्यकता-ग्रस्त व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा व अभिवृद्धि के लिए पारस्परिक सहयोग करते हैं। अतः आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह उत्पादन हो, चाहे उपभोग या वितरण, सहकारिता को बल मिला है। यों तो सहकारिता के अनेक प्रकार हैं परन्तु मुख्यतः निम्न हैं—

1. उत्पादक सहकारी उपक्रम (Producers Co-operative Enterprises)— इस प्रकार के उपक्रमों में उत्पादन या श्रमिक मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं। वे व्यवसाय में स्वयं पूँजी लगाते हैं और स्वयं श्रम करके उत्पादन करते हैं। वे ही व्यवसाय के मालिक और मजदूर दोनों होते हैं। वे ही प्रबन्ध करते हैं अतः पूँजी और श्रम की पृथक्ता को समाप्त कर दिया जाता है। श्रमिकों को अपने श्रम के बदले मजदूरी मिलती है जबकि पूँजी पर लाभ मिलता है।

उत्पादक सहकारी उपक्रमों का आकार प्रायः बड़ा होता है अतः व्यवस्था एवं संचालन श्रमिक स्वयं करते हैं। उपक्रमों का सगठन प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है।

उत्पादक सहकारिता के लाभ (Advantages)—(i) उत्पादक सहकारी उपक्रमों में पूँजीपति का लोप होता जाता है अतः श्रमिक ही मालिक और मजदूर दोनों होते हैं। इससे वर्ग संघर्ष (Class-Struggle) का समापन होता है। (ii) आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। (iii) अपव्यय पर नियन्त्रण रहता है क्योंकि व्यवसाय श्रमिकों का अपना होता है। वे छिपे, उत्साह एवं कठिन परिश्रम से कार्य करते हैं तथा हर प्रकार के अपव्यय पर नियंत्रण रखते हैं। (iv) आत्म-सम्मान की भावना बढ़ती है क्योंकि वे सब उद्योग में नौकर या दास नहीं बरनू मालिक होते हैं। वे स्वयं प्रबन्धन करते हैं। (v) प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर आधारीक प्रबन्ध में सभी को समान अवसर मिलता है। (vi) शोषण से मुक्ति मिल जाती है इससे श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा व अभिवृद्धि होती है।

उत्पादक सहकारी उपक्रमों के दोष (Disadvantages)—उत्पादक सहकारी उपक्रमों की अपनी अनेक सीमाएँ हैं। (i) पूँजी की कमी रहती है क्योंकि श्रमिकों के आर्थिक साधन सीमित होते हैं तथा उनकी साख कम होने से ऋण भी कम मिल पाता है। (ii) प्रबन्ध में अकुशलता रहती है क्योंकि श्रमिक स्वयं न योग्य प्रबन्धक होते हैं और न उन्हें तकनीकी तथा वित्तीय जटिलता का भान होता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों में प्रबन्ध में बार-बार हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति से अनुशासन भंग होता है और प्रशासन ढीला हो जाता है। (iii) प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। (iv) बुद्ध स्वार्थी तत्व अपना प्रभुत्व जमाकर साधनों का दुरुपयोग करते हैं। भारत में इसके अनेको उदाहरण हैं। इसने आन्दोलन को भी धक्का पहुँचा है।

2 उपभोक्ता सहकारी उपक्रम (Consumers' Co-operative Enterprises)—मध्यस्थों के शोषण में बचने के लिए उपभोक्ता अपना एक ऐच्छिक संगठन बना लेते हैं जिनमें वे स्वयं पूँजी लगाते हैं और सहकारी उपक्रम के द्वारा सीधे उत्पादकों या घोर व्यापारियों से वस्तुएँ खरीदी जाती हैं और उन्हें न्यायोचित भावों पर सदस्यों में बेची जाती है। समिति को होने वाले लाभ को सदस्यों में दो आधाराओं पर बाँटा जाता है। पहला पूँजी पर लाभ तथा दूसरा उनके द्वारा की गई खरीद के मूल्य के अनुपात में बोनस दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को इन उपक्रमों से अनेक लाभ होते हैं।

उपभोक्ता सहकारी उपक्रमों से लाभ—(i) उपभोक्ताओं को मध्यस्थों (Middlemen) से छूटकारा मिल जाता है। (ii) वस्तुएँ अरुद्धों और सस्ती मिल जाती हैं। (iii) उपभोक्ताओं को दुहरा आर्थिक लाभ मिलता है। एक ओर वे मध्यस्थों के शोषण से बच जाते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूँजी पर लाभ तथा खरीद पर बोनस मिलता है। (iv) प्रबन्धक अवैतनिक कर्मचारियों द्वारा होन पर प्रबन्ध को व्यय का भार नहीं उठाना पड़ता। (v) सभी सदस्य इस उपक्रम से लाभ खरीदते हैं अतः विज्ञापन व्यय की बचत होती है। (vi) सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता व अनुदान का लाभ मिलता है।

उपभोक्ता सहकारी उपक्रमों के दोष—(i) प्रबन्ध में अकुशलता रहती है क्योंकि अवैतनिक प्रबन्ध पर्याप्त रुचि व उत्साह नहीं दिखाते। (ii) पूँजी का अभाव रहता है क्योंकि उपभोक्ताओं के साधन सीमित होते हैं। (iii) सहकारी समिति में स्वार्थी तत्व सक्रिय होकर घोटाला करते हैं उसका सब सदस्यों पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

3 साख सहकारी उपक्रम (Credit Co-operative Enterprises)—इस प्रकार की सहकारिता म श्रद्धा या निर्धन व्यक्ति अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं सहयोग (Self-Help) के सिद्धान्त पर संगठित होने हैं ताकि वे साहूकारों व पूँजीपतियों के शोषण से मुक्त हो सकें। इस प्रकार के संगठनों में व्यक्ति मिलकर साख-सहकारी समिति की स्थापना करते हैं जिसमें वे अंशों के रूप में पूँजी देने हैं। ये समितियाँ फिर केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं जिन पर व्याज की दर व उचित भुगतान की शर्तें सुगम होती हैं।

ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण साख समितियाँ (Rural Credit Societies) होती हैं जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों की साथ एव ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरी साख समितियाँ (Urban Credit Societies) होती हैं।

इन समितियों का हमारे देश में बोलबाला है। सदस्यों में ऋण वापिस भुगतान की प्रवृत्ति कम होने से अनेक ऐसी समितियाँ बन्द होनी हैं या घाटा उठाती हैं। (i) इन समितियों के सदस्यों को कम व्याज पर ऋण मिलता है व शोषण में छूटकारा मिल जाता है। (ii) बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। (iii) सदस्यों में पारस्परिक सहयोग एव भ्रातृत्व की भावना प्रबल होती है। पर

इन सब समितियों के साधन सीमित होते हैं, ऋणों में पक्षपात होता है, ईमानदार प्रबन्धकों के अभाव में क्षति होती है।

अन्य सहकारी उपक्रम—इन तीन प्रमुख रूपों के अतिरिक्त आजकल दूसरे क्षेत्रों में सहकारी उपक्रम पनप रहे हैं जैसे—

(1) गृह-निर्माण सहकारिता (Housing Co-operatives)—जिसके अन्तर्गत आवास-गृहहीन व्यक्ति मिलकर अपने गृह निर्माण के उद्देश्य में समिति बना लेते हैं। वे अपनी भ्रम पूँजी लगाते हैं तथा बाद में सरकार या गृह निर्माण समितियों में ऋण लेकर अपने सदस्यों में बाँटती हैं। सदस्य इन ऋणों का उपयोग आवास-गृह निर्माण में ही कर सकते हैं। ये आवास-गृह तब तक रहन माने जाते हैं जब तक कि ऋण का कुल भुगतान नहीं होता।

(2) परिवहन सहकारिता (Transport Co-operatives)—वे सस्थाएँ होती हैं जो परिवहन चालक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने तथा पूँजीपतियों के शोषण से बचने के लिये निर्मित करते हैं। वे थोड़ी-थोड़ी भ्रम पूँजी जुटाते हैं तथा वित्तीय व्यवस्था ऋण लेकर करते हैं। ये सस्थाएँ भ्रम तैयारी से बढ़ रही हैं।

(3) क्रय-विक्रय सहकारिता—इसमें छोटे-छोटे उत्पादक अपनी उत्पत्ति को बाजार में उचित मूल्यों पर बेचने के लिये तथा मध्यस्थों के शोषण से बचने के लिये सहकारी उपक्रम स्थापित करते हैं। ये सस्थाएँ सदस्यों की आवश्यकता की वस्तुयें थोक व्यापारियों व उत्पादकों से सीधे खरीदकर कम मूल्यों पर उपलब्ध करती हैं जैसे किसानों को खाद, बीज, उपकरण आदि क्रय करने में सुविधा रहती है तथा अपनी उत्पत्ति को भी इन समितियों के माध्यम से बेचने में।

(4) अन्य—इसके अतिरिक्त सहकारी कृषि, चक्कन्दी सहकारिता, सिंचाई में सहकारिता आदि की प्रवृत्ति भी है।

सहकारी उपक्रमों में प्रबन्ध का स्वरूप

सहकारिता में उपक्रमों का प्रबन्ध प्रजातांत्रिक सिद्धांती पर आधारित होता है। सहकारी संस्था के सभी सदस्यों से एक सामूहिक साधारण सभा (General Assembly) का निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य की एक मत (One Member One Vote) की व्यवस्था होती है। चाहे किसी सदस्य की पूँजी दूसरे से अधिक क्या न हो। सदस्यता में मतदान अधिकार निहित है पूँजी मत का आचार नहीं। साधारण सभा समिति सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। प्रबन्ध-कार्यकारिणों का चुनाव करती है। वार्षिक हिसाब-किताब तथा वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एक अनुमोदन करती है। इस प्रकार साधारण सभा सहकारी उपक्रमों में सर्वोच्च सभा होती है जिनमें सब सदस्यों को समानता का अधिकार होता है। साधारण सभा वर्ष में एक बार मिलती है पर आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार भी मिलती है।

साधारण सभा के नीचे उनके अपने सदस्यों में से चुने हुए सदस्यों की एक

कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) होती है जो साधारण सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करती है तथा सहकारी उपक्रमों की व्यवस्था करती है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं।

कार्यकारिणी के नीचे प्रबन्धक (Manager) होता है जो दिन-प्रतिदिन के कार्य का संचालन करता है तथा कार्यकारिणी के आदेशों को कार्यान्वित करता है। उसके अन्तर्गत कर्मचारी भी होते हैं। ये वृत्तनिक या अवृत्तनिक होते हैं।

सहकारी उपक्रमों के लाभ

(Advantages)

सहकारी उपक्रमों के अनेक लाभ हैं—(i) सहकारिता में कमजोर एवं निर्धन वर्ग के लोगों को पूँजीपतियों व मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति मिलती है। (ii) वर्ग संघर्ष का समापन होता है क्योंकि स्वामित्व एवं श्रम में पृथक्ता नहीं होती। (iii) उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि अपने कार्य में सभी श्रमिक उत्साह एवं रुचि दिखाते हैं। कठोर परिश्रम करते हैं इससे उनका आर्थिक कल्याण होता है। (iv) श्रमिकों व सदस्यों में भ्रातृत्व भाव को बढ़ावा मिलता है। (v) स्वयं सहयोग की भावना से सभी व्यक्तियों को अपने आर्थिक समृद्धि के लिए पर्याप्त प्रवसर मिलता है। (vi) सहकारी उपक्रम लाभ की भावना से प्रेरित न होकर सेवा भावना से प्रेरित होते हैं इससे समाज के लोगों में त्याग, सहयोग की भावना बढ़ती है। (vii) प्रजा-तांत्रिक ढंग से व्यवसाय का संचालन होने से उनमें समानता की भावना आती है और हीनता महसूस नहीं होती है। इससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। (viii) औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलता है।

सहकारी उपक्रमों के दोष

सहकारी उपक्रमों में अनेक दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं—(1) पूँजी की अपर्याप्तता रहती है क्योंकि साधनों की सीमितता व साख कम होने से पूँजी का अभाव उपक्रमों की प्रगति में बाधा बनता है। (2) प्रबन्ध में अकुशलता रहती है क्योंकि सामान्य सदस्यों में प्रबन्ध कुशलता तो होती नहीं पर अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, अनुशासन भंग करते हैं तथा कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर लेते हैं कि वे अपने स्वार्थों के लिए उपक्रमों के हितों की बलि दे देते हैं। (3) धोखाधड़ी से मोले-माले सदस्यों को हानि बठानी पड़ती है। भारत में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। (4) सहकारी संस्थाओं में राजनैतिक अष्टाचार का भी बाहुल्य होता जाता है क्योंकि उसमें हारे राजनैतिक आशय पाते हैं। (5) अस्तित्व हमेशा अनिश्चित रहता है क्योंकि सदस्यों में सहयोग से समाप्ति का निर्णय लिया जा सकता है।

निष्कर्ष—यद्यपि सहकारी उपक्रमों में अर्थव्यवस्था के कमजोर व निर्धन वर्गों के आर्थिक कल्याण का स्वप्न निहित है पर सिद्धान्ता एवं व्यवहार में अत्यधिक अन्तर होने से शोषण से मुक्ति तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि होने के वजाय दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर होते हैं। भारत में सहकारिता के विकास के लिये सरकार की ओर से काफी प्रयत्न हुए हैं पर यह ऐसा पीघा है जो भारतीय भूमि में श्रम

तक अपनी जड़ पकड़ नहीं पाया है। जनता में घोखा-बडी के कारण इन उपक्रमों की सदस्यता प्राप्त करन में सदिग्धता है। फिर भी अब धीरे धीरे इनका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में शिक्षा, जागृति आधिक सतर्कता आदि से इन उपक्रमों का विकास सम्भव है।

संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector)

भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावरण में निजी क्षेत्र का आर्थिक सत्ता में केन्द्रीयकरण बढ़ता जा रहा है अतः आर्थिक सत्ता में निजी क्षेत्र के बढन प्रभुत्व और केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए 1967 में दत्त समिति (औद्योगिक लाइसन्स जाच समिति) ने 'संयुक्त क्षेत्र' निर्माण पर बल दिया जिसका बाद में भारत में प्रमुख उद्योगपति जे. आर. डी. टाटा ने भी समर्थन किया। वैसे तो 1956 की औद्योगिक नीति में भी 'संयुक्त क्षेत्र' की धारणा निहित है पर इस मूल रूप देने का श्रेय दत्त समिति की सिफारिशों का जाता है।

संयुक्त क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Joint Sector)—'संयुक्त क्षेत्र का अर्थ व्यावसायिक सगठन के उस स्वरूप से है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व पाया जाता है।' दूसरे शब्दों में, संयुक्त क्षेत्र उपक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व पूरा सहयोग और सामंजस्य होना है जिसके अंतर्गत दोनों क्षेत्र पूँजी, प्रबन्ध अथवा साहस में सह-भागिता और सहयोग करते हैं। सामान्यतः संयुक्त क्षेत्र में पूँजीगत साधन सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा जुटाए जाते हैं और निजी क्षेत्र की प्रबन्ध दक्षता का लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है। "इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र आधुनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक सगठन का वह नया स्वरूप है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को पूँजी और निजी क्षेत्र की प्रबन्ध दक्षता का लाभप्रद समम है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त-क्षेत्र में पूँजी सरकार ही लगाए और प्रबन्ध निजी क्षेत्र में निहित हो। संयुक्त क्षेत्र के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं जिनमें मुख्य निम्न हैं—

(1) संयुक्त पूँजी एवं संयुक्त प्रबन्ध साभेदारो—सरकार द्वारा ऐसे उपक्रम की स्थापना किया जाना जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर पूँजी और प्रबन्ध में साभेदार बनें।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को संयुक्त क्षेत्र में बदलना—यह प्रायः तब उपयुक्त है जब सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों में निजी क्षेत्र की प्रबन्ध दक्षता का प्रयोग से अधिक लाभप्रद परिणामों की आशा हो।

(3) निजी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों में विनियोजित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को अथवा पूँजी में परिवर्तन कर कम्पनियों में स्वामित्व एवं प्रबन्ध संचालन पर सार्वजनिक हित में प्रभुत्व जमाना भी संयुक्त क्षेत्र का लाभप्रिय स्वरूप है।

(4) औद्योगिक विकास निगमों को प्रदत्त लाइसेंसों के अन्तर्गत राज्यों में औद्योगिक इकाइयों स्थापित करने में निजी क्षेत्र द्वारा पूँजी एवं प्रबन्ध में भागीदारी तथा भी राज्यों में सयुक्त क्षेत्र निर्माण का अच्छा स्वरूप है।

(5) दो अलग-अलग राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के सयुक्त साहस एवं प्रबन्ध से स्थापित औद्योगिक इकाई भी सयुक्त क्षेत्र की श्रेणी में गिने जा सकते हैं किन्तु कुछ विद्वान् इसे सार्वजनिक क्षेत्र इकाई ही मानते हैं।

सयुक्त क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य एवं लाभ (Objectives and Advantages of Joint Sector)—सयुक्त क्षेत्र निर्माण के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें कतिपय निम्न हैं—

(1) निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक सत्ता पर केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाना।

(2) दोनों क्षेत्रों के सहयोग, साझेदारी एवं सहभागिता का यथासम्भव लाभ उठाना,

(3) निजी क्षेत्र की क्रियाओं पर सामाजिक नियन्त्रण का यह सर्वाधिक व्यावहारिक तरीका है ताकि बिना राष्ट्रीयकरण का मुआवजा चुकाए औद्योगिक उत्पादन को राष्ट्रहित में बढ़ाया जा सकता है।

(4) सयुक्त पूँजी और सयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था से वित्तीय साधनों की अभिवृद्धि और प्रबन्ध में कुशलता लाना।

(5) क्षेत्रीय विकास और संतुलित विकास में निजी क्षेत्र का यथासम्भव पूर्ण प्रयोग करना।

(6) औद्योगीकरण में तीव्र प्रगति में निजी क्षेत्र की योग्यता एवं दक्षता का राष्ट्रीय हित में प्रयोग करना।

(7) निजी क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों में विनियोजित सार्वजनिक वित्त सस्याओं के ऋणों को पूँजी में बदलकर उनकी आर्थिक सत्ता को विकेंद्रित करना।

(8) निजी क्षेत्र के साधनहीन किन्तु प्रबन्ध-दक्षता वाले व्यक्तियों की उद्यम-शीलता का समुचित उपयोग करना।

(9) निजी क्षेत्र की एकाधिकारी एवं प्रतिवन्धात्मक शक्तियों पर प्रभावी नियन्त्रण करना ताकि उनसे दुष्प्रभावों का निराकरण हो।

(10) औद्योगिक क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना आदि हैं।

सयुक्त क्षेत्र और सरकारों नीति—औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की आर्थिक सत्ता केन्द्रीयकरण को कम करने तथा रोकने के उद्देश्य से 1970 में ही नई लाईसेंस नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के भारी विनियोग वाले क्षेत्रों और "प्रमुख

क्षेत्र" (Core Sector) म सयुक्त क्षेत्र के विचार को मूर्त रूप देने के लिए सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं को अपने भविष्य के ऋणों को अश-पूजी में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान किया है और भूतकाल में दिये गये ऋणों के भुगतान में गडबडी की अवस्था में पुराने ऋणों को भी अश-पूजी में बदलने की व्यवस्था की गई। 1973 की लाइसेंस नीति में सरकार ने सयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्देश रक्खे थे—

1 सयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जनहित में सामाजिक नियन्त्रण एवं सहभागिता का प्रयास है।

2 सयुक्त क्षेत्र नए और मध्यम-उद्यमियों को प्राथमिकता वाले उद्योगों में उनकी कुशलता का सर्वदृष्टान्तात्मक और मार्गदर्शक उपाय है।

3 सयुक्त क्षेत्र को उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जायगा जिनमें बड़े धराने व प्रमुख सम्पन्न विदेशी कम्पनियों का प्रवेश जनहित में वर्जित है।

4. सयुक्त क्षेत्र में सरकार प्रमुख स्वामी के रूप में उद्योग के नीति निर्धारण, प्रबन्ध एवं संचालन में प्रमुख भूमिका निभायेगी।

स्पष्ट है कि सयुक्त क्षेत्र मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा उन्हें सरकारी प्रमाणी नियन्त्रण में लाने का प्रयास है। इसमें नवोदित उद्यमियों की प्रबन्ध-दक्षता का जनहित में प्रयोग करने तथा नए एवं मध्यम साहसियों को प्रोत्साहित करने की उचित व्यवस्था है।

मजदूर क्षेत्र (Worker's Sector)—आपात स्थिति की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कारण भारत में 'मजदूर क्षेत्र' की धारणा सामने आई थी जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को औद्योगिक उपक्रम में स्वामित्व एवं प्रबन्ध व्यवस्था के लिए निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व माना गया। औद्योगिक शांति, मालिक और मजदूरों में मधुर सम्बन्धों और श्रमिकों को उद्योग के संचालन व उसकी नीति-निर्धारण में भागीदार बनाने की यह धारणा काफी लोकप्रियता के पथ पर अग्रसर है। अब देखना है कि इस धारणा को कैसे मूर्त-रूप दिया जाता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 एक सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी या आधुनिक कॉरपोरेशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक युग में उनकी लोकप्रियता के कारण बताइए।
(सकेत—प्रारम्भ में सयुक्त पूँजी कम्पनी का अर्थ व विशेषताएं बताइए, फिर उनके लाभ के कारण उनकी लोकप्रियता सिद्ध कीजिये।)
- 2 सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का क्या उद्देश्य होता है? उनके संगठन के क्या क्या रूप हैं तथा उनके सापेक्षिक लाभों व हानियों का उल्लेख कीजिए।

(संकेत—सावर्जनिक उपक्रम का अर्थ बताइये फिर उनके उद्देश्य (स्थापना के कारण) दीजिये, तीसरे भाग में संक्षेप में उनकी संगठन संरचना देकर लाभ हानि को संक्षेप में बताना है उसके लाभ ही उनकी लोकप्रियता के कारण है ।)

3 सहकारी उपक्रमों की स्थापना किस प्रकार पूँजीवादी शोषण से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है ?

अथवा

सहकारी उपक्रमों के मुख्य स्वरूपों तथा उनके सापेक्षिक गुण-दोषों (लाभ-हानि) का उल्लेख कीजिये ।

(संकेत—सहकारी उपक्रमों का अर्थ, उनके मुख्य रूप तथा उनके लाभ-हानि का संक्षेप में समझाइये । विषय सामग्री शीर्षकानुसार ही जानी चाहिये ।)

4. व्यावसायिक संगठनों में सबसे अधिक उपयुक्त कौनसा संगठन है और क्यों ?

(संकेत—आरम्भ में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा दूसरे संगठनों के दोषों की ओर संकेत दीजिए ताकि सावर्जनिक उपक्रमों की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाय ।)

5. सावर्जनिक उपक्रम किसे कहते हैं ? इनके गुण व दोष समझाइये ।

(Raj 1 yr. T. D. C 1974)

अथवा

सावर्जनिक उपक्रम क्या हैं, इनके लाभ-हानियों का उल्लेख कीजिए ।

(1 yr. T. D. C. Collegiate 1973)

(संकेत—अर्थ बताकर दूसरे भाग में गुण-लाभ बताना है तीसरे भाग में सम्भावित दोष बताकर निष्कर्ष दीजिए ।)

6. एक प्राधुनिक निगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए । व्यवसाय संगठन में इस रूप के क्या प्रमुख लाभ हैं ? (1 yr. T. D. C. Supple 1973)

(संकेत—प्राधुनिक कम्पनी बनाम निगम की विशेषता बताकर दूसरे भाग में उसके लाभों का विवरण दीजिए ।)

7. टिप्पणी—संयुक्त क्षेत्र तथा मजदूर क्षेत्र ।

8. संयुक्त पूँजी कम्पनी क्या है ? क्या प्रायः व्यवसाय संगठन के इस रूप को साभेदारी से श्रेष्ठतर समझते हैं ?

(संकेत—प्रथम भाग में संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी का अर्थ एवं विशेषताएँ बताकर दूसरे भाग में साभेदारी की तुलना में इसे बेहतर बताना है ।)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पूँजीवाद

(Capitalist Economic System or Capitalism)

“धार्मिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं सस्यागत संरचना से है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि से सम्बन्धित धार्मिक क्रियाएं सम्पादित की जाती हैं।” धार्मिक प्रणाली का स्वरूप राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, उसकी सीमा तथा सामाजिक परम्पराओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार धार्मिक प्रणाली का सम्बन्ध किसी समाज में समस्त धार्मिक क्रियाओं के संगठन से होता है। आज विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की धार्मिक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। रूस और चीन में समाजवादी एवं साम्यवादी धार्मिक प्रणालियाँ हैं, अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड में पूँजीवादी धार्मिक प्रणाली है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन प्रमुख धार्मिक प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पूँजीवादी प्रणाली (Capitalist Economy or Capitalist System)

यह धार्मिक संगठन की अत्यन्त प्राचीन प्रणाली है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ। समय गुजरने के साथ इसमें भारी धक्के व झटके लगे तथा उसमें नये परिवर्तनों व समायोजनों की प्रवृत्ति बढ़ी। आज विशुद्ध पूँजीवादी (Pure Capitalism) संसार में वही नहीं है। आज वह अपने परिष्कृत रूप में विश्व के समृद्ध राष्ट्रों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान व अन्य देशों में विद्यमान है।

पूँजीवाद का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Capitalism)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति एवं

वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति उन साधनों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपने निजी लाभ के लिए प्रयुक्त करते हैं। लूक्स व हूट्स (Louks & Hoots) के शब्दों में 'पूँजीवाद आर्थिक संगठन को एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी सम्पत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत तथा प्राकृतिक पूँजी का प्रयोग निजी लाभ के लिये किया जाता है। इसी प्रकार आधुनिक पूँजीवाद को डी एम राईट (D M Wright) ने इस प्रकार परिभाषित किया है "पूँजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें औसत तौर पर आर्थिक जीवन का अधिकांश भाग विशेषतया विशुद्ध नया विनियोग निजी अर्थात् गैर सरकारी इकाइयों द्वारा सक्रिय तथा पर्याप्त स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की दशाओं के अन्तर्गत लाभ की आशा की प्रेरणा में किया जाता है।' इस प्रकार हम देखते हैं कि पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में खेत, कारखानों व व्यवसायों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर वे लोग काम करते हैं जो उसके स्वामी नहीं होते। पूँजीवाद में सत्तार स्नेह स नहीं वरन लाभ की प्रेरणा पर घूमता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का बहुत कम नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप होता है। अतः इसे अनियोजित अर्थव्यवस्था (Un planned Economy) भी कहा जाता है।

पूँजीवादी अथवा अनियोजित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषतायें

(Main Characteristics of Capitalist or Un planned Economy)

1 निजी सम्पत्ति अधिकार (Right of Private Property)—पूँजीवाद की प्रमुख विशेषता निजी सम्पत्ति का अस्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को (i) निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार है (ii) सम्पत्ति के प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है तथा (iii) मृत्यु के पश्चात् अपनी सम्पत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार (Right of Inheritance) होता है।

2 आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Freedom)—पूँजीवाद की दूसरी प्रमुख विशेषता आर्थिक स्वतन्त्रता है जिसमें लोगों को अपनी इच्छानुसार (i) व्यावसायिक स्वतन्त्रता होती है, (ii) उन्हें सीदा करने की या किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रसविदा करने की स्वतन्त्रता होती है और (iii) वे अपनी निजी सम्पत्ति को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने को स्वतन्त्र होते हैं। प्रो रोबर्टसन के अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता में (i) व्यावसायिक स्वतन्त्रता (ii) प्रसविदा स्वतन्त्रता तथा (iii) खपन की स्वतन्त्रता होती है। आधुनिक पूँजीवाद में व्यवसाय की स्वतन्त्रता व सम्पत्ति के प्रयोग की स्वतन्त्रता पर सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप बड़ा गया है।

3 उपभोक्ता की सार्वभौमिकता (Consumer's Sovereignty)—यह पूँजीवाद की तीसरी विशेषता है। उपभोक्ता को वस्तुओं के खपन की स्वतन्त्रता होती है वे चाहें तो उपभोग करें, चाहें जो कीमत दें, चाहें जितनी मात्रा उपभोग करें। अतः उत्पादक उपभोक्ताओं की इच्छानुसार उत्पादन करते हैं। अतः उत्पादन एवं उपभोग में उपभोक्ताओं का प्रभुत्व रहता है।

4 निजी लाभ उद्देश्य (Private Profit Motive)—निजी लाभ का उद्देश्य पूँजीवादी सत्याग्रो का हृदय तथा आर्थिक क्रियाग्रो का प्रेरणा-स्रोत होता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाग्रो का संचालन सामाजिक हित के उद्देश्य से नहीं, बरन् निजी लाभोपार्जन के लिये होता है। जान स्ट्रुच्ची के शब्दों में “लाभ यह घुरी है, जिसके चारों ओर स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था परिक्रमा करती है। लाभ ही पूँजीवादी उत्पादन का एकमात्र आकर्षण है।”

5 मूल्य यन्त्र (Price Mechanism)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाग्रो का संचालन, उनमें परस्पर समन्वय एवं नियन्त्रण किसी केन्द्रीय सत्ता द्वारा नहीं होकर मूल्य-यन्त्र (Price Mechanism) द्वारा होता है। क्या उत्पादन किया जाय ? कैसे उत्पादन किया जाय ? वितरण कैसे और किन में हो आदि कार्यों को मूल्य-यन्त्र द्वारा ही पूरा किया जाता है। यही नहीं, बचत, विनियोग एवं उपभोग भी मूल्य-यन्त्र से शासित होते हैं।

6 अन्य विशेषतायें (Other Characteristics)—उपर्युक्त पांच प्रमुख विशेषतायों के अतिरिक्त पूँजीवाद की कुछ और विशेषताएँ भी हैं (i) पूँजीवाद में प्रतिस्पर्धा और सयोगीकरण सघबदी सहगामी होते हैं, जहाँ एक ओर उत्पादक, क्रेता, विक्रेता तथा श्रमिक ग्राहक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उनमें सगठन की प्रवृत्ति भी प्रबल होती है, ताकि अधिकतम निजी लाभ सम्भव हो सके। (ii) समाज के विभाजन एवं वर्ग-सघर्ष को बढावा मिलता है। समाज दो बड़े वर्गों—पूँजीपति एवं श्रमिक अथवा निधन और धनीर में बट जाता है और उनमें वर्ग-सघर्ष पनपता है (iii) आर्थिक विषमतायें अथवा असमानतायें बढती हैं, धन और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कुछ ही हाथों में हो जाता है तथा समाज का एक बहत बडा भाग साधनहीन हो जाता है। (iv) जोखिम और नियन्त्रण साथ-साथ चलते हैं। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। जो व्यक्ति व्यवसाय की जोखिम उठाता है, वही उसका नियन्त्रण करता है। यह पूँजीवाद का स्वर्णम नियम (Golden Rule) है। (v) ध्यापार चर्कों की प्रवृत्ति रहती है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था नियमित रूप से मन्दी, तेजी अथवा अति-उत्पादन (Over Production) और कम उत्पादन (Under-Production) के दौर से गुजरती रहती है (vi) साहसो का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उत्पादन प्रणाली की आत्मा (Soul) होता है। वह जोखिम उठाता है और नवीन प्रवर्तनों को जन्म देता है (vii) पूँजीवाद में अपने विनाश के बीज विद्यमान होते हैं अर्थात् पूँजीवाद अपने विनाश के लिये स्वयं ही पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसकी प्रकृति आत्मघाती (Self-destructive) है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था के लाभ या गुण (उपलब्धियाँ)

(Advantages or Merits of Capitalist Un-planned Economy)

पूँजीवाद में प्रतिस्पर्धा, निजी सम्पत्ति का अधिकार, निजी लाभ आदि

ऐसे तत्व है, जिनके कारण उत्पादन में कुशलता घानी है तकनीकी प्रगति होती है तथा व्यक्ति को पूरा रूप से विवास करने का अवसर मिलता है। पूँजीवाद के मुख्य लाभ या गुण इस प्रकार हैं—

1 उत्पादन कुशलता—दिजी लाभ की प्रेरणा, बाजार में पूरा प्रतिस्पर्धा तथा अत्यधिक सम्पत्ति संचय की इच्छा के कारण प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर अत्यधिक उत्पादन करना चाहता है। (i) साधनों का अनुकूलतम संयोग बँटाया जाता है, (ii) अपव्यय पर नियन्त्रण रखा जाता है, (iii) व्यक्तिगत देखभाल रखी जाती है, नवीनतम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इससे उत्पादन के क्षेत्र में चतुर्दिक प्रगति होती है। इससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं व श्रमिकों सभी को लाभ रहता है।

2 व्यक्तित्व का विकास—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता के कारण योग्यतम की विजय (Survival of the fittest) होती है। श्रेष्ठ प्रत्येक व्यक्ति कड़े प्रयत्न करता है, अपनी योग्यता बढ़ाता है इससे लोगों को स्वतन्त्र आर्थिक वातावरण में अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिलता है। उनको योग्यता के अनुसार ही प्रतिफल भी मिलता है।

3 साधनों का सर्वोत्तम उपयोग—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ की चेष्टा करता है। इसके लिये उत्पादन के साधनों में अनुकूलतम संयोग बँटाता है, अपव्यय को रोकता है, कम उपयोगी साधनों के स्थान पर अधिक उपयोगी साधनों का संयोग बँटाता है। उपलब्ध साधनों की मितव्ययता करता है। इससे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव है।

4 स्वयं संचालितता—अर्थव्यवस्था के संचालन में मूल्य यन्त्र (Price-Mechanism) की महत्त्वपूर्ण शक्ति का हाथ रहता है। मूल्य यन्त्र के कारण अर्थव्यवस्था में साधनों का वितरण समायोजित होता रहता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को ठीक करने के लिये किसी केन्द्रीय निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। पर वास्तव में स्वयं संचालितता व्यवहार में दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी कारण तो तेजी मन्दी आती है।

5 तकनीकी प्रगति—पूँजीवाद और तकनीकी प्रगति में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। प्रतियोगी उत्पादक आपसी प्रतिस्पर्धा में अपनी वस्तुओं को कम से कम लागत में उत्पादन की होड़ में नई नई उत्पादन विधियों की खोज व अनुसंधान पर व्यय करते हैं। इससे तकनीकी प्रगति (Technological Progress) होती है।

6 आर्थिक समृद्धि एवं पूँजी संचय को प्रोत्साहन—तकनीकी प्रगति, उत्पादन कुशलता, व्यक्तित्व के विकास तथा साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ती है। लोगों की आय बढ़ने से बचत और पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। आज पारश्चात्य राष्ट्रों में अभूतपूर्व सम्पन्नता तथा उच्च जीवन स्तर पूँजीवाद का परिणाम है।

7. लोचपूर्ण एवं प्राथमिक प्रभाव—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बदली हुई परिस्थितियों में ढालने की क्षमता होती है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन का गुण होता है। इस कारण पूँजीवाद आज विश्व के बहुत से देशों में अपने परिष्कृत रूप में पन-पूल रहा है।

8. आर्थिक स्वतन्त्रता एवं प्रजातान्त्रिक स्वरूप—पूँजीवाद में लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता होती है, उत्पादक चाहे तो उत्पादन करे, उपभोक्ता उपभोग में सार्वभौमिक होते हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहे उसके चयन की स्वतन्त्रता होती है। पूँजीवाद में उपभोक्ता-सम्राट और उत्पादक सेवक होता है। व्यक्तियों को अपने हितों एवं रुचि के अनुकूल अपने धर्म व सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रदान करती है।

9. अधिकतम संतुष्टि एवं उच्च जीवन-स्तर—उपभोक्तार्थों को उपभोग में स्वतन्त्रता से वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति निजी लाभ की दृष्टि से होने के कारण उत्पादन वृद्धि व आर्थिक समृद्धि से लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

पूँजीवाद अथवा अनियोजित अर्थव्यवस्था के दोष (अवगुण) अथवा कमियाँ

(Defects or Demerits of Capitalist or Unplanned Economies)

यद्यपि पूँजीवाद में अनेक गुण बताये जाते हैं पर इन गुणों की वास्तविकता-व्यवहार में नहीं होती, जिसके कारण पूँजीवाद में आत्मघाती प्रवृत्ति है। पूँजीवाद के इन दोषों के कारण ही समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

1. आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव—पूँजीवाद में अनेक उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता स्वतन्त्र रूप में अपने निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, उनके परस्पर विरोधी निर्णयों में सामंजस्य बैठाने के लिए कोई केन्द्रीय शक्ति या सत्ता नहीं होती, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में सन्तुलन उत्पन्न होता है और गड़बड़ फैलती है। प्रो. लरनेर (Lerner) ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना एक ऐसी डाइवर-हीन मोटरगाड़ी से की है, जिसमें प्रत्येक यात्री बाहून को अपनी ओर ले जाने का प्रयास करता है।

2. व्यापार चक्र एवं आर्थिक अस्थायित्व—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव होने से गलत अनुमान और गलत निर्णयों की सम्भावना रहती है, जिससे प्रायः अति उत्पादन और कम उत्पादन के कारण आर्थिक मन्दी (Depression) और तेजी (Boom) का सृजन होता है। व्यापार चक्रों के कारण देश में अनिश्चितता और अस्थिरता का वातावरण पनपता है। आर्थिक मन्दी अर्थव्यवस्था की प्रगति को अवरुद्ध कर देती है। बेरोजगारी, मुलमरी और सामाजिक विद्रोह भङ्गता है जिससे सेमूचा आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

3 बर्ग-सघर्ष—पू जीवाद म सम्पूर्ण समाज दो बर्गों—पू जीपति एव गरीब अथवा मालिक एव मजदूर म विभाजित हो जाता है। उनके हितों म पारस्परिक विरोध बर्ष सघर्ष का कारण बनता है जो अतन्त औद्योगिक अशांति एव खूनी शान्ति का रूप धारण कर लेता है।

4 आर्थिक असमानता—पू जीवादी अर्थव्यवस्था म सम्पत्ति की असमानता तथा उमका स्वतन्त्र उपयोग अथवा सरा की असमानता आर राष्ट्रीय आय के वितरण म असमानता को जन्म देता है। उत्तराधिकार का अधिकार तथा स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र सम्पत्ति और धन के वितरण मे असमानता को और बढ़ाते है जिसस समाज म उत्पादन एव वितरण का सम्पूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। देश की मारा ममृष्टि वृद्ध ही हाथा मे केन्द्रित हो जाती है। धनवान अधिक धनवान और गरीब आर अधिक गरीब बनते जाते है। प्रो कोल के अनुसार "उद्योग के मन्दिर मे पुजारी तथा दासों मे जमीन असमान का अन्तर पाया जाता है, एक ओर रहने के लिए घण्टाचुम्बी अट्टासिकाए तो दूसरी ओर खूले असमान के नीचे शरण लेना पडती है। साधन सम्पन्न अधिक खाने से मरते हैं, तो गरीब भूख से तडपते हैं।"

5 सामाजिक कल्याण एव अधिकतम सामाजिक सन्तुष्टि की अनुपस्थिति—पू जीवाद मे निजी लाभ के उद्देश्य की पूर्ति मे सामाजिक कल्याण की बलि दे दी जाती है। देश म साधनों का प्रयोग चन्द धनिकों के लिए विलासिता की वस्तुओं के निर्माण मे होता है, जबकि निर्धनों की अनिवार्यता की उपेक्षा की जाती है। धनिकों को बहुमूल्य शराब, भवन व अश्लेष वस्त्र मिलते हैं, पर गरीबों को रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। अत पू जीवाद मे सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम सन्तुष्टि केवल मिथ्या धारणा है।

6. बेरोजगारी एव सामाजिक असुरक्षा—पू जीवाद मे व्यापार चक्रों के कारण बेकारी का भय सदैव रहता है। श्रमिक साधनहीन और पू जीपतियों पर आश्रित हात है। धन का असमान वितरण होने से उनके जीवन मे सदैव असुरक्षा रहती है क्योंकि वृद्धावस्था, दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी एव बेरोजगारी के समय उनकी आय का स्रोत समाप्त हो जाता है उस समय उन्हें आजीविका के भी लाले पड जाते हैं।

7 शोषण का बोलबाला—पू जीवाद मे एकाधिकारी प्रवृत्तिया पनपती हैं उसका दुष्परिणाम यह होता है कि उद्योगपति उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। पू जीपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिये श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं, बच्चों व स्त्रियों को अधिक समय काम कराके कम मजदूरी देते हैं इस प्रकार पू जीपति उपभोक्ताओं व श्रमिकों की विवशता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं।

8 प्रतियोगिता से अपव्यय—गला-घोट प्रतियोगिता (Cut Throat Competition) मे साधनों का अपव्यय होता है। विज्ञापन, विक्रयबला आदि पर बड़ी मात्रा मे व्यय किया जाता है जिसका भार अन्ततः लागत के रूप मे उपभोक्ताओं को उठाना पडता है। यह सामाजिक दृष्टि से साधनों का अपव्यय ही है।

9. एकाधिकारी प्रवृत्तिया प्रबल होती हैं। जहाँ एक ओर प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ दूसरी ओर कुछ बड़े उत्पादक या तो प्रतिस्पर्द्धियों को समाप्त कर देते हैं या उनको एकाधिकारी सघों में मिलाकर बाजार पर पूर्ण नियन्त्रण कर लेते हैं, इससे वृत्रिम कमी व शोषण का मार्ग प्रशस्त होता है। मूल्य-यन्त्र का क्रियान्वयन उपयुक्त नहीं रहता और अर्थव्यवस्था की स्वयंचालिता मिथ्या सिद्ध होती है।

10. साधनों का दुरुपयोग एवं दूरदर्शिता का अभाव—पूँजीवाद में तात्कालिक निजी लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे स्वल्प साधनों को अधिकतम उत्पादन में या दीर्घकालीन विवास में प्रयुक्त नहीं किया जाता। दीर्घकालीन बड़ी योजनाओं की अवहेलना की जाती है। सामाजिक पूँजी-सङ्कें, नहरें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के अभाव में भावी विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

11. अन्-अर्जित आय और सामाजिक परजीविता (Parasitism)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के कारण तथा उत्तराधिकार के अधिकार के कारण, समाज में कुछ व्यक्तियों को बिना परिश्रम के ही आय प्राप्त होती है जैसे जमींदारों को लगान, पूँजीपतियों को ब्याज व किराया आदि। इससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों के श्रम पर जीते हैं। ये व्यक्ति समाज के लिये “गेहूँ पर धुन” के समान हैं। समाज ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं से बन्धित रहता है जो दूसरों के खून-पसीने पर जीते हैं।

12. प्रचुरता में निर्धनता (Poverty in midst of Plenty)—पूँजीवाद में प्रचुरता में निर्धनता का विरोधाभास पतनपता है। जब अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन के कारण बेरोजगारी फैलती है तो श्रमिकों की श्रम-शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी श्रम-शक्ति के अभाव में उनका उपयोग सम्भव नहीं होता जैसे आर्थिक मन्दी के समय कोयले के ढेर पड़े हुए थे पर श्रम शक्ति के अभाव में बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे, खाद्यान्न के ढेर पर लोग भूखी मर रहे थे। यह विरोधाभास पूँजीवाद का सबसे बड़ा अवनगुण है।

पूँजीवाद का आधुनिक स्वरूप

(Modern Capitalism)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उपयुक्त अनेक दोषों के कारण उसमें समय-समय पर कुछ ऐसे परिवर्तनों का जन्म हुआ, जिसके कारण पूँजीवाद अब भी अपने परिष्कृत रूप में जीवित है। 19वीं शताब्दी का विशुद्ध पूँजीवाद (Pure Capitalism) तो अब विश्व में कहीं नहीं रहा। उसमें अनेक संशोधन हो चुके हैं और इन संशोधनों के कारण ही पूँजीवाद अब भी अमेरिका, इंग्लैंड व पारशात्य देशों में जीवित है। अब-राज्य का हस्तक्षेप बढ़ गया है। पूँजीवाद अब नियन्त्रित पूँजीवाद है।

आधुनिक पूँजीवाद की मुख्य-मुरय विशेषताएँ

(Characteristics of Modern Capitalism)

सरकारी हस्तक्षेप, राजनैतिक एवं धार्मिक जागरूकता तथा समाजवाद की

बढती प्रवृत्तियो के कारण अब पू जीवाद अपने परिष्कृत रूप में पनप रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) बाजार की अपूर्णतायें (Market Imperfections) बढ गई हैं। पू जीवाद में अब पूर्ण-प्रतियोगिता दृष्टिगोचर नहीं होती। व्यवहार में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों में अपूर्णताएँ हैं। क्रेता पक्ष में एक क्रेता (Monopsony) द्वै-क्रेता (Duopsony) अथवा कुछ क्रेता (Oligopsony) हैं तो दूसरी ओर विक्रेता पक्ष में भी एकाधिकारी (Monopoly) द्वै-विक्रेता (Duopoly) अथवा अल्प-विक्रेताधिकार (Oligopoly) की दशाएँ पाई जाती हैं। बाजार में वस्तुविभेद की नीति विज्ञापन व पारस्परिक गठबन्धन की प्रवृत्तियाँ प्रबल होने से पूर्ण-प्रतियोगिता अदृश्य हो गई है।

(2) आधुनिक निगम व एकीकरण (Mergers) की प्रमुखता—आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति, तकनीकी ज्ञान के बढते प्रयोग व कुशल प्रबन्ध के लिए आधुनिक निगमों (Modern Corporations) की प्रधानता पू जीवाद की प्रमुख विशेषता बन गई है, इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि एन ओर एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ बढ रही हैं वहा दूसरी ओर प्रबन्ध एवं स्वामित्व के बीच खाई बढती जा रही है। छोटे-छोटे निगम बड़े-बड़े निगमों में मिल जाते हैं जिससे बाजार में कौमों स्वतन्त्र रूप से निर्धारित न होकर गठबन्धनों के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसका क्रेताओं पर बुरा प्रभाव पडता है।

(3) श्रमिक सघों का प्रभुत्व बढ रहा है—राजनैतिक जागृति और आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज के कारण आधुनिक पू जीवाद में श्रमिक सघों (Trade Unions) का प्रभुत्व बढ गया है। सुदृढ श्रम सगठन अपने सदस्यों को उचित मजदूरी दिलाने तथा उनको पू जीवादी तत्वों के शोषण से मुक्त करने में काफी सफल हो रहे हैं।

(4) सार्वजनिक उपक्रमों का विकास—अर्थव्यवस्था के केन्द्र-विन्दुओं पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये आधुनिक पू जीवाद में उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक उपयोगी सेवायें—गैस, बिजली, टेलीफोन-तार तथा ग्यास आदि पर सार्वजनिक सन्धायों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण है।

(5) राज्य का परोक्ष नियन्त्रण—निजी क्षेत्र को जन-हित में कार्य करने के लिये सरकार परोक्ष रूप से नियन्त्रण एवं नियमन करती है। सरकार अब पू जीवादी देशों में उद्योग, कृषि, यातायात व सेवाओं के क्षेत्र में अपनी राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, श्रमिक आदि नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार, उपभोग, बचत, विनियोग, कीमतों तथा आय के वितरण आदि पर व्यापक एवं प्रभावी नियन्त्रण लागू करती है। अर्थव्यवस्था में उत्तार चढ़ाव को रोकने, आर्थिक विषमता को

कम करने, क्षेत्रीय सतुलित विकास करने के लिए सरकारें अनेक परोक्ष नियन्त्रण रखती है।

क्या आधुनिक पूँजीवाद विशुद्ध-पूँजीवाद पर एक सुधार है ?

यद्यपि आधुनिक पूँजीवाद में अब भी विशुद्ध पूँजीवाद के आधार-तत्त्व विद्यमान हैं। आज भी अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा जापान आदि में निजी सम्पत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा सरकार निजी सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करती है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता है, निजी लाभ की प्रेरणा है। प्रतिस्पर्धा कुछ सीमा तक पाई जाती है। उद्यम की स्वतन्त्रता है, पर राज्य के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नियन्त्रणों के बढ़ने तथा श्रमिकों व मालिकों में सगठनात्मक प्रवृत्तियों के प्रबल होने से परम्परागत पूँजीवाद अब अपने सशोधित रूप में प्रचलित है। आधुनिक पूँजीवाद एक नियन्त्रित पूँजीवाद (Controlled Capitalism) अथवा परिष्कृत पूँजीवाद (Enlightened Capitalism) है। आधुनिक पूँजीवाद में पुरातन पूँजीवाद के अनेकों दोषों को दूर करने के लिए पर्याप्त सुधार हुआ है। इसमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

1. स्थिर एवं सन्तुलित विकास—अर्थव्यवस्था में स्थायित्व एवं सतुलित विकास के लिए सरकार का प्रभावी हस्तक्षेप बढ़ गया है। सरकार अपनी मौद्रिक, व्यापारिक, राजकोपीय एवं औद्योगिक नीतियों द्वारा उत्पादन, रोजगार, आय, बचत, उपभोग एवं विनियोग को नियन्त्रित कर आर्थिक स्थायित्व बनाये रखती है। व्यापार-चक्रों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार प्रभावी नियन्त्रण करती है।

2. केन्द्र बिन्दुओं पर अकुश—जन हित में! अर्थव्यवस्था के केन्द्र-बिन्दुओं तथा आधारभूत उद्योगों पर सरकार का पर्याप्त अकुश है। बहुत से क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का तेजी से विकास हुआ है।

3. विषमता में कमी—आय व सम्पत्ति के वितरण की विषमताओं को दूर करने के लिए प्रगतिशील करारोपण, राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना उपयुक्त औद्योगिक नीति, सामाजिक कल्याण व राज्य द्वारा निर्धनों को आर्थिक सहायता का सहारा लिया गया है।

4. शोषण से मुक्ति—श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाने तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए श्रमिकों को संगठित किया गया है। उन्हें प्रबन्ध लाभ आदि में हिस्सा, धोना देना तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

5. एकाधिकारों प्रवृत्तियों पर रोक—स्वतन्त्र बाजार प्रणाली व एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर सरकार का प्रभावी नियन्त्रण है।

विशुद्ध पूँजीवाद में जो सरकार एक दर्शक मात्र थी अब सशोधित पूँजीवाद में आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज का सशोधित पूँजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) के रूप में परिणत हो गया है।

पूँजीवाद का परिष्कृत रूप तथा उममे पर्याप्त लोच की प्रवृत्ति के कारण पूँजीवाद का भविष्य अन्धकारमय नहीं कहा जा सकता। नये परिवर्तनों एवं सशोधनों से पूँजीवाद का भविष्य सुनिश्चित एवं सुरक्षित है। स्वयं समाजवादी राष्ट्र रूस और चीन भी अमेरिका तथा जापान की आर्थिक समृद्धि एवं सम्पन्नता से प्रभावित हुए हैं। सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा एवं उनके सम्बर्द्धन के लिए पूँजीवादी तत्वों पर राजकीय नियन्त्रण तथा सरकारी हस्तक्षेप आधुनिक पूँजीवाद की मुख्य विशेषता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. पूँजीवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये और इसके दोष समझाइये।
(Raj I yr T D C 1974)

अथवा

पूँजीवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिये और उसके दोष समझाइये।

(Raj I yr Supple 1974, Special Exam 1974)

अथवा

पूँजीवाद के विविध दोषों का परीक्षण कीजिये।

(Raj I yr T. D C. 1975)

(संकेत—तीनों प्रश्नों के उत्तर के प्रथम भाग में पूँजीवाद का अर्थ बताकर दूसरे भाग में विशेषताएँ बतानी हैं तथा तीसरे भाग में उसके दोषों/अवगुणों का वर्णन कीजिये।)

2. पूँजीवाद के विभिन्न अवगुणों का परीक्षण कीजिये और बतलाइये क्या पूँजीवाद आज अपने मौलिक एवं शुद्ध रूप में विद्यमान है ?

(Raj I yr. T D C 1978, 1980)

(संकेत—प्रथम भाग में पूँजीवाद का अर्थ स्पष्ट करके दूसरे भाग में उसके दोषों (अवगुणों एवं हानियों) का विवेचन करना है। तीसरे भाग में बताना है कि पूँजीवाद अपने विनुद्ध एवं मौलिक रूप में वही भी दृष्टिगोचर नहीं होता। आधुनिक पूँजीवाद नियन्त्रित पूँजीवाद (Controlled Capitalism) है।)

3. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण बताते हुए उसके गुण-दोषों का विवेचन कीजिये।

(संकेत—प्रथम भाग में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा देकर उसकी प्रमुख विशेषताएँ देना है। तीसरे भाग में गुण (लाभ) बताना है।)

समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था एवं विशुद्ध साम्यवादी अर्थव्यवस्था

(Socialist or Planned Economy & Pure Communist Economy)

पूँजीवाद के दोषों के कारण समाजवाद का जन्म हुआ है पर अलग अलग देशों में समाजवाद के स्वरूपों में इतनी भिन्नता रही है कि अलग-अलग विद्वानों ने समाजवाद को अपने विचारों का जामा पहनाया है। इसी कारण जोड (Joad) ने कहा है कि "समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है।" समाजवाद का बहु पक्षीय स्वभाव है और उनको अलग-अलग नामों से पुकारा गया है।

समाजवाद का अर्थ एवं परिभाषा—समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार (समस्त समाज) का वह स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Benefit) के लिए किया जाता है। प्रो डिविन्सन के अनुसार "समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार होता है और इनका प्रयोग एक सामान्य आर्थिक नियोजन के अनुसार ऐसी सन्धियों द्वारा किया जाता है जो समस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे समाजोद्दृत नियोजित उत्पादन के लाभों के अधिकारी होते हैं।"

प्रो मोरोसन के अनुसार "समाजवाद में सभी बड़े-बड़े उद्योगों का भूमि पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और उनको एक राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के साथ निजी लाभ के लिए नहीं बरन् सामान्य हित के लिए प्रयोग किया जाता है।" (इस प्रकार समाजवाद पूँजीवाद के ठीक विपरीत है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है राज्य अर्थव्यवस्था को प्रमादी रूप से नियन्त्रित एवं संचालित करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) भी कहा जाता है क्योंकि उसका संचालन योजनानुसार होता है।

साम्यवाद, समाजवाद अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें

(Main Features or Characteristics of Socialist or Planned Economies or Communism)

1. उत्पात्ति के साधनो पर समस्त समाज (सरकार) का स्वामित्व होता है—समाजवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि उत्पादन के समस्त साधनो पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी व्यक्तियों को सम्पत्ति का अधिकार नहीं होता है और न वे उत्पादन के साधनो का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए कर सकते हैं। देश में प्राकृतिक साधनो, कारखानो, बैको, परिवहन एवं संचार साधनो आदि सब पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है।

2. केन्द्रीय आर्थिक नियोजन—समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण तथा अर्थव्यवस्था का संचालन निश्चित उद्देश्यों के लिये केन्द्रीय सत्ता द्वारा निश्चित योजना के अनुसार होता है। प्रो पीगू के शब्दों में “उत्पादन के साधनो पर सार्वजनिक स्वामित्व के साथ नियोजन समाजवाद की प्रमुख विशेषता है।”

3. उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है, सरकार की केन्द्रीय सत्ता ही निश्चित करती है कि क्या उत्पादन किया जाय? कितना उत्पादन किया जाय? कैसे उत्पादन किया जाय और किनको कितना-कितना वितरित किया जाय? और कौसी व्यवस्था हो?

4. सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्रधानता—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संचालन निजी लाभ उद्देश्य (Private Profit Motive) से प्रेरित होता है जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन अधिकतम सामाजिक कल्याण उद्देश्य (Maximum Social Welfare Motive) से होता है।

5. अनर्जित आय का निराकरण—समाजवाद में निजी सम्पत्ति व उत्तराधिकार का अधिकार न होने से अनर्जित आय (Unearned Income) का समापन हो जाता है तथा परजीवियों का समापन होता है। “No Work No Bread” “काम नहीं तो खाना नहीं” के सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।

6. शोषण का समापन—समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन लाभ-उद्देश्य से नहीं होता। अतः श्रमिकों, बाल-बच्चों व उपभोक्ताओं का शोषण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

7. आर्थिक समानता में बंधो—आर्थिक विषमता पूँजीवाद की उपज है, उसका समाजवाद में निराकरण होता है। सभी व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में समान लाभ का अधिकार होता है। शोषण का अन्त होता है। निजी स्वामित्व की अनुरस्थिति होती है। अतः समाज में आर्थिक समानता आती है।

8. प्रतियोगिता व बेरोजगारी का निराकरण—समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं हाता, वरन् सहकारिता (Co-operation) के

आधार पर चलता है। प्रतिस्पर्धा केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में सरकारी उपक्रमों में रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है।

9. उपभोक्ता की सार्वभौमिका का अन्त—समाजवाद में सरकार सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण करती है कि क्या उत्पादन किया जाय। अतः उपभोक्ता की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है। उत्पादन का ढांचा मांग के अनुसार न होकर सरकार के आदेशानुसार होता है। समाजवादी राष्ट्रीय में पूँजीगत माल के उत्पादन पर अधिक बल दिये जाने से उपभोक्ताओं की उपेक्षा हो जाती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप

(Different Forms of Socialist Economy)

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समाजवाद आदर्शवादी कल्पनाओं से परिपूर्ण था। रोबर्ट ओवेन तथा सेन्ट साइमन जैसे स्वप्नदर्शी भाईचारे, शिक्षा तथा समाज के संगठन से पूँजीवाद के दोषों को दूर करने का प्रयास करते थे, किन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कार्ल मार्क्स, एन्जिल्स तथा लैसली आदि के प्रभाव से वैज्ञानिक समाजवाद का विकास हुआ। तब से समाजवाद के अनेक स्वरूप सामने आये हैं जिनमें कुछ रूपों का वर्णन इस प्रकार है—

(1) मार्क्स का समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद (Marxian Socialism or Scientific Socialism)—इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (Das Capital) से समाजवाद के सिद्धान्त को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जिसे एन्जिल्स, लेनिन तथा स्टालिन ने आगे बढ़ाया। मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें पूँजीवाद के अन्तिम के बीज विद्यमान हैं। पूँजीवाद में आर्थिक असमानता व शोषण से समाज दो वर्गों—धनिकों (Haves) तथा निर्धनों (Have-Nots) में बंट जाता है। पूँजीपति अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं, उनमें परस्पर वर्ग-संघर्ष (Class Struggle) बढ़ता जाता है। श्रमिकों की सत्या बहुत बढ़ जाती है और वे संघर्ष में पूँजीपतियों पर अधिपत्य जमा लेते हैं। पूँजीपतियों तथा पूँजीवाद की समाप्ति तथा श्रमिकों की तानाशाही के बाद एक वर्ग-विहीन समाज (Classless Society) का जन्म होगा। इसे ही वैज्ञानिक समाजवाद की सज्ञा दी गई। मार्क्सवाद, भ्रान्ति एवं विद्रोह द्वारा समाजवाद की स्थापना में विश्वास रखता है।

साम्यवाद (Communism) समाजवाद का उग्र रूप है। अतः समाजवाद की विशेषताएँ, लाभ व दोष, साम्यवाद की विशेषताएँ, लाभ, दोष हैं।

(2) साम्यवाद (Communism)—साम्यवाद मार्क्स के समाजवाद का अन्तिम एवं उग्र रूप है। साम्यवाद के अन्तर्गत उत्पादन तथा उपभोग पर राज्य का (सामूहिक स्वामित्व एवं नियंत्रण) नियंत्रण होना है। राज्य ही निर्धारित करता है कि कितनी-कितनी वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय तथा उसका

वितरण किन्-किन् में कितना हो? लोग की निजी सम्पत्ति, लाभ इत्यादि का अस्तित्व ही मिट जाता है। लोग सरकारी मकानों में रहें, सरकारी मोजनालयों में भाजन करें। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था सरकार करे और व्यक्ति का निजी स्वतन्त्रता न होकर वह वही कार्य करे जो सरकार उसे करने को सोचती है। साम्यवाद का नारा है 'प्रत्येक अपनी योग्यतानुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को अपनी आवश्यकतानुसार मिलेगा (Each according to his ability and to each according to his need) इस प्रकार साम्यवाद एक सर्वसत्तावादी सामूहिक (Totalitarian Collectivism) है जिसका अन्तिम उद्देश्य अन्तिम द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना करना है।

प्रो हॉम के शब्दों में "निरंकुश समाजवाद (या साम्यवादी) अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन के उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और एक सर्वव्यापी योजना पाई जाती है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्यवाद में निजी सम्पत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है, उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के लक्ष्य, उनके प्राप्ति करने की व्यूह रचना आदि सभी केन्द्रीय नियोजन संस्था के द्वारा निर्धारित होते हैं। स्वतन्त्र कीमत प्रणाली के स्थान पर कृत्रिम मूल्य प्रणाली का सहारा लिया जाता है। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता समाप्त-प्राय हो जाती है, उन्ट नियोजकों द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं में चुनाव का अवसर दिया जाता है पर उन्हें अपनी पसन्द से उत्पादन का प्रवाह बदलने की स्वतन्त्रता नहीं होती। साम्यवाद में उपभोक्ताओं की उपेक्षा की जाकर भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया जाता है।

कार्ल मार्क्स के साम्यवादी घोषणा पत्र (Communist Manifesto) के अनुसार "साम्यवाद विधि का एक सिद्धान्त है, यह उन विचारों की स्थापना करता है जिसके द्वारा पूँजीवाद समाजवाद में परिवर्तित होता है।"

मार्क्स के अनुसार समाजवाद वह पहली मजिल है जब समाज के उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का अधिकार होता है, घोषणा समाप्त होता है और मुनियोजित उत्पादन व्यवस्था से पैदावार बढ़ती है परन्तु साम्यवाद की मजिल और अधिक ऊँची है। साम्यवाद में मजदूर वर्ग सत्ता पर अधिकार करता है लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार के बंधन ढीले पड़ते हैं और अन्त में भंग हो जाते हैं। सभी की शिक्षा एवं विकास के समान अवसर खुल जाते हैं जाति-पाति का भेद भाव समाप्त हो जाता है, हर आदमी युद्धिजीवी बनकर शारीरिक श्रम से भागना बन्द कर देता है। इस प्रकार साम्यवाद समाजवाद की अन्तिम मजिल अथवा अधिक उन्नत एवं उन्नत (Extreme and Developed) रूप है। समाजवादी व्यवस्था एक सत्रमणकालीन व्यवस्था है और इसका अन्तिम उद्देश्य साम्यवाद की स्थापना करना है। इस सभी सत्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है।

(3) सामूहिकवाद या राजकीय समाजवाद (Collectivism or State Socialism)—इसके अन्तर्गत उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है। निजी उपक्रम (Private Enterprise) का अन्त हो जाता है। राज्य ही समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है, सब उपक्रम राजकीय अधिकारियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। राज्य ही वितरण व्यवस्था करता है। उत्पादन एवं वितरण में सारा लाभ राज्य को प्राप्त होता है जिसे जनहित में व्यय किया जाता है। वास्तव में राजकीय समाजवाद 'राजकीय पूँजीवाद' के समान है जिसमें राज्य ही व्यक्तिगत पूँजीवादी का रूप धारण कर लेता है। राजकीय समाजवाद और मार्क्स के समाजवाद में यह अन्तर है कि जहाँ मार्क्सवादी खूनी क्रांति एवं विद्रोह से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं वहाँ राजकीय समाजवादी शांतिपूर्ण एवं ससदीय ढंग से समाजवाद लाना चाहते हैं।

(4) फासिज्म (Fascism)—यह व्यवस्था प्रथम विश्व-युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी (Mussolini) की तानाशाही में दृष्टिगोचर हुई। जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद (Nazism) भी बहुत कुछ इसका स्पातर मात्र था। इसके अन्तर्गत निजी सम्पत्ति, उपक्रम की स्वतन्त्रता, निजी लाभ, मूल्य-यन्त्र तथा प्रतिस्पर्धा आदि पूँजीवादी तत्व ज्यों-त्यों बने रहते हैं पर अर्थव्यवस्था में कदम बढ़ाने पर सरकार का अत्यधिक कठोर नियन्त्रण रहता है। राष्ट्रीय हित में सरकार उत्पादन साधनों पर जबरदस्ती कब्जा जमा लेती है। इस दृष्टि से यह राज्य नियन्त्रित पूँजीवाद (State Controlled Capitalism) होता है जिसमें सरकार, सर्वशक्तिमान (All Powerful) होती है, राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं मानी जाती है। राज्य आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में शक्तिशाली हस्तक्षेप करता है।

(5) विविध—इसमें हम श्रमिक-संघवाद, शिल्प समाजवाद तथा फैंडियन समाजवाद आदि को लेते हैं—(i) श्रमिक संघवाद (Syndicalism) के अन्तर्गत उद्योगों पर राज्य का नियन्त्रण एवं स्वामित्व नहीं होता, बल्कि प्रत्येक कारखाने के श्रमिकों के संघ (Trade Unions or Syndicates) उद्योगों के स्वामी एवं नियन्त्रणकर्ता होते हैं। वे राजकीय अधिकारियों को अकुशल मानते हैं। वे राजनैतिक सत्ता को अपने नियन्त्रण में रखते हैं। (ii) शिल्प समाजवाद (Guild Socialism) के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों व उद्योगों का स्वामित्व तो राज्य के हाथ में रहता है पर उनका संचालन एवं नियन्त्रण, श्रमिकों, मैनैजरो व तकनीशियनों के हाथ में रहता है। यह उद्योगों के संचालन में केन्द्रीयकरण व नौकरशाही प्रवृत्तियों के समापन की उचित व्यवस्था है। यह शांतिपूर्ण रीतियों से समाजवाद की स्थापना का एक उचित ढंग है। (iii) फैंडियन समाजवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ जिसके अन्तर्गत (घ) आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। (ब) प्रगतिशील करारोपण व सामाजिक सुरक्षा कानूनों पर व्यय से धन के वितरण में समानता लाई जाती है तथा (स) आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। यह एक प्रकार से मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है।

साम्यवाद या समाजवाद की पूंजीवाद से श्रेष्ठता

(Superiority of Socialism or Communism Over Capitalism)

साम्यवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में कई ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठतर मानी जाती है। साम्यवाद एवं समाजवाद की पूंजीवाद पर श्रेष्ठता निम्न विवरण से स्पष्ट है—

(1) अधिकतम सामाजिक कल्याण—समाजवाद में उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार अथवा समाज का स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है और नियोजित ढंग से इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है जबकि पूंजीवाद में निजी लाभ के तत्त्व के कारण शोषण पनपता है।

(2) शोषण से मुक्ति—समाजवाद में साधनों का उपयोग सामाजिक लाभ के लिए होता है अतः शोषण से मुक्ति मिलती है जबकि पूंजीवाद में निजी लाभ की प्रवृत्ति से शोषण को बढ़ावा मिलता है।

(3) भ्रवसर की समानता—समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति वर्ण एवं लिंग भेद के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति का समान भ्रवसर दिया जाता है जबकि पूंजीवाद में धनी व्यक्ति ही आगे बढ़ जाते हैं, निर्धनों को उन्नति का भ्रवसर ही नहीं मिला पाता।

(4) आर्थिक समानता—समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय एवं सम्पत्ति की असमानता को समाप्त कर सभी को आर्थिक समानता का भ्रवसर मिलता है जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन एवं सम्पत्ति की असमानता का बोलबाला होता है।

(5) वर्ग संघर्ष का समापन—समाजवाद में आर्थिक समानता शोषण के अन्त और निजी लाभ का अभाव होने से वर्गहीन समाज की स्थापना होती है जिससे वर्ग संघर्ष का समापन होता है जबकि पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष के कारण सूनी प्रातिया होती हैं।

(6) आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—समाजवाद में देश के भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रयोग पूर्णतः केन्द्रीय नियोजन के अन्तर्गत होता है अतः साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग वृत्त उत्पादन एवं उपभोग को अधिकतम करते हैं जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत-अर्थ से साधनों का प्रयोग विनाशितापी एवं अकारणकारी म होता है।

(7) आर्थिक स्थिरता एवं तीव्र विकास—समाजवाद में नियोजित विकास आर्थिक प्रगति में तीव्र गति लाता है। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रहना है और व्यापार चक्रों के दुःप्रभाव नहीं आते जबकि पूंजीवाद में निजी लाभ से प्रेरित स्वार्थी नितियों से न केवल साधनों का दुरुपयोग होता है धरन् व्यापार चक्रों के दुःपरिणाम भुगटने पड़ते हैं, विनाश की गति भी बढ़ाने वाली होती है।

(8) बेकारी का अन्त एवं पूर्ण रोजगार—समाजवाद में मानव शक्ति को बहुमूल्य पूँजी माना जाता है अतः मानव शक्ति के प्रयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से बेकारी का अन्त होता है और अन्ततः पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है जबकि पूँजीवाद में बेकारी का बोलबाला होता है और व्यापार चक्रों की बेकारी मयावह होती है।

(9) उन्नत आर्थिक जीवन—समाजवाद में देश के सभी नागरिकों को आर्थिक समानता, पूर्ण रोजगार एवं तीव्र आर्थिक विकास से लोगों का आर्थिक जीवन स्तर काफी ऊँचा होता है जबकि पूँजीवाद में दरिद्रता और सम्पन्नता का सह अस्तित्व वर्गों के कारण बनता है।

(10) अनर्जित आय का अन्त—समाजवाद में अनर्जित आय का अन्त हो जाता है क्योंकि बिना काम के आय नहीं मिलती प्रत्येक को कार्य करना आवश्यक है जबकि पूँजीवाद में उत्तराधिकार के कारण धनिकों को अनर्जित आय का अवसर मिलता है।

(11) सामाजिक सुरक्षा—समाजवाद में प्रत्येक नागरिक को भूख, बीमारी, बेकारी, गरीबी और मृत्यु से सुरक्षा मिलती है जबकि पूँजीवाद में सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है।

स्पष्ट है कि समाजवाद एवं साम्यवाद पूँजीवाद से कई मानों में श्रेष्ठ है परन्तु कभी कभी पूँजीवाद के समर्थक समाजवाद में नौकरशाही एवं लालपीताशाही तथा आर्थिक तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कभी कभी कृत्रिम मूल्य-यन्त्र के कारण साधनों के दुरुपयोग पर तर्क प्रस्तुत करते हैं। समाजवाद में निजी लाभ की अनुपस्थिति से प्रेरणाओं (Incentives) की कमी भी टिप्पणीचर होती है। परन्तु यह आरोप नगण्य और महत्वहीन हैं क्योंकि आर्थिक स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कुछ त्याग करना ही पड़ता है। आर्थिक नियोजन की व्यापक व्यवस्था साधनों के सदुपयोग को बढ़ाती है। प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि से प्रेरणाओं का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अतः समाजवाद पूँजीवाद से श्रेष्ठ है।

साम्यवाद, समाजवाद या नियोजित अर्थव्यवस्था के लाभ या गुण

(Advantages or Merits of Socialist or Planned Economy
or Communism)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में, व सब लाभ मिलते हैं, जो पूँजीवाद में दोषों के कारण हैं। इन्हीं गुणों के कारण पूँजीवाद का पतन एवं समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

1 आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—समाजवाद में अर्थव्यवस्था के सभी प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का उपयोग केन्द्रीय नियोजन के आधारे पर किया जाता है इससे आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम एवं सतुलित प्रयोग होता है। अर्थव्यवस्था में सर्वांगीण विकास साधनों के श्रेष्ठ उपयोग को बढ़ावा देता है।

2. व्यापार चक्रों एवं आर्थिक अस्थिरता का अन्त—सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पूर्णतया नियोजित होता है। वस्तुओं की मांग एवं उत्पादन में समन्वय एवं नाउ मज वैठाकर प्रति उत्पादन तथा कम उत्पादन की सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में तेजी-मंदी की चयी घटनाओं का निराकरण होने से आर्थिक स्थायित्व आता है।

3. आर्थिक विपत्तियाँ (असमानता) में कमी—समाजवाद में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं होता और न धन का वितरण असमान होता है, इससे आर्थिक असमानता की प्रवृत्ति होती है। प्रो पीगू के शब्दों में 'आर्थिक विपत्तियों को समाप्त करने में पूँजीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक सार्थक सिद्ध होता है।'

4. आर्थिक शोषण का अन्त—समाजवाद में अर्थव्यवस्था निजी लाभ से प्रेरित न होकर, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। धन शोषण का समाप्त हो जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति का शोषण करने में असमर्थ रहने से क्योंकि आर्थिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है।

5. बेकारी का अन्त एवं पूर्ण रोजगार—समाजवाद में मानवीय साधनों के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। धन को उत्पादन की मूल्यवान् पूँजी माना जाता है। अतः बेकारी का निराकरण होता है। रूस में 1928-32 की अन्तरी पहली पंचवर्षीय योजना में ही बेकारी की समस्या को समाप्त कर दिया तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति बन गई है।

6. अधिकतम सामाजिक कल्याण—समाजवाद में देश के गाँवों का श्रेष्ठतम उपयोग होता है, बेकारी एवं शोषण का अन्त होता है। व्यापार-चक्रों के समाप्त में आर्थिक स्थायित्व आता है। समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इस कारण अधिकतम सामाजिक कल्याण सम्भव होता है।

7. धर्म-संघर्ष का समाप्त—समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति तथा वितरण पर सरकार का नियंत्रण एवं स्वामित्व होने से आर्थिक विपत्तियाँ घटती हैं, शोषण का समाप्त होता है। इससे समाज में असमानता की प्रवृत्ति होती है। पूँजीवाद की भाँति धर्मियों व पूँजीपतियों में संघर्ष नहीं होता। इसके अनिर्दिष्ट सामाजिक पर-जीविता (Social Parasitism) समाप्त होती है क्योंकि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म करना अनिवार्य है।

8. तीव्र गति से आर्थिक एवं सैनिक शक्ति का विकास—समाजवाद (साम्यवाद) को सपना इस बात में निर्दिष्ट है कि इसके अन्तर्गत उत्पादन साधनों के नियोजित उपयोग से न केवल तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है बल्कि देश की सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने की सुविधा रहती है। साम्यवादी रूस एवं चीन अपने तीव्र औद्योगिक एवं कृषि विकास, पूर्ण रोजगार व्यवस्था तथा मानव शक्ति के सदुपयोग के कारण विश्व की महान् शक्तियाँ मग्नि बाने लगे हैं। रूस में विद्युत्

50 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसे प्राप्त करने में पाश्चात्य राष्ट्रों को 300 वर्ष लगे हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद रूस औद्योगिक उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है जबकि 1914 में रूस एक कृषि प्रधान पिछड़ा राष्ट्र था। रूस व चीन सैन्य-शक्ति की दृष्टि से भी बहुत मुहड़ बन गये गये हैं।

साम्यवादी, समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के दोष या अशुभगुण (हानियाँ)

(Defects or Disadvantages or Demerits of Socialist or Planned Economy or Communism)

पूँजीवाद के समर्थक तत्त्व समाजवाद में अनेक कमियाँ ढूँढते हैं तथा उन्होंने समाजवाद के विपक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किये हैं—

1. उत्पादन साधनों का दोषपूर्ण वितरण—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में तो मूल्य यत्र स्वतः उत्पादन साधनों का वितरण उनके महत्त्वपूर्ण उपयोगों में कर देता है पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में न स्वतन्त्र बाजार होता है और न मूल्य यत्र ही। अतः साधनों का वितरण अविशेषपूर्ण ढंग से होता है। प्रो. हायेक (Hayek) तथा माइसेस (Mises) जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का वितरण मूल्य-यत्र के अभाव में मनमाने ढंग से होता है।

पर अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों—प्रो. लान्गे (Lange), टेलर (Taylor) आदि का यह विचार है कि पूँजीवाद में मूल्य-यत्र सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक माना जाता है जबकि व्यवहार में साधनों का वितरण समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही उपयुक्त होता है। रूस तथा अन्य समाजवादी राष्ट्रों की तीव्र आर्थिक प्रगति इनका प्रतीक है।

2. उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का समापन हो जाता है—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में तो उपभोक्ता सम्राट और उत्पादक उसके सेवक होते हैं। पर समाजवाद में उपभोक्ताओं की चयन की स्वतन्त्रता नहीं होती। वे केवल उन वस्तुओं का उपभोग कर पाते हैं जिन्हें सरकार उन्हें उपलब्ध करती है। वास्तविक रूप में देखा जाय तो पूँजीवाद में भी उपभोक्ताओं की प्रमुखता एक मिथ्या धारणा है क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता तो निधन होते हैं जबकि कुछ ही धनिक अपने चाह की वस्तुएँ उत्पादन करवाने में समर्थ होते हैं। अर्थ-शक्तिहीन उपभोक्ता की सार्वभौमिकता केवल नाम मात्र होती है।

3. व्यक्तिगत प्रेरणा (Incentive) तथा प्रारम्भ (Initiative) का अभाव—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति का अधिकार तथा व्यक्तिगत लाभ उद्देश्य (Private Profit Motive) का ऐसा तत्व है जो मनुष्य में काय की प्रेरणा तथा नये परिवर्तनों के प्रारम्भ की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन तत्वों के अभाव में उत्पादन में प्रेरणा का अभाव रहता है। यह अशुभगुण स्वयं समाजवादी स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि अब समाजवादी राष्ट्रों में भी व्यक्तिगत प्रेरणा के नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं।

4 उत्पादकता एव कुशलता का अभाव—पू जीवाद में साधनों के आदर्शतम उपयोग का प्रयास किया जाता है ताकि लाभ अधिकतम हो सके। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में न तो साधनों का 'विवेकपूर्ण' वितरण होता है और न ही लाभ की प्रेरणा होती है। अतः 'अधिक' उत्पादन की प्रेरणा न होने से उत्पादकता कम होती है। उत्पादन कुशलता में कमी के मुख्य कारण हैं (i) नौकरशाही (ii) लालपीताशाही (iii) जन आलोचना का अभाव, जालिम न भेड़ने की प्रवृत्ति तथा (iv) सरकारी नौकरी में कर्तव्यनिष्ठा का अभाव आदि।

5 नौकरशाही या बोलवाला—समाजवाद का सबसे बड़ा दोष उसमें नौकरशाही (Bureaucracy) की प्रधानता होना है। केन्द्रीय आधिकारिता ने निर्णयों को लागू करने पर बड़ी सख्ता में सरकारी नौकर लगते हैं जिन्हें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता और उनकी पदोन्नति भी कार्य पर निर्भर न होकर वरिष्ठता (Seniority) पर निर्भर करती है। भ्रष्टाचार फैलता है। नौकरशाही में न नवीन जातिमा की प्रेरणा होती है और न व अधिक कर्तव्यपरायण होते हैं। सरकारी कार्य में लालपीताशाही भी प्रबल होती है। इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नौकरशाही के पन्धे में फस जाती है और आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

यह आलोचना तथ्यपूर्ण है पर समाजवादी देशों में इस दोष के निराकरण के लिए अनेक ऐसे तरीके अपनाए हैं जिसमें कार्य के प्रति अरुचि में मृत्यु दण्ड तक की व्यवस्था होती है। प्रारम्भिक अवस्था में यह दोष अधिक रहता है।

6 सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण तथा मानव शक्ति का दुरुपयोग—बुद्धि विद्वान समाजवाद में सत्ता के अधिक केन्द्रीकरण का विरोध करते हैं तथा कहते हैं कि आर्थिक नियोजन में अत्यधिक मानव-शक्ति जो उत्पादन कार्य से अत्यधिक योगदान कर सकती है उन्हें योजना बनाने, गणना करने तथा उनके क्रियान्वयन की देखभाल करने पर लगाई जाती है।

वास्तव में यह दोष नहीं है। यह तो मानव शक्ति का ऐसा प्रयोग है जो अनियोजित अर्थव्यवस्था में होने वाले भावी दोषों का निराकरण करने में प्रयुक्त होता है। अतः सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीकरण में व्यक्ति की स्वतन्त्रता सामाजिक हित में नियन्त्रित की जाती है। अतः यह उपयुक्त ही है।

निष्कर्ष—यद्यपि पूँजीवाद के समर्थकों ने समाजवाद के विरुद्ध अनेक तर्क दिये पर ये तर्क वास्तविकता से परे हैं। जब पूँजीवाद के दोषों से समाजवाद के दोषों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि पूँजीवाद के दोष इतने भयंकर और खतरनाक हैं कि वे न केवल अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देते हैं बल्कि मानवीय जीवन को नारकीय बना देते हैं। प्रो शुम्पीटर (Schumpeter) ने समाजवाद को पूँजीवाद से श्रेष्ठ माना है क्योंकि समाजवाद में राजकीय प्रवृत्ति में उत्पादन कुशलता और साधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग होता है। व्यापार अज्ञेय का

अभाव रहता है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का अभाव होता है। अधिक विपणनता कम होती है, बेकारी और शोषण का अन्त होता है। आज कल्याणकारी राज्यों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सामाजिक हित में विमिश्रित किया जाता है।

फिर भी समाजवाद में सरकार द्वारा सत्ता के केन्द्रीकरण, अधिक क्षेत्र में अत्यधिक नियंत्रण से उपभोक्ताओं की प्रभुसत्ता पर आघात पहुँचता है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है और लोगों में प्रारम्भिक एवं काय के प्रति प्रेरणा घटती है। इन दोषों के निराकरण के लिए सीमित स्वतन्त्रता दी जाने लगी है। आधुनिक युग में लोग पूँजीवाद और समाजवाद के मिश्रण की बात करने लगे हैं। पूँजीवाद राष्ट्रो में मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) इसका परिणाम है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 समाजवाद के प्रमुख लक्षण दीजिये। क्या आप इसे पूँजीवाद से श्रेष्ठतर मानते हैं ?
(B A (Hons) Part I Raj 1977)

अथवा

समाजवाद के प्रमुख लक्षण दीजिये और प्रदर्शित कीजिये कि यह पूँजीवाद से श्रेष्ठतर कैसे कहा जा सकता है ?

- (सकेत—समाजवाद का अभिप्राय स्पष्ट करके दूसरे भाग में उसके लक्षण बताना है तथा तीसरे भाग में समाजवाद की पूँजीवाद पर श्रेष्ठता शीपक की विषय सामग्री देना है।)

- 2 समाजवाद के गुण दोषों का परीक्षण कीजिये।
(I yr Non Collegiate, 1976)

(सकेत—समाजवाद का अभिप्राय स्पष्ट कर समाजवाद के लाभ हानि बताना है।)

- 3 विज्ञान साम्यवादी अर्थव्यवस्था के गुणों की विवेचना कीजिये।
(I yr T D C Raj 1973)

(सकेत—साम्यवाद का अर्थ बताकर साम्यवाद के गुणों को समाजवाद के समान ही बताना है और तीसरे भाग में उसके दोषों का विवेचन करना है।)

- 4 टिप्पणों—(i) विज्ञान साम्यवादी अर्थव्यवस्था (I yr T D C 1974)
(ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था (I yr T D C 1976)

(सकेत—दोनों का अर्थ बताकर, विशेषताएँ देना है फिर गुण दोषों का संक्षेप में विवेचन करना है।)

- 5 साम्यवाद के प्रमुख लक्षण दीजिये और प्रदर्शित कीजिये कि यह पूँजीवाद से श्रेष्ठतर कैसे कहा जाता है ?
(I yr T D C 1979)

(सकेत—प्रथम भाग में साम्यवाद का अर्थ एवं परिभाषाएँ देना है। दूसरे भाग में उसकी विशेषताएँ (समाजवाद) के अनुसार देनी हैं तथा तीसरे भाग में श्रेष्ठता भी शीपकानुसार देना है।)

मिश्रित अर्थव्यवस्था

(Mixed Economy)

पू जीवादी अर्थव्यवस्था में गलाघोट प्रतियोगिता से अल्प-व्यय, व्यापार चक्रों की नियमितता से बेकारी और आर्थिक अस्थिरता तथा वर्ग-सघर्ष एक जोषण की परिस्थिति में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाने लगा । दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन, नीकरशाही तथा सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीकरण से अत्यधिक राजकीय हस्तक्षेप भी लोगों को खटकने लगा । अतः एक ऐसी आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ जिसमें पू जीवाद एवं समाजवाद के गुणों का सम्मिश्रण कर दोनों के दोषों का निराकरण करने का प्रयास है । आज विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्र इस आर्थिक प्रणाली को अपना रहे हैं ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ (Meaning of Mixed Economy)—

मिश्रित अर्थव्यवस्था पू जीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक समन्वित रूप है । यह पूर्णतः स्वतन्त्र एवं समाजवादी आर्थिक प्रणालियों के बीच सौहार्दपूर्ण संयोग (Happy Combination) है । “मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त सहअस्तित्व (Co-existence) होता है । दोनों के कार्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि दोनों मिलकर अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं तीव्र आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें ।”

- पू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पू जीवाद और समाजवाद दोनों के तत्त्व विद्यमान होते हैं इस कारण प्रो. हेन्सन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था (Dual Economy) की संज्ञा दी है । इसमें राज्य का पू जीवादी तत्वों पर पर्याप्त नियंत्रण होने के कारण प्रो. लर्नर (Lerner) ने इसको नियन्त्रित अर्थव्यवस्था (Controlled Economy) कहा है ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में सरकार स्वयं उद्योगों का स्वामित्व, नियन्त्रण एवं निर्देशन अपने हाथ में रखती है जबकि कुछ क्षेत्रों में निजी उपक्रमियों को बनाने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है । बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिन पर निजी उपक्रमियों का स्वामित्व होना है । वे लाभ उद्देश्य में प्रतिस्पर्धा के माध्यम

पर उनका संचालन करते हैं। कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जो सरकार तथा निजी साहसियों दोनों के सहयोग से चलने हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को मोटे रूप में तीन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में सहकारिता क्षेत्र भी पनप रहा है।


1. राजकीय क्षेत्र (Public Sector)—प्रथम श्रेणी में राजकीय क्षेत्र आता है जिस क्षेत्र का स्वामित्व, नियन्त्रण एवं निर्देशन सब सरकार के हाथ में होता है।

2. राजकीय सह-निजी-क्षेत्र (Public-Cum-Private Sector)—द्वितीय श्रेणी में वह क्षेत्र आता है जिसमें सरकार तथा निजी उपक्रमियों की साझेदारी में उपकरणों का संचालन होता है। स्वामित्व, नियन्त्रण एवं निर्देशन भी साझेदारी में होते हैं पर सरकार का प्रभावी नियन्त्रण होता है।

3. निजी क्षेत्र (Private Sector)—यह वह क्षेत्र है जिसका स्वामित्व, नियन्त्रण आदि निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है वे निजी लाभ के लिए इनका प्रयोग करते हैं।

4. सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector)—इस क्षेत्र में कमजोर एवं आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा चाहने वाले निजी व्यक्तियों के स्वामित्व एवं नियन्त्रण की व्यवस्था होती है। सरकार भी आर्थिक सहयोग देती है। विकासशील राष्ट्रों में सहकारिता क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)



मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics)

1. मिश्रित अर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है—इसमें पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के ऐसे तत्वों का समावेश होता है जो आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के लिए अधिक उपयोगी होते हैं।

2. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है—दोनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण भाग होता है।

3. सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को मोटे रूप में तीन क्षेत्रों—राजकीय क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में बाटा जाता है।

4. क्षेत्रों का निर्धारण उनके सापेक्षिक महत्व के आधार पर सरकार द्वारा होता है—क्षेत्रों के निर्धारण में स्वैच्छिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल उनमें पर्याप्त लोचता होती है। जनहित में किसी भी उद्योग का सरकारी क्षेत्र में लिया जा सकता है।

5. लाभ उद्देश्य एवं कीमत यन्त्र (Price mechanism)—दोनों को

सामाजिक हित में इस प्रकार नियन्त्रण किया जाता है कि साधनों का वितरण प्राथमिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के अनुरूप हो।

6 निजी उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी उनकी स्वतन्त्रता को सामाजिक हित में सीमित किया जाता है।

7 अर्थव्यवस्था में समान वितरण के लिए प्रगतिशील करारोपण, सामाजिक सुरक्षा कार्यों पर व्यय, तथा एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। सम्पत्ति, भूमि, आदि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है।

8 आर्थिक नियोजन (Economic Planning)—यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। नियोजन के अभाव में किसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता चाहे उसमें राज्य का नियन्त्रण व हस्तक्षेप भले ही हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियोजन एक केन्द्रीय नियोजन सत्ता (Central Planning Authority) द्वारा नियोजनबद्ध ढंग से होता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता-आवश्यकता अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ?

(Necessity of Mixed Economy or Why Mixed Economy)

पूँजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद विभिन्न विकासशील राष्ट्रों द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की प्रबल प्रवृत्ति की देखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा क्या दिया जा रहा है ? इसकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूँजीवाद तथा समाजवाद के बीच एक ऐसी संरचना है जिसमें पूँजीवादी एवं समाजवादी तत्वों में एक उपयुक्त समन्वय स्थापित कर देना के दोषों को दूर किया जाता है तथा पूँजीवादी तत्वों को नियंत्रित कर समाजवाद के लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी सहीली अर्थव्यवस्था है जिसमें पूँजीवाद तथा समाजवाद दोनों के लाभ व गुण निहित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता व उगवे अपनाने के कारण इस प्रकार हैं—

1. आर्थिक विकास में तेजी करना—अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकप्रिय हुई है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था के विकास में योग देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में भारी एवं आधारभूत उद्योग—सड़क विजली, सिंचाई, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएँ व सुरक्षा उद्योगों का विकास कर अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधारभूत ढांचा (Infra-Structure) तैयार करता है जबकि निजी क्षेत्र उपभोग्य वस्तुओं का दायित्व ले लेता है। दोनों के समुचित प्रयासों से आर्थिक विकास में तेजी पानी है। भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

आर्थिक विपमता को कम करना—आय और सम्पत्ति की असमानता को दूर कर समानता स्थापित करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य बना हुआ है अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से सामाजिक हितों की सुरक्षा होती है। सरकार प्रगतिशील करारोपण, राजकीय व्यय राष्ट्रीयकरण, सामाजिक सुरक्षा आदि से आर्थिक विपमताओं को कम करती है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता स्थापित करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है।

3 औद्योगिक शांति एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा—पूँजीवाद में श्रमिकों का शोषण होना है अतः श्रमिकों व मालिकों में परस्पर भगड़े हड़तालें, तालाबन्दी व लूटपाट से अशांति बनी रहती है जबकि समाजवाद व साम्यवाद में श्रमिकों पर कठोर नियन्त्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों व मालिकों में परस्पर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मजदूरों को प्रबन्ध व लाम में हिस्सा, संयुक्त साहस उचित मजदूरी, सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों आदि में अर्थव्यवस्था में शांति बनी रहती है तथा श्रमिकों को शोषण से मुक्ति मिल जाती है।

4 एकाधिकार व आर्थिक सत्ता से केन्द्रीयकरण पर रोक—मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभावी हस्तक्षेप से आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण पूँजीवादी तत्वों के अन्तर्गत नहीं होने पाता। सरकार प्रभावी हस्तक्षेप व नियन्त्रण से वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों को नियन्त्रित करती है। उचित वितरण व्यवस्था करती है। अतः आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाता है और एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ कमजोर होती हैं।

5 उद्यम व उपभोग की स्वतन्त्रता बनाये रखना—निजी लाभ व निजी स्वामित्व की भावना विकास के प्रेरणा स्रोत हैं जबकि उपभोग में स्वतन्त्रता से उपभोक्ता को सार्वभौमिकता का आभास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों तत्व आवश्यक नियन्त्रण के अन्तर्गत विद्यमान रहते हैं। उपभोक्ता को अपनी पसन्द व चुनाव का अवसर मिलता है तो उद्यमी को अपनी प्रतिभा का प्रयोग जनहित में करने का सुअवसर रहता है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकप्रिय हो रही है।

6 लोकतंत्र की रक्षा व नियोजन के लाभ—मिश्रित अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता उसके अन्तर्गत मिलने वाले नियोजन के लाभ तथा लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता में निहित है। इसमें न तो तानाशाही शासन व्यवस्था पनपती है और न असीमित स्वतन्त्रता मिलती है। अतः लोकतांत्रिक नियोजन (Democratic Planning) को बढ़ावा मिलता है।

अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, उत्पादन वृद्धि वितरण व्यवस्था में सुधार, नियोजन के लाभ, लोकतांत्रिक व्यवस्था व आर्थिक स्वतन्त्रता में निहित है।

पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (Capitalist Mixed Economies & Planned Socialist Mixed Economies)

मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्त्व तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो भाग हो सकते हैं—

1 पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (Capitalist Mixed Economy)— यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह रूप है जिसमें पूँजीवादी तत्वों—सम्पत्ति अधिकार व्यक्तिगत लाभ मूल्य-यन्त्र तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र का राजकीय क्षेत्र की अपेक्षा बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। राज्य तो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आधारभूत उद्योगों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में नियोजन सीमित होता है और उसकी विधि प्रलोभन से नियोजन (Planning by Inducement) है। पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप हैं। इनमें पूँजीवाद के परिवेश में ही आर्थिक समृद्धि है पर धीरे-धीरे राज्य का हस्तक्षेप बढ़ रहा है जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है। आधुनिक पूँजीवाद पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही रूप है। इनके गुण-दाय आधुनिक पूँजीवाद के समान ही हैं।

पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. निजी साहस का अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।
2. अर्थव्यवस्था के उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों एवं गण्यार्षों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है।
3. व्यक्तिगत लाभ (Private Profit) की प्रेरणा से उद्योगों एवं व्यवसायों का संचालन होता है। निजी लाभ एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक शक्ति होती है।
4. उपभोक्तार्षों को नियन्त्रित मूल्य देना होती है। उन्हें उपभोग के चयन में बहुत कुछ स्वतन्त्रता रहती है।
5. साधन आवंटन और चयन में मूल्य-यन्त्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।
6. सरकार अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन एवं समस्याओं के समाधान के लिए मौद्रिक एवं राजकोपीय नीतियों का सहारा लेती है।
7. अर्थव्यवस्था में विकास एवं स्थायित्व के लिये सरकार प्रलोभन द्वारा नियोजन (Planning by Inducement) का सहारा लेती है। नियोजन सीमित होता है।
8. सरकार अर्थव्यवस्था के प्रभावी हस्तक्षेप नहीं करती किन्तु आवश्यक मार्ग दर्शन एवं स्थायित्व का प्रयास करती है।

2 नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (Planned Socialist Mixed Economies)—आर्थिक संगठन का यह परिष्कृत एवं समन्वित रूप है जिसमें आधुनिक पूँजीवादी तत्वों का समाजवादी सिद्धान्तों में मिश्रण किया गया

है ताकि दोनों की अच्छाइयों का लाभ मिल सके। इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था दुर्गोस्लाविया, पोलैण्ड व अन्य समाजवादी देशों में विद्यमान है। भारत में भी प्रजातान्त्रिक नियोजन पद्धति द्वारा नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया गया है ताकि दीर्घकाल में लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना हो सके।

नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को बाजार समाजवाद (Market Socialism) की सजा दी जाती है क्योंकि इनके अन्तर्गत देश के प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी नियोजन एवं नियन्त्रण तथा गौण क्षेत्रों में निजी ग्राहसियों की सीमित स्वतंत्रता से देश में अधिकतम उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था का प्रयास किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में निम्न विशेषताएँ होती हैं—

- 1 अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर समाज का प्रभावी नियन्त्रण होता है, उन पर सरकार का स्वामित्व होता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती।
2. निजी क्षेत्र को आर्थिक जगत में सीमित स्वतंत्रता होती है। निजी क्षेत्र की सभी आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक हित में योजनाबद्ध ढंग से नियन्त्रित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र सर्वोपरि होता है।
- 3 राष्ट्र के सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है ताकि अधिकतम उत्पादन से अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके।
4. आर्थिक नियोजन की प्रधानता होती है और उसके द्वारा अर्थव्यवस्था को अन्ततः समाजवादी बनाने का प्रयास होता है।
- 5 आर्थिक समानता और अवसरों की समानता का भरसक प्रयत्न किया जाता है।
6. नियंत्रित कीमत प्रणाली अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन का कार्य करती है।
7. सरकार श्रम कल्याण कार्यों, चिकित्सा सुविधाओं एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यों में निरन्तर वृद्धि का प्रयास करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ-गुण (उपलब्धियाँ)

(Advantages or Merits or Achievements)

1 पर्याप्त आर्थिक स्वतन्त्रता—मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों को आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त स्वतन्त्रता हाती है। (i) उपभोक्ता अपनी धार्य को खरीदने में स्वतन्त्र होते हैं, (ii) लोगों को अपनी योग्यता व रुचि से व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता होती है, (iii) निजी सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत लाभ की कुछ सीमा तक स्वतन्त्रता होती है, साथ अपनी रुचि से नये व्यवसायों को प्रारम्भ करने में भी प्रायः स्वतन्त्र होते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार परोक्ष रूप से अपनयन को रोकती है किन्तु पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करती है।

2. आर्थिक विषमता में कमी की जाती है जो आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से भी आवश्यक है। आर्थिक विषमता के समापन के लिए प्रगतिशील परारोपण एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक तथा राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता का प्रयास होता है। इससे वर्ग-संघर्ष कम होता है।

3 उत्पादन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—देश में उपलब्ध साधनों को एक निश्चित योजना के अनुसार लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इससे उनका श्रेष्ठतम उपयोग होता है। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लोगों की आर्थिक समृद्धि और उच्च जीवन-स्तर का मार्ग प्रशस्त होता है। बेकारी मिटती है।

4 आयोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास—मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य-तन्त्र का पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जाती है। देश के साधनों का पूर्ण सर्वेक्षण तथा आयोजित ढंग में आर्थिक विकास का प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ध्यान मिलता है। घट देश के सतुलित विकास का प्रयास किया जाता है। पूँजी निर्माण की गति तीव्र होती है और देश का तीव्र गति से सशौचीक विकास होता है।

5 निजी सम्पत्ति, साम उद्देश्य एवं मूल्य-तन्त्र के तत्व विद्यमान रहते हैं—ये तत्व लोगों में कुशलता में वृद्धि, कठिन परिश्रम तथा साधनों के मितव्ययतापूर्ण और श्रेष्ठतम उपयोग की प्रेरणा देते हैं। सरकार इन तत्वों के शोषणात्मक पहलू (Exploitative Aspect) को नियंत्रित कर उनको सामाजिक हित (Social welfare) की ओर धरतार करती है।

6 आर्थिक कल्याण में वृद्धि—उत्पुंक्त सत्र गुणों से समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष-अवगुण (हानियाँ)

(Defects, Demerits or Disadvantages of Mixed Economy)

यद्यपि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूँजीवाद तथा समाजवाद के सभी अच्छे गुणों का सम्मिश्रण एवं समावयव किया जाता है ताकि उनसे अधिकतम सामाजिक कल्याण संभव हो सके पर जब पूँजीवादी तत्व हावी हो जाते हैं तो शोषण पनपना है और जब समाजवाद के तत्व हावी हो जाते हैं तो तानाशाही, नीररशाही की प्रकुशलताओं की वृद्धि से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है। इन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ सम्भावित गतरे हैं जो हम भारत में धनी-भाति महसूस कर रहे हैं।

1. व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कुशल क्रियान्वयन कठिन है— क्योंकि पूँजीवाद और समाजवाद जैसी दो परस्पर विपरीत विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। सुमोटर के चक्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार से 'घासीजन के टेन्ट में पूँजीवाद (Capitalism in Oxygen Tent)' है अर्थात् पूँजीवाद और समाजवाद का सह-अस्तित्व अस्थायी होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में न तो

व्यापक रूप में आर्थिक नियोजन सफलतापूर्वक कार्य करता है और न मूल्य-यन्त्र ही ठीक प्रकार से कार्य करता है। इसमें लाभ-उद्देश्य भी दबा रहता है, इसमें आवश्यक प्रेरणा का अभाव रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसे पुराने वस्त्र के समान है जिसमें ज्योंही एक छिद्र की मरम्मत की जाती है दूसरा नया छिद्र हो जाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के परस्पर विरोधी उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करना कठिन होता है।

यह आलोचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक देशों में यह व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता देश के आर्थिक विकास से स्पष्ट है।

2. अस्थिरता या अस्थायित्व—मिश्रित अर्थव्यवस्था का अस्तित्व अस्थिर (Instable) रहता है। कालान्तर में या तो समाजवादी शक्तियाँ प्रबल होकर निजी क्षेत्र को समाप्त कर देती हैं जिससे समाजवाद की स्थापना हो जाती है अथवा पूँजीवादी तत्त्व सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व को ही मिटा देते हैं इसमें पूँजीवाद छा जाता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्थायी अस्तित्व नहीं होता। यह भय भी निराधार है क्योंकि ऐसा प्रायः देखने को नहीं मिलता।

3. लोकतन्त्र को भय—आर्थिक नियोजन और सरकार की नीति से निजी क्षेत्र को समाजवादी शक्तियाँ धीरे-धीरे समाप्त कर सकती हैं उससे तानाशाही का भय बना रहता है। लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह भय भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता की आवाज का आदर होता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त गुरा-दोषों के अवलोचन से स्पष्ट होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रकुशलता तथा तानाशाही का भय रहता है लेकिन फिर भी आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व और उचित सामंजस्य से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सरकार की प्रभावी नियन्त्रण नीतियों से व्यापार-चक्रों, बेकारी शोषण और वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। अधिकांश प्रमुख पूँजीवादी राष्ट्रों—अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन आदि में पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास का आधार बनाया गया है ताकि निजी उपक्रमों को सामाजिक हित में मोड़ा जा सके। भारत का दीर्घकालीन उद्देश्य “लोकतांत्रिक समाजवाद” (Democratic Socialism) की स्थापना है अतः धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत किया जा रहा है और निजी क्षेत्र को सीमित किये जाने के प्रयास हैं। अधिकांश विकासशील राष्ट्र पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। अतः आधुनिक प्रवृत्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था को धार है।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था

(Mixed Economy in India)

भारत की वृद्धि प्रधान अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास एवं

भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें (Main Characteristics of Indian Mixed Economy)

तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं बेरोजगारी के समापन के उद्देश्यों से प्रेरित भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था के आदर्शों को व्यावहारिक रूप देने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है उसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

(1) अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र—अर्थव्यवस्था की मोटे रूप में चार वर्गों में विभाजित किया है—(1) सार्वजनिक क्षेत्र (2) निजी क्षेत्र (3) सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र (4) सहकारी क्षेत्र ।

(2) प्रजातान्त्रिक आर्थिक नियोजन देश के आर्थिक विकास का आधार माना गया है जिसमें आर्थिक नियोजन थोपा न जाकर जन सहयोग एवं जन-सहमति को मूर्तरूप दे रहा है । पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है ।

(3) नियन्त्रित बाजार संयंत्र एवं प्रतिस्पर्धा—अर्थव्यवस्था में बाजार सयंत्र तथा प्रतिस्पर्धा की पर्याप्त छूट होते हुए भी जनहित में आवश्यक नियन्त्रण की व्यवस्था की गई है ।

(4) आर्थिक नियन्त्रणों द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन—अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिये नियन्त्रण और नियमन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति, उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण एवं राशनिधि नीति, आयात एवं निर्यात नीति, विदेशी विनिमय नियन्त्रण, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर नियन्त्रण, धर्म-नीति आदि ।

(5) विकेंद्रित एवं सन्तुलित आर्थिक विकास—अर्थव्यवस्था में विकेंद्रित एवं सन्तुलित आर्थिक विकास हेतु कृषि एवं औद्योगिक विकास, ग्रामीण तथा शहरी विकास, बड़े एवं छोटे उद्योग, क्षेत्रीय विकास आदि की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र का निरन्तर विस्तार एवं प्रभुत्व—अन्ततः भारतीय अर्थव्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजवाद के लक्ष्य से प्रेरित है अतः निरन्तर सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि यह प्रमुखता सम्पन्न स्थिति में पहुँच जाय । व्यापार, उद्योग, वितरण आदि सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किये जाने की प्रवृत्ति प्रबल है । राष्ट्रीयकरण में भी हिचकिचाहट नहीं है । 20 बड़े बैंकों तथा तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण उत्ती की बढ़िया है ।

(7) संयुक्त क्षेत्र का विकास—अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र की प्रबन्ध धर्मता का समुचित उपयोग करने के लिये दोनों क्षेत्रों ने सम्मिश्रण से संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) का विकास किया जा रहा है जिससे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को सार्वजनिक साधनों और निजी क्षेत्र प्रबन्ध व्यवस्था का समन्वित लाभ मिलेगा ।

(3) कृषि विकास—जहा 1950-51 में कृषि विकास 05% की रद वापिक थी वह अब बढ़कर लगभग 5% है। खाद्यान्न का उत्पादन भी 1978-79 में 131 करोड टन था जबकि 1979-80 में खद्यान्नो का उत्पादन 116 करोड टन ही होने का अनुमान है। जबकि 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 54 करोड टन था। हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन का सूचकांक (1949 = 100) अब 210 हाने का अनुमान है। जहा 1950-51 में केवल 208 लाख हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती थी अब लगभग 550 लाख हैक्टर में सिंचाई होती है।

(4) उद्योग एवं खनिज विभाग—भारत सरकार की औद्योगिक नीति व आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण भारत में औद्योगीकरण का सुदृढ आधार तैयार हो गया है। जहा 1950-51 में औद्योगिक विकास की दर 2.5% थी वह 1976-77 में 10.4% पहुच गई। आधारभूत उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एवं बोकारो के इस्पत कारखाने, बगलौर, पिजौर तथा रांची के मशीन टूल्स कारखाने, चितरजन एवं बाराणासी में रेल इंजन के कारखाने, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अन्तगत सात कारखाने, भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स, जिक स्मेल्टर, तावा शोधक कारखाना आदि उल्लेखनीय हैं। खनिज उत्पादन का मूल्य 1950-51 के 89 करोड रु से बढ़कर अब लगभग 800 करोड रु होने का अनुमान है। सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 5 से बढ़कर 160 तथा उनमें लगी पूंजी 29 करोड रु से बढ़कर 14000 करोड रु से अधिक है।

(5) परिवहन एवं संचार—सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन एवं संचार विकास में लगभग 2000 करोड रु व्यय हो चुका है। 1950-51 के मुकाबले अब रेलों की लम्बाई 54 हजार किलोमीटर से बढ़कर 61 हजार किलोमीटर है। सतहद्वारा पडके 16 लाख किलोमीटर से बढ़कर 58 लाख किलोमीटर है। जहाजरानी क्षमता 39 लाख जी ग्रार टी. से बढ़कर 55 लाख GRT हुई है। भारत से 35 राष्ट्रों का वायुयान जात हैं। डाक, तार, एवं संचार व्यवस्था भी काफी सुधरी है।

(6) सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार—भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलता इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास व्यवस्था, पिछड़ी जाति उत्थान, पेयजल आदि वायुयनों पर काफी व्यय करके सुविधाओं का विस्तार किया गया है। साक्षरता 1950-51 के मुकाबले 16.5% से बढ़कर 1971 में 29.4% हो गई है। औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 52 है। नै. अब देश में लगभग 100 मेडिकल कॉलेज हैं, लोगों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार हुआ है।

(7) रोजगार वृद्धि—मानव शक्ति नियोजन पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाने से यद्यपि बेकारी बढ़ी है फिर भी पिछले 28-29 वर्षों में देश में लगभग 65 करोड अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध किए गए। छठी योजना में लगभग 5 करोड अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

भारतीय नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की विफलतायें (Failures of Indian Planned Mixed Economy)

जहाँ एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है वहाँ दूसरी ओर जन सहयोग के अभाव, प्रशासनिक अकुशलता तथा गलत प्राथमिकताओं के कारण देश में बेकारी, गरीबी, आर्थिक असमानता, मुद्रा-स्फीति एवं तस्करी व मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिला है।

(1) सड़कों व उपलब्धियों की गहरी खाई—देश में योजनाओं के लक्ष्यों व उपलब्धियों के अन्तराल से जन साधारण में अविश्वास फैला है। 28-29 वर्षों के योजनायुक्त विकास के बाद भी देश में 50 से 60% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। औद्योगिक भारतीय का जीवन स्तर काफी नीचा है।

(2) बेकारी एवं अर्द्ध बेकारी की बढ़ती समस्या—भारत में बेकारी की समस्या निरन्तर जटिल होती जा रही है। जहाँ 1950-51 में बेकारी की संख्या 40 लाख थी वहाँ अब बेकारी की संख्या 35 से 45 करोड़ होने का अनुमान है। छठी योजना में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिये जाने पर भी बेकारी बनी रहेगी।

(3) भीषण मुद्रा स्फीति और आर्थिक संकट—भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढीले एवं अकुशल संवाहन के कारण समय-समय पर भीषण मुद्रा स्फीति का संकट घाया है। 1974-75 में देश के मूल्यों में 23% वृद्धि चौका देने वाली थी इससे जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ। देश में मुद्रा स्फीति के कारण मुनाफाखोरी, बालाबाजारी, हड़तालें, तोड़-फोड़ आदि को बढ़ावा मिला। पिछले एक वर्ष में 20% की मुद्रा स्फीति भी भयावह है।

(4) आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण तथा आर्थिक असमानता में वृद्धि—मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण भारत में घनवान अधिक घनवान एवं गरीब अधिक गरीब हुए हैं। दोषपूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के कारण बड़े-बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। डा. के एन राज के शब्दों में "आज घायल घन की असमानताएँ नियोजित विकास के प्रारम्भ की सुलना में अधिक हुई हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तत्व हमें समाजवाद की अपेक्षा पूँजीवाद के ही अधिक समीप लाये हैं।

(5) आत्म निर्भरता एवं समाजवाद खोरी बल्पना घन कर रहे गये हैं—आज तक के लिये आयातों पर निर्भर हैं। प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, सोह इस्पात एवं मशीनरी का आयात करना पड़ता है। कार्मिकीय जनसंख्या का लगभग 30% बेकारी का शिकार है। गरीबी का साम्राज्य व्याप्त है। देश की लगभग 30 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं। यह कैसा समाजवाद है कुछ समझ में नहीं आता।

सरकार के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges)

भारत की नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की विफलताओं ने सरकार के सामने कई चुनौतियाँ रखी हैं जिसका समना करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है, आर्थिक नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उनको कारगर ढंग से क्रियान्वित करना है। मुख्य चुनौतियाँ हैं—बेकारी की समस्या का समापन, दरिद्रता व गरीबी का समापन, तीव्र आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था में आत्म निर्भरता, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक तथा आर्थिक समानता के साथ राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार की आर्थिक नीति म वृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। अगले दस वर्षों में बेकारी के समापन का प्रयास किया जायगा। इसके लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायगा। बड़े उद्योगों का उत्पादन व क्षेत्र नियन्त्रित किया जायगा। अधिक प्रगतिशील नगरोपरण में आर्थिक असमानता को दूर किया जायगा। मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए अनिवार्य वस्तुओं के वितरण में सुधार लाया जायगा तथा उपयुक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति अपनाई जायगी।

भारत की पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था के आदर्शों को व्यावहारिक रूप दिया गया है। देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को तीन वर्गों—(1) राजकीय क्षेत्र, (2) राजकीय सह निजी क्षेत्र तथा, (3) निजी क्षेत्र में बाँटा गया है। यह विभाजन न तो बिल्कुल पूर्ण और न कोई स्पष्ट विभाजन रेखा ही है वरन् प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि में किया गया है। योजना आयोग के शब्दों में 'नियोजित अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अन्तःसापेक्षिक महत्व का है। वास्तव में दोनों क्षेत्र एक ही शरीर के दो अविनाश्य अंग हैं और उन्हें उसी के अनुसार कार्य करना है।'

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर रही है पर राजनैतिक अछूताचार, प्रशासनिक अकुशलता एवं अछूता, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में अवाञ्छित ढिलाई तथा दश म जन सहयोग के अभाव में मिश्रित अर्थव्यवस्था का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी देश में बेकारी और भुखमरी बढ़ी है। बढ़ते मूल्यों पर सरकार नियन्त्रण करने में अगत समर्थ रही है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों और मुनाफ़ाखोरी से आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। आर्थिक विपन्नता बढ़ी है।

सरकार गरीबी को कम करने, अगले वर्षों में बेकारी समाप्त करने व आत्मनिर्भरता के लिए दृढ़ संकल्प है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ तक पूँजीवाद एवं समाजवाद में एक अच्छा तालमेल है ?

(संकेत—प्रथम भाग में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अधिप्राय स्पष्ट करना है तथा द्वितीय भाग में बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों की प्रमुख विशेषताएँ हैं और दोनों के अन्तर्गत गुणों को मिलाया है जबकि दोनों के दोषों का दूर करने का प्रयास है ।)

2 टिप्पणी सिलिये—

(i) मिश्रित अर्थव्यवस्था (1974, पूरक परीक्षा 1973, 1976)

(ii) पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था

(iii) नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (1977)

(संकेत—(i) मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ विशेषताएँ एवं सर्वोप में गुण दोष बताना है । (ii) पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (Capitalist Mixed Economy) दोली-दाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह रूप है जिसमें पूँजीवाद के अनेक गुण विद्यमान हैं । उसकी विशेषताएँ बताना है तथा गुण-दोष देने हैं । (गद्य में) । (iii) नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था (Planned Socialistic Mixed Economy) का स्थापितकरण शीघ्र के अनुसार करना है फिर गद्य में इसके गुण दोष बताने हैं ।)

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझने हैं ? इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? इसकी बड़नी सोचप्रियता के कारण दीजिये ।

(संकेत—मिश्रित अर्थव्यवस्था का अधिप्राय देकर दूसरे भाग में उसकी विशेषताएँ देनी हैं । तीसरे भाग में उसकी बड़नी सोचप्रियता के कारण लिखना है ।)

4 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की कार्य विधि समझाइये तथा उसकी सफलताओं एवं विफलताओं का विवेचन कीजिये ।

(संकेत—भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था शीघ्र के अन्तर्गत दी गई विषय सामग्री देकर नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की भारत में सफलताओं और अफलताओं का विवरण देना है ।)

5 पूँजीवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण-दोषों का विवेचन कीजिये ।
(Raj 1 yr. T D C 1980)

(संकेत—पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण-दोष देने हैं ।)